रजिस्ट्री सं॰ डी॰—221 REGISTERED NO. D.—221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 2] नई दिल्ली, बुधवार, 20 मार्च, 2019/29 फाल्गुन, 1940 (शक) [खंड LV
No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 2019/PHALGUNA 29, 1940 (SAKA) [VOL. LV

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2019/29 फाल्गुन, 1940 (शक)

दि कंपनीज एक्ट, 2013 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, March 20, 2019/Phalguna 29, 1940 (Saka)

The following translation in Hindi of the Companies Act, 2013 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम, संख्यांक 18) 9
The Companies Act, 2013

कंपनी अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 18)

[29 अगस्त, 2013]

कंपनियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी अधिनियम, 2013 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह धारा तुरंत प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी

उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

(4) इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे—

(क) इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन निगमित कंपनियों को;

(ख) बीमा कंपनियों को, वहां के सिवाय, जहां तक उक्त उपबंध बीमा अधिनियम, 1938 या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों से असंगत हैं; 1938 का 4 1999 का 41

(ग) बैंककारी कंपनियों को, वहां के सिवाय, जहां तक उक्त उपबंध बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों से असंगत हैं; 1949 का 10

(घ) विद्युत के उत्पादन या प्रदाय में लगी कंपनियों को, वहां के सिवाय, जहां तक उक्त उपबंध विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों से असंगत हैं; 2003 का 36

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित किसी अन्य कंपनी को, वहां के सिवाय, जहां तक उक्त उपबंध ऐसे विशेष अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं; और

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम द्वारा निगमित, ऐसे निगमित निकाय को, जिसको केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे अपवादों, उपांतरणों या अनुकूलन के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "संक्षिप्त प्रास्पेक्टस" से ऐसा ज्ञापन अभिप्रेत है, जिसमें किसी प्रास्पेक्टस की ऐसी मुख्य विशेषताएं अन्तर्विष्ट हैं, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनियम बनाकर विहित की जाएं;

(2) "लेखा मानक" से धारा 133 में निर्दिष्ट कंपनियों या कंपनियों के वर्ग के लिए लेखा मानक या उनकी कोई अन्य युक्तिका अभिप्रेत है;

(3) "परिवर्तन करना" या "परिवर्तन" के अंतर्गत परिवर्धन, लोप और प्रतिस्थापित करना भी है;

(4) "अपील अधिकरण" से धारा 410 के अधीन गठित किया गया राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(5) "अनुच्छेद" से किसी कंपनी के मूल रूप से विरचित या समय-समय पर यथापरिवर्तित या किसी पूर्व कंपनी विधि या इस अधिनियम के अनुसरण में लागू किए गए संगम-अनुच्छेद अभिप्रेत हैं;

(6) किसी अन्य कंपनी के संबंध में, "सहयोजित कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें उस अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, किन्तु जो ऐसा प्रभाव रखने वाली कंपनी की समनुषंगी कंपनी नहीं है और जिसके अंतर्गत सह-उद्यम कंपनी भी है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "महत्वपूर्ण प्रभाव" से कुल शेयर पूंजी का कम से कम बीस प्रतिशत या किसी करार के अधीन कारबार संबंधी विनिश्चयों का नियंत्रण अभिप्रेत है;

(7) "संपरीक्षा मानक" से धारा 143 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कंपनियों या कंपनियों के वर्ग के लिए संपरीक्षा मानक या उसका कोई परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(8) "प्राधिकृत पूंजी" या "अभिहित पूंजी" से ऐसी पूंजी अभिप्रेत है, जिसको कंपनी के ज्ञापन द्वारा कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

1949 का 10

(9) "बैंककारी कंपनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है;

(10) किसी कंपनी के संबंध में, "निदेशक बोर्ड" या "बोर्ड" से कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय अभिप्रेत है;

(11) "निगमित निकाय" या "निगम" के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी; और

(ii) ऐसा कोई अन्य निगमित निकाय (जो इस अधिनियम में यथापरिभाषित कंपनी नहीं है), जिसको केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(12) "बही और कागज-पत्र" और "बही या कागज-पत्र" के अंतर्गत कागज-पत्र पर या इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई लेखाबहियां, विलेख, वाउचर, लेख, दस्तावेज, कार्यवृत्त और रजिस्टर भी हैं;

(13) "लेखाबही" के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में रखे गए अभिलेख भी हैं,—

(i) किसी कंपनी द्वारा प्राप्त और व्यय की गई सभी धनराशियां तथा ऐसे विषय, जिनके संबंध में प्राप्तियां और व्यय होते हैं;

(ii) कंपनी द्वारा माल के सभी विक्रय और क्रय तथा सेवाएं;

(iii) कंपनी की आस्तियां और दायित्व; तथा

(iv) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जो धारा 148 के अधीन विनिर्दिष्ट कंपनियों के किसी वर्ग से संबंधित है, लागत की ऐसी मदें, जो उस धारा के अधीन विहित की जाएं;

(14) किसी कंपनी के संबंध में "शाखा कार्यालय" से कंपनी द्वारा उस रूप में वर्णित कोई स्थापन अभिप्रेत है;

(15) "आहूत पूंजी" से पूंजी का ऐसा भाग अभिप्रेत है, जिसको संदाय के लिए मांगा गया है;

(16) "प्रभार" से किसी कंपनी या उसके किसी उपक्रम या दोनों की संपत्ति या आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति के रूप में सृजित हित या धारणाधिकार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बंधक भी है;

(17) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित

1949 का 38

किया गया है, जो उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाणपत्र धारित करता है;

(18) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से किसी कंपनी का ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे उसके द्वारा उस रूप में पदाभिहित किया गया है;

(19) "मुख्य वित्तीय अधिकारी" से किसी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(20) "कंपनी" से इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(21) "प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसके सदस्यों का दायित्व, ज्ञापन द्वारा ऐसी रकम तक परिसीमित है, जैसा, सदस्य क्रमशः उसके समापन की दशा में कंपनी की आस्तियों में अभिदाय करने का वचन दें;

(22) "शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसके सदस्यों का दायित्व, ज्ञापन द्वारा ऐसी रकम तक, यदि कोई हो, परिसीमित है, जो क्रमशः उनके द्वारा धारित शेयरों पर असंदत्त है;

(23) "कंपनी समापक" से, जहां तक उसका संबंध किसी कंपनी के परिसमापन से है,—

(क) अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में, अधिकरण द्वारा, या

(ख) स्वेच्छया परिसमापन की दशा में, कंपनी या लेनदारों द्वारा,

धारा 275 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे गए वृत्तिकों के पैनल से कंपनी समापक के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है;

(24) "कंपनी सचिव" या "सचिव" से ऐसा कंपनी सचिव अभिप्रेत है, जिसको कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परिभाषित किया गया है, जिसको किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है; 1980 का 56

(25) "व्यवसायरत कंपनी सचिव" से ऐसा कपंनी सचिव अभिप्रेत है, जिसको कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन व्यवसायरत समझा जाता है; 1980 का 56

(26) "अभिदायी" से किसी कंपनी के परिसमापन की दशा में, उसकी आस्तियों के प्रति अभिदाय करने के लिए दायी व्यक्ति अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी कंपनी में पूर्णतः समादत्त शेयर धारण करने वाले व्यक्ति को अभिदायी समझा जाएगा, किंतु ऐसे अभिदायी के अधिकारों को प्रतिधारित करते समय अधिनियम के अधीन अभिदायी के दायित्व नहीं होंगे;

(27) "नियंत्रण" के अन्तर्गत बहुसंख्यक निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या ऐसे नीति विनिश्चयों का नियंत्रण करने का ऐसा अधिकार भी होगा, जो वैयक्तिक या सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उनके शेयर धारण या प्रबंधन अधिकारों या शेयर धारक करारों या मतदान करारों के आधार पर या किसी अन्य रीति से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, प्रयोक्तव्य है;

(28) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है; 1959 का 23

(29) "न्यायालय" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे स्थान के संबंध में, जहां संबंधित कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाला उच्च न्यायालय, उस विस्तार के सिवाय जहां अधिकारिता किसी जिला न्यायालय या उपखंड (ii) के अधीन उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालयों को प्रदत्त की गई है;

(ii) जिला न्यायालय, उन मामलों में, जहां केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना द्वारा, किसी जिला न्यायालय को, ऐसी किसी कंपनी के संबंध में, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उस जिले में स्थित है, उसकी अधिकारिता की परिधि के भीतर उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी या किसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया है;

(iii) इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय;

(iv) धारा 435 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय;

(v) इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट;

(30) "डिबेंचर" के अंतर्गत डिबेंचर स्टाक, बंधपत्र या किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में किसी कंपनी की कोई अन्य लिखत भी है, चाहे वह कंपनी की आस्तियों पर भार का गठन करती हो या नहीं;

(31) "निक्षेप" के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा निक्षेप या ऋण के रूप में या किसी अन्य रूप में धन की कोई रसीद अभिप्रेत है, किंतु रकम के ऐसे प्रवर्ग, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किए जाएं, इसके अन्तर्गत नहीं हैं;

1996 का 22

(32) "निक्षेपागार" से, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में यथापरिभाषित कोई निक्षेपागार अभिप्रेत है;

1956 का 42

(33) "व्युत्पन्न" से, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कग) में यथापरिभाषित व्युत्पन्न अभिप्रेत है;

(34) "निदेशक" से किसी कंपनी के बोर्ड में नियुक्त कोई निदेशक अभिप्रेत है;

(35) "लाभांश" के अंतर्गत कोई अंतरिम लाभांश भी है;

(36) "दस्तावेज" के अंतर्गत कागज-पत्रों में या इलैक्ट्रानिक रूप में रखे गए समन, सूचना, अध्यपेक्षा, आदेश, घोषणा, प्ररूप और रजिस्टर भी हैं, चाहे वे इस अधिनियम के अनुसरण में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या अन्यथा जारी किए गए हों, भेजे गए हों या रखे गए हों;

(37) "कर्मचारी-स्टाक विकल्प" से किसी कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी कंपनी या कंपनियों के, यदि कोई हों, निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को दिया गया विकल्प अभिप्रेत है, जो ऐसे निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को किसी भावी तारीख को किसी पूर्व अवधारित कीमत पर कंपनी के शेयरों का क्रय करने या उनमें अभिदाय करने का फायदा या अधिकार देता है;

(38) "विशेषज्ञ" के अंतर्गत कोई इंजीनियर, मूल्यांकक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है, जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में कोई प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति या प्राधिकार है;

(39) "वित्तीय संस्था" के अंतर्गत कोई अनुसूचित बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन परिभाषित या अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था भी है; 1934 का 2

(40) किसी कंपनी के संबंध में "वित्तीय विवरण" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन-पत्र;

(ii) लाभ और हानि लेखा या लाभ के लिए कोई क्रियाकलाप न करने वाली किसी कंपनी की दशा में, वित्तीय वर्ष का आय-व्यय लेखा;

(iii) वित्तीय वर्ष का नकद प्रवाह विवरण;

(iv) साम्या में, यदि लागू हो, परिवर्तनों का विवरण; और

(v) उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज से उपाबद्ध या उसका भाग बनने वाला कोई स्पष्टीकारक टिप्पण:

परन्तु एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी और निष्क्रिय कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण में नकद प्रवाह विवरण सम्मिलित नहीं हो सकेगा;

(41) किसी कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में, "वित्तीय वर्ष" से प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि और जहां उसको किसी वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् निगमित किया गया है वहां उस आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसके संबंध में ऐसी कंपनी या निगमित निकाय का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है:

परंतु ऐसी किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किए गए आवेदन पर, जो कोई नियंत्री कंपनी या भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी की समनुषंगी है और भारत के बाहर अपने लेखाओं के समेकन के लिए किसी भिन्न वित्तीय वर्ष का पालन करने के लिए अपेक्षित है, अधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है तो उसके वित्तीय वर्ष के रूप में कोई अवधि अनुज्ञात कर सकेगा, चाहे वह अवधि कोई वर्ष हो या नहीं:

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान कोई कंपनी या निगमित निकाय, ऐसे प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस खंड के उपबंधों के अनुसार अपने वित्तीय वर्ष को सम्मिलित करेगा;

(42) "विदेशी कंपनी" से भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी या निगमित निकाय अभिप्रेत है,—

(क) जिसका भारत में, चाहे स्वयं द्वारा या किसी अभिकर्ता द्वारा, भौतिक रूप से या इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा, कारबार का कोई स्थान है; और

(ख) जो किसी अन्य रीति से, भारत में किसी कारबारी क्रियाकलाप का संचालन करता है;

(43) "खुली आरक्षिति" से ऐसी आरक्षितियां अभिप्रेत हैं, जो किसी कंपनी के अंतिम संपरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध हैं;

परन्तु—

(i) अप्राप्त अभिलाभों, काल्पनिक अभिलाभों या आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन को, चाहे आरक्षिति के रूप में या अन्यथा दर्शित किया गया हो, व्यक्त करने वाली किसी रकम को, या

(ii) किसी आस्ति या साम्या में मान्य ठहराए गए किसी दायित्व की वहन रकम में किसी परिवर्तन को, जिसके अन्तर्गत लाभ-हानि लेखे में अधिशेष भी है, उचित मूल्य पर आस्ति या दायित्व के मूल्यांकन पर,

खुली आरक्षिति नहीं माना जाएगा;

(44) "वैश्विक निक्षेपागार रसीद" से किसी निक्षेपागार रसीद के रूप में कोई लिखत, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जिसको, भारत के बाहर किसी विदेशी निक्षेपागार द्वारा सृजित और ऐसी निक्षेपागार रसीदों को पुरोधृत करने वाली कंपनी द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(45) "सरकारी कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित किया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसी कंपनी भी है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की समनुषंगी कंपनी है;

(46) एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में, "नियंत्री कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसकी ऐसी कंपनियां, समनुषंगी कंपनियां हैं;

(47) "स्वतंत्र निदेशक" से धारा 149 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है;

(48) "भारतीय निक्षेपागार रसीद" से भारत में किसी घरेलू निक्षेपागार द्वारा सृजित और भारत के बाहर ऐसी निक्षेपागार रसीदों को पुरोधृत करने के लिए निगमित किसी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी निक्षेपागार रसीद के रूप में कोई लिखत अभिप्रेत है;

(49) "हितबद्ध निदेशक" से ऐसा निदेशक अभिप्रेत है, जो किसी भी रूप में, चाहे स्वयं या अपने किसी नातेदार या ऐसी फर्म, निगमित निकाय या अन्य व्यष्टि संगम के माध्यम से, जिसमें वह या उसका कोई नातेदार, भागीदार, निदेशक या सदस्य है, किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव या प्रस्तावित संविदा या ठहराव में हितबद्ध है;

(50) "पुरोधृत पूंजी" से ऐसी पूंजी अभिप्रेत है, जिसको कंपनी समय-समय पर अभिदाय के लिए जारी करती है;

(51) किसी कंपनी के संबंध में, "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;

(ii) कंपनी सचिव;

(iii) पूर्णकालिक निदेशक;

(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी; और

(v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो विहित किया जाए;

(52) "सूचीबद्ध कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसकी कोई प्रतिभूति, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;

(53) "प्रबंधक" से ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है, जिसके पास, निदेशक बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी के कामकाज का संपूर्ण या सारवान् रूप से संपूर्ण प्रबंध है और इसके अन्तर्गत ऐसा निदेशक या प्रबंधक की हैसियत का अधिभोग करने वाला, उसका नाम चाहे जो भी हो, कोई अन्य व्यक्ति भी है , चाहे वह सेवा संविदा के अधीन हो या न हो;

(54) "प्रबंध निदेशक" से ऐसा निदेशक अभिप्रेत है, जिसमें, कंपनी के अनुच्छेदों के आधार पर या कंपनी के साथ किसी करार या उसके साधारण अधिवेशन में या उसके निदेशक बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प के आधार पर कंपनी के कामकाज के प्रबंधन की सारवान् शक्तियां न्यस्त हैं और इसके अन्तर्गत प्रबंध निदेशक की हैसियत प्राप्त करने वाला कोई निदेशक भी है, उसका नाम चाहे जो भी हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जब बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, नैत्यिक स्वरूपी प्रशासनिक कार्यों को करने, जैसे कि किसी दस्तावेज पर कंपनी की सामान्य मुद्रा लगाने या किसी बैंक में कंपनी के खाते पर कोई चेक लिखने और पृष्ठांकित करने या कोई परक्राम्य लिखत तैयार करने और पृष्ठांकित करने या किसी शेयर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी शेयर के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण का निदेश देने की शक्ति का, प्रबंधन की सारवान् शक्तियों के भीतर सम्मिलित होना नहीं समझा जाएगा;

(55) किसी कंपनी के संबंध में, "सदस्य" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कंपनी के ज्ञापन का ऐसा अभिदाता, जिसके द्वारा कंपनी का सदस्य बनना स्वीकार किया गया समझा जाएगा और उसके रजिस्ट्रीकरण पर उसके सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा;

(ii) ऐसा प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो कंपनी का सदस्य बनने के लिए लिखित में करार करता है और जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट है;

(iii) कंपनी के शेयर धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और जिसका नाम किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में किसी फायदाग्राही स्वामी के रूप में प्रविष्ट है;

(56) "ज्ञापन" से, किसी पूर्व कंपनी विधि या इस अधिनियम के अनुसरण में किसी कंपनी का मूल रूप से विरचित या समय-समय पर यथापरिवर्तित, संगम-ज्ञापन अभिप्रेत है;

(57) "शुद्ध मूल्य" से संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, संचित हानियों, आस्थगित व्यय और अपलिखित न किए गए प्रकीर्ण व्यय के संकलित मूल्य की कटौती करने के पश्चात्, समादत्त शेयर पूंजी और लाभों में से सृजित सभी आरक्षितियों और प्रतिभूति प्रीमियम लेखे का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन, अवक्षयण के प्रतिलेखन और समामेलन में से सृजित आरक्षितियां नहीं हैं;

(58) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(59) "अधिकारी" के अंतर्गत ऐसा कोई निदेशक, प्रबंधक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार, निदेशक बोर्ड या एक या अधिक निदेशक, कार्य करने का अभ्यस्त है या कार्य करने के अभ्यस्त हैं;

(60) "अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है" से इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध के प्रयोजन के लिए, जो यह अधिनियमित करता है कि कंपनी का ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास, जुर्माने के रूप में या अन्यथा किसी शास्ति या दंड का दायी होगा, किसी कंपनी का निम्नलिखित कोई अधिकारी अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) पूर्णकालिक निदेशक;

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक;

(iii) जहां कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं है, वहां ऐसा या ऐसे निदेशक, जिसको या जिनको इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, और जिसने या जिन्होंने ऐसे विनिर्देश के लिए बोर्ड को लिखित में अपनी सहमति दे दी है, या यदि किसी निदेशक को इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो सभी निदेशक;

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर बोर्ड या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के प्रत्यक्ष प्राधिकार के अधीन किसी उत्तरदायित्व का, जिसके अंतर्गत लेखाओं या अभिलेखों को बनाए रखना, फाइल करना या वितरण करना भी है, भार है, किसी व्यतिक्रम को प्राधिकृत करता है, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है, जानबूझकर अनुज्ञात करता है या जानबूझकर उसका निवारण करने के लिए सक्रिय उपाय करने में असफल रहता है;

(v) ऐसे व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो वृत्तिक हैसियत में बोर्ड को सलाह देता है, जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है;

(vi) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में, ऐसा प्रत्येक निदेशक, जो बोर्ड की किन्हीं कार्यवाहियों की उसके द्वारा प्राप्ति के आधार पर या ऐसी कार्यवाहियों में उस पर आक्षेप किए बिना भागीदारी के आधार पर ऐसे उल्लंघन के बारे में जानता है या जहां ऐसा उल्लंघन उसकी सहमति या मौनानुकूलता से हुआ था;

(vii) कंपनी के किन्हीं शेयरों के पुरोधरण या अंतरण के संबंध में पुरोधरण या अंतरण करने वाले शेयर अंतरण अभिकर्ता, रजिस्ट्रार और वाणिज्यिक बैंककार;

(61) "शासकीय समापक" से धारा 359 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शासकीय समापक अभिप्रेत है;

(62) "एक व्यक्ति कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति है;

(63) "साधारण या विशेष संकल्प" से धारा 114 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, कोई साधारण संकल्प या विशेष संकल्प अभिप्रेत है;

(64) "समादत्त शेयर पूंजी" या "शेयर पूंजी समादत्त" से समादत्त रूप में जमा की गई ऐसी कुल धनराशि अभिप्रेत है, जो पुरोधृत शेयरों के संबंध में समादत्त रूप

में प्राप्त रकम के समतुल्य है और इसमें कंपनी के शेयरों के संबंध में समादत्त रूप में जमा की गई कोई रकम भी सम्मिलित है, किंतु इसमें ऐसे शेयरों के संबंध में उसका नाम चाहे जो भी हो, प्राप्त कोई अन्य रकम सम्मिलित नहीं है;

(65) "डाक मतदान" से डाक द्वारा या किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति से मतदान करना अभिप्रेत है;

(66) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(67) "पूर्व कंपनी विधि" से नीचे विनिर्दिष्ट विधियों में से कोई विधि अभिप्रेत है :—

(i) इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1866 से पूर्व प्रवृत्त कंपनियों से संबंधित अधिनियम; 1866 का 10

(ii) इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1866; 1866 का 10

(iii) इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1882; 1882 का 6

(iv) इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913; 1913 का 7

(v) अंतरित कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण अध्यादेश, 1942; 1942 का अध्यादेश 54

(vi) कंपनी अधिनियम, 1956; और 1956 का 1

(vii) पूर्वोक्त किसी अधिनियम या अध्यादेश की तत्स्थानी और—

(अ) इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913 के विस्तारण से पूर्व समामेलित राज्यक्षेत्रों में या किसी भाग ख राज्य (जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न) या उसके किसी भाग में; या 1913 का 7

(आ) जहां तक बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगमों का संबंध है, जम्मू-कश्मीर (विधि विस्तारण) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पूर्व और जहां तक अन्य निगमों का संबंध है, केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968 के प्रारंभ से पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य या उसके किसी भाग में, 1956 का 62 1968 का 25

प्रवृत्त किसी विधि में;

(viii) जहां तक इसका संबंध "सोशीडाडेस ऐनोनिमास" से है, पुर्तगाली वाणिज्यिक संहिता; और

(ix) कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961; 1961 का सिक्किम अधिनियम 8

(68) "प्राइवेट कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसकी एक लाख रुपए की न्यूनतम समादत्त शेयर पूंजी या ऐसी उच्चतर समादत्त शेयर पूंजी है, जो विहित की जाए और जो अपने अनुच्छेदों द्वारा—

(i) अपने शेयरों के अंतरण के अधिकार को निर्बंधित करती है;

(ii) एक व्यक्ति कंपनी की दशा के सिवाय, अपने सदस्यों की संख्या को दो सौ तक सीमित करती है :

परंतु जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी कंपनी के एक या अधिक शेयरों को संयुक्त रूप से धारण करते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए उनको एकल सदस्य समझा जाएगा :

परंतु यह और कि—

(अ) ऐसे व्यक्ति, जो कंपनी के नियोजन में हैं; और

(आ) ऐसे व्यक्ति, जो औपचारिक रूप से कंपनी के नियोजन में रहते हुए, उस नियोजन के समय, कंपनी के सदस्य थे और नियोजन में न रहने के पश्चात् सदस्य बने हुए हैं,

सदस्यों की संख्या में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे; और

(iii) कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के लिए अभिदाय करने के लिए जनता को आमंत्रित करने से प्रतिषिद्ध करती है;

(69) "संप्रवर्तक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(क) जिसको प्रास्पेक्टस में उस रूप में नामित किया गया है या धारा 92 में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी में कंपनी द्वारा परिचित कराया जाता है; या

(ख) जिसका कंपनी के काम-काज पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, चाहे किसी शेयर धारक, निदेशक के रूप में या अन्यथा, नियंत्रण है;

(ग) जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक, बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है :

परंतु उपखंड (ग) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो केवल किसी वृत्तिक हैसियत से ही कार्य कर रहा है;

(70) "प्रास्पेक्टस" से प्रास्पेक्टस के रूप में वर्णित या जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 32 में निर्दिष्ट कोई लाल हेरिंग प्रास्पेक्टस या धारा 31 में निर्दिष्ट शेल्फ प्रास्पेक्टस या ऐसी कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज भी है, जो किसी निगमित निकाय की किन्हीं प्रतिभूतियों के अभिदाय या क्रय के लिए जनता से प्रस्थापनाएं आमंत्रित करता है;

(71) "पब्लिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है,—

(क) जो प्राइवेट कंपनी नहीं है;

(ख) जिसकी पांच लाख रुपए की न्यूनतम समादत्त शेयर पूंजी या ऐसी उच्चतर समादत्त पूंजी है, जो विहित की जाए :

परंतु ऐसी कंपनी, जो ऐसी किसी कंपनी की समनुषंगी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी समनुषंगी कंपनी अपने अनुच्छेदों में प्राइवेट कंपनी बनी रहती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पब्लिक कंपनी समझी जाएगी;

(72) "लोक वित्तीय संस्था" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

1956 का 31 (i) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम;

1956 का 1 (ii) इस अधिनियम की धारा 465 के अधीन इस प्रकार निरसित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क की उपधारा (1) के खंड (vi) में निर्दिष्ट अवसंरचना विकास वित्त कंपनी लिमिटेड;

2002 का 58 (iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी;

(iv) इस अधिनियम की धारा 465 के अधीन इस प्रकार निरसित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थाएं; 1956 का 1

(v) ऐसी अन्य संस्थाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचित की जाएं :

परंतु किसी संस्था को इस प्रकार तब अधिसूचित किया जाएगा,—

(अ) जब वह किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित की गई है; या

(आ) जिसमें समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है या उनके नियंत्रणाधीन है;

(73) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज अभिप्रेत है; 1956 का 42

(74) "कंपनियों का रजिस्टर" से रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कागजपत्रों पर या किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति से रखा गया कंपनियों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(75) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण और विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के कर्तव्य वाला कोई रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(76) किसी कंपनी के प्रतिनिर्देश से "संबंधित पक्षकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं :—

(i) कोई निदेशक या उसका नातेदार;

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उसका नातेदार;

(iii) कोई फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसका नातेदार एक भागीदार है;

(iv) कोई प्राइवेट कंपनी, जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक उसका सदस्य या निदेशक है;

(v) कोई पब्लिक कंपनी, जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक कोई निदेशक है या उसकी समादत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक अपने नातेदारों के साथ धारण करता है;

(vi) कोई निगमित निकाय, जिसका निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का अभ्यस्त है;

(vii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का अभ्यस्त है :

परंतु उपखंड (vi) और उपखंड (vii) की कोई बात, वृत्तिक हैसियत में दी गई सलाह, निदेशों या अनुदेशों को लागू नहीं होगी;

(viii) कोई कंपनी, जो—

(अ) ऐसी कंपनी की नियंत्री, समनुषंगी या कोई सहयोजित कंपनी है; या

(आ) ऐसी किसी नियंत्री कंपनी की समनुषंगी है, जिसकी वह भी एक समनुषंगी है ;

(ix) ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विहित किया जाए;

(77) किसी व्यक्ति के प्रतिनिर्देश से, "नातेदार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दूसरे व्यक्ति का नातेदार है, यदि—

(i) वे हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य हैं;

(ii) वे पति और पत्नी हैं; या

(iii) एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से ऐसी रीति से संबद्ध है, जो विहित की जाए;

(78) "पारिश्रमिक" से किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उसको दी गई या हस्तांतरित कोई धनराशि या उसके समतुल्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन यथापरिभाषित परिलब्धियां भी हैं; 1961 का 43

(79) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(80) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित अनुसूचित बैंक अभिप्रेत है; 1934 का 2

(81) "प्रतिभूतियों" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं; 1956 का 42

(82) "प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है; 1992 का 15

(83) "गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय" से धारा 211 में निर्दिष्ट कार्यालय अभिप्रेत है;

(84) "शेयर" से किसी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई शेयर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्टाक भी है;

(85) "लघु कंपनी" से पब्लिक कंपनी से भिन्न ऐसी कंपनी अभिप्रेत है,—

(i) जिसकी समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए या उस उच्चतर रकम से, जो विहित की जाए, अधिक नहीं है, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी;

(ii) जिसका आवर्त, उसके अंतिम लाभ और हानि लेखा के अनुसार दो करोड़ रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से, जो विहित की जाए, अधिक नहीं है, जो बीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु इस खंड की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(अ) कोई नियंत्री कंपनी या कोई समनुषंगी कंपनी;

(आ) धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी; या

(इ) किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कोई कंपनी या निगमित निकाय;

(86) "अभिदत्त पूंजी" से पूंजी का ऐसा भाग अभिप्रेत है, जो तत्समय कंपनी के सदस्यों द्वारा अभिदाय किया गया है;

(87) किसी अन्य कंपनी (अर्थात् नियंत्री कंपनी) के संबंध में "समनुषंगी कंपनी" या "समनुषंगी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें नियंत्री कंपनी—

(i) निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण करती है; या

(ii) कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो स्वयं या अपनी एक या अधिक समनुषंगी कंपनियों के साथ मिलकर करती है :

परंतु नियंत्री कंपनियों का ऐसा वर्ग या के ऐसे वर्ग, जो विहित किया जाए/किए जाएं, ऐसी संख्या से परे, जो विहित की जाए, समनुषंगियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा/होंगे।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई कंपनी, नियंत्री कंपनी की समनुषंगी कंपनी समझी जाएगी, यद्यपि उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट नियंत्रण, नियंत्री कंपनी की किसी अन्य समनुषंगी कंपनी का हो;

(ख) किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड की संरचना किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित की गई समझी जाएगी, यदि वह अन्य कंपनी, उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कुछ शक्ति का प्रयोग करके अपने विवेकानुसार सभी या बहुसंख्यक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है या उन्हें हटा सकती है;

(ग) "कंपनी" पद के अंतर्गत कोई निगमित निकाय भी है;

(घ) किसी नियंत्री कंपनी के संबंध में, "उत्तरदायी" से उसकी समनुषंगी कंपनी या कंपनियां अभिप्रेत हैं;

(88) "श्रमसाध्य साधारण शेयर" से ऐसे साधारण शेयर अभिप्रेत हैं, जो किसी कंपनी द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों को, बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति या मूल्य परिवर्धनों की प्रकृति में, उसका नाम चाहे जो भी हो ज्ञान उपलब्ध कराने या उनको अधिकार उपलब्ध कराने के लिए नकदी से भिन्न छूट पर या प्रतिफल के लिए जारी किए जाते हैं;

(89) किसी विषय के संबंध में, "कुल मतदान शक्ति" से, ऐसे मतों की कुल संख्या अभिप्रेत है, जो कंपनी के किसी अधिवेशन में किसी मतदान पर उस विषय के संबंध में डाले जाएं, यदि उस विषय पर मत देने का अधिकार रखने वाले उसके सभी सदस्य या उनके परोक्षी अधिवेशन में उपस्थित हैं और अपने मत डालते हैं;

(90) "अधिकरण" से धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है;

(91) "आवर्त" से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा माल के विक्रय, प्रदाय या वितरण या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में या दोनों से की गई रकम की वसूली का कुल मूल्य अभिप्रेत है;

(92) "अपरिसीमित कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं है;

(93) "मतदान अधिकार" से किसी कंपनी के किसी सदस्य का, कंपनी के किसी अधिवेशन में या डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(94) "पूर्णकालिक निदेशक" के अंतर्गत कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में कोई निदेशक भी है;

(95) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं ।

1956 का 42
1992 का 15
1996 का 22

अध्याय 2

कंपनी का निगमन और उसके आनुषंगिक विषय

कंपनी का बनाया जाना ।

3. (1) कोई कंपनी, किसी विधिमान्य प्रयोजन के लिए,—

(क) जहां बनाई जाने वाली कंपनी पब्लिक कंपनी है, वहां सात या अधिक व्यक्तियों द्वारा;

(ख) जहां बनाई जाने वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी है, वहां दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा; या

(ग) जहां बनाई जाने वाली कंपनी एक व्यक्ति कंपनी है अर्थात्, प्राइवेट कंपनी, वहां एक व्यक्ति द्वारा,

किसी ज्ञापन में अपने नामों या नाम में हस्ताक्षर करके और रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, बनाई जा सकेगी :

परंतु किसी एक व्यक्ति कंपनी का ज्ञापन ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के नाम को, जो अभिदायी की मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा, विहित प्ररूप में उसकी पूर्व लिखित सहमति से उपदर्शित करेगा और ऐसे व्यक्ति की लिखित सहमति एक व्यक्ति कंपनी के निगमन के समय, उसके ज्ञापन और अनुच्छेदों के साथ रजिस्ट्रार के पास भी फाइल की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसा अन्य व्यक्ति अपनी सहमति को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वापस ले सकेगा :

परंतु यह भी कि एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य, किसी भी समय सूचना देकर, ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, परिवर्तित कर सकेगा :

परंतु यह और भी कि एक व्यक्ति कंपनी के सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि ज्ञापन में उपदर्शित करके या अन्यथा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के नाम में परिवर्तन की, यदि कोई हो, सूचना, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कंपनी को दे और कंपनी ऐसे किसी परिवर्तन की सूचना, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को देगी :

परंतु यह भी कि व्यक्ति के नाम में ऐसे किसी परिवर्तन को ज्ञापन का परिवर्तन नहीं समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई कंपनी या तो—

(क) शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी; या

(ख) प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी; या

(ग) कोई अपरिसीमित कंपनी,

हो सकेगी ।

ज्ञापन ।

4. (1) किसी कंपनी के ज्ञापन में निम्नलिखित का कथन होगा—

(क) किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की दशा में, "लिमिटेड" अंतिम शब्द के साथ या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दशा में "प्राइवेट लिमिटेड" अंतिम शब्दों के साथ कंपनी का नाम :

परंतु इस खंड की कोई बात धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी को लागू नहीं होगी;

(ख) वह राज्य, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित किया जाना है;

(ग) ऐसे उद्देश्य, जिनके लिए कंपनी को निगमित किए जाने का प्रस्ताव है और ऐसा कोई विषय, जो उनको अग्रसर करने में आवश्यक समझा जाए;

(घ) कंपनी के सदस्यों का दायित्व, चाहे परिसीमित या अपरिसीमित हो और उसमें निम्नलिखित का भी कथन होगा—

(i) शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी की दशा में, उसके सदस्यों का वह दायित्व उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में असंदत्त रकम तक, यदि कोई हो, सीमित है;

(ii) प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी की दशा में, वह रकम, जिस तक प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित के लिए अभिदाय करने का वचन देता है—

(अ) उसके सदस्य रहते हुए या उसके सदस्य न रहने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कंपनी के परिसमापन की दशा में, कंपनी की आस्तियों में, यथास्थिति, कंपनी के ऋणों और दायित्वों के संदाय के लिए या ऐसे ऋणों और दायित्वों के संदाय के लिए, जिनके लिए उसके सदस्य न रहने के पूर्व संविदा की गई हो; और

(आ) परिसमापन की लागतों, प्रभारों और व्यय तथा अभिदायियों के बीच उनके अधिकारों के समायोजन के लिए;

(ङ) शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी की दशा में,—

(i) शेयर पूंजी की वह रकम, जिसके साथ कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है और नियत रकम के शेयरों में उसका विभाजन तथा ऐसे शेयरों की संख्या, जिनके लिए ज्ञापन के अभिदाता, अभिदाय करने की सहमति देते हैं, जो एक शेयर से अन्यून नहीं होगी; और

(ii) ऐसे शेयरों की संख्या, जो ज्ञापन का प्रत्येक अभिदाता लेने का आशय रखता है, जो उसके नाम के सामने उपदर्शित है;

(च) एक व्यक्ति कंपनी की दशा में, उस व्यक्ति का नाम, जो अभिदाता की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा।

(2) ज्ञापन में कथित नाम,—

(क) इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी विद्यमान कंपनी के नाम के समान या उसके अतिसदृश नहीं होगा; या

(ख) ऐसा होगा कि कंपनी द्वारा उसका प्रयोग,—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध का गठन करेगा;

(ii) केन्द्रीय सरकार की राय में अवांछनीय है ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कंपनी किसी ऐसे नाम से जिसमें,—

(क) ऐसा कोई शब्द या पद अन्तर्विष्ट है, जिससे यह प्रभाव पड़ने की संभावना है कि कंपनी किसी रूप में केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या निकाय से संबंधित है या उसके संरक्षण में है; या

(ख) ऐसे शब्द या पद अन्तर्विष्ट हैं, जो विहित किए जाएं,

तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं होगी, जब तक कि किसी ऐसे शब्द या पद के प्रयोग के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो ।

(4) कोई व्यक्ति, आवेदन में निम्नलिखित रूप में उपवर्णित किसी नाम के आरक्षण के लिए ऐसे प्ररूप और रीति से तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा,—

(क) प्रस्तावित कंपनी का नाम; या

(ख) वह नाम, जिसमें कंपनी अपने नाम के परिवर्तन का प्रस्ताव करती है ।

(5) (i) उपधारा (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, आवेदन के साथ दी गई सूचना और दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की तारीख से साठ दिन की अवधि के लिए उस नाम को आरक्षित कर सकेगा ।

(ii) जहां खंड (i) के अधीन नाम के आरक्षण के पश्चात्, यह पाया जाता है कि नाम की गलत या अशुद्ध जानकारी प्रस्तुत करके आवेदन किया गया था, वहां—

(क) यदि कंपनी निगमित नहीं की गई है तो आरक्षित नाम रद्द कर दिया जाएगा और उपधारा (4) के अधीन आवेदन करने वाला व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा;

(ख) यदि कंपनी निगमित की गई है तो रजिस्ट्रार, कंपनी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्,—

(i) या तो कंपनी को एक साधारण संकल्प पारित करने के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर अपना नाम परिवर्तित करने का निदेश दे सकेगा;

(ii) कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम को काटने के लिए कार्रवाई कर सकेगा; या

(iii) कंपनी के परिसमापन के लिए याचिका दे सकेगा।

(6) किसी कंपनी का ज्ञापन अनुसूची 1 की सारणी क, सारणी ख, सारणी ग, सारणी घ और सारणी ङ में, जो ऐसी कंपनी को लागू हो, विनिर्दिष्ट संबंधित प्ररूपों में होगा।

(7) प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित और कोई शेयर पूंजी न रखने वाली किसी कंपनी की दशा में, ज्ञापन या अनुच्छेदों में ऐसा कोई उपबंध, जो सदस्य से अन्यथा भिन्न रूप में कंपनी के विभाज्य लाभों में भाग लेने का किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने के लिए तात्पर्यित है, शून्य होगा ।

अनुच्छेद ।

5. (1) किसी कंपनी के अनुच्छेदों में, कंपनी के प्रबंधन के लिए विनियम अंतर्विष्ट होंगे ।

(2) अनुच्छेदों में, ऐसे विषय भी अंतर्विष्ट होंगे, जो विहित किए जाएं :

परंतु इस उपधारा में विहित कोई बात, किसी कंपनी को अपने अनुच्छेदों में ऐसे अतिरिक्त विषयों को सम्मिलित करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी, जो उसके प्रबंध के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(3) अनुच्छेदों में इस प्रभाव को संस्थापित करने के लिए ऐसे उपबंध अन्तर्विष्ट हो सकेंगे कि अनुच्छेदों के विनिर्दिष्ट उपबंधों में केवल तभी परिवर्तन किया जा सकेगा, जब ऐसी शर्तों या प्रक्रियाओं को पूरा या उनका अनुपालन किया जाता है, जो किसी विशेष संकल्प की दशा में लागू होने वाली शर्तों और प्रक्रियाओं से अधिक निर्बंधनात्मक हैं ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट संस्थापन के लिए उपबंध केवल कंपनी के गठन पर या किसी प्राइवेट कंपनी की दशा में कंपनी के सभी सदस्यों द्वारा सहमत किए गए कंपनी के अनुच्छेदों में संशोधन करके और पब्लिक कंपनी की दशा में विशेष संकल्प द्वारा बनाए जाएंगे ।

(5) जहां अनुच्छेदों में संस्थापन के लिए उपबंध हैं, चाहे वे कंपनी के गठन पर या उसमें संशोधन द्वारा किए गए हों, वहां, कंपनी ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे उपबंधों की रजिस्ट्रार को सूचना देगी ।

(6) किसी कंपनी के अनुच्छेद, अनुसूची 1 की सारणी च, सारणी छ, सारणी ज, सारणी झ और सारणी ञ में, जो ऐसी कंपनी को लागू हो, विनिर्दिष्ट संबंधित प्ररूपों में होंगे।

(7) कोई कंपनी, ऐसी कंपनी को लागू आदर्श अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट सभी या किसी विनियम को, अंगीकृत कर सकेगी ।

(8) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत है, जहां तक ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रीकृत अनुच्छेद ऐसी कंपनी को लागू आदर्श अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट विनियमों को अपवर्जित या उपांतरित नहीं करते हैं, वे विनियम, जहां तक लागू हों, उसी रीति से और उसी सीमा तक उस कंपनी के विनियम होंगे, मानो वे कंपनी के सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट रहे हों ।

(9) इस धारा की कोई बात, किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के अनुच्छेदों को तब तक लागू नहीं होगी जब तक इस अधिनियम के अधीन उनका संशोधन न किया गया हो।

अधिनियम का ज्ञापन, अनुच्छेदों, आदि पर अभिभावी होना ।

6. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,—

(क) इस अधिनियम के उपबंध, किसी कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में या उसके द्वारा निष्पादित किसी करार में या साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा या उसके निदेशक बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, चाहे उनको इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत, निष्पादित या पारित किया गया हो; और

(ख) ज्ञापन, अनुच्छेदों, करार या संकल्प में अंतर्विष्ट कोई उपबंध, उस सीमा तक, जिस तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है, यथास्थिति, शून्य हो जाएगा या होगा ।

कंपनी का निगमन।

7. (1) उस रजिस्ट्रार के पास, जिसकी अधिकारिता के भीतर किसी कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित किया जाना प्रस्तावित है, रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी फाइल की जाएगी, अर्थात्:—

(क) ज्ञापन के सभी अभिदाताओं द्वारा, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित कंपनी के ज्ञापन और अनुच्छेद;

(ख) किसी व्यवसायरत अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव द्वारा, जो कंपनी के गठन में लगा हुआ है और कंपनी के निदेशक, प्रबंधक या सचिव के रूप में अनुच्छेदों में नामित किसी व्यक्ति द्वारा विहित प्ररूप में यह घोषणा कि रजिस्ट्रीकरण और पूर्व निर्णय या उसके आनुषंगिक विषयों की बाबत इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;

(ग) ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता से और अनुच्छेदों में प्रथम निदेशकों के रूप में नामित व्यक्तियों से, यदि कोई हों, यह शपथ-पत्र कि उनको किसी कंपनी के संवर्धन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है या कि उनको पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन, किसी कपट या अपकरण या किसी कंपनी के कर्तव्य के किसी भंग का दोषी नहीं पाया गया है और कि कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी अंतर्विष्ट है वह उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है;

(घ) उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित किए जाने तक पत्र-व्यवहार का पता;

(ङ) नाम की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत पहचान के सबूत के साथ, ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता का उपनाम या कुटुंब नाम, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं, जो विहित की जाएं और ऐसे अभिदाता की दशा में, जो निगमित निकाय है, ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं;

(च) अनुच्छेदों में कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में वर्णित व्यक्तियों की विशिष्टियां, उनके नाम, जिसके अंतर्गत पहचान के सबूत के साथ उपनाम या कुटुंब नाम, निदेशक पहचान संख्या, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं, जो विहित की जाएं; और

(छ) कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में अनुच्छेदों में वर्णित व्यक्तियों के ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाएं, कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति के साथ अन्य फर्मों या निगमित निकायों में हितों की विशिष्टियां।

(2) रजिस्ट्रार, उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर, उस उपधारा में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों और जानकारी को रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और विहित प्ररूप में इस प्रभाव का निगमन प्रमाणपत्र जारी करेगा कि प्रस्तावित कंपनी इस अधिनियम के अधीन निगमित कर दी गई है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र में वर्णित तारीख से ही, रजिस्ट्रार, कंपनी को, निगम पहचान संख्या आबंटित करेगा, जो कंपनी के लिए एक सुभिन्न पहचान होगी और जिसे प्रमाणपत्र में भी सम्मिलित किया जाएगा ।

(4) कंपनी, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में उपधारा (1) के अधीन मूल रूप में फाइल किए गए सभी दस्तावेजों और जानकारी की प्रतियां इस अधिनियम के अधीन उसका विघटन होने तक बनाए रखेगी और परिरक्षित रखेगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति, किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए किन्हीं दस्तावेजों में कोई मिथ्या जानकारी या किसी जानकारी की गलत विशिष्टियां देगा या किसी सारवान् जानकारी को छिपाएगा, जिसकी उसे जानकारी है, तो वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए भागी होगा ।

(6) उपधारा (5) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी कंपनी के निगमन के पश्चात् किसी समय यह साबित हो जाता है कि कंपनी को, ऐसी कंपनी के निगमन के लिए फाइल किए गए किन्हीं दस्तावेजों या दस्तावेज में कोई मिथ्या या गलत जानकारी देकर या दुर्व्यपदेशन या कोई सारवान् तथ्य या जानकारी को छिपाकर या किसी कपटपूर्ण कार्रवाई द्वारा निगमित करा लिया गया है, वहां कंपनी के संप्रवर्तकों, प्रथम निदेशकों के रूप में नामित व्यक्ति और उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए भागी होगा।

(7) उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी कंपनी को, ऐसी कंपनी के निगमन के लिए फाइल किए गए किन्हीं दस्तावेजों या दस्तावेज में कोई मिथ्या या गलत जानकारी देकर या दुर्व्यपदेशन करके या कोई सारवान् तथ्य या जानकारी को छिपाकर या किसी कपटपूर्वक कार्रवाई द्वारा निगमित करा लिया गया है, वहां अधिकरण का, उसे किए गए किसी आवेदन पर अपना यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसा समर्थन करती हैं, तो वह,—

(क) कंपनी के प्रबंधन के विनियमन के लिए, जिसके अंतर्गत उसके ज्ञापन और अनुच्छेदों में परिवर्तन, यदि कोई हो, भी हैं, लोकहित में या कंपनी और उसके

सदस्यों और लेनदारों के हित में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे; या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि सदस्यों का दायित्व अपरिसीमित होगा; या

(ग) कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटाने का निदेश दे सकेगा; या

(घ) कंपनी के परिसमापन का कोई आदेश पारित कर सकेगा; या

(ङ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व,—

(i) कंपनी को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा; और

(ii) अधिकरण, कंपनी द्वारा किए गए संव्यवहारों पर, जिनके अंतर्गत संविदा की गई बाध्यताएं, यदि कोई हों, पर या किसी दायित्व का संदाय भी है, विचार करेगा।

पूर्त उद्देश्यों, आदि वाली कंपनियों का बनाया जाना।

8. (1) जहां, केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति-संगम का—

(क) उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण, धर्म, पूर्त, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है;

(ख) अपने लाभों को, यदि कोई हों, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संवर्धन में लगाने का आशय है; और

(ग) अपने सदस्यों के किसी लाभांश के संदाय को प्रतिषिद्ध करने का आशय है,

वहां केन्द्रीय सरकार, उस व्यक्ति या व्यक्ति-संगम को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, और ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, जारी की गई अनुज्ञप्ति द्वारा उसके नाम में, यथास्थिति, "लिमिटेड" शब्द या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द जोड़े बिना, इस धारा के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और तदुपरि, रजिस्ट्रार विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-संगम को इस धारा के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, सभी विशेषाधिकारों का उपभोग करेगी और लिमिटेड कंपनियों की सभी बाध्यताओं के अधीन होगी ।

(3) कोई फर्म, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी की सदस्य हो सकेगी ।

(4) (i) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, अपने ज्ञापन या अनुच्छेदों के उपबंधों में परिवर्तन नहीं करेगी ।

(ii) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी ऐसी शर्तों का, जो विहित की जाएं, पालन करने के पश्चात् ही, किसी अन्य प्रकार की कंपनी में स्वयं को संपरिवर्तित कर सकेगी।

(5) जहां, केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लिमिटेड

कंपनी, उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किन्हीं उद्देश्यों और उस उपधारा के क्रमशः खंड (ख) और खंड (ग) में यथावर्णित निर्बंधनों और प्रतिषेधों सहित बनाई गई है, वहां वह अनुज्ञप्ति द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, इस धारा के अधीन कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए और इसके नाम से, यथास्थिति, "लिमिटेड" शब्द या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों का लोप करके अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और तदुपरि, रजिस्ट्रार विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर इस धारा के अधीन ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा इस धारा के सभी उपबंध उस कंपनी को लागू होंगे ।

(6) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी को अनुदत्त अनुज्ञप्ति को आदेश द्वारा प्रतिसंहृत कर सकेगी, यदि कंपनी इस धारा की किन्हीं अपेक्षाओं या ऐसी किन्हीं शर्तों का, जिनके अधीन रहते हुए कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उल्लंघन करती है, या कंपनी का कामकाज कपटपूर्ण रूप से या ऐसी रीति से, जो कंपनी के उद्देश्यों का अतिक्रमण करती है या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, संचालित किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी के विरुद्ध किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कंपनी को अपनी प्रास्थिति में संपरिवर्तन करने और अपने नाम में, यथास्थिति, "लिमिटेड" शब्द या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों को जोड़कर परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और तदुपरि, रजिस्ट्रार, किसी ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उपधारा (7) के अधीन की जा सके, विहित प्ररूप में आवेदन करने पर कंपनी को तद्नुसार, रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश, तभी किया जाएगा, जब कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को दी जाएगी ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में यह आवश्यक है तो यह निदेश दे सकेगी कि कंपनी का इस अधिनियम के अधीन परिसमापन किया जाए या इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन किया जाए :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, तभी किया जाएगा, जब कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ।

(8) जहां उपधारा (6) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है और जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी को इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलित किया जाना चाहिए तो इस अधिनियम में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे गठन, संपत्तियों, शक्तियों, अधिकारों, हित, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों सहित, तथा ऐसे दायित्वों, कर्तव्यों और बाध्यताओं सहित, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी एकल कंपनी को बनाए जाने के लिए ऐसे समामेलन का उपबंध कर सकेगी ।

(9) यदि, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के परिसमापन या विघटन पर, उसके ऋणों और दायित्वों के समाधान के पश्चात् कोई आस्ति शेष रहती है तो उसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी को, ऐसी

शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिकरण अधिरोपित करे, अंतरित किया जा सकेगा या उनका विक्रय किया जा सकेगा और उनके आगमों को धारा 269 के अधीन विरचित, पुनर्वास और दिवाला निधि में जमा किया जा सकेगा ।

(10) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी को केवल इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी के साथ ही समामेलित किया जाएगा।

(11) यदि कोई कंपनी इस धारा में अधिकथित किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करती है तो, कंपनी, इस धारा के उपबंधों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी के निदेशक और वह प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु जब यह साबित हो जाता है कि कंपनी के कामकाज का संचालन, कपटपूर्वक किया गया था, तब प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी, धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा ।

रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव ।

9. निगमन प्रमाणपत्र में वर्णित निगमन की तारीख से, ज्ञापन के ऐसे अभिदाता और सभी अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर कंपनी के सदस्य बनें, ज्ञापन में अतंर्विष्ट नाम से एक निगमित निकाय होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित कंपनी के सभी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए समर्थ होंगे और उनका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा जिसे जंगम और स्थावर, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने, संविदा करने और उक्त नाम से वाद लाने और उस पर वाद लाए जाने की शक्ति होगी।

ज्ञापन और अनुच्छेदों का प्रभाव ।

10. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ज्ञापन और अनुच्छेद, जब रजिस्ट्रीकृत हों, कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्यकर बनाएंगे मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हों तथा उनमें कंपनी तथा उसके पक्ष में ज्ञापन और अनुच्छेदों के सभी उपबन्धों का पालन करने की प्रसंविदाएं अन्तर्विष्ट होंगी।

(2) ज्ञापन या अनुच्छेदों के अधीन कंपनी के किसी सदस्य द्वारा संदेय सभी धनराशियां उससे कंपनी को शोध्य ऋण होंगी ।

कारबार, आदि का प्रारंभ ।

11. (1) कोई शेयर पूंजी वाली कंपनी, कोई कारबार तब तक प्रारंभ नहीं करेगी या उधार लेने की किसी शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं करेगी जब तक कि—

(क) किसी निदेशक द्वारा रजिस्ट्रार के पास इस बात की घोषणा ऐसे प्ररूप में फाइल और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सत्यापित नहीं कर दी जाती है कि ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता ने उसके द्वारा लिए जाने के लिए करार पाए गए शेयरों के मूल्य

का संदाय नहीं कर दिया गया है और इस घोषणा को करने की तारीख को पब्लिक कंपनी की दशा में, कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी पांच लाख रुपए से अन्यून और प्राइवेट कंपनी की दशा में, एक लाख रुपए से अन्यून न हो; और

(ख) कंपनी ने अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन, रजिस्ट्रार के पास धारा 12 की उपधारा (2) में उपबंधित रूप में फाइल न कर दिया गया है ।

(2) यदि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) जहां कंपनी के निगमन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई घोषणा रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं की गई है और रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कंपनी कोई कारबार या प्रचालन नहीं कर रही है, वहां वह उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्याय 18 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटाने की कार्रवाई आरंभ कर सकेगा ।

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ।

12. (1) किसी कंपनी का, उसके निगमन के पन्द्रहवें दिन से ही और उसके पश्चात् सभी समयों पर, एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा, जो ऐसी सभी संसूचनाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने के लिए, जो उसको भेजी जाएं समर्थ होगा।

(2) कंपनी, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसके निगमन के तीस दिन की अवधि के भीतर अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के सत्यापन को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी ।

(3) प्रत्येक कंपनी,—

(क) अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम और पते को ऐसे प्रत्येक कार्यालय के बाहर या ऐसे स्थान पर, जहां से कारबार चलाया जाता है, किसी सहजदृश्य स्थिति में सुपाठ्य अक्षरों में पेंट कराएगी या लगाएगी; और यदि उसके लिए प्रयुक्त अक्षर उस भाषा या उन भाषाओं में से किसी भाषा के नहीं हैं, जो उस परिक्षेत्र में साधारण रूप से प्रयोग की जाती है, तो उस भाषा या उन भाषाओं में से किसी भाषा के अक्षरों में भी पेंट कराएगी या लगाएगी;

(ख) उसका नाम, उसकी मुद्रा पर सुपाठ्य अक्षरों में उत्कीर्णित होगा;

(ग) अपने सभी कारबार पत्रों, बिल शीर्षकों, पत्र-पर्णों और अपनी सभी सूचनाओं और अन्य शासकीय प्रकाशनों में अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम, पते और निगमन पहचान संख्यांक के साथ दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, यदि कोई हो, ई-मेल और वेबसाइट का पता मुद्रित कराएगी; और

(घ) हुंडियों, वचनपत्रों, विनिमय-पत्रों और ऐसे अन्य दस्तावेजों पर, जो विहित किए जाएं, अपना नाम मुद्रित कराएगी:

परंतु जहां कंपनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने नाम या नामों को परिवर्तित किया है, वहां वह, खंड (क) और खंड (ग) के अधीन यथा अपेक्षित, अपने नाम के साथ, पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार परिवर्तित किए गए नाम या नामों को, यथास्थिति, पेंट कराएगी या लगाएगी या मुद्रित कराएगी :

परंतु यह और कि "एक व्यक्ति कंपनी" शब्द, जहां–कहीं उसका नाम मुद्रित, लगाया गया या उत्कीर्णित है, वहां ऐसी कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठकों में उल्लिखित किया जाएगा।

(4) कंपनी के निगमन की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की अवस्थिति के प्रत्येक परिवर्तन की विहित रीति में सत्यापित सूचना, परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाएगी, जो उसे अभिलिखित करेगा ।

(5) कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के प्राधिकार के सिवाय, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का परिवर्तन नहीं किया जाएगा,—

(क) किसी विद्यमान कंपनी की दशा में, ऐसे किसी शहर, नगर या ग्राम की, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसा कार्यालय अवस्थित है या जहां कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प के आधार पर बाद में अवस्थित किया जाए, स्थानीय सीमाओं के बाहर; और

(ख) किसी अन्य कंपनी की दशा में, ऐसे किसी शहर, नगर या ग्राम की, जहां ऐसा कार्यालय पहले से अवस्थित है या जहां, कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प के आधार पर बाद में अवस्थित किया जाए, स्थानीय सीमाओं के बाहर :

परंतु कोई कंपनी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान को एक ही राज्य के भीतर एक रजिस्ट्रार की अधिकारिता से किसी अन्य रजिस्ट्रार की अधिकारिता में तब तक परिवर्तित नहीं करेगी, जब तक ऐसे परिवर्तन की कंपनी द्वारा विहित रीति से इस निमित्त किए गए आवेदन पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि न कर दी गई हो :

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट पुष्टि की क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी को संसूचना दी जाएगी और कंपनी पुष्टि की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास पुष्टि फाइल करेगी, जो उसे रजिस्टर करेगा तथा ऐसी पुष्टि फाइल किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण को प्रमाणित करेगा।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, निश्चायक साक्ष्य होगा कि उपधारा (5) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन की बाबत इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है और परिवर्तन, प्रमाणपत्र की तारीख से प्रभावी होगा।

(8) यदि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो कंपनी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए की, किंतु एक लाख रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा ।

ज्ञापन का परिवर्तन ।

13. (1) धारा 61 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई कंपनी, किसी विशेष संकल्प द्वारा और इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात्, अपने ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन कर सकेगी ।

(2) किसी कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन, धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन होगा और उसका केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन के सिवाय प्रभाव नहीं होगा :

परंतु ऐसा कोई अनुमोदन वहां आवश्यक नहीं होगा जहां, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी एक वर्ग की कंपनियों के किसी अन्य वर्ग में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप कंपनी के नाम में परिवर्तन केवल "प्राइवेट" शब्द को हटाने का या उसमें जोड़ने का है ।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन किसी कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन किया जाता है तब रजिस्ट्रार, कंपनियों के रजिस्टर में पुराने नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा और नए नाम से निगमन का एक नया प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा नाम का परिवर्तन किसी ऐसे प्रमाणपत्र के जारी करने पर ही पूर्ण और प्रभावी होगा ।

(4) एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान से संबंधित ज्ञापन के परिवर्तन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, किए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है ।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के अधीन आवेदन का निपटारा साठ दिन की अवधि के भीतर करेगी और अपना आदेश पारित करने से पूर्व अपना यह समाधान कर सकेगी कि परिवर्तन के लिए लेनदारों, डिबेंचरधारकों और कंपनी से संबंधित अन्य व्यक्तियों की सहमति है या कंपनी द्वारा या तो अपने सभी ऋणों और बाध्यताओं के सम्यक् निर्मोचन के लिए पर्याप्त उपबंध कर दिया गया है या ऐसे निर्मोचन के लिए पर्याप्त प्रतिभूति दे दी गई है ।

(6) धारा 64 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई कंपनी, अपने ज्ञापन में किसी परिवर्तन के संबंध में, रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित फाइल करेगी—

(क) उपधारा (1) के अधीन कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प;

(ख) उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन, यदि उपांतरण में कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन अन्तर्वलित है।

(7) जहां ज्ञापन के किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है वहां परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेश की एक प्रमाणित प्रति कंपनी द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रत्येक राज्य के रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, जो उसे रजिस्टर करेगा और उस राज्य का रजिस्ट्रार, जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है, परिवर्तन को उपदर्शित करते हुए, निगमन का नया प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(8) ऐसी कोई कंपनी, जिसने प्रास्पेक्टस के माध्यम से जनता से धन लिया है और अभी तक उसके पास इस प्रकार लिए गए धन में से कोई अनुपयोजित रकम है, तब तक अपने उद्देश्यों को परिवर्तित नहीं करेगी जिनके लिए उसने प्रास्पेक्टस के माध्यम से धन लिया था, जब तक कंपनी द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया जाता है और,—

(i) ऐसे संकल्प की बाबत ऐसे ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, उस स्थान पर, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, समाचारपत्रों (एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा के) में भी प्रकाशित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी, यदि कोई हो, ऐसे परिवर्तन के लिए न्यायोचित्य को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए, रखे जाएंगे;

(ii) विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारकों को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विनियमों के अनुसार नियंत्रण रखने वाले संप्रवर्तकों और शेयर धारकों द्वारा छोड़ने का अवसर दिया जाएगा ।

(9) रजिस्ट्रार, कंपनी के उद्देश्यों की बाबत ज्ञापन के किसी परिवर्तन को रजिस्टर करेगा और इस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसार विशेष संकल्प के फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण को प्रमाणित करेगा ।

(10) इस धारा के अधीन किए गए किसी परिवर्तन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक उसे उस धारा के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं कर दिया गया हो।

(11) प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित किसी कंपनी और किसी सदस्य से अन्यथा भिन्न किसी व्यक्ति को कंपनी के विभाज्य लाभों में हिस्सा बंटाने का अधिकार देने के लिए तात्पर्यित कोई शेयर पूंजी न रखने वाली किसी कंपनी की दशा में ज्ञापन में कोई परिवर्तन, शून्य होगा ।

अनुच्छेदों का परिवर्तन।

14. (1) कोई कंपनी, इस अधिनियम के उपबंधों और अपने ज्ञापन में अंतर्विष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए विशेष संकल्प द्वारा, अपने अनुच्छेदों में परिवर्तन कर सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाले परिवर्तन भी हैं,—

(क) किसी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में; या

(ख) किसी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में :

परंतु जहां, कोई कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, अपने अनुच्छेदों में ऐसी रीति से परिवर्तन करती है कि उसमें अब ऐसे निर्बंधन और परिसीमाएं सम्मिलित नहीं हैं जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राइवेट कंपनी के अनुच्छेदों में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, वहां कंपनी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से, प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी :

परंतु यह और कि किसी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाला कोई परिवर्तन, अधिकरण के अनुमोदन के सिवाय प्रभावी नहीं होगा, जो ऐसा आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन अनुच्छेदों का प्रत्येक परिवर्तन और उपधारा (1) के अनुसार परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले अधिकरण के आदेश की एक प्रति, परिवर्तित अनुच्छेदों की मुद्रित प्रति के साथ, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, जो उसे रजिस्टर करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनुच्छेदों का कोई परिवर्तन, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस प्रकार विधिमान्य होगा, मानो वह मूल रूप से अनुच्छेदों में था ।

ज्ञापन और अनुच्छेदों के परिवर्तन को प्रत्येक प्रति में नोट किया जाना ।

15. (1) किसी कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन को, यथास्थिति, ज्ञापन या अनुच्छेदों की प्रत्येक प्रति में नोट किया जाएगा ।

(2) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम करती है, तो कंपनी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे परिवर्तन के बिना जारी किए गए ज्ञापन या अनुच्छेदों की प्रत्येक प्रति के लिए एक हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी ।

कंपनी के नाम का परिशोधन ।

16. (1) यदि कोई कंपनी, अनवधानता से या अन्यथा, अपने पहले रजिस्ट्रीकरण पर या नए नाम में अपने रजिस्ट्रीकरण पर, ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत की जाती है जो,—

(क) केन्द्रीय सरकार की राय में, ऐसे नाम के समान है या उसके अतिसदृश है, जिसके द्वारा किसी विद्यमान कंपनी को, चाहे इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन, पहले से रजिस्ट्रीकृत किया गया है, तो वह कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और कंपनी, ऐसा निदेश जारी किए जाने से तीन मास की अवधि के भीतर उस प्रयोजन के लिए किसी साधारण संकल्प को अंगीकार करने के पश्चात्, यथास्थिति, अपने नाम में या नए नाम में परिवर्तन करेगी;

(ख) किसी व्यापार चिह्न के किसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा, चाहे इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन, कंपनी के निगमन या रजिस्ट्रीकरण या नाम के परिवर्तन के तीन वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार को किए गए किसी ऐसे आवेदन पर कि नाम, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन ऐसे स्वत्वधारी के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के समान है या उसके अतिसदृश है, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह किसी विद्यमान व्यापार चिह्न के समान है या उसके अतिसदृश है तो वह कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और कंपनी ऐसे निदेश के जारी किए जाने के छह मास की अवधि के भीतर उस प्रयोजन के लिए किसी साधारण संकल्प को अंगीकार करने के पश्चात्, यथास्थिति, अपने नाम में या नए नाम में परिवर्तन करेगी । 1999 का 47

(2) जहां, कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन अपने नाम में परिवर्तन करती है या नया नाम अभिप्राप्त करती है, वहां वह, ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के आदेश के साथ, रजिस्ट्रार को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगी, जो निगमन प्रमाणपत्र और ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तन करेगा ।

(3) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करेगी, तो कंपनी ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

ज्ञापन, अनुच्छेद, आदि की प्रतियों का सदस्यों को दिया जाना ।

17. (1) कोई कंपनी, किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर, उसे अनुरोध के सात दिन के भीतर और ऐसी फीसों के संदाय के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति भेजेगी, अर्थात्:—

(क) ज्ञापन;

(ख) अनुच्छेद; और

(ग) धारा 117 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक करार और प्रत्येक संकल्प यदि और जहां तक उनको ज्ञापन या अनुच्छेदों में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(2) यदि, कोई कंपनी, इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करेगी, तो कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए या एक लाख रुपए की शास्ति के लिए, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगी ।

पहले से रजिस्ट्रीकृत कंपनियों का संपरिवर्तन।

18. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वर्ग की कंपनी, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कंपनी के ज्ञापन और अनुच्छेदों में परिवर्तन करके इस अधिनियम के अधीन अन्य वर्ग की कंपनी के रूप में स्वयं को संपरिवर्तित कर सकेगी ।

(2) जहां संपरिवर्तन, इस धारा के अधीन किया जाना अपेक्षित है, वहां रजिस्ट्रार, कंपनी द्वारा किए गए किसी आवेदन पर स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में लागू होने वाले इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन कर लिया गया है, कंपनी के पूर्व रजिस्ट्रीकरण को समाप्त कर देगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण करने के पश्चात्, उसी रीति से, जैसे उसका प्रथम रजिस्ट्रीकरण हो, निगमन का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण का, संपरिवर्तन के पूर्व कंपनी द्वारा या उसकी ओर से उपगत किन्हीं ऋणों, दायित्वों, बाध्यताओं या की गई संविदाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे ऋणों, दायित्वों, बाध्यताओं तथा संविदाओं को, उसी रीति से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया ही नहीं गया हो ।

समनुषंगी कंपनी का अपनी नियंत्री कंपनी में शेयर धारण न करना।

19. (1) कोई कंपनी स्वयं या अपने नामनिर्देशितियों के माध्यम से अपनी नियंत्री कंपनी में किन्हीं शेयरों को धारण नहीं करेगी और कोई नियंत्री कंपनी अपने शेयरों को अपनी समनुषंगी कंपनियों में से किसी समनुषंगी कंपनी को आबंटित या अंतरित नहीं करेगी और किसी कंपनी के शेयरों का उसकी समनुषंगी कंपनी को कोई ऐसा आबंटन या अंतरण शून्य होगाः

परंतु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होगी—

(क) जहां समनुषंगी कंपनी, नियंत्री कंपनी के मृतक सदस्य के विधिक प्रतिनिधि के रूप में ऐसे शेयर धारण करती है; या

(ख) जहां समनुषंगी कंपनी, न्यासी के रूप में ऐसे शेयर धारण करती है; या

(ग) जहां समनुषंगी कंपनी, नियंत्री कंपनी की समनुषंगी कंपनी बनने से पूर्व भी शेयर धारक हैः

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट समनुषंगी कंपनी को नियंत्री कंपनी के अधिवेशन में केवल उक्त परंतुक के खंड (क) या खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट किसी विधिक प्रतिनिधि या न्यासी के रूप में उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मत देने का अधिकार होगा ।

(2) इस धारा में किसी नियंत्री कंपनी के, जो प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी है या कोई अपरिसीमित कंपनी है जिसकी शेयर पूंजी नहीं है, शेयरों के संबंध में किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके सदस्यों के हित के प्रति निर्देश है, चाहे उस हित का कोई भी रूप हो ।

दस्तावेजों की तामील।

20. (1) किसी कंपनी या उसके अधिकारी पर किसी दस्तावेज की तामील, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर कंपनी या अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा द्वारा भेजकर या उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर उसे डालकर या ऐसे इलैक्ट्रानिक साधनों या अन्य पद्धति से, जो विहित की जाए, की जा सकेगी :

परंतु जहां प्रतिभूतियां, किसी निक्षेपकर्ता के पास धारित हैं, वहां हिताधिकारी स्वामित्व के अभिलेखों की तामील ऐसे निक्षेपकर्ता द्वारा कंपनी पर इलैक्ट्रानिक साधनों या अन्य पद्धति द्वारा की जा सकेगी।

(2) इलैक्ट्रानिक पद्धति से रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज फाइल करने के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रार या किसी सदस्य पर किसी दस्तावेज की तामील उसे डाक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवाओं द्वारा भेजकर या उसके कार्यालय या पते पर परिदान करके या ऐसी इलैक्ट्रानिक या अन्य पद्धति द्वारा की जा सकेगी, जो विहित की जाएः

परंतु कोई सदस्य, ऐसी विशिष्ट पद्धति के माध्यम से किसी दस्तावेज के परिदान के लिए अनुरोध कर सकेगा, जिसके लिए वह ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो कंपनी द्वारा अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन में अवधारित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कुरियर" पद से ऐसा कोई व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है, जो दस्तावेज का परिदान करता है और उसके परिदान का सबूत उपलब्ध कराता है ।

दस्तावेजों, कार्यवाहियों और संविदाओं का अधिप्रमाणन ।

21. इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) कोई दस्तावेज या कार्यवाही, जिसका किसी कंपनी द्वारा अधिप्रमाणन अपेक्षित है; या

(ख) किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदाएं,

कंपनी के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या ऐसे किसी अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षरित की जा सकेंगी।

विनिमय-पत्रों, आदि का निष्पादन ।

22. (1) कोई विनिमय-पत्र, हुंडी या वचन-पत्र, कंपनी की ओर से किया गया, स्वीकार किया गया, आहरण किया गया या पृष्ठांकित किया गया समझा जाएगा, यदि उसे कंपनी के नाम से या उसकी ओर से या उसके संबंध में, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसके अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, किया गया, स्वीकार किया गया, आहरण किया गया या पृष्ठांकित किया जाता है ।

(2) कोई कंपनी, अपनी सामान्य मुद्रा के अधीन लिखित में किसी व्यक्ति को या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट विषय की बाबत, भारत में या भारत के बाहर किसी स्थान में उसकी ओर से अन्य विलेखों के निष्पादन के लिए अपने अटर्नी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) ऐसे किसी अटर्नी द्वारा कंपनी की ओर से और उसकी मुद्रा के अधीन हस्ताक्षरित कोई विलेख, कंपनी पर आबद्धकर होगा और उसका वही प्रभाव होगा, मानो वह उसकी सामान्य मुद्रा के अधीन किया गया हो ।

अध्याय 3

प्रास्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन

भाग 1—लोक प्रस्थापना

लोक प्रस्थापना और प्राइवेट नियोजन।

23. (1) कोई पब्लिक कंपनी, निम्नलिखित को प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी—

(क) जनता को इस भाग के उपबंधों का अनुपालन करके प्रास्पेक्टस के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् "लोक प्रस्थापना" कहा गया है); या

(ख) इस अध्याय के भाग 2 के उपबंधों का अनुपालन करके प्राइवेट नियोजन के माध्यम से; या

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों और किसी सूचीबद्ध कंपनी या ऐसी कंपनी की दशा में जो अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध कराने का आशय रखती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार भी राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से। 1992 का 15

(2) कोई प्राइवेट कंपनी, निम्नलिखित को प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी—

(क) इस अधिनियम के उपबधों के अनुसार राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के द्वारा; या

(ख) इस अध्याय के भाग 2 के उपबंधों का अनुपालन करके प्राइवेट नियोजन के माध्यम से।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "लोक प्रस्थापना" के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा जनता को प्रतिभूतियों की प्रारंभिक लोक प्रस्थापना या अतिरिक्त लोक प्रस्थापना या किसी विद्यमान शेयर धारक द्वारा जनता को प्रतिभूति के विक्रय के लिए प्रास्पेक्टस जारी करने के माध्यम से कोई प्रस्थापना भी है।

प्रतिभूतियों, आदि के निर्गम और अंतरण को विनियमित करने की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की शक्ति।

24. (1) इस अध्याय, अध्याय 4 और धारा 127 में अंतर्विष्ट उपबंधों को,—

(क) जहां तक उनका संबंध सूचीबद्ध कंपनियों या उन कंपनियों द्वारा, जिनका आशय भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराना है,—

(i) प्रतिभूतियों के निर्गमन और अंतरण; और

(ii) लाभांश के असंदाय,

से है, इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनियम बनाकर प्रशासित किया जाएगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, प्रास्पेक्टस, आबंटन की विवरणी, अधिमानी शेयरों के मोचन से संबंधित सभी अन्य मामलों और इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित किसी अन्य मामले से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, अधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।

(2) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, धारा 458 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों और उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन उसे प्रत्यायोजित मामलों की बाबत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (2क), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11क, धारा 11ख और धारा 11घ के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

1992 का 15

विक्रय के लिए प्रतिभूतियों की प्रस्थापना वाले दस्तावेज को प्रास्पेक्टस समझा जाना।

25. (1) जहां कोई कंपनी, कंपनी में किन्हीं प्रतिभूतियों को, उन सभी या किन्हीं प्रतिभूतियों को जनता के लिए विक्रय की प्रस्थापना करने की दृष्टि से आबंटित या आबंटित करने का करार करती है, वहां ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके द्वारा जनता के लिए विक्रय की प्रस्थापना की जाती है, सभी प्रयोजनों के लिए, कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रास्पेक्टस समझा जाएगा और प्रास्पेक्टस की अंतर्वस्तुओं के बारे में तथा प्रास्पेक्टस में के अशुद्ध कथनों और उससे लोपों की बाबत या अन्यथा प्रास्पेक्टस से संबंधित दायित्व के बारे में सभी अधिनियमितियां और विधि के नियम, उपधारा (3) और उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट उपांतरणों सहित लागू होंगे और तद्नुसार, इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो प्रतिभूतियां अभिदाय के लिए जनता को प्रस्थापित की गई थीं और मानो किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत प्रस्थापना स्वीकार करने वाले व्यक्ति, उन प्रतिभूतियों के लिए अभिदायी थे, किंतु उन व्यक्तियों के दायित्व पर, यदि कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिनके द्वारा दस्तावेज में अंतर्विष्ट अशुद्ध कथनों के संबंध में या उसकी बाबत अन्यथा प्रस्थापना की जाती है ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जब तक प्रतिकूल साबित न किया गया हो, यह इस बात का साक्ष्य होगा कि प्रतिभूतियों का कोई आबंटन या आबंटन करने का करार प्रतिभूतियों को जनता के लिए विक्रय हेतु प्रस्थापित करने की दृष्टि से किया गया था, यदि यह दर्शित किया जाता है कि,—

(क) प्रतिभूतियों की या उनमें से किसी की जनता के लिए विक्रय की प्रस्थापना, आबंटन या आबंटन करने के करार के पश्चात् छह मास के भीतर की गई थी; या

(ख) उस तारीख को, जब प्रस्थापना की गई थी, प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला संपूर्ण प्रतिफल उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

(3) इस धारा द्वारा यथा लागू की गई धारा 26 इस प्रकार प्रभावी होगी, मानो—

(i) किसी प्रास्पेक्टस से, किसी प्रास्पेक्टस में कथित किए जाने के लिए उस धारा द्वारा अपेक्षित विषयों के अतिरिक्त,—

(क) ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिससे प्रस्थापना संबंधित है, कंपनी द्वारा प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले प्रतिफल की शुद्ध रकम; और

(ख) वह समय और स्थान, जहां पर उस संविदा का, जिसके अधीन उक्त प्रतिभूतियां आबंटित की गई हैं या आंबटित की जानी हैं, निरीक्षण किया जा सकेगा,

कथित करने की अपेक्षा की गई है;

(ii) प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति, प्रास्पेक्टस में कंपनी के निदेशकों के रूप में नामित व्यक्ति थे ।

(4) जहां ऐसी प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति, जिससे यह धारा संबंधित है, कोई कंपनी या फर्म है वहां यह पर्याप्त होगा, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज, यथास्थिति, कंपनी या फर्म की ओर से कंपनी के दो निदेशकों द्वारा या फर्म में भागीदार आधे से अन्यून भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो ।

प्रास्पेक्टस में कथित किए जाने वाले विषय।

26. (1) किसी पब्लिक कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जो ऐसी पब्लिक कंपनी के गठन में लगा हुआ है या हितबद्ध है या लगा रहा है या हितबद्ध रहा है, जारी प्रत्येक प्रास्पेक्टस पर, चाहे वह उसके गठन या उसके पश्चात् के प्रतिनिर्देश से, तारीख डाली जाएगी और वह हस्ताक्षरित होगा तथा उसमें—

(क) निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, अर्थात् :—

(i) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, लेखापरीक्षकों, विधिक सलाहकारों, बैंककारों, न्यासियों, यदि कोई हों, हामीदारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के नाम और पते, जो विहित किए जाएं;

(ii) निर्गम प्रारंभ करने और बंद करने की तारीखें और विहित समय के भीतर आबंटन पत्रों और प्रतिदायों के आबंटन के निर्गम के बारे में घोषणा;

(iii) निदेशक बोर्ड द्वारा उस पृथक् बैंक खाते के बारे में कथन, जहां निर्गम से प्राप्त सभी धन अंतरित किए जाने हैं और सभी ऐसे धनों के ब्यौरों का प्रकटन, जिनके अंतर्गत विहित रीति से पूर्व निर्गम से प्रयुक्त और अप्रयुक्त धन भी हैं;

(iv) निर्गम के हामीदारों के बारे में ब्यौरे;

(v) निदेशकों, लेखापरीक्षकों, निर्गम के बैंककारों, विशेषज्ञों की राय, यदि कोई हो और ऐसे अन्य व्यक्तियों की सहमति जिनको विहित किया जाए;

(vi) निर्गम के लिए प्राधिकार और उसके लिए पारित संकल्प के ब्यौरे;

(vii) प्रतिभूतियों के आबंटन और निर्गम के लिए प्रक्रिया और समय अनुसूची;

(viii) विहित रीति से कंपनी की पूंजी संरचना;

(ix) लोक प्रस्थापना के मुख्य उद्देश्य, वर्तमान निर्गम के निबंधन और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं;

(x) कंपनी के मुख्य उद्देश्य और वर्तमान कारबार तथा उसकी अवस्थिति, परियोजना के कार्यान्वयन की अनुसूची;

(xi) निम्नलिखित से संबंधित विशिष्टियां,—

(क) परियोजना से विनिर्दिष्ट जोखिम कारकों का प्रबंध अवगम,

(ख) परियोजना की गर्भावधि,

(ग) परियोजना में की गई प्रगति की मात्रा,

(घ) परियोजना के पूरा होने का अंतिम समय,

(ङ) कंपनी के संप्रवर्तकों के विरुद्ध प्रास्पेक्टस के निर्गम के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी सरकारी विभाग या कानूनी निकाय द्वारा लंबित या किया गया मुकदमा या की गई कोई विधिक कार्रवाई;

(xii) न्यूनतम अभिदाय, प्रीमियम के रूप में संदेय रकम, नकद से भिन्न शेयरों के निर्गम;

(xiii) निदेशकों के ब्यौरे, जिनके अंतर्गत उनकी नियुक्तियां और पारिश्रमिक भी हैं और कंपनी में उनके हितों की प्रकृति और सीमा की ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं; और

(xiv) संप्रवर्तक के अभिदाय के स्रोतों के बारे में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकटन;

(ख) वित्तीय जानकारी के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रिपोर्टें उपवर्णित की जाएंगी, अर्थात्:—

(i) कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा उसकी लाभ और हानियों तथा आस्तियों और दायित्वों तथा ऐसे अन्य विषयों के, जो विहित किए जाएं, संबंध में रिपोर्टें;

(ii) प्रास्पेक्टस निर्गम के वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की लाभ और हानियों के संबंध में रिपोर्टें जिनके अंतर्गत उसकी समनुषंगियों की ऐसी रिपोर्टें भी हैं और ऐसी रीति से, जो विहित की जाएं :

परंतु ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जिसके संबंध में निगमन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत नहीं हुई है, प्रास्पेक्टस, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रास्पेक्टस निर्गम के वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए लाभ और हानियों से संबंधित रिपोर्टें, उसके समनुषंगियों की ऐसी रिपोर्टों सहित उपवर्णित करेगा;

(iii) निर्गम के ठीक पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के कारबार की लाभ और हानियों और ऐसी अंतिम तारीख को, जिसको कारबार के लेखे तैयार किए गए थे, जो प्रास्पेक्टस के निर्गम से पूर्व एक सौ अस्सी दिन की तारीख से अधिक न हो, उसके कारबार की आस्तियों और दायित्वों के संबंध में संपरीक्षकों द्वारा, विहित रीति से, तैयार की गई रिपोर्टें :

परंतु ऐसी कंपनी की दशा में, जिसके संबंध में पांच वर्ष की अवधि, निगमन की तारीख से व्यपगत नहीं हुई है, प्रास्पेक्टस, उसके निगमन की तारीख से सभी वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के कारबार के लाभ और हानियों तथा प्रास्पेक्टस निर्गम से पूर्व अंतिम तारीख को उसके कारबार की आस्तियों और दायित्वों पर लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें विहित रीति से, उपवर्णित करेगा; और

(iv) उस कारबार या संव्यवहार के बारे में रिपोर्टें, जिसके लिए प्रतिभूतियों के आगमों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग किया जाना है;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के बारे में घोषणा करेगा तथा इस प्रभाव का कथन करेगा कि प्रास्पेक्टस की कोई बात इस अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रतिकूल नहीं है; और

1956 का 42
1992 का 15

(घ) ऐसे अन्य विषयों का कथन करेगा और ऐसी अन्य रिपोर्टें, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात,—

(क) किसी कंपनी के विद्यमान सदस्यों या डिबेंचर धारकों को कंपनी में शेयरों या उसके डिबेंचरों के संबंध में प्रास्पेक्टस के निर्गम या आवेदन पत्र को लागू नहीं होगी, चाहे किसी आवेदक को धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में शेयरों का त्यजन करने का अधिकार हो या नहीं;

(ख) ऐसे शेयरों या डिबेंचरों से संबंधित प्रास्पेक्टस के निर्गम या आवेदन पत्र को लागू नहीं होगी, जो पूर्व में जारी किए गए शेयरों या डिबेंचरों से सभी प्रकार से समान हैं या समान होने हैं और तत्समय किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यौहार किए जाते हैं या उत्कथित किए जाते हैं अथवा व्यौहार किया जाना है या उत्कथित किया जाना है।

(3) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के उपबंध किसी प्रास्पेक्टस को या आवेदन पत्र को लागू होंगे, चाहे किसी कंपनी के बनाए जाने पर या उसके प्रतिनिर्देश से या बाद में जारी किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—प्रास्पेक्टस में उपदर्शित तारीख को उसके प्रकाशन की तारीख समझा जाएगा।

(4) किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या किसी आशयित कंपनी के संबंध में कोई प्रास्पेक्टस तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक उसके प्रकाशन की तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम उसमें कंपनी के निदेशक या प्रस्तावित निदेशक के रूप में है या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को परिदत्त न कर दी गई हो ।

(5) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रास्पेक्टस में किसी विशेषज्ञ द्वारा किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कथन तब तक सम्मिलित नहीं होगा, जब तक विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति न हो, जो किसी कंपनी के गठन या संवर्धन या उसके प्रबंध में नहीं लगा है या नहीं लगा रहा है या हितबद्ध नहीं रहा है, और उसने प्रास्पेक्टस जारी करने के लिए अपनी लिखित सहमति नहीं दी हो और ऐसी सहमति रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रास्पेक्टस की कोई प्रति परिदत्त करने से पूर्व वापस नहीं ली हो तथा प्रास्पेक्टस में उस प्रभाव का कथन सम्मिलित किया जाएगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक प्रास्पेक्टस में प्रत्यक्षतः—

(क) यह कथन होगा कि उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित एक प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को परिदत्त कर दी गई है; और

(ख) इस धारा द्वारा अपेक्षित ऐसे कोई दस्तावेज विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो इस प्रकार परिदत्त प्रति से संलग्न किए जाने हैं या ऐसे प्रास्पेक्टस में सम्मिलित विवरणों में निर्दिष्ट किए जाने हैं, जो इन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट करें ।

(7) रजिस्ट्रार किसी प्रास्पेक्टस को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा, जब तक उसके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस धारा की अपेक्षाओं का पालन न किया गया हो और प्रास्पेक्टस के साथ, प्रास्पेक्टस में नामित सभी व्यक्तियों की लिखित में सहमति न संलग्न हो ।

(8) कोई प्रास्पेक्टस विधिमान्य नहीं होगा, यदि वह उस तारीख से, जिसको उसकी एक प्रति, उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार को परिदत्त की जाती है, नब्बे से अधिक दिन के पश्चात् जारी किया जाता है ।

(9) यदि कोई प्रास्पेक्टस इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जारी किया जाता है, तो कंपनी, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जानते हुए ऐसे प्रास्पेक्टस के जारी होने का पक्षकार है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

प्रास्पेक्टस में संविदा के निबंधनों या उद्देश्यों में फेरफार ।

27. (1) कोई कंपनी, किसी भी समय, प्रास्पेक्टस में निर्दिष्ट किसी संविदा के निबंधनों या ऐसे उद्देश्यों में, जिनके लिए प्रास्पेक्टस निर्गमित किया गया था, सिवाय साधारण अधिवेशन में विशेष संकल्प के रूप में कंपनी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए या सिवाय उसके द्वारा दिए गए प्राधिकार के अधीन रहते हुए, फेरफार नहीं करेगी :

परंतु ऐसे संकल्प की बाबत शेयर धारकों को सूचना के ऐसे ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, उस नगर में, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, ऐसे फेरफार के लिए न्यायोचित्य को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए समाचारपत्रों में (एक अंग्रेजी में और एक स्थानीय भाषा में) भी प्रकाशित किए जाएंगे :

परंतु यह और कि ऐसी कोई कंपनी किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के साधारण शेयर क्रय करने, व्यापार करने या अन्यथा व्यौहार करने के लिए प्रास्पेक्टस के माध्यम से उसके द्वारा ली गई किसी रकम का उपयोग नहीं करेगी।

(2) विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारक, जो ऐसे शेयर धारक हैं, जो प्रास्पेक्टस में निर्दिष्ट संविदाओं के निबंधनों और उद्देश्यों में फेरफार करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, ऐसी निर्गम कीमत पर और ऐसी रीति और शर्तों पर, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनियम बनाकर विनिर्दिष्ट की जाएं, संप्रवर्तकों या नियंत्रक शेयर धारकों द्वारा निर्गम प्रस्थापना की जाएगी ।

किसी कंपनी के कतिपय सदस्यों द्वारा शेयरों के विक्रय की प्रस्थापना ।

28. (1) जहां किसी कंपनी के कतिपय सदस्य, निदेशक बोर्ड के परामर्श से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा संपूर्ण शेयर या उनके भाग को धारण करते हुए जनता को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, वहां वे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, ऐसा कर सकेंगे ।

(2) ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके द्वारा जनता को विक्रय की प्रस्थापना की गई है, सभी प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रास्पेक्टस समझा जाएगा और प्रास्पेक्टस की अंतर्वस्तुओं तथा प्रास्पेक्टस में गलत कथनों और उसके लोपों से संबंधित या प्रास्पेक्टस से अन्यथा संबंधित दायित्व के बारे में सभी विधियां और तद्धीन बनाए गए नियम उसी प्रकार लागू होंगे मानो यह कंपनी द्वारा जारी किया गया कोई प्रास्पेक्टस है ।

(3) ऐसे सदस्य, जो चाहे व्यष्टिक या निगमित निकाय या दोनों हों, जिनके शेयर जनता को प्रस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, सामूहिक रूप से उस कंपनी को, जिसके शेयर जनता को विक्रय के लिए प्रस्थापित किए गए हैं, अपने लिए और उनकी ओर से विक्रय की प्रस्थापना के संबंध में सभी कार्रवाइयां करने के लिए प्राधिकृत करेंगे और वे कंपनी को इस विषय पर उनके द्वारा उपगत सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति करेंगे।

प्रतिभूतियों की लोक प्रस्थापना का भौतिक रूप में न होना।

29. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) लोक प्रस्थापना करने वाली प्रत्येक पब्लिक कंपनी; और

(ख) ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों की पब्लिक कंपनियां, जो विहित की जाएं,

1996 का 22 निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उसके तद्धीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन करके केवल अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

(2) उपधारा (1) में वर्णित कंपनी से भिन्न कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप में संपरिवर्तित कर सकेगी या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भौतिक रूप में या निक्षेपागार

1996 का 22 अधिनियम, 1996 के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अभौतिक रूप में जारी कर सकेगी।

प्रास्पेक्टस का विज्ञापन।

30. जहां किसी कंपनी के किसी प्रास्पेक्टस का कोई विज्ञापन किसी भी रीति से, प्रकाशित किया जाता है, वहां कंपनी के उद्देश्यों, सदस्यों के दायित्व और शेयर पूंजी की रकम के बारे में उसके ज्ञापन की अंतर्वस्तुओं और ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और उनके द्वारा अभिदत्त शेयरों की संख्या तथा उसकी पूंजी संरचना को उसमें विनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा ।

शेल्फ प्रास्पेक्टस ।

31. (1) ऐसे किसी वर्ग या वर्गों की कंपनियां, जिनको प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस निमित्त विनियमों द्वारा उपबंधित करे, उसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों की प्रथम प्रस्थापना के प्रक्रम पर रजिस्ट्रार के पास एक शेल्फ प्रास्पेक्टस फाइल कर सकेंगी, जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि को ऐसे प्रास्पेक्टस की विधिमान्यता की अवधि के रूप में उपदर्शित करेगी, जो उस प्रास्पेक्टस के अधीन प्रतिभूतियों की प्रथम प्रस्थापना के खोलने की तारीख से प्रारंभ होगी और उस प्रास्पेक्टस की विधिमान्यता की अवधि के दौरान जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों की कोई द्वितीय या पश्चात्वर्ती प्रस्थापना के संबध में कोई और प्रास्पेक्टस अपेक्षित नहीं है ।

(2) शेल्फ प्रास्पेक्टस फाइल करने वाली किसी कंपनी से शेल्फ प्रास्पेक्टस के अधीन द्वितीय या पश्चात्वर्ती प्रतिभूतियों की प्रस्थापना जारी करने से पूर्व, रजिस्ट्रार के पास विहित समय के भीतर कोई जानकारी ज्ञापन फाइल करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें सृजित नए प्रभारों, कंपनी की वित्तीय स्थिति में ऐसे परिवर्तनों, जो प्रतिभूतियों की

प्रथम् प्रस्थापना या प्रतिभूतियों की पूर्व प्रस्थापना के बीच हुए हों और प्रतिभूतियों की उत्तरवर्ती प्रस्थापना तथा ऐसे अन्य परिवर्तन, जो विहित किए जाएं, से संबंधित सभी सारवान् तथ्य अंतर्विष्ट होंगे :

परंतु जहां किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी ऐसे परिवर्तन को करने से पूर्व अभिदाय के अग्रिम संदायों के साथ प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं, वहां कंपनी या अन्य व्यक्ति, ऐसे आवेदकों को परिवर्तनों की सूचना देगा और यदि वे अपने आवेदन को वापस लेने की वांछा अभिव्यक्त करते हैं तो कंपनी या अन्य व्यक्ति उसके पंद्रह दिन के भीतर अभिदाय के रूप में प्राप्त सभी धनराशियों को वापस करेगा ।

(3) जहां कोई सूचना ज्ञापन फाइल किया जाता है, हर समय प्रतिभूतियों की प्रस्थापना उपधारा (2) के अधीन की जाती है, वहां ऐसा ज्ञापन शेल्फ प्रास्पेक्टस के साथ प्रास्पेक्टस समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शेल्फ प्रास्पेक्टस" से ऐसा प्रास्पेक्टस अभिप्रेत है, जिसकी बाबत उसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के वर्ग को किसी और प्रास्पेक्टस के जारी किए बिना कतिपय अवधि तक एक या अधिक निर्गमनों में अभिदाय के लिए जारी किया गया है।

रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस।

32. (1) प्रतिभूतियों की प्रस्थापना करने का प्रस्ताव करने वाली कोई कंपनी कोई प्रास्पेक्टस जारी करने से पूर्व रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस जारी कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस जारी करने का प्रस्ताव करने वाली कोई कंपनी अभिदाय सूची और प्रस्थापना के खोले जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी ।

(3) रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस में वही बाध्यताएं होंगी, जो किसी प्रास्पेक्टस को लागू होती हैं और रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस तथा किसी प्रास्पेक्टस के बीच का कोई अंतर, प्रास्पेक्टस में अंतर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन प्रतिभूतियों की प्रस्थापना बंद होने पर, प्रास्पेक्टस, उसमें जुटाई गई कुल पूंजी का कथन करते हुए, चाहे वह ऋण या शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त की हो तथा प्रतिभूतियों की अंतिम कीमत और कोई अन्य ब्यौरे, जो रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास भी फाइल किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस" पद से ऐसा प्रास्पेक्टस अभिप्रेत है, जिसमें उसकी सम्मिलित प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत की पूरी विशिष्टियों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र का जारी किया जाना।

33. (1) किसी कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय करने के लिए कोई आवेदन पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे पत्र के साथ संक्षिप्त प्रास्पेक्टस न लगा हो:

परंतु इस उपधारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, यदि यह दर्शित किया जाता है कि आवेदन पत्र—

(क) ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में कोई हामीदारी करार करने के लिए किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्ण आमंत्रण के संबंध में जारी किया गया था; या

(ख) ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में जारी किया गया था, जो जनता को प्रस्थापित नहीं की गई थीं ।

(2) प्रास्पेक्टस की एक प्रति, अभिदाय सूची और प्रस्थापना बंद किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उसे दी जाएगी ।

(3) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी।

प्रास्पेक्टस में अशुद्ध कथनों के लिए आपराधिक दायित्व ।

34. जहां इस अध्याय के अधीन जारी, परिचालित या वितरित किए गए किसी प्रास्पेक्टस में कोई ऐसा कथन सम्मिलित है, जो प्ररूप या संदर्भ में जिसमें उसे सम्मिलित किया गया है, असत्य या भ्रामक है या जहां किसी विषय के सम्मिलित या लोप किए जाने से किसी भ्रम होने की संभावना है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे प्रास्पेक्टस का जारी किया जाना प्राधिकृत करेगा, धारा 447 के अधीन दायी होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा कथन या लोप सारहीन था या उसके पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार थे और वह प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के समय तक यह विश्वास करता रहा था कि कथन सत्य है या सम्मिलित किया जाना अथवा लोप किया जाना आवश्यक है।

प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथन के लिए सिविल दायित्व ।

35. (1) जहां किसी व्यक्ति ने, प्रास्पेक्टस में किसी सम्मिलित किए गए ऐसे कथन या ऐसे किसी विषय के सम्मिलित या लोप किए जाने पर, जो भ्रामक है, कार्य करते हुए कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के लिए अभिदाय किया है और उसके परिणामस्वरूप कोई हानि या नुकसान हुआ है तो कंपनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति—

(क) जो प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के समय कंपनी का निदेशक है;

(ख) उसने या तो तुरंत या समय के किसी अंतराल के पश्चात् कंपनी के निदेशक के रूप में प्रास्पेक्टस में नामित किए जाने के लिए स्वयं को प्राधिकृत किया है या उसमें नामित है या ऐसा निदेशक बनने के लिए अपनी सहमति दी है;

(ग) जो कंपनी का संप्रवर्तक है;

(घ) जिसने प्रास्पेक्टस का जारी किया जाना प्राधिकृत किया है; और

(ङ) जो धारा 26 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ है,

ऐसे किसी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए कोई व्यक्ति धारा 36 के अधीन भागी हो सकेगा, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको ऐसी हानि या नुकसान हुआ है, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि—

(क) कंपनी का निदेशक बनने के लिए सहमति देने पर भी उसने प्रास्पेक्टस के जारी किए जाने के पूर्व अपनी सहमति वापस ले ली थी तथा वह उसके प्राधिकार या सहमति के बिना जारी किया गया था; या

(ख) प्रास्पेक्टस उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया था और इस बात की जानकारी होने पर उसने तुरन्त यह युक्तियुक्त लोक सूचना दे दी थी कि वह उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया है ।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जहां यह साबित किया जाता है कि प्रास्पेक्टस, कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए आवेदकों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के आशय से या किसी कपटपूर्वक प्रयोजन के लिए जारी किया गया है तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी सभी या किन्हीं हानियों या नुकसानों के लिए, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने प्रतिभूतियों में ऐसे प्रास्पेक्टस के आधार पर अभिदाय किया है, उपगत की गई हो, दायित्व की किसी सीमा के बिना, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा ।

धन का विनिधान करने के लिए व्यक्तियों को कपटपूर्वक उत्प्रेरित करने के लिए दंड ।

36. कोई व्यक्ति, जो या तो जानते हुए या असावधानीवश कोई ऐसा कथन, वचन या पूर्वकथन करता है, जो मिथ्या, प्रवंचना करने वाला या भ्रामक है या किसी अन्य व्यक्ति को निम्नलिखित करार करने के लिए या करार करने की प्रस्थापना करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए किन्हीं तात्विक तथ्यों को जानबूझकर छिपाता है,—

(क) प्रतिभूतियों के अर्जन, व्ययन, उनके लिए अभिदाय या हामीदारी करने का या ऐसा करने की दृष्टि से कोई करार; या

(ख) ऐसा कोई करार, जिसका प्रयोजन या अपदेशी प्रयोजन किन्हीं पक्षकारों को प्रतिभूतियों की प्राप्ति में से या प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ सुनिश्चित करना है; या

(ग) किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार सुविधाएं अभिप्राप्त करने के लिए या उसकी दृष्टि से कोई करार,

तो वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए भागी होगा ।

प्रभावित व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई ।

37. प्रास्पेक्टस में किसी भ्रामक कथन या किसी विषय को सम्मिलित करने या लोप करने के कारण प्रभावित किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के किसी संगम द्वारा, धारा 34 या धारा 35 या धारा 36 के अधीन कोई वाद फाइल किया जा सकेगा या कोई अन्य कार्रवाई की जा सकेगी ।

प्रतिभूतियों के अर्जन, आदि के संबंध में प्रतिरूपण के लिए दंड ।

38. (1) कोई व्यक्ति, जो—

(क) किसी कंपनी को उसकी प्रतिभूतियों का अर्जन करने या उनके लिए अभिदाय करने के लिए कल्पित नाम से कोई आवेदन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा; या

(ख) किसी कंपनी को उसकी प्रतिभूतियों को अर्जित करने या उनके लिए अभिदाय करने के लिए विभिन्न नामों में या अपने नाम या उपनाम के विभिन्न समुच्चयों में बहु आवेदन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा; या

(ग) अन्यथा किसी कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसे या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कल्पित नाम से प्रतिभूतियों का आबंटन करने या उनके अंतरण को रजिस्टर करने के लिए उत्प्रेरित करेगा,

वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए भागी होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रास्पेक्टस में और प्रतिभूतियों के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र में, प्रमुख रूप से पुनः प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(3) जहां किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन दोषसिद्ध किया गया है वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा लिए गए अभिलाभों को, यदि कोई हों, वापस करने और उसके कब्जे में की प्रतिभूतियों के अभिग्रहण और व्ययन का आदेश भी कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रतिभूतियों को वापस करने और उनके व्ययन द्वारा प्राप्त रकम को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा किया जाएगा ।

कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का आबंटन।

39. (1) अभिदाय के लिए जनता को प्रस्थापित किसी कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों का आबंटन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रास्पेक्टस में वर्णित रकम न्यूनतम रकम के रूप में अभिदत्त नहीं कर दी गई हो और आवेदन के संबंध में संदेय राशियों को कंपनी द्वारा, चेक अथवा अन्य लिखत द्वारा संदत्त और प्राप्त नहीं कर लिया गया हो ।

(2) प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में आवेदन पर संदेय रकम प्रतिभूति की अभिहित रकम के पांच प्रतिशत से या ऐसे अन्य प्रतिशत या रकम से, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनियम बनाकर विनिर्दिष्ट की जाए, अन्यून नहीं होगी ।

(3) यदि वर्णित न्यूनतम रकम का अभिदाय नहीं किया गया है और आवेदन पर संदेय राशियां प्रास्पेक्टस जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राप्त नहीं की जाती हैं तो उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रकम को ऐसे समय के भीतर और रीति से, जो विहित की जाए, वापस कर दिया जाएगा।

(4) जब कभी शेयर पूंजी वाली कोई कंपनी प्रतिभूतियों का कोई आबंटन करती है तो वह आबंटन की एक विवरणी, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी ।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किसी व्यतिक्रम की दशा में, कंपनी और उसका ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, एक हजार रुपए की, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, या एक लाख रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होंगे ।

40. (1) लोक प्रस्थापना करने वाली प्रत्येक कंपनी, ऐसी प्रस्थापना करने से पूर्व, एक या अधिक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज या एक्सचेंजों को आवेदन करेगा और प्रतिभूतियों के संबंध में, उस स्टाक एक्सचेंज या स्टाक एक्सचेंजों में व्यौहार करने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा। प्रतिभूतियों के संबंध में स्टाक एक्सचेंजों में व्यौहार किया जाना।

(2) जहां प्रास्पेक्टस में यह कथन है कि कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां ऐसे प्रास्पेक्टस में स्टाक एक्सचेंज का/के नाम भी कथित होगा/होंगे जिनमें प्रतिभूतियों पर कार्यवाही की जाएगी।

(3) प्रतिभूतियों के अभिदाय के लिए जनता से आवेदन पर प्राप्त सभी धनराशियां किसी अनुसूचित बैंक में पृथक् बैंक खाते में रखी जाएंगी और उनका उपयोग निम्नलिखित से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा—

(क) प्रतिभूतियों के आबंटन के विरुद्ध समायोजन के लिए, जहां प्रतिभूतियां, प्रास्पेक्टस में विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज या स्टाक एक्सचेंजों में व्यौहार करने के लिए अनुज्ञात की गई हैं; या

(ख) प्रास्पेक्टस के अनुसरण में आवेदकों से प्राप्त धनों के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिदाय के लिए, जहां कंपनी किसी अन्य कारण से प्रतिभूतियां आबंटित करने में असमर्थ है ।

(4) इस धारा की अपेक्षाओं में से किसी के अनुपालन का अभित्यजन करने के लिए प्रतिभूतियों के किसी आवेदक से अपेक्षा करने या उसे आबद्ध करने के लिए तात्पर्यित कोई शर्त शून्य होगी ।

(5) यदि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाएगा तो, कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

(6) कोई कंपनी, अपनी प्रतिभूतियों के अभिदाय के संबंध में किसी व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कमीशन का संदाय कर सकेगी ।

41. कोई कंपनी, अपने साधारण अधिवेशन में विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात्, किसी बाहरी देश में निक्षेपागार रसीदें, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जारी कर सकेगी । वैश्विक निक्षेपागार रसीद ।

भाग 2

प्राइवेट स्थापन

42. (1) धारा 26 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कंपनी, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राइवेट स्थापन पत्र को जारी करने के माध्यम से प्राइवेट स्थापन कर सकेगी। प्राइवेट स्थापन पर प्रतिभूतियों के अभिदाय के लिए प्रस्थापना या आमंत्रण।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में प्रतिभूतियों की प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के अभिदाय का आमंत्रण उतनी संख्या में, जो पचास से अधिक नहीं होगी या ऐसी उच्चतर संख्या में, जो विहित की जाए, व्यक्तियों को [अर्हित संस्थागत क्रेताओं और कंपनी के ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर, जिनको धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी स्टाक विकल्प की स्कीम के अधीन प्रतिभूतियों की प्रस्थापना की गई है], और ऐसी शर्तों पर (जिनके अंतर्गत प्राइवेट स्थापन का प्ररूप और रीति भी है), जो विहित की जाएं, किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—यदि सूचीबद्ध या असूचीबद्ध कोई कंपनी, विहित संख्या से अधिक व्यक्तियों को प्रतिभूतियां आबंटित करने की प्रस्थापना करती है या अभिदाय आमंत्रित करती है या आबंटित करती है या आबंटित करने के लिए करार करती है, चाहे प्रतिभूतियों के लिए संदाय प्राप्त किया गया है या नहीं या चाहे कंपनी, भारत में या भारत के बाहर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने का आशय रखती है या नहीं, तो उसको जनता के लिए प्रस्थापना समझा जाएगा और तद्नुसार, इस अध्याय के भाग 1 के उपबंधों द्वारा शासित होगी ।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "अर्हित संस्थागत क्रेता" पद से समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और अपेक्षा प्रकटन) विनियम, 2009 में यथापरिभाषित अर्हित संस्थागत क्रेता अभिप्रेत है।

(ii) "प्राइवेट स्थापन" से किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियों के चयनित समूह को प्राइवेट स्थापन प्रस्थापना पत्र जारी करके प्रतिभूतियों की कोई प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के अभिदाय का आमंत्रण (लोक प्रस्थापना के माध्यम से भिन्न) अभिप्रेत है और जो इस धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(3) इस धारा के अधीन कोई नई प्रस्थापना या आमंत्रण तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पूर्व में की गई कोई प्रस्थापना या आमंत्रण की बाबत आबंटन पूर्ण नहीं किए गए हैं या उस प्रस्थापना या आमंत्रण को कंपनी द्वारा वापस ले लिया गया है या उसको परित्यक्त कर दिया गया है।

(4) इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में किसी प्रस्थापना या आमंत्रण को लोक प्रस्थापना के रूप में माना जाएगा और इस अधिनियम तथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के सभी उपबंधों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा। 1956 का 42 1992 का 15

(5) इस धारा के अधीन प्रतिभूतियों के अभिदाय के लिए संदेय सभी धन का संदाय चेक या डिमांड ड्राफ्ट या अन्य बैंकिंग चैनलों द्वारा, न कि नकदी द्वारा किया जाएगा ।

(6) इस धारा के अधीन कोई प्रस्थापना या आमंत्रण देने वाली कोई कंपनी, ऐसी प्रतिभूतियों के लिए आवेदन धन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर अपनी प्रतिभूतियां आबंटित करेगी और यदि कंपनी, उस अवधि के भीतर प्रतिभूतियां आबंटित करने में समर्थ नहीं है तो वह साठ दिन पूरा होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन धन का प्रतिदाय अभिदाताओं को करेगी और यदि कंपनी पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवेदन धन राशि का प्रतिदाय करने में असफल रहती है तो वह साठ दिन की समाप्ति से बारह प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित उस धन का प्रतिदाय करने के लिए दायी होगी:

परंतु इस धारा के अधीन आवेदन पर प्राप्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाते में रखा जाएगा और निम्नलिखित से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोजित नहीं किया जाएगा,—

(क) प्रतिभूतियों के आबंटन के संबंध में समायोजन के लिए; या

(ख) जहां कंपनी प्रतिभूतियों को आबंटित करने में असमर्थ है, वहां धन के प्रतिदाय के लिए।

(7) इस धारा के अंतर्गत आने वाली सभी प्रस्थापनाएं केवल ऐसे व्यक्तियों को ही की जाएंगी, जिनके नाम कंपनी द्वारा अभिदाय के लिए आमंत्रण से पूर्व अभिलिखित किए गए हैं और ऐसे व्यक्ति नाम से प्रस्थापना प्राप्त करेंगे और कंपनी द्वारा ऐसी प्रस्थापनाओं का एक पूर्ण अभिलेख, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रखा जाएगा और ऐसी प्रस्थापना के बारे में पूर्ण सूचना, सुसंगत प्राइवेट प्रतिस्थापन के प्रस्थापना पत्र के परिचालन के तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

(8) इस धारा के अधीन प्रतिभूतियां प्रस्थापित करने वाली कोई कंपनी कोई लोक विज्ञापन जारी नहीं करेगी तथा ऐसी किसी प्रस्थापना के बारे में जन साधारण को सूचना देने के लिए किसी मीडिया, विपणन या संवितरण चैनलों या अधिकर्ताओं का उपयोग नहीं करेगी ।

(9) जब कभी कोई कंपनी इस धारा के अधीन प्रतिभूतियों का कोई आबंटन करती है, तब वह सभी प्रतिभूति धारकों की उनके पूरे नाम, पते, आबंटित प्रतिभूतियों की संख्या और ऐसी सुसंगत जानकारी सहित, जो विहित की जाए, आबंटन की एक विवरणी ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी ।

(10) यदि कोई कंपनी इस धारा के उल्लंघन में प्रस्थापना करती है या धन स्वीकार करती है तो कंपनी, इसके प्रवर्तक और निदेशक ऐसी शास्ति के दायी होंगे जो प्रस्थापना या आमंत्रण में अंतर्वलित रकम या दो करोड़ रुपए, जो अधिक है, हो सकेगा और कंपनी शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के तीन दिनों की अवधि के भीतर अभिदाताओं को सभी धन प्रदाय करेगी।

अध्याय 4

शेयर पूंजी और डिबेंचर

43. शेयरों द्वारा परिसीमित किसी कंपनी की शेयर पूंजी दो प्रकार की होगी, अर्थात् :— शेयर पूंजी के प्रकार।

(क) साधारण शेयर पूंजी,—

(i) मतदान अधिकारों सहित; या

(ii) ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, लाभांश, मतदान के बारे में या अन्यथा विशेष अधिकारों सहित; और

(ख) अधिमानी शेयर पूंजी :

परंतु इस अधिनियम की कोई बात ऐसे अधिमानी शेयर धारकों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व परिसमापन की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए हकदार हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(i) शेयरों द्वारा परिसीमित किसी कंपनी के प्रति निर्देश से, "साधारण शेयर पूंजी" से ऐसी सभी शेयर पूंजी अभिप्रेत है, जो अधिमानी शेयर पूंजी नहीं है ;

(ii) शेयरों द्वारा परिसीमित किसी कंपनी के प्रति निर्देश से "अधिमानी शेयर पूंजी" से कंपनी की निर्गमित शेयर पूंजी का वह भाग अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के संबंध में कोई अधिमानी अधिकार रखता है या रखेगा—

(क) लाभांश का संदाय, चाहे नियत रकम के रूप में या किसी नियत दर पर परिकलित रकम के रूप में, जो या तो आय-कर से मुक्त या उसके अधीन हो; और

(ख) परिसमापन या पूंजी के प्रतिसंदाय की दशा में समादत्त या समादत्त समझी गई शेयर पूंजी की रकम का प्रतिसंदाय, चाहे कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में किसी नियत प्रीमियम या किसी नियत मान पर प्रीमियम के संदाय का अधिमानी अधिकार हो या नहीं;

(iii) पूंजी को इस बात के होते हुए भी अधिमानी पूंजी समझा जाएगा कि वह निम्नलिखित किसी एक या दोनों अधिकारों के लिए हकदार है, अर्थात् :—

(क) खंड (ii) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट रकमों के अधिमानी अधिकारों के अतिरिक्त लाभांश के संबंध में उसे पूर्वोक्त अधिमानी अधिकार के लिए गैर-हकदार पूंजी में भाग लेने का, चाहे पूर्णतः या सीमित सीमा तक, अधिकार है;

(ख) खंड (ii) के उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट रकमों के परिसमापन पर प्रतिसंदाय के अधिमानी अधिकारों के अतिरिक्त, पूंजी के संबंध में उसे ऐसे किसी अधिशेष में, जो संपूर्ण पूंजी का प्रतिसंदाय करने के पश्चात् शेष बचे, उस अधिमानी अधिकार के लिए गैर-हकदार पूंजी में भाग लेने का, चाहे पूर्णतः या सीमित सीमा तक, अधिकार है ।

शेयरों या डिबेंचरों की प्रकृति ।

44. किसी कंपनी में किसी सदस्य के शेयर या डिबेंचर या अन्य हित कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा उपबंधित रीति में अंतरणीय जंगम संपत्ति होंगे ।

शेयरों का संख्यांकन।

45. शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी के प्रत्येक शेयर को उसकी भिन्न संख्या द्वारा अलग किया जाएगा :

परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयर को लागू नहीं होगी, जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेख में ऐसे शेयर में फायदाग्राही हित धारक के रूप में दर्ज हैं ।

शेयर प्रमाणपत्र ।

46. (1) किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों को विनिर्दिष्ट करने वाला कंपनी की सामान्य मुद्रा के अधीन जारी प्रमाणपत्र, ऐसे शेयरों पर व्यक्ति के हक का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा ।

(2) शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति उस दशा में जारी की जा सकेगी, यदि—

(क) यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है; या

(ख) ऐसा प्रमाणपत्र विरूपित या विकृत हो गया है या फट गया है और कंपनी को अभ्यर्पित कर दिया गया है ।

(3) कंपनी के अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रमाणपत्र या उसकी दूसरी प्रति जारी करने की रीति, ऐसे प्रमाणपत्र का प्ररूप, सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां और अन्य विषय वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(4) जहां कोई शेयर निक्षेपागार प्ररूप में धारित किया जाता है, वहां निक्षेपागार का अभिलेख फायदाग्राही स्वामी के हित का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है ।

(5) यदि कोई कंपनी प्रवंचना करने के आशय से शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करती है तो कंपनी जुर्माने से, जो प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने में अंतर्वलित शेयरों के अंकित मूल्य के पांच गुने से कम का नहीं होगा, किंतु जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य के दस गुने या दस करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा ।

47. (1) धारा 43 और धारा 50 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,— मतदान अधिकार ।

(क) शेयरों द्वारा परिसीमित किसी कंपनी के प्रत्येक सदस्य को, जो उसमें साधारण शेयर पूंजी धारित किए हुए हैं, कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक संकल्प पर मत देने का अधिकार होगा; और

(ख) मतदान में उसका मताधिकार कंपनी की समादत्त साधारण शेयर पूंजी में उसके शेयर के अनुपात में होगा ।

(2) शेयरों द्वारा परिसीमित किसी कंपनी के प्रत्येक सदस्य को, जो उसमें कोई अधिमानी शेयर पूंजी धारित करता है, ऐसी पूंजी के संबंध में केवल कंपनी के समक्ष रखे गए ऐसे संकल्पों पर ही मतदान का अधिकार होगा, जो उसके अधिमानी शेयरों से संलग्न अधिकारों और कंपनी के परिसमापन के लिए या उसकी साधारण अधिमानी शेयर पूंजी के प्रतिसंदाय या कमी के किसी संकल्प को सीधे प्रभावित करते हैं और मतदान में उसका मत देने का अधिकार कंपनी की समादत्त अधिमानी शेयर पूंजी में उसके शेयरों के अनुपात में होगा :

परंतु साधारण शेयर धारकों और अधिमानी शेयर धारकों, दोनों को प्रभावित करने वाले विषय से संबंधित संकल्प की बाबत साधारण शेयर धारकों के मताधिकार का अधिमानी शेयर धारकों के मतदान के अधिकार में वही अनुपात होगा, जो अधिमानी शेयरों की बाबत समादत्त पूंजी में साधारण शेयरों के संबंध में समादत्त पूंजी का अनुपात है :

परंतु यह और कि जहां अधिमानी शेयरों के किसी वर्ग के संबंध में लाभांश दो वर्ष या अधिक की अवधि के लिए संदत्त नहीं किया है, वहां ऐसे अधिमानी शेयर धारकों के ऐसे वर्ग को कंपनी के समक्ष रखे गए सभी संकल्पों पर मत देने का अधिकार होगा ।

48. (1) जहां कंपनी की शेयर पूंजी शेयरों के विभिन्न वर्गों में विभाजित की जाती है, वहां किसी वर्ग के शेयरों से संलग्न अधिकारों में उस वर्ग के जारी शेयरों से तीन-चौथाई से अन्यून के धारकों की लिखित सहमति से या उस वर्ग के जारी शेयर धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा, तभी फेरफार हो सकेगा,— शेयर धारकों के अधिकारों में फेरफार।

(क) यदि ऐसे फेरफार के संबंध में उपबंध, कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेद में अंतर्विष्ट है; या

(ख) ज्ञापन या अनुच्छेद में किसी ऐसे उपबंध के न होने की दशा में, यदि ऐसा फेरफार उस वर्ग के शेयरों के जारी किए जाने के निबंधनों द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है:

परंतु यदि शेयर धारकों के एक वर्ग द्वारा किया गया फेरफार शेयर धारकों के किसी अन्य वर्ग के अधिकारों को प्रभावित करता है तो शेयर धारकों के ऐसे अन्य वर्ग के तीन–चौथाई की सहमति भी प्राप्त की जाएगी और इस धारा के उपबंध ऐसे फेरफार को लागू होंगे।

(2) जहां किसी वर्ग के जारी शेयरों के दस प्रतिशत से अन्यून के धारक ऐसे फेरफार को सहमति नहीं देते हैं या फेरफार के लिए विशेष संकल्प के पक्ष में मत नहीं देते हैं तो वे फेरफार को रद्द किए जाने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेंगे और जहां कोई ऐसा आवेदन किया जाता है वहां फेरफार का तब तक प्रभाव नहीं होगा, जब तक उसकी अधिकरण द्वारा पुष्टि न कर दी गई हो :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आवेदन उस तारीख के, जिसको, यथास्थिति, सहमति दी गई थी या संकल्प पारित किया गया था, इक्कीस दिन के भीतर किया जाएगा और आवेदन करने के लिए हकदार शेयर धारकों की ओर से, उनकी एक या अधिक ऐसी संख्याओं से किया जा सकेगा, जो वे इस प्रयोजन के लिए लिखित में नियत करे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन पर अधिकरण का विनिश्चय शेयर धारकों पर आबद्धकर होगा।

(4) कंपनी, अधिकरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को, उसकी प्रति फाइल करेगी ।

(5) जहां इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया जाता है वहां कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

समान वर्ग के शेयरों की मांगों का समानता के आधार पर किया जाना ।

49. जहां किसी वर्ग के शेयरों के संबंध में और शेयर पूंजी के लिए कोई मांग की जाती है, वहां ऐसी मांगें उस वर्ग के अधीन आने वाले सभी शेयरों के संबंध में एक समान आधार पर की जाएंगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, समान अभिहित मूल्य के शेयरों को, जिन पर विभिन्न रकमें समादत्त की गई हैं, एक ही वर्ग के अधीन आने वाला नहीं समझा जाएगा ।

मांग न किए जाने के बावजूद भी कंपनी द्वारा असंदत्त शेयर पूंजी का स्वीकार किया जाना ।

50. (1) कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, किसी सदस्य से उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर शेष असंदत्त संपूर्ण रकम या उसके भाग को उस रकम के किसी भाग की मांग न किए जाने के बावजूद भी स्वीकार कर सकेगी ।

(2) शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी का कोई सदस्य उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदत्त रकम के संबंध में किसी मताधिकार का, तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक उस रकम की मांग नहीं की गई हो ।

समादत्त रकम के अनुपात में लाभांश का संदाय ।

51. कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, प्रत्येक शेयर पर समादत्त रकम के अनुपात में लाभांश का संदाय कर सकेगी ।

शेयरों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियमों का उपयोजन।

52. (1) जहां कोई कंपनी किसी प्रीमियम पर, चाहे नकद के लिए या अन्यथा, शेयर जारी करती है, वहां उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियमों की कुल रकम के बराबर राशि "प्रतिभूति प्रीमियम खाते" में अंतरित की जाएगी और किसी कंपनी की शेयर पूंजी की कमी से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध, इस धारा में यथा उपबंधित के सिवाय इस प्रकार लागू होंगे, मानो शेयर प्रीमियम खाता कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी द्वारा शेयर प्रीमियम खाता निम्नलिखित के संबंध में उपयोजित किया जा सकेगा,—

(क) कंपनी के सदस्यों को पूर्ण रूप से संदत्त बोनस शेयरों के रूप में जारी न किए गए कंपनी के शेयरों के निर्गमन के प्रति;

(ख) कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखत करने में;

(ग) कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों के किसी निर्गमन के व्ययों या संदत्त कमीशन या अनुज्ञात बट्टे को अपलिखित करने में;

(घ) कंपनी के किसी मोचनीय अधिमानी शेयरों या किन्हीं डिबेंचरों के मोचन पर संदेय प्रीमियम के लिए उपबंध करने में;

(ङ) धारा 68 के अधीन अपने शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के क्रय के लिए ।

(3) प्रतिभूति प्रीमियम लेखा का, उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी कंपनियों के ऐसे वर्ग द्वारा उपयोग किया जा सकेगा, जो विहित की जाएं और जिनके वित्तीय विवरण निम्नलिखित के लिए अधिनियम की धारा 133 के अधीन ऐसे वर्ग की कंपनियों के लिए विहित लेखा मानकों के अनुपालन में हैं,—

(क) पूर्णतः संदत्त बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को जारी किए जाने वाले कंपनी के जारी न किए गए साधारण शेयरों का संदाय करने के लिए; या

(ख) कंपनी के साधारण शेयरों के किसी निर्गम के व्यय या उस पर संदत्त कमीशन या अनुज्ञात बट्टे को अपलिखित करने के लिए; या

(ग) धारा 68 के अधीन अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए ।

बट्टे पर शेयरों के निर्गमन पर प्रतिषेध।

53. (1) धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई कंपनी बट्टे पर शेयरों का निर्गमन नहीं करेगी ।

(2) किसी कंपनी द्वारा बट्टे कीमत पर जारी किया गया कोई शेयर शून्य होगा ।

(3) जहां कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, वहां कंपनी जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

श्रमसाध्य साधारण शेयरों का निर्गमन।

54. (1) धारा 53 में किसी बात के होते हुए भी, कोई कंपनी पहले से निर्गमित शेयरों के किसी वर्ग के श्रमसाध्य साधारण शेयरों का निर्गमन कर सकेगी, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:—

(क) निर्गमन, कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा प्राधिकृत है;

(ख) संकल्प, शेयरों की संख्या, विद्यमान बाजार कीमत, प्रतिफल, यदि कोई हो और ऐसे निदेशकों या कर्मचारियों के वर्ग या वर्गों को, जिन्हें ऐसे साधारण शेयर निर्गमित किए जाने हैं, विनिर्दिष्ट करता है;

(ग) ऐसे निर्गमन की तारीख को उस तारीख से, जिसको कंपनी ने कारबार प्रारंभ किया था, एक वर्ष से अन्यून अवधि बीत चुकी है; और

(घ) जहां कंपनी के साधारण शेयरों को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, वहां श्रमसाध्य साधारण शेयरों को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार निर्गमित किया जाता है और यदि वे इस प्रकार सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं तो श्रमसाध्य साधारण शेयरों को ऐसे नियमों के अनुसार निर्गमित किया जाता है, जो विहित किए जाएं ।

(2) ऐसे अधिकार, परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध, जो तत्समय साधारण शेयरों को लागू होते हैं, इस धारा के अधीन निर्गमित श्रमसाध्य साधारण शेयरों को लागू होंगे और

ऐसे शेयरों के धारक, अन्य साधारण शेयर धारकों के साथ उनकी मात्रा के अनुसार वर्गीकृत होंगे ।

अधिमानी शेयरों का निर्गमन और मोचन ।

55. (1) शेयरों द्वारा परिसीमित कोई कंपनी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, ऐसे किन्हीं अधिमानी शेयरों का निर्गमन नहीं करेगी, जो अमोचनीय हैं ।

(2) शेयरों द्वारा परिसीमित कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, ऐसे अधिमानी शेयरों का निर्गमन कर सकेगी, जो उनके निर्गमन की तारीख से बीस वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मोचन किए जाने के लिए दायी हैं :

परंतु कोई कंपनी ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जो विहित की जाएं, बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिमानी शेयरों का निर्गमन, शेयरों की ऐसी प्रतिशतता के मोचन के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, ऐसे अधिमानी शेयर धारकों के विकल्प पर वार्षिक आधार पर कर सकेगी :

परंतु यह और कि—

(क) ऐसे शेयर, कंपनी के लाभों, जो लाभांश के लिए अन्यथा उपलब्ध हों, में से या ऐसे मोचन के प्रयोजनों के लिए किए गए शेयरों के नए निर्गमन के आगमों में से ही मोचित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं;

(ख) ऐसे शेयरों को तब तक मोचित नहीं किया जाएगा जब तक उनका पूर्णतः संदाय नहीं कर दिया जाता है;

(ग) जहां ऐसे शेयरों को कंपनी के लाभों में से मोचित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है, वहां ऐसे लाभों में से मोचित किए जाने वाले शेयरों की अभिहित रकम के बराबर किसी राशि को पूंजी मोचन आरक्षित लेखा नामक आरक्षिति में अंतरित किया जाएगा और कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध, इस धारा में यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे लागू होंगे, मानो पूंजी मोचन आरक्षित लेखा, कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी हो; और

(घ)(i) ऐसे वर्ग की कंपनियों की दशा में, जो विहित की जाएं और जिनका लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र धारा 133 के अधीन ऐसे वर्ग की कंपनियों के लिए विहित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, मोचन पर संदेय प्रीमियम, यदि कोई हो, शेयरों का मोचन किए जाने से पूर्व, कंपनी के लाभों में से उपलब्ध करा दिए गए हैं;

परंतु यह भी कि ऐसी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ को या उससे पूर्व जारी किए गए किन्हीं अधिमानी शेयरों के मोचन पर संदेय प्रीमियम, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों का मोचन किए जाने से पूर्व, कंपनी के लाभों में से या कंपनी के शेयर प्रीमियम खाते में से उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ii) ऊपर उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी मामले में, मोचन पर प्रीमियम, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों का मोचन किए जाने से पूर्व, कंपनी के शेयर प्रीमियम खाते में से उपलब्ध माना जाएगा ;

(3) जहां कंपनी, निर्गम के निबंधनों के अनुसार किन्हीं अधिमानी शेयरों का मोचन करने या ऐसे शेयरों पर लाभांश का, यदि कोई हो, संदाय करने की स्थिति में नहीं है (ऐसे शेयरों को इसमें इसके पश्चात् अनुन्मोचित अधिमानी शेयर कहा गया है), वहां वह ऐसे अधिमानी शेयरों के मूल्य में तीन-चौथाई के धारकों की सहमति से और इस निमित्त उसके द्वारा की गई याचिका पर अधिकरण के अनुमोदन से शोध्य रकम के बराबर, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित अधिमानी शेयरों के संबंध में उन पर लाभांश सहित अतिरिक्त मोचनीय अधिमानी शेयर निर्गमित कर सकेगी और ऐसे अतिरिक्त मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गमन पर अनुन्मोचित अधिमानी शेयरों को मोचित शेयर समझा जाएगा :

परंतु अधिकरण, इस उपधारा के अधीन अनुमोदन देते समय, ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने अतिरिक्त मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गमन में सहमति नहीं दी है, धारित अधिमानी शेयरों के तुरन्त मोचन का आदेश देगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषणा की जाती है कि इस धारा के अधीन अतिरिक्त मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गमन या अधिमानी शेयरों के मोचन को कंपनी की शेयर पूंजी में, यथास्थिति, वृद्धि या कमी नहीं समझा जाएगा ।

(4) पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे का उपयोजन, इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी द्वारा पूर्णतः संदत्त बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को जारी किए जाने वाले कंपनी के जारी न किए गए शेयरों का संदाय करने में किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना परियोजनाओं" पद से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजनाएं अभिप्रेत हैं।

प्रतिभूतियों का अंतरण और पारेषण।

56. (1) कोई कंपनी उस दशा में, जहां कंपनी की कोई शेयर पूंजी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के बीच किसी अंतरण से भिन्न, जिन दोनों के नाम निक्षेपागार के अभिलेख में फायदाग्राही हित के धारक के रूप में दर्ज हैं, कंपनी की प्रतिभूतियों या कंपनी के किसी सदस्य के हित के अंतरण को तब तक रजिस्टर नहीं करेगी, जब तक अंतरण की समुचित लिखत को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, सम्यक् रूप से स्टांपित, दिनांकित और अंतरणकर्ता या अंतरिती द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न किया गया हो तथा अंतरिती का नाम, पता और उपजीविका, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करने वाली अंतरण की समुचित लिखत अंतरक या अंतरिती द्वारा निष्पादन की तारीख से साठ दिन के भीतर, जो विहित की जाए, प्रतिभूतियों के संबंध में प्रमाणपत्र के साथ या यदि ऐसा कोई प्रमाणपत्र विद्यमान नहीं है तो प्रतिभूतियों के आबंटन पत्र के साथ कंपनी को परिदत्त नहीं किया गया हो :

परंतु जहां अंतरण की लिखत खो गई है या अंतरण की लिखत को विहित अवधि के भीतर परिदत्त नहीं किया गया है, वहां कंपनी उस अंतरण को, क्षतिपूर्ति विषयक ऐसे निबंधनों पर, जो बोर्ड ठीक समझे, रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति से, जिसको ऐसे अधिकार पारेषित किए गए हैं, विधि के प्रवर्तन द्वारा प्रतिभूतियों के किसी अधिकार के पारेषण की किसी सूचना के प्राप्त होने पर कंपनी की रजिस्टर करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3) जहां कोई आवेदन अकेले अंतरक द्वारा किया गया है और भागतः संदत्त शेयरों से संबंधित है, वहां अंतरण को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कंपनी आवेदन की सूचना, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अंतरिती को नहीं दे देती है और अंतरिती सूचना की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर अंतरण के संबंध में कोई आक्षेप नहीं करता है ।

(4) प्रत्येक कंपनी, जब तक कि विधि के किसी उपबंध या न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध न हो,—

(क) ज्ञापन के अभिदाताओं की दशा में, निगमन से दो मास की अवधि के भीतर;

(ख) अपने किन्हीं शेयरों के किसी आबंटन की दशा में, आबंटन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर;

(ग) प्रतिभूतियों के अंतरण या पारेषण की दशा में, कंपनी द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन अंतरण की लिखत या उपधारा (2) के अधीन पारेषण की सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर;

(घ) डिबेंचर के किसी आबंटन की दशा में, आबंटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर,

आबंटित, अंतरित या पारेषित सभी प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र परिदत्त करेगी :

परंतु जहां प्रतिभूतियां किसी निक्षेपागार से संबद्ध हैं, वहां कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन पर तुरंत निक्षेपागार को प्रतिभूतियों के आबंटन के ब्यौरे सूचित करेगी ।

(5) किसी कंपनी में किसी मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया किसी प्रतिभूति या अन्य हित का अंतरण, विधिक प्रतिनिधि के स्वयं उसका धारक न होने के बावजूद भी उसी प्रकार विधिमान्य होगा मानो वह अंतरण की लिखत के निष्पादन के समय उसका धारक रहा हो ।

(6) जहां उपधारा (1) से उपधारा (5) के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, वहां कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(7) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी निक्षेपागार या भागीदार ने किसी व्यक्ति को क़पटवंचन करने के आशय से शेयरों का अंतरण किया है, वहां वह धारा 447 के अधीन दायी होगा। 1996 का 22

शेयर धारक के प्रतिरूपण के लिए दंड।

57. यदि कोई व्यक्ति प्रवंचना से किसी कंपनी में प्रतिभूतियों या हित या इस अधिनियम के अनुसरण में जारी किए गए किसी शेयर वारंट या कूपन के किसी स्वामी को प्रतिरूपित करेगा और उसके द्वारा कोई ऐसी प्रतिभूतियां या हित या शेयर वारंट या कोई कूपन अभिप्राप्त करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयास करेगा या ऐसे किसी स्वामी को शोध्य कोई धन प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

रजिस्ट्रीकरण से इंकार करना और इंकार किए जाने के विरुद्ध अपील ।

58. (1) यदि शेयरों द्वारा परिसीमित कोई प्राइवेट कंपनी चाहे अपने अनुच्छेदों के अधीन या अन्यथा कंपनी की किसी शक्ति के अनुसरण में विधि के प्रचालन द्वारा कंपनी में किसी सदस्य की किसी प्रतिभूति या हित के अंतरण या पारेषण को रजिस्टर करने से इन्कार करती है तो वह उस तारीख से एक मास के भीतर, जिसको, यथास्थिति, अंतरण की लिखत या ऐसे पारेषण की सूचना कंपनी को परिदत्त की गई थी, ऐसे इंकार किए जाने के कारण देते हुए इंकार किए जाने की सूचना, यथास्थिति, अंतरक और अंतरिती या ऐसे पारेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति को भेजेगी ।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी पब्लिक कंपनी में किसी सदस्य की प्रतिभूतियां या अन्य हित स्वच्छंद रूप से अंतरणीय होंगे:

परंतु प्रतिभूतियों के अंतरण की बाबत एक या अधिक व्यक्तियों के बीच कोई संविदा या ठहराव, संविदा के रूप में प्रवर्तनीय होगा।

(3) अंतरिती, सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर या जहां कंपनी द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई है, उस तारीख से चार मास के भीतर, जिसको, यथास्थिति, अंतरण की लिखत या पारेषण की सूचना कंपनी को परिदत्त की गई थी, इंकार किए जाने के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(4) यदि कोई पब्लिक कंपनी, पर्याप्त कारण के बिना, उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जिसको, यथास्थिति, अंतरण की लिखत या पारेषण की सूचना कंपनी को परिदत्त की गई थी, प्रतिभूतियों का अंतरण रजिस्टर करने से इंकार करती है तो अंतरिती, यथास्थिति, ऐसे इंकार किए जाने के साठ दिन की अवधि के भीतर या जहां कंपनी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वहां अंतरण की लिखत या पारेषण की सूचना के परिदान के नब्बे दिन के भीतर, अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(5) अधिकरण, उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन की गई किसी अपील के संबंध में कार्रवाई करते समय, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, या तो अपील को खारिज कर सकेगा या आदेश द्वारा,—

(क) यह निदेश दे सकेगा कि अंतरण या पारेषण कंपनी द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और कंपनी, आदेश की प्राप्ति के दस दिन के भीतर, उस आदेश का पालन करेगी; या

(ख) रजिस्टर का परिशोधन करने का निदेश देगा और कंपनी को यह भी निदेश देगा कि किसी व्यथित पक्षकार को हुई किसी नुकसानी, यदि कोई हो, का संदाय करे ।

(6) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अधिकरण के आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

सदस्यों के रजिस्टर का परिशोधन ।

59. (1) यदि किसी व्यक्ति का नाम, पर्याप्त कारण के बिना, किसी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाता है या रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने के पश्चात् पर्याप्त कारण के बिना, उसमें से हटा दिया जाता है, या किसी व्यक्ति के सदस्य बनने या सदस्य न रहने के तथ्य की रजिस्टर में प्रविष्टि करने में व्यतिक्रम किया जाता है या उसमें अनावश्यक विलंब होता है तो व्यथित व्यक्ति या कंपनी का कोई सदस्य या कंपनी, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अधिकरण को या भारत के बाहर निवास कर रहे विदेशी सदस्यों या डिबेंचर धारकों की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सक्षम न्यायालय को रजिस्टर के परिशोधन के लिए अपील कर सकेगा।

(2) अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपील के पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात्, आदेश द्वारा, अपील को या तो खारिज कर सकेगा या यह निदेश दे सकेगा कि अंतरण या पारेषण कंपनी द्वारा आदेश की प्राप्ति के दस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा या निक्षेपागार के अभिलेखों या रजिस्टर के सीधे परिशोधन का निदेश दे सकेगा और पश्चात्वर्ती मामले में कंपनी को व्यथित पक्षकार को हुई नुकसानी, यदि कोई हो, का संदाय करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

(3) इस धारा के उपबंध प्रतिभूतियों के किसी धारक के, ऐसी प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार को निर्बंधित नहीं करेंगे और ऐसी प्रतिभूतियां अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति तब तक मताधिकार के लिए हकदार होगा, जब तक मताधिकार को किसी आदेश द्वारा निलंबित न किया गया हो।

1956 का 42
1992 का 15

(4) जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है, वहां अधिकरण, निक्षेपागार, कंपनी, निक्षेपागार भागीदार, प्रतिभूतियों के धारक या प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किए जाने वाले किसी आवेदन पर किसी कंपनी या निक्षेपागार को उल्लंघन को दूर करने और उससे संबंधित उसके रजिस्टर या अभिलेखों में परिशोधन का निदेश दे सकेगा ।

(5) यदि इस धारा के अधीन अधिकरण के किसी आदेश का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

प्राधिकृत, अभिदत्त तथा समादत्त पूंजी का प्रकाशन ।

60. (1) जहां किसी कंपनी की किसी सूचना, विज्ञापन या अन्य शासकीय प्रकाशन या किसी कारबार पत्र, बिल शीर्ष या कागजपत्र में कंपनी की प्राधिकृत पूंजी की रकम का कथन अन्तर्विष्ट है, वहां ऐसी सूचना, विज्ञापन या अन्य शासकीय प्रकाशन या ऐसे पत्र, बिल शीर्ष या कागजपत्र में उस पूंजी की रकम का, जो अभिदत्त की गई है और समादत्त रकम का समान रूप से प्रमुख स्थिति और समान रूप से सहजदृश्य रूप में एक कथन भी अंतर्विष्ट होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो कंपनी दस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए, पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।

लिमिटेड कंपनी की अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तन करने की शक्ति ।

61. (1) किसी लिमिटेड कंपनी को, जिसकी शेयर पूंजी है, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है तो वह अपने साधारण अधिवेशन में अपने ज्ञापन में निम्नलिखित के लिए परिवर्तन कर सकेगी—

(क) अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी में ऐसी रकम तक वृद्धि करने, जो वह समीचीन समझे;

(ख) अपनी सभी या किसी शेयर पूंजी को अपने विद्यमान शेयरों की अपेक्षा वृहत्तर रकम के शेयरों में समेकित और विभाजित करने के लिए :

परंतु ऐसा कोई समेकन और विभाजन, जिसके परिणामस्वरूप शेयर धारकों की मतदान प्रतिशतता में परिवर्तन होता है, तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक विहित रीति में किए गए आवेदन पर अधिकरण द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है;

(ग) अपने सभी या किन्हीं समादत्त शेयरों को स्टाक में संपरिवर्तित करने और उस स्टाक को किसी अंकित मूल्य के पूर्णतः समादत्त शेयरों में पुनः संपरिवर्तित करने;

(घ) अपने शेयरों या उनमें से किसी का ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम रकम के शेयरों में उपविभाजन करने, तथापि, उपविभाजन में प्रत्येक कम किए गए शेयर पर संदत्त रकम और असंदत्त रकम, यदि कोई हो, के बीच का अनुपात, वही होगा, जो उस शेयर की दशा में था, जिससे कम किया गया शेयर व्युत्पन्न हुआ है;

(ङ) ऐसे शेयर रद्द करने, जो उस निमित्त संकल्प के पारित होने की तारीख को नहीं लिए गए थे या किसी व्यक्ति द्वारा लिए जाने के लिए सहमत किए गए थे और इस प्रकार रद्द शेयरों की रकम से अपनी शेयर पूंजी की रकम को कम करने।

(2) उपधारा (1) के अधीन शेयरों के रद्दकरण को शेयर पूंजी की कमी होना नहीं समझा जाएगा ।

शेयर पूंजी का आगे और जारी किया जाना ।

62. (1) जहां किसी समय, कोई कंपनी, जिसकी शेयर पूंजी है, शेयरों के निर्गमन द्वारा अपनी अभिदाय पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव करती है, वहां ऐसे शेयर निम्नलिखित को प्रस्थापित किए जाएंगे—

(क) उन व्यक्तियों को, जो प्रस्थापना की तारीख को प्रस्थापना पत्र के परिचालन द्वारा उन शेयरों पर समादत्त शेयर पूंजी के, उन परिस्थितियों में यथा निकटतम अनुपात में कंपनी के साधारण शेयर धारक हैं, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं, अर्थात् :—

(i) प्रस्थापना, प्रस्थापित शेयरों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए और प्रस्थापना की ऐसी तारीख से, जिसके भीतर, प्रस्थापना को यदि स्वीकार नहीं किया जाता है तो इंकार किया जाना समझा जाएगा, पंद्रह दिन से कम और तीस दिन से अनधिक समय को सीमित करते हुए, सूचना द्वारा, की जाएगी;

(ii) जब तक कि कंपनी के अनुच्छेद अन्यथा उपबंधित न करते हों, पूर्वोक्त प्रस्थापना में, उसको या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रस्थापित शेयरों का त्यजन करने के लिए संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य किसी अधिकार को सम्मिलित करना समझा जाएगा; और खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना में इस अधिकार का एक कथन अंतर्विष्ट होगा;

(iii) पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात् या उस व्यक्ति से जिसको ऐसी सूचना दी गई है, ऐसी पूर्व जानकारी की प्राप्ति पर कि उसने प्रस्थापित शेयरों को स्वीकार करने से इंकार किया है, तो निदेशक बोर्ड उनका, ऐसी रीति से जो शेयर धारकों और कंपनी के लिए अफायदाप्रद न हो, निपटारा कर सकेगा;

(ख) कर्मचारी स्टाक विकल्प की स्कीम के अधीन कर्मचारियों को, कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं; या

(ग) किन्हीं व्यक्तियों को, यदि उसे किसी विशेष संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया है, चाहे वे व्यक्ति, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में सम्मिलित हों या न हों, या तो नकद या किसी प्रतिफल के लिए नकद से भिन्न, यदि ऐसे शेयरों का मूल्य, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, अवधारित किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट सूचना, निर्गमन को खोले जाने से पूर्व कम से कम तीन दिन पूर्व सभी विद्यमान शेयर धारकों को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा प्रेषित की जाएगी।

(3) इस धारा की कोई बात किसी पब्लिक कंपनी की अभिदाय पूंजी की वृद्धि को लागू नहीं होगी, जो ऐसे डिबेंचरों या ऋणों के कंपनी में शेयरों में संपरिवर्तन करने के लिए कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों या उठाए गए ऋणों से संलग्न निबंधनों के अनुसार किसी विकल्प के प्रयोग द्वारा हुई है :

परंतु ऐसे डिबेंचरों को जारी करने के निबंधनों या ऐसे ऋण के निबंधनों को, जिनमें ऐसा कोई विकल्प अंतर्विष्ट है, ऐसे डिबेंचरों के निर्गमन या ऋणों को उठाने से पूर्व कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा किसी सरकार को कोई डिबेंचर जारी किए जाते हैं या ऋण अभिप्राप्त किया जाता है और यदि वह सरकार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, वहां वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे डिबेंचर या ऋण या उसके किसी भाग को, ऐसे डिबेंचर को जारी करने या ऐसे ऋणों को जुटाने के निबंधनों में ऐसे संपरिवर्तन के लिए किसी विकल्प का उपबंध करने वाले निबंधन के सम्मिलित न होने के बावजूद भी, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार सरकार को युक्तियुक्त प्रतीत हों, कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तित किया जा सकेगा :

परंतु जहां ऐसे संपरिवर्तन के निबंधन और शर्तें कंपनी को स्वीकार्य नहीं हैं, वहां वह उस आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगी, जो कंपनी और सरकार को सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(5) सरकार उपधारा (4) के अधीन संपरिवर्तन के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करने में, यथास्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति, डिबेंचरों या ऋणों को जारी करने के निबंधन, ऐसे डिबेंचरों या ऋणों पर संदेय ब्याज की दर तथा ऐसे अन्य विषयों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(6) जहां सरकार ने, उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेश द्वारा यह निदेश दिया है कि कोई डिबेंचर या ऋण या उसका कोई भाग कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तित किया जाएगा और जहां उपधारा (4) के अधीन अधिकरण में कोई अपील नहीं की गई है या जहां ऐसी अपील खारिज की जा चुकी है, वहां ऐसी कंपनी का ज्ञापन, जहां ऐसा आदेश कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी की वृद्धि पर प्रभाव डालता है, परिवर्तित हो जाएगा और उस कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी की रकम में शेयरों के मूल्य की रकम के बराबर, जिनमें ऐसे डिबेंचर या ऋण या उसके भाग को संपरिवर्तित किया गया है, वृद्धि हो जाएगी।

बोनस शेयरों का निर्गमन।

63. (1) कोई कंपनी, उसके सदस्यों को, निम्नलिखित में से किसी भी रीति से पूर्ण समादत्त बोनस शेयरों को निर्गमित कर सकेगी:—

(i) अपनी मुक्त आरक्षितियां;

(ii) प्रतिभूति प्रीमियम लेखा; या

(iii) पूंजी मोचन आरक्षिति लेखा :

परंतु बोनस शेयरों का कोई निर्गमन, आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित पूंजीगत आरक्षिति द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई कंपनी, उपधारा (1) के अधीन पूर्ण समादत्त बोनस शेयरों के निर्गमन के प्रयोजन के लिए उसके लाभों या आरक्षितियों को पूंजीगत नहीं करेगी, जब तक कि--

(क) उसे, अनुच्छेदों द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है;

(ख) उसे, बोर्ड की सिफारिश पर, कंपनी की साधारण बैठक में प्राधिकृत नहीं किया गया है;

(ग) उसने, सावधि निक्षेपों या उसके द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज या मूल के संदाय में व्यतिक्रम नहीं किया है;

(घ) उसने, कर्मचारियों के कानूनी देयों जैसे भविष्य निधि, उपदान और बोनस में अभिदाय के संदाय के संबंध में व्यतिक्रम नहीं किया है;

(ङ) भागतः संदत्त शेयर, यदि कोई हो, आबंटन की तारीख को बकाया है, पूर्ण रूप से समादत्त नहीं किए गए हों;

(च) वह ऐसी शर्तों का पालन नहीं करती है, जो विहित की जाएं।

(3) बोनस शेयरों को लाभांश के बदले जारी नहीं किया जाएगा ।

शेयर पूंजी के परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को सूचना का दिया जाना।

64. (1) जहां—

(क) कंपनी धारा 61 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी रीति में अपनी शेयर पूंजी को परिवर्तित करती है;

(ख) सरकार द्वारा धारा 62 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश का प्रभाव कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने का है; या

(ग) कंपनी किन्हीं मोचनीय अधिमानी शेयरों को मोचित करती है,

वहां कंपनी, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तन या वृद्धि या मोचन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को परिवर्तित ज्ञापन के साथ विहित प्ररूप में सूचना फाइल करेगी ।

(2) यदि कोई कंपनी और कंपनी का कोई अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, एक हजार रुपए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

परिसीमित कंपनी में संपरिवर्तन पर, अपरिसीमित कंपनी पर आरक्षित शेयर पूंजी प्रदान करना।

65. शेयर पूंजी वाली कोई अपरिसीमित कंपनी, इस अधिनियम के अधीन परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए संकल्प द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों बातें कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) अपने प्रत्येक शेयर की अभिहित रकम की वृद्धि द्वारा अपनी शेयर पूंजी की अभिहित रकम की इस शर्त के अधीन रहते हुए वृद्धि, कि बढ़ी हुई पूंजी का कोई भाग, कंपनी के परिसमापन की दशा में और उसके प्रयोजनों के सिवाय मांग किए जाने के योग्य नहीं होगा;

(ख) यह उपबंध कर सकेगी कि इसकी मांग न की गई शेयर पूंजी का विनिर्दिष्ट भाग, कंपनी के परिसमापन की दशा में और उसके प्रयोजनों के सिवाय मांग किए जाने के योग्य नहीं होगा ।

शेयर पूंजी में कमी।

66. (1) कंपनी द्वारा आवेदन पर अधिकरण द्वारा पुष्टि के अधीन रहते हुए, शेयरों द्वारा परिसीमित या गारंटी द्वारा परिसीमित और शेयर पूंजी वाली कोई कंपनी विशेष संकल्प द्वारा, शेयर पूंजी में किसी भी रीति में, कमी कर सकेगी और विशिष्टतया—

(क) समादत्त न की गई शेयर पूंजी की बाबत अपने शेयरों के किसी दायित्व को निर्वापित या कम कर सकेगी; या

(ख) अपने शेयरों पर किसी दायित्व को निर्वापित करके या निर्वापित किए बिना या कम करके,—

(i) किसी ऐसी समादत्त शेयर पूंजी को रद्द कर सकेगी, जो खो गई है या उपलब्ध आस्तियों द्वारा उपदर्शित नहीं की गई है;

(ii) किसी ऐसी समादत्त शेयर पूंजी को चुका सकेगी, जो कंपनी की वांछा से अधिक है,

तद्नुसार अपनी शेयर पूंजी और अपने शेयरों की रकम को कम करके अपने ज्ञापन में परिवर्तन कर सकेगी :

परंतु ऐसी कोई कमी तब नहीं की जाएगी, यदि कंपनी पर इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् उसके द्वारा स्वीकार किए गए किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय या उस पर संदेय ब्याज बकाया है ।

(2) अधिकरण उपधारा (1) के अधीन उसको किए गए प्रत्येक आवेदन की सूचना, सूचीबद्ध कंपनियों और कंपनियों के लेनदारों की दशा में केन्द्रीय सरकार, रजिस्ट्रार और प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को देगा और उस सरकार, रजिस्ट्रार तथा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा लेनदारों द्वारा उसको किए गए प्रतिवेदनों पर, यदि कोई हों, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर विचार करेगा :

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार, रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या लेनदारों की ओर से उक्त अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि उनको कमी के बारे में कोई आक्षेप नहीं है ।

(3) अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कंपनी के प्रत्येक लेनदार के ऋण या दावे का उन्मोचन या अवधारण हो गया है या वह प्रतिभूत हो गया है या उसकी

सहमति अभिप्राप्त हो गई है, तो ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, शेयर पूंजी की कमी को पुष्टि करने वाला आदेश कर सकेगा :

परंतु शेयर पूंजी की कमी के लिए कोई आवेदन, अधिकरण द्वारा तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी कमी के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तावित ऐसा कोई लेखा व्यवहार, इस अधिनियम की धारा 133 या किसी अन्य उपबंध में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप नहीं है और कंपनी के संपरीक्षक द्वारा इस प्रभाव का कोई प्रमाणपत्र अधिकरण के पास फाइल नहीं कर दिया गया है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा शेयर पूंजी की कमी की पुष्टि का आदेश कंपनी द्वारा उस रीति में प्रकाशित किया जाएगा, जो अधिकरण निदेश दे ।

(5) कंपनी, उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के आदेश की एक सत्यापित प्रति और अधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को दर्शित करते हुए,—

(क) शेयर पूंजी की रकम;

(ख) उन शेयरों की संख्या, जिनमें इन्हें विभाजित किया जाना है;

(ग) प्रत्येक शेयर की रकम; और

(घ) वह रकम, यदि कोई हो, जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख को प्रत्येक शेयर पर समादत्त समझी गई हो,

आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगी, जो उसे रजिस्टर करेगा और उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(6) इस धारा की कोई बात धारा 68 के अधीन कंपनी द्वारा अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा वापसी को लागू नहीं होगी ।

(7) कंपनी का कोई भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य, यथास्थिति, उसके द्वारा शेयर पर संदत्त रकम या कम की गई ऐसी रकम, यदि कोई हो, जिसे उस पर संदत्त किया गया समझा गया है और कमी के आदेश द्वारा यथा नियत शेयर की रकम के बीच के अंतर की, यदि कोई हो, रकम से अधिक रकम के उसके द्वारा धारित किसी शेयर की बाबत कोई मांग या अभिदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।

(8) जहां ऐसे किसी लेनदार का नाम, जो इस धारा के अधीन शेयर पूंजी की कमी के बारे में आक्षेप करने का हकदार है, कमी के लिए कार्यवाहियों या उनकी प्रकृति और ऋण या दावे की बाबत उसके प्रभाव की उसकी अज्ञानता के कारण, लेनदारों की सूची में दर्ज नहीं किया गया है और ऐसी कमी के पश्चात्, कंपनी धारा 271 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत अपने ऋण या दावे की रकम का संदाय करने में असमर्थ है, वहां—

(क) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो रजिस्ट्रार द्वारा कमी के आदेश के रजिस्ट्रीकरण की तारीख को कंपनी का सदस्य था, उस ऋण या दावे के संदाय के लिए उस रकम से अनधिक रकम का अभिदाय करने के लिए दायी होगा, जिसके अभिदाय के लिए वह तब दायी होता, यदि कंपनी ने परिसमापन उक्त तारीख से ठीक पूर्व के दिन को आरंभ किया होता; और

(ख) यदि कंपनी का परिसमापन हो चुका है तो अधिकरण ऐसे लेनदार के आवेदन पर और उसकी यथापूर्वोक्त अज्ञानता के सबूत पर, यदि वह ठीक समझे,

अभिदाय करने के लिए इस प्रकार दायी व्यक्तियों की सूची तय करेगी और सूची पर परिनिर्धारित अभिदाताओं पर मांग और आदेश को इस प्रकार करेगी तथा प्रवृत्त करेगी मानो वे परिसमापन में सामान्य अभिदाता हों ।

(9) उपधारा (8) की कोई बात अभिदाताओं के बीच उनके अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(10) यदि कंपनी का कोई अधिकारी—

(क) जानबूझकर कमी पर आक्षेप करने के लिए हकदार किसी लेनदार के नाम को छिपाता है;

(ख) जानबूझकर किसी लेनदार के ऋण या दावे की प्रकृति या रकम का दुर्व्यपदेशन करता है; या

(ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे छिपाए जाने या दुर्व्यपदेशन को दुष्प्रेरित करता है या उससे संसर्गित है,

तो वह धारा 447 के अधीन दायी होगा ।

(11) यदि कंपनी उपधारा (4) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो वह जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

कंपनी द्वारा अपने शेयरों का क्रय करने या उनके क्रय के लिए उसके द्वारा उधार देने पर निर्बंधन ।

67. (1) शेयरों द्वारा या गारंटी द्वारा परिसीमित और शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी को अपने स्वयं के शेयरों का क्रय करने की तब तक शक्ति नहीं होगी जब तक कि शेयर पूंजी की पारिणामिक कमी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभावित नहीं होती है।

(2) कोई पब्लिक कंपनी, कंपनी में या उसकी नियंत्री कंपनी में किन्हीं शेयरों के या उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए या किए जाने वाले क्रय या अभिदाय के प्रयोजन के लिए या उस संबंध में, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप से और चाहे किसी ऋण, गारंटी, प्रतिभूति के उपबंध के माध्यम से या अन्यथा कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

(3) उपधारा (2) की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) किसी बैंककारी कंपनी द्वारा अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में धन उधार देने;

(ख) कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी में पूर्णतः समादत्त शेयरों के क्रय या अभिदाय के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से और ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार जो विहित की जाएं, कंपनी द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसार किसी कंपनी द्वारा धन का उपबंध करने, यदि न्यासियों द्वारा शेयरों का क्रय या उनके लिए अभिदाय कंपनी के कर्मचारियों द्वारा या उनके फायदे के लिए किया जाता है; या

(ग) किसी कंपनी द्वारा उसके निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से भिन्न कंपनी के नियोजन में के व्यक्तियों को कंपनी में या उसकी नियंत्री कंपनी में पूर्ण रूप से समादत्त शेयरों का क्रय करने या उनके लिए अभिदाय करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के उद्देश्य से उनके छह मास की अवधि के वेतन या मजदूरी से अनधिक रकम के लिए उनके द्वारा फायदाग्राही स्वामित्व के रूप में धारित किए जाने के लिए उन्हें ऋण देने :

परंतु ऐसे शेयरों की बाबत, जिससे स्कीम संबंधित है, कर्मचारियों द्वारा प्रत्यक्षतः प्रयोग न किए गए मताधिकार की बाबत प्रकटन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाएगा।

(4) इस धारा की कोई बात किसी कंपनी के, उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ती कंपनी विधि के अधीन निर्गमित, किन्हीं अधिमानी शेयरों का मोचन करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(5) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो वह कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करने की कंपनी की शक्ति ।

68. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई कंपनी निम्नलिखित में से, अपने स्वयं के शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् क्रय द्वारा वापस लेना कहा गया है) क्रय कर सकेगी—

(क) अपनी मुक्त आरक्षिति;

(ख) प्रतिभूति प्रीमियम लेखा; या

(ग) किन्हीं शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निर्गम के आगम :

परंतु किसी प्रकार के शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उसी प्रकार के शेयरों या उसी प्रकार की अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पूर्ववर्ती निर्गम के आगमों में से क्रय द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा ।

(2) कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन अपने निजी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को तब तक क्रय नहीं करेगी जब तक—

(क) क्रय द्वारा वापस लिए जाने को उसके अनुच्छेदों द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो;

(ख) क्रय द्वारा वापस लिए जाने को प्राधिकृत करते हुए कंपनी के साधारण अधिवेशन में कोई विशेष संकल्प पारित न किया गया हो :

परंतु इस खंड की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां,—

(i) क्रय द्वारा वापस लिया जाना, कंपनी की कुल समादत्त साधारण पूंजी का दस प्रतिशत या कम है और मुक्त आरक्षितियों का दस प्रतिशत या कम है;

(ii) ऐसे क्रय द्वारा वापस लिया जाना बोर्ड द्वारा अपने अधिवेशन में पारित संकल्प के माध्यम से प्राधिकृत किया गया है;

(ग) क्रय द्वारा वापस लिया जाना कंपनी की कुल समादत्त पूंजी और खुली आरक्षिति का पच्चीस प्रतिशत या उससे कम है:

परंतु किसी वित्तीय वर्ष में साधारण शेयरों के क्रय द्वारा वापस लिए जाने के संबंध में इस खंड में पच्चीस प्रतिशत के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस वित्तीय वर्ष में उसकी कुल समादत्त साधारण पूंजी के संबंध में है;

(घ) क्रय द्वारा वापस लिए जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा देय प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋणों के योग का अनुपात समादत्त पूंजी और उसकी खुली आरक्षितियों के दुगुने से अधिक नहीं है :

परंतु केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, कंपनियों के वर्ग या वर्गों के लिए पूंजी से ऋण और खुली आरक्षितियों का उच्चतर अनुपात अधिसूचित कर सकेगी ;

(ङ) क्रय द्वारा वापसी के लिए सभी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से समादत्त हैं;

(च) किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार है; और

(छ) खंड (च) में विनिर्दिष्ट से भिन्न शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में क्रय द्वारा वापसी ऐसे नियमों के अनुसार है, जो विहित किए जाएं :

परंतु इस उपधारा के अधीन क्रय द्वारा वापस लेने की कोई प्रस्थापना, पूर्ववर्ती क्रय द्वारा वापस लेने की प्रस्थापना के बंद होने, यदि कोई हो, की तारीख से गणना की गई एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं की जाएगी।

(3) उस अधिवेशन की सूचना, जिसमें उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन पारित किए जाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तावित है, के साथ निम्नलिखित कथित करते हुए एक स्पष्टीकारक कथन लगा होगा,—

(क) सभी सारवान् तथ्यों का विस्तृत और पूरा प्रकटन;

(ख) क्रय द्वारा वापस लिए जाने की आवश्यकता;

(ग) क्रय द्वारा वापस लिए जाने के अधीन क्रय किए जाने के लिए आशयित शेयरों या प्रतिभूतियों का वर्ग;

(घ) क्रय द्वारा वापस लिए जाने के अधीन विनिधान की जाने वाली रकम; और

(ङ) क्रय द्वारा वापसी पूरी करने के लिए समय-सीमा।

(4) प्रत्येक क्रय द्वारा वापसी, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विशेष संकल्प पारित किए जाने या बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जाएगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन क्रय द्वारा वापसी—

(क) आनुपातिक आधार पर, विद्यमान शेयर धारकों या प्रतिभूति धारकों से;

(ख) खुले बाजार से;

(ग) स्टाक विकल्प या श्रमसाध्य साधारण शेयर की स्कीम के अनुसरण में कंपनी के कर्मचारियों को निर्गमित प्रतिभूतियां क्रय करके,

की जा सकेगी।

(6) जहां कोई कंपनी उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन किसी विशेष संकल्प या उसके परन्तुक के मद (ii) के अधीन किसी संकल्प के अनुसरण में, इस धारा के अधीन अपने ही शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां क्रय द्वारा वापस लेने का प्रस्ताव करती है

वहां, वह ऐसे क्रय द्वारा वापस लिए जाने से पूर्व, कंपनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, यदि कोई हो, हस्ताक्षरित शोधन क्षमता की घोषणा रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास ऐसे प्ररूप में फाइल करेगी, जो विहित किया जाए और शपथ-पत्र द्वारा इस प्रभाव के लिए सत्यापित की जाए कि कंपनी के निदेशक बोर्ड ने कंपनी के मामलों की पूर्ण रूप से जांच कर ली है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने यह राय बनाई है कि कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ है और बोर्ड द्वारा अंगीकृत घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा :

परन्तु ऋण शोधन क्षमता की घोषणा ऐसी किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास फाइल नहीं की जाएगी, जिसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं ।

(7) जहां कंपनी अपने ही शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेती है, वहां वह क्रय द्वारा वापस लेने के पूरा होने की अन्तिम तारीख के सात दिन के भीतर इस प्रकार क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों या प्रतिभूतियों को निर्वापित और वास्तविक रूप से नष्ट करेगी।

(8) जहां कोई कंपनी इस धारा के अधीन अपने शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना पूरा कर लेती है तो वह उसी प्रकार के शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों का, जिनके अन्तर्गत धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नए शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का बोनस निर्गम के रूप में या अधिपत्रों, स्टाक विकल्प स्कीमों, श्रमसाध्य साधारण शेयरों के संपरिवर्तन या अधिमानी शेयरों या डिबेंचरों का साधारण शेयरों में संपरिवर्तन जैसी विद्यमान बाध्यताओं के निर्वहन करने में के सिवाय छह मास के भीतर अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का और निर्गमन नहीं करेगी ।

(9) जहां कंपनी इस धारा के अधीन अपने शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेती है वहां वह इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों का, क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों या प्रतिभूतियों के लिए संदत्त प्रतिफल का, शेयरों या प्रतिभूतियों के रद्दकरण की तारीख का, शेयरों या प्रतिभूतियों को निर्वापित और वास्तविक रूप से नष्ट करने की तारीख का तथा अन्य ऐसी विशिष्टियों का, जो विहित की जाएं, एक रजिस्टर रखेगी।

(10) कोई कंपनी, इस धारा के अधीन क्रय द्वारा वापस लिए जाने के पूरा हो जाने के पश्चात्, ऐसे समापन के तीस दिन के भीतर क्रय द्वारा वापस लिए जाने से संबंधित ऐसी विशिष्टियों वाली एक विवरणी, रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास फाइल करेगी :

परन्तु किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास कोई विवरणी फाइल नहीं की जाएगी।

(11) यदि कोई कंपनी, इस धारा के उपबंधों या उपधारा (2) के खंड (च) के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी विनियम का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करेगी, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा और धारा 70 के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों" के अन्तर्गत कर्मचारी स्टाक विकल्प या ऐसी अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "खुली आरक्षिति" में प्रतिभूति प्रीमियम लेखा सम्मिलित है।

पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे में कतिपय राशियों का अन्तरण।

69. (1) जहां कंपनी खुली आरक्षितियों या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में से अपने ही शेयर क्रय करती है वहां इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों के अभिहित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी और ऐसे अन्तरण के ब्यौरे तुलनपत्र में प्रकट किए जाएंगे।

(2) पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे को कंपनी द्वारा पूर्णतः संदत्त बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को जारी किए जाने वाले कंपनी के अनिर्गमित शेयरों को समादत्त करने में उपयोजित किया जा सकेगा।

कतिपय परिस्थितियों में क्रय द्वारा वापसी के लिए प्रतिषेध ।

70. (1) कोई कंपनी अपने ही शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः —

(क) किसी समनुषंगी कंपनी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत उसकी अपनी समनुषंगी कंपनियां भी हैं;

(ख) किसी विनिधान कंपनी या विनिधान कंपनियों के समूह के माध्यम से; या

(ग) यदि कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् स्वीकृत निक्षेपों के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो किसी शेयर धारक को उस पर ब्याज का संदाय, डिबेंचरों या अधिमानी शेयरों का मोचन या किसी शेयर धारक को लाभांश का संदाय या किसी वित्तीय संस्था या बैंककारी कंपनी को किसी कालिक ऋण या उस पर संदेय ब्याज का प्रतिसंदाय,

क्रय नहीं करेगी:

परंतु क्रय द्वारा वापसी का प्रतिषेध नहीं किया गया है, यदि व्यतिक्रम को उपचारित किया गया है और ऐसे व्यतिक्रम के समाप्त होने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि व्यपगत हो गई है ।

(2) कोई कंपनी, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसके स्वयं के शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करेगी, यदि ऐसी कंपनी ने धारा 92, धारा 123, धारा 127 और धारा 129 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है ।

डिबेंचर।

71. (1) कोई कंपनी ऐसे डिबेंचरों को, मोचन के समय या तो पूर्णतः या भागतः शेयरों में संपरिवर्तित करने के किसी विकल्प के साथ पुरोधृत कर सकेगी:

परन्तु डिबेंचरों का पुरोधरण, ऐसे डिबेंचरों के पूर्णतः या भागतः शेयरों में परिवर्तन के विकल्प सहित, साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(2) कोई कंपनी किसी मतदान अधिकार वाले किसी डिबेंचर को पुरोधृत नहीं करेगी।

(3) प्रतिभूत डिबेंचर, कंपनी द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए पुरोधृत किए जा सकेंगे।

(4) जहां इस धारा के अधीन किसी कंपनी द्वारा डिबेंचर पुरोधृत किए जाते हैं, वहां कंपनी, लाभांश के संदाय के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभों में से एक डिबेंचर मोचन

आरक्षिति लेखा सृजित करेगी और ऐसे लेखे में जमा की गई रकम डिबेंचरों के मोचन के लिए कंपनी द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी।

(5) कोई कंपनी अपने डिबेंचरों के अभिदान के लिए जनता को या, पांच सौ से अधिक अपने सदस्यों को तब तक प्रास्पेक्टस जारी नहीं करेगी या उसकी प्रस्थापना या आमंत्रण नहीं देगी जब तक कंपनी ने ऐसे निर्गम या उसकी प्रस्थापना से पूर्व एक या अधिक डिबेंचर न्यासियों की नियुक्ति न कर दी हो और ऐसे न्यासियों की नियुक्ति को शासित करने वाली शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(6) कोई डिबेंचर न्यासी, डिबेंचरधारियों के हितों की संरक्षा करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, उपाय करेगा।

(7) डिबेंचरों के पुरोधरण को प्रतिभूत करने के लिए किसी न्यास विलेख में या न्यास विलेख द्वारा प्रतिभूत डिबेंचर धारकों के साथ किसी संविदा में अन्तर्विष्ट कोई उपबंध वहां तक शून्य होगा, जहां तक उसका प्रभाव उसके न्यासी को न्यास के भंग के लिए किसी दायित्व से छूट देने का, या उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने का होगा, जहां वह न्यास विलेख के, जो उसको कोई शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार प्रदत्त करते हैं, उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, न्यासी के रूप में उससे अपेक्षित सावधानी और सम्यक् तत्परता दर्शाने में असफल रहता है:

परंतु डिबेंचर न्यासी का दायित्व ऐसी छूटों के अधीन रहते हुए होगा, जो इस प्रयोजन के लिए आयोजित किसी अधिवेशन में कुल डिबेंचरों का कम से कम तीन-चौथाई मूल्य रखने वाले डिबेंचर धारकों के बहुमत द्वारा करार पाई जाएं।

(8) कंपनी ब्याज का संदाय करेगी और डिबेंचरों का उनके पुरोधरण के निबंधन और शर्तों के अनुसार मोचन करेगी।

(9) जहां, किसी समय, डिबेंचर न्यासी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कंपनी की आस्तियां अपर्याप्त हैं या मूलधन को, जब कभी वह शोध्य हो जाता है, चुकाने में संभवतः अपर्याप्त हो सकती है, वहां डिबेंचर न्यासी, अधिकरण के समक्ष याचिका फाइल कर सकेगा और अधिकरण, कंपनी को तथा उस विषय में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को सुनने के पश्चात्, आदेश द्वारा, कंपनी द्वारा किन्हीं और दायित्वों के उपगत होने पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा, जो अधिकरण डिबेंचरधारियों के हित में आवश्यक समझे।

(10) जहां कंपनी डिबेंचरों का, उनकी परिपक्वता की तारीख को, मोचन करने में असफल रहती है या डिबेंचरों पर ब्याज का, जब वह शोध्य हो, संदाय करने में असफल रहती है, वहां अधिकरण, किसी या सभी डिबेंचरधारियों या डिबेंचर न्यासियों के आवेदन पर, और संबद्ध पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, आदेश द्वारा, कंपनी को तत्काल मूलधन और उस पर शोध्य ब्याज का संदाय करने पर डिबेंचरों का मोचन करने का निदेश दे सकेगा।

(11) यदि इस धारा के अधीन अधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का न होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(12) कंपनी के किन्हीं डिबेंचरों को लेने और उनका संदाय करने के लिए कंपनी के साथ की गई संविदा विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री द्वारा प्रवृत्त की जा सकेगी।

(13) केन्द्रीय सरकार, डिबेंचरों का पुरोधरण प्रतिभूत करने के लिए, डिबेंचर न्यास विलेख के प्ररूप, डिबेंचरधारियों के लिए न्यास विलेख का निरीक्षण करने की प्रक्रिया और उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए सृजित की जाने वाली डिबेंचर मोचन आरक्षिति की मात्रा तथा ऐसे अन्य विषयों के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी।

नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति।

72. (1) किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, किसी भी समय, विहित रीति में, किसी ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें उसकी प्रतिभूतियां उसकी मृत्यु की दशा में निहित होंगी।

(2) जहां किसी कंपनी की प्रतिभूतियां संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित की जाती हैं, वहां संयुक्त धारक एक साथ, विहित रीति में, किसी ऐसे व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेंगे, जिसमें सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में प्रतिभूतियों के सभी अधिकार निहित होंगे।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी व्ययन में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में चाहे वसीयती हो या अन्यथा, जहां विहित रीति में किया गया कोई नामनिर्देशन कंपनी की प्रतिभूतियों को किसी व्यक्ति में निहित करने का अधिकार प्रदान करने के लिए तात्पर्यित है, वहां नामनिर्देशिती, यथास्थिति, प्रतिभूतियों के धारक की मृत्यु पर या संयुक्त धारकों की मृत्यु पर, सभी अन्य व्यक्तियों को छोड़कर, ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, यथास्थिति, धारक के या सभी संयुक्त धारकों की प्रतिभूतियों में सभी अधिकारों के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक नामनिर्देशन में विहित रीति में फेरफार नहीं किया जाता है या उसे रद्द नहीं किया जाता है ।

(4) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां नामनिर्देशन करने वाली प्रतिभूतियों के धारक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह अपनी अवयस्कता के दौरान नामनिर्देशिती की मृत्यु की दशा में कंपनी की प्रतिभूतियों का हकदार होने के लिए विहित रीति में किसी व्यक्ति को नियुक्त करे ।

अध्याय 5

कंपनियों द्वारा निक्षेपों का स्वीकार किया जाना

जनता से निक्षेप स्वीकार करने का प्रतिषेध।

73. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ को और उसके पश्चात्, कोई कंपनी इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन जनता से निक्षेप आमंत्रित नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी या उनका नवीकरण नहीं करेगी:

1934 का 2

परंतु इस उपधारा की कोई बात भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथापरिभाषित किसी बैंककारी कंपनी और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी और ऐसी अन्य कंपनी को लागू नहीं होगी, जिसे केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(2) कोई कंपनी, साधारण अधिवेशन में किसी संकल्प के पारित किए जाने के अधीन रहते हुए और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किए जाएं, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर, अपने सदस्यों से निक्षेप स्वीकार कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति, यदि कोई हो या ब्याज सहित ऐसे निक्षेपों के प्रतिसदांय के लिए उपबंध भी हैं, जो कंपनी और उसके सदस्यों के बीच निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए करार पाई जाएं, अर्थात्:—

(क) अपने सदस्यों को परिपत्र जारी करना, जिसके अन्तर्गत उसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, अभिप्राप्त क्रेडिट रेटिंग, निक्षेपकर्ताओं की कुल संख्या तथा कंपनी द्वारा स्वीकृत किन्हीं पूर्ववर्ती निक्षेपों के संबंध में निक्षेपों के मद्दे शोध्य रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दर्शाने वाला विवरण भी है;

(ख) परिपत्र जारी करने की तारीख से पहले तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसे विवरण सहित परिपत्र की एक प्रति फाइल करना;

(ग) ऐसी राशि जमा करना, जो निक्षेप प्रतिसंदाय आरक्षिति लेखा के रूप में ज्ञात किसी अनुसूचित बैंक के किसी पृथक् बैंक खाते में किसी वित्तीय वर्ष और ठीक बाद के वित्तीय वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले उसके निक्षेपों की रकम के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(घ) ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक जो विहित की जाए, ऐसे निक्षेप बीमा का उपबंध करना;

(ङ) यह प्रमाणित करना कि कंपनी ने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् स्वीकार किए गए निक्षेपों के प्रतिसंदाय या ऐसे निक्षेपों पर ब्याज के संदाय में व्यतिक्रम नहीं किया है;

(च) निक्षेप या उस पर ब्याज की रकम के, शोध्य प्रतिसंदाय के लिए ऐसी प्रतिभूति का, यदि कोई हो, उपबंध करना, जिसके अन्तर्गत कम्पनी की सम्पत्ति या उसकी आस्तियों पर ऐसे भार का सृजन भी है :

परन्तु ऐसे मामले में जहां कोई कंपनी निक्षेपों को प्रतिभूत नहीं करती है या आंशिक रूप से ऐसे निक्षेपों को प्रतिभूत करती है वहां निक्षेपों को 'अप्रतिभूत निक्षेप' कहा जाएगा और उनको निक्षेपों के आमंत्रण या स्वीकृति से संबंधित प्रत्येक परिपत्र, प्ररूप, विज्ञापन या किसी दस्तावेज में इसी प्रकार उत्कथित किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रत्येक निक्षेप का उस उपधारा में निर्दिष्ट करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार ब्याज सहित प्रतिसंदाय किया जाएगा।

(4) जहां कंपनी उपधारा (3) के अधीन निक्षेप या उसके भाग का या उस पर किसी ब्याज का प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है, वहां संबद्ध निक्षेपकर्ता कंपनी को ऐसे असंदाय के परिणामस्वरूप उसके द्वारा उपगत किसी हानि या नुकसान के लिए या शोध्य रकम का संदाय करने का निदेश देने वाले आदेश के लिए और ऐसे अन्य आदेशों के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा, जो अधिकरण ठीक समझे।

(5) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निक्षेप प्रतिसंदाय आरक्षिति खाता, निक्षेपों के प्रतिसंदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा।

इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्वीकृत निक्षेपों, आदि का प्रतिसंदाय ।

74. (1) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए किसी निक्षेप के संबंध में, ऐसे प्रारंभ पर ऐसे निक्षेप की रकम या उसका भाग या उस पर शोध्य कोई ब्याज असंदत्त रहता है या तत्पश्चात् किसी समय शोध्य हो जाता है, वहां कंपनी—

(क) कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए सभी निक्षेपों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी या ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनके अधीन निक्षेप स्वीकार किया गया था या किसी विधि के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन ऐसे प्रतिसंदाय के लिए किए गए ठहरावों के साथ उस पर संदेय ब्याज सहित ऐसी रकम पर असंदत्त रही राशियों का एक विवरण ऐसे प्रारंभ से या ऐसी तारीख से जिसको ऐसे संदाय शोध्य होते हैं, तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी; और

(ख) ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर या उस तारीख से, जिसको ऐसे संदाय देय हैं, इनमें जो भी पहले हो, उनका प्रतिसंदाय करेगी।

(2) अधिकरण, कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर, कंपनी की वित्तीय स्थिति, निक्षेप की रकम या उसका भाग, और उस पर संदेय ब्याज और ऐसे अन्य विषयों पर विचार करने

के पश्चात्, कंपनी को निक्षेप का प्रतिसंदाय करने के लिए ऐसा अतिरिक्त समय अनुज्ञात करेगा, जो युक्तियुक्त समझा जाए ।

(3) यदि कंपनी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए, निक्षेप या उसके किसी भाग या उस पर किसी ब्याज का प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है, तो कंपनी, निक्षेप की रकम या उसके भाग और शोध्य ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का न होगा; किन्तु जो दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसे कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

कपट के लिए नुकसानी ।

75. (1) जहां कोई कंपनी धारा 74 में निर्दिष्ट निक्षेप या उसके भाग या उस पर किसी ब्याज का, उस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए, प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है और यह साबित हो जाता है कि निक्षेप, निक्षेपकर्ताओं को कपटवंचित करने के आशय से या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए स्वीकार किए गए थे, वहां कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो ऐसे निक्षेप की स्वीकृति के लिए जिम्मेदार था, उस धारा की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबंधों और धारा 447 के अधीन दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दायित्व की किसी परिसीमा के बिना, ऐसी सभी या किन्हीं हानियों या नुकसानियों के लिए, जो निक्षेपकर्ताओं द्वारा उपगत की गई हों, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा ।

(2) कोई वाद, कार्यवाहियां या अन्य कार्रवाई ऐसे किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह या व्यक्तियों के किसी ऐसे संगम द्वारा की जा सकेंगी, जिन्होंने निक्षेपों या उनके भाग या उस पर किसी ब्याज का प्रतिसंदाय करने में कंपनी की असफलता के परिणामस्वरूप कोई हानि उपगत की थी।

कतिपय कंपनियों द्वारा जनता से निक्षेपों का स्वीकार किया जाना ।

76. (1) धारा 73 में किसी बात के होते हुए भी, कोई पब्लिक कंपनी, जो ऐसा शुद्ध मूल्य या आवर्त रखती है जैसा विहित किया जाए, धारा 73 की उपधारा (2) में उपबंधित अपेक्षाओं के अनुसरण के अधीन रहते हुए और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित करे, उसके सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से निक्षेपों को स्वीकार कर सकेगी :

परंतु ऐसी किसी कंपनी से, जनता से निक्षेपों को आमंत्रित करते समय किसी ऐसे मान्यताप्राप्त प्रत्यय रेटिंग अभिकरण से, जो पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है, रेटिंग (जिसमें देय तारीख को उसके निक्षेपों को संदाय करने के लिए उसके शुद्ध मूल्य, अपाकरण और उसकी योग्यता सम्मिलित है) अभिप्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी और रेटिंग, निक्षेपों की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए अभिप्राप्त की जाएगी :

परंतु यह और कि जनता से प्रतिभूत निक्षेपों को स्वीकार करने वाली प्रत्येक कंपनी, ऐसी स्वीकृति के तीस दिन के भीतर, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, निक्षेप धारकों के पक्ष में स्वीकृत निक्षेपों की रकम से अन्यून किसी रकम की उसकी आस्तियों पर प्रभार सृजित करेगी।

(2) इस अध्याय के उपबंध, इस धारा के अधीन जनता से निक्षेपों को स्वीकार करने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय 6

भारों का रजिस्ट्रीकरण

भार, आदि रजिस्टर करने का कर्तव्य ।

77. (1) भारत के भीतर या उसके बाहर अपनी सम्पत्ति या आस्तियों या अपने उपक्रमों में से किसी उपक्रम पर, चाहे मूर्त हों या अन्यथा और जो भारत में या उसके बाहर स्थित हैं, भार सृजित करने वाली प्रत्येक कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह, ऐसा भार सृजित करने वाली लिखतों, यदि कोई हों, कंपनी और भारधारक द्वारा हस्ताक्षरित भार की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीसों के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके सृजन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करे :

परंतु रजिस्ट्रार, कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसी अतिरिक्त फीसों के संदाय पर, जो विहित की जाए, ऐसे सृजन के तीन सौ दिन की अवधि के भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे सृजन के तीन सौ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो कंपनी, धारा 87 के अनुसार समय के विस्तार की ईप्सा करेगी :

परंतु यह भी कि किसी भार का कोई पश्चात्वर्ती रजिस्ट्रीकरण, भार के वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व किसी संपत्ति के संबंध में अर्जित किसी अधिकार के प्रतिकूल नहीं होगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन भार, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां वह, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, और यथास्थिति, ऐसी कम्पनी को और ऐसे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में भार सृजित किया जाता है, ऐसे भार के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कंपनी द्वारा सृजित किसी भार पर समापक या किसी अन्य लेनदार द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे उपधारा (1) के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं कर दिया जाता है और उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे भार के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र नहीं दे दिया जाता है ।

(4) उपधारा (3) की कोई बात भार के अनुसार प्रतिभूत धनराशि के प्रतिसंदाय के लिए किसी संविदा या बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

78. जहां कंपनी, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के संबंध में अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 77 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भार को रजिस्टर करने में असफल रहती है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में भार सृजित किया जाता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को भार के लिए सृजित लिखत के साथ भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पर, कंपनी को सूचना देने के पश्चात् चौदह दिन की अवधि के भीतर, ऐसी फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण को तब तक अनुज्ञात नहीं कर सकेगा जब तक कि कंपनी भार को स्वयं रजिस्टर नहीं करती है या ऐसा पर्याप्त हेतुक नहीं दर्शाती है कि ऐसा भार क्यों रजिस्टर नहीं किया जाए :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण उस व्यक्ति के आवेदन पर किया जाता है, जिसके पक्ष में भार सृजित किया गया है, वहां वह व्यक्ति भार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार को उसके द्वारा संदत्त किसी फीस या अतिरिक्त फीस की रकम कंपनी से वसूल करने का हकदार होगा।

कतिपय मामलों में धारा 77 का लागू होना ।

79. भारों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित धारा 77 के उपबंध, जहां तक हो सके,—

(क) उस धारा के अर्थ के भीतर भार के अधीन रहते हुए किसी संपत्ति का अर्जन करने वाली कंपनी; या

(ख) उस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भार के निबंधन या शर्तों या विस्तार या प्रवर्तन में किसी उपांतरण,

को लागू होंगे।

भार की सूचना की तारीख।

80. जहां किसी कंपनी की किसी संपत्ति या आस्तियों या उसके उपक्रमों में से किसी उपक्रम पर कोई भार धारा 77 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति, आस्तियों, उपक्रमों या उसके भाग या उसमें किसी अंश या हित को अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से भार की सूचना थी।

रजिस्ट्रार द्वारा भारों का रजिस्टर रखा जाना।

81. (1) रजिस्ट्रार, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्येक कंपनी के संबंध में इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारों की विशिष्टियों वाला एक रजिस्टर रखेगा।

(2) इस धारा के अनुसरण में रखा गया रजिस्टर किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का, जो प्रत्येक निरीक्षण के लिए विहित की जाए, संदाय किए जाने पर, निरीक्षण करने के लिए खुला होगा ।

कंपनी द्वारा भार चुकाए जाने की रिपोर्ट का दिया जाना।

82. (1) कंपनी, रजिस्ट्रार को, इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भार का पूर्ण भुगतान किए जाने या चुकाए जाने की प्रज्ञापना ऐसे भुगतान या चुकाए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विहित प्ररूप में देगी और धारा 77 की उपधारा (1) के उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन दी गई किसी प्रज्ञापना को लागू होंगे ।

(2) रजिस्ट्रार, उपधारा (1) के अधीन प्रज्ञापना की प्राप्ति पर, भार के धारक को, उससे यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना भिजवाएगा कि वह चौदह दिन से अनधिक उतने समय के भीतर, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, हेतुक दर्शित करे कि जिस पूर्ण भुगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना रजिस्ट्रार को दी गई है वह क्यों न अभिलिखित की जाए और यदि ऐसे भार के धारक द्वारा कोई हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार यह आदेश करेगा कि चुकाए जाने का ज्ञापन धारा 81 के अधीन उसके द्वारा रखे गए भारों के रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया जाए और कंपनी को यह सूचित करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है :

परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट सूचना का भेजा जाना अपेक्षित नहीं होगा, यदि इस संबंध में रजिस्ट्रार को प्रज्ञापना विनिर्दिष्ट प्ररूप में है और भार के धारक द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है ।

(3) यदि कोई हेतुक दर्शित किया गया है तो रजिस्ट्रार भारों के रजिस्टर में इस प्रभाव का एक टिप्पण अभिलिखित करेगा और कंपनी को सूचित करेगा ।

(4) इस धारा की किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि कंपनी से प्रज्ञापना होने से अन्यथा वह भारों के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि धारा 83 के अधीन करने की रजिस्ट्रार की शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

कंपनी से प्रज्ञापना के अभाव में चुकाए जाने और निर्मुक्ति विषयक प्रविष्टियां करने की रजिस्ट्रार की शक्ति ।

83. (1) रजिस्ट्रार, किसी रजिस्ट्रीकृत भार के संबंध में उसके समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य दिए जाने पर कि—

(क) ऐसे ऋण का, जिसके लिए भार सृष्ट किया गया था, पूर्णतः या भागतः भुगतान कर दिया गया है या उसे चुका दिया गया है; या

(ख) भारग्रस्त संपत्ति या उपक्रम का भाग भार से निर्मुक्त कर दिया गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का भाग नहीं रह गया है,

भारों के रजिस्टर में, यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः चुकाए जाने का या इस तथ्य का कि संपत्ति या उपक्रम का भाग भार से निर्मुक्त किया जा चुका है या वह कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का भाग नहीं रह गया है, एक ज्ञापन इस तथ्य के होते हुए भी कि कंपनी से उसे उस तथ्य की कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं हुई है, प्रविष्ट कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन रखे गए भारों के रजिस्टर में प्रविष्टि करने के तीस दिन के भीतर प्रभावित पक्षकारों को सूचित करेगा।

रिसीवर या प्रबंधक की नियुक्ति की प्रज्ञापना।

84. (1) यदि कोई व्यक्ति, किसी भार के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी की संपत्ति के रिसीवर की या उस सम्पति का प्रबन्ध करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त करता है या यदि कोई व्यक्ति किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी शक्ति के अधीन ऐसा रिसीवर या व्यक्ति नियुक्त करता है तो वह आदेश पारित करने या नियुक्ति करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, कंपनी और रजिस्ट्रार को, आदेश या लिखत की प्रति सहित, ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा और रजिस्ट्रार विहित फीसों का संदाय किए जाने पर, भारों के रजिस्टर में ऐसे रिसीवर, व्यक्ति या लिखत की विशिष्टियां रजिस्टर करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति से प्रविरत हो जाने पर, उस प्रभाव की सूचना, कंपनी और रजिस्ट्रार को देगा और रजिस्ट्रार ऐसी सूचना को रजिस्टर करेगा ।

कंपनी के भारों का रजिस्टर।

85. (1) प्रत्येक कंपनी, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में ऐसे प्ररूप में या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भारों का एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें प्रत्येक मामले में ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपदर्शित करते हुए, सभी भारों और कंपनी की या उसके उपक्रमों की किसी संपत्ति या आस्तियों को प्रभावित करने वाले प्लवमान भारों को सम्मिलित किया जाएगा :

परन्तु भार सृजित करने वाली लिखत की एक प्रति, भारों के रजिस्टर के साथ कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भी रखी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रखा गया भारों का रजिस्टर और भारों की लिखत—

(क) किसी सदस्य या लेनदार द्वारा फीस का कोई संदाय किए बिना; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किन्हीं ऐसी फीसों के संदाय पर, जो विहित की जाए,

कामकाज के घंटों के दौरान, ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो कंपनी अपने अनुच्छेदों के अनुसार, अधिरोपित करे, निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।

उल्लंघन के लिए दंड।

86. यदि कोई कंपनी इस अध्याय के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगी, तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का न होगा, किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा भारों के रजिस्टर का परिशोधन।

87. (1) केन्द्रीय सरकार का, निम्नलिखित समाधान होने पर कि--

(i) (क) कंपनी द्वारा सृजित किसी भार के विवरण की या किसी ऐसे भार की जिसके अधीन ऐसी कोई सम्पति है, जो कंपनी द्वारा अर्जित की गई है या ऐसे भार के उपांतरण की विशिष्टियां फाइल करने का लोप; या

(ख) इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर किसी भार को रजिस्ट्रीकृत करने का लोप या भार के भुगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर, रजिस्ट्रार को देने का लोप; या

(ग) धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में किसी ऐसे भार या उपांतरण के संबंध में या चुकाए जाने के ज्ञापन के संबंध में या की गई अन्य प्रविष्टि के संबंध में किसी विशिष्टि का लोप या अयथार्थ कथन,

संयोगवश किसी अनवधानता या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण हो गया था या वह इस प्रकार का नहीं है कि उससे कंपनी के लेनदारों या शेयर धारकों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; या

(ii) किन्हीं अन्य आधारों पर, अनुतोष देना न्यायोचित और साम्यापूर्ण है,

तो वह कंपनी या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार को न्यायसंगत और समीचीन प्रतीत हों, यह निदेश दे सकेगी कि भार की विशिष्टियों को फाइल करने के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए या भुगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना देने के लिए समय बढ़ाया जाए या जैसा अपेक्षित हो, उस लोप या अयथार्थ कथन को परिशोधित किया जाए ।

(2) जहां, केन्द्रीय सरकार किसी भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय बढ़ाती है, वहां भार के, वास्तव में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व संपृक्त संपत्ति के संबंध में अर्जित किन्हीं अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव उस आदेश से नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 7

प्रबंध और प्रशासन

सदस्यों, आदि का रजिस्टर ।

88. (1) प्रत्येक कंपनी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित रजिस्टर रखेगी और उन्हें बनाए रखेगी, अर्थात्:—

(क) भारत में या भारत से बाहर निवास कर रहे प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित साधारण और अधिमानी शेयरों के प्रत्येक वर्ग को पृथक् रूप से उपदर्शित करने वाला सदस्यों का रजिस्टर;

(ख) डिबेंचर धारकों का रजिस्टर; और

(ग) किन्हीं अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए रखे गए प्रत्येक रजिस्टर में उसमें सम्मिलित नामों की अनुक्रमणिका होगी ।

1996 का 22

(3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन किसी निक्षेपागार द्वारा बनाए रखे गए हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर और अनुक्रमणिका को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्समान रजिस्टर और अनुक्रमणिका समझा जाएगा ।

(4) कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए, भारत से बाहर किसी देश में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट "विदेशी रजिस्टर" नामक रजिस्टर का एक भाग रख सकेगी, जिसमें भारत से बाहर निवास कर रहे सदस्यों, डिबेंचर धारकों, अन्य प्रतिभूति धारकों या हिताधिकारी स्वामियों के नाम तथा विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी ।

(5) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर नहीं रखती है या उसे बनाए रखने में असफल रहती है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है वहां ऐसे और जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

किसी शेयर में फायदाप्रद हित के संबंध में घोषणा ।

89. (1) जहां किसी व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में, उस कंपनी के शेयरों के धारक के रूप में प्रविष्ट किया जाता है, किन्तु वह ऐसे शेयरों में फायदाप्रद हित धारण नहीं करता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, कंपनी को, उस व्यक्ति का, जो ऐसे शेयरों में फायदाप्रद हित धारण करता है, नाम तथा उसकी अन्य विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, एक घोषणा करेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी कंपनी के किसी शेयर में फायदाप्रद हित धारण करता है या अर्जित करता है, अपने हित के स्वरूप, उस व्यक्ति की विशिष्टियां, जिसके नाम में कंपनी की बहियों में शेयर रजिस्ट्रीकृत हैं और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए कंपनी को एक घोषणा करेगा ।

(3) जहां ऐसे शेयरों के फायदाप्रद हित में कोई परिवर्तन होता है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट हिताधिकारी स्वामी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर, कंपनी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसे विशिष्टियों वाली, जो विहित की जाएं, एक घोषणा करेंगे ।

(4) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन फायदाप्रद हित और हिताधिकारी के रूप में स्वामित्व धारण करने और उसका प्रकटन करने की रीति उपबंधित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा करने में, असफल रहता है वह ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है वहां ऐसे और जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(6) जहां इस धारा के अधीन कोई घोषणा किसी कंपनी को की जाती है, वहां कंपनी संबद्ध रजिस्टर में ऐसी घोषणा का उल्लेख करेगी और उसके द्वारा घोषणा की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसी घोषणा के संबंध में विहित प्ररूप में, ऐसी फीस या अतिरिक्त फीस के साथ, जो विहित की जाए, धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार के पास विवरणी फाइल करेगी।

(7) यदि कोई कंपनी जिससे उपधारा (6) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है, धारा 403 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति से पूर्व ऐसा करने में असफल रहती है तो वह कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है वहां ऐसे और जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(8) किसी ऐसे शेयर के संबंध में कोई अधिकार, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन किसी घोषणा का किया जाना अपेक्षित है, किन्तु हिताधिकारी स्वामी द्वारा नहीं की गई है, उसके द्वारा या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा।

(9) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कंपनी के सदस्यों को लाभांश का संदाय करने की उसकी बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी और उक्त बाध्यता, ऐसा संदाय किए जाने पर उन्मोचित हो जाएगी।

90. जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने के लिए कारण हैं, वहां वह किसी शेयर या शेयरों के वर्ग के संबंध में हिताधिकारी के रूप में स्वामित्व का अन्वेषण करने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी और, यथाशक्य, धारा 216 के उपबंध ऐसे अन्वेषण को इस प्रकार लागू होंगे, मानो अन्वेषण उस धारा के अधीन आदेशित किया गया था । कतिपय मामलों में शेयरों के हिताधिकारी स्वामित्व का अन्वेषण।

91. (1) कोई कंपनी, सदस्यों के रजिस्टर या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर या अन्य प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर को, प्रत्येक वर्ष में किसी ऐसी अवधि या अवधियों, जो कुल पैंतालीस दिनों से अधिक न हों किन्तु किसी एक समय में तीस दिन से अधिक न हों, के लिए ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों या कंपनियों के लिए, जो अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचीबद्ध करने का आशय रखती है, कम से कम सात दिन या ऐसी लघुतर अवधि, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की पूर्व सूचना देने के अध्यधीन, बंद कर सकेगी। सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर को बंद करने की शक्ति ।

(2) यदि सदस्यों का या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना दिए बिना या इस प्रकार उपबंधित सूचना से कम अवधि की सूचना देने के पश्चात् या उस उपधारा में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की निरंतर या कुल अवधि के लिए बन्द कर दिया जाता है, तो कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान रजिस्टर बन्द रखा जाता है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।

92. (1) प्रत्येक कंपनी विहित प्ररूप में एक विवरणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् वार्षिक विवरणी कहा गया है) तैयार करेगी, जिसमें वे विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर— वार्षिक विवरणी ।

(क) उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्रधान कारबार संबंधी क्रियाकलापों, उसकी नियंत्री, समनुषंगी और सहयुक्त कंपनियों ;

(ख) उसके शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां तथा शेयर धारण क्रम;

(ग) उसकी ऋणिता;

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत से उसमें किए गए परिवर्तनों सहित उसके सदस्यों तथा डिबेंचर धारियों;

(ङ) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत से उसमें किए गए परिवर्तनों सहित उसके संप्रवर्तकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों;

(च) उपस्थिति के ब्यौरे सहित सदस्यों या उसके किसी वर्ग, बोर्ड और उसकी विभिन्न समितियों के अधिवेशनों;

(छ) निदेशकों और मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक;

(ज) कम्पनी, उसके निदेशकों या अधिकारियों पर अधिरोपित की गई शास्ति या दंड और अपराधों का शमन करने के ब्यौरे और ऐसी शास्ति और दंड के विरुद्ध की गई अपीलों;

(झ) अनुपालनों, प्रकटनों के प्रमाणीकरण संबंधी ऐसे मामलों, जो विहित किए जाएं;

(ञ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं द्वारा या उनकी ओर से धारित शेयरों के संबंध में उनके नामों, पतों, निगमन, रजिस्ट्रीकरण के देशों और उनके द्वारा धारित शेयर धारिता की प्रतिशतता उपदर्शित करते हुए ऐसे ब्यौरें, जो विहित किए जाएं; और

(ट) ऐसे अन्य विषयों, जो विहित किए जाएं,

के संबंध में विद्यमान थीं और वह निदेशक और कम्पनी सचिव, या जहां कम्पनी सचिव नहीं है वहां व्यवसायरत कम्पनी सचिव द्वारा, हस्ताक्षरित होगी :

परन्तु एक व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी के संबंध में वार्षिक विवरणी, कंपनी सचिव द्वारा या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है वहां कंपनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

(2) किसी सूचीबद्ध कम्पनी द्वारा या ऐसी समादत्त पूंजी और आवर्त, जो विहित किया जाए, वाली कम्पनी द्वारा फाइल की गई वार्षिक विवरणी, व्यवसायरत कम्पनी सचिव द्वारा विहित प्ररूप में यह कथन करते हुए सत्यापित की जाएगी कि वार्षिक विवरणी में तथ्यों का सही और पर्याप्त रूप से कथन किया गया है और कम्पनी ने इस अधिनियम के सभी उपबंधों का पालन किया है ।

(3) वार्षिक विवरणी का उद्धरण ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, बोर्ड की रिपोर्ट का भाग बनेगा ।

(4) प्रत्येक कम्पनी, उस तारीख से जिसको वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाता है, साठ दिन के भीतर, या जहां किसी वर्ष में कोई वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया है, वहां उस तारीख से जिसको वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाना चाहिए था, साठ दिन के भीतर, वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करने वाले विवरण के साथ वार्षिक विवरणी की प्रति ऐसी फीस या अतिरिक्त फीस के साथ जो विहित की जाए, धारा 403 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल करेगी ।

(5) यदि कोई कंपनी धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, अतिरिक्त फीस के साथ उपधारा (4) के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी फाइल करने में असफल रहती है तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, छह मास के कारावास से, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(6) यदि व्यवसायरत कम्पनी सचिव इस धारा या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की अनुरूपता से भिन्न वार्षिक विवरणी को प्रमाणित करता है, वहां वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

प्रवर्तकों के पण परिवर्तनों की दशा में रजिस्ट्रार के यहां विवरणी का फाइल किया जाना ।

93. प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, ऐसी कंपनी के प्रवर्तकों और दस उच्च शेयर धारकों द्वारा धृत शेयरों (अंशों) की संख्या में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के पंन्द्रह दिन के भीतर विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार के यहां विवरणी फाइल करेगी।

रजिस्टरों, विवरणियों, आदि के रखे जाने का स्थान और निरीक्षण ।

94. (1) धारा 88 के अधीन कम्पनी द्वारा रखे जाने और उनका अनुरक्षण किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों और धारा 92 के अधीन फाइल की गई वार्षिक विवरणी की प्रतियां, कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी :

परंतु ऐसे रजिस्टर या विवरणी की प्रतियां, यदि कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित की गई हों और प्रस्तावित विशेष संकल्प की एक प्रति रजिस्ट्रार को अग्रिम में दी गई हो तो, भारत में ऐसे किसी अन्य स्थान पर भी रखी जा सकेंगी, जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट कुल सदस्यों के एक बटा दस से अधिक सदस्य निवास करते हैं :

परन्तु यह और कि वह अवधि, जिसके लिए रजिस्टर, विवरणियां, अभिलेख, आदि का रखा जाना अपेक्षित है, ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।

(2) रजिस्टर और उनकी अनुक्रमणिकाएं, उस दशा के सिवाय, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बंद कर दी गई हों और सभी विवरणियों की प्रतियां, कामकाज के समय के दौरान, किसी सदस्य, डिबेंचरधारी, अन्य प्रतिभूति धारक या फायदाग्राही स्वामी द्वारा किसी फीस का संदाय किए बिना और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का संदाय करके, जो विहित की जाए, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी ।

(3) ऐसा कोई सदस्य, डिबेंचरधारी, अन्य प्रतिभूति धारक या फायदाग्राही स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति,—

(क) किसी रजिस्टर या अनुक्रमणिका या विवरणी से, किसी फीस के संदाय के बिना, उद्धरण ले सकेगा; या

(ख) ऐसे किसी रजिस्टर या उसमें की प्रविष्टियों की या विवरणी की प्रति की, ऐसी फीस जो विहित की जाए देकर, दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) यदि इस धारा के अधीन अपेक्षित कोई निरीक्षण करने या कोई उद्धरण या प्रति तैयार करने से इंकार कर दिया जाता है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम के लिए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान इंकार या व्यतिक्रम जारी रहता है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, एक हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा ।

(5) केंद्रीय सरकार भी, आदेश द्वारा, दस्तावेज के अव्यवहित निरीक्षण का निदेश दे सकेगी या यह निदेश दे सकेगी कि जो उद्धरण लेने की मांग की गई है, वह तत्काल उस व्यक्ति को लेने दिया जाए, जिसने उसकी अपेक्षा की है।

रजिस्टरों, आदि का साक्ष्य होना ।

95. धारा 88 और धारा 94 के अधीन बनाए रखे गए रजिस्टर, उनकी अनुक्रमणिकाएं और वार्षिक विवरणियों की प्रतियां, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसमें अंतःस्थापित किए जाने के लिए निदेशित या प्राधिकृत किसी विषय की प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होंगी ।

वार्षिक साधारण अधिवेशन ।

96. (1) एक व्यक्ति कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष में, किन्हीं अन्य अधिवेशनों के अतिरिक्त, अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन के रूप में एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी और अधिवेशन को बुलाने वाली सूचनाओं में उसे उस रूप में विनिर्दिष्ट करेगी और कंपनी के एक वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख और आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख के बीच पन्द्रह मास से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा :

परंतु प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन की दशा में, उसे कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से नौ मास की अवधि के भीतर और किसी अन्य दशा में, वित्तीय वर्ष की अंत की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि कोई कंपनी पूर्वोक्तानुसार अपना प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करती है तो कंपनी के लिए अपने निगमन के वर्ष में कोई वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करना आवश्यक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि रजिस्ट्रार, किसी विशेष कारण से, उस समय को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जिसके भीतर पहले वार्षिक साधारण अधिवेशन से भिन्न कोई वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन ऐसे किसी दिन को, जो राष्ट्रीय अवकाश का दिन नहीं है, कामकाज के समय के दौरान अर्थात् 9 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न के बीच, बुलाया जाएगा और कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या उस शहर, नगर या ग्राम के भीतर किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परंतु केंद्रीय सरकार, किसी कंपनी को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करे, इस उपधारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "राष्ट्रीय अवकाश" से केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित कोई दिन अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है।

वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाने की अधिकरण की शक्ति।

97. (1) यदि धारा 96 के अधीन किसी कंपनी का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करने में कोई व्यतिक्रम किया गया है तो अधिकरण, इस अधिनियम या कंपनी के अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के किसी सदस्य के आवेदन पर, कंपनी का वार्षिक साधारण अधिवेशन बुला सकेगा या बुलाने का निदेश दे सकेगा और ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक निदेश दे सकेगा, जो अधिकरण समीचीन समझे :

परंतु ऐसे निदेशों में यह निदेश भी सम्मिलित हो सकेगा कि व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित कंपनी के किसी एक सदस्य से अधिवेशन का गठन हुआ समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में आयोजित साधारण अधिवेशन को, अधिकरण के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कंपनी का वार्षिक साधारण अधिवेशन समझा जाएगा ।

सदस्यों, आदि के अधिवेशन बुलाने की अधिकरण की शक्ति।

98. (1) यदि किसी कारण से किसी कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन से भिन्न कोई अधिवेशन ऐसी रीति में बुलाना, जिसमें कंपनी के अधिवेशन बुलाए जा सकेंगे या इस अधिनियम या कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा विहित रीति में कंपनी का अधिवेशन आयोजित या संचालित करना, असाध्य है तो अधिकरण, स्वप्रेरणा से या कंपनी के किसी निदेशक या ऐसे किसी सदस्य के आवेदन पर, जो अधिवेशन में मत देने के लिए हकदार होगा,—

(क) ऐसी रीति में कंपनी का अधिवेशन बुलाने, आयोजित और संचालित किए जाने का आदेश दे सकेगा, जो अधिकरण ठीक समझे; और

(ख) ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक निदेश दे सकेगा, जो अधिकरण समीचीन समझे, जिसके अंतर्गत अधिवेशन बुलाने, आयोजित और संचालित करने के संबंध में, इस अधिनियम या कंपनी अनुच्छेदों के उपबंधों के प्रवर्तन का उपांतरण करने वाले या अनुपूरक निदेश भी हैं :

परंतु ऐसे निदेशों में, यह निदेश भी सम्मिलित हो सकेगा कि व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित कंपनी के किसी एक सदस्य से अधिवेशन का गठन हुआ समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में बुलाया गया, आयोजित और संचालित कोई अधिवेशन सभी प्रयोजनों के लिए कंपनी का सम्यक् रूप से बुलाया गया, आयोजित और संचालित अधिवेशन समझा जाएगा ।

99. यदि धारा 96 या धारा 97 या धारा 98 के अनुसार कंपनी का अधिवेशन आयोजित करने में या अधिकरण के किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाएगा तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और व्यतिक्रम जारी रहने की दशा में, ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । धारा 96 से धारा 98 के उपबंधों के अनुपालन में व्यतिक्रम के लिए दंड ।

100. (1) बोर्ड, जब कभी वह ठीक समझे, कंपनी का असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा । असामान्य साधारण अधिवेशन का बुलाया जाना ।

(2) बोर्ड, निम्नलिखित द्वारा की गई अध्यपेक्षा पर—

(क) शेयर (अंश) पूंजी वाली किसी कंपनी की दशा में सदस्यों की ऐसी संख्या, जो अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख को कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी के ऐसे एक बटा दस से अन्यून शेयर धारित करते हैं, जिनको उस तारीख को मताधिकार हैं;

(ख) शेयर पूंजी न रखने वाली किसी कंपनी की दशा में, सदस्यों की ऐसी संख्या, जिनके पास अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख को, उक्त तारीख को मताधिकार वाले सभी सदस्यों की कुल मतदान शक्ति के एक बटा दस से अन्यून मताधिकार हैं,

उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कंपनी का असामान्य साधारण अधिवेशन बुलाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गई अध्यपेक्षा में उन विषयों को उपवर्णित किया जाएगा, जिन पर विचार किए जाने के लिए अधिवेशन बुलाया जाना है और वह अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी जाएगी ।

(4) यदि बोर्ड, किसी विषय के संबंध में विधिमान्य अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर, ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्चात् किसी दिन को उस विषय पर विचार करने के लिए कोई अधिवेशन बुलाने की कार्यवाही नहीं करता है तो अधिवेशन अध्यपेक्षा की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा स्वयं बुलाया और आयोजित किया जा सकेगा ।

(5) अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा उपधारा (4) के अधीन कोई अधिवेशन उसी रीति से बुलाया या आयोजित किया जाएगा जिस रीति से कोई अधिवेशन बोर्ड द्वारा बुलाया और आयोजित किया जाता है।

(6) उपधारा (4) के अधीन कोई अधिवेशन बुलाने में अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा उपगत किसी युक्तियुक्त व्यय की, कंपनी द्वारा अध्यपेक्षाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की जाएगी और इस प्रकार संदत्त राशियों की, ऐसे निदेशकों को, जिन्होंने उस अधिवेशन को बुलाने में व्यतिक्रम किया था, धारा 197 के अधीन संदेय किसी फीस या अन्य पारिश्रमिक से कटौती की जाएगी।

101. (1) कंपनी का साधारण अधिवेशन, कम से कम इक्कीस दिन की लिखित में या इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से, स्पष्ट सूचना देकर, ऐसी रीति में बुलाया जा सकेगा, जो विहित की जाए : अधिवेशन की सूचना।

परंतु कोई साधारण अधिवेशन अल्पकालिक सूचना देने के पश्चात् बुलाया जा सकेगा, यदि ऐसे अधिवेशन में मत देने के लिए हकदार सदस्यों में से पचानवें प्रतिशत से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक ढंग से सहमति दे दी जाती है ।

(2) किसी अधिवेशन की प्रत्येक सूचना में अधिवेशन का स्थान, तारीख, दिन और समय विनिर्दिष्ट होगा और ऐसे अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले कारबार का एक विवरण अंतर्विष्ट होगा ।

(3) कंपनी के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना—

(क) कंपनी के प्रत्येक सदस्य, किसी मृत सदस्य के विधिक प्रतिनिधि या किसी दिवालिया सदस्य के समनुदेशितियों को;

(ख) कंपनी संपरीक्षक या संपरीक्षकों को; और

(ग) कंपनी के प्रत्येक निदेशक को,

दी जाएगी ।

(4) किसी सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो ऐसी सूचना का हकदार है, किसी अधिवेशन की सूचना देने में किसी आकस्मिक लोप या उसके द्वारा ऐसी सूचना के प्राप्त न किए जाने से, अधिवेशन की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी ।

सूचना के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण।

102. (1) किसी साधारण अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले विशेष कारबार की प्रत्येक मद से संबंधित निम्नलिखित तात्त्विक तथ्यों को उपवर्णित करने वाला एक विवरण ऐसा अधिवेशन बुलाने वाली सूचना से संलग्न किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) निम्नलिखित की प्रत्येक मद के संबंध में समुत्थान का स्वरूप या हित, वित्तीय या अन्यथा, यदि कोई हो,—

(i) प्रत्येक निदेशक और प्रबन्धक, यदि कोई हो;

(ii) प्रत्येक अन्य मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक; और

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में वर्णित व्यक्तियों के नातेदार;

(ख) ऐसी अन्य सूचना और तथ्य जो सदस्यों को, कारबार की मदों के अर्थ, विस्तार और विविक्षाओं को समझने में और उन पर विनिश्चय करने में समर्थ बना सकें।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन की दशा में, निम्नलिखित से भिन्न उसमें संव्यवहृत सभी कारबारों को विशेष समझा जाएगा—

(i) वित्तीय विवरणों और निदेशक बोर्ड और संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना;

(ii) किसी लाभांश की घोषणा करना;

(iii) निवृत्त होने वाले निदेशकों के स्थान पर नए निदेशकों की नियुक्ति करना;

(iv) संपरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनके पारिश्रमिक नियत करना; और

(ख) किसी अन्य अधिवेशन की दशा में, सभी कारबार विशेष समझे जाएंगे :

परंतु जहां कंपनी के अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले विशेष कारबार की कोई मद, किसी अन्य कंपनी से संबंधित है या उसे प्रभावित करती है, वहां प्रथम उल्लिखित कंपनी के प्रत्येक प्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक यदि कोई हो और प्रत्येक अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के उस अन्य कंपनी में शेयर धारण के हित की सीमा को भी, यदि ऐसे शेयर धारण की सीमा, उस कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अन्यून है, विवरण में उपवर्णित किया जाएगा ।

(3) जहां कारबार की कोई मद, ऐसे किसी दस्तावेज के प्रतिनिर्देश करती है, जिस पर अधिवेशन में विचार किया जाना है, वहां उपधारा (1) के अधीन विवरण में वह समय और स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जहां ऐसे दस्तावेज का निरीक्षण किया जा सकता है ।

(4) जहां किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा किए गए उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवरण के, यदि कोई हो, अप्रकटीकरण या अपर्याप्त प्रकटन के परिणामस्वरूप ऐसे संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य

प्रबंधकीय कार्मिक या उसके नातेदारों को या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा प्रोद्भूत होता है, वहां, यथास्थिति, ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, कंपनी के लिए न्यास के रूप में उस फायदे को धारित करेगा और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके द्वारा प्राप्त किए गए फायदे की सीमा तक कंपनी की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा ।

(5) यदि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया गया है, तो प्रत्येक ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबन्धकार कार्मिक जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए का या संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके किन्हीं नातेदारों को प्रोद्भूत होने वाले फायदे की रकम के पांच गुना तक का हो सकेगा, इनमें से जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा ।

अधिवेशन के लिए गणपूर्ति ।

103. (1) जब तक कंपनी के अनुच्छेद अधिक संख्या का उपबंध न करते हों,—

(क) पब्लिक कंपनी की दशा में,—

(i) यदि अधिवेशन की तारीख को सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्यों से ;

(ii) यदि अधिवेशन की तारीख को सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक है किंतु पांच हजार तक है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पन्द्रह सदस्यों से;

(iii) यदि अधिवेशन की तारीख को सदस्यों की संख्या पांच हजार से अधिक है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीस सदस्यों से ;

(ख) प्राइवेट कंपनी की दशा में, वैयक्तिक रूप से उपस्थित दो सदस्यों से, कंपनी के अधिवेशन की गणपूर्ति होगी ।

(2) यदि कंपनी का अधिवेशन आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है, तो,—

(क) अधिवेशन, अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर या ऐसी अन्य तारीख को और ऐसे अन्य समय और स्थान पर होने के लिए स्थगित हो जाएगा, जो बोर्ड अवधारित करे; या

(ख) अधिवेशन, यदि धारा 100 के अधीन अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा बुलाया गया है तो रद्द हो जाएगा :

परंतु खंड (क) के अधीन स्थगित अधिवेशन या अधिवेशन के दिन, समय या स्थान के परिवर्तन की दशा में, कंपनी, सदस्यों को या तो व्यक्तिगत रूप से या ऐसे समाचारपत्रों में (एक अंग्रेजी और एक जनभाषा में), जो ऐसे स्थान पर परिचालन में है जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, विज्ञापन के प्रकाशन द्वारा तीन दिन से अन्यून की सूचना देगी ।

(3) यदि आस्थगित अधिवेशन में भी अधिवेशन को आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

अधिवेशनों का सभापति ।

104. (1) जब तक कि कंपनी के अनुच्छेदों में अन्यथा उपबंधित न हो, अधिवेशन में वैयक्तिक रूप से उपस्थित सदस्य हाथ उठाकर अपने में से एक सदस्य को सभापति निर्वाचित करेंगे ।

(2) यदि सभापति के निर्वाचन के संबंध में मतदान की मांग की जाती है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तुरंत कराया जाएगा और उपधारा (1) के अधीन हाथ उठाकर निर्वाचित हुआ सभापति तब तक अधिवेशन का सभापति बना रहेगा, जब तक मतदान के परिणामस्वरूप कोई अन्य व्यक्ति सभापति निर्वाचित नहीं होता है और ऐसा अन्य व्यक्ति शेष अधिवेशन के लिए सभापति होगा ।

परोक्षी ।

105. (1) कंपनी के अधिवेशन में हाजिर होने और मत देने का हकदार कंपनी का

कोई सदस्य, किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से अधिवेशन में हाजिर होने और मत देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा :

परंतु परोक्षी को ऐसे अधिवेशन में बोलने का अधिकार नहीं होगा और परोक्षी को मतदान के सिवाय मत देने का हक नहीं होगा :

परंतु यह और कि जब तक कि किसी कंपनी के अनुच्छेद में अन्यथा उपबंधित न हो, तब तक यह उपधारा शेयर पूंजी न रखने वाली कंपनी की दशा में लागू नहीं होगी :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, ऐसी कंपनियों के वर्ग या वर्गों को विहित कर सकेगी जिनके सदस्यों को परोक्षी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का हक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि परोक्षी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे सदस्य या पचास से अनधिक सदस्यों और उतने शेयरों, जो विहित किए जाएं, की ओर से कृत्य करेगा।

(2) किसी ऐसी कंपनी के, जो शेयर पूंजी रखती है, या अनुच्छेदों में जिसके अधिवेशन में परोक्षी द्वारा मतदान के लिए उपबंध करते हैं, अधिवेशन बुलाने वाली प्रत्येक सूचना में युक्तियुक्त प्रमुखता से यह विवरण होगा कि हाजिर होने और मतदान करने के लिए हकदार कोई सदस्य किसी परोक्षी को नियुक्त करने के लिए हकदार है या उस दशा में जहां उसको अनुज्ञात किया गया है, स्वयं के स्थान पर हाजिर होने और मतदान करने के लिए एक या अधिक परोक्षियों को अनुज्ञात किया गया है और किसी परोक्षी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

(3) यदि उपधारा (2) के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसने व्यतिक्रम किया है ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) किसी कंपनी के अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट ऐसा कोई उपबंध, जो परोक्षी नियुक्त करने की किसी लिखत को या परोक्षी की नियुक्ति संबंधी किसी अन्य ऐसे दस्तावेजों, जो परोक्षी की नियुक्ति की विधिमान्यता को दर्शित करने के लिए आवश्यक है या उससे अन्यथा संबंधित है, कंपनी के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास इस उद्देश्य से निक्षिप्त करने के लिए कि वह नियुक्ति ऐसे अधिवेशन में प्रभावी हो सके, कंपनी के किसी अधिवेशन से पूर्व अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि विनिर्दिष्ट करता है या अपेक्षित करता है, ऐसे प्रभावी होगा मानो ऐसे उपबंध में, ऐसे निक्षेप के लिए अड़तालीस घंटे की कोई अवधि विनिर्दिष्ट या उसके द्वारा अपेक्षित की गई हो ।

(5) किसी कंपनी के किसी अधिवेशन के प्रयोजन के लिए, आमंत्रणों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों की संख्या में से एक व्यक्ति को परोक्षी के रूप में नियुक्त करने के लिए आमंत्रण किसी ऐसे सदस्य को कंपनी के खर्च पर जारी किए जाते हैं जो उसको भेजे गए अधिवेशन के नोटिस को प्राप्त करने और परोक्षी द्वारा अधिवेशन में मतदान करने का हकदार है, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो उपरोक्त आमंत्रणों को जानबूझकर जारी करता है या उसको जारी करने को जानबूझकर प्राधिकृत करता है या अनुज्ञात करता है, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु कोई अधिकारी, इस उपधारा के अधीन केवल किसी सदस्य को उसे परोक्षी नामित करने की नियुक्ति के प्ररूप के लिखित में उसके अनुरोध पर जारी करने या परोक्षियों के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की, यदि प्ररूप या सूची परोक्षी द्वारा अधिवेशन में मतदान करने के हकदार प्रत्येक सदस्य को लिखित में किए गए अनुरोध पर उपलब्ध है, के कारण दंडनीय नहीं होगा।

(6) किसी परोक्षी को नियुक्त करने वाली लिखत,—

(क) लिखित रूप में होगी; और

(ख) नियुक्तिकर्ता द्वारा या लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी या यदि नियुक्तिकर्ता कोई निगमित निकाय है तो उसकी मुद्रा से युक्त होगी या ऐसे किसी अधिकारी या उसके, द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

(7) किसी परोक्षी को नियुक्त करने वाली कोई लिखत, यदि ऐसे प्ररूप में है जो विहित की जाए, इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि किसी कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा ऐसी लिखत के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं विशेष अपेक्षाओं का अनुपालन करने में वह असफल है ।

(8) कंपनी के अधिवेशन में या उसमें लाए गए किसी संकल्प पर मतदान करने के लिए हकदार प्रत्येक सदस्य अधिवेशन के प्रारंभ के लिए नियत समय से चौबीस घंटे पूर्व आरंभ होने वाली और अधिवेशन के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उन परोक्षियों का, जो निर्दिष्ट किए गए थे, कंपनी के कामकाज के समय के दौरान किसी समय निरीक्षण करने के लिए हकदार होगा परंतु इस प्रकार निरीक्षण करने के अपने आशय की लिखित में तीन दिन से अन्यून की सूचना कंपनी को दी गई हो ।

मतदान के अधिकारों पर निर्बन्धन ।

106. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के अनुच्छेद यह उपबंध कर सकेंगे कि कोई सदस्य अपने नाम में रजिस्ट्रीकृत ऐसे किन्हीं शेयरों के संबंध में किसी मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, जिन पर वर्तमान में उसके द्वारा संदेय कोई मांग राशियां या अन्य राशियां संदत्त नहीं की गई हैं या जिनके संबंध में कंपनी ने किसी धारणाधिकार का प्रयोग किया है ।

(2) कोई कंपनी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों के सिवाय किसी अन्य आधार पर किसी सदस्य को उसके मताधिकार का प्रयोग करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी ।

(3) किसी कंपनी के अधिवेशन में कराए गए मतदान पर एक से अधिक मत देने का हकदार कोई सदस्य या, यथास्थिति, उसका परोक्षी, जहां अनुज्ञात किया गया है या उसके लिए मत देने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति को, यदि वह मत देता है, तो अपने सभी मतों का प्रयोग करने या उसके द्वारा प्रयोग किए गए सभी मतों को एक ही प्रकार से प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा।

हाथ उठाकर मत देना ।

107. (1) किसी साधारण अधिवेशन में, उस अधिवेशन के मत के लिए रखा गया कोई संकल्प, जब तक धारा 109 के अधीन मतदान की मांग नहीं की गई हो या इलैक्ट्रोनिक रूप से मतदान न करवाया गया हो, हाथ उठाकर विनिश्चित किया जाएगा ।

(2) अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन हाथ उठाकर या अन्यथा की गई किसी संकल्प को पारित करने की घोषणा और कंपनी के अधिवेशन के कार्यवृत्त को अन्तर्विष्ट करने वाली पुस्तकों में उस प्रभाव की प्रविष्टि, ऐसे संकल्प के पारित किए जाने या अन्यथा के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी ।

इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से मतदान ।

108. केन्द्रीय सरकार, कंपनी के वर्ग या वर्गों को और ऐसी रीति को जिसमें कोई सदस्य इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा अपने मत का प्रयोग कर सकेगा, विहित कर सकेगी ।

मतदान के लिए मांग।

109. (1) किसी संकल्प पर हाथ उठाकर मत देने के परिणाम की घोषणा के पूर्व या उसकी घोषणा पर अधिवेशन के सभापति द्वारा, स्वप्रेरणा से, मतदान किए जाने का आदेश किया जा सकेगा और निम्नलिखित द्वारा, उस निमित्त की गई मांग पर उसके द्वारा कराए जाने का आदेश किया जाएगा,—

(क) शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी की दशा में, व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा, जहां अनुज्ञात किया गया है, उपस्थित और कुल मतदान शक्ति का एक बटा दस से अन्यून वाले या ऐसे शेयर धारित करने वाले, जिन पर पांच लाख रुपए से अन्यून कुल राशि या ऐसी उच्चतर रकम जो विहित की जाए, संदत्त की गई हो, सदस्यों द्वारा; और

(ख) किसी अन्य कंपनी की दशा में, व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा, जहां अनुज्ञात किया गया है, उपस्थित और कुल मतदान शक्ति का एक बटा दस से अन्यून रखने वाले सदस्य या सदस्यों द्वारा ।

(2) मतदान के लिए की गई मांग उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने मांग की थी, किसी भी समय वापस ली जा सकेगी ।

(3) अधिवेशन के आस्थगन या अधिवेशन के सभापति की नियुक्ति करने के लिए मांग किया गया मतदान तुरंत कराया जाएगा ।

(4) अधिवेशन के आस्थगन या सभापति की नियुक्ति से भिन्न किसी प्रश्न पर की गई मतदान की मांग उस समय से, जब मांग की गई थी, अड़तालीस घंटे के अपश्चात् के ऐसे समय पर की जाएगी, जो अधिवेशन का सभापति निदेश करे ।

(5) जहां मतदान किया जाना है, वहां अधिवेशन का सभापति, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मतदान की प्रक्रिया और मतदान पर दिए गए मतों की संवीक्षा करने के लिए तथा उस पर उसको रिपोर्ट देने के लिए उतने व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, जितने वह आवश्यक समझे ।

(6) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिवेशन के सभापति को वह रीति, जिसमें मतदान किया जाएगा, विनियमित करने की शक्ति होगी।

(7) मतदान का परिणाम, उस संकल्प पर, जिस पर मतदान किया गया था, अधिवेशन का विनिश्चय समझा जाएगा ।

डाक मतपत्र ।

110. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई कंपनी, किसी साधारण अधिवेशन में किसी कारबार के संव्यवहार के बजाय,—

(क) कारबार की ऐसी मदों के संबंध में, जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, घोषित करे, केवल डाक मतपत्र के माध्यम से संव्यवहार करेगी; और

(ख) साधारण कारबार और किसी ऐसे कारबार से भिन्न, जिसके संबंध में निदेशकों या लेखापरीक्षकों को किसी अधिवेशन में सुने जाने का अधिकार है, कारबार की किसी मद के संबंध में डाक मतपत्र के माध्यम से संव्यवहार कर सकेगी।

(2) यदि कोई संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो यह इस निमित्त बुलाए गए साधारण अधिवेशन में सम्यक् रूप से पारित किया गया समझा जाएगा ।

सदस्यों के संकल्प का परिचालन ।

111. (1) कोई कंपनी, उतने सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा पर, जितने धारा 100 में अपेक्षित हैं,—

(क) किसी ऐसे संकल्प की सदस्यों को सूचना देगी, जो उस अधिवेशन में समुचित रूप से लाया जाए और लाए जाने के लिए आशयित है; और

(ख) उस अधिवेशन में, प्रस्तावित संकल्प में या किए जाने वाले कारबार में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में सदस्यों को कोई कथन परिचालित करेगी ।

(2) कंपनी, इस धारा के अधीन किसी संकल्प की सूचना देने या किसी कथन को परिचालित करने के लिए तब तक आबद्ध नहीं होगी, जब तक,—

(क) अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा की एक प्रति (या दो या अधिक प्रतियां, जिसमें कुल मिलाकर सभी अध्यपेक्षाकर्ताओं के हस्ताक्षर अंतर्विष्ट हैं) :—

(i) संकल्प की सूचना की अपेक्षा करने वाली अध्यपेक्षा की दशा में, अधिवेशन से कम से कम छह सप्ताह पूर्व;

(ii) किसी अन्य अध्यपेक्षा की दशा में, अधिवेशन के कम से कम दो सप्ताह पूर्व,

समय के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में जमा नहीं कर दी जाती है; और

(ख) अध्यपेक्षा के साथ उतनी राशि, जितनी युक्तियुक्त रूप से कंपनी के उन व्ययों को, जो उनको प्रभावी करने के लिए होंगे, पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, निक्षिप्त या निविदत्त नहीं करा दी गई है:

परंतु यदि, संकल्प की सूचना की अपेक्षा करने वाली अध्यपेक्षा की प्रति कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में जमा कर दिए जाने के पश्चात्, वार्षिक साधारण अधिवेशन, प्रति जमा किए जाने के पश्चात् छह सप्ताह के भीतर किसी तारीख को बुलाया जाता है, तो यद्यपि, वह प्रति इस उपधारा द्वारा अपेक्षित समय के भीतर जमा नहीं की गई है तो भी उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह उसके प्रयोजनों के लिए समुचित रूप से जमा करा दी गई है ।

(3) कंपनी उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा यथापेक्षित किसी कथन को परिचालित करने के लिए आबद्ध नहीं होगी, यदि कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति के, जो व्यथित होने का दावा करता है, आवेदन पर, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, यह घोषणा करती है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मानहानिकारक विषय का अनावश्यक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी आदेश में भी यह निदेश किया जा सकेगा कि इस धारा के आधार पर कंपनी द्वारा उपगत खर्च अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा, इस बात के होते हुए भी कि वे आवेदन के पक्षकार नहीं हैं, कंपनी को संदत्त किया जाएगा।

(5) यदि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।

अधिवेशनों में राष्ट्रपति और राज्यपालों का प्रतिनिधित्व ।

112. (1) भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, यदि वह किसी कंपनी का सदस्य है, तो वह कंपनी के किसी अधिवेशन में या कंपनी के सदस्यों के किसी वर्ग के किसी अधिवेशन में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस कंपनी का सदस्य समझा जाएगा और वह उन्हीं अधिकारों और शक्तियों का, जिसके अंतर्गत परोक्षी और डाक मतपत्र द्वारा मत देने का अधिकार भी है, प्रयोग करने का हकदार होगा जो, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल, कंपनी के सदस्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ।

कंपनियों और लेनदारों के अधिवेशन में निगमों का प्रतिनिधित्व ।

113. (1) कोई निगमित निकाय, चाहे वह इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत कंपनी है या नहीं,—

(क) यदि वह इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी कंपनी का सदस्य है, अपने निदेशक बोर्ड या अन्य शासी निकाय के संकल्प द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, कंपनी के किसी अधिवेशन में या कंपनी के सदस्यों के किसी वर्ग के किसी अधिवेशन में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) यदि वह लेनदार है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत कंपनी का डिबेंचरधारी भी है, उसके निदेशकों या अन्य शासी निकाय के संकल्प द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, कंपनी के किन्हीं लेनदारों के किसी अधिवेशन में, यथास्थिति, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में, या किसी डिबेंचर में या न्यास विलेख में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संकल्प द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उस कारपोरेट निकाय की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व निकाय के रूप में करता, यदि वह कंपनी का व्यष्टिक सदस्य, लेनदार या डिबेंचरधारी होता, उन्हीं अधिकारों और शक्तियों का जिसके अंतर्गत निगमित निकाय की ओर से परोक्षी द्वारा और डाक मतपत्र द्वारा मत देने का अधिकार भी है, प्रयोग करने का हकदार होगा।

साधारण और विशेष संकल्प ।

114. (1) कोई संकल्प साधारण संकल्प होगा, यदि इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना सम्यक् रूप से दी गई है और उसका ऐसे सदस्यों द्वारा संकल्प के पक्ष में, हाथ उठाकर या इलैक्ट्रानिक रूप में या मतदान पर, मत डालकर, जिसके अंतर्गत सभापति का निर्णायक मत भी है, यदि कोई हो, पारित किया जाना अपेक्षित है, जो ऐसा करने के लिए हकदार होते हुए व्यक्तिगत रूप से या जहां परोक्षी अनुज्ञात किए गए हैं, वहां परोक्षी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा, इस प्रकार हकदार और मत देने वाले सदस्यों द्वारा संकल्प के विरोध में डाले गए मतों से, यदि कोई हों, अधिक मत डालते हैं ।

(2) कोई संकल्प, विशेष संकल्प होगा, जब—

(क) संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित करने का आशय साधारण अधिवेशन बुलाने वाली सूचना में या संकल्प के सदस्यों को दी गई अन्य सूचना में सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट कर दिया गया है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना सम्यक् रूप से दे दी है; और

(ग) संकल्प के पक्ष में, यथास्थिति, चाहे हाथ उठाकर या इलैक्ट्रानिक रूप से या मतदान पर, ऐसे सदस्यों द्वारा डाले गए मत, जो ऐसा करने के हकदार होते हुए या स्वयं या परोक्षी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा मत देते हैं, यदि कोई हों, उन मतों की संख्या के तीन गुने से कम नहीं हैं, जो ऐसे हकदार और मत देने वाले सदस्यों के संकल्प के विरुद्ध डाले गए हैं ।

विशेष सूचना की अपेक्षा वाले संकल्प ।

115. जहां, इस अधिनियम में या किसी कंपनी के अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध द्वारा किसी संकल्प की विशेष सूचना अपेक्षित है, वहां ऐसे संकल्प को लाए जाने के आशय की सूचना, कम्पनी को सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा, जो कुल मतदान शक्ति के एक प्रतिशत से अन्यून धारण करते हैं या ऐसे शेयर धारण करते हैं जिनकी पांच लाख रुपए से अन्यून की कुल ऐसी राशि, जो विहित की जाए समादत्त की गई है, दी जाएगी और कम्पनी ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संकल्प की सूचना अपने सदस्यों को देगी ।

स्थगित अधिवेशन में पारित संकल्प ।

116. जहां संकल्प—

(क) कम्पनी के; या

(ख) कम्पनी के किसी वर्ग के शेयरों के धारकों के; या

(ग) कम्पनी के निदेशक बोर्ड के,

किसी स्थगित अधिवेशन में पारित किया जाता है, वहां संकल्प सभी प्रयोजनों के लिए उस तारीख को पारित हुआ माना जाएगा, जिसको वास्तव में वह पारित हुआ था और उसे किसी पूर्ववर्ती तारीख को पारित हुआ नहीं समझा जाएगा ।

संकल्पों और करारों का फाइल किया जाना ।

117. (1) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में, धारा 102 के अधीन स्पष्टीकारक कथन के साथ, यदि कोई हो, उस अधिवेशन के, जिसमें संकल्प प्रस्तावित है, बुलाए जाने की सूचना के साथ संलग्न, प्रत्येक संकल्प और किसी करार की एक प्रति, उसके पारित किए जाने या करार किए जाने के तीस दिन के भीतर, धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी फीस के साथ, और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगीः

परन्तु ऐसे प्रत्येक संकल्प की प्रति, जो अनुच्छेदों को परिवर्तित करने का प्रभाव रखती है और उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक करार की प्रति, संकल्प को पारित करने या करार करने के पश्चात् जारी अनुच्छेदों की प्रत्येक प्रति में सन्निहित या उपाबद्ध किए जाएंगे ।

(2) यदि कोई कंपनी, धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त फीस के साथ, उपधारा (1) के अधीन संकल्प या करार फाइल करने में असफल रहेगी, तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी। किसी कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसके अन्तर्गत कम्पनी का समापक भी है, यदि कोई हो, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) यह धारा निम्नलिखित को लागू होगी,—

(क) विशेष संकल्प;

(ख) ऐसे संकल्प, जिन पर किसी कंपनी के सभी सदस्यों द्वारा सहमति हो चुकी है किन्तु, यदि ऐसी सहमति नहीं है तो वे उनके प्रयोजन के लिए प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि वे विशेष संकल्पों के रूप में पारित नहीं किए गए थे;

(ग) किसी प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति के नवीकरण या नियुक्ति के निबंधनों के सत्यापन से संबंधित किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड का कोई संकल्प या कंपनी द्वारा निष्पादित करार;

(घ) ऐसे संकल्प या करार, जिन पर शेयर धारकों के किसी वर्ग द्वारा सहमति हुई है किंतु जिन पर, यदि ऐसी सहमति नहीं होती तो वे उनके प्रयोजनों के लिए तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि उनका किसी विनिर्दिष्ट बहुमत द्वारा या अन्यथा किसी विशिष्ट रीति से पारित न किए गए हों; और ऐसे सभी संकल्प या करार जिन पर यद्यपि उन पर सभी सदस्य सहमत न हो, सदस्यों के ऐसे वर्ग को प्रभावी रूप से आबद्धकर बनाते हैं;

(ङ) धारा 180 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) के अधीन शक्तियों में से किन्हीं शक्तियों का उसके निदेशक बोर्ड द्वारा प्रयोग करने की सहमति के अनुसार किसी कंपनी द्वारा पारित संकल्प;

(च) धारा 304 के अनुसरण में पारित स्वेच्छा से परिसमापन करने हेतु ऐसी किसी कंपनी के लिए अपेक्षित संकल्प;

(छ) धारा 179 की उपधारा (3) के अनुसरण में पारित संकल्प; और

(ज) कोई अन्य संकल्प या करार जो विहित किया जाए तथा जनता के अधिकार क्षेत्र में रखा जाए ।

साधारण अधिवेशन, निदेशक बोर्ड के अधिवेशन और अन्य अधिवेशन की कार्यवाहियों और डाक मतपत्र द्वारा पारित संकल्पों का कार्यवृत्त।

118. (1) प्रत्येक कम्पनी, शेयर धारकों या लेनदारों के किसी वर्ग के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों और डाक मतपत्र द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प और उसके निदेशक बोर्ड या बोर्ड की प्रत्येक समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त ऐसे प्रत्येक संबद्ध अधिवेशन के समाप्त होने के या डाक मतपत्र द्वारा संकल्प को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, तैयार और हस्ताक्षरित करवाएगी और प्रत्येक ऐसे संबंधित अधिवेशन के खत्म होने के तीस दिन के भीतर, उन पुस्तकों में, जो उस प्रयोजन के लिए रखी गई हैं और जिनके पृष्ठ क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित हैं, उनकी प्रविष्टियां कराएगी और रखेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त में उसकी कार्यवाहियों का निष्पक्ष और सही सार अन्तर्विष्ट होगा।

(3) पूर्वोक्त अधिवेशनों में से किसी में की गई सभी नियुक्तियां अधिवेशन के कार्यवृत्त में सम्मिलित की जाएंगी ।

(4) निदेशक बोर्ड या बोर्ड की समिति के अधिवेशन की दशा में कार्यवृत्त में,—

(क) अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के नाम; और

(ख) अधिवेशन में पारित प्रत्येक संकल्प की दशा में, संकल्प के प्रति विसम्मति प्रकट करने वाले या उसे सहमति न देने वाले निदेशकों के, यदि कोई हों, नाम, भी अन्तर्विष्ट होंगे ।

(5) कार्यवृत्त में कोई ऐसा विषय सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में अधिवेशन के सभापति की यह राय है कि वह—

(क) किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है या युक्तियुक्त रूप से मानहानिकारक समझा जा सकता है; या

(ख) कार्यवाहियों से असंगत या तत्त्वहीन है; या

(ग) कम्पनी के हितों के लिए अहितकर है ।

(6) सभापति, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट आधारों पर कार्यवृत्त में किसी बात के सम्मिलित किए जाने या न किए जाने के संबंध में आत्यंतिक विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा ।

(7) इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में रखे गए कार्यवृत्त, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों के साक्ष्य होंगे ।

(8) जहां उपधारा (1) के अनुसार कार्यवृत्त रखे जाते हैं, वहां जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, अधिवेशन, सम्यक् रूप से बुलाया गया और आयोजित किया गया और उसकी सभी कार्यवाहियां सम्यक् रूप से की गईं और डाक मतपत्र द्वारा पारित संकल्प सम्यक् रूप से पारित किया गया समझा जाएगा और विशिष्टतया, निदेशकों, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षकों या व्यवसायरत कम्पनी सचिवों की सभी नियुक्तियां विधिमान्य समझी जाएंगी ।

(9) कंपनी के किसी साधारण अधिवेशन की कार्यवाहियों की रिपोर्ट होने के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज कम्पनी के व्यय पर तब तक परिचालित या विज्ञापित नहीं किया जाएगा, जब तक उसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त में अन्तर्विष्ट किए जाने के लिए इस धारा द्वारा अपेक्षित विषय सम्मिलित न हों ।

(10) प्रत्येक कंपनी, साधारण और विशेष अधिवेशनों के संबंध में ऐसे सचिवालयिक मानकों का पालन करेगी, जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 और उस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धारा 3 के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । 1980 का 56

(11) यदि किसी अधिवेशन के संबंध में इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में व्यतिक्रम किया जाता है तो कम्पनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

(12) यदि कोई व्यक्ति, जो अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त से छेड़छाड़ का दोषी पाया जाता है, वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

साधारण अधिवेशन की कार्यवृत्त पुस्तकों का निरीक्षण ।

119. (1) कम्पनी के किसी साधारण अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को और डाक मतपत्र द्वारा पारित किसी संकल्प को अंतर्विष्ट रखने वाली पुस्तकें—

(क) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी; और

(ख) ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो कम्पनी अपने अनुच्छेदों या साधारण अधिवेशन में इस प्रकार अधिरोपित करे, किसी प्रभार के बिना किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी, तथापि यह कि प्रत्येक कारबार दिवस में निरीक्षण के लिए कम से कम दो घन्टे अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) कोई सदस्य, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कार्यवृत्त की एक प्रति, उस निमित्त कंपनी को किए गए अनुरोध के पश्चात् सात कार्य दिवसों के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी निरीक्षण से इंकार किया जाता है या यदि उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित कोई प्रति, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती है, तो कम्पनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक इंकार या व्यतिक्रम के संबंध में, पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।

(4) अधिकरण, ऐसे किसी इंकार या व्यतिक्रम की दशा में, उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, कार्यवृत्त-पुस्तिका के तुरंत निरीक्षण का निदेश दे सकेगा या यह निदेश दे सकेगा कि अपेक्षित प्रति, उसकी अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को तुरंत भेजी जाए।

इलैक्ट्रानिक प्ररूपों में दस्तावेज का रखा जाना और निरीक्षण किया जाना।

120. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन कोई दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, कार्यवृत्त आदि, —

(क) जो किसी कंपनी द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं; या

(ख) जिनको किसी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को, निरीक्षण किए जाने के लिए या उसको प्रतियां दिए जाने के लिए अनुज्ञात किया है,

इलैक्ट्रानिक प्ररूप में, ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, यथास्थिति, रखे या निरीक्षित किए जा सकेंगे या प्रतियां दी जा सकेंगी।

साधारण वार्षिक अधिवेशन पर रिपोर्ट।

121. (1) प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन के संबंध में विहित रीति से एक रिपोर्ट, उस प्रभाव की पुष्टि सहित कि अधिवेशन, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, संयोजित, आयोजित और संचालित किया गया था, तैयार करेगी ।

(2) कंपनी, वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए या धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी अतिरिक्त फीस के साथ, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी ।

(3) यदि कंपनी अतिरिक्त फीस के साथ धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट फाइल करने में असफल रहेगी तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

इस अध्याय का एकल व्यक्ति कंपनी को लागू होना ।

122. (1) धारा 98 और धारा 100 से धारा 111 तक के उपबंध (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) किसी एकल व्यक्ति कंपनी को लागू नहीं होंगे ।

(2) धारा 102 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन यथा उल्लिखित साधारण कारबार जिसके लिए किसी एकल व्यक्ति कंपनी से भिन्न कोई कंपनी जो अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन में संव्यवहार करने के लिए अपेक्षित है, उपधारा (3) में यथा उपबंधित एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में संव्यवहार करेगी ।

(3) धारा 114 के प्रयोजनों के लिए कोई कारबार, जो किसी साधारण या विशेष संकल्प के माध्यम से किसी कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन या अन्य साधारण अधिवेशन में संव्यवहारित किए जाने के लिए अपेक्षित है वहां यह पर्याप्त होगा यदि एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में संकल्प, सदस्य द्वारा कंपनी को संसूचित किया गया हो और धारा 118 के अधीन बनाई जाने वाली अपेक्षित कार्यवृत्त–पुस्तक में प्रविष्ट किया गया हो और सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखीकृत किया गया हो तथा ऐसी तारीख को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए अधिवेशन की तारीख होना समझा जाएगा ।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी एकल व्यक्ति कंपनी के निदेशक बोर्ड में केवल एक निदेशक है, कोई कारबार, जो किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में संव्यवहारित किए जाने के लिए अपेक्षित है वहां यह पर्याप्त होगा यदि ऐसी एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में, ऐसे निदेशक द्वारा किसी संकल्प में धारा 118 के अधीन बनाई जाने वाली अपेक्षित कार्यवृत्त–पुस्तक में प्रविष्ट किया गया हो और ऐसे निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखीकृत किया गया हो तथा ऐसी तारीख को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए निदेशक बोर्ड के अधिवेशन की तारीख होना समझा जाएगा ।

अध्याय 8

लाभांश की घोषणा और संदाय

लाभांश की घोषणा।

123. (1) किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी कंपनी द्वारा कोई भी लाभांश, —

(क) उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् उस वर्ष के लिए आए कंपनी के लाभों में से या उस उपधारा के उपबंधों के अनुसार अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए आए कंपनी के लाभों के और शेष अवितरित या दोनों के सिवाय; या

(ख) उस सरकार द्वारा दी गई किसी प्रत्याभूति के अनुसरण में कंपनी द्वारा लाभांश के संदाय के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के सिवाय;

घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा:

परंतु कोई कंपनी, किसी वित्तीय वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व, उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभों की ऐसी प्रतिशतता, जो वह कंपनी की आरक्षितियों के लिए समुचित समझे, अंतरित कर सकेगी:

परंतु यह और कि जहां कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त लाभ होने या लाभ न होने के कारण कंपनी द्वारा पूर्ववर्षों में उपार्जित और आरक्षितियों में उसके द्वारा अंतरित संचित लाभों में से लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती है, वहां लाभांश की ऐसी घोषणा, ऐसे नियमों के अनुसार, जो इस निमित्त विहित किए जाएं, के सिवाय, नहीं की जाएगी:

परंतु यह भी कि किसी कंपनी द्वारा स्वतंत्र आरक्षितियों से भिन्न अपनी आरक्षितियों से कोई लाभांश घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए अवक्षयण, अनुसूची 2 के अनुसार दिया जाएगा ।

(3) किसी कंपनी का निदेशक बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में के अधिशेष में से और ऐसे वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा अंतरिम लाभांश घोषित किए जाने की मांग की गई है, लाभों में से अंतरिम लाभांश घोषित कर सकेगा:

परन्तु यदि कंपनी को अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के अंत तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि उपगत हुई है तो ऐसा अंतरिम लाभांश, तीन वित्तीय वर्षों से ठीक पूर्व के दौरान कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांश से उच्चतर दर पर घोषित नहीं किया जाएगा।

(4) लाभांश की रकम, जिसमें अंतरिम लाभांश भी सम्मिलित है, ऐसे लाभांश की घोषणा की तारीख से पांच दिन के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में पृथक् खाते में जमा की जाएगी ।

(5) किसी कंपनी द्वारा उसमें किसी शेयर के संबंध में, कोई लाभांश ऐसे शेयर के रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक या उसके आदेश पर या उसके बैंककारों के सिवाय संदत्त नहीं किया जाएगा और वह नकद के सिवाय संदेय नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात, पूर्णतः समादत्त बोनस शेयर जारी करने या कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर तत्समय असंदत्त किसी रकम का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कंपनी के लाभों या आरक्षितियों के पूंजीकरण को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु यह और कि नकद में संदेय कोई लाभांश, लाभांश के संदाय के लिए हकदार शेयर धारक को चेक या अधिपत्र द्वारा या किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा दिया जा सकेगा।

(6) कोई कंपनी, जो धारा 73 और धारा 74 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, जब तक ऐसी असफलता जारी रहती है, अपने साधारण शेयरों पर कोई लाभांश घोषित नहीं करेगी ।

असंदत्त लाभांश खाता।

124. (1) जहां किसी कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है किंतु लाभांश के संदाय के लिए हकदार किसी शेयर धारक को घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर उसका संदाय या उसके द्वारा दावाकृत नहीं किया गया है वहां कंपनी, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर लाभांश की कुल रकम को, जो असंदत्त या अदावाकृत रहती है, कंपनी द्वारा असंदत्त लाभांश खाते के नाम से किसी अनुसूचित बैंक में उस निमित्त खोले जाने वाले विशेष खाते में अंतरित करेगी ।

(2) कंपनी, उपधारा (1) के अधीन रकम का कोई अंतरण करने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर, असंदत्त लाभांश खाते में नामों, उनके अंतिम ज्ञात पतों और प्रत्येक व्यक्ति को संदत्त किए जाने के लिए असंदत्त लाभांश वाले कथन को तैयार करेगी और उसको ऐसे प्ररूप, रीति में और अन्य विवरणों के साथ जो विहित किए जाएं, कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, रखेगी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी अन्य वेबसाइट पर भी रखेगी।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल रकम को या उसके किसी भाग को कंपनी के असंदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने में कोई व्यतिक्रम किया गया है तो कंपनी उतनी रकम पर, जो उक्त खाते में अंतरित नहीं की गई है, ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से, बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगी और ऐसी रकम पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज को, कंपनी के सदस्यों के फायदे के लिए, उनको असंदत्त रह गई रकम के अनुपात में सुनिश्चित किया जाएगा ।

(4) कंपनी के असंदत्त लाभांश खाते में उपधारा (1) के अधीन अंतरित किसी धन के लिए हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, दावाकृत धन के संदाय के लिए कंपनी को आवेदन कर सकेगा ।

(5) इस धारा के अनुसरण में किसी कंपनी के असंदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया कोई धन, जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक असंदत्त या अदावाकृत रहता है, कंपनी द्वारा धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि में उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, यदि कोई हो, अंतरित किया जाएगा और कंपनी ऐसे प्राधिकारी को, जो उक्त निधि का प्रशासन करता है, विहित प्ररूप में ऐसे अंतरण के ब्यौरे का विवरण भेजेगी और वह प्राधिकारी, कंपनी को ऐसे अंतरण के साक्ष्य के रूप में रसीद जारी करेगा।

(6) सभी शेयर, जिनके संबंध में, उपधारा (5) के अधीन असंदत्त या अदावाकृत लाभांश अंतरित किया गया है, ऐसे ब्यौरे वाले, जो विहित किए जाएं, एक विवरण के साथ विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम में कंपनी द्वारा अंतरित भी किए जाएंगे:

परन्तु उपरोक्त अंतरित शेयरों का कोई दावाकर्ता, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे दस्तावेजों को, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करने पर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से शेयरों के अंतरण का दावा करने का हकदार होगा।

(7) यदि कंपनी, इस धारा की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहती है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि ।

125. (1) केंद्रीय सरकार, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि कहा गया है) के नाम से ज्ञात, एक निधि की स्थापना करेगी ।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) निधि के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग करने के पश्चात् अनुदानों के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई रकम;

(ख) निधि के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्था द्वारा निधि में दिए गए संदान;

(ग) धारा 124 की उपधारा (5) के अधीन निधि में अंतरित कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में की रकम;

(घ) केंद्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में की ऐसी रकम, जो कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ से ठीक पूर्व यथाविद्यमान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क की उपधारा (5) के अधीन उस खाते में अंतरित की गई थी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर असंदत्त या अदावाकृत रह गई थी; 1999 का 21 1956 का 1

(ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में की मौजूद रकम ; 1956 का 1

(च) निधि से किए गए विनिधानों में से प्राप्त ब्याज या अन्य आय;

(छ) धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त रकम;

(ज) किन्हीं प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदित धन और प्रतिदाय के लिए देय रकम;

(झ) बैंककारी कंपनियों से भिन्न कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप;

(ञ) कंपनियों के पास परिपक्व डिबेन्चर;

(ट) खंड (ज) से खंड (ञ) में निर्दिष्ट रकमों पर प्रोद्भूत ब्याज;

(ठ) सात या अधिक वर्ष के लिए लाभांश शेयरों को जारी करने, विलयन और समामेलन करने से उद्भूत भिन्नात्मक शेयरों का विक्रय आगम;

(ड) सात या अधिक वर्ष के लिए शेष असंदत्त या अदावाकृत अधिमानी शेयरों की मोचन रकम; और

(ढ) ऐसी अन्य रकमें, जो विहित की जाएं:

परंतु खंड (ज) से खंड (ञ) में निर्दिष्ट ऐसी कोई रकमें तब तक निधि का भाग नहीं बनेंगी जब तक कि ऐसी रकमें, ऐसी तारीख से जब वह संदाय के लिए देय होती हैं, सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदत्त नहीं रहती हैं ।

(3) निधि का, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा—

(क) अदावाकृत लाभांश के संबंध में प्रतिदाय, परिपक्व निक्षेप, परिपक्व लाभांश, आवेदित धन, प्रतिदाय के लिए देय और उन पर ब्याज;

(ख) विनिधानकर्ताओं की शिक्षा, जागरुकता की अभिवृद्धि और संरक्षा;

(ग) शेयरों या डिबेंचरों के लिए पात्र और पहचान किए जाने योग्य ऐसे आवेदकों, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों या निक्षेपकर्ताओं में, जिन्होंने ऐसे न्यायालय द्वारा, जिसने वापस किए जाने का आदेश किया था, किए गए आदेशों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा की गई दोषपूर्ण कार्रवाइयों के कारण हानियां सहन की हैं, किसी वापस करने योग्य रकम का वितरण;

(घ) यथास्थिति, सदस्यों, डिबेंचर धारकों या निक्षेपकर्ताओं द्वारा धारा 37 और धारा 245 के अधीन वर्ग आधारित कार्रवाई वादों के अनुसरण में उपगत ऐसे विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति जिनकी अधिकरण द्वारा मंजूरी दी जाए; और

(ङ) उनके आनुषंगिक कोई अन्य प्रयोजन :

परंतु ऐसे शेयर धारक, जिनकी धारा 205ग की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट धनराशियां, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार सात वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि को अंतरित हो गई हैं, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे दावों के संबंध में निधि में से प्रतिदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

1956 का 1

स्पष्टीकरण—वापस करने योग्य रकम से प्रतिभूतियों के वापस करने या व्ययन के माध्यम से प्राप्त रकम का निर्देश है ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी रकम के हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, दावाकृत्त धन के संदाय के लिए उपधारा (5) के अधीन गठित प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

(5) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निधि के प्रशासन के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें ऐसा एक अध्यक्ष, सात से अनधिक अन्य सदस्य और एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार नियुक्त करे ।

(6) निधि के प्रशासन की रीति, अध्यक्ष, सदस्यों और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, प्राधिकरण के अधिवेशन का आयोजन, ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो विहित किए जाएं।

(7) केन्द्रीय सरकार, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, प्राधिकरण को उतने कार्यालय, अधिकारी, कर्मचारी और अन्य संसाधन, उपलब्ध करा सकेगी।

(8) प्राधिकरण, निधि का प्रशासन करेगा और ऐसे प्ररूप में, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् विहित किया जाए, निधि के संबंध में पृथक् लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा ।

(9) उपधारा (5) के अधीन गठित प्राधिकरण, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए निधि में से धन खर्च करने के लिए सक्षम होगा ।

(10) निधि के लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसे संपरीक्षित लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण द्वारा, केंद्रीय सरकार को वार्षिक रूप से भेजे जाएंगे ।

(11) प्राधिकरण, वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूरा लेखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जो विहित किया जाए और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा और केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

शेयरों के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण लंबित रहने के दौरान लाभांश का अधिकार, शेयरों और बोनस शेयरों का प्रास्थगित रखा जाना ।

126. जहां शेयरों के अंतरण की कोई लिखत रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी कंपनी को परिदत्त की गई है और ऐसे शेयरों का अंतरण कंपनी द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, वहां वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे शेयरों के संबंध में लाभांश, धारा 124 में निर्दिष्ट असंदत्त लाभांश खाते में तब तक अंतरित नहीं करेगी जब तक कि कंपनी को ऐसे लाभांश के अंतरण की ऐसी लिखत में विनिर्दिष्ट अंतरिती को संदाय करने के लिए ऐसे शेयरों के रजिस्ट्रीकृत धारक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत नहीं किया गया है; और

(ख) ऐसे शेयरों के संबंध में धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अधिकार, शेयरों की किसी प्रस्थापना और धारा 123 की उपधारा (5) के पहले परंतुक के अनुसरण में पूर्ण रूप से समादत्त बोनस शेयरों के किसी निर्गमन को प्रास्थगित रखेगी ।

लाभांशों का संवितरण करने में असफलता के लिए दंड ।

127. जहां कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है, किंतु घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर लाभांश के संदाय के लिए हकदार शेयर धारक को उसका संदाय नहीं किया गया है या उसके संबंध में अधिपत्र, डाक से नहीं भेजा गया है, वहां कंपनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर उस व्यतिक्रम का पक्षकार है, ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा और कंपनी, उस अवधि के दौरान, जिसमें व्यतिक्रम जारी रहता है, अठारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगी:

परंतु इस धारा के अधीन कोई अपराध वहां किया गया नहीं समझा जाएगा,—

(क) जहां लाभांश किसी विधि के प्रवर्तन के कारण संदत्त नहीं किया जा सका है;

(ख) जहां किसी शेयर धारक ने लाभांश के संदाय के संबंध में कंपनी को निदेश दिए हैं और उन निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा सकता है और जिसके बारे में, उसको संसूचित किया जा चुका है;

(ग) जहां लाभांश प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में कोई विवाद है;

(घ) जहां लाभांश का कंपनी द्वारा शेयर धारक से उसको शोध्य किसी रकम के संबंध में विधिपूर्ण समायोजन किया गया है; या

(ङ) जहां किसी अन्य कारण से, इस धारा के अधीन अवधि के भीतर लाभांश का संदाय करने में या अधिपत्र डाक से भेजने में असफलता कंपनी की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण नहीं थी ।

अध्याय 9

कंपनी के लेखे

कंपनी द्वारा लेखा बहियों, आदि का रखा जाना ।

128. (1) प्रत्येक कंपनी, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में ऐसी लेखा बहियों और अन्य सुसंगत पुस्तकों तथा कागजपत्रों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय कथन तैयार करेगी और उनको रखेगी, जो कंपनी के, जिसके अंतर्गत उसका शाखा कार्यालय या कार्यालय, यदि कोई है या हैं, भी हैं, कार्यकलापों की स्थिति का सही और ऋजु चित्रण देते हैं और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तथा उसकी शाखाओं, दोनों में किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करते हैं, तथा ऐसी बहियां, प्रोद्भावी आधार पर और लेखा की दोहरी प्रविष्टि पद्धति के अनुसार रखी जाएंगी:

परंतु पूर्वोक्त सभी या कोई लेखा बहियां और अन्य सुसंगत कागजपत्र, भारत में ऐसे अन्य स्थान पर रखे जा सकेंगे, जो निदेशक-बोर्ड विनिश्चित करे और जहां ऐसा कोई विनिश्चय किया जाता है, वहां कंपनी उसके सात दिन के भीतर उस अन्य स्थान का पूरा पता देते हुए रजिस्ट्रार को लिखित में सूचना फाइल करेगी:

परंतु यह और कि कंपनी, ऐसी लेखा बहियां या अन्य सुसंगत कागजपत्र, इलैक्ट्रानिक पद्धति में ऐसी रीति से रखेगी, जो विहित की जाए ।

(2) जहां किसी कंपनी का, भारत या भारत के बाहर कोई शाखा कार्यालय है, वहां यदि शाखा कार्यालय में किए गए संव्यवहारों से संबंधित समुचित लेखा बहियां उस कार्यालय में रखी जाती हैं और शाखा कार्यालय द्वारा कंपनी को, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य स्थान पर आवधिक रूप से समुचित संक्षिप्त विवरणियां भेजी जाती हैं तो उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन किया गया समझा जाएगा ।

(3) भारत के भीतर कंपनी द्वारा रखी गई लेखाबहियां और अन्य बहियां तथा कागजपत्र, भारत में कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या ऐसे अन्य स्थान पर कामकाज के समय के दौरान किसी निदेशक द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और देश के बाहर रखी गई वित्तीय सूचना की दशा में, यदि कोई है, ऐसी वित्तीय सूचना की प्रतियां, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, किसी निदेशक द्वारा निरीक्षण के लिए रखी और प्रस्तुत की जाएंगी:

परंतु कंपनी की किसी समनुषंगी के संबंध में कोई निरीक्षण, केवल निदेशक बोर्ड के किसी संकल्प द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(4) जहां कोई निरीक्षण उपधारा (3) के अधीन किया गया है, वहां कंपनी के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, ऐसा निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को निरीक्षण के संबंध में ऐसी सभी सहायता देंगे, जिन्हें कंपनी द्वारा युक्तियुक्त रूप से दिए जाने की प्रत्याशा की जाए ।

(5) किसी वित्तीय वर्ष से ठीक पहले आठ वित्तीय वर्षों से अन्यून अवधि से संबंधित प्रत्येक कंपनी की लेखा बहियां या जहां कंपनी, आठ वर्ष से कम अवधि तक अस्तित्व में रह चुकी है, वहां उन सभी पूर्ववर्षों के संबंध में उन्हें ऐसी लेखा बहियों में किसी प्रविष्टि के सुसंगत वाउचरों के साथ सुव्यवस्थित रखा जाएगा :

परंतु जहां अध्याय 14 के अधीन कंपनी के संबंध में किसी अन्वेषण का आदेश किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि लेखा बहियां ऐसी लंबी अवधि के लिए रखी जाएं, जो वह ठीक समझे ।

(6) यदि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने के कर्तव्य से बोर्ड द्वारा भारित किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक, वित्त का भारसाधक पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो कंपनी का ऐसा प्रबंध निदेशक, वित्त का भारसाधक पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

वित्तीय विवरण ।

129. (1) वित्तीय विवरण, धारा 133 के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करते हुए, कंपनी या कंपनियों के कार्यकलापों की स्थिति का सही और ऋजु वर्णन देंगे और ऐसे प्ररूप या प्ररूपों में होंगे जो अनुसूची 3 में कंपनी या कंपनियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए उपबंधित किए जाएं :

परंतु ऐसे वित्तीय विवरणों में अंतर्विष्ट मदें, लेखा मानकों के अनुसार होंगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात बीमा या बैंककारी कंपनी या विद्युत उत्पादन या प्रदाय में लगी हुई किसी कंपनी को या कंपनी के किसी ऐसे अन्य वर्ग को लागू नहीं होगी जिसके लिए कंपनी के ऐसे वर्ग को शासित करने वाले अधिनियम में या उसके अधीन वित्तीय विवरण का प्रारूप विनिर्दिष्ट किया गया है :

परंतु यह भी कि ऐसे वित्तीय विवरणों को, केवल इस तथ्य के कारण से कि उनका—

(क) किसी बीमा कंपनी की दशा में कोई ऐसे विषय, जिनका बीमा अधिनियम, 1938 या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है; 1938 का 4 1999 का 41

(ख) किसी बैंककारी कंपनी की दशा में कोई ऐसे विषय जिनका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है; 1949 का 10

(ग) विद्युत उत्पादन या प्रदाय में लगी हुई किसी कंपनी की दशा में कोई ऐसे विषय जिनका विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है; 2003 का 36

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा शासित किसी कंपनी की दशा में कोई ऐसे विषय जिनका उस विधि द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है,

कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का सही और ऋजु वर्णन प्रकट करने के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(2) किसी कंपनी के प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन में कंपनी का निदेशक बोर्ड वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण ऐसे अधिवेशन के समक्ष रखेगा ।

(3) जहां किसी कंपनी की एक या अधिक समनुषंगी हैं, वहां वह उपधारा (2) के अधीन उपबंधित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, कंपनी और सभी समनुषंगियों का समेकित वित्तीय विवरण, उसी प्ररूप और रीति में, जैसा उसका स्वयं के लिए है, तैयार करेगी, जिसको भी उपधारा (2) के अधीन अपने वित्तीय विवरण के रखे जाने के साथ कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष रखा जाएगा :

परंतु कंपनी, अपने वित्तीय विवरण के साथ अपनी समनुषंगी या समनुषंगियों के वित्तीय विवरण की प्रमुख बातों वाले एक पृथक् कथन को भी ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, संलग्न करेगी :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, कंपनियों के लेखाओं के समेकन के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपबंध कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "समनुषंगी" शब्द के अंतर्गत सहयुक्त कंपनी और सह उद्यम भी हैं ।

(4) किसी नियंत्री कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी, अंगीकरण और संपरीक्षा के लिए लागू इस अधिनियम के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (3) में निर्दिष्ट समेकित वित्तीय विवरणों को लागू होंगे ।

(5) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी कंपनी के वित्तीय विवरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं, वहां कंपनी, अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लेखा मानकों से विचलन, ऐसे विचलन के कारणों और वित्तीय प्रभावों को, यदि कोई हों, जो ऐसे विचलन से उद्भूत हुए हैं, प्रकट करेगी ।

(6) केंद्रीय सरकार, स्वप्रेरणा पर या कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों द्वारा किसी आवेदन पर, अधिसूचना द्वारा, कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों को इस धारा या उसके अधीन बनाए गए नियमों की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन से छूट दे सकेगी, यदि ऐसी छूट प्रदान करना लोकहित में आवश्यक समझा जाता है और ऐसी कोई छूट या तो बिना शर्त के या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रदान की जा सकेगी ।

(7) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगी, तो बोर्ड द्वारा इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के कर्तव्य से भारित प्रबंध निदेशक, वित्त का भारसाधक पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति और उपरोक्त वर्णित अधिकारियों में से किसी की अनुपस्थिति में, सभी निदेशक ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सिवाय उस दशा के जहां कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, वित्तीय विवरण के प्रति किसी निर्देश में, इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित और ऐसे टिप्पणों के रूप में दिए जाने के लिए अनुज्ञात सूचना देने वाले ऐसे वित्तीय विवरणों के साथ उपाबद्ध कोई टिप्पण या उसका भागरूप भी सम्मिलित होंगे ।

न्यायालय या अधिकरण के आदेशों पर लेखाओं को पुनः खोलना।

130. कोई कंपनी तब तक अपनी लेखा बहियों को पुनः नहीं खोलेगी और अपने वित्तीय विवरणों को पुनः तैयार नहीं करेगी जब तक कि केंद्रीय सरकार, आय–कर प्राधिकारियों, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, किसी अन्य कानूनी विनियामक निकाय या प्राधिकारी या किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन नहीं किया जाता है और सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा इस आशय का कोई आदेश नहीं दिया जाता है कि—

(i) सुसंगत पूर्व लेखे कपटपूर्ण रीति में तैयार किए गए थे; या

(ii) सुसंगत अवधि के दौरान कंपनी के मामले इस प्रकार कुव्यवस्थित थे जो वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं :

परंतु, यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण, केंद्रीय सरकार, आय–कर प्राधिकारियों, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी अन्य कानूनी विनियामक निकाय या संबंधित प्राधिकारी को सूचना देगा और इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व उस सरकार या प्राधिकारियों, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या निकाय या संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार पुनरीक्षित या पुनर्संत्यक्त लेखे अंतिम होंगे।

बोर्ड की रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों का स्वैच्छिक पुनरीक्षण।

131. (1) यदि कंपनी के निदेशकों को यह प्रतीत होता है कि—

(क) कंपनी का वित्तीय विवरण, या

(ख) बोर्ड की रिपोर्ट,

धारा 129 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करते हैं तो वे, कंपनी द्वारा किए गए किसी आवेदन पर अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, किन्हीं तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संबंध में पुनरीक्षित वित्तीय विवरण या कोई पुनरीक्षित रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे और अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी :

परन्तु अधिकरण, केन्द्रीय सरकार और आय-कर प्राधिकारियों को सूचना देगा और इस धारा के अधीन किसी आदेश को पारित करने से पूर्व सरकार या प्राधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे पुनरीक्षित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट, किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक तैयार या फाइल नहीं की जाएगी :

परन्तु यह भी कि ऐसे वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के पुनरीक्षण के लिए ब्यौरेवार कारणों का उस सुसंगत वित्तीय वर्ष में, जिसमें ऐसा पुनरीक्षण किया गया है, बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकटन भी किया जाएगा।

(2) जहां पूर्व वित्तीय विवरण या रिपोर्ट की प्रतियां, सदस्यों को भेजी गई हैं या रजिस्ट्रार को परिदत्त की गई हैं या साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखी गई हैं, वहां पुनरीक्षणों को निम्नलिखित की पुष्टि करनी चाहिए—

(क) ऐसा संशोधन जिसके संबंध में पूर्व वित्तीय विवरण या रिपोर्ट धारा 129 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है; और

(ख) किन्हीं आवश्यक पारिणामिक परिवर्तनों का किया जाना।

(3) केन्द्रीय सरकार, पुनरीक्षित वित्तीय विवरण या निदेशक की पुनरीक्षित रिपोर्ट के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के बारे में नियम बना सकेगी और ऐसे नियम, विशिष्टतया,—

(क) ऐसे विभिन्न उपबंध कर सकेंगे, जिनके अनुसार पूर्व वित्तीय विवरण या रिपोर्ट किए जाने वाले संशोधनों को उपदर्शित करते हुए प्रतिस्थापित की जाती है या किसी दस्तावेज की अनुपूरक की जाती है;

(ख) पुनरीक्षित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के संबंध में कंपनी के संपरीक्षक के कृत्यों के सबंध में उपबंध कर सकेंगे;

(ग) निदेशकों से ऐसे उपायों को करने के लिए, जो विहित किए जाएं, अपेक्षा कर सकेंगे।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन।

132. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन लेखा और संपरीक्षा मानकों से संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण—

(क) यथास्थिति, कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके संपरीक्षकों द्वारा अंगीकृत की जाने संबंधी लेखांकन और संपरीक्षा नीतियों और मानकों को निश्चित और अधिकथित करने में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करेगा;

(ख) लेखांकन और संपरीक्षा मानकों के अनुपालन को ऐसी रीति में मानीटर और प्रवृत्त करेगा, जो विहित की जाए;

(ग) ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबद्ध वृत्तियों की सेवाओं की क्वालिटी का निरीक्षण करेगा और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों और ऐसे अन्य संबंधित विषयों का, जो विहित किए जाएं, सुझाव देगा; और

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(3) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एक अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित तथा लेखा, संपरीक्षा, वित्त या विधि में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति होगा और पंद्रह से अनधिक उतने अन्य सदस्यों से, जितने विहित किए जाएं, जिसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य हैं, मिलकर बनेगा:

परंतु अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए:

परंतु यह और कि अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिकूल हित या स्वतंत्रता की कमी न होने के बारे में केंद्रीय सरकार को विहित प्ररूप में घोषणा करेगा या करेंगे:

परंतु यह भी कि अध्यक्ष और ऐसे सदस्य, जो राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में हैं, अपनी नियुक्ति के दौरान और पद पर न रहने के दो वर्ष पश्चात् तक किसी संपरीक्षा फर्म (जिसके अंतर्गत संबंधित परामर्शी फर्में भी हैं) के साथ सहयोजित नहीं होंगे।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को,—

(क) स्वप्रेरणा से या केंद्रीय सरकार द्वारा उसको किए गए किसी निर्देश पर, निगमित निकायों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सदस्य या फर्म द्वारा किए गए वृत्तिक या अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण करने की शक्ति होगी: 1949 का 38

परंतु कोई अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के ऐसे मामलों में, जहां राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस धारा के अधीन कोई अन्वेषण आरंभ किया है, किन्हीं कार्यवाहियों को आरंभ या जारी नहीं रखेगा;

(ख) वैसी ही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में, निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचरण करते समय निहित होती हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(i) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ii) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(iii) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की किन्हीं बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का किसी स्थान पर निरीक्षण करना;

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(ग) जहां वृत्तिक या अन्य कदाचार साबित हो जाता है, वहां—

(अ) (I) व्यष्टियों की दशा में कम से कम एक लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के पांच गुना तक की हो सकेगी; और

(II) फर्मों की दशा में, कम से कम दस लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के दस गुना तक की हो सकेगी, अधिरोपित करना;

(आ) सदस्य या फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में व्यवसाय करने में अपने को लगाने से, छह मास की न्यूनतम अवधि के लिए या दस वर्ष से अनधिक की ऐसी उच्चतर अवधि के लिए जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए, विवर्जित करने संबंधी आदेश करने की शक्ति होगी। 1949 का 38

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "वृत्तिक या अन्य कदाचार" पद का वही अर्थ होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 में उसका है। 1949 का 38

(5) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन जारी किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (6) के अधीन गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील ऐसी रीति में दाखिल कर सकेगा, जो विहित की जाए।

(6) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा उस तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों से उद्भूत अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक अपील प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, जो अध्यक्ष और दो से अनधिक सदस्यों से, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, मिलकर बनेगी।

(7) अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और चयन की रीति, उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तथा सहायतार्थ कर्मचारिवृंद की मांग तथा अपील प्राधिकरण द्वारा पालन की जाने वाले प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई करने का स्थान, वह प्ररूप और रीति भी है, जिसमें अपील फाइल की जाएगी) ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(8) अपील फाइल करने के लिए फीस ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(9) अपील प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें उसके क्रियाकलापों का पूरा लेखा हो, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा तथा केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(10) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का विहित रीति में पालन करेगा ।

(11) केन्द्रीय सरकार, एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष अनुपालन के लिए आवश्यक समझे और सचिव तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

(12) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, भारत में ऐसे अन्य स्थानों पर अधिवेशन कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(13) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने लेखाओं के संबंध में ऐसी लेखा पुस्तकों और अन्य बहियों को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में रखवाएगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित करे ।

(14) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं की, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षा की जाएगी और भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित ऐसे लेखाओं को उनसे संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट सहित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(15) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा और केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई संपरीक्षा रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

1949 का 38

133. केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा दिए गए परामर्श से और उसके द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा के पश्चात् चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा यथा सिफारिश लेखा मानकों या उनमें किसी परिशिष्ट को विहित कर सकेगी । केंद्रीय सरकार द्वारा लेखा मानकों को विहित करना ।

134. (1) वित्तीय विवरण पर, जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है, बोर्ड की ओर से उन्हें कम से कम कंपनी के अध्यक्ष द्वारा, जहां वह बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है या दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह कंपनी में निदेशक है, होगा, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव द्वारा, जहां कहीं वे नियुक्त किए जाते हैं या एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने से पूर्व निदेशक बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षक को उस पर उसकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा । वित्तीय कथन, बोर्ड की रिपोर्ट, आदि ।

(2) संपरीक्षक की रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाएगी ।

(3) साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखे गए विवरणों के साथ उसके निदेशक बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट उपाबद्ध की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) धारा 92 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित वार्षिक विवरणी का उद्धरण;

(ख) बोर्ड के अधिवेशनों की संख्या;

(ग) निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण;

(घ) धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा का विवरण;

(ङ) धारा 178 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली किसी कंपनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति जिसमें किसी निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक गुणों, स्वतंत्रता और धारा 178 की उपधारा (3) के अधीन उपबंधित अन्य विषयों को अवधारित करने वाले मापदंड भी सम्मिलित हैं;

(च) (i) संपरीक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट में; और

(ii) किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा सचिवीय संपरीक्षा रिपोर्ट में,

की गई प्रत्येक अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या इंकार पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टीका-टिप्पणियां;

(छ) धारा 186 के अधीन ऋणों, प्रत्याभूतियों या विनिधानों की विशिष्टियां;

(ज) धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पक्षकारों से सम्बन्धित संविदाओं या ठहरावों की विहित प्ररूप में विशिष्टियां;

(झ) कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ञ) ऐसी रकमें, यदि कोई हों, जिनके लिए वह किसी आरक्षिति के रूप में रखने का प्रस्ताव करती है;

(ट) ऐसी रकम, यदि कोई हो, जिसकी वह लाभांश के रूप में संदत्त किए जाने हेतु सिफारिश करती है;

(ठ) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन और टीका-टिप्पणियां, यदि कोई हों, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत के मध्य घटित हुए हैं जिसके संबंध में वित्तीय विवरण है और रिपोर्ट की तारीख;

(ड) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा उपार्जन और निर्गम, ऐसी रीति में जो विहित की जाए;

(ढ) कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को उपदर्शित करने वाला विवरण जिसके अंतर्गत उसके जोखिम के ऐसे तत्वों, यदि कोई हों, की ऐसी पहचान भी है जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को जोखिम में डाल सकते हैं;

(ण) वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर आरंभ की गई कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में ब्यौरे;

(त) सूचीबद्ध कंपनी और ऐसी समादत्त शेयर पूंजी, जो विहित की जाए, वाली प्रत्येक अन्य पब्लिक कंपनी की दशा में ऐसी रीति को उपदर्शित करने वाला विवरण जिसमें बोर्ड द्वारा स्वयं और उसकी समितियों तथा व्यष्टिक निदेशकों द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है ;

(थ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

(4) इस धारा के अधीन वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाने वाली निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट से एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में, ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें संपरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पण अथवा दावा त्याग पर बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या टीका-टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं ।

(5) उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन में निम्नलिखित कथन होगा—

(क) वार्षिक लेखे की तैयारी में लागू लेखा मानकों का तात्त्विक रूप से अनुसरण न किए जाने से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित पालन किया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी युक्तियुक्त और प्रज्ञापूर्ण लेखा नीतियों का चयन किया था और उनको लगातार लागू किया था और निर्णय तथा प्राक्कलन किए थे, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि का सही और ऋजु वर्णन किया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण करने के लिए समुचित और उचित सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे; और

(ङ) निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी की दशा में, कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अधिकथित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालित हैं।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" पद से कंपनी द्वारा अपने कारबार के सुव्यवस्थित और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत नीतियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जिनके अंतर्गत कंपनी की नीतियों की अनुशक्ति, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करना भी है;

(च) निदेशकों ने, सभी लागू विधियों के अनुसार और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली विकसित की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावशाली रूप से प्रचलित हैं ।

(6) उपधारा (3) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट और उसके कोई उपाबंध, कंपनी के अध्यक्ष द्वारा, यदि बोर्ड द्वारा उसको प्राधिकृत किया गया है, हस्ताक्षरित किए जाएंगे और जहां वह इस प्रकार प्राधिकृत नहीं किया गया है वहां कम से कम दो निदेशकों द्वारा जिसमें से एक प्रबंध निदेशक होगा या जहां केवल एक निदेशक है, वहां निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(7) प्रत्येक वित्तीय विवरण की एक हस्ताक्षरित प्रति, समेकित वित्तीय विवरण के साथ, यदि कोई हो, निम्नलिखित प्रत्येक की एक-एक प्रति के साथ जारी, परिचालित या प्रकाशित की जाएगी—

(क) ऐसे वित्तीय विवरण से उपाबद्ध या उसके भागरूप कोई टिप्पण;

(ख) संपरीक्षक की रिपोर्ट; और

(ग) उपधारा (3) में निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट ।

(8) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगी, तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ।

135. (1) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपए या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या एक हजार करोड़ रुपए या अधिक के आवर्त वाली या पांच करोड़ रुपए या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी, जो तीन या अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिनमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा।

(2) धारा 134 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना का प्रकटन होगा।

(3) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति,—

(क) एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति विरचित करेगी, जो अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए गए या किए जाने वाले कार्यकलाप या कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत होने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करेगी; और

(ग) समय-समय पर, कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को मानीटर करेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड—

(क) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अनुमोदित करेगा और अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति की अन्तर्वस्तुएं प्रकट करेगा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए उसे कंपनी की वेबसाइट पर भी, यदि कोई हो, रखेगा; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में यथा सम्मिलित कार्यकलाप, कंपनी द्वारा किए गए हैं।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है:

परंतु कंपनी अपने आस–पास के ऐसे स्थानीय क्षेत्र और क्षेत्रों को, जहां वह क्रियाशील है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के लिए चिह्नित रकम को खर्च करने में अधिमान देगी:

परंतु यह और कि यदि कंपनी ऐसी रकम खर्च करने में असफल रहती है तो बोर्ड धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ण) के अधीन बनाई गई अपनी रिपोर्ट में, रकम खर्च न करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "औसत शुद्ध लाभ" की संगणना धारा 198 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

संपरीक्षित वित्तीय विवरण की प्रतियां लेने का सदस्य का अधिकार।

136. (1) धारा 101 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वित्तीय विवरणों की प्रति के साथ, वित्तीय विवरणों से उपाबद्ध या संलग्न किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक वित्तीय विवरण जिसके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण भी है, यदि कोई हों, संपरीक्षक की रिपोर्ट और प्रत्येक अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जो साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखी जानी हैं, कंपनी के प्रत्येक सदस्य, कंपनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के डिबेंचर धारक के लिए, प्रत्येक न्यासी को और ऐसे सदस्य या न्यासी से भिन्न उन सभी व्यक्तियों को, जो इसके लिए हकदार व्यक्ति हैं, अधिवेशन की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले भेजी जाएंगी:

परन्तु सूचीबद्ध कंपनी की दशा में, यदि दस्तावेजों की प्रतियां अधिवेशन की तारीख से पूर्व इक्कीस दिन की अवधि के लिए कामकाज के समय के दौरान उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी जाती हैं, और विहित प्ररूप में ऐसे दस्तावेजों की मुख्य बातों वाले विवरण या दस्तावेजों की प्रतियां जो कंपनी ठीक समझे कंपनी के प्रत्येक सदस्य को और कंपनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के धारकों के लिए प्रत्येक न्यासी को जब तक कि शेयर धारक पूर्ण वित्तीय विवरणों के लिए न कहे, अधिवेशन की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले भेजे जाने को इस उपधारा के उपबंधों का अनुपालन किया जाना समझा जाएगा:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार ऐसे शुद्ध मूल्य और आवर्त, जो विहित किया जाए, वाली कंपनियों के, वित्तीय विवरणों के परिचालन की रीति विहित कर सकेगी:

परन्तु यह भी कि सूचीबद्ध कोई कंपनी अपने वित्तीय विवरणों को, जिनके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण भी है और उससे उपाबद्ध किए जाने वाले अन्य सभी दस्तावेजों

को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध भी करवाएगी जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से अनुरक्षित की जाती है :

परन्तु यह भी कि एक समनुषंगी या अधिक समनुषंगी वाली प्रत्येक कंपनी :—

(क) अपनी वेबसाइट पर, यदि कोई हो अपनी प्रत्येक समनुषंगी के संबंध में पृथक् संपरीक्षित लेखे रखेगी;

(ख) कंपनी के ऐसे किसी शेयर धारक को, जो उसके लिए मांग करता है, पृथक् संपरीक्षित विवरणों की प्रति प्रदान करेगी ।

(2) कंपनी, कामकाज के समय के दौरान उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर उपधारा (1) के अधीन कथित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक सदस्य या कंपनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के धारक के न्यासी को अनुज्ञात करेगी ।

(3) यदि इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।

रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने वाले वित्तीय विवरणों की प्रति ।

137. (1) कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन में सम्यक् रूप से अंगीकृत, वित्तीय विवरण जिसके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है, की एक प्रति, उन सभी दस्तावेजों के साथ, जिनका इस अधिनियम के अधीन ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से, ऐसी फीसों या अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाए, धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल की जाएंगी :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन वित्तीय विवरण वार्षिक साधारण अधिवेशन या आस्थगित वार्षिक साधारण अधिवेशन में अंगीकृत नहीं किए जाते हैं, वहां ऐसे गैर–अंगीकृत वित्तीय विवरणों को उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ, वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा और रजिस्ट्रार वित्तीय विवरणों के उस प्रयोजन के लिए आस्थगित वार्षिक साधारण अधिवेशन में उनके अंगीकृत किए जाने के पश्चात् उसके पास फाइल किए जाने तक उसे अनंतिम रूप में अभिलेखों में लेगा :

परंतु यह और कि आस्थगित वार्षिक साधारण अधिवेशन में अंगीकृत वित्तीय विवरणों को ऐसे आस्थगित वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीसों या ऐसी अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाएं, धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि एकल व्यक्ति कंपनी, अपने सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अंगीकृत वित्तीय विवरणों की एक प्रति उन सभी दस्तावेजों के साथ जिनका ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल करेगी :

परन्तु यह भी कि कोई कंपनी, रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने वाले वित्तीय विवरणों के साथ ऐसी समनुषंगी या समनुषंगियों के लेखे संलग्न करेगी जो भारत के बाहर निगमित हुई हैं और जिनका भारत में कारबार का उनका स्थान स्थापित नहीं है ।

(2) जहां किसी वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया है, वहां वार्षिक साधारण अधिवेशन को आयोजित न कराने के तथ्यों और कारणों के विवरण के साथ, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उपधारा (1) के अधीन संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वित्तीय विवरण, उस अंतिम तारीख से, जिससे

पूर्व ऐसा वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाना चाहिए था, तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में, ऐसी फीसों या अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाए, धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल किए जाएंगे ।

(3) यदि कोई कंपनी, धारा 403 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विवरण की प्रति फाइल करने में असफल रहती है तो कंपनी, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, एक हजार रुपए के, किंतु जो दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, जुर्माने से दंडनीय होगी और कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, यदि कोई हो और प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की अनुपस्थिति में, ऐसा कोई अन्य निदेशक, जो बोर्ड द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुपालन के उत्तरदायित्व से प्रभारित किया गया है, और ऐसे किसी निदेशक की अनुपस्थिति में, कंपनी के सभी निदेशक, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होंगे ।

आंतरिक संपरीक्षा ।

138. (1) कंपनी के कृत्यों और कार्यकलापों की आंतरिक संपरीक्षा करने के लिए, कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों से, जो विहित किए जाएं, एक ऐसा आंतरिक संपरीक्षक नियुक्त करने की अपेक्षा की जाएगी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल या ऐसा अन्य वृत्तिक होगा, जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(2) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा ऐसी रीति में अन्तराल विहित कर सकेगी, जिसमें आंतरिक संपरीक्षा की जाएगी और बोर्ड को रिपोर्ट दी जाएगी।

अध्याय 10

संपरीक्षा और संपरीक्षक

संपरीक्षकों की नियुक्ति।

139. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कंपनी, प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन में, किसी ऐसी व्यष्टि या किसी फर्म को संपरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगी, जो उस अधिवेशन के समाप्त होने से उसके छठें वार्षिक साधारण अधिवेशन के समाप्त होने तक और उसके पश्चात् प्रत्येक छठे अधिवेशन के समाप्त होने तक पद धारण करेगा और ऐसे अधिवेशन में कंपनी के सदस्यों द्वारा संपरीक्षकों के चयन की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए:

परंतु कंपनी ऐसी नियुक्ति से संबंधित मामला सदस्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन किए जाने के लिए प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन में रखेगी:

परंतु यह और कि ऐसी नियुक्ति किए जाने से पूर्व, ऐसी नियुक्ति के लिए संपरीक्षक की लिखित सहमति और उससे यह प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा कि नियुक्ति, यदि की जाती है तो, ऐसी शर्तों के अनुसार होगी, जो विहित की जाएं :

परंतु यह भी कि प्रमाणपत्र में यह भी उपदर्शित किया जाएगा कि क्या संपरीक्षक ने धारा 141 में उपबंधित मानदंड का समाधान कर दिया है :

परंतु यह भी कि कंपनी, संबद्ध संपरीक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना देगी और अधिवेशन के, जिसमें संपरीक्षक की नियुक्ति की जाती है, पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को ऐसी नियुक्ति की सूचना भी फाइल करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "नियुक्ति" में पुनर्नियुक्ति भी सम्मिलित है ।

(2) कोई सूचीबद्ध कंपनी या कंपनी के ऐसे वर्ग या वर्गों की, जो विहित किए जाएं, कोई कंपनी निम्नलिखित की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं करेगी,—

(क) संपरीक्षक के रूप में, किसी व्यष्टिक को पांच क्रमवर्ती वर्षों की एक पदावधि से अधिक के लिए; और

(ख) संपरीक्षक के रूप में किसी संपरीक्षा फर्म को पांच क्रमवर्ती वर्षों की दो पदावधि से अधिक के लिए :

परंतु—

(i) कोई ऐसा व्यष्टिक संपरीक्षक जिसने खंड (क) के अधीन अपनी पदावधि पूरी कर ली है, उसकी पदावधि के पूरा होने से पांच वर्ष के लिए उसी कपंनी में संपरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

(ii) कोई ऐसी संपरीक्षा फर्म जिसने खंड (ख) के अधीन अपनी पदावधि पूरी कर ली है, ऐसी पदावधि के पूरा होने से पांच वर्ष के लिए उसी कंपनी में संपरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति की पात्र नहीं होगी :

परंतु यह और कि नियुक्ति की तारीख को, ऐसी कोई संपरीक्षा फर्म, जो किसी अन्य संपरीक्षा फर्म में समान भागीदार या भागीदारों को रखती है, जिसकी अवधि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कंपनी में समाप्त हो चुकी है, पांच वर्ष की अवधि के लिए उसी कंपनी में संपरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पूर्व विद्यमान प्रत्येक ऐसी कंपनी, जिससे इस उपधारा के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर इस उपधारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी :

परंतु यह भी कि इस उपधारा की कोई बात किसी संपरीक्षक को हटाने के कंपनी के अधिकार या कंपनी के ऐसे पद का त्याग करने के संपरीक्षक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कंपनी के सदस्य निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए संकल्प कर सकेगी कि—

(क) किसी लेखापरीक्षा फर्म में उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा भागीदार और उसकी टीम को ऐसे अंतरालों पर, जैसा सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाए, चक्रानुक्रमित किया जाएगा, या

(ख) लेखापरीक्षा, एक से अधिक संपरीक्षकों द्वारा की जाएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसमें कंपनियां उपधारा (2) के अनुसरण में अपने संपरीक्षकों को चक्रानुक्रमित करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "फर्म" शब्द में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन निगमित सीमित दायित्व भागीदारी भी सम्मिलित है ।

2009 का 6

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी सरकारी कंपनी या केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या भागतः केंद्रीय सरकार और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य कंपनी की दशा में, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर,

इस अधिनियम के अधीन कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित किसी संपरीक्षक को नियुक्त करेगा, जो वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति तक के लेखे अंगीकृत किए जाने तक पद धारण करेगा ।

(6) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकारी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी का प्रथम संपरीक्षक, कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और किसी संपरीक्षक को नियुक्त करने में बोर्ड के असफल रहने की दशा में वह, कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा, जो किसी असामान्य असाधारण अधिवेशन में नब्बे दिन के भीतर ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति करेंगे । उक्त संपरीक्षक प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन के समाप्त होने तक पद धारण करेगा ।

(7) उपधारा (1) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य कंपनी की दशा में, प्रथम संपरीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से साठ दिन के भीतर की जाएगी और यदि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो कंपनी का निदेशक बोर्ड अगले तीस दिन के भीतर ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति करेगा । अगले तीस दिन के भीतर ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति करने के बोर्ड के असफल रहने की दशा में, वह, कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा जो असामान्य असाधारण अधिवेशन में साठ दिन के भीतर ऐसे संपरीक्षक को नियुक्त करेंगे, जो पहले वार्षिक साधारण अधिवेशन के समाप्त होने तक पद धारण करेगा ।

(8) किसी संपरीक्षक के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति,—

(i) ऐसी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, जिसके लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं, निदेशक बोर्ड द्वारा तीस दिन के भीतर भरी जाएगी, किंतु यदि ऐसी आकस्मिक रिक्ति, किसी संपरीक्षक के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप हुई है तो ऐसी नियुक्ति को, बोर्ड की सिफारिश के तीन मास के भीतर बुलाए गए साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा अनुमोदित भी किया जाएगा और वह आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेगा;

(ii) ऐसी कंपनी की दशा में, जिसके लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं, तीस दिन के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा भरी जाएगी :

परन्तु भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर रिक्ति नहीं भरता है तो निदेशक बोर्ड अगले तीस दिन के भीतर रिक्ति को भरेगा ।

(9) उपधारा (1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाला कोई संपरीक्षक किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा, यदि—

(क) वह पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है;

(ख) उसने पुनर्नियुक्त किए जाने के लिए अपनी असहमति की लिखित में सूचना, कंपनी को नहीं दे दी है; और

(ग) किसी अन्य संपरीक्षक की नियुक्ति करने वाला या स्पष्ट रूप से यह उपबंध करने वाला कोई विशेष संकल्प, कि वह पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, उस अधिवेशन में पारित नहीं किया गया है ।

(10) जहां किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में किसी संपरीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है, वहां विद्यमान संपरीक्षक, कंपनी के संपरीक्षक के रूप में बना रहेगा ।

(11) जहां कंपनी द्वारा, धारा 177 के अधीन किसी संपरीक्षा समिति का गठन अपेक्षित है, वहां ऐसी सभी नियुक्तियां, जिनके अंतर्गत इस धारा के अधीन किसी संपरीक्षक की आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना भी है, उस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् की जाएंगी ।

संपरीक्षक का हटाया जाना, त्यागपत्र और विशेष सूचना का दिया जाना।

140. (1) धारा 139 के अधीन नियुक्त किया गया संपरीक्षक, उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व केवल कंपनी के किसी विशेष संकल्प द्वारा ही इस निमित्त विहित प्ररूप में केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसके पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, संबंधित संपरीक्षक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(2) ऐसा संपरीक्षक जिसने कंपनी से त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित प्ररूप में कंपनी और रजिस्ट्रार को और धारा 139 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कंपनियों की दशा में संपरीक्षक, ऐसा कथन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को ऐसे कारण और अन्य तथ्य, जो उसके त्यागपत्र के संबंध में सुसंगत हों, उपदर्शित करते हुए एक कथन फाइल करेगा ।

(3) यदि संपरीक्षक उपधारा (2) का अनुपालन नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4)(i) सेवानिवृत्त होने वाले संपरीक्षक से भिन्न किसी व्यक्ति की संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति करने या अभिव्यक्त रूप से यह उपबंध करने संबंधी किसी संकल्प के लिए कि, सेवानिवृत्त होने वाले संपरीक्षक की, तब के सिवाय पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी जब सेवानिवृत्त होने वाले संपरीक्षक ने धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित, यथास्थिति, पांच वर्ष या दस वर्ष की क्रमवर्ती अवधि पूरी कर ली है, वार्षिक साधारण अधिवेशन में विशेष सूचना अपेक्षित होगी ।

(ii) ऐसे संकल्प की सूचना प्राप्त होने पर कंपनी, तुरंत उसकी एक प्रति सेवानिवृत्त होने वाले संपरीक्षक को भेजेगी ।

(iii) जहां ऐसे किसी संकल्प की सूचना दी जाती है और सेवानिवृत्त होने वाला संपरीक्षक उस संबंध में कंपनी को लिखित में अभ्यावेदन करता है (युक्तियुक्त विस्तार से अधिक का न हो) और कंपनी के सदस्यों से अपनी अधिसूचना में कोई अनुरोध करता है वहां कंपनी तब तक जब तक कि उसके द्वारा ऐसा करने के लिए अभ्यावेदन विलंब से प्राप्त नहीं होते,—

(क) कंपनी के सदस्यों को दिए गए संकल्प की किसी सूचना में किए गए अभ्यावेदनों के तथ्य का कथन करेगी; और

(ख) अभ्यावेदनों की एक प्रति कंपनी के उस प्रत्येक सदस्य को भेजेगी जिसको अधिवेशन की सूचना भेजी जाती है चाहे कंपनी द्वारा अभ्यावेदन पहले प्राप्त हुए हैं या बाद में,

और यदि अभ्यावेदन अति विलंब से प्राप्त होने के कारण या कपंनी के व्यतिक्रम के कारण पूर्वोक्त अनुसार अभ्यावेदनों की प्रति नहीं भेजी जाती है तो संपरीक्षक (मौखिक रूप से सुने जाने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्यावेदनों को अधिवेशन में पढ़ा जाए :

परंतु यदि पूर्वोक्त अनुसार अभ्यावेदन की प्रति नहीं भेजी जाती है तो उसकी प्रति रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी :

परंतु यह और कि यदि कंपनी के या किसी अन्य व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि इस उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का संपरीक्षक द्वारा दुरुपयोग किया गया है तो अभ्यावेदन की प्रति को नहीं भेजा जा सकेगा और अधिवेशन में अभ्यावेदन को पढ़ा जाना आवश्यक नहीं होगा ।

(5) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकरण, या तो स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय सरकार द्वारा या संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि क्या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के संपरीक्षक ने कपटपूर्ण रीति में कार्य किया है या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों के संबंध में किसी कपट में दुष्प्रेरण किया है या दुरभिसंधि की है तो वह आदेश द्वारा कंपनी को अपने संपरीक्षकों को बदलने का निदेश दे सकेगा :

परन्तु, यदि कोई आवेदन, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है और अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि संपरीक्षक का परिवर्तन अपेक्षित है तो, वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह आदेश करेगा कि वह संपरीक्षक के रूप में कृत्य नहीं करेगा और केन्द्रीय सरकार, उसके स्थान पर अन्य संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु यह और कि कोई ऐसा संपरीक्षक चाहे वह व्यष्टिक हो या फर्म, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, आदेश पारित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा और ऐसा संपरीक्षक, धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण 1—यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी फर्म की दशा में दायित्व उस फर्म का तथा उसके ऐसे प्रत्येक भागीदार या भागीदारों का होगा जिन्होंने कंपनी अथवा उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी कपटपूर्वक रीति में कार्य किया हो या किसी कपट में दुष्प्रेरण या दुरभिसंधि की हो।

स्पष्टीकरण 2—उस धारा के प्रयोजनों के लिए "संपरीक्षक" शब्द में संपरीक्षकों की कोई फर्म भी सम्मिलित है।

संपरीक्षकों की पात्रता, अर्हताएं और निरर्हताएं ।

141. (1) कोई व्यक्ति, किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा, यदि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट है :

परन्तु कोई ऐसी फर्म जिसके भारत में व्यवसायरत अधिकतर भागीदारों को, जो पूर्वोक्त रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित हैं, उनकी फर्म के नाम से कंपनी का संपरीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा ।

(2) जहां किसी फर्म, जिसके अन्तर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है, की किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां केवल वे भागीदार, जो व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फर्म की ओर से कार्य करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होंगे ।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात् :—

2009 का 6

(क) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी से भिन्न कोई निगमित निकाय;

(ख) कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी;

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो भागीदार है या जो कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी के नियोजन में है;

(घ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वयं या उसका नातेदार या भागीदार,—

(i) कंपनी या उसकी समनुषंगी की या उसकी नियंत्री या सहयुक्त कंपनी की या ऐसी नियंत्री कंपनी की किसी समनुषंगी में कोई प्रतिभूति धारण करता है या उसमें हित रखता है :

परंतु नातेदार, कंपनी में एक हजार रुपए से अनधिक अंकित मूल्य के या ऐसी रकम, जो विहित की जाए, की प्रतिभूति या हित रख सकेगा;

(ii) कंपनी या उसकी समनुषंगी का या उसकी नियंत्री या सहयुक्त कंपनी का या ऐसी नियंत्री कंपनी की किसी समनुषंगी का ऐसी रकम से अधिक का, जो विहित की जाए, ऋणी है; या

(iii) उसने कंपनी या उसकी समनुषंगी को या उसकी नियंत्री या सहयुक्त कंपनी को या ऐसी नियंत्री कंपनी की किसी समनुषंगी को ऐसी रकम के लिए, जो विहित की जाए, किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में कोई गारंटी दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान की है;

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म, जिसका कंपनी, या उसकी समनुषंगी के साथ या नियंत्री या सहयुक्त कंपनी या नियंत्री ऐसी नियंत्री कंपनी या सहयुक्त कंपनी की समनुषंगी के साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी प्रकृति का, जो विहित की जाए, कोई कारोबारी संबंध है;

(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नातेदार, निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कंपनी के नियोजन में है;

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो कहीं और पूर्णकालिक नियोजन में है अथवा कोई ऐसा व्यक्ति या किसी फर्म का कोई भागीदार, जो उसके संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण कर रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति या भागीदार ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख को बीस से अधिक कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण कर रहा हो;

(ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें कपट अन्तर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष की अवधि नहीं बीती है;

(झ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी या अस्तित्व का कोई अन्य रूप जो धारा 144 में यथाउपबंधित परामर्शी और विशिष्ट सेवाओं में नियुक्ति की तारीख को लगा हुआ है ।

(4) जहां, किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पश्चात् उपधारा (3) में वर्णित निरर्हताओं में से कोई निरर्हता उपगत करता है, वहां वह ऐसे संपरीक्षक के रूप में अपना पद रिक्त कर देगा और ऐसी रिक्ति, संपरीक्षक के पद पर आकस्मिक रिक्ति समझी जाएगी ।

संपरीक्षकों के पारिश्रमिक।

142. (1) किसी कंपनी के संपरीक्षक का पारिश्रमिक, उसके साधारण अधिवेशन में या ऐसी रीति में नियत किया जाएगा, जो उसमें अवधारित की जाए:

परन्तु बोर्ड उसके द्वारा नियुक्त किए गए पहले संपरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारिश्रमिक के अन्तर्गत किसी संपरीक्षक को संदेय फीस के अतिरिक्त कंपनी की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक द्वारा उपगत किए गए व्यय, यदि कोई हों, और उसको विस्तारित कोई सुविधा भी होगी, किंतु इसमें कंपनी के अनुरोध पर उसके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए उसे संदत्त कोई पारिश्रमिक उसमें सम्मिलित नहीं है ।

संपरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य तथा संपरीक्षा मानक।

143. (1) कंपनी के प्रत्येक संपरीक्षक को कंपनी की लेखाबहियों और वाउचरों तक, चाहे वे कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या किसी अन्य स्थान पर रखे गए हों, सभी समय पर पहुंच का अधिकार होगा और वह कंपनी अधिकारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने का हकदार होगा, जो वह संपरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे, तथा वह अन्य विषयों के साथ निम्नलिखित विषयों की जांच करेगा, अर्थात् :—

(क) क्या प्रतिभूति के आधार पर कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम उचित रूप से प्रतिभूत किए गए हैं और क्या ऐसे निबंधन जिनके आधार पर उन्हें दिया गया है कंपनी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं;

(ख) क्या कंपनी ऐसे संव्यवहार जो केवल बही की प्रविष्टियों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डालते हैं;

(ग) जहां कोई कंपनी विनिधान कंपनी या बैंककारी कंपनी नहीं है तो क्या वहां कंपनी की उतनी आस्तियों का, जो शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में हैं, ऐसे मूल्य पर विक्रय किया गया है जो उससे कम है जिस पर कंपनी द्वारा उन्हें क्रय किया गया था;

(घ) क्या कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों को निक्षेप के रूप में दर्शाया गया है;

(ङ) क्या व्यक्तिगत व्ययों को राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है;

(च) जहां कंपनी की बहियों और कागज पत्रों में यह कथन किया गया है कि नकद के स्थान पर कोई शेयर आबंटित किया गया है, क्या नकद वास्तविक रूप से ऐसे आबंटन की बाबत प्राप्त किया गया है और यदि इस प्रकार कोई नकद प्राप्त नहीं किया गया है तो क्या लेखा बहियों और तुलनपत्र में यथाकथित स्थिति सही है, नियमित है और भ्रामक नहीं है :

परंतु किसी ऐसी कंपनी के, जो नियंत्री कंपनी है, संपरीक्षक को, उसकी सभी समनुषंगियों के अभिलेखों तक, जहां तक उसका संबंध उसकी समनुषंगियों के वित्तीय विवरणों के साथ उसके वित्तीय विवरण के समेकन से है, पहुंच का भी अधिकार होगा।

(2) संपरीक्षक, अपने द्वारा परीक्षित लेखाओं पर और प्रत्येक वित्तीय विवरण या ऐसे अन्य दस्तावेज के संबंध में, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं, कंपनी के सदस्यों को एक रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट में इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखने के पश्चात् उन लेखाओं और संपरीक्षा मानकों और विषयों, जिनका इस अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन या उपधारा (11) के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है और उसकी सर्वोत्तम जानकारी तथा ज्ञान के अनुसार उक्त लेखे, वित्तीय विवरण या अन्य दस्तावेज, कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में उसके कार्यों की स्थिति और वर्ष के लिए लाभ या हानि और नकद प्रवाह का और ऐसे अन्य विषयों का, जो विहित किए जाएं, सही और ऋजु चित्रण देते हैं ।

(3) संपरीक्षक की रिपोर्ट में यह भी कथित होगा कि—

(क) क्या उसने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों की ईप्सा की है और उन्हें अभिप्राप्त कर लिया है, जो उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उसकी संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और यदि नहीं तो उनके ब्यौरे और वित्तीय विवरणों पर ऐसी जानकारी का प्रभाव बताएं;

(ख) क्या उसकी राय में जहां तक उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा वे सब समुचित लेखा-बहियां, जो विधि द्वारा अपेक्षित हैं, रखी गई हैं तथा संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए यथेष्ट समुचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हो गई हैं, जिन पर वह गया नहीं है;

(ग) क्या उपधारा (8) के अधीन कंपनी के संपरीक्षक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा संपरीक्षित कंपनी के किसी शाखा कार्यालय के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट, उस उपधारा के परंतुक के अधीन उसे भेजी गई है और वह रीति, जिसमें उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में कार्यवाही की है;

(घ) क्या कंपनी का तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा, जो रिपोर्ट में वर्णित है, लेखाबहियों और विवरणियों के अनुसार हैं;

(ङ) क्या उसकी राय में, वित्तीय विवरण लेखा मानकों और संपरीक्षा मानकों के अनुरूप है;

(च) वित्तीय संव्यवहारों या विषयों पर संपरीक्षकों के संप्रेक्षण या टीका-टिप्पणियां, जो कपंनी के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हैं;

(छ) क्या कोई निदेशक धारा 164 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त होने से निरर्हित है;

(ज) लेखे रखे जाने और उनसे संबद्ध अन्य विषयों से संबंधित कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पण;

(झ) क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का प्रभावशाली प्रचालन है;

(ञ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

(4) जहां इस धारा के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित किन्हीं विषयों का नकारात्मक या अर्हता के साथ उत्तर दिया गया है, वहां रिपोर्ट में उसके कारणों का कथन किया जाएगा ।

(5) किसी सरकारी कंपनी की दशा में, भारत का नियंत्रक–महालेखापरीक्षक धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन संपरीक्षक की नियुक्ति करेगा और संपरीक्षक को उस रीति के प्रति निदेश देगा जिसमें सरकारी कंपनी के लेखाओं को संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित होगा और तत्पश्चात् इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों, यदि कोई हों, उस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरण पर उसके प्रभाव का उल्लेख होगा, की एक प्रति भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(6) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को, उपधारा (5) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर,—

(क) कंपनी के वित्तीय विवरण की ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, अनुपूरक संपरीक्षा कराने और ऐसे संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उन मामलों पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी या अतिरिक्त जानकारी की ऐसे प्ररूप में, जैसा भारत का नियंत्रक–महालेखापरीक्षक निदेश दें, अपेक्षा करने का अधिकार होगा; और

(ख) ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट पर टीका–टिप्पणी करने या उसमें अनुपूरक लगाने का अधिकार होगा:

परंतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कोई टीका-टिप्पणियां या उसके साथ लगाए गए अनुपूरक को कंपनी द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो धारा 136 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां पाने का हकदार है, भेजा जाएगा और कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष भी उसे उसी समय और उसी रीति में रखा जाएगा जैसे संपरीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।"।

(7) इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कंपनी की दशा में, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो आदेश द्वारा ऐसी कंपनी के लेखाओं की संपरीक्षा परीक्षण संचालित कराएगा और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क के उपबंध ऐसी संपरीक्षा परीक्षण की रिपोर्ट को लागू होंगे । 1971 का 56

(8) जहां किसी कंपनी का कोई शाखा कार्यालय है, वहां उस कार्यालय के लेखे, या तो इस अधिनियम के अधीन कंपनी के लिए नियुक्त किए गए संपरीक्षक द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी का संपरीक्षक कहा गया है) या इस अधिनियम के अधीन कंपनी के किसी संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित और धारा 139 के अधीन उस रूप में नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे या जहां कोई शाखा कार्यालय, भारत के बाहर किसी देश में स्थित है, वहां शाखा कार्यालय के लेखे उस देश की विधि के अनुसार या तो कंपनी के संपरीक्षक द्वारा या शाखा कार्यालय के लेखे के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित किसी लेखापाल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे और शाखा की संपरीक्षा यदि कोई है, के संबंध में कंपनी के संपरीक्षक तथा शाखा संपरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु शाखा संपरीक्षक, उसके द्वारा परीक्षित शाखा के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे कंपनी के संपरीक्षक को भेजेगा, जो अपनी रिपोर्ट में उस पर ऐसी रीति से कार्रवाई करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(9) प्रत्येक संपरीक्षक, संपरीक्षा मानकों का पालन करेगा ।

(10) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से और उसके द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा करने के पश्चात्, चार्टर्ड अकांउटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान द्वारा सिफारिश के अनुसार लेखा मानक विहित कर सकेगी : 1949 का 38

परंतु संपरीक्षा मानकों के अधिसूचित किए जाने तक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी लेखा मानक या मानकों को संपरीक्षा लेखा मानक समझा जाएगा ।

(11) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्णन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश कर सकेगी कि संपरीक्षक की रिपोर्ट में ऐसे विषयों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक कथन भी सम्मिलित किया जाएगा ।

(12) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी के संपरीक्षक के पास, संपरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में, यह विश्वास करने का कारण है कि कपट वाला कोई अपराध कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध किया गया है तो वह ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मामले की रिपोर्ट तुरंत केन्द्रीय सरकार को करेगा।

(13) ऐसे किसी कर्तव्य के बारे में, जिसके अध्यधीन कंपनी का संपरीक्षक हो, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने उपधारा (12) में निर्दिष्ट मामले का अपनी रिपोर्टिंग के कारण उल्लंघन किया है, यदि वह सद्भाव में की गई है।

(14) इस धारा के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित निम्नलिखित को लागू होंगे,—

(क) धारा 148 के अधीन लागत संपरीक्षा करने वाला व्यवसायरत लागत लेखापाल; या

(ख) धारा 204 के अधीन अनुसचिवीय संपरीक्षा करने वाला व्यवसायरत कंपनी सचिव।

(15) यदि कोई व्यवसायरत संपरीक्षक, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, उपधारा (12) के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

संपरीक्षक द्वारा कतिपय सेवाओं का प्रदान न किया जाना।

144. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई संपरीक्षक, कंपनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा, जो, यथास्थिति, निदेशक बोर्ड या संपरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं, किंतु इनमें निम्नलिखित सेवाओं में से कोई सेवा सम्मिलित नहीं होगी, चाहे ऐसी सेवाएं कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी कंपनी के लिए प्रत्यक्ष रूप से की जाती है या अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात् :—

(क) लेखाकर्म और बही खाता रखने की सेवाएं;

(ख) आंतरिक संपरीक्षा;

(ग) किसी वित्तीय सूचना प्रणाली की परिकल्पना और क्रियान्वयन;

(घ) बीमांकिक सेवाएं;

(ङ) विनिधान परामर्शी सेवाएं;

(च) विनिधान बैंककारी सेवाएं;

(छ) ब्राह्य स्रोत की वित्तीय सेवाओं का प्रदान किया जाना;

(ज) प्रबंध सेवाएं; और

(झ) किसी अन्य प्रकार की ऐसी सेवाएं, जो विहित की जाएं:

परंतु ऐसा कोई संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व संपरीक्षा सेवाओं से इतर सेवाएं कर रहा है या कर रही है, ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करेगा या करेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "प्रत्यक्ष रूप से" या "अप्रत्यक्ष रूप से" पद में संपरीक्षक द्वारा सेवाओं का प्रदान किया जाना भी सम्मिलित है,—

(i) ऐसे संपरीक्षक की दशा में जो व्यष्टि है, या तो स्वयं या उसके संबंधी अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जो ऐसे व्यष्टि से संबंधित या उसका सहबद्ध है अथवा किसी अन्य अस्तित्व के माध्यम से चाहे उसमें ऐसे व्यष्टि का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो अथवा न हो जिसका नाम या व्यापार चिह्न अथवा ब्रांड का ऐसे व्यष्टि द्वारा उपयोग किया जाता है या नहीं;

(ii) ऐसे संपरीक्षक की दशा में जो फर्म है, या तो स्वयं या उसके किसी भागीदार के माध्यम से अथवा उसके मूल, समनुषंगी या सहयुक्त अस्तित्व के माध्यम से या किसी अन्य अस्तित्व के माध्यम से चाहे उसमें फर्म या फर्म के किसी भागीदार का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो या न हो या जिसका नाम, व्यापार चिह्न अथवा ब्रांड का ऐसी फर्म या उसके किसी भागीदार द्वारा उपयोग किया जाता है या नहीं।

संपरीक्षा रिपोर्टों, आदि पर संपरीक्षक का हस्ताक्षर किया जाना।

145. कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, धारा 141 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षक की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा या कंपनी के किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर या उसको प्रमाणित करेगा और ऐसे मामलों या वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में ऐसी अर्हताओं, संप्रेक्षणों या टीका टिप्पणियां जिनसे संपरीक्षक की रिपोर्ट में वर्णित कंपनी के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष पढ़ा जाएगा तथा कंपनी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।

संपरीक्षकों का साधारण अधिवेशन में उपस्थित होना ।

146. किसी साधारण अधिवेशन की सभी सूचनाएं और उससे संबंधित अन्य संसूचनाएं, कंपनी के संपरीक्षक को भेजी जाएंगी और संपरीक्षक जब तक कंपनी द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो या तो स्वयं या अपने ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जो संपरीक्षक के रूप में अर्हित होगा, किसी साधारण अधिवेशन में उपस्थित होगा और उसे ऐसे अधिवेशन के कारबार के किसी ऐसे भाग को, जो संपरीक्षक के रूप में उससे संबद्ध है, सुने जाने का अधिकार होगा ।

उल्लंघन के लिए दंड।

147. (1) यदि धारा 139 से धारा 146 (दोनों सम्मिलित) तक के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, तो कंपनी, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी

का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) यदि कंपनी का कोई संपरीक्षक धारा 139, धारा 143, धारा 144 या धारा 145 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो संपरीक्षक जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु यदि ऐसा संपरीक्षक कंपनी या उसके शेयर धारकों या लेनदारों अथवा कर प्राधिकारियों की प्रवंचना के आशय से ऐसे उपबंधों का जानते हुए या जानबूझकर उल्लंघन करेगा, तो संपरीक्षक कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) जहां किसी संपरीक्षक को उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, वहां वह,—

(i) उसके द्वारा प्राप्त किए गए पारिश्रमिक का कंपनी को प्रतिदाय करने के लिए दायी होगा; और

(ii) कंपनी, कानूनी निकायों या प्राधिकारियों को या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को, उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट में की गई विशिष्टियों के गलत या भ्रामक कथनों से होने वाली हानि के लिए किसी नुकसानी का संदाय करने के लिए, दायी होगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन कंपनी या व्यक्तियों को नुकसानी का तुरंत संदाय सुनिश्चित करने के लिए किसी कानूनी निकाय या प्राधिकारी या किसी अधिकारी को, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी और ऐसा निकाय, प्राधिकारी या अधिकारी, ऐसी नुकसानी का ऐसी कंपनी या व्यक्तियों को संदाय करने के पश्चात् ऐसी नुकसानी करने की बाबत केंद्रीय सरकार के पास रिपोर्ट, ऐसी रीति में, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, फाइल करेगा।

(5) जहां किसी संपरीक्षा फर्म द्वारा संचालित की जा रही किसी कंपनी की संपरीक्षा की दशा में यह साबित हो जाता है कि संपरीक्षा भागीदार या भागीदारों ने कपटपूर्ण रीति में कार्य किया है या कंपनी या उसके निदेशकों अथवा अधिकारियों के संबंध में या उनके साथ किसी कपट के लिए दुष्प्रेरण या दुस्संधि की है, वहां ऐसे कृत्य के लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथाउपबंधित सिविल या दांडिक दायित्व संपरीक्षा फर्म से संबंधित भागीदार या भागीदारों और फर्म का संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से होगा।

केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय कंपनियों के संबंध में लागत की मदों की संपरीक्षा विनिर्दिष्ट किया जाना।

148. (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे माल के उत्पादन में या ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने में जो उसमें विहित की जाएं, लगी कंपनियों के ऐसे वर्ग के संबंध में यह निदेश दे सकेगी कि कंपनियों के ऐसे वर्ग द्वारा रखी गई लेखे की बहियों में, सामग्री या श्रम के उपयोग या लागत की ऐसी अन्य मदें, जो विहित की जाएं, से संबंधित विशिष्टियां भी सम्मिलित की जाएंगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, किसी विशेष अधिनियम के अधीन विनियमित कंपनियों के किसी वर्ग की बाबत ऐसा आदेश जारी करने से पूर्व ऐसे विशेष अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित विनियामक निकाय से परामर्श करेगी ।

(2) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी कंपनियों के वर्ग, जो उपधारा (1) के अंतर्गत आते हैं और जिनका शुद्ध मूल्य ऐसी रकम है, जो विहित की जाए या जिनका आवर्त ऐसी रकम का है, जो विहित की जाए, ऐसी कंपनियों के वर्ग के खर्च अभिलेखों की संपरीक्षा उसमें विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षा, ऐसे व्यवसायरत ऐसे लागत लेखापाल द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति यथाविहित रीति से सदस्यों द्वारा अवधारित किए जाने वाले पारिश्रमिक पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी :

परंतु धारा 139 के अधीन कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, लागत अभिलेखों की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि लागत संपरीक्षा करने वाला संपरीक्षक लागत संपरीक्षा मापदंडों का पालन करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "लागत संपरीक्षा मापदंडों" से ऐसे लागत संपरीक्षा मापदंड अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अधीन गठित भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए जाएं ।

1959 का 23

(4) इस धारा के अधीन की गई कोई संपरीक्षा, धारा 143 के अधीन की गई संपरीक्षा के अतिरिक्त होगी ।

(5) इस अध्याय के अधीन संपरीक्षकों को लागू अर्हताएं, निरर्हताएं, अधिकार, कर्तव्य और बाध्यताएं, जहां तक लागू हों, इस धारा के अधीन नियुक्त किसी लागत संपरीक्षक को लागू होंगी और कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह कंपनी के लागत अभिलेखों की संपरीक्षा करने के लिए इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए किसी लागत संपरीक्षक को सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान करें :

परंतु लागत अभिलेखों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट, व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड को, प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) कंपनी, उपधारा (2) के अधीन किसी निदेश के अनुसरण में तैयार की गई लागत संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, केंद्रीय सरकार को उस रिपोर्ट में अंतर्विष्ट पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रत्येक आरक्षण या अर्हता सहित ऐसी रिपोर्ट देगी ।

(7) यदि, इस धारा के अधीन निर्दिष्ट लागत संपरीक्षा रिपोर्ट और उपधारा (6) के अधीन कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि कोई और जानकारी या स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो वह ऐसी और जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांग सकेगी और कंपनी, ऐसे समय के भीतर, जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसे उस सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(8) यदि इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया गया है तो,—

(क) कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, धारा 147 की उपधारा (1) में यथाउपबंधित रीति में, दंडनीय होगा;

(ख) कंपनी का ऐसा लागत संपरीक्षक, जो व्यतिक्रमी है, धारा 147 की उपधारा (2) से धारा (4) में यथा उपबंधित रीति में, दंडनीय होगा ।

अध्याय 11

निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं

149. (1) प्रत्येक कंपनी का एक निदेशक बोर्ड होगा, जिसमें निदेशक के रूप में व्यष्टि होंगे और— कंपनी का निदेशक बोर्ड होना ।

(क) पब्लिक कंपनी की दशा में, न्यूनतम तीन निदेशक, प्राइवेट कंपनी की दशा में दो निदेशक और एक व्यक्ति कंपनी की दशा में एक निदेशक होगा; और

(ख) अधिकतम पन्द्रह निदेशक होंगे :

परन्तु कंपनी विशेष संकल्प के पारित करने के पश्चात् पन्द्रह से अधिक निदेशक नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु यह और कि किन्हीं कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों में, जो विहित किए जाएं, कम से कम एक स्त्री निदेशक होगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पूर्व विद्यमान प्रत्येक कंपनी ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर उपधारा (1) के उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(3) प्रत्येक कंपनी, कम से कम एक ऐसा निदेशक रखेगी जिसने, पूर्व कलैंडर वर्ष में कम से कम एक सौ बयासी दिन की कुल अवधि के लिए भारत में निवास किया है ।

(4) प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी में, निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के रूप में होंगे और केंद्रीय सरकार, अन्य कंपनियों के वर्ग या वर्गों की दशा में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या विहित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी एक तिहाई संख्या में अंतर्विष्ट किसी भिन्नांश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा ।

(5) इस अधिनियम के प्रारंभ में या उसके पूर्व विद्यमान प्रत्येक कंपनी, प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर या इस संबंध में ऐसे नियमों की, जो लागू हों, अधिसूचना की तारीख से उपधारा (3) के उपबंधों की अपेक्षाओं का पालन करेगी ।

(6) किसी कंपनी के संबंध में स्वतंत्र निदेशक से, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या नामनिर्देशिती निदेशक से भिन्न ऐसा निदेशक अभिप्रेत है,—

(क) जो बोर्ड की राय में सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है और जिसके पास सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव है;

(ख) (i) जो कंपनी या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक निदेशक नहीं है या नहीं था;

(ii) जो ऐसी कंपनी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में संपरिवर्तकों या निदेशकों का नातेदार नहीं है;

(ग) जिसका ठीक दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी, उसकी किसी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ कोई धनीय संबंध नहीं है या नहीं था;

(घ) जिसके किसी भी नातेदार का, कंपनी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ या उसके संप्रवर्तक के साथ या निदेशकों के साथ ठीक दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्षों के दौरान उसके सकल आवर्त या कुल आय का या पचास लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम का, जो विहित की जाए, इनमें से जो भी कम हो, दो प्रतिशत या उससे अधिक तक का धनीय संबंध या संव्यवहार नहीं है, या नहीं था;

(ङ) जो, न तो स्वयं, न ही उसका कोई नातेदार—

(i) उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें उसके नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष में कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पद धारित करता है या धारित किया है या कंपनी या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का कर्मचारी रहा है या रहा था;

(ii) उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसके नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित का कर्मचारी या स्वत्वधारी या भागीदार है या रहा है—

(अ) व्यवसायरत लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों या कंपनी या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की किसी फर्म; या

(आ) कोई विधिक या परामर्शी फर्म, जिसका कंपनी, या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसी फर्म के कुल सकल आवर्त के दस प्रतिशत या उससे अधिक तक कोई संव्यवहार है या था ;

(iii) अपने नातेदारों के साथ कंपनी की कुल मतदान शक्ति का दो प्रतिशत या उससे अधिक धारित करता है; या

(iv) किसी ऐसे गैर-लाभकारी संगठन का मुख्य कार्यपालक या निदेशक है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अपनी प्राप्तियों का पच्चीस प्रतिशत या अधिक कंपनी, उसके किन्हीं संप्रवर्तकों, निदेशकों या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से प्राप्त करता है या कंपनी की कुल मतदान शक्ति का पांच प्रतिशत या अधिक धारित करता है; या

(च) ऐसी अन्य अर्हताएं रखता है, जो विहित की जाएं ।

(7) प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड के पहले अधिवेशन में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड के पहले अधिवेशन में या जब कभी परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिससे स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी प्रास्थिति प्रभावित हो, यह घोषणा करेगा कि वह उपधारा (6) में यथा उपबंधित सभी स्वतंत्र मापदंडों को पूरा करता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नामनिर्देशिती निदेशक" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों या किसी करार के अनुसरण में किसी वित्तीय संस्था द्वारा नामनिर्देशित या किसी सरकार द्वारा नियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कोई निदेशक अभिप्रेत है ।

(8) कंपनी और स्वतंत्र निदेशक अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट उपबंधों का पालन करेंगे ।

(9) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किंतु धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई स्वतंत्र निदेशक किसी स्टाक विकल्प का हकदार नहीं होगा और वह धारा 197 की उपधारा (5) के अधीन उपबंधित फीस के रूप में पारिश्रमिक, बोर्ड की और अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा ऐसे लाभ संबंधी कमीशन, जैसे सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाएं, प्राप्त कर सकेगा।

(10) धारा 152 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई स्वतंत्र निदेशक किसी कंपनी के बोर्ड में पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा किन्तु कंपनी द्वारा विशेष संकल्प पारित करके और बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति के प्रकटन द्वारा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(11) उपधारा (10) में किसी बात के होते हुए भी, कोई स्वतंत्र निदेशक दो लगातार अवधियों से अधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा किन्तु ऐसा स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में न रहने के तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु कोई स्वतंत्र निदेशक, उक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी अन्य हैसियत में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उसके साथ सहयोजित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (10) और उपधारा (11) के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी स्वतंत्र निदेशक की किसी कार्यावधि की गणना, उन उपधाराओं के अधीन किसी पदावधि के रूप में नहीं की जाएगी।

(12) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(i) कोई स्वतंत्र निदेशक;

(ii) कोई गैर–कार्यपालक निदेशक, जो संप्रवर्तक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं है,

कंपनी द्वारा किए गए केवल ऐसे कार्यों के लोप या उनको किए जाने के संबंध में दायी होगा, जिसको बोर्ड की प्रक्रिया के माध्यम से उसकी जानकारी में और सहमति या मौनानुकूलता में किया गया था या जहां उसने तत्परतापूर्वक कार्य नहीं किया था ।

(13) चक्रानुक्रम द्वारा निदेशकों की सेवानिवृति के संबंध में उपधारा 152 की उपधारा (6) और उपधारा (7) के उपबंध, स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति को लागू नहीं होंगे।

स्वतंत्र निदेशकों के चयन की रीति और स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का अनुरक्षण।

150. (1) धारा 149 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी स्वतंत्र निदेशक का, किसी ऐसे निकाय, संस्थान या संगम द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जो ऐसे डाटा बैंक के सृजन और अनुरक्षण में विशेषज्ञता रखता हो और ऐसे निदेशकों की नियुक्ति करने में कंपनी द्वारा उपयोग करने के लिए उनकी वेबसाइट पर रखता हो, अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित और इच्छुक व्यक्तियों के नाम, पते और पात्रता वाले डाटा बैंक से चयन किया जा सकेगा :

परंतु ऊपर निर्दिष्ट डाटा बैंक से एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करने से पूर्व सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने का उत्तरदायित्व ऐसी नियुक्ति करने वाली कंपनी का होगा ।

(2) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति धारा 152 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उक्त नियुक्ति पर विचार करने के लिए बुलाए गए साधारण अधिवेशन की सूचना से संलग्न स्पष्टीकारक कथन में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नियुक्त व्यक्ति का निर्वचन करने की अधिकारिता उपदर्शित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा बैंक, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का डाटा सृजित और अनुरक्षित करेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के चयन की रीति और प्रक्रिया विहित कर सकेगी, जो धारा 149 के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अपेक्षाएं पूरी करते हैं।

छोटे शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक की नियुक्ति ।

151. एक सूचीबद्ध कंपनी के पास ऐसे छोटे शेयरधारकों द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे निबंधन तथा शर्तों के साथ जो विहित की जाएं, निर्वाचित एक निदेशक होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''छोटे शेयरधारकों'' से बीस हजार रुपए से अनधिक के या ऐसी अन्य राशि के, जो विहित की जाए, अभिहित मूल्य के शेयर धारण करने वाले शेयर धारक अभिप्रेत हैं ।

निदेशकों की नियुक्ति।

152. (1) जहां प्रथम निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के अनुच्छेदों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहां ज्ञापन के ऐसे हस्ताक्षरकर्ताओं को, जो व्यष्टिक हैं, तब तक कंपनी के प्रथम निदेशक के रूप में समझा जाएगा, जब तक सम्यक् रूप से निदेशक नियुक्त नहीं किए जाते हैं और किसी ऐसे एक व्यक्ति कंपनी की दशा में किसी सदस्य के रूप में व्यष्टि को जब तक इस धारा के उपबंधों के अनुसार सदस्य द्वारा निदेशक या निदेशकों की सम्यक् रूप से नियुक्ति नहीं की जाती है, उसका प्रथम निदेशक समझा जाएगा ।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा की जाएगी ।

(3) किसी व्यक्ति को तब तक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसे धारा 154 के अधीन निदेशक पहचान संख्यांक आबंटित नहीं किया गया हो।

(4) साधारण अधिवेशन में या अन्यथा कंपनी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक व्यक्ति अपना निदेशक पहचान संख्यांक देगा और यह घोषणा करेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निदेशक होने के लिए निरर्हित नहीं है ।

(5) निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे निदेशक का पद धारण करने की अपनी सहमति नहीं देता है और ऐसी सहमति उसकी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल न कर दी जाए :

परंतु साधारण अधिवेशन में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की दशा में, साधारण सभा के लिए सूचना से उपाबद्ध ऐसी नियुक्ति के लिए स्पष्टीकारक कथन में ऐसा कथन सम्मिलित किया जाएगा कि बोर्ड की राय में वह ऐसी नियुक्ति के लिए इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है ।

(6)(क) जब तक कि प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन में सभी निदेशकों की सेवानिवृत्ति के लिए अनुच्छेदों में उपबंध नहीं किया जाता है, किसी पब्लिक कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या के दो–तिहाई से अनधिक निदेशक—

(i) ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी पदावधि चक्रानुक्रम द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति द्वारा अवधारणीय होगी; और

(ii) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में नियुक्त किए जाएंगे ।

(ख) ऐसी कंपनी की दशा में शेष निदेशकों की भी कंपनी के अनुच्छेदों में विनियमों के अभाव में और उनके अधीन रहते हुए, साधारण अधिवेशन में नियुक्ति की जाएगी ।

(ग) ऐसे साधारण अधिवेशन की तारीख के पश्चात् जिसमें खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार प्रथम निदेशकों की नियुक्ति की जाती है आयोजित किसी पब्लिक कंपनी के पहले वार्षिक अधिवेशन में, और प्रत्येक पश्चात्वर्ती वार्षिक साधारण अधिवेशन में ऐसे निदेशकों की संख्या में के एक–तिहाई निदेशक जो तत्समय चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्ति के लिए दायी हैं या यदि उनकी संख्या तीन या तीन का गुणित नहीं है तो एक–तिहाई के निकटतम संख्या में पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे ।

(घ) प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन में चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अंतिम नियुक्ति के बाद दीर्घकाल के लिए पदासीन हैं किंतु ऐसे व्यक्तियों के मध्य जो एक ही दिन निदेशक बने हैं , जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, किसी व्यतिक्रम में और उनके बीच हुए किसी करार के अधीन रहते हुए लाट द्वारा अवधारण किया जाएगा ।

(ङ) ऐसे वार्षिक साधारण अधिवेशन में जिसमें यथापूर्वोक्त कोई निदेशक सेवानिवृत्त किया जाता है, कंपनी सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक या उसके किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "निदेशकों की कुल संख्या" के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक नहीं आएंगे चाहे उनकी नियुक्ति किसी कंपनी बोर्ड में इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की गई हो।

(7) (क) यदि सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक की रिक्ति इस प्रकार नहीं भरी जाती है और अधिवेशन में रिक्ति को न भरे जाने का अभिव्यक्त रूप से संकल्प पारित नहीं किया जाता है तो अधिवेशन, आगामी सप्ताह में समान दिन, समान समय और स्थान पर या यदि उस दिन कोई राष्ट्रीय अवकाश है तो आगामी उत्तरवर्ती दिन जो अवकाश का नहीं हो, समान समय और स्थान पर होने के लिए स्थगित हो जाएगा ।

(ख) यदि स्थगित अधिवेशन में भी सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक की रिक्ति नहीं भरी जाती है और अधिवेशन में रिक्ति को न भरे जाने का अभिव्यक्त रूप से संकल्प पारित भी नहीं किया जाता है तो स्थगित अधिवेशन में सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक को पुनःनियुक्त किया गया समझा जाएगा, जब तक कि—

(i) उस अधिवेशन में या पूर्व अधिवेशन में ऐसे निदेशक की पुनर्नियुक्ति के लिए कोई संकल्प अधिवेशन में न रखा हो और नष्ट न कर दिया गया हो;

(ii) सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक ने, कंपनी को या उसके निदेशक बोर्ड को सम्बोधित करते हुए लिखित में सूचना द्वारा इस प्रकार पुनर्नियुक्ति किए जाने की अपनी अनिच्छा व्यक्त की हो;

(iii) वह नियुक्ति के लिए अर्हित न हो या निरर्हित हो;

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के आधार पर उसकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए कोई संकल्प चाहे विशेष हो या साधारण हो, अपेक्षित न हो; या

(v) मामले को धारा 162 लागू न होती हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 160 के प्रयोजनों के लिए "सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक" से संकल्प द्वारा सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक अभिप्रेत है ।

निदेशक पहचान संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन ।

153. किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आशयित प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में और ऐसी फीसों के साथ, जो विहित की जाए, निदेशक पहचान संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करेगा ।

निदेशक पहचान संख्यांक का आबंटन।

154. केन्द्रीय सरकार, धारा 153 के अधीन आवेदन की प्राप्ति से एक मास के भीतर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी आवेदक को निदेशक पहचान संख्यांक आबंटित करेगी ।

एक से अधिक निदेशक पहचान संख्यांक अभिप्राप्त करने का प्रतिषेध ।

155. कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 154 के अधीन निदेशक पहचान संख्यांक पहले ही आबंटित कर दिया गया है, दूसरे निदेशक पहचान संख्यांक के लिए आवेदन नहीं करेगा, उसे अभिप्राप्त नहीं करेगा या नहीं रखेगा ।

निदेशक द्वारा निदेशक पहचान संख्यांक सूचित किया जाना ।

156. प्रत्येक विद्यमान निदेशक, केन्द्रीय सरकार से निदेशक पहचान संख्यांक की प्राप्ति से एक मास के भीतर, उस कंपनी या सभी कंपनियों को, जिनमें वह निदेशक है, अपने निदेशक पहचान संख्यांक की सूचना देगा ।

कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को निदेशक पहचान संख्यांक सूचित किया जाना ।

157. (1) प्रत्येक कंपनी, धारा 156 के अधीन सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी फीसों के साथ, जो विहित की जाए, या धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाए, अपने सभी निदेशकों के निदेशक पहचान संख्यांक देगी और प्रत्येक ऐसी सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में दी जाएगी जो विहित की जाए ।

(2) यदि कोई कंपनी अतिरिक्त फीस के साथ धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (1) के अधीन निदेशक पहचान संख्यांक देने में असफल रहेगी तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा ।

निदेशक पहचान संख्यांक उपदर्शित करने की बाध्यता ।

158. प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी, किसी ऐसी विवरणी, सूचना या विशिष्टियां, जिनका इस अधिनियम के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, देते समय ऐसी विवरणी, सूचना या विशिष्टियों में निदेशक पहचान संख्यांक का उल्लेख करेगी, यदि ऐसी विवरणी, सूचना या विशिष्टियां निदेशक के संबध में हैं या उनमें किसी निदेशक के प्रति कोई निर्देश अन्तर्विष्ट है ।

उल्लंघन के लिए दंड।

159. यदि किसी कंपनी का कोई व्यष्टि या निदेशक धारा 152, धारा 155 और धारा 156 के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो, कंपनी का ऐसा व्यष्टि या निदेशक कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जहां उल्लंघन जारी रहेगा वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहेगा, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

160. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 152 के निबंधनों के अनुसार निवृत्तमान निदेशक नहीं है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी साधारण अधिवेशन में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि उसने या निदेशक के रूप में उसका प्रस्ताव करने का आशय रखने वाले किसी सदस्य ने, यथास्थिति, निदेशक के रूप में अपनी अभ्यर्थिता या उस पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में उसका प्रस्ताव करने के उस सदस्य के आशय को अभिव्यक्त करते हुए, अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना, एक लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम के, जो विहित की जाए, के निक्षेप के साथ, अधिवेशन से चौदह दिन से अन्यून के पूर्व कंपनी के कार्यालय में दे दी है और इस प्रकार निक्षिप्त रकम, यथास्थिति, उस व्यक्ति या सदस्य को तब वापस कर दी जाएगी, यदि प्रस्तावित व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित हो जाता है या ऐसे संकल्प पर हाथ उठाकर या मतदान द्वारा डाले गए कुल विधिमान्य मतों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करता है ।

निवृत्त होने वाले निदेशकों से भिन्न व्यक्तियों का निदेशक पद के लिए खड़े होने का अधिकार।

(2) कंपनी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (1) के अधीन निदेशक के पद के लिए किसी व्यक्ति की अभ्यर्थिता की सूचना, अपने सदस्यों को देगी ।

161. (1) कंपनी के अनुच्छेद अपने निदेशक बोर्ड को ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, जो किसी साधारण अधिवेशन में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए असफल रहता है, किसी समय अपर निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त कर सकेंगे, जो अगले वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख या उस अंतिम तारीख तक, जिसको वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाना चाहिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

अपर निदेशक, आनुकल्पिक निदेशक और नामनिर्देशिती निदेशक की नियुक्ति।

(2) किसी कंपनी का निदेशक बोर्ड, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो या साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा, भारत से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कंपनी में किसी अन्य निदेशक के स्थान पर कोई आनुकल्पिक निदेशक का पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं है, तीन मास से अन्यून की अवधि के लिए उसकी अनुपस्थिति के दौरान किसी निदेशक के स्थान पर आनुकल्पिक निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

परंतु कोई व्यक्ति, किसी स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर आनुकल्पिक निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित नहीं है :

परंतु यह और कि आनुकल्पिक निदेशक, उस निदेशक को अनुज्ञेय अवधि से अधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है और जब कभी वह निदेशक, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, भारत में वापस आ जाता है तो वह पद रिक्त कर देगा :

परंतु यह भी कि यदि मूल निदेशक की पदावधि, भारत में उसके इस प्रकार वापस आने से पूर्व अवधारित कर दी जाती है तो किसी अन्य नियुक्ति के व्यतिक्रम में सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों की स्वतः पुनः नियुक्ति से संबंधित कोई उपबंध मूल निदेशक को लागू होंगे, न कि आनुकल्पिक निदेशक को ।

(3) कंपनी के अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए, बोर्ड तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के या किसी करार के अनुसरण में किसी संस्था द्वारा या सरकारी कंपनी में उसके शेयर धारण के आधार पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

(4) किसी पब्लिक कंपनी की दशा में, यदि साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा नियुक्त किसी निदेशक का पद सामान्य अनुक्रम में उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त हो जाता है तो परिणामस्वरूप आकस्मिक रिक्ति, कंपनी के अनुच्छेदों में किन्हीं विनियमों के व्यतिक्रम में या उसके अधीन रहते हुए, बोर्ड के अधिवेशन में निदेशक बोर्ड द्वारा भरी जा सकेगी :

परंतु इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति केवल उस तारीख तक ही पद धारण करेगा, जिस तक वह निदेशक, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है तब पद धारण करता, यदि वह रिक्त नहीं हुआ होता।

निदेशकों की नियुक्ति के लिए पृथक् रूप से मत का दिया जाना।

162. (1) किसी कंपनी के साधारण अधिवेशन में, किसी एकल संकल्प द्वारा कंपनी के निदेशकों के रूप में दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के किसी प्रस्ताव को तब तक नहीं लाया जाएगा, जब तक ऐसे प्रस्ताव को लाने के किसी प्रस्ताव पर अधिवेशन में उसके विरुद्ध कोई मत डाले बिना पहले ही सहमति नहीं दे दी गई है।

(2) उपधारा (1) के उल्लंघन में लाया गया कोई संकल्प शून्य होगा, चाहे उसके प्रस्तुत किए जाने के समय उस पर कोई आक्षेप किया गया हो या नहीं।

(3) निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का अनुमोदन करने या नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के किसी प्रस्ताव को उसकी नियुक्ति के लिए नामनिर्देशन के रूप में समझा जाएगा।

निदेशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अंगीकृत करने का विकल्प ।

163. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी के अनुच्छेद, चाहे एकल संक्रमणीय मत द्वारा या संचित मतदान की किसी प्रणाली द्वारा या अन्यथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किसी कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अन्यून निदेशकों की नियुक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे और ऐसी नियुक्तियां, प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जा सकेंगी और ऐसे निदेशकों की आकस्मिक रिक्तियों को धारा 161 की उपधारा (4) में उपबंधित किए गए अनुसार भरा जाएगा।

निदेशक की नियुक्ति के लिए निरर्हता ।

164. (1) कोई व्यक्ति किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—

(क) वह विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) उसने दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है;

(घ) उसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित या अन्यथा है और उसके संबंध में कम से कम छह मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तथा दंडादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई हो :

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में सात वर्ष तक या अधिक की अवधि का कारावास दिया गया है तो वह किसी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा ;

(ङ) निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसे निरर्हित करने वाला कोई आदेश किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित कर दिया गया है और आदेश प्रवर्तन में है;

(च) उसने, अपने द्वारा धारित कंपनी के किन्हीं शेयरों के संबंध में किन्हीं मांगों का, चाहे पृथक् रूप से या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से, कोई मांग संदत्त नहीं की है और मांग के संदाय के लिए नियत अंतिम दिन से छह मास व्यपगत हो गए हैं;

(छ) उसे पिछले पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी समय धारा 188 के अधीन संबंधित पक्षकार संव्यवहारों से संबंधित अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ज) उसने धारा 152 की उपधारा (3) का अनुपालन नहीं किया है।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी कंपनी का निदेशक है या रहा है—

(क) जिसने तीन वित्तीय वर्षों की किसी निरंतर अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणियां फाइल नहीं की हैं; या

(ख) जो, उसके द्वारा स्वीकृत निक्षेपों का प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज का संदाय करने या नियत तारीख को किन्हीं डिबेंचरों का मोचन करने या उन पर शोध्य ब्याज का संदाय करने या घोषित किसी लाभांश का संदाय करने में असफल रहा है और संदाय या मोचन करने में ऐसी असफलता एक वर्ष या उससे अधिक के लिए जारी रहती है,

उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुनःनियुक्त होने या उस तारीख से, जिसको उक्त कंपनी ऐसा करने में असफल रहती है, पांच वर्ष की अवधि के लिए अन्य कंपनी में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई प्राइवेट कंपनी अपने अनुच्छेदों द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं के अतिरिक्त किन्हीं निरर्हताओं के लिए उपबंध कर सकेगी :

परंतु उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (छ) में निर्दिष्ट निरर्हताएं—

(i) दोषसिद्धि या निरर्हता के आदेश की तारीख से तीस दिन के लिए;

(ii) जहां दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप दंडादेश या आदेश के विरुद्ध यथापूर्वोक्त तीस दिन के भीतर कोई अपील या याचिका फाइल की जाती है, वहां उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील या याचिका का निपटान किया जाता है, सात दिन की समाप्ति तक;

(iii) जहां सात दिन के भीतर आदेश या दंडादेश के विरुद्ध कोई और अपील या याचिका फाइल की जाती है, वहां ऐसी कोई और अपील या याचिका के निपटान किए जाने तक,

प्रभावी नहीं होंगी।

165. (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, एक ही समय में बीस कंपनियों से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में पद, जिसके अंतर्गत अनुकल्पी निदेशक का पद भी है, धारण नहीं करेगा : निदेशक पदों की संख्या।

परंतु ऐसी पब्लिक कंपनियों की अधिकतम संख्या जिसमें किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है दस से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसी पब्लिक कंपनियों, जिनमें किसी व्यक्ति की निदेशक के रूप में नियुक्ति की जा सकती है, निदेशक पद की सीमा की संगणना के लिए ऐसी प्राइवेट कंपनियों में निदेशक पद को जो किसी पब्लिक कंपनी की या तो नियंत्री कंपनी है या समनुषंगी कंपनी है, सम्मिलित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कम्पनी के सदस्य, विशेष संकल्प द्वारा कम्पनियों की निम्नतर संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक के रूप में कार्य कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर—

(क) उन कंपनियों की विनिर्दिष्ट सीमा से अनधिक का ऐसी कम्पनियों के रूप में चुनाव करेगा जिसमें वह निदेशक का पद धारण करने की वांछा रखता है;

(ख) अन्य शेष कंपनियों से निदेशक के रूप में अपने पद का त्याग करेगा; और

(ग) खंड (क) के अधीन उसके द्वारा किए गए चुनाव को ऐसी प्रत्येक कंपनी को जिसमें वह ऐसे प्रारंभ के पूर्व निदेशक का पद धारण कर रहा था और ऐसी प्रत्येक कंपनी के संबंध में अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रार को सूचित करेगा ।

(4) उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में दिया गया कोई त्यागपत्र संबंधित कंपनी को उसके भेजे जाने पर तुरंत प्रभावी हो जाएगा ।

(5) कोई ऐसा व्यक्ति,—

(क) उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में उसके निदेशक या गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में अपने पद से त्यागपत्र भेजे जाने के पश्चात्; या

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में निदेशक के रूप में कोई नियुक्ति स्वीकार करेगा, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहेगा, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

निदेशकों के कर्तव्य ।

166. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कंपनी का कोई निदेशक, कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करेगा ।

(2) किसी कंपनी का कोई निदेशक, उसके सदस्यों के संपूर्ण फायदे के लिए और कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयर धारकों, समुदाय के सर्वोत्तम हित में, और पर्यावरण संरक्षण के लिए कंपनी के उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए सद्भावपूर्ण कार्य करेगा ।

(3) किसी कंपनी का कोई निदेशक सम्यक् और युक्तियुक्त सतर्कता, कौशल और तत्परता से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और वह स्वतंत्र निर्णय लेगा ।

(4) किसी कंपनी का कोई निदेशक किसी ऐसी अवस्थिति में अंतर्ग्रस्त नहीं होगा, जिसमें उसका कोई ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, जिससे कंपनी के हित का विरोध होता हो या होने की संभावना हो ।

(5) किसी कंपनी का कोई निदेशक अपने लिए या अपने नातेदारों, भागीदारों या सहयुक्तों के लिए कोई अनुचित अभिलाभ या लाभ प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा और यदि ऐसा निदेशक, किसी अनुचित अभिलाभ का दोषी पाया जाता है तो वह, कम्पनी को उस अभिलाभ के समतुल्य राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

(6) किसी कंपनी का कोई निदेशक अपना पद समनुदेशित नहीं करेगा और इस प्रकार किया गया कोई समनुदेशन शून्य होगा ।

(7) यदि कंपनी का कोई निदेशक, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा निदेशक जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

निदेशक के पद का रिक्त किया जाना ।

167. (1) किसी निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा, यदि—

(क) वह धारा 164 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से कोई निरर्हता उपगत करता है;

(ख) वह बोर्ड से अनुपस्थिति की इजाजत प्राप्त करके या उसके बिना बारह मास की अवधि के दौरान हुए निदेशक बोर्ड के सभी अधिवेशनों से स्वयं को अनुपस्थित रखता है;

(ग) वह ऐसी संविदाएं या ठहराव करने से, जिनमें वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है, संबंधित धारा 184 के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करता है;

(घ) वह किसी ऐसी संविदा या ठहराव में अपना हित प्रकट करने में असफल रहता है, जिसमें वह धारा 184 के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है;

(ङ) वह किसी न्यायालय या अन्यथा अधिकरण के किसी आदेश द्वारा निरर्हित हो जाता है;

(च) उसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता या अन्यथा अन्तर्वलित है और उसके संबंध में कम से कम छह मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है:

परन्तु निदेशक द्वारा, ऐसे न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने पर भी, पद रिक्त कर दिया जाएगा ।

(छ) उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में हटा दिया गया है;

(ज) वह, नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में उसके द्वारा कोई पद धारण करने या कोई अन्य नियोजन धारण करने के आधार पर निदेशक नियुक्त किए जाने के कारण, उस कंपनी में ऐसे पद या अन्य नियोजन पर नहीं रह जाता है ।

(2) यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि उसके द्वारा धारित निदेशक का पद उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के कारण रिक्त हो गया है, निदेशक के रूप में कार्य करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) जहां किसी कंपनी के सभी निदेशक उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अधीन अपना पद रिक्त कर देते हैं, वहां संप्रवर्तक या उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार, अपेक्षित संख्या में निदेशकों को नियुक्त करेगी, जो उस समय तक पद धारण करेंगे जब तक साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है।

(4) कोई प्राइवेट कंपनी, अपने अनुच्छेदों द्वारा, किसी निदेशक के पद की रिक्ति के लिए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार का उपबंध कर सकेगी ।

निदेशक का त्यागपत्र।

168. (1) कोई निदेशक कंपनी को लिखित में सूचना देकर अपना पद–त्याग सकेगा और बोर्ड ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसका उल्लेख करेगा और कंपनी ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार को संसूचित करेगी और कंपनी द्वारा आयोजित किए गए ठीक पश्चात्वर्ती साधारण अधिवेशन में ऐसे पद-त्याग के तथ्य को निदेशकों की रिपोर्ट में भी प्रस्तुत करेगी:

परंतु कोई निदेशक त्यागपत्र देने के विस्तृत कारणों के साथ अपने त्यागपत्र की एक प्रति, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, त्यागपत्र देने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भी भेजेगा ।

(2) किसी निदेशक का त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है या सूचना में निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख, यदि कोई हो, जो भी पश्चात्वर्ती हो:

परन्तु निदेशक जिसने त्यागपत्र दिया है, अपना त्यागपत्र देने के बावजूद भी ऐसे अपराधों के लिए दायी होगा जो उसकी पदावधि के दौरान हुए थे ।

(3) जहां किसी कंपनी के सभी निदेशक अपने पदों से त्यागपत्र दे देते हैं या धारा 167 के अधीन अपने पद रिक्त कर देते हैं वहां संप्रवर्तक या उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार अपेक्षित संख्या में निदेशकों को नियुक्त करेगी, जो साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति किए जाने तक पद धारण करेंगे ।

निदेशकों का हटाया जाना ।

169. (1) कोई कंपनी, किसी ऐसे निदेशक को, जो धारा 242 के अधीन अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया निदेशक नहीं है, उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व, उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, साधारण संकल्प द्वारा हटा सकेगी :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां कंपनी ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार निदेशकों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून की नियुक्ति करने संबंधी धारा 163 के अधीन उसे दिए गए विकल्प का फायदा उठा लिया है ।

(2) इस धारा के अधीन किसी निदेशक को हटाने के या इस प्रकार हटाए गए निदेशक के स्थान पर उस अधिवेशन में, जिसमें उसे हटाया गया है, किसी और व्यक्ति को नियुक्त करने हेतु किसी संकल्प के लिए विशेष सूचना देना अपेक्षित होगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी निदेशक को हटाने के किसी संकल्प की सूचना की प्राप्ति पर कंपनी तुरंत उसकी एक प्रति संबंधित निदेशक को भेजेगी और निदेशक, चाहे वह कंपनी का सदस्य है या नहीं, अधिवेशन में संकल्प के संबंध में सुने जाने का हकदार होगा ।

(4) जहां इस धारा के अधीन किसी निदेशक को हटाने के संकल्प की सूचना दी गई है और संबंधित निदेशक ने, लिखित रूप में उसकी बाबत कंपनी को अभ्यावेदन किया है और कंपनी के सदस्यों से अपनी अधिसूचना में अनुरोध किया है वहां कंपनी, यदि ऐसा करने के लिए समय अनुज्ञात करे तो —

(क) संकल्प की ऐसी किसी सूचना में, जो कंपनी के सदस्यों को दी गई है, दिए गए अभ्यावेदनों के तथ्यों का कथन करेगी; और

(ख) कंपनी के प्रत्येक सदस्य को, जिसको अधिवेशन की सूचना (चाहे अभ्यावेदनों की प्राप्ति कंपनी को होने के पूर्व या उसके पश्चात्) भेजी गई है, अभ्यावेदनों की एक-एक प्रति भेजेगी,

और यदि समय की अपर्याप्तता या कंपनी के व्यतिक्रम के कारण पूर्वोक्त रूप से अभ्यावेदन की प्रति नहीं भेजी जाती है तो निदेशक मौखिक रूप से अपनी सुनवाई किए जाने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे अभ्यावेदन को अधिवेशन में पढ़ कर सुनाया जाए :

परंतु अभ्यावेदन की प्रति को भेजना और अभ्यावेदनों का अधिवेशन में पढ़ा जाना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें या तो कम्पनी के या किसी अन्य व्यक्ति के जो यह दावा करता है, कि वह उससे व्यथित है आवेदन पर अधिकरण का समाधान हो जाता है कि इस

उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग मानहानिकारक बात को अनावश्यक प्रचार करने के लिए किया जा रहा है और आवेदनों पर जो खर्चे कम्पनी को उठाने पड़े हैं उन्हें पूर्णतः या भागतः निदेशक द्वारा दिए जाने का आदेश अधिकरण इस बात के होते हुए भी कर सकेगा कि वह निदेशक उसका पक्षकार नहीं है ।

(5) इस धारा के अधीन किसी निदेशक को हटाने से सृजित हुई रिक्ति, उस दशा में जिसमें कि उसे कम्पनी द्वारा साधारण अधिवेशन में या बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था, उस अधिवेशन में, जिसमें उसे ऐसे हटाया गया है, उसके स्थान पर किसी दूसरे निदेशक की नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी, परंतु यह तब जब उपधारा (2) के अधीन आशयित नियुक्ति की विशेष सूचना दे दी गई हो ।

(6) इस प्रकार नियुक्त निदेशक उस तारीख तक अपना पद धारण करेगा, जब तक उसका पूर्ववर्ती अपना पद उस दशा में धारण करता यदि उसे हटाया न गया होता ।

(7) यदि वह रिक्ति उपधारा (5) के अधीन नहीं भरी जाती है तो उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आकस्मिक रिक्ति के रूप में भरा जा सकेगा :

परंतु वह निदेशक, जिसे पद से हटाया गया था, निदेशक बोर्ड द्वारा निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(8) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह—

(क) इस धारा के अधीन हटाए गए किसी व्यक्ति को, निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के पर्यवसान की बावत संविदा के निबंधनों या निदेशक के रूप में उसकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार उसको संदेय किसी प्रतिकर या नुकसानियों या निदेशक के रूप में उसके साथ किसी अन्य नियुक्ति से वंचित करने वाली है; या

(ख) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन किसी निदेशक को हटाने की किसी शक्ति का अल्पीकरण करती है ।

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय, कार्मिक और उनकी अंश धृतियों का रजिस्टर ।

170. (1) प्रत्येक कंपनी, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में, अपने निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक रजिस्टर रखेगी जिसमें उनमें से प्रत्येक द्वारा कंपनी या उसकी धृति, समनुषंगी, कंपनी की नियंत्री कंपनी या सहयुक्त कंपनियों की समनुषंगी में, धारित प्रतिभूतियों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे ।

(2) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की ऐसी विशिष्टियों और दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, वाली एक विवरणी, यथास्थिति, प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति से तीस दिन के भीतर तथा कोई परिवर्तन किए जाने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

सदस्यों का निरीक्षण करने का अधिकार।

171. (1) धारा 170 की उपधारा (1) के अधीन रखा गया रजिस्टर—

(क) कामकाज के समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और सदस्यों को उसमें से उद्धरण लेने का अधिकार होगा और उसकी प्रतियां सदस्यों के अनुरोध पर तीस दिन के भीतर उनको निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएंगी; और

(ख) कंपनी के प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन में भी निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और अधिवेशन में उपस्थित रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए सुगम्य होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (क) में यथा उपबंधित किसी निरीक्षण से इंकार कर दिया जाता है या यदि उस खंड के अधीन अपेक्षित कोई प्रति, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर नहीं भेजी जाती है तो रजिस्ट्रार, उसको किए गए आवेदन पर उसके अधीन अपेक्षित प्रतियों के तुरंत निरीक्षण और प्रदाय का आदेश करेगा ।

दंड ।

172. यदि कोई कंपनी इस अध्याय के ऐसे किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगी, जिसके लिए उसमें कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं है, वहां कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अध्याय 12

बोर्ड के अधिवेशन और उसकी शक्तियां

बोर्ड के अधिवेशन ।

173. (1) प्रत्येक कंपनी, अपने निगमन की तारीख से तीस दिन के भीतर निदेशक बोर्ड का पहला अधिवेशन आयोजित करेगी और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक बोर्ड के न्यूनतम चार अधिवेशन ऐसी रीति में आयोजित करेगी कि बोर्ड के दो क्रमवर्ती अधिवेशनों के बीच एक सौ बीस दिन से अनधिक का अंतराल होगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस उपधारा के उपबंध कंपनियों के किसी वर्ग या वर्णन के संबंध में लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों या शर्तों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) बोर्ड के किसी अधिवेशन में निदेशकों का भाग लेना या तो स्वयं या वीडियो कान्फ्रैंसिंग या ऐसे अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों के माध्यम से हो सकेगा, जो विहित किए जाएं, जो निदेशकों के भाग लेने को अभिलिखित करने और मान्यता प्रदान करने तथा तारीख और समय सहित ऐसे अधिवेशनों की कार्यवाहियों के अभिलेखन और भंडारण के लिए समर्थ हों:

परंतु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे विषय को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में अधिवेशन में वीडियो कान्फ्रैंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों के माध्यम से कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक निदेशक को कंपनी के पास रजिस्ट्रीकृत उसके पते पर कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देकर बुलाया जाएगा और ऐसी सूचना दस्ती परिदान द्वारा या डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जाएगी:

परंतु बोर्ड का कोई अधिवेशन अत्यावश्यक कामकाज के संव्यवहार के लिए इस शर्त के अध्यधीन अल्पकालिक सूचना पर बुलाया जा सकेगा कि कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, अधिवेशन में उपस्थित होगा:

परंतु यह और कि बोर्ड के ऐसे किसी अधिवेशन में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति की दशा में, लिए गए विनिश्चय सभी निदेशकों को परिचालित किए जाएंगे और वे केवल तभी अंतिम होंगे जब कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा, यदि कोई हो, उनका अनुसमर्थन कर दिया जाए।

(4) कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जिसका कर्तव्य इस धारा के अधीन सूचना देना है और जो ऐसा करने में असफल रहता है, पच्चीस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा ।

(5) एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी और निष्क्रिय कंपनी को, इस धारा के उपबंधों का अनुपालन कर रही कंपनी समझा जाएगा यदि निदेशक बोर्ड का कम से कम एक अधिवेशन किसी कलैंडर वर्ष की प्रत्येक छमाही में आयोजित किया गया है और दो अधिवेशनों के बीच का अंतराल नब्बे दिन से अन्यून है :

परंतु इस उपधारा और धारा 174 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी एक व्यक्ति कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें उसके निदेशक बोर्ड में केवल एक निदेशक है ।

बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति ।

174. (1) किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के किसी अधिवेशन के लिए गणपूर्ति, उसकी कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई या दो निदेशकों से, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी और वीडियो कान्फ्रैंसिंग द्वारा या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों द्वारा निदेशकों के भाग लेने को भी इस उपधारा के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(2) बने रहने वाले निदेशक, बोर्ड में किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेंगे; किंतु, यदि और जब तक बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति से कम में उनकी संख्या घटाई जाती है, तो बने रहने वाले निदेशक या बने रहने वाला निदेशक गणपूर्ति के लिए उस नियत सीमा तक निदेशकों की संख्या बढ़ाने या कंपनी के साधारण अधिवेशन को बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे या कर सकेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ।

(3) जहां किसी समय, हितबद्ध निदेशकों की संख्या निदेशक बोर्ड की कुल पद संख्या के दो-तिहाई से अधिक या बराबर हो जाती है वहां ऐसे निदेशकों की संख्या, जो हितबद्ध निदेशक नहीं हैं और अधिवेशन में उपस्थित हैं, दो से अन्यून हैं, ऐसे समय के दौरान गणपूर्ति होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "हितबद्ध निदेशक" से धारा 184 की उपधारा (2) के अर्थ के भीतर कोई निदेशक अभिप्रेत है ।

(4) जहां बोर्ड का कोई अधिवेशन गणपूर्ति की कमी के कारण आयोजित नहीं हो सका हो, वहां जब तक कम्पनी के अनुच्छेदों में अन्यथा उपबंधित न हो, अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान के लिए स्वतः और यदि उस दिन कोई राष्ट्रीय अवकाश का दिन हो तो ऐसे उत्तरवर्ती दिन को, जो कोई राष्ट्रीय अवकाश का दिन नहीं है, उसी समय और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी संख्यांक के किसी भिन्नांश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा;

(ii) "कुल पद संख्या" के अंतर्गत ऐसे निदेशक नहीं होंगे, जिनके स्थान रिक्त हैं ।

परिचालन द्वारा संकल्प का पारित किया जाना ।

175. (1) कोई संकल्प तब तक बोर्ड द्वारा या उसकी समिति द्वारा परिचालन करके सम्यक् रूप से पारित हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि संकल्प को आवश्यक कागजपत्रों, यदि कोई हों, के साथ प्रारूप में, यथास्थिति, सभी निदेशकों या समिति के सदस्यों को, भारत में कम्पनी के पास उनके रजिस्ट्रीकृत पतों पर दस्ती परिदान द्वारा या डाक द्वारा या कुरियर द्वारा या ऐसे इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, परिचालित नहीं कर दिया गया है और उन निदेशकों या सदस्यों के जो संकल्प पर मत देने के लिए हकदार हैं, बहुमत द्वारा, अनुमोदित नहीं कर दिया गया है :

परंतु जहां कंपनी के कुल निदेशकों की संख्या के एक–तिहाई से अन्यून निदेशक तत्समय यह अपेक्षा करते हैं कि परिचालनाधीन किसी संकल्प का विनिश्चय अधिवेशन में किया जाना चाहिए वहां अध्यक्ष संकल्प को विनिश्चय के लिए बोर्ड के किसी अधिवेशन में रखेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी संकल्प का, यथास्थिति, बोर्ड या उसकी समिति के पश्चात्वर्ती अधिवेशन में उल्लेख किया जाएगा और उसे ऐसे अधिवेशन के कार्यवृत्त का भाग बनाया जाएगा ।

निदेशकों की नियुक्ति में त्रुटियों के कारण की गई कार्रवाइयों का अविधिमान्य न होना ।

176. निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य इस बात के होते हुए भी अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि बाद में यह पाया गया था कि उसकी नियुक्ति, किसी त्रुटि या निरर्हता के कारण अविधिमान्य थी या इस अधिनियम या कम्पनी के अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के आधार पर समाप्त हो गई थी:

परंतु इस धारा की कोई बात, निदेशक की नियुक्ति का अविधिमान्य होना या समाप्त होना, कंपनी की जानकारी में आ जाने के पश्चात्, निदेशक द्वारा किए गए किसी कार्य को विधिमान्यता देने वाली नहीं समझी जाएगी ।

लेखापरीक्षा समिति।

177. (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी या ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों की कंपनियों, जो विहित की जाएं, का निदेशक बोर्ड, बोर्ड की एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगा ।

(2) लेखापरीक्षा समिति बहुमत बनाने वाले स्वतंत्र निदेशकों के साथ कम से कम तीन निदेशकों से मिलकर बनेगी :

परन्तु लेखापरीक्षा समिति के अधिकतर सदस्य, जिसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी है, वित्तीय विवरण को पढ़ने और समझने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे ।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी कंपनी की विद्यमान प्रत्येक लेखा–परीक्षा समिति, ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर, उपधारा (2) के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी ।

(4) प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधनों के अनुसार कार्य करेगी, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित होगा :—

(i) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश, उनका पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधन;

(ii) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और कार्यपालन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभाविता का पुनर्विलोकन और मानीटरी;

(iii) वित्तीय विवरण की परीक्षा और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

(iv) संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों का अनुमोदन या कोई पश्चात्वर्ती उपांतरण;

(v) अंतर-कारपोरेट ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा;

(vi) कंपनी के उपक्रमों या आस्तियों का, जहां कहीं यह आवश्यक हो, मूल्यांकन;

(vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रणालियों का मूल्यांकन;

(viii) लोक प्रस्थापनाओं के माध्यम से जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग और संबद्ध विषयों की मानीटरी करना ।

(5) लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा की परिधि के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की मांग कर सकेगी, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों के

संप्रेक्षण और बोर्ड के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व उनका पुनर्विलोकन भी है आंतरिक और कानूनी संपरीक्षकों और साथ ही कंपनी के प्रबंधन वाले किन्हीं संबंधित विवाद्यकों पर भी विचार–विमर्श कर सकेगी।

(6) लेखापरीक्षा समिति को उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में अन्वेषण करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से वृत्तिक सलाह लेने की शक्ति होगी तथा कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट जानकारी के संबंध में उसकी पूर्ण पहुंच होगी ।

(7) किसी कंपनी के लेखापरीक्षकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को, जब वह लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है, लेखापरीक्षा समिति के अधिवेशनों में सुनवाई का अधिकार होगा किंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(8) धारा 134 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति की संरचना को प्रकट करेगी और जहां बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की किसी सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया हो, वहां उसे ऐसी रिपोर्ट में उसके कारणों सहित प्रकट किया जाएगा।

(9) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी या कंपनियों का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग, जो विहित किए जाएं, वास्तविक समुत्थानों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सचेतक तंत्र स्थापित करेगा ।

(10) उपधारा (9) के अधीन सचेतक तंत्र ऐसे व्यक्तियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करेगा जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और समुचित या आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधी पहुंच के लिए व्यवस्था करते हैं:

परंतु ऐसे तंत्र की स्थापना के ब्यौरे कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर, यदि कोई हों, और बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किए जाएंगे ।

नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति तथा पणधारी संबंध समिति।

178. (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी और कम्पनियों का ऐसा या ऐसे अन्य वर्ग, जो विहित किए जाएं, तीन या अधिक गैर–कार्यपालक निदेशकों को मिलाकर जिनमें कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी:

परंतु कंपनी के अध्यक्ष को (चाहे वह कार्यपालक हो या गैर–कार्यपालक हो) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा किंतु वह उस समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।

(2) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करेगी जो निदेशक बनने के लिए अर्हित हैं और जिन्हें अधिकथित मानदंड के अनुसार ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र में नियुक्त किया जा सके, उनकी नियुक्ति और हटाए जाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगी और प्रत्येक निदेशक के कार्यपालन का मूल्यांकन करेगी।

(3) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, किसी निदेशक की अर्हताएं, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता के अवधारण के लिए मानदंड निश्चित करेगी और निदेशकों, मुख्य प्रबन्ध कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करेगी ।

(4) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति उपधारा (3) के अधीन नीति बनाते समय यह सुनिश्चित करेगी कि—

(क) पारिश्रमिक का तुल्यता और स्तर और संरचना संचयन युक्तियुक्त है और कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपेक्षित गुणवत्ता वाले निदेशकों को आकर्षित करने, रोके रहने और प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) कार्य से पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट है और समुचित कार्यपालन बेंचमार्कों को पूरा करता है ; और

(ग) निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र के पारिश्रमिक में कंपनी के कार्यकरण और उसके उद्देश्यों के लिए नियत और लघु तथा दीर्घकालिक कार्य निष्पादन के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हुए प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन अंतर्वलित है :

परंतु ऐसी नीति को निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा ।

(5) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर एक हजार से अधिक शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों और निक्षेप धारकों और किन्हीं अन्य प्रतिभूति धारकों से मिलकर बनने वाला कंपनी का निदेशक बोर्ड , एक पणधारी संबंध समिति का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, जो गैर–कार्यपालक निदेशक होगा और उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं ।

(6) पणधारी संबंध समिति कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करेगी और उनका समाधान करेगी ।

(7) इस धारा के अधीन गठित समितियों में से प्रत्येक समिति का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत समिति का कोई अन्य सदस्य कंपनी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित होगा ।

(8) धारा 177 और इस धारा के उपबंधों के किसी उल्लंघन की दशा में, कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगाः

परंतु पणधारी संबंध समिति द्वारा सद्भावपूर्वक किसी शिकायत के समाधान पर विचार न करना इस धारा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण—"ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र" पद से कम्पनी के ऐसे कार्मिक जो कृत्यकारी प्रमुखों सहित एक स्तर नीचे के कार्यपालक निदेशक, प्रबंधन के सभी सदस्यों से मिलकर बने निदेशक बोर्ड को अपवर्जित करते हुए उसके कोर प्रबंधतंत्र दल के सदस्य अभिप्रेत हैं।

बोर्ड की शक्तियां ।

179. (1) किसी कंपनी का निदेशक बोर्ड ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्यों और बातों को करने का हकदार होगा, जिनका प्रयोग या जिन्हें करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है :

परंतु ऐसी शक्ति का प्रयोग करने में या ऐसा कार्य या बात करने में बोर्ड इस निमित्त इस अधिनियम में या कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में या किन्हीं ऐसे विनियमों में, जो उससे असंगत न हों और उसके अधीन सम्यक् रूप से बनाए गए हों, जिनके अंतर्गत कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में बनाए गए विनियम भी हैं, अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहेगा;

परंतु यह और कि बोर्ड ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा, जिसकी बाबत चाहे इस अधिनियम के अधीन या कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों द्वारा या अन्यथा कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्रयोग किए जाने या किए जाने का निदेश दिया गया है या अपेक्षा की गई है ।

(2) साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा बनाया गया कोई विनियम, बोर्ड के ऐसे किसी पूर्व के कार्य को अविधिमान्य नहीं करेगा, जो उस दशा में विधिमान्य होता, यदि वह विनियम न बनाया गया होता ।

(3) कंपनी का निदेशक बोर्ड, बोर्ड के अधिवेशनों में पारित संकल्पों के माध्यम से कंपनी की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) शेयर धारकों से उनके शेयरों पर असंदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;

(ख) धारा 68 के अधीन प्रतिभूतियां क्रय द्वारा वापस लेने को प्राधिकृत करना;

(ग) भारत में या भारत के बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियां निर्गमित करना;

(घ) धनराशियां उधार लेना;

(ङ) कंपनी की निधियों का विनिधान करना;

(च) उधार मंजूर करना या उधारों के संबंध में प्रत्याभूति देना या प्रतिभूति प्रदान करना;

(छ) वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(ज) कंपनी के कारबार में परिवर्तन करना;

(झ) समामेलन, विलयन या पुनःसंन्निर्माण का अनुमोदन करना;

(ञ) किसी कंपनी को ग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या सारभूत साझेदारी अर्जित करना;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए:

परंतु बोर्ड किसी अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा, निदेशकों की किसी समिति, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या कंपनी के किसी अन्य प्रधान अधिकारी या कंपनी के किसी शाखा कार्यालय की दशा में, शाखा कार्यालय के प्रधान अधिकारी को ऐसी शर्तों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, खंड (घ) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा:

परंतु यह और कि मांग पर लोक प्रतिसंदेय से या अन्यथा धन के निक्षेप के कारबार के सामान्य क्रम में बैंककारी कंपनी द्वारा स्वीकृति और चैक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा या ऐसी शर्तों पर, जो बोर्ड द्वारा विहित की जा सकें, किसी अन्य बैंककारी कंपनी के साथ बैंककारी कंपनी द्वारा निक्षेप पर धनराशियां रखे जाने को इस धारा के अर्थांतर्गत, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी द्वारा धनराशियां उधार लेना या उधार देना नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—खंड (घ) की कोई बात किन्हीं अन्य बैंककारी कंपनियों से या भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी अन्य बैंक से किसी बैंककारी कंपनी द्वारा उधार लेने पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2—कंपनी और उनके बैंककारों के बीच व्यवहारों के संबंध में खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शक्ति के कंपनी द्वारा प्रयोग से वह ठहराव अभिप्रेत है, जो कंपनी ने अपने बैंककारों से ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय या उधार के रूप में या अन्यथा धन उधार लेने के लिए किया है न कि ओवरड्राफ्ट, नकद प्रत्यय या अन्य खातों में से वस्तुतः दिन-प्रतिदिन की क्रियाएं, जिसके माध्यम से ऐसे किए गए ठहराव का वास्तविक रूप से फायदा उठाया जाता है ।

(4) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस धारा में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से किसी के बोर्ड द्वारा किए जाने वाले प्रयोग पर निर्बंधन और शर्तें साधारण अधिवेशन में अधिरोपित करने के कंपनी के अधिकार पर प्रभाव डालती है ।

180. (1) कंपनी का निदेशक बोर्ड, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग केवल विशेष संकल्प द्वारा कंपनी की सहमति से ही करेगा, अर्थात् :— बोर्ड की शक्तियों पर निर्बंधन ।

(क) कंपनी के पूरे उपक्रम का या सारतः पूरे उपक्रम का अथवा उस दशा में, जिसमें कंपनी के स्वामित्वाधीन एक से अधिक उपक्रम हैं, किसी ऐसे पूरे उपक्रम का या सारतः पूरे उपक्रम का विक्रय करना, पट्टा देना या अन्यथा उसका व्ययन करना ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "उपक्रम" शब्द से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जिसमें कंपनी का विनिधान पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उसके शुद्ध

मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है या कोई ऐसा उपक्रम, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की कुल आय का बीस प्रतिशत उत्पन्न करता है;

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में "सारतः पूरे उपक्रम" पद से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उपक्रम का बीस प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य अभिप्रेत है;

(ख) किसी विलयन या समामेलन के परिणामस्वरूप उसके द्वारा प्राप्त प्रतिकर की राशि का न्यास प्रतिभूतियों में अन्यथा विनिधान करना;

(ग) उस दशा में उधार लेना जहां कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ वह धनराशि जिसको उधार लिया जाना है, उसकी समादत्त शेयर पूंजी और खुली आरक्षितियों की संकलित कुल रकम से, कारबार के मामूली अनुक्रम में कम्पनी के बैंककारों से अभिप्राप्त अस्थायी उधारों को छोड़कर, अधिक हो जाएगी :

परंतु किसी बैंककारी कम्पनी द्वारा, उसके कारबार के सामान्य अनुक्रम में, जनता से धन का निक्षेप, मांग पर या उससे अन्यथा प्रतिसंदेय और चैक, ड्राफ्ट, आदेश द्वारा या उससे अन्यथा प्रत्याहार्य को इस खंड के अर्थान्तर्गत बैंककारी कम्पनी द्वारा धन का उधार लेना नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अस्थायी उधार" पद से ऐसे उधार अभिप्रेत हैं जो मांग पर या उधार की तारीख से छह मास के भीतर प्रतिसंदेय हैं जैसे अल्पकालिक, नकद प्रत्यय ठहराव, संकलित कुल रकम से, बिलों का मितिकाटे पर भुगतान करना और समय विशेष के अन्य अल्पकालिक उधारों का निर्गमन, किंतु इसके अन्तर्गत ऐसे उधार नहीं हैं जो पूंजी स्वरूप के वित्तीय व्यय के प्रयोजनार्थ लिए गए हैं;

(घ) किसी निदेशक से शोध्य किसी ऋण को माफ करना या उसके प्रतिसंदाय के लिए समय देना ।

(2) साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में पारित प्रत्येक विशेष संकल्प में वह कुल राशि विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिस तक धन, निदेशक बोर्ड द्वारा उधार लिया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) की कोई बात—

(क) किसी क्रेता या अन्य व्यक्ति के हक को, जो सद्भावपूर्वक ऐसी किसी संपत्ति, विनिधान या उपक्रम का क्रय करता है या पट्टे पर लेता है, जो उस खंड में निर्दिष्ट है; या

(ख) कंपनी की किसी संपत्ति के विक्रय या पट्टे को, जहां कंपनी के सामान्य कारबार में ऐसे विक्रय करना या पट्टे पर देना सम्मिलित है या समाविष्ट है,

प्रभावित नहीं करेगी ।

(4) संव्यवहार हेतु सहमति देने के लिए कंपनी द्वारा पारित कोई विशेष संकल्प, जो उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट है, ऐसी शर्तों को अनुबंधित कर सकेगा, जो ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाएं, जिसके अंतर्गत ऐसे विक्रय आगमों के, जो संव्यवहारों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों, उपयोग, व्ययन या विनिधान से संबंधित शर्तें भी हैं :

परंतु इस उपधारा के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह कंपनी को इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार करने के सिवाय उसकी पूंजी में कोई कमी करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(5) उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा अधिरोपित सीमा से अधिक कंपनी द्वारा उपगत कोई ऋण तब तक विधिमान्य या प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि उधार देने वाला यह साबित नहीं कर देता है कि उसने सद्भावपूर्वक और बिना इस जानकारी के, कि उस खंड द्वारा अधिरोपित सीमा का अतिक्रमण किया गया है, ऋण उधार दिया था ।

181. कंपनी का निदेशक बोर्ड, सद्भावपूर्ण पूर्त और अन्य निधियों में अभिदाय कर सकेगाः

कंपनी का सद्भावपूर्ण और पूर्त निधियों, आदि में अभिदाय करना।

परन्तु ऐसे अभिदाय के लिए साधारण अधिवेशन में कंपनी की पूर्व अनुज्ञा लेना उस दशा में अपेक्षित होगा यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी रकम का योग ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए उसके औसत शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक है ।

182. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, सरकारी कंपनी से भिन्न कोई कंपनी, और ऐसी कोई कंपनी, जो तीन वित्तीय वर्ष से कम की अवधि से विद्यमान रही है, किसी धनराशि का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी राजनीतिक दल को अभिदाय कर सकेगीः

राजनीतिक अभिदायों के संबंध में प्रतिषेध और निर्बंधन ।

परंतु, यथास्थिति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि या ऐसी राशि का योग, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा इस प्रकार अभिदाय किया जा सकेगा, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके औसत शुद्ध लाभों के साढ़े सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि किसी कंपनी द्वारा ऐसा कोई अभिदाय तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभिदाय करने के लिए प्राधिकार देने वाला संकल्प निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में पारित न कर दिया जाए और ऐसे संकल्प को, इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा प्राधिकृत अभिदाय करने और उसकी स्वीकृति के लिए विधि में न्यायसंगत समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) किसी कंपनी द्वारा अपनी ओर से या उस मद्दे किसी ऐसे व्यक्ति को दिलाए गए किसी संदान या अभिदान या कराए गए संदाय को, जो उसकी जानकारी में उस समय, जब ऐसा संदान या अभिदान या संदाय दिया या किया गया था, कोई ऐसा कार्यकलाप चलाता है जो युक्तियुक्त रूप से किसी राजनीतिक दल के लोक समर्थन को संभवतः प्रभावित करने वाला समझा जा सकता है, किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को ऐसे संदान, अभिदान या संदाय की राशि का अभिदाय भी समझा जाएगा;

(ख) किसी कंपनी द्वारा किसी ऐसे प्रकाशन में, जो किसी स्मृतिचिह्न, विवरणिका, ट्रेक्ट, पुस्तिका या वैसी ही प्रकृति का कोई प्रकाशन है, विज्ञापन पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपगत व्यय की रकम को भी—

(i) जहां ऐसा प्रकाशन किसी राजनीतिक दल द्वारा या उसकी ओर से है, वहां उस राजनीतिक दल को ऐसी राशि का अभिदाय समझा जाएगा; और

(ii) जहां ऐसा प्रकाशन किसी राजनीतिक दल द्वारा या उसकी ओर से नहीं है, किंतु किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए है, वहां किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिए कोई अभिदाय समझा जाएगा ।

(3) प्रत्येक कंपनी, अपने लाभ-हानि लेखे में उसके द्वारा किसी राजनीतिक दल को उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जिससे वह लेखा संबंधित है, अभिदाय की गई किसी धनराशि

या धनराशियों को, अभिदाय की गई कुल धनराशि और उस दल के नाम की जिसको ऐसी धनराशि का अभिदाय किया गया है, विशिष्टियां देते हुए प्रकट करेगी।

(4) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई अभिदाय करती है, वहां कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो इस प्रकार अभिदाय की गई राशि के पांच गुणा तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कम्पनी का ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो इस प्रकार अभिदाय की गई राशि के पांच गुणा तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "राजनीतिक दल" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई राजनीतिक दल अभिप्रेत है। 1951 का 43

बोर्ड और अन्य व्यक्तियों की राष्ट्रीय रक्षा निधि, आदि को अभिदाय करने की शक्ति ।

183. (1) किसी कंपनी का निदेशक बोर्ड या ऐसा कोई व्यक्ति या प्राधिकारी जो कंपनी के निदेशक बोर्ड या साधारण अधिवेशन में कंपनी की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, धारा 180, धारा 181 और धारा 182 या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या ज्ञापन, अनुच्छेद या कंपनी से संबंधित किसी अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय रक्षा निधि या राष्ट्रीय रक्षा के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य निधि को ऐसी रकम का अभिदाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) प्रत्येक कंपनी, अपने लाभ–हानि लेखे में कुल रकम को, या उसके द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि के उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जिससे वह रकम संबंधित है, अभिदाय की गई रकमों को प्रकट करेगी।

निदेशक द्वारा हित का प्रकटन ।

184. (1) प्रत्येक निदेशक, बोर्ड के ऐसे पहले अधिवेशन में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड के पहले अधिवेशन में या जब कभी पहले से किए गए प्रकटनों में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात् हुए बोर्ड के पहले अधिवेशन में, किसी कंपनी या कंपनियों या निगमित निकायों, फर्मों या अन्य व्यष्टि-संगमों में अपना संबंध या हित, जिसके अंतर्गत शेयरधारिता भी है ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकट करेगा ।

(2) किसी कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो,—

(क) ऐसे किसी निगमित निकाय के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक या किसी अन्य निदेशक के साथ सहयोजन में ऐसा निदेशक, उस निगमित निकाय के दो प्रतिशत शेयर धारण से अधिक शेयर धारण करता है या उस निगमित निकाय का संप्रवर्तक, प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी है; या

(ख) किसी फर्म या अन्य अस्तित्व के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक, यथास्थिति, भागीदार, स्वामी या सदस्य है,

की गई किसी संविदा या ठहराव में या किए जाने के लिए प्रस्तावित संविदा या ठहराव में किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, संबद्ध या हितबद्ध है, बोर्ड के उस अधिवेशन में, जिसमें संविदा या ठहराव के संबंध में चर्चा की जाती है, अपने संबंध या हित का स्वरूप प्रकट करेगा और ऐसे अधिवेशन में भाग नहीं लेगा :

परंतु जहां कोई निदेशक, जो ऐसी संविदा या ठहराव करने के समय इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध नहीं है, वह यदि संविदा या ठहराव किए जाने के पश्चात् संबद्ध या हितबद्ध हो जाता है, तो उसके संबद्ध या हितबद्ध हो जाने पर अपने संबंध या हित को तुरंत या उसके संबद्ध या हितबद्ध हो जाने के पश्चात् आयोजित बोर्ड के पहले अधिवेशन में प्रकट करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रकटन के बिना कंपनी द्वारा की गई कोई संविदा या ठहराव या ऐसे किसी निदेशक द्वारा, जो संविदा या ठहराव में किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध या हितबद्ध है, भाग लेने से की गई कोई संविदा या ठहराव कंपनी के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा ।

(4) यदि कम्पनी का कोई निदेशक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा निदेशक ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(5) इस धारा की कोई बात—

(क) कंपनी के साथ किसी संविदा या ठहराव में कोई संबंध या हित रखने से किसी कंपनी के किसी निदेशक को निर्बंधित करने वाली विधि के किसी नियम के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी;

(ख) दो कंपनियों के बीच की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव को लागू नहीं होगी, जहां एक कंपनी के निदेशकों में से कोई निदेशक या उनमें से दो या अधिक एक साथ दूसरी कंपनी में समादत्त शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अनधिक धारण करता है या धारण करते हैं ।

निदेशकों, आदि को उधार ।

185. (1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, कोई कंपनी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके किसी निदेशक को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें निदेशक हितबद्ध है, कोई उधार नहीं देगी, जिसके अंतर्गत ऋणबही द्वारा प्रस्तुत कोई उधार भी है, या उसके द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी उधार के संबंध में कोई प्रत्याभूति नहीं देगी या कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराएगी:

परंतु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) (i) कंपनी द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को विस्तारित सेवा की शर्तों के भागरूप में; या

(ii) किसी विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसरण में,

किसी प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक को कोई उधार दिए जाने को; या

(ख) ऐसी किसी कंपनी को, जो अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में उधार उपलब्ध कराती है या किसी उधार के शोध्य प्रतिदाय के लिए गारंटी या प्रतिभूति देती है और ऐसे उधारों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित बैंक दर से अन्यून दर पर ब्याज प्रभारित किया जाता है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें निदेशक हितबद्ध है" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(क) उधार देने वाली कंपनी या किसी ऐसी कंपनी, जो इसकी नियंत्री कंपनी है, का कोई निदेशक या ऐसे निदेशक का कोई भागीदार या संबंधी;

(ख) कोई फर्म जिसमें कोई ऐसा निदेशक या संबंधी भागीदार है;

(ग) कोई प्राइवेट कंपनी जिसका कोई ऐसा निदेशक, एक निदेशक या सदस्य है;

(घ) ऐसा कोई निगमित निकाय जिसके साधारण अधिवेशन में कुल मतदान शक्ति के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून किसी ऐसे निदेशक या ऐसे दो या दो से अधिक निदेशकों द्वारा मिलकर प्रयुक्त या नियंत्रित की जा सकती है;

(ङ) कोई निगमित निकाय, जिसका निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक उधार देने वाली कंपनी के बोर्ड या किसी निदेशक या किन्हीं निदेशकों के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का अभ्यस्त है।

(2) यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई उधार दिया जाता है या प्रत्याभूति दी जाती है या प्रतिभूति उपलब्ध कराई जाती है, तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और निदेशक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसको उधार दिया गया है या उसके द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी उधार के संबंध में प्रत्याभूति दी जाती है या प्रतिभूति उपलब्ध कराई जाती है, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

कंपनी द्वारा उधार और विनिधान ।

186.(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई कम्पनी, जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, दो से अनधिक स्तर की विनिधान कम्पनियों के माध्यम से विनिधान करेगी :

परन्तु इस धारा के उपबंधों का निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा—

(i) भारत से बाहर किसी देश में निगमित किसी अन्य कम्पनी से अर्जित किसी कम्पनी पर, यदि ऐसी अन्य कम्पनी के पास, ऐसे देश की विधियों के अनुसार दो स्तर से अधिक विनिधान समनुषंगी हैं;

(ii) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन विरचित किसी नियम या विनियम के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए किसी विनिधान समनुषंगी को, रखने से किसी समनुषंगी कम्पनी पर।

(2) कोई कंपनी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से,—

(क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को ऐसा कोई उधार नहीं देगी;

(ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी उधार के संबंध में कोई प्रत्याभूति नहीं देगी या प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराएगी; और

(ग) किसी अन्य निगमित निकाय की किन्हीं प्रतिभूतियों को अभिदाय, क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित नहीं करेगी,

जो उसकी समादत्त शेयर पूंजी, मुक्त आरक्षितियों और प्रतिभूति प्रीमियम लेखा के साठ प्रतिशत से अधिक या उसकी मुक्त आरक्षितियों और प्रतिभूति प्रीमियम लेखा के शत प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, है ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी उधार या गारंटी या प्रतिभूति का दिया जाना या अर्जन उस उपधारा में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो जाता है, वहां किसी साधारण अधिवेशन में पारित किसी विशेष संकल्प के माध्यम से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(4) कंपनी वित्तीय विवरण में दिए गए उधारों, किए गए विनिधानों या दी गई प्रत्याभूति या उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति की पूर्ण विशिष्टियां और वह प्रयोजन, जिसके लिए उधार या प्रत्याभूति या प्रतिभूति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, सदस्यों को प्रकट करेगी ।

(5) कंपनी द्वारा तब तक कोई विनिधान नहीं किया जाएगा या कोई उधार नहीं दिया जाएगा या प्रत्याभूति या प्रतिभूति नहीं दी जाएगी, जब तक बोर्ड के किसी अधिवेशन में उसको मंजूरी देने वाला संकल्प अधिवेशन में उपस्थित सभी निदेशकों की सहमति से पारित नहीं कर दिया गया हो और जहां कोई आवधिक उधार विद्यमान है, वहां संबंधित लोक वित्तीय संस्था का, पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया गया हो :

परंतु किसी लोक वित्तीय संस्था का पूर्व अनुमोदन वहां अपेक्षित नहीं होगा, जहां उस समय तक दिए गए उधारों और किए गए विनिधानों का, उन रकमों का, जिनके लिए सभी अन्य निगमित निकायों को या उनमें प्रत्याभूति या प्रतिभूति दी गई है, के साथ किए जाने के लिए प्रस्तावित या दिए गए विनिधानों, उधारों, प्रत्याभूति या प्रतिभूति का योग उपधारा (1)

में यथाविनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होता और लोक वित्तीय संस्था को ऐसे उधार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उधार की किस्तों का प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज का संदाय करने में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है ।

1992 का 15

(6) ऐसी कोई कंपनी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों के अंतर्गत आती है, जो विहित किए जाएं, विहित सीमा से अधिक अंतर-निगमित उधार नहीं लेगी या निक्षेप नहीं करेगी और ऐसी कंपनी अपने वित्तीय विवरण में उधार या निक्षेपों का ब्यौरा देगी ।

(7) इस धारा के अधीन कोई उधार एक वर्षीय, तीन वर्षीय, पांच वर्षीय या दस वर्षीय सरकारी प्रतिभूति के उधार के दस के निकटतम की वर्तमान प्राप्ति की दर से कम दर पर नहीं दिया जाएगा।

(8) ऐसी कोई कंपनी, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् प्राप्त किए गए किन्हीं निक्षेपों का प्रतिसंदाय करने या उस पर ब्याज का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है, ऐसे व्यतिक्रम के बने रहने तक, कोई उधार या कोई प्रत्याभूति नहीं देगी या कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराएगी या कोई अर्जन नहीं करेगी ।

(9) इस धारा के अधीन उधार या प्रत्याभूति देने या प्रतिभूति उपलब्ध कराने या अर्जन करने वाली प्रत्येक कंपनी एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और वह ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विहित की जाए ।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट रजिस्टर, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाएगा, और—

(क) उस कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुला रहेगा; और

(ख) किसी सदस्य द्वारा उससे उद्धरण लिए जा सकेंगे और उसकी प्रतियां कंपनी के किसी सदस्य को, ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, दी जा सकेंगी ।

(11) उपधारा (1) के सिवाय, इस धारा की कोई बात, निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) किसी बैंककारी कंपनी या किसी बीमा कंपनी या किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा उसके कारबार के सामान्य अनुक्रम में या कंपनियों के वित्त प्रबंध या अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारबार में लगी किसी कंपनी को दिए गए किसी उधार या दी गई प्रत्याभूति या उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति को;

(ख) निम्नलिखित द्वारा किए गए किसी अर्जन को,—

1934 का 2

(i) किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका मुख्य कारबार प्रतिभूतियों का अर्जन है:

परंतु गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को छूट, उनके विनिधान और उधार देने वाले क्रियाकलापों की बाबत होगी;

(ii) किसी कंपनी द्वारा जिसका मुख्य कारबार प्रतिभूतियों को अर्जित करना है;

(iii) धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में आबंटित शेयरों के ।

(12) केन्द्रीय सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

(13) यदि कोई कंपनी, इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगी, तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है,

ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विनिधान कंपनी" पद से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसका मुख्य कारबार शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों को अर्जित करना है ;

(ख) "अवसंरचनात्मक सुविधाएं" पद से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट सुविधाएं अभिप्रेत हैं।

कंपनी के विनिधानों का उसके अपने नाम में धारित किया जाना ।

187. (1) किसी कंपनी द्वारा किसी संपत्ति, प्रतिभूति या अन्य आस्ति में किए गए या धारित सभी विनिधान, उसके द्वारा अपने नाम में किए और धारित किए जाएंगे:

परंतु कंपनी अपनी समनुषंगी कंपनी में कंपनी के किसी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों के नाम में कोई शेयर धारण कर सकेगी, यदि यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो कि समनुषंगी कंपनी की सदस्य संख्या में कानूनी सीमा से नीचे कमी नहीं की गई है ।

(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह—

(क) कंपनी के बैंककारी होते हुए किसी लाभांश या उस पर संदेय ब्याज के संग्रहण के लिए किन्हीं शेयरों या प्रतिभूतियों को बैंक में जमा करने से निवारित करती है; या

(ख) कंपनी के बैंककारी होते हुए भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक के नाम में, शेयर या प्रतिभूति के अंतरण को सुकर बनाने के लिए जमा करने या उसको अंतरित करने या धारित करने से निवारित करती है :

परंतु यदि उस तारीख को, जिसको शेयर या प्रतिभूतियां किसी कंपनी द्वारा या वे प्रथमतः कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या उपरोक्तानुसार किसी अनुसूचित बैंक के नाम धारित की जाती हैं, और ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का अंतरण नहीं होता है तो कंपनी उस अवधि के अवसान के पश्चात्, यथाशीघ्र, यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक से शेयरों और प्रतिभूतियों को अपने पास पुनः अंतरित करेगी या अपने स्वयं के नाम पर शेयरों या प्रतिभूतियों को पुनः धारित करेगी ; या

(ग) कंपनी को दिए गए किसी उधार के पुनः संदाय के लिए या इसके द्वारा ली गई किसी बाध्यता के अनुपालन में किसी व्यक्ति को प्रतिभूति के तौर पर किन्हीं शेयर या प्रतिभूतियों को जमा या अंतरित करने से निवारित करती है ;

(घ) निक्षेपधारी के नाम, विनिधान, जब ऐसे विनिधान फायदाप्रद स्वामी के रूप में कंपनी द्वारा प्रतिभूति के रूप में धारित किए जाते हैं, धारण करने से निवारित करती है।

(3) जहां उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसरण में ऐसे कोई शेयर या प्रतिभूतियां, जिनमें कंपनी द्वारा विनिधान किए गए हैं, कंपनी द्वारा अपने नाम में धारित नहीं की गई हैं तो कंपनी एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जो विहित की जाएं और ऐसा रजिस्टर कंपनी के किसी सदस्य या डिबेंचर धारक द्वारा कामकाज के समय के दौरान, किसी प्रभार के बिना, ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो कंपनी अपने अनुच्छेदों द्वारा या साधारण अधिवेशन में अधिरोपित करे, निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(4) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगी, तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा और कम्पनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

188. (1) कोई कंपनी, बोर्ड के अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रदान की गई कंपनी के निदेशक बोर्ड की सहमति के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, किसी संबद्ध पक्षकार के साथ निम्नलिखित के संबंध में कोई संविदा या ठहराव नहीं करेगी,— संबद्ध पक्षकार संव्यवहार ।

(क) किसी माल या सामग्रियों का विक्रय, क्रय या प्रदाय;

(ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय करना या अन्यथा व्ययन या क्रय करना;

(ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;

(घ) किन्हीं सेवाओं का उपभोग करना या प्रदान करना;

(ङ) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति के क्रय या विक्रय के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति; और

(च) ऐसे संबद्ध पक्षकार की किसी कम्पनी, उसकी समनुषंगी कम्पनी या सम्बद्ध कम्पनी में किसी लाभ के किसी पद या स्थान पर नियुक्ति; और

(छ) कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों या उनके व्युत्पन्नों के अभिदान की हामीदारी :

परंतु ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी ऐसी रकम से कम नहीं है, या संव्यवहारों जो ऐसी राशि से अधिक नहीं है, जो विहित की जाएं, विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई संविदा या ठहराव नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि कंपनी का कोई सदस्य ऐसी संविदा या ठहराव जो कंपनी द्वारा किया गया है, के अनुमोदन के लिए ऐसे विशेष संकल्प पर, मतदान नहीं करेगा, यदि ऐसा सदस्य संबद्ध पक्षकार है :

परंतु यह भी कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे संव्यवहारों से भिन्न, जो सन्निकट आधार पर नहीं हैं, कारबार के सामान्य अनुक्रम में कम्पनी द्वारा किए गए किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में,—

(क) "लाभ का पद या स्थान" अभिव्यक्ति से निम्नलिखित कोई पद या स्थान अभिप्रेत है—

(i) जहां ऐसा पद या स्थान किसी निदेशक द्वारा धारित किया जाता है, यदि उसे धारित करने वाला निदेशक कम्पनी से उस पारिश्रमिक से अधिक, जिसका वह निदेशक के रूप में हकदार है, पारिश्रमिक, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धि, किराया मुक्त आवास के रूप में या अन्यथा कोई चीज प्राप्त करता है;

(ii) जहां ऐसा पद या स्थान निदेशक से भिन्न किसी व्यष्टि द्वारा या किसी फर्म, प्राइवेट कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारित किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला ऐसा व्यष्टि, फर्म, प्राइवेट कम्पनी या निगमित निकाय, कम्पनी से पारिश्रमिक, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धि कोई किराया मुक्त आवास के रूप में या अन्यथा कोई चीज प्राप्त करता है;

(ख) "सन्निकट संव्यवहार" से दो संबद्ध पक्षकारों के बीच ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है, जो ऐसे संचालित किया जाता है, मानो वे असंबद्ध हैं, जिससे उनमें हित के विरोध का प्रश्न न हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक संविदा या किए गए ठहराव को, ऐसी संविदा या ठहराव किए जाने के औचित्य के साथ, बोर्ड की रिपोर्ट में शेयर धारकों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) जहां किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सहमति या उपधारा (1) के अधीन साधारण अधिवेशन में किसी विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन अभिप्राप्त

किए बिना कोई संविदा या ठहराव किया जाता है, और यदि, यथास्थिति, बोर्ड या शेयर धारकों द्वारा उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको ऐसी संविदा या ठहराव किया गया था, किसी अधिवेशन में उसका अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, तो ऐसी संविदा या ठहराव बोर्ड के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि संविदा या ठहराव किसी निदेशक से संबद्ध पक्षकार के साथ है या उसे किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है तो संबंधित निदेशक कंपनी को उपगत हुई किसी हानि के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे।

(4) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी संविदा या ठहराव किया था, ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसे हुई हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

(5) किसी कंपनी का कोई निदेशक या कोई अन्य कर्मचारी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में संविदा या ठहराव किया था या उसे प्राधिकृत किया था,—

(i) किसी सूचीबद्ध कंपनी की दशा में, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा; और

(ii) किसी अन्य कम्पनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

ऐसी संविदाओं या ठहरावों का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं।

189. (1) प्रत्येक कंपनी ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं, एक या अधिक रजिस्टर रखेगी, जिनमें पृथक्तः उन सभी संविदाओं और ठहरावों की विशिष्टियां होंगी, जिनको धारा 184 की उपधारा (2) या धारा 188 लागू होती है, और विशिष्टियां प्रविष्ट करने के पश्चात्, ऐसे रजिस्टर या रजिस्टरों को बोर्ड के आगामी अधिवेशन में रखा जाएगा और अधिवेशन में उपस्थित सभी निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) प्रत्येक निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, यथास्थिति, अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या अपना पद त्याग करने पर अन्य संगमों में अपने संबंध या हित से संबंधित धारा 184 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां, जिनको उस उपधारा के अधीन रजिस्टर में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, अथवा अपने से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी, जो विहित की जाए, कंपनी को प्रकट करेगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और वह कामकाज के समय के दौरान उस कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और उससे उद्धरण लिए जा सकेंगे और कंपनी के किसी सदस्य द्वारा यथा अपेक्षित उसकी प्रतियां कंपनी द्वारा उस विस्तार तक और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(4) इस धारा के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर कंपनी के प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन के प्रारंभ में भी प्रस्तुत किए जाएंगे और अधिवेशन के जारी रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसका अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार है, खुले और सुलभ रहेंगे ।

(5) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित के संबंध में किसी संविदा या ठहराव को लागू नहीं होगी,—

(क) किन्हीं माल, सामग्रियों या सेवाओं के विक्रय, क्रय या प्रदाय के लिए, यदि ऐसे माल और सामग्रियों का मूल्य या ऐसी सेवाओं की लागत किसी वर्ष में कुल मिलाकर पांच लाख रुपए से अनधिक है; या

(ख) किसी बैंककारी कंपनी द्वारा अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में बिलों के संग्रहण के लिए ।

(6) ऐसा प्रत्येक निदेशक, जो इस धारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा, पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।

प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशकों के साथ नियोजन की संविदा।

190. (1) प्रत्येक कंपनी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में,—

(क) जहां प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक के साथ सेवा की संविदा लिखित में है, वहां संविदा की एक प्रति रखेगी; या

(ख) जहां ऐसी संविदा लिखित में नहीं है, वहां उसके निबंधनों को दर्शाते हुए एक लिखित ज्ञापन रखेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रखी गई संविदा और ज्ञापन की प्रतियां फीस के संदाय के बिना कंपनी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी ।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किए जाते हैं, तो कंपनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।

(4) इस धारा के उपबंध प्राइवेट कंपनी को लागू नहीं होंगे ।

उपक्रम, संपत्ति या शेयरों के अंतरण के संबंध में पद की हानि, आदि के लिए निदेशक को संदाय ।

191. (1) कंपनी का कोई निदेशक निम्नलिखित के संबंध में,—

(क) कंपनी के किसी संपूर्ण उपक्रम या संपत्ति या उसके किसी भाग का अन्तरण; या

(ख) कंपनी में सभी या किन्हीं शेयरों का किसी व्यक्ति को अन्तरण, जो निम्नलिखित के परिणामस्वरूप अन्तरण है,—

(i) शेयर धारकों की साधारण सभा में की गई कोई प्रस्थापना;

(ii) किसी कंपनी के ऐसे निगमित निकाय की समनुषंगी कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी की समनुषंगी कंपनी बनने की दृष्टि से किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा या उसकी ओर से की गई कोई प्रस्थापना;

(iii) किसी व्यष्टि द्वारा या उसकी ओर से कंपनी के किसी साधारण अधिवेशन में कुल मतदान शक्ति के एक तिहाई से अन्यून का प्रयोग करने या प्रयोग करने के नियंत्रण का अपना अधिकार अभिप्राप्त करने की दृष्टि से की गई प्रस्थापना; या

(iv) कोई अन्य प्रस्थापना, जो दी गई सीमा तक स्वीकार किए जाने की शर्त के अधीन है, पद की हानि के प्रतिकर के रूप में या पद से सेवानिवृत्ति के प्रतिफल के रूप में या ऐसी हानि या सेवानिवृत्ति के संबंध में ऐसी कंपनी से या ऐसे उपक्रम या संपत्ति के ऐसे अन्तरिती से, या शेयरों के अंतरिती से या किसी अन्य व्यक्ति से, जो ऐसी कंपनी नहीं है, तब तक कोई संदाय प्राप्त नहीं करेगा, जब तक ऐसे अंतरिती या व्यक्ति द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संदाय के संबंध में, जिसमें उनकी रकम भी सम्मिलित है, विशिष्टियां जो विहित की जाएं, कंपनी के सदस्यों को प्रकट नहीं कर दी गई हों, और प्रस्थापना को कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में अनुमोदित नहीं कर दिया गया है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात कंपनी के किसी प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को पद की हानि के लिए प्रतिकर के रूप में या पद से सेवानिवृत्ति के प्रतिफल के रूप में या ऐसी हानि या सेवानिवृत्ति के संबंध में विहित की गई ऐसी सीमाओं या पूर्विकताओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कंपनी द्वारा किए गए किसी संदाय पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संदाय को किसी अधिवेशन में या किसी आस्थगित अधिवेशन में गणपूर्ति न होने के कारण अनुमोदित नहीं किया जाता है तो प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया नहीं समझा जाएगा ।

(4) जहां कंपनी का कोई निदेशक उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी रकम का संदाय प्राप्त करता है या प्रस्तावित संदाय अधिवेशन में अनुमोदित किए जाने से पहले किया जाता है, वहां निदेशक द्वारा इस प्रकार प्राप्त रकमें उसके द्वारा कंपनी के लिए न्यास में प्राप्त की गई समझी जाएंगी ।

(5) यदि कम्पनी का कोई निदेशक इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो निदेशक ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) इस धारा की कोई बात, विधि के किसी नियम के प्रवर्तन पर, जो इस धारा के अधीन प्राप्त किसी संदाय या किसी निदेशक को किए गए वैसे ही अन्य संदायों की बाबत प्रकटन की अपेक्षा करने वाला हो, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

ऐसे अनकद संव्यवहारों पर निर्बंधन, जिनमें निदेशक अंतर्वलित हैं ।

192. (1) कोई कंपनी, तब तक ऐसा ठहराव नहीं करेगी, जिसके द्वारा—

(क) कंपनी या उसकी नियंत्री समनुषंगी या सहबद्ध कंपनी का निदेशक या उससे सम्बद्ध कोई व्यक्ति, कंपनी से नकद से भिन्न प्रतिफलार्थ आस्तियां अर्जित करता है, या अर्जित करने वाला है; या

(ख) कंपनी ऐसे निदेशक से या इस प्रकार सम्बद्ध व्यक्ति से, नकद से भिन्न प्रतिफलार्थ आस्तियां अर्जित करती है या करने वाली है,

जब तक कि कंपनी के साधारण अधिवेशन में संकल्प द्वारा ऐसे ठहराव का पूर्वानुमोदन नहीं कर दिया जाता है और यदि निदेशक या संबंधित व्यक्ति उसकी नियंत्री कंपनी का निदेशक है, तो इस उपधारा के अधीन नियंत्री कंपनी के साधारण अधिवेशन में संकल्प पारित करके अनुमोदन प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कंपनी या नियंत्री कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में संकल्प के अनुमोदन के लिए सूचना में ऐसे ठहराव में अंतर्वलित आस्तियों के किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा सम्यक्तः परिकलित मूल्य के साथ ऐसे ठहराव की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी ।

(3) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी द्वारा किया गया कोई ठहराव कंपनी की प्रेरणा पर तब तक शून्यकरणीय होगा, जब तक —

(क) किसी धन या ऐसे अन्य प्रतिफल की वापसी, जो किसी ठहराव की विषय-वस्तु है, अब संभव नहीं है और कंपनी को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी क्षतिपूर्ति न कर दी हो; या

(ख) कोई अधिकार मूल्य के लिए और इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन की किसी सूचना के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक अर्जित नहीं कर दिए गए हों।

एक व्यक्ति कंपनी द्वारा संविदा ।

193. (1) जहां शेयरों या प्रतिभूतियों से परिसीमित एक व्यक्ति कंपनी, कंपनी के एकमात्र सदस्य से, जो कंपनी का निदेशक भी है, संविदा करती है, वहां कंपनी, जब तक संविदा लिखित में न हो, इस बात को सुनिश्चित करेगी कि संविदा के निबंधन या प्रस्ताव ज्ञापन में अंतर्विष्ट हैं या संविदा करने के पश्चात् कंपनी के आयोजित किए गए निदेशक बोर्ड के आगामी पहले अधिवेशन के कार्यवृत्त में अभिलिखित कर दिए गए हैं :

परंतु इस उपधारा की कोई बात कंपनी द्वारा अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में की गई संविदाओं को लागू नहीं होगी ।

(2) कंपनी द्वारा की गई और उपधारा (1) के अधीन निदेशक बोर्ड के अधिवेशन के कार्यवृत्त में अभिलिखित प्रत्येक संविदा के बारे में, कंपनी, निदेशक बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रार को सूचित करेगी ।

निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में अग्रिम व्यौहार का प्रतिषेध ।

194. (1) कंपनी का कोई निदेशक या उसका कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक कम्पनी या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कम्पनी में निम्नलिखित का क्रय नहीं करेगा —

(क) किसी विनिर्दिष्ट कीमत पर और विनिर्दिष्ट समय के भीतर, विनिर्दिष्ट संख्या में सुसंगत शेयरों या सुसंगत डिबेंचरों की विनिर्दिष्ट रकम के परिदान के लिए मांग करने का अधिकार या परिदान करने का अधिकार ; या

(ख) किसी विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिर्दिष्ट संख्या में सुसंगत शेयरों या सुसंगत डिबेंचरों की विनिर्दिष्ट रकम के परिदान के लिए मांग करने का अधिकार या परिदान करने का अधिकार, जो वह चयन करे ।

(2) यदि कम्पनी का कोई निदेशक या कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) जहां कोई निदेशक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई प्रतिभूतियां अर्जित करेगा, वहां वह उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे कंपनी को अभ्यर्पित करने के लिए दायी होगा और कंपनी इस प्रकार अर्जित प्रतिभूतियों को रजिस्टर में उसके नाम में दर्ज नहीं करेगी और यदि वे अभौतिक रूप में हों तो वह निक्षेपकर्ता को ऐसे अर्जन को अभिलिखित न करने के लिए सूचित करेगी और ऐसी प्रतिभूतियां, दोनों दशाओं में, अंतरकों के नाम पर जारी रहेंगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत शेयरों" और "सुसंगत डिबेंचरों" से उस कंपनी के, जिसमें संबंधित व्यक्ति पूर्णकालिक निदेशक है या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक है, शेयर और डिबेंचर या उसकी नियंत्री और समनुषंगी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर अभिप्रेत हैं ।

प्रतिभूतियों के अंतरंगी व्यापार का प्रतिषेध ।

195. (1) कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत किसी कंपनी का निदेशक या मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक भी है, अंतरंगी व्यापार नहीं करेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी कारबार या वृत्ति या नियोजन के सामान्य अनुक्रम में या किसी विधि के अधीन अपेक्षित किसी संसूचना को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतरंगी व्यापार" से अभिप्रेत है—

(i) किसी कंपनी के किसी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा, या तो प्रधान के रूप में अथवा अभिकर्ता के रूप में किन्हीं प्रतिभूतियों का अभिदाय करने, क्रय करने, विक्रय करने, व्यौहार करने या अभिदाय, क्रय, विक्रय या व्यौहार के लिए करार करने का कोई कार्य, यदि उस कंपनी के ऐसे निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या किसी अन्य अधिकारी से कंपनी की प्रतिभूतियों की बाबत किसी गैर–सार्वजनिक कीमत संबंधी संवेदनशील सूचना तक पहुंच बनाने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जाती है; या

(ii) किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी गैर-सार्वजनिक कीमत संबंधी संवेदनशील सूचना उपाप्त करने या संसूचित करने के बारे में परामर्श देने का कार्य;

(ख) "कीमत संबंधी संवेदनशील सूचना" से कोई ऐसी सूचना अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कंपनी से संबंध रखती है और जिसका यदि प्रकाशन किया जाए तो उससे कंपनी की प्रतिभूतियों पर तात्विक प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए या अंतरंगी व्यापार से लिए गए लाभ का तीन गुणा, इसमें जो भी अधिक हो, तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

अध्याय 13

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति ।

196. (1) कोई भी कंपनी एक ही समय पर किसी प्रबंध निदेशक और किसी प्रबंधक को नियुक्त या नियोजित नहीं करेगी ।

(2) कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को अपने प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में एक समय पर पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं करेगी :

परंतु कोई भी पुनर्नियुक्ति उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व एक वर्ष से पहले नहीं की जाएगी ।

(3) कोई भी कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक के रूप में नियुक्त नहीं करेगी या उसके नियोजन को जारी नहीं रखेगी—

(क) जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या जिसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है :

परंतु ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जिसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, विशेष संकल्प पारित करके की जा सकेगी, ऐसी दशा में, ऐसे प्रस्ताव के लिए सूचना से संलग्न स्पष्टीकारक विवरण में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए औचित्य उपदर्शित होगा;

(ख) जो अनुन्मोचित दिवालिया है या उसे किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है;

(ग) जिसने किसी समय अपने लेनदारों को संदाय निलंबित कर दिया है या किसी समय उनके साथ समझौता कर लेता है या कर लिया है; या

(घ) जिसे किसी समय किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, और छह मास से अधिक की अवधि का दण्डादेश दिया गया है।

(4) धारा 197 और अनुसूची 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति का और ऐसी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें और उनको संदेय पारिश्रमिक का निदेशक बोर्ड द्वारा किसी अधिवेशन में अनुमोदन किया जाएगा जो कंपनी के आगामी साधारण अधिवेशन में संकल्प द्वारा और ऐसी नियुक्ति उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों से भिन्न होने की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगी:

परन्तु ऐसी नियुक्ति पर विचार करने के लिए बोर्ड या साधारण अधिवेशन बुलाए जाने की सूचना में किसी निदेशक या निदेशकों की ऐसी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें उनको संदेय पारिश्रमिक और ऐसी नियुक्तियों पर, उनके किसी हित, सहित ऐसे अन्य विषय, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगे:

परंतु यह और कि ऐसी नियुक्ति के साठ दिन के भीतर, विहित प्ररूप में विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति का साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है, वहां ऐसे अनुमोदन से पूर्व उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अविधिमान्य नहीं माना जाएगा ।

समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और लाभों के अभाव में या अपर्याप्तता की दशा में प्रबंधकीय पारिश्रमिक।

197. (1) किसी पब्लिक कंपनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष की बाबत अपने निदेशकों को, जिनके अंतर्गत प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक भी हैं, और अपने प्रबंधकों को संदेय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक उस वित्तीय वर्ष के लिए उस कंपनी के धारा 198 में अधिकथित रीति में संगणित उन शुद्ध लाभों के ग्यारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, सिवाय इसके कि निदेशकों के पारिश्रमिक की कटौती सकल लाभों में से नहीं की जाएगी :

परंतु कंपनी साधारण अधिवेशन में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अनुसूची 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कंपनी के शुद्ध लाभों के ग्यारह प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक के संदाय को प्राधिकृत कर सकेगी :

परंतु यह और कि साधारण अधिवेशन में कंपनी के अनुमोदन के सिवाय—

(i) किसी एक प्रबंध निदेशक; या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को संदेय पारिश्रमिक कंपनी के शुद्ध लाभों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यदि ऐसा निदेशक एक से अधिक है तो ऐसे सभी निदेशकों और प्रबंधक को संदेय पारिश्रमिक कुल मिलाकर शुद्ध लाभों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ii) ऐसे निदेशकों को, जो न तो प्रबंध निदेशक हैं और न ही पूर्णकालिक निदेशक हैं, संदेय पारिश्रमिक,—

(अ) यदि कोई प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक है तो कंपनी के शुद्ध लाभों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(आ) किसी अन्य दशा में शुद्ध लाभों के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) पूर्वोक्त प्रतिशतता उपधारा (5) के अधीन निदेशकों को संदेय फीस को छोड़कर होगी।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुसूची 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि किसी कंपनी को किसी वित्तीय वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या उसके लाभ अपर्याप्त हैं, तो कंपनी अपने निदेशकों को, जिनके अंतर्गत कोई प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक भी हैं, के पारिश्रमिक के रूप में किसी धनराशि का, इसमें इसके नीचे दी गई उपधारा (5) के अधीन निदेशकों को संदेय किसी फीस को छोड़कर अनुसूची 5 के उपबंधों के अनुसार संदाय किए जाने के सिवाय और यदि वह ऐसे उपबंधों का पालन करने में समर्थ नहीं है तो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय संदत्त नहीं करेगी।

(4) किसी कंपनी के निदेशकों को, जिनके अंतर्गत कोई प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक भी हैं या प्रबंधक को, संदेय पारिश्रमिक का अवधारण इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए या तो कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा या किसी संकल्प द्वारा अथवा यदि अनुच्छेदों में ऐसा अपेक्षित हो तो साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा किया जाएगा और किसी निदेशक को पूर्वोक्त रूप में अवधारित संदेय पारिश्रमिक में किसी अन्य हैसियत में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उसको संदेय पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा:

परंतु ऐसे किसी निदेशक द्वारा किसी अन्य हैसियत में दी गई सेवाओं के लिए किसी पारिश्रमिक को इस प्रकार सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) दी गई सेवा किसी वृत्तिक प्रकृति की है; और

(ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की, यदि वह कंपनी धारा 178 की उपधारा (1) के अंतर्गत आती है, या अन्य दशाओं में निदेशक बोर्ड की राय में निदेशक के पास वृत्तिक व्यवसाय हेतु अपेक्षित अर्हता है।

(5) कोई निदेशक, बोर्ड या उसकी समिति के अधिवेशनों में या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जो भी बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए उपस्थित होने के लिए फीस के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा :

परंतु ऐसी फीस की रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो विहित की जाए:

परंतु यह और कि भिन्न–भिन्न वर्गों की कंपनियों के लिए भिन्न–भिन्न फीसों तथा स्वतंत्र निदेशक की बाबत फीस ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(6) किसी निदेशक या प्रबंधक को पारिश्रमिक का संदाय या तो मासिक संदाय के रूप में या कंपनी के शुद्ध लाभों की एक विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के आधार पर अथवा भागतः एक प्रकार से और भागतः अन्य प्रकार से किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी किंतु इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई स्वतंत्र निदेशक किसी स्टाक विकल्प का हकदार नहीं होगा और उपधारा (5) के अधीन उपबंधित फीस के रूप में पारिश्रमिक, बोर्ड की अथवा अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति और लाभ संबंधी कमीशन, जैसा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए, प्राप्त कर सकेगा।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए शुद्ध लाभों की संगणना धारा 198 में निर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

(9) यदि कोई निदेशक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पारिश्रमिक के रूप में कोई ऐसी राशि इस धारा में विहित सीमा के आधिक्य के रूप में या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना लेता है या प्राप्त करता है तो जहां ऐसा अपेक्षित हो, वहां वह कंपनी को ऐसी राशि का प्रतिदाय करेगा और ऐसी रकम का प्रतिदाय होने तक उसे कंपनी के न्यास में धारण करेगा।

(10) कंपनी किसी भी राशि की वसूली का, जो उसे उपधारा (9) के अधीन प्रतिदेय है, तब तक अधित्यजन नहीं करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात न किया जाए।

(11) ऐसे मामलों में, जहां अलाभों या अपर्याप्त लाभों के आधारों पर अनुसूची 5 लागू होती है, वहां किसी निदेशक के पारिश्रमिक से संबंधित किसी ऐसे उपबंध का, जो उसकी रकम में वृद्धि करने से तात्पर्यित है या जिसका उसकी रकम में वृद्धि करने का प्रभाव है, चाहे ऐसा उपबंध कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में या उसके द्वारा किए गए किसी करार में या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में या उसके बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प में अंतर्विष्ट हो, अथवा नहीं, तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक ऐसी वृद्धि उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार न हो और यदि ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो जब तक केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया गया हो।

(12) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी बोर्ड की रिपोर्ट में कर्मचारी के माध्यिक पारिश्रमिक के प्रति प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात और ऐसे अन्य ब्यौरे जो विहित किए जाएं, प्रकट करेगा।

(13) जहां किसी कंपनी द्वारा, उसे प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी या कंपनी सचिव की ओर से ऐसी किसी उपेक्षा, व्यतिक्रम, अपकरण, कर्तव्यभंग या न्यासभंग की बाबत जिसके लिए वे कंपनी के संबंध में दोषी हो सकते हैं, किसी दायित्व के विरुद्ध उनमें से किसी की क्षतिपूर्ति के लिए कोई बीमा लिया जाता है, वहां ऐसे बीमे पर संदत्त प्रीमियम को ऐसे किसी कार्मिक को संदेय पारिश्रमिक का भागरूप नहीं समझा जाएगा :

परंतु यदि ऐसे व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया जाता है तो ऐसे बीमे पर संदत्त प्रीमियम को पारिश्रमिक का भागरूप समझा जाएगा।

(14) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई ऐसा निदेशक जो कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त करता है और जो कंपनी का प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक है, किसी नियंत्री कंपनी या ऐसी कंपनी की समनुषंगी कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करने से कंपनी द्वारा बोर्ड की रिपोर्ट में इसका प्रकटीकरण किए जाने के अधीन रहते हुए, निरर्हित नहीं होगा।

(15) यदि कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

लाभों की संगणना।

198. (1) धारा 197 के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी के शुद्ध लाभों की संगणना करने में,—

(क) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियां आंकलित की जाएंगी और वे राशियां जो उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट हैं, आंकलित नहीं की जाएंगी;

(ख) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट राशियों की कटौती की जाएगी और उन राशियों की कटौती नहीं की जाएगी जो उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) पूर्वोक्त से संगणना करने में, किसी सरकार से या किसी सरकार द्वारा इस निमित्त गठित या प्राधिकृत किसी लोक प्राधिकारी से प्राप्त वाउंटियों और सहायिकियों का जब तक और उसके सिवाय जहां तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निर्दिष्ट निदेश न दे, मुजरा किया जाएगा।

(3) पूर्वोक्त संगणना में निम्नलिखित राशियां, मुजरा नहीं की जाएंगी, अर्थात्:—

(क) कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों पर, जो कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए हैं या बेचे गए हैं, प्रीमियम के रूप में लाभ;

(ख) समपहृत शेयरों के कंपनी द्वारा विक्रयों पर लाभ;

(ग) पूंजी प्रकृति के लाभ जिसके अन्तर्गत कम्पनी के किसी उपक्रम या उपक्रमों में से किसी के या उनके या उनके किसी भाग के विक्रय से हुए लाभ आते हैं;

(घ) कम्पनी के उपक्रम या उपक्रमों में से किसी में समाविष्ट पूंजी प्रकृति की स्थावर सम्पत्ति या स्थिर आस्तियों के विक्रय से हुए लाभ उस दशा के सिवाय जिसमें कि कम्पनी का कारबार पूर्णतः या भागतः किसी ऐसी सम्पत्ति या आस्तियों के क्रय और विक्रय के रूप में है:

परंतु जहां वह रकम जिसके लिए ऐसी कोई स्थिर आस्ति बेची गई है उसके अवलिखित मूल्य से अधिक है वहां उस आधिक्य का उतना भाग आंकलित किया जाएगा जितना उस स्थिर आस्ति की मूल लागत और उसके अवलिखित मूल्य के बीच के अंतर से अधिक नहीं है ;

(ङ) साम्य आरक्षितियों में मान्यताप्राप्त किसी आस्ति की या किसी दायित्व की धारित रकम में कोई परिवर्तन जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य पर आस्ति या दायित्व की माप के आधार पर लाभ और हानि के अधिशेष भी हैं।

(4) पूर्वोक्त संगणना करने में निम्नलिखित राशियां घटा दी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) सभी प्रायिक कार्यकरण प्रभार;

(ख) निदेशकों के पारिश्रमिक;

(ग) कंपनी के कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को या कंपनी द्वारा नियोजित या काम में लगाए गए इंजीनियर, तकनीशियन या व्यक्ति को चाहे वह पूर्णकालिक आधार पर हो या अंशकालिक आधार पर संदत्त या संदेय बोनस या कमीशन;

(घ) ऐसा कोई कर जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचित किया है कि वह अत्यधिक या असामान्य लाभों पर कर की प्रकृति का है;

(ङ) कारबारी लाभों पर ऐसा कोई कर जो विशेष कारणों से या विशेष परिस्थितियों में अधिरोपित किया गया है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है;

(च) कंपनी द्वारा निर्गमित डिबेंचरों पर ब्याज;

(छ) कंपनी द्वारा निष्पादित बंधकों पर ब्याज और उसकी स्थिर या प्लवमान आस्तियों पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत उधारों और अग्रिमों पर ब्याज;

(ज) अप्रतिभूत उधारों और अग्रिमों पर ब्याज;

(झ) जंगम या स्थावर संपत्ति की मरम्मत पर हुए व्यय, परंतु यह तब घटाए जाएंगे जब मरम्मत पूंजी प्रकृति की नहीं है;

(ञ) धारा 181 के अधीन किए गए अभिदायों सहित निर्गम;

(ट) धारा 123 में विनिर्दिष्ट सीमा तक अवक्षयण;

(ठ) आय से अधिक व्यय का वह आधिक्य जिसे ऐसे किसी वर्ष में इस धारा के अनुसार शुद्ध लाभों की संगणना करके निकाला गया है जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या प्रारम्भ के पश्चात् शुरु होता है किन्तु ऐसे आधिक्य को वहां तक ही घटाया जाएगा जहां तक कि वह उस वर्ष के पूर्ववर्ती किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में नहीं घटाया गया जिसकी बाबत शुद्ध लाभ अभिनिश्चित किए जाने हैं;

(ड) किसी विधिक दायित्व, जिसके अन्तर्गत संविदा भंग से उद्भूत दायित्व भी है, के कारण संदत्त किया जाने वाला कोई प्रतिकर या नुकसानी;

(ढ) ऐसे किसी दायित्व की पूर्ति में जोखिम के लिए जो खंड (ड) में निर्दिष्ट है, बीमा करने के रूप में दी गई कोई राशि;

(ण) ऐसे ऋण जिनकी बाबत यह समझा जाता है कि वह डूब गए हैं और जो अपलिखित कर दिए गए हैं या जो लेखा वर्ष के दौरान समायोजित कर दिए गए हैं।

(5) पूर्वोक्त संगणना के लिए निम्नलिखित राशियों को घटाया नहीं जाएगा, अर्थात्:—

1961 का 43

(क) आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कंपनी द्वारा संदेय आय-कर और अधिकर या उपधारा (4) के खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन न आने वाला कंपनी की आय पर कोई अन्य कर;

(ख) स्वेच्छया दिया गया कोई प्रतिकर, नुकसानी या संदाय, अर्थात् उपधारा (4) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट रूप में किसी दायित्व के आधार पर दिए गए से अन्यथा;

(ग) पूंजी प्रकृति की कोई हानि जिसके अन्तर्गत कम्पनी के उपक्रम या उपक्रमों में से किसी या उसके किसी भाग के विक्रय से हुई हानि आती है, जिस हानि के अंतर्गत ऐसी किसी आस्ति के, जो बेची गई है, त्यक्त कर दी गई है या दी गई है या नष्ट कर दी गई है अवलिखित मूल्य का उसके विक्रय आगमों या उसके स्क्रेप मूल्य से वह आधिक्य नहीं आता;

(घ) साम्य आरक्षितियों में मान्यताप्राप्त किसी आस्ति की या दायित्व की धारित रकम में कोई परिवर्तन जिसके अंतर्गत उचित मूल्य पर आस्ति या दायित्व के माप के आधार पर लाभ और हानि का अतिशेष भी है।

कतिपय मामलों में पारिश्रमिक की वसूली।

199. इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उपगत किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कपट अथवा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की किसी अपेक्षा का अनुपालन न किए जाने के कारण कंपनी से अपने वित्तीय विवरणों का पुनः विवरण देना अपेक्षित है वहां कंपनी ऐसे किसी पूर्व या वर्तमान प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक से, जो उस अवधि के दौरान, जिसके लिए वित्तीय विवरणों का पुनः विवरण दिया जाना अपेक्षित है, ऐसा पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत स्टाक विकल्प भी है) प्राप्त करता है उस राशि से अधिक, जो वित्तीय विवरणों का ऐसा पुनः विवरण दिए जाने के अनुसार उसे संदेय होती, वसूल करेगी।

केन्द्रीय सरकार या कम्पनी का पारिश्रमिक के बारे में सीमा नियत किया जाना।

200. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार या कम्पनी उन मामलों के संबंध में, जहां कंपनी का कोई लाभ नहीं है या उसका लाभ अपर्याप्त है, धारा 197 के अधीन किसी नियुक्ति को या किसी पारिश्रमिक को धारा 196 के अधीन उसका अनुमोदन करते समय इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर, पारिश्रमिक, कंपनी के लाभ की ऐसी रकम या प्रतिशतता, जो वह ठीक समझे, पर नियत कर सकेगी और ऐसा पारिश्रमिक नियत करते समय केन्द्रीय सरकार या कम्पनी निम्नलिखित का ध्यान रखेगी—

(क) कंपनी की वित्तीय स्थिति;

(ख) व्यष्टिक द्वारा किसी अन्य हैसियत में, लिया गया पारिश्रमिक या कमीशन;

(ग) उसके द्वारा किसी अन्य कंपनी से लिया गया पारिश्रमिक या कमीशन;

(घ) संबद्ध व्यष्टि की वृत्तिक अर्हताएं और अनुभव;

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं।

कतिपय आवेदनों के प्ररूप और उनसे संबंधित प्रक्रिया ।

201. (1) इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए।

(2) (क) पूर्वोक्त धाराओं में से किसी के अधीन कंपनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को किए गए आवेदन के पूर्व कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से किए जाने के लिए प्रस्तावित आवेदन की प्रकृति उपदर्शित करते हुए उसके सदस्यों को एक साधारण सूचना जारी की जाएगी।

(ख) ऐसी सूचना को उस जिले की, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है मुख्य भाषा वाले किसी समाचारपत्र में और जो उस जिले में परिचालित किया जाता है, कम से कम एक बार तथा उस जिले में परिचालित किए जा रहे अंग्रेजी के समाचारपत्र में अंग्रेजी में कम से कम एक बार प्रकाशित किया जाएगा।

(ग) सूचनाओं की प्रतियां तथा उसके सम्यक् प्रकाशन के बारे में कम्पनी का प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के पद की हानि के लिए प्रतिकर ।

202. (1) कोई कंपनी किसी प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को, किसी अन्य निदेशक के सिवाय, पद की हानि के लिए प्रतिकर के रूप में या पद से निवृत्त होने के प्रतिफल के रूप में या ऐसी हानि या सेवानिवृत्ति के संबंध में संदाय कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित मामलों में कोई संदाय नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) जहां निदेशक कंपनी के पुनर्गठन या उसके किसी अन्य निगमित निकाय या निगमित निकायों के साथ समामेलन के परिणामस्वरूप अपने पद से त्यागपत्र देता है और किसी पुनर्गठित कंपनी या समामेलन के परिणामस्वरूप निगमित निकाय के प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक, निदेशक या अन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है;

(ख) जहां निदेशक पूर्वोक्त रूप से कंपनी के पुनर्गठन या उसके समामेलन से अन्यथा अपने पद से त्यागपत्र देता है;

(ग) जहां धारा 167 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक का पद रिक्त हो जाता है;

(घ) जहां कंपनी का परिसमापन किया गया है चाहे वह अधिकरण के किसी आदेश द्वारा हो या स्वैच्छिक रूप से हो, परंतु यह तब जबकि परिसमापन निदेशक की उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुआ हो;

(ङ) जहां निदेशक कंपनी या उसकी किसी समनुषंगी कंपनी या नियंत्री कंपनी के कार्यों के संचालन के सम्बन्ध में कपट या न्यासभंग का या उसमें कोई घोर उपेक्षा या घोर कुप्रबंध का दोषी रहा है; और

(च) जहां निदेशक ने उकसाकर अपने पद का पर्यवसान कराया है या प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः ऐसा कराने में भाग लिया है ।

(3) उपधारा (1) के अनुसरण में प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को किया गया कोई संदाय उस पारिश्रमिक से अधिक नहीं होगा जो उसने उस दशा में, यदि वह अपनी शेष पदावधि तक या तीन वर्ष तक, इनमें से जो भी लघुतर हो, पद पर बना रहता, अर्जित किया होता जिसकी संगणना उस तारीख से जिसको वह पद धारण करने से प्रविरत हुआ था, पूर्ववर्ती ठीक तीन वर्ष की अवधि के दौरान अथवा जहां वह तीन वर्ष से कम अवधि तक पद धारण करता है, उस अवधि के दौरान उसके द्वारा वस्तुतः अर्जित औसत पारिश्रमिक के आधार पर की जाएगी:

परंतु कोई ऐसा संदाय उस तारीख से, जिसको वह पद धारण करने से प्रविरत होता है, पूर्व या ऐसी तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर किसी समय कंपनी के परिसमापन के प्रारंभ की दशा में निदेशक को तब नहीं किया जाएगा यदि परिसमापन पर कंपनी की आस्ति या उसके व्ययों को घटाने के पश्चात् शेयर धारक को प्रीमियम सहित यदि कोई हो, जिसका उनके द्वारा अभिदाय किया गया है शेयर पूंजी का प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(4) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को उसके द्वारा किसी अन्य हैसियत में कम्पनी को दी गई सेवाओं के लिए किसी पारिश्रमिक का संदाय करने का प्रतिषेध करने वाली है ।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति ।

203. (1) कम्पनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों से, जो विहित किए जाएं, संबंधित प्रत्येक कंपनी में निम्नलिखित पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक होंगे,—

(i) प्रबन्ध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबन्धक और उसकी अनुपस्थिति में पूर्णकालिक निदेशक;

(ii) कम्पनी सचिव; और

(iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी :

परंतु किसी व्यष्टि को इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् एक ही समय कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसरण में कंपनी के अध्यक्ष और साथ ही कंपनी के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि–

(क) ऐसी कंपनी के अनुच्छेदों में अन्यथा उपबंधित हो; या

(ख) कंपनी के बहुल कारबार न हो:

परंतु यह और कि परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात बहुल कारबारों में लगी कंपनियों के ऐसे वर्ग को और जिसने ऐसे प्रत्येक कारबार के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, एक या अधिक मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को नियुक्त किया है, लागू नहीं होगी।

(2) कंपनी का प्रत्येक पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, बोर्ड के ऐसे संकल्प द्वारा, जिसमें पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अंतर्विष्ट हों, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एक ही समय पर अपनी समनुषंगी कम्पनी के सिवाय एक से अधिक कंपनी में पद धारण नहीं करेगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को बोर्ड की अनुज्ञा से किसी कंपनी के निदेशक होने के हक से वंचित नहीं करेगी:

परंतु यह और कि ऐसे पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को एक ही समय एक से अधिक कंपनी में पद धारण कर रहे हों तो ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर एक कंपनी का विकल्प चुनेगा जिसमें वह मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पद धारण करना चाहता है:

परंतु यह भी कि कंपनी किसी व्यक्ति को उसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त या नियोजित कर सकेगी यदि वह किसी एक अन्य कंपनी का, न कि एक से अधिक कंपनी का, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक है और ऐसी नियुक्ति या नियोजन, बोर्ड के अधिवेशन में, उस अधिवेशन में उपस्थित सभी निदेशकों की सहमति से पारित संकल्प द्वारा किया गया है या उसे अनुमोदित किया गया है और जिस अधिवेशन की और उसमें लाए गए संकल्प की विनिर्दिष्ट सूचना भारत में तत्कालीन सभी निदेशकों को दे दी गई है।

(4) यदि किसी पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त हो जाता है, तो पारिणामिक रिक्ति बोर्ड द्वारा ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर बोर्ड के अधिवेशन में भरी जाएगी।

(5) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगी तो ऐसी कम्पनी ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगी जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो व्यतिक्रम करता है ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां व्यक्तिक्रम चालू रहता है, वहां प्रत्येक दिन के लिए, जिसके सम्बन्ध में व्यतिक्रम चालू रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

बड़ी कंपनियों के लिए सचिवालयिक संपरीक्षा।

204. (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा कंपनियों के ऐसे अन्य वर्ग से, जो विहित किया जाए, संबद्ध कोई कंपनी, धारा 134 की उपधारा (3) के निबन्धनों के अनुसार बनाई गई बोर्ड की रिपोर्ट के साथ व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा दी गई सचिवालयिक संपरीक्षा रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उपाबद्ध करेगी।

(2) कंपनी का कर्तव्य होगा कि वह व्यवसायरत कंपनी सचिव के सचिवालयिक तथा संबंधित अभिलेखों की संपरीक्षा कराने के लिए सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान करे।

(3) निदेशक बोर्ड, धारा 134 की उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार बनाई गई अपनी रिपोर्ट में उपधारा (1) के अधीन व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा बताई गई कोई अर्हता मताभिव्यक्ति या अन्य टिप्पणियों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करेगा।

(4) यदि कोई कंपनी या कंपनी का कोई अधिकारी या व्यवसायरत कंपनी सचिव, इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो कंपनी, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी या व्यवसायरत कंपनी सचिव जो व्यतिक्रमी है ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनी सचिव के कृत्य।

205. (1) कंपनी सचिव के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा कंपनी को लागू अन्य विधियों के अनुपालन के बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी, लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है;

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो विहित किए जाएं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "सचिवीय मानकों" पद से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवीय मानक अभिप्रेत हैं। 1980 का 56

(2) धारा 204 और धारा 205 में अंतर्विष्ट उपबंधों का इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निदेशक बोर्ड, कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के कर्तव्यों और कृत्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 14

निरीक्षण, जांच और अन्वेषण

सूचना की मांग करने, बहियों का निरीक्षण करने और जांच करने की शक्ति।

206. (1) जहां रजिस्ट्रार की, कंपनी द्वारा फाइल किए गए किसी दस्तावेज की संवीक्षा पर या उसे प्राप्त किसी सूचना पर, यह राय है कि कंपनी से संबंधित किसी और सूचना या स्पष्टीकरण या किसी और दस्तावेज की आवश्यकता है तो वह कंपनी से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो

सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए,—

(क) लिखित में ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण दे; या

(ख) ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, कंपनी और उससे संबंधित अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण रजिस्ट्रार को दें, जो उनके सर्वोत्तम ज्ञान और शक्ति में हैं तथा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करें:

परंतु जहां ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण किसी पूर्व अवधि के संबंध में है, वहां ऐसे अधिकारी भी जो ऐसी अवधि के लिए कंपनी के नियोजन में रहे थे, यदि उनसे रजिस्ट्रार द्वारा उन पर तामील की गई लिखित सूचना के माध्यम से ऐसी मांग की जाती है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण देंगे ।

(3) यदि रजिस्ट्रार को ऐसी कोई सूचना या स्पष्टीकरण उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया जाता है या यदि रजिस्ट्रार की, दिए गए दस्तावेजों की परीक्षा करने पर यह राय है कि दी गई सूचना या स्पष्टीकरण अपर्याप्त है अथवा रजिस्ट्रार का दिए गए दस्तावेजों की संवीक्षा पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के बारे में कंपनी में क्रियाकलापों की असंतोषजनक स्थिति विद्यमान है या अपेक्षित सूचना का पूर्ण और निष्पक्ष ब्यौरा प्रकट नहीं करता है तो वह, एक और अन्य लिखित सूचना द्वारा, कंपनी से उसके द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए ऐसी और लेखाबहियां, बहियां, कागजपत्र और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा, जिनकी वह ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर अपेक्षा करे, जिन्हें वह सूचना में विनिर्दिष्ट करे:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई सूचना तामील किए जाने से पूर्व, रजिस्ट्रार ऐसी सूचना जारी करने के लिए लिखित में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

(4) यदि रजिस्ट्रार का अपने पास उपलब्ध या उसे दी गई सूचना के आधार पर या किसी व्यक्ति द्वारा उसे किए गए अभ्यावेदन पर यह समाधान हो जाता है कि कंपनी का कारबार किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए चलाया जा रहा है या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में नहीं है या विनिधानकर्ता की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो रजिस्ट्रार, कंपनी को उसके विरुद्ध किए गए अभिकथनों की लिखित आदेश द्वारा सूचना देने के पश्चात् कंपनी से यह मांग कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में कोई सूचना या स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर लिखित में दे, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए तथा कंपनी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों में ऐसा वांछनीय है, इस उपधारा के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किसी निरीक्षक को निदेश दे सकेगी:

परंतु जहां किसी कंपनी का कारबार कपट या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए किया जाता रहा है या किया जा रहा है, वहां कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है धारा 447 में यथा उपबंधित रीति में कपट के लिए दंडनीय होगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों में ऐसा करने के उचित कारण हैं, इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा कंपनी की बहियों और कागजपत्रों के निरीक्षण का निदेश दे सकेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा कंपनी या कंपनियों के वर्ग की लेखाबहियों के निरीक्षण के क्रियान्वयन के लिए किसी कानूनी प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

(7) यदि कंपनी इस धारा के अधीन मांगी गई कोई सूचना या स्पष्टीकरण या दस्तावेज देने में असफल रहती है, वहां कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और असफलता चालू रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसी पहली अवधि के पश्चात् जिसमें असफलता चालू रहती है, प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

निरीक्षण और जांच का संचालन ।

207. (1) जहां रजिस्ट्रार या निरीक्षक, धारा 206 के अधीन लेखाबहियों और अन्य बहियों तथा कागजपत्रों की मांग करता है, वहां कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह रजिस्ट्रार या निरीक्षक को ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करे और उसे ऐसा विवरण, सूचना या स्पष्टीकरण, ऐसे प्ररूप में दे, जिसकी रजिस्ट्रार या निरीक्षक अपेक्षा करे और रजिस्ट्रार या निरीक्षक को ऐसे निरीक्षण के संबंध में सभी सहायता देगा।

(2) धारा 206 के अधीन निरीक्षण या जांच करने वाला रजिस्ट्रार या निरीक्षक ऐसे, यथास्थिति, निरीक्षण या जांच के दौरान,—

(क) लेखाबहियों और अन्य बहियों तथा कागजपत्रों की प्रतियां तैयार कर सकेगा या करा सकेगा; या

(ख) उनके निरीक्षण के प्रमाणस्वरूप ऐसी बहियों पर पहचान का कोई चिह्न लगा सकेगा या लगवा सकेगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इसके तत्प्रतिकूल किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, निरीक्षण या जांच करने वाले रजिस्ट्रार या निरीक्षक को, निम्नलिखित विषयों की बाबत, वे सभी शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) ऐसे समय और स्थान में लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उन्हें पेश किया जाना, जो निरीक्षण या जांच करने वाले ऐसे रजिस्ट्रार या निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) व्यक्तियों को समन करना और उन्हें हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना; और

(ग) कंपनी की किन्हीं बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का किसी भी स्थान पर निरीक्षण करना ।

(4) (i) यदि कंपनी का कोई निदेशक या कोई अधिकारी इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार या निरीक्षक द्वारा जारी निदेशों की अवज्ञा करता है तो ऐसा निदेशक या अधिकारी कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(ii) यदि कंपनी के निदेशक या अधिकारी को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, तो उस तारीख से ही, जिसको वह इस प्रकार दोषसिद्ध किया गया है, निदेशक या अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है और पद की ऐसी रिक्ति होने पर वह किसी कंपनी में कोई पद धारण करने से निरर्हित हो जाएगा।

किए गए निरीक्षण पर रिपोर्ट ।

208. रजिस्ट्रार या निरीक्षक, धारा 206 के अधीन लेखाबहियों के निरीक्षण या जांच तथा धारा 207 के अधीन कंपनी की अन्य बहियों और कागजपत्रों का निरीक्षण करने के

पश्चात्, केन्द्रीय सरकार को ऐसे दस्तावेजों, यदि कोई हों, के साथ लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट में, यदि आवश्यक हो तो, यह सिफारिश भी सम्मिलित हो सकेगी कि कंपनी के कार्यकलापों के बारे में और अन्वेषण की आवश्यकता है, जिसके समर्थन में वह अपने कारण भी देगा ।

तलाशी और अभिग्रहण ।

209. (1) जहां, अपने कब्जे में या अन्यथा सूचना पर, रजिस्ट्रार या निरीक्षक के पास इस बारे में विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि कंपनी की बहियों और कागजपत्रों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कोई निदेशक या संपरीक्षक या व्यवसायरत कंपनी सचिव, यदि कंपनी ने कोई कंपनी सचिव नियुक्त नहीं किया है, से संबंधित कागजपत्रों को नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत किए जाने या छिपाए जाने की संभावना है वहां वह, ऐसी बहियों और कागजपत्रों के अभिग्रहण के लिए विशेष न्यायालय से आदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात्,—

(क) ऐसी सहायता के साथ, जो अपेक्षित हो, ऐसे स्थान या स्थानों में जहां ऐसी बहियां या कागजपत्र रखे गए हैं, प्रवेश कर सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा; और

(ख) कंपनी को ऐसी बहियों या कागजपत्रों की अपने खर्चे पर प्रतियां लेने या उनसे उद्धरण लेने के लिए अनुज्ञात करने के पश्चात् ऐसी बहियों और कागजपत्रों का, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार या निरीक्षक उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत बहियों और कागजपत्रों को यथाशीघ्र तथा किसी भी दशा में ऐसे अभिग्रहण के पश्चात् एक सौ अस्सीवें दिन के अपश्चात् उस कंपनी को वापस करेगा, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति के अधीन से ऐसी बहियां या कागजपत्र अभिगृहीत किए गए थे:

परंतु रजिस्ट्रार या निरीक्षक द्वारा, यदि उन बहियों और कागजपत्रों की पुनः आवश्यकता हो तो, लिखित आदेश द्वारा एक सौ अस्सी दिन की और अवधि के लिए उनकी मांग की जा सकेगी:

परंतु यह और कि रजिस्ट्रार या निरीक्षक, पूर्वोक्त रूप में ऐसी बहियों और कागजपत्रों को वापस करने से पूर्व, उनकी प्रतियां या उनसे उद्धरण ले सकेगा अथवा उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा या उनके साथ ऐसी किसी अन्य रीति में व्यवहार कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे ।

1974 का 2

(3) अभिग्रहण और तलाशियों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध इस धारा के अधीन ली गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण ।

210. (1) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि,—

(क) धारा 208 के अधीन रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर;

(ख) कंपनी द्वारा पारित इस विशेष संकल्प की सूचना पर कि कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण किया जाना चाहिए; या

(ग) लोकहित में,

कंपनी के क्रियाकलापों का अन्वेषण करना आवश्यक है वहां वह कंपनी के कार्यकलापों के अन्वेषण का आदेश दे सकेगी ।

(2) जहां किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अपने समक्ष किसी कार्यवाही में यह आदेश पारित किया जाता है कि कंपनी के क्रियाकलापों का अन्वेषण कराया जाना चाहिए,

वहां केन्द्रीय सरकार उस कंपनी के क्रियाकलापों का अन्वेषण करने का आदेश करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में रिपोर्ट देने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे, निरीक्षकों के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी ।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की स्थापना।

211. (1) केन्द्रीय सरकार, कंपनी से संबंधित कपटों का अन्वेषण करने के लिए अधिसूचना द्वारा गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के नाम से ज्ञात एक कार्यालय की स्थापना करेगी:

परंतु जब तक उपधारा (1) के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक भारत सरकार के संकल्प सं0 45011/16/2003-प्रशा.-I, तारीख 2 जुलाई, 2003 के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को इस धारा के प्रयोजनों के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय समझा जाएगा।

(2) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का प्रमुख एक निदेशक होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों में से निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञों की ऐसी संख्याओं से मिलकर बनेगा, जो निम्नलिखित क्षेत्र में योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव रखते हों,—

(i) बैंककारी;

(ii) कारपोरेट कार्य;

(iii) कराधान;

(iv) न्यायालयिक संपरीक्षा;

(v) पूंजी बाजार;

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी;

(vii) विधि; या

(viii) ऐसे अन्य क्षेत्र जो विहित किए जाएं।

(3) केन्द्रीय सरकार, गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय में अधिसूचना द्वारा कारपोरेट कार्य से संबंधित विषयों में ज्ञान और अनुभव रखने वाले ऐसे निदेशक को नियुक्त करेगी जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का अधिकारी नहीं होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय में ऐसे विशेषज्ञ और अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय के निदेशक, विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के निबंधन और सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण ।

212. (1) धारा 210 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के कार्यों का अन्वेषण करना आवश्यक है, वहां—

(क) धारा 208 के अधीन रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर;

(ख) कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प की संसूचना पर कि कंपनी के क्रियाकलापों का अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है;

(ग) लोकहित में; या

(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग से अनुरोध पर;

केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा उक्त कंपनी के क्रियाकलापों के अन्वेषण को गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंप सकेगी और इसका निदेशक ऐसी संख्या में निरीक्षकों को अभिहित कर सकेगा जो वह अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझें।

(2) जहां कोई मामला केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन के अन्वेषण के लिए गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंपा गया है, वहां केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार का कोई अन्य अन्वेषण अभिकरण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत ऐसे मामले पर अन्वेषण की कार्यवाही नहीं करेगा और यदि ऐसा अन्वेषण पहले से आरंभ है तो यह आगे कार्यवाही नहीं करेगा और संबद्ध अभिकरण इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों की बाबत सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों को गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को अंतरित करेगा।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों का अन्वेषण, गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंपा गया है वहां यह अन्वेषण ऐसी रीति में करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो इस अध्याय में उपबंधित है; और ऐसी अवधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट, सौंपेगा ।

(4) गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक, अन्वेषण अधिकारी द्वारा कंपनी के कार्यों का अन्वेषण कराएगा जिसके पास धारा 217 के अधीन निरीक्षक की शक्ति होगी ।

(5) कंपनी और इसके अधिकारी और कर्मचारी, जो कंपनी के नियोजन में हैं या रहें हैं अन्वेषण अधिकारी को सभी जानकारी, स्पष्टीकरण, दस्तावेज और सहायता प्रदान करने के जिम्मेदार होंगे जो उसे अन्वेषण के संचालन के लिए अपेक्षित हों ।

1974 का 2

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 7 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 34, धारा 36, धारा 38 की उपधारा (1), धारा 46 की उपधारा (5), धारा 56 की उपधारा (7), धारा 66 की उपधारा (10), धारा 140 की उपधारा (5), धारा 206 की उपधारा (4) धारा 213, धारा 229, धारा 251 की उपधारा (1), धारा 339 की उपधारा (3) और धारा 448 के अधीन आने वाले अपराध जिनको इस अधिनियम की धारा 447 में उपबंधित कपट के लिए दंड लागू होता है, संज्ञेय होंगे और इन धाराओं के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक—

(i) ऐसी किसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन का विरोध करने के लिए लोक अभियोजक को अवसर न दिया गया हो; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत में रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है :

परंतु कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष की आयु से कम है या कोई महिला है या रुग्ण या दुर्बल है, उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा यदि विशेष न्यायालय ऐसा निदेश देता है :

परंतु यह और कि विशेष न्यायालय इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा लिखित में परिवाद किए जाने पर ही लेगा अन्यथा नहीं—

(i) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय; या

(ii) लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी।

(7) उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट जमानत की मंजूरी पर परिसीमा, जमानत मंजूर करने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त होगी। 1974 का 2

(8) यदि साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक, अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण (ऐसे विश्वास के कारण लिखित में अभिलिखित किए जाएं) रखता है कि कोई व्यक्ति उपधारा (6) में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी रहा है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसी गिरफ्तारी के आधारों को, यथाशीघ्र, उसे सूचित करेगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के ठीक पश्चात् गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक उस उपधारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे की सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को, मुहरबंद लिफाफे में ऐसी रीति में अग्रेषित करेंगे जो विहित की जाए और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रखेगा, जो विहित की जाए।

(10) उपधारा (8) के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटों के भीतर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा :

परंतु गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय चौबीस घंटों की अवधि से अपवर्जित रहेगा।

(11) केन्द्रीय सरकार यदि ऐसा निदेश देती है तो गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, केन्द्रीय सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(12) अन्वेषण के पूरा होने पर, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, केन्द्रीय सरकार को अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(13) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अन्वेषण रिपोर्ट की एक प्रति इस संबंध में न्यायालय को आवेदन करके किसी संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।

(14) अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार रिपोर्ट की जांच के पश्चात् (और ऐसी विधिक सलाह लेने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) कंपनी और इसके अधिकारी और कर्मचारी, जो कंपनी के नियोजन में हैं या रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति जो कंपनी के कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है, के विरुद्ध अभियोजन आरंभ करने के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को निदेश दे सकेगी।

(15) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आरोपों की विरचना के लिए विशेष न्यायालय में फाइल की गई अन्वेषण रिपोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन पुलिस आफिसर द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट समझी जाएगी।

1974 का 2

1956 का 1

(16) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कोई अन्वेषण या की गई अन्य कार्रवाई या आरंभ की गई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन अग्रसर होने के लिए इस प्रकार जारी रहेगी मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो।

(17) (क) यदि इस अधिनियम के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय किसी अपराध का अन्वेषण कर रहा है तो ऐसे अपराध के संबंध में सूचना या दस्तावेज रखने वाला कोई अन्य अन्वेषण अभिकरण राज्य सरकार पुलिस प्राधिकारी, आय-कर प्राधिकारी गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को ऐसी उपलब्ध सूचना या दस्तावेज प्रदान करेंगे।

(ख) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय किसी अन्वेषण अभिकरण, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकारी या आय-कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध किसी जानकारी या दस्तावेजों को साझा कर सकेंगे जो ऐसे अन्वेषण अभिकरण, राज्य सरकार पुलिस प्राधिकारी या आय-कर प्राधिकारी के लिए किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध या मामले की बाबत किए जा रहे अन्वेषण या जांच के लिए सुसंगत या उपयोगी हो।

अन्य मामलों में कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण।

213. अधिकरण,—

(क) निम्नलिखित द्वारा किए गए आवेदन पर—

(i) ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी शेयर पूंजी है, कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा या कुल मतदान के एक बटे दसवें से अन्यून मतदान शक्ति रखने वाले सदस्यों द्वारा; या

(ii) ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर व्यक्तियों के कम से कम एक बटे पांच द्वारा,

और ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित आवेदन पर, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो कि आवेदकों के पास कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कारण हैं; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या अन्यथा उसे किए गए आवेदन पर, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि यह सुझाव देने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं कि—

(i) कंपनी का कारबार उसके लेनदारों, सदस्यों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के आशय से या अन्यथा कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए संचालित किया जा रहा है या उसके किसी सदस्य के साथ अन्यायपूर्ण रीति में किया जा रहा है अथवा वह कंपनी किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए बनाई गई थी;

(ii) कंपनी के बनाए जाने या उसके कार्यकलापों के प्रबंध से संबद्ध व्यक्ति उसके संबंध में कंपनी के प्रति या उसके किसी सदस्य के प्रति कपट, अपकरण या अन्य अवचार का दोषी रहा है; या

(iii) कंपनी के सदस्यों को उनके कार्यों की बाबत सभी जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी वे युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा कर सकते थे, जिसके अंतर्गत कंपनी के प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक या प्रबंधक को संदेय कमीशन की संगणना से संबंधित जानकारी भी है,

संबद्ध पक्षकारों को सुनावाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यह आदेश कर सकेगा कि कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक या निरीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए और जहां ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे विषयों की बाबत कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने और उसके संबंध में ऐसी रीति से रिपोर्ट देने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे, एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परंतु यदि अन्वेषण के पश्चात् यह साबित हो जाता है कि—

(i) कंपनी का कारबार, इसमें लेनदार सदस्यों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से कपट करने के आशय से या अन्यथा विधिविरुद्ध प्रयोजनों के लिए संचालित किया जा रहा है या वह कंपनी किसी कपट या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए बनाई गई थी; या

(ii) कंपनी के बनाए जाने या इसके क्रियाकलापों के प्रबंध से संबद्ध कोई व्यक्ति कपट का दोषी रहा है,

तो कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है और कंपनी के बनाए जाने या इसके क्रियाकलाप के प्रबंध से संबद्ध व्यक्ति भी धारा 447 में यथाउपबंधित रीति में कपट के लिए दंडनीय होंगे ।

अन्वेषण के खर्चों और व्ययों के संदाय के लिए प्रतिभूति ।

214. जहां धारा 210 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में या धारा 213 के अधीन अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्वेषण का आदेश दिया जाता हो, वहां केन्द्रीय सरकार धारा 210 की उपधारा (3) या धारा 213 के खंड (ख) के अधीन निरीक्षक की नियुक्ति करने से पूर्व, आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे अन्वेषण के खर्चों और व्ययों के संदाय के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की ऐसी रकम के लिए ऐसी प्रतिभूति दें, जो विहित की जाए जो वह अन्वेषण के खर्चों और व्यय के संदाय के लिए ठीक समझे और ऐसी प्रतिभूति आवेदक को प्रतिदाय कर दी जाएगी यदि अन्वेषण का परिणामस्वरूप अभियोजन है।

फर्म, निगमित निकाय या संगम को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त न किया जाना ।

215. किसी फर्म, निगमित निकाय या अन्य संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

कंपनी के स्वामित्व का अन्वेषण ।

216. (1) जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने का कारण है, वहां वह किसी कंपनी और उसकी सदस्यता का और कंपनी से संबंधित अन्य विषयों का उन सही व्यक्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अन्वेषण करने और उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी,—

(क) जो कंपनी की सफलता या असफलता में, चाहे वास्तविक रूप से या .स्पष्ट रूप से, वित्तीय रूप से हितबद्ध हैं या रहे हैं; या

(ख) जो कंपनी की नीति को नियंत्रित करने में या तात्त्विक रूप से प्रभावित करने में समर्थ हैं या रहे हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के अधीन एक या अधिक निरीक्षकों को नियुक्त करेगी, यदि अधिकरण, अपने समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आदेश द्वारा, यह निदेश देता है कि कंपनी के कार्यकलापों का, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कंपनी की सदस्यता के संबंध में और कंपनी से संबंधित अन्य विषयों के बारे में अन्वेषण किया जाना चाहिए।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक की नियुक्ति करते समय, अन्वेषण का विस्तार–क्षेत्र परिनिश्चित कर सकेगी, चाहे वह विषयों के संबंध में हो या ऐसी अवधि के लिए, जिसे उसे विस्तारित करना है या अन्यथा और विशिष्टतः किन्हीं विशिष्ट शेयरों या डिबेंचरों से संबंधित विषयों तक अन्वेषण को सीमित कर सकेगी।

(4) निरीक्षक की नियुक्ति के निबंधनों के अधीन रहते हुए, उसकी शक्तियां किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के अन्वेषण तक विस्तारित होंगी, जो किसी ठहराव या समझौते के अस्तित्व का सुझाव देती हों जो, यद्यपि विधिक रूप से आबद्धकारी नहीं हैं, व्यवहार में पालन किया गया था या किए जाने की संभावना है और जो उसके अन्वेषणों के प्रयोजनों के लिए सुसंगत है।

निरीक्षकों की प्रक्रिया, शक्तियां, आदि ।

217. (1) उस कंपनी के, जो इस अध्याय में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अन्वेषणाधीन है, सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं का जिनके अंतर्गत भूतपूर्व अधिकारी, कर्मचारी और अभिकर्ता हैं और जहां किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति के कार्यकलापों का अन्वेषण धारा 219 के अधीन किया जाता है, वहां ऐसे निगमित निकाय या व्यक्ति के, जिनके अंतर्गत भूतपूर्व अधिकारी, कर्मचारी और अभिकर्ता हैं सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं का यह कर्तव्य होगा कि वे—

(क) यथास्थिति, कंपनी के या कंपनी से संबंधित अथवा अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति से संबंधित सभी बहियों और कागजपत्रों को, जो उनकी अभिरक्षा या शक्ति में हैं, सुरक्षित रखे और उन्हें निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करें; और

(ख) अन्यथा निरीक्षकों को अन्वेषण के संबंध में ऐसी सभी सहायता प्रदान करें, जो देने में वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं।

(2) निरीक्षक उपधारा (1) में निर्दिष्ट निगमित निकाय से भिन्न किसी निगमित निकाय से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी दे या ऐसी बहियां और कागजपत्र प्रस्तुत करे, जिन्हें वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी जानकारी देना या ऐसी बहियों और कागजपत्रों का प्रस्तुत करना उसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत या आवश्यक है।

(3) निरीक्षक, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किन्हीं बहियों और कागजपत्रों को एक सौ अस्सी दिन से अधिक के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा

और उन्हें उस कंपनी, निगमित निकाय, फर्म या व्यष्टि को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से बहियां या कागजपत्र पेश किए गए थे, लौटा देगा:

परंतु निरीक्षक द्वारा, यदि उन बहियों और कागजपत्रों की पुनः आवश्यकता हो तो, लिखित आदेश द्वारा एक सौ अस्सी दिन की और अवधि के लिए ऐसी बहियों और कागज-पत्रों की मांग की जा सकेगी।

(4) निरीक्षक—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अन्य व्यक्ति की,

यथास्थिति, कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति के कार्यों के संबंध में शपथ पर परीक्षा कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उनमें से किसी व्यक्ति से उसके समक्ष वैयक्तिक रूप से उपसंजात होने की अपेक्षा कर सकेगा:

परंतु धारा 212 के अधीन किसी अन्वेषण की दशा में, खंड (ख) के अधीन निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का पूर्व अनुमोदन पर्याप्त होगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी निरीक्षक जो केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी है, के पास इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करते समय वे सभी शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) ऐसे स्थान और समय पर जो ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं लेखा पुस्तिकाओं और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ख) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना; और

(ग) किसी स्थान पर कंपनी की किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करना।

(6) (i) यदि कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार या निरीक्षक द्वारा जारी निदेशों की अवज्ञा करता है तो वह निदेशक या अधिकारी ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए से कम का नहीं होगा और एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(ii) यदि कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह निदेशक या अधिकारी द्वारा उस तारीख से ही जिसको वह इस प्रकार सिद्धदोष ठहराया गया है, उस रूप में अपना पद रिक्त किया गया समझा जाएगा और ऐसे पद के रिक्त किए जाने पर वह किसी भी कंपनी में पद धारण से निरर्हित हो जाएगा।

(7) उपधारा (4) के अधीन किसी परीक्षा के टिप्पण लेखबद्ध किए जाएंगे और उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाए जाएंगे तथा उस पर उस व्यक्ति द्वारा जिसकी परीक्षा की गई है हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसके पश्चात् उनका उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग किया जा सकेगा।

(8) यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त कारण के बिना,—

(क) निरीक्षक को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी कोई बही या कागजपत्र प्रस्तुत करने में, जिसको प्रस्तुत करने का उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है;

(ख) ऐसी कोई जानकारी देने में, जिसको देना उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है;

(ग) निरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपसंजात होने में, जब भी उपधारा (4) के अधीन उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए या ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने में, जो उस उपधारा के अनुसरण में निरीक्षक द्वारा उससे किया जाता है; या

(घ) उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के टिप्पणों पर हस्ताक्षर करने में,

असफल रहेगा या उससे इंकार करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जो प्रथम असफलता या इंकारी के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता या इंकारी चालू रहती है, दो हजार रुपए तक का हो सकेगा।

(9) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, के अधिकारी पुलिस या कानूनी प्राधिकारी , निरीक्षण, जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, निरीक्षक को ऐसी सहायता प्रदान करेंगे जिसकी निरीक्षक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपेक्षा करे।

(10) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन या किसी विदेशी राज्य में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन कोई निरीक्षण, जांच या अन्वेषण में सहायता करने के लिए व्यतिकारी ठहराव हेतु उस राज्य की सरकार से करार कर सकेगी और अधिसूचना द्वारा, उस विदेशी राज्य के संबंध में जिसके साथ व्यतिकारी ठहराव किया गया है, इस अध्याय को ऐसे उपांतरणों, अपवादों, शर्तों और अर्हताओं के अधीन रहते हुए लागू कर सकेगी जो उस राज्य के साथ करार के कार्यान्वयन के लिए समीचीन समझा जाए।

1974 का 2

(11) इस अधिनियम में या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कंपनी के मामले, में किसी अन्वेषण के अनुक्रम में, निरीक्षक द्वारा भारत में किसी सक्षम न्यायालय में यह कथित करते हुए आवेदन किया जाता है कि किसी देश में या भारत से बाहर किसी स्थान में साक्ष्य है या उपलब्ध हो सकेगा, तो ऐसा न्यायालय जो ऐसे अनुरोध की बाबत सक्षम है, ऐसे देश या स्थान में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा, कि किसी व्यक्ति की, जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, मौखिक या अन्यथा परीक्षा करेगा। वह ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में उसके द्वारा किए गए कथन को अभिलिखित करेगा और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से कोई दस्तावेज या चीजें पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा जो मामले से संबंधित उसके कब्जे में हो और इस प्रकार लिए गए या संगृहीत सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार संग्रह की गई चीजें भारत में उस न्यायालय को भेजेगा जिसने ऐसा अनुरोध पत्र जारी किया था:

परंतु अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारेषित होगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन प्रत्येक अभिलिखित कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीजें, अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझी जाएंगी।

(12) किसी देश या भारत से बाहर किसी स्थान में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण से, जो उक्त देश में या स्थान में अन्वेषण के अधीन किसी कंपनी के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने या किसी दस्तावेज या चीज प्रकट करने के लिए उक्त देश में या स्थान में ऐसा पत्र जारी करने के लिए सक्षम है, किसी अनुरोध पत्र के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार, यदि वह उचित समझती है तो संबंधित न्यायालय को ऐसा अनुरोध

पत्र भेजेगी, जो उसके पश्चात् अपने समक्ष व्यक्ति को समन करेगा तथा उसका कथन अभिलिखित करेगा या किसी दस्तावेज को या चीज को पेश कराएगा या अन्वेषण के लिए किसी निरीक्षक को पत्र भेजेगा, जो मामले का उसी रीति में अन्वेषण करेगा जैसे इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के मामले का अन्वेषण किया जाता है और निरीक्षक ऐसे न्यायालय को तीस दिन या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जिसकी न्यायालय अनुज्ञा दे, अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन लिया गया या संगृहीत साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां या ऐसी संगृहीत चीजें न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सरकार को, उस रीति में, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, देश में ऐसे न्यायालय या प्राधिकरण या भारत से बाहर किसी स्थान को जिसने अनुरोध पत्र जारी किया था, पारेषित करने के लिए भेज दी जाएंगी ।

अन्वेषण के दौरान कर्मचारियों का संरक्षण।

218. (1) तत्समय प्रवृत्त, किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि—

(क) धारा 210, धारा 212, धारा 213 या धारा 219 के अधीन किसी कंपनी, अन्य निगमित निकाय या किसी व्यक्ति के या उससे संबंधित मामले और अन्य विषय या कंपनी के या उससे संबंधित सदस्यता या अन्य विषय या उससे संबंधित या किसी कंपनी या निगमित निकाय के शेयर या डिबेंचर के स्वामित्व या धारा 216 के अधीन किसी कंपनी, अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति के मामले और अन्य विषय या उससे संबंधित किसी अन्वेषण के दौरान; या

(ख) अध्याय 16 के अधीन किसी कंपनी के कार्यों के संचालन और प्रबंध से संबंधित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान,

ऐसी कंपनी, अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति, यथास्थिति, किसी कर्मचारी, कंपनी, निकाय या व्यक्ति—

(i) किसी कर्मचारी को उन्मोचित या निलंबित करना; या

(ii) चाहे उसको पदच्युति, हटाने, रैंक में अवनति द्वारा या अन्यथा दंडित करना; या

(iii) उसके नियोजन के निबंधनों में अलाभकारी परिवर्तन करना,

प्रस्तावित करेगा, तो कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के लिए अधिकरण का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा और यदि अधिकरण को प्रस्तावित कार्रवाई पर कोई आक्षेप है, तो वह कंपनी, अन्य निगमित निकाय या संबद्ध व्यक्ति को लिखित में डाक से सूचना भेजेगा ।

(2) यदि कंपनी, अन्य निगमित निकाय या संबद्ध व्यक्ति, कर्मचारी के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आवेदन किए जाने के तीस दिन के भीतर अधिकरण से कोई आवेदन प्राप्त नहीं करता है तब और केवल तब, कंपनी, अन्य निगमित निकाय, संबंधित व्यक्ति कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई कर सकेगा ।

(3) यदि, कंपनी, अन्य निगमित निकाय या संबधित व्यक्ति अधिकरण द्वारा किए गए आक्षेपों से असंतुष्ट है तो वह आक्षेपों की सूचना प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(4) ऐसी अपील पर, अपील अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और अधिकरण पर तथा कंपनी, अन्य निगमित निकाय या संबंधित व्यक्ति पर आबद्धकर होगा।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभावी होंगे।

संबंधित कंपनियों, आदि के कार्यकलापों के अन्वेषण का संचालन करने की निरीक्षक की शक्ति ।

219. यदि किसी कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने के लिए धारा 210 या धारा 212 या धारा 213 के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए—

(क) ऐसे किसी अन्य निगमित निकाय के, जो कंपनी की समनुषंगी कंपनी या नियंत्री कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी की समनुषंगी कंपनी है या किसी सुसंगत समय पर रही है;

(ख) ऐसे किसी अन्य निगमित निकाय के, जिसका ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के रूप में प्रबंध किया जाता है या किसी सुसंगत समय पर किया गया है, जो कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक है या सुसंगत समय पर था;

(ग) ऐसे किसी अन्य निगमित निकाय के, जिसके निदेशक बोर्ड में कंपनी के नामनिर्देशिती सम्मिलित हैं या कंपनी या उसके किसी निदेशक के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का अभ्यस्त है; या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कर्मचारी है या किसी सुसंगत समय पर रहा है,

कार्यकलापों का भी अन्वेषण करना आवश्यक समझता है तो वह, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अन्य निगमित निकाय के या प्रबंध निदेशक के अथवा प्रबंधक के कार्यकलापों का अन्वेषण करेगा और उसके बारे में रिपोर्ट देगा, जहां तक वह यह समझता है कि उसके अन्वेषण के परिणाम उस कंपनी के कार्यकलापों के अन्वेषण के लिए सुसंगत हैं, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है।

निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का अभिग्रहण ।

220. (1) जहां इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के अनुक्रम में, निरीक्षक के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय या ऐसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक की या उनसे संबंधित बहियों और कागजपत्रों को नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत किए जाने या छिपाए जाने की संभावना है, वहां निरीक्षक—

(क) ऐसे स्थान या स्थानों में जहां ऐसी बहियां और कागजपत्र रखे जाते हैं, ऐसी सहायता के साथ, ऐसी रीति में, प्रवेश कर सकेगा, जो अपेक्षित हो; और

(ख) कंपनी को ऐसी बहियों और कागजपत्रों की अपने ख़र्चे पर प्रतियां लेने या उनसे उद्धरण लेने के लिए अनुज्ञात करने के पश्चात् ऐसी बहियों और कागजपत्रों को, जिन्हें वह आवश्यक समझता है, अभिगृहीत कर सकेगा।

(2) निरीक्षक इस धारा के अधीन अभिगृहीत की गई बहियों और कागजपत्रों को अन्वेषण के पूरा होने के अपश्चात् तक ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, अपनी अभिरक्षा में रखेगा और उसके पश्चात्, यथास्थिति, कंपनी या निगमित निकाय या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को वापस करेगा, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से वे अभिगृहीत किए गए थे:

परंतु निरीक्षक, पूर्वोक्त रूप में ऐसी बहियों और कागजपत्रों को लौटाने से पूर्व, उनकी प्रतियां या उद्धरण ले सकेगा या उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा या ऐसी रीति से व्यवहार कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

1974 का 2

(3) तलाशियों और अभिग्रहणों से संबंधित दंड प्रकिया संहिता, 1973 के उपबंध इस धारा के अधीन ली गई प्रत्येक तलाशी या किए गए प्रत्येक अभिग्रहण को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

कंपनियों की आस्तियों पर जांच और अन्वेषण होने पर रोक लगाना।

221. (1) जहां अधिकरण को, चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे किए गए निर्देश पर या इस अध्याय के अधीन कंपनी के कार्यकलापों के बारे में किसी जांच या अन्वेषण के संबंध में या धारा 244 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा या किसी लेनदार (लेनदारों) द्वारा जिनका कंपनी से एक लाख रुपए की रकम बकाया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसका ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है, यह प्रतीत होता है कि कंपनी की निधियों, आस्तियों, संपत्तियों को हटाए जाने, अंतरित किए जाने या ऐसी रीति में व्ययन किए जाने की संभावना है, जिससे कंपनी या उसके शेयर धारकों या उधार देने वालों के हितों पर या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा अंतरण, हटाया जाना या व्ययन ऐसी अवधि के दौरान नहीं किया जाएगा, जो तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अथवा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए किया जाए, जो अधिकरण ठीक समझे।

(2) यदि कंपनी की निधियों, आस्तियों या संपत्तियों का हटाया जाना, अंतरण या व्ययन उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के आदेश के उल्लंघन में होता है, तो कंपनी, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

प्रतिभूतियों पर निर्बंधनों का अधिरोपण ।

222. (1) जहां अधिकरण को, धारा 216 के अधीन किसी अन्वेषण के संबंध में या इस निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी परिवाद पर, यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा जारी की गई या की जाने वाली किन्हीं प्रतिभूतियों के बारे में सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए ठोस कारण है और अधिकरण की यह राय है कि जब तक कतिपय ऐसे निर्बंधन, जिन्हें वह ठीक समझे, अधिरोपित नहीं किए जाते तब तक ऐसे तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सकता, वहां अधिकरण, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि प्रतिभूतियां, तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निर्बंधनों के, जिन्हें वह ठीक समझे, अध्यधीन होंगी।

(2) जहां किसी कंपनी की प्रतिभूतियां उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के आदेश के उल्लंघन में जारी की जाती हैं या अंतरित की जाती हैं या उन पर कार्रवाई की जाती है, वहां कंपनी जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

निरीक्षक की रिपोर्ट।

223. (1) इस अध्याय के अधीन नियुक्त किया गया निरीक्षक, उस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश किया जाए, तो अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अन्वेषण की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट लिखित में या मुद्रित होगी, जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई रिपोर्ट की एक प्रति इस विषय में केन्द्रीय सरकार को आवेदन करके प्राप्त की जा सकेगी।

(4) इस अध्याय के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक की रिपोर्ट—

(क) या तो उस कंपनी की मुद्रा, जिसके मामलों का अन्वेषण किया गया है; या

1872 का 1

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 के अधीन यथा उपबंधित रिपोर्ट की अभिरक्षा में रखने वाले किसी लोक अधिकारी के प्रमाणपत्र,

द्वारा, अधिप्रमाणित होगी, और ऐसी रिपोर्ट में अंतर्विष्ट किसी विषय के संबंध में साक्ष्य के रूप में ऐसी रिपोर्ट किसी विधिक कार्यवाही में ग्रहण किए जाने योग्य होगी।

(5) इस धारा की कोई बात धारा 212 में निर्दिष्ट रिपोर्ट को लागू नहीं होगी।

निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसरण में की जाने वाली कार्रवाइयां।

224. (1) यदि केन्द्रीय सरकार को धारा 223 के अधीन दी गई निरीक्षक की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कंपनी के संबंध में या ऐसे किसी अन्य निगमित निकाय या अन्य व्यक्ति के संबंध में, जिसके कार्यकलापों का इस अध्याय के अधीन अन्वेषण किया गया है, ऐसे किसी अपराध का दोषी रहा है, जिसका वह दांडिक रूप से दायी है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए अभियोजित कर सकेगी और कंपनी या निगमित निकाय के सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे केन्द्रीय सरकार को अभियोजन के संबंध में आवश्यक सहायता दें।

(2) यदि कोई कंपनी या अन्य निगमित निकाय इस अधिनियम के अधीन समापन किए जाने का दायी है और केन्द्रीय सरकार को धारा 223 के अधीन की गई किसी ऐसी रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि धारा 213 में यथानिर्दिष्ट किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के कारण ऐसा करना समीचीन है तो, जब तक कि कंपनी या निगमित निकाय का अधिकरण द्वारा पहले से ही समापन नहीं किया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अधिकरण को—

(क) कंपनी या निगमित निकाय के समापन के लिए इस आधार पर अर्जी प्रस्तुत कराएगी कि यह न्यायोचित और साम्यापूर्ण है कि इसका समापन किया जाना चाहिए; या

(ख) धारा 241 के अधीन आवेदन प्रस्तुत कराएगी; या

(ग) दोनों ही प्रस्तुत कराएगी।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार को, पूर्वोक्त रूप में ऐसी किसी रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि ऐसी कंपनी या किसी निगमित निकाय द्वारा, जिसके कार्यकलापों का इस अध्याय के अधीन अन्वेषण किया गया है,—

(क) ऐसी कंपनी या निगमित निकाय के संवर्धन या बनाए जाने या उसके कार्यों के प्रबंध के संबंध में किसी कपट, अपकरण या अन्य अवचार की बाबत नुकसानियों की वसूली के लिए; या

(ख) ऐसी कंपनी या निगमित निकाय की ऐसी किसी संपत्ति की वसूली के लिए, जिसको दुरुपयोजित या दोषपूर्वक प्रतिधारित किया गया है,

लोकहित में कार्यवाहियां की जानी चाहिएं तो केन्द्रीय सरकार स्वयं ऐसी कंपनी या निगमित निकाय के नाम से समापन की कार्यवाहियां ला सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार की उपधारा (3) के आधार पर लाई गई कार्यवाहियों में या उनके संबंध में उसके किन्हीं खर्चों या व्ययों के विरुद्ध ऐसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

(5) जहां किसी निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट में यह कथन है कि किसी कंपनी में कपट किया गया है और ऐसे कपट के कारण किसी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, कंपनी के अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व ने असम्यक् लाभ या फायदा लिया है चाहे वह किसी आस्ति, संपत्ति या नकद रूप में या किसी अन्य रीति में हो तो केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसी आस्ति, संपत्ति या नकद की वापसी के संबंध में समुचित आदेश के लिए तथा ऐसे निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अधिकारी या अन्य व्यक्ति को दायित्व की किसी परिसीमा के बिना व्यक्तिगत रूप से दायी अभिनिर्धारित करने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी।

अन्वेषण के व्यय ।

225. (1) इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा धारा 214 के अधीन निरीक्षण के व्ययों से भिन्न, अन्वेषण के और उसके आनुषंगिक व्यय, प्रथम अवसर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा चुकाए जाएंगे, किन्तु उनकी नीचे वर्णित सीमा तक निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी, अर्थात्:—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 224 के अधीन संस्थित किए गए अभियोजन पर दोषसिद्ध किया गया है या लाई गई कार्यवाहियों में नुकसानियों का उस सीमा तक संदाय करने या किसी संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिया जाता है तो उसे उन्हीं कार्यवाहियों में उक्त व्ययों का संदाय करने का आदेश दिया जा सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाले या, यथास्थिति, ऐसी नुकसानियों का संदाय करने या ऐसी संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने वाले न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) ऐसी कोई कंपनी या निगमित निकाय, जिसके नाम में पूर्वोक्त रूप में कार्यवाहियां लाई जाती हैं, ऐसी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उसके द्वारा वसूल की गई रकम या किन्हीं धनराशियों या संपत्ति के मूल्य तक;

(ग) जब तक अन्वेषण के परिणामस्वरूप, धारा 224 के अधीन कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाता है,—

(i) निरीक्षक की रिपोर्ट द्वारा वर्णित कोई कंपनी, निगमित निकाय, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक; और

(ii) जहां निरीक्षक की नियुक्ति धारा 213 के अधीन की गई थी, वहां अन्वेषण के लिए आवेदक,

उस सीमा तक जिस तक केन्द्रीय सरकार निदेश दे।

(2) ऐसी रकम, जिसके लिए कंपनी या निगमित निकाय उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दायी है, उस खंड में वर्णित राशियों या संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।

कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन आदि से अन्वेषण कार्यवाहियों का न रुकना ।

226. इस अध्याय के अधीन, अन्वेषण इस बात के होते हुए भी आरंभ किया जा सकेगा और ऐसा कोई अन्वेषण केवल इस तथ्य के कारण रोका या निलंबित नहीं किया जाएगा कि—

(क) कोई आवेदन धारा 241 के अधीन किया गया है;

(ख) कंपनी ने स्वैच्छिक परिसमापन के लिए विशेष संकल्प पारित कर दिया है; या

(ग) कंपनी के परिसमापन के लिए कोई अन्य कार्यवाही अधिकरण के समक्ष लंबित है:

परंतु जहां परिसमापन का आदेश खंड (ग) में निर्दिष्ट कार्यवाही में अधिकरण द्वारा पारित किया जाता है, वहां निरीक्षक, अधिकरण को उसके समक्ष अन्वेषण कार्यवाही के लंबन के बारे में जानकारी देगा और अधिकरण ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु यह और कि परिसमापन के आदेश में की कोई बात, कंपनी के किसी निदेशक या अन्य कर्मचारी को निरीक्षक के समक्ष लंबित कार्यवाही में भाग लेने से या निरीक्षक द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के परिणामस्वरूप किसी दायित्व से मुक्ति नहीं देगी ।

विधिक सलाहकारों और बैंककारों द्वारा कतिपय सूचना का प्रकट न किया जाना।

227. इस अध्याय की कोई बात, अधिकरण या केन्द्रीय सरकार या रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी निरीक्षक को—

(क) किसी विधिक सलाहकार द्वारा उसे उस हैसियत में की गई किसी विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना का, उसके मुवक्किल के नाम और पता के संबंध में संसूचना के सिवाय; या

(ख) किसी कंपनी, निगमित निकाय या अन्य व्यक्ति के बैंककारों द्वारा अपने ग्राहकों में से किसी के, ऐसी कंपनी, निगमित निकाय या व्यक्ति से भिन्न, कार्यकलापों के बारे में किसी सूचना का,

कोई प्रकटन करने की अपेक्षा नहीं करेगी ।

विदेशी कंपनियों का अन्वेषण, आदि ।

228. इस अध्याय के उपबंध विदेशी कंपनियों से संबंधित निरीक्षण, जांच या अन्वेषण को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

मिथ्या कथन देने, दस्तावेजों की विकृति, नाशन के लिए शास्ति ।

229. जहां कोई व्यक्ति, जिससे निरीक्षण, जांच या अन्वेषण के दौरान कोई स्पष्टीकरण देने या कथन करने की अपेक्षा की जाती है या कंपनी या अन्य निगमित निकाय का, जिसका भी अन्वेषण किया जा रहा है, कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी,—

(क) कंपनी या निगमित निकाय की संपत्ति, आस्तियों या कार्यकलापों से संबंधित दस्तावेजों का नाश करता है, उनको विकृत या मिथ्याकृत करता है या उन्हें छिपाता या बिगाड़ता या अप्राधिकृत रूप से हटाता है या उनके नाशन, विकृति या मिथ्याकरण या छिपाने या बिगाड़ने या अनाधिकृत हटाने में पक्षकार है;

(ख) कंपनी या निगमित निकाय से संबंधित किसी दस्तावेज में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या करने में पक्षकार है; या

(ग) ऐसा स्पष्टीकरण देता है, जो मिथ्या है या जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है,

तो वह धारा 447 में यथा उपबंधित रीति में कपट के लिए दंडनीय होगा।

अध्याय 15

समझौते, ठहराव और समामेलन

लेनदारों और सदस्यों के साथ समझौता करने या ठहराव करने की शक्ति ।

230. (1) जहां—

(क) कंपनी और उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच; या

(ख) कंपनी और उसके सदस्यों या उनके किसी वर्ग के बीच,

किसी समझौते या ठहराव का प्रस्ताव है, वहां अधिकरण, कंपनी या कंपनी के किसी लेनदार या सदस्य या, ऐसी कंपनी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर, यथास्थिति, लेनदारों या लेनदारों के किसी वर्ग या सदस्यों अथवा सदस्यों के किसी वर्ग का अधिवेशन बुलाए जाने, आयोजित करने और ऐसी रीति में संचालित करने का आदेश दे सकेगा, जो अधिकरण निदेश दे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ठहराव में विभिन्न वर्गों के शेयरों के समेकन द्वारा या शेयरों का विभिन्न वर्गों के शेयरों में विभाजन करके अथवा इन दोनों ही तरीकों से कंपनी की शेयर पूंजी का पुनर्गठन भी सम्मिलित है ।

(2) कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाता है, शपथपत्र द्वारा अधिकरण को—

(क) कंपनी से संबंधित सभी तात्त्विक तथ्यों का, जैसे कि कंपनी की नवीनतम वित्तीय स्थिति, कंपनी के लेखाओं के संबंध में नवीनतम संपरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट और कंपनी के विरुद्ध किसी अन्वेषण या कार्यवाहियों के लंबित होने का प्रकटन करेगा;

(ख) समझौते या ठहराव में सम्मिलित कंपनी की शेयर पूंजी में कमी, यदि कोई हो, का प्रकटन करेगा;

(ग) मूल्य में प्रतिभूत लेनदारों के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत द्वारा दी गई सहमति पर कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना की किसी स्कीम का प्रकटन करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) लेनदार के दायित्व का विवरण, जो प्ररूप में विहित किया जाए;

(ii) अन्य प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों की सुरक्षा के लिए रक्षोपाय;

(iii) संपरीक्षक द्वारा, यह रिपोर्ट कि यथा अनुमोदित कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना के पश्चात् कंपनी की निधि अपेक्षाएं बोर्ड द्वारा उन्हें प्रदान किए गए प्राक्कलनों पर आधारित द्रवता परीक्षण के अनुरूप होंगी;

(iv) जहां कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना के मार्गदर्शक सिद्धांतों को अंगीकार करने का प्रस्ताव करती है, वहां उस आशय का एक कथन; और

(v) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा कंपनी के शेयरों और उसकी मूर्त और अमूर्त, जंगम और स्थावर संपत्ति और सभी आस्तियों की बाबत मूल्यांकन रिपोर्ट ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के आदेश के अनुसरण में कोई अधिवेशन बुलाए जाने का प्रस्ताव है, वहां ऐसे अधिवेशन की सूचना कंपनी के सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग और सभी सदस्यों या सदस्यों के वर्ग और डिबेंचर धारकों को या तो व्यक्तिगत रूप से कंपनी के पास रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी, जिसके साथ एक कथन होगा, जिसमें समझौते या ठहराव, मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई है, के ब्यौरे प्रकट किए जाएंगे और लेनदारों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, संप्रवर्तक और असंप्रवर्तक सदस्य और डिबेंचर धारकों पर उनके प्रभाव को तथा कंपनी के निदेशकों या डिबेंचर न्यासियों के किन्हीं सारवान् हितों पर समझौते या ठहराव के प्रभाव और ऐसे अन्य विषयों को स्पष्ट किया जाएगा, जो विहित किए जाएं :

परंतु ऐसी सूचना और अन्य दस्तावेज, कंपनी की वेबसाइट यदि कोई हों, पर भी रखे जाएंगे और किसी सूचीबद्ध कंपनी की दशा में उनकी वेबसाइट पर रखने के लिए इन दस्तावेजों को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा उस स्टाक एक्सचेंज को भेजा जाएगा जहां कंपनियों की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की जाती हैं और समाचार–पत्रों में ऐसी रीति में प्रकाशित भी की जाएंगी जिसे विहित किया जाएं :

परंतु यह और कि जहां अधिवेशन के लिए सूचना किसी विज्ञापन के द्वारा भी जारी की जाती है, वहां उसमें वह समय उपदर्शित किया जाएगा, जिसके भीतर समझौते या ठहराव की प्रतियां संबद्ध व्यक्तियों को कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सूचना में यह उपबंध किया जाएगा कि वे व्यक्ति, जिनको सूचना भेजी जाती है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर समझौते या ठहराव को अंगीकार किए जाने के लिए अधिवेशन में मत या तो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से या डाक मतपत्र द्वारा भेजे जाएं :

परंतु समझौते या ठहराव के बारे में कोई आक्षेप केवल ऐसे व्यक्तियों द्वारा ही किया जाएगा, जो शेयर धारण का कम से कम दस प्रतिशत धारण कर रहे हैं या जिन पर नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल बकाया ऋण के कम से कम पांच प्रतिशत के बराबर बकाया ऋण हैं ।

(5) उपधारा (3) के अधीन सूचना के साथ ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, सभी दस्तावेज भी केन्द्रीय सरकार, आय–कर प्राधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, रजिस्ट्रार, संबंधित स्टाक एक्सचेंजों, शासकीय समापक, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को, यदि आवश्यक हो, और ऐसे अन्य क्षेत्रीय विनियामकों या प्राधिकारियों को, जिनके उस समझौते या ठहराव से प्रभावित होने की संभावना है, भेजे जाएंगे और यह अपेक्षा की जाएगी कि उनके द्वारा किए जाने वाले अभ्यावेदन, यदि कोई हों, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर किए जाएंगे और ऐसा न करने की दशा में, यह माना जाएगा कि उनके पास प्रस्तावों के बारे में करने के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं है ।

2003 का 12

(6) जहां, उपधारा (1) के अनुसरण में आयोजित अधिवेशन में उपस्थित होने वाले और व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी के माध्यम से या डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने वाले, यथास्थिति, लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग के मूल्यानुसार तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का बहुमत किसी समझौते या ठहराव से सहमत है और यदि ऐसे समझौते या ठहराव को अधिकरण के आदेश द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो वह, यथास्थिति, कंपनी, कंपनी के सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के किसी वर्ग या ऐसी कंपनी की दशा में, जिसका समापन किया जा रहा है, कंपनी के समापकों और अभिदाताओं पर आबद्धकारी होगा ।

(7) उपधारा (6) के अधीन अधिकरण द्वारा किए गए आदेश में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) जहां समझौते या ठहराव में अधिमानी शेयरों के साधारण शेयरों में संपरिवर्तन के लिए उपबंध है, वहां ऐसे अधिमानी शेयर धारकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे या तो लाभांश के बकाया को नकद अभिप्राप्त करने या संदेय लाभांश के मूल्य के बराबर साधारण शेयर स्वीकार करने का चयन करें;

(ख) लेनदारों के किसी वर्ग का संरक्षण;

(ग) यदि समझौते या ठहराव के परिणामस्वरूप शेयर धारकों के अधिकारों में कोई परिवर्तन होता है तो उसे धारा 48 के उपबंधों के अधीन प्रभावी किया जाएगा;

(घ) यदि समझौते या ठहराव पर उपधारा (6) के अधीन लेनदारों द्वारा सहमति दी जाती है तो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष लंबित कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी;

1986 का 1

(ङ) ऐसे अन्य विषय, जिनके अन्तर्गत विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारकों में निकास की प्रस्थापना भी है, यदि कोई हो, जो अधिकरण की राय में समझौते या ठहराव के निबंधनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों:

परंतु अधिकरण द्वारा कोई समझौता या ठहराव तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक कंपनी के संपरीक्षक द्वारा इस प्रभाव का कि समझौता या ठहराव की स्कीम में प्रस्तावित लेखा संव्यवहार, यदि कोई है, धारा 133 के अधीन विहित लेखा मानकों के अनुरूप हैं, प्रमाणपत्र अधिकरण के पास फाइल न कर दिया गया हो।

(8) अधिकरण का आदेश कंपनी द्वारा आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा ।

(9) अधिकरण, लेनदार या लेनदारों के किसी वर्ग के अधिवेशन को बुलाने के लिए अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा जहां ऐसे लेनदारों या लेनदारों के वर्ग, जिनके पास कम से कम नब्बे प्रतिशत मूल्य हो, समझौते या ठहराव की स्कीम से सहमत हों और शपथपत्र के तौर पर पुष्टि करते हों ;

(10) इस धारा के अधीन, किसी प्रतिभूति को तब तक क्रय द्वारा वापस लेने के संबंध में किसी समझौते या ठहराव को अधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक ऐसा क्रय द्वारा वापस किया जाना धारा 68 के उपबंधों के अनुसार न हो।

(11) किसी समझौते या ठहराव में ऐसी रीति में जो विहित की जाए की गई प्रस्थापना का ग्रहण करना सम्मिलित है :

परंतु सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में, प्रस्थापना का ग्रहण किया जाना प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार होगा।

(12) व्यथित पक्षकार, सूचीबद्ध कंपनियों से भिन्न कंपनियों की प्रस्थापना के ग्रहण करने के संबंध में किसी शिकायत की दशा में अधिकरण को ऐसी रीति में आवेदन कर सकेगा जो विहित की जाए और अधिकरण, आवेदन पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 66 के उपबंध इस धारा के अधीन अधिकरण के आदेश के अनुसरण में शेयर पूंजी में की गई कमी को लागू नहीं होंगे ।

समझौते या ठहराव को प्रवृत्त करने की अधिकरण की शक्ति।

231. (1) जहां अधिकरण, धारा 230 के अधीन किसी कंपनी की बाबत किसी समझौते या ठहराव को मंजूरी देने वाला आदेश पारित करता है, वहां—

(क) उसे समझौते या ठहराव के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी; और

(ख) वह ऐसा आदेश करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय किसी विषय के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा या समझौते या ठहराव में ऐसे उपांतरण कर सकेगा, जिन्हें वह समझौते या ठहराव के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि धारा 230 के अधीन मंजूर किए गए समझौते या ठहराव को उपांतरणों सहित या उनके बिना समाधानप्रद रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और कंपनी, स्कीम के अनुसार अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है तो वह कंपनी के समापन के लिए आदेश कर सकेगा और ऐसा आदेश धारा 273 के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा ।

(3) इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी कंपनी को भी लागू होंगे, जिसकी बाबत इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व समझौते या ठहराव को मंजूरी देने वाला आदेश किया गया है ।

कंपनियों का विलयन और समामेलन ।

232. (1) जहां धारा 230 के अधीन अधिकरण को किसी कंपनी और ऐसे किसी व्यक्ति के बीच, जो उस धारा में उल्लिखित हैं, प्रस्तावित समझौते या ठहराव की मंजूरी के लिए आवेदन किया जाता है और अधिकरण को यह दर्शित किया जाता है कि—

(क) समझौते या ठहराव को कंपनी या ऐसी कंपनियों के पुनर्गठन की स्कीम के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें किन्हीं दो या अधिक कंपनियों का विलयन या समामेलन अंतर्वलित है; और

(ख) स्कीम के अधीन किसी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक कंपनी कहा गया है) के संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्वों अथवा उनके किसी भाग का किसी अन्य कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरिती कंपनी कहा गया है) को अंतरित किया जाना अपेक्षित है या दो या अधिक कंपनियों में विभाजित या उनको अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है,

वहां अधिकरण ऐसे आवेदन पर, यथास्थिति, लेनदारों अथवा लेनदारों के किसी वर्ग या सदस्यों अथवा सदस्यों के किसी वर्ग का अधिवेशन बुलाए जाने, आयोजित किए जाने या ऐसी रीति में, जिसका अधिकरण निदेश दे, संचालित किए जाने का आदेश कर सकेगा तथा धारा 230 की उपधारा (3) से उपधारा (6) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) जहां अधिकरण द्वारा आदेश, उपधारा (1) के अधीन किया गया है, वहां विलय करने वाली कंपनियों और ऐसी कंपनियों से, जिनकी बाबत विभाजन का प्रस्ताव है, अधिकरण द्वारा इस प्रकार आदिष्ट अधिवेशन के लिए निम्नलिखित परिचालित करने की अपेक्षा भी की जाएगी, अर्थात् :—

(क) विलय करने वाली कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार की गई और अंगीकार की गई स्कीम के प्रस्तावित निबंधनों का प्रारूप;

(ख) इस बात की पुष्टि कि प्रारूप स्कीम की प्रति रजिस्ट्रार को फाइल कर दी गई है;

(ग) विलय करने वाली कंपनियों के निदेशकों द्वारा अंगीकार की गई रिपोर्ट, जिसमें शेयर धारकों, प्रमुख प्रबंध कार्मिकों, संप्रवर्तकों और गैर-संप्रवर्तक शेयर धारकों के प्रत्येक वर्ग के बारे में समझौते के प्रभाव को, विशेष रूप से शेयर विनिमय का अनुपात अधिकथित करते हुए स्पष्ट किया गया हो, और जिसमें किन्हीं विशेष मूल्यांकन कठिनाइयों को विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(घ) मूल्यांकन के संबंध में विशेषज्ञ की रिपोर्ट, यदि कोई हो;

(ङ) अनुपूरक लेखा विवरण, यदि किसी विलय करने वाली कंपनी के अंतिम वार्षिक लेखा विवरण, स्कीम का अनुमोदन करने के प्रयोजनों के लिए बुलाए गए कंपनी के प्रथम अधिवेशन से पूर्व छह माह से अधिक समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में है।

(3) अधिकरण, अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया है, आदेश द्वारा, समझौते या ठहराव को मंजूरी दे सकेगा या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) अंतरक कंपनी के सम्पूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्व या उनके किसी भाग का अंतरिती कंपनी को ऐसी तारीख से अंतरण, जो पक्षकारों द्वारा अवधारित की जाए, जब तक कि अधिकरण, लिखित में उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अन्यथा विनिश्चित न करे;

(ख) अंतरिती कंपनी द्वारा कंपनी में किन्हीं शेयरों, डिबेंचरों, नीतियों या इसी तरह की अन्य लिखतों का आबंटन या विनियोग, जो समझौते या करार के अधीन, उस कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को या उसके लिए आबंटित या विनियोजित किए जाने हैं :

परन्तु कोई अन्तरिती कंपनी, समझौते या ठहराव के परिणामस्वरूप अपने स्वयं के नाम में या किसी न्यास के नाम में, चाहे उसकी ओर से या उसकी किसी सहायक या सहयुक्त कंपनियों की ओर से कोई शेयर धारण नहीं करेगी और ऐसे कोई शेयर निरस्त या निर्वापित किए जाएंगे ;

(ग) अंतरिती कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध, अंतरण की तारीख को किसी अंतरक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित किसी विधिक कार्यवाही का जारी रखना;

(घ) किसी अंतरक कंपनी का, समापन के बिना, विघटन;

(ङ) ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के लिए, जो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश दे, समझौते या ठहराव से विसम्मति प्रकट करते हैं, किया जाने वाला उपबंध ;

(च) जहां शेयर पूंजी किसी विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान प्रतिमान या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन किसी अनिवासी शेयर धारक द्वारा धारित या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार है, वहां अंतरिती कंपनी के शेयरों का ऐसे शेयर धारकों को आबंटन आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ;

(छ) अंतरक कंपनी के कर्मचारियों का अंतरिती कंपनी में स्थानांतरण ;

(ज) जहां अंतरक कंपनी सूचीबद्ध कंपनी है और अंतरिती कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है, वहां—

(i) अंतरिती कंपनी तब तक असूचीबद्ध कंपनी बनी रहेगी जब तक यह सूचीबद्ध कंपनी नहीं बन जाती;

(ii) यदि अंतरक कंपनी के शेयर धारक अंतरिती कंपनी को छोड़ने के विकल्प का विनिश्चय करते हैं तो उनके द्वारा धारित शेयरों के मूल्य और अन्य फायदों के पूर्व अवधारित कीमत सूत्र के अनुसार या मूल्यांकन किए जाने के पश्चात् संदाय के लिए उपबंध किया जाएगा और अधिकरण द्वारा इस उपबंध के अधीन ठहराव किया जा सकेगा :

परंतु किसी शेयर के लिए इस खंड के अधीन संदाय या मूल्यांकन की रकम जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विरचित किए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो, से कम नहीं होगी ;

(झ) जहां अंतरक कंपनी का विघटन हो जाता है, वहां अंतरिती कंपनी द्वारा अपनी प्राधिकृत पूंजी पर संदत्त फीस का, यदि कोई है, समामेलन के पश्चात् अंतरिती कंपनी द्वारा अपनी प्राधिकृत पूंजी पर संदेय किन्हीं फीसों के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा; और

(ञ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और पूरक विषय, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं कि विलयन या समामेलन पूरी तरह और प्रभावी रूप से किया गया है :

परंतु अधिकरण द्वारा कोई समझौता या ठहराव तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक कम्पनी के संपरीक्षक द्वारा अधिकरण को इस आशय का प्रमाण-पत्र फाइल नहीं कर दिया गया हो कि समझौता या ठहराव की स्कीम में प्रस्तावित

लेखा व्यवहार, यदि कोई हो, धारा 133 के अधीन विहित किए गए लेखा मानकों के अनुरूप है।

(4) जहां इस धारा के अधीन किसी आदेश में किसी संपत्ति या दायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध है, वहां उक्त आदेश के आधार पर वह संपत्ति अंतरिती कंपनी को अंतरित हो जाएगी और दायित्व अंतरिती कंपनी को अंतरित हो जाएंगे और अंतरिती कम्पनी के दायित्व बन जाएंगे तथा यदि आदेश में ऐसा निदेश है तो, कोई संपत्ति किसी भी ऐसे प्रभार से मुक्त हो सकेगी, जो समझौते या ठहराव के कारण प्रभावहीन हो जाएगा।

(5) ऐसी प्रत्येक कंपनी, जिसके संबंध में आदेश किया जाता है, आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उस आदेश की प्रमाणित प्रति, रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल कराएगी।

(6) इस धारा के अधीन स्कीम में नियत की गई वह तारीख स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी, जिससे यह प्रभावी होगी और स्कीम उसी तारीख से प्रभावी समझी जाएगी न कि नियत तारीख से पश्चात्वर्ती किसी तारीख से।

(7) ऐसी प्रत्येक कंपनी जिसके संबंध में आदेश किया गया है, स्कीम पूरी होने तक किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल या व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष सम्यक् रूप से प्रमाणित विवरण रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, यह उपदर्शित करते हुए फाइल किया जाएगा कि क्या स्कीम का अनुपालन अधिकरण के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

(8) यदि अंतरक कंपनी या अंतरिती कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो, यथास्थिति अंतरक कंपनी या अंतरिती कंपनी जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी अंतरक या अतरिती कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी ऐसी स्कीम में जिसमें विलयन अन्तर्वलित है, और जहां स्कीम के अधीन ऐसी कंपनी सहित, जिसकी बाबत समझौता या ठहराव प्रस्तावित है, एक या अधिक कंपनियों के उपक्रम, संपत्ति और दायित्व किसी अन्य विद्यमान कंपनी को अंतरित किए जाने हैं, वहां विलयन आमेलन द्वारा है या जहां ऐसी कंपनी सहित, जिसकी बाबत समझौता या ठहराव प्रस्तावित है, दो या अधिक कंपनियों के उपक्रम, संपत्ति और दायित्व एक नई कंपनी को, चाहे वह पब्लिक कंपनी है अथवा नहीं, अंतरित किए जाने हैं, वहां विलयन एक नई कंपनी के निर्माण द्वारा है;

(ii) विलय की जाने वाली कंपनियों के प्रति निर्देश, आमेलन द्वारा विलयन से संबंधित अंतरक और अंतरिती कंपनियों के प्रति है और एक नई कंपनी के रूप में निर्माण द्वारा विलयन के संबंध में अंतरक कंपनियों के प्रति है;

(iii) जहां स्कीम के अधीन ऐसी कंपनी के जिसकी बाबत समझौता या ठहराव प्रस्तावित है, उपक्रम, संपत्ति और दायित्व, दो या अधिक कंपनियों में, जिनमें से प्रत्येक या तो विद्यमान कंपनी है या एक नई कंपनी है, विभाजित किए जाने हैं या उनको अंतरित किए जाने हैं, वहां स्कीम में विभाजन अंतर्वलित है; और

(iv) संपत्ति के अंतर्गत प्रत्येक वर्णन की आस्तियां, अधिकार और हित तथा दायित्वों के अंतर्गत प्रत्येक वर्णन के ऋण और बाध्यताएं सम्मिलित हैं।

कतिपय कंपनियों का विलयन या समामेलन ।

233. (1) धारा 230 और धारा 232 के उपबंधों के होते हुए भी, विलयन या समामेलन की स्कीम में दो या अधिक लघु कंपनियों के बीच या नियंत्री कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी के बीच, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, शामिल हुआ जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) रजिस्ट्रार और शासकीय परिसमापकों से, जहां संबंधित कंपनियों का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, या स्कीम द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, आमंत्रित करने संबंधी प्रस्तावित स्कीम की सूचना तीस दिन के भीतर अंतरक कंपनी या कंपनियों द्वारा और अंतरिती कंपनी द्वारा जारी की जाती है;

(ख) कंपनियों द्वारा प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर अपने–अपने साधारण अधिवेशनों में विचार किया जाता है और स्कीम का साधारण अधिवेशन में शेयरों की कुल संख्या के कम से कम नब्बे प्रतिशत धारक द्वारा विशेष संकल्प पारित करके संबंधित सदस्यों या सदस्यों के वर्ग द्वारा अनुमोदन किया जाता है;

(ग) विलयन में सम्मिलित प्रत्येक कंपनी विहित रूप से शोधन क्षमता की घोषणा उस स्थान के रजिस्ट्रार को फाइल करेगी जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; और

(घ) स्कीम का अनुमोदन, उक्त प्रयोजन के लिए उसके लेनदारों को स्कीम के साथ इक्कीस दिन की सूचना देकर कंपनी द्वारा बुलाए गए अधिवेशन में उपदर्शित संबंधित कंपनियों के लेनदारों या लेनदारों के वर्ग के मूल्यानुसार नौ बटा दस का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है या अन्यथा लिखित में अनुमोदित किया जाता है ।

(2) अंतरिती कंपनी इस प्रकार अनुमोदित स्कीम की प्रति केन्द्रीय सरकार, रजिस्ट्रार और शासकीय समापक के पास, जहां कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, ऐसी रीति में फाइल करेगी, जो विहित की जाए ।

(3) यदि स्कीम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार या शासकीय समापक के पास स्कीम के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव नहीं है तो केन्द्रीय सरकार उसे रजिस्टर करेगी और उसकी पुष्टि कंपनियों को जारी करेगी ।

(4) यदि रजिस्ट्रार या शासकीय समापक के पास कोई आक्षेप या सुझाव है तो वह उसकी लिखित में संसूचना केन्द्रीय सरकार को तीस दिन की अवधि के भीतर दे सकेगा :

परंतु यदि ऐसी कोई संसूचना नहीं दी जाती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसे स्कीम के बारे में कोई आक्षेप नहीं है ।

(5) यदि केन्द्रीय सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों को प्राप्त करने के पश्चात् या किसी अन्य कारण से उसकी यह राय है कि ऐसी स्कीम लोकहित में या लेनदारों के हित में नहीं है तो वह अधिकरण के समक्ष अपने आक्षेपों का कथन करते हुए और यह अनुरोध करते हुए आवेदन उपधारा (2) के अधीन स्कीम की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर फाइल कर सकेगा कि अधिकरण धारा 232 के अधीन स्कीम पर विचार करे ।

(6) केन्द्रीय सरकार से या किसी व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, यदि अधिकरण की यह राय है कि स्कीम पर धारा 232 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाना चाहिए तो अधिकरण तद्नुसार निदेश दे सकेगा या ऐसा आदेश पारित करके, जो वह ठीक समझे, स्कीम की पुष्टि कर सकेगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार के पास स्कीम के बारे में कोई आक्षेप नहीं है या वे अधिकरण के समक्ष इस धारा के अधीन कोई आवेदन फाइल नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि उनके पास स्कीम के बारे में कोई आक्षेप नहीं हैं ।

(7) उपधारा (6) के अधीन आदेश की एक प्रति अंतरिती कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रार और संबद्ध व्यक्तियों को भेजी जाएगी तथा रजिस्ट्रार स्कीम को रजिस्टर करेगा और कंपनियों को उसकी पुष्टि जारी करेगा और ऐसी पुष्टि उस रजिस्ट्रार को संसूचित की जाएगी जहां अंतरक कंपनी या कंपनियां स्थित हैं।

(8) उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन स्कीम के रजिस्ट्रीकरण का यह प्रभाव माना जाएगा कि अंतरक कंपनी का परिसमापन की प्रक्रिया किए बिना विघटन हो गया है ।

(9) स्कीम के रजिस्ट्रीकरण के निम्नलिखित प्रभाव होंगे, अर्थात् :—

(क) अंतरक कंपनी की संपत्ति या अंतरक कंपनी के दायित्व, अंतरिती कंपनी को अंतरित हो जाएंगे जिससे कि संपत्ति अंतरिती कंपनी की संपत्ति हो जाएगी और दायित्व अंतरिती कंपनी के दायित्व हो जाएंगे;

(ख) अंतरक कंपनी की संपत्ति पर प्रभार, यदि कोई हों, ऐसे लागू और प्रवर्तनीय होंगे मानो वे प्रभार अंतरिती कंपनी की संपत्ति पर थे;

(ग) अंतरक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय के समक्ष लंबित विधिक कार्यवाहियां अंतरिती कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहेंगी; और

(घ) जहां विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों के क्रय के लिए या विसम्मति प्रकट करने वाले लेनदारों को शोध्य ऋण के परिनिर्धारण के लिए उपबंध है वहां ऐसी रकम, उस सीमा तक जिस तक वह असंदत्त है, अंतरिती कंपनी का दायित्व हो जाएगी ।

(10) अंतरक कंपनी, विलयन या समामेलन पर अपने स्वयं के नाम या किसी न्यास के नाम पर या तो इस निमित्त या इसकी समनुषंगी या सहयोजित कंपनी के निमित्त किसी शेयर को धारण नहीं करेगी और ऐसे सभी शेयर विलयन या समामेलन पर निरस्त या निर्वापित हो जाएंगे।

(11) अंतरिती कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत स्कीम के साथ एक आवेदन फाइल करेगी, जिसमें पुनरीक्षित प्राधिकृत पूंजी उपदर्शित की जाएगी और पुनरीक्षित पूंजी पर शोध्य विहित फीस का संदाय करेगी:

परंतु अंतरक कंपनी द्वारा अपनी प्राधिकृत पूंजी पर अंतरिती कंपनी के साथ उसके विलयन या समामेलन से संदत्त फीस का, यदि कोई हो, अंतरिती कंपनी द्वारा विलयन या समामेलन द्वारा वर्धित प्राधिकृत पूंजी पर संदेय फीस के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा ।

(12) इस धारा के उपबंध धारा 230 में निर्दिष्ट समझौता या ठहराव की स्कीम की बाबत उपधारा (1) में निर्दिष्ट कंपनी या कंपनियों या धारा 232 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कंपनी के विभाजन या अंतरण को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(13) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए कंपनियों के विलयन या समामेलन के लिए उपबंध कर सकेगी।

(14) इस धारा के अधीन आने वाली कोई कंपनी, विलयन या समामेलन की किसी स्कीम के अनुमोदन के लिए धारा 232 के उपबंधों का उपयोग कर सकेगी।

विदेशी कंपनी के साथ कंपनी का विलयन या समामेलन ।

234. (1) इस अध्याय के उपबंध जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्यथा उपबंधित न किया जाए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों और ऐसे देशों की अधिकारिता में निगमित कंपनियों के बीच, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, विलयन और समामेलनों की स्कीमों को लागू होंगे:

परंतु केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन उपबंधित विलयन और समामेलनों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, नियम बना सकेगी ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन कोई विदेशी कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी में या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी किसी विदेशी कंपनी में विलय या समामेलित हो सकेगी और विलयन की स्कीम के निबंधन और शर्तें, अन्य बातों के साथ, इस प्रयोजन के लिए तैयार की जाने वाली स्कीम के अनुसार विलय करने वाली कंपनी के शेयर धारकों के प्रतिफल के नकद या भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों में या, यथास्थिति, भागतः नकद और भागतः भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों में संदाय के लिए उपबंध कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए "विदेशी कंपनी" पद से भारत से बाहर निगमित ऐसी कोई कंपनी या निगमित निकाय, चाहे उसका कारबार का स्थान भारत में हो या नहीं, अभिप्रेत है ।

बहुमत द्वारा अनुमोदित स्कीम या संविदा से विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारकों की शेयर अर्जित करने की शक्ति ।

235. (1) जहां ऐसी स्कीम या संविदा का, जिसमें किसी कंपनी के (अंतरक कंपनी) शेयरों या शेयरों के किसी वर्ग का किसी अन्य कंपनी (अंतरिती कंपनी) को अंतरण अंतर्वलित है, अंतरिती कंपनी द्वारा उस निमित्त प्रस्थापना किए जाने के पश्चात् चार मास के भीतर, प्रस्थापना की तारीख को अंतरिती कंपनी या उसकी समनुषंगी कंपनियों द्वारा या उसके नामनिर्देशिती द्वारा पहले से धारित शेयरों से भिन्न, ऐसे शेयरों के, जिनका अंतरण अंतर्वलित है, मूल्य में कम से कम नौ बटा दस धारकों द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, वहां अंतरिती कंपनी, उक्त चार मास की समाप्ति के पश्चात् दो मास के भीतर किसी समय, किसी विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारक को विहित रीति में यह सूचना दे सकेगी कि वह उसके शेयरों को अर्जित करना चाहती है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन सूचना दे दी गई है, वहां अंतरिती कंपनी, विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारक द्वारा अधिकरण को किए गए आवेदन पर ऐसी तारीख से एक मास के भीतर, जिसको सूचना दी गई थी, अधिकरण अन्यथा आदेश देना ठीक समझे, उन शेयरों को ऐसे निबंधनों पर, ऐसी स्कीम या संविदा के अधीन अर्जित करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगी और अर्जित करने के लिए बाध्य नहीं होगी जब तक अनुमोदन करने वाले शेयर धारकों के शेयर अंतरिती कंपनी को अंतरित नहीं हो जाते हैं।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अंतरिती कंपनी द्वारा सूचना दे दी गई है और अधिकरण ने विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारकों द्वारा किए गए आवेदन पर प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया है, वहां अंतरिती कंपनी, उस तारीख से, जिसको सूचना दी गई है, एक मास की समाप्ति पर या यदि विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारक द्वारा अधिकरण को दिया गया आवेदन उस समय लंबित है तो उस आवेदन का निपटान कर दिए जाने के पश्चात्, सूचना की एक प्रति, अंतरक कंपनी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शेयर धारक की ओर से और अंतरिती कंपनी द्वारा स्वयं अपनी ओर से निष्पादित की जाने वाली अंतरण की लिखत के साथ, अंतरक कंपनी को भेजेगी और अंतरक कंपनी को ऐसी रकम या अन्य प्रतिफल, जो अंतरिती कंपनी द्वारा उन शेयरों के लिए, जिनका अर्जन करने के लिए इस धारा के कारण कंपनी हकदार हो जाती है, संदेय कीमत होगी, संदाय या अंतरण करेगी तथा अंतरक कंपनी—

(क) तत्पश्चात् अंतरिती कंपनी को उन शेयर धारकों के रूप में रजिस्टर करेगी; और

(ख) ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख के एक मास के भीतर विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारकों को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के तथ्य की और अंतरिती कंपनी द्वारा उन्हें संदेय कीमत के बराबर रकम या अन्य प्रतिफल की प्राप्ति की सूचना देगी ।

(4) इस धारा के अधीन अंतरक कंपनी को प्राप्त ऐसी धनराशि का संदाय एक पृथक् बैंक खाते में किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त कोई ऐसी धनराशियां और कोई अन्य प्रतिफल उन शेयरों के जिनकी बाबत उक्त धनराशियां या अन्य प्रतिफल प्राप्त हुए हैं, हकदार विभिन्न व्यक्तियों के लिए न्यास के रूप में उस कंपनी द्वारा धारित किए जाएंगे तथा साठ दिन के भीतर हकदार शेयर धारकों को संवितरित किए जाएंगे ।

(5) अंतरिती कंपनी द्वारा अंतरक कंपनी के शेयर धारकों को इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व की गई प्रस्थापना के संबंध में यह धारा निम्नलिखित उपांतरणों सहित प्रभावी होगी, अर्थात् :—

(क) उपधारा (1) में, "प्रस्थापना की तारीख को अंतरिती कंपनी या उसकी समनुषंगी कंपनियों द्वारा या उसके नामनिर्देशिती द्वारा पहले से धारित शेयरों से भिन्न ऐसे शेयरों के, जिनका अंतरण अंतर्वलित है," शब्दों के स्थान पर, "प्रभावित शेयर" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3) में, "अंतरिती कंपनी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शेयर धारक की ओर से और अंतरक कंपनी द्वारा स्वयं अपनी ओर से निष्पादित की जाने वाली अंतरण की लिखत के साथ" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारक" के अंतर्गत ऐसा शेयर धारक भी है, जिसने स्कीम या संविदा से सहमति प्रकट नहीं की है और कोई ऐसा शेयर धारक भी है, जो अंतरिती कंपनी को स्कीम या संविदा के अनुसार अपने शेयर अंतरित करने में असफल रहा है या जिसने अंतरण करने से इंकार कर दिया है ।

अल्पमत शेयर धारण का क्रय ।

236. (1) किसी अर्जक या ऐसे अर्जक की सहमति से कार्य करने वाले व्यक्ति के कंपनी की पुरोधृत साधारण शेयर पूंजी के नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक का रजिस्ट्रीकृत धारक बन जाने की दशा में या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के कंपनी की पुरोधृत साधारण शेयर पूंजी का नब्बे प्रतिशत बहुमत या नब्बे प्रतिशत धारक बन जाने की दशा में, समामेलन, शेयर विनिमय, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन के कारण या किसी अन्य कारण से, यथास्थिति, ऐसा अर्जक, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कंपनी को शेष साधारण शेयरों को क्रय करने के अपने आशय को अधिसूचित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अर्जक, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कंपनी के साधारण शेयरों के अल्पमत में शेयर धारकों को ऐसे शेयर धारकों द्वारा धारित साधारण शेयरों को किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा, ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, मूल्यांकन के आधार पर अवधारित कीमत पर क्रय करने के लिए प्रस्थापना कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी के अल्पमत में शेयर धारक, बहुमत में शेयर धारकों को कंपनी के अल्पमत में साधारण शेयर धारण को उपधारा (2) के अधीन ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अवधारित कीमत पर क्रय करने की प्रस्थापना कर सकेंगे ।

(4) बहुमत में शेयर धारक, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन उनके द्वारा अर्जित किए जाने वाले शेयरों के मूल्य के बराबर रकम, अल्पमत में शेयर धारकों को संदाय के लिए, कम से कम एक वर्ष के लिए अंतरक कंपनी द्वारा प्रचालित एक पृथक् बैंक खाते में जमा करेंगे और ऐसी रकम साठ दिन के भीतर हकदार शेयर धारकों को संवितरित कर दी जाएगी :

परन्तु ऐसा संवितरण ऐसे पात्र शेयर धारकों को किया जाना जारी रहेगा जिन्हें किसी कारण से साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर संवितरण नहीं किया गया था या यदि संवितरण पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि के भीतर किया गया है तो ऐसे संवितरण से उद्भूत संदाय को प्राप्त करने या दावा करने में असफल रहा है।

(5) इस धारा के अधीन क्रय की दशा में, अंतरक कंपनी अल्पमत में शेयर धारकों की कीमत प्राप्त करने और उनको संदाय करने के लिए अंतरण अभिकर्ता के रूप में और, यथास्थिति, शेयरों का परिदान लेने और ऐसे शेयरों के बहुमत को परिदत्त करने के लिए कार्य करेगी ।

(6) शेयर धारकों द्वारा कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर शेयरों का वास्तविक परिदान न किए जाने की दशा में, शेयर प्रमाणपत्र रद्द किए गए समझे जाएंगे और अंतरक कंपनी रद्द किए गए शेयरों के स्थान पर शेयर जारी करने के लिए और विधि के अनुसार अंतरण को पूरा करने तथा बहुमत द्वारा उपधारा (4) के अधीन किए गए निक्षेप में से कीमत का संदाय अल्पमत को ऐसे संदाय का अग्रिम प्रेषण करने के लिए प्राधिकृत होगी ।

(7) बहुमत में शेयर धारकों या पूरा क्रय की अपेक्षा करने वाले और ऐसे शेयर धारक या शेयर धारकों के लिए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अस्तित्व में नहीं हैं या जिनके वारिसों, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों या समनुदेशितियों को संचरण द्वारा अभिलेख पर नहीं

लाया गया है, कंपनी के पास निक्षेप द्वारा कीमत का संदाय करने वाले शेयर धारकों की दशा में, ऐसे शेयर धारकों का अल्पमत में शेयर धारण के विक्रय के लिए प्रस्थापना करने का अधिकार बहुमत में अर्जन या बहुमत में शेयर धारण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा और उपलब्ध रहेगा ।

(8) जहां अल्पमत में शेयर धारकों के शेयर इस धारा के अनुसरण में अर्जित कर लिए गए हैं और ऐसे अर्जन के अनुसरण में अंतरण की तारीख को यथाविद्यमान या उससे पूर्व पचहत्तर प्रतिशत या इससे अधिक अल्पमत में साधारण शेयर धारण को धारण करने वाले शेयर धारक उनके द्वारा धारित शेयरों के किसी अंतरण के लिए किसी उच्चतर कीमत पर, जो प्रस्तावित हो या करार पाई गई हो, इस तथ्य को प्रकट किए बिना बातचीत करेंगे या किसी निर्णय पर पहुंचेंगे या ऐसी बातचीत, समझ या करार के आधार पर होने वाले संभावित अंतरण को प्रकट किए बिना बहुमत में शेयर धारक उनके द्वारा इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त प्रतिकर में ऐसे अल्पमत के शेयर धारकों के साथ आनुपातिक आधार पर हिस्सा बटाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अर्जक" और "मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति" के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान् अर्जन और ग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ख) और खंड (ङ) में क्रमशः उनके हैं ।

(9) जहां कोई शेयर धारक या बहुमत साधारण शेयर धारक अल्पमत साधारण शेयर धारकों के शेयरों का पूर्ण क्रय करने में असफल रहता है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे अवशिष्ट साधारण शेयर धारकों को लागू होना जारी रहेंगे, यहां तक कि यद्यपि—

(क) अवशिष्ट अल्पसंख्यक साधारण शेयर धारकों की कंपनी के शेयरों को असूचीबद्ध कर दिया गया था; और

(ख) एक वर्ष की अवधि या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि बीत गई है। 1992 का 15

लोकहित में कंपनियों के समामेलन के लिए उपबंध करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

237. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि दो या अधिक कंपनियों को समामेलित होना चाहिए, वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, उन कंपनियों के एकल कंपनी में ऐसे गठन, ऐसी संपत्ति, शक्तियों, अधिकारों, हितों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ तथा ऐसे दायित्वों, कर्तव्यों और बाध्यताओं के साथ, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, समामेलन के लिए उपबंध कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश में अंतरक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के अंतरिती कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहने के लिए भी उपबंध और ऐसे पारिणामिक, आनुषंगिक और पूरक उपबंध किए जा सकेंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राय में समामेलन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों ।

(3) समामेलन से पूर्व अंतरक कंपनियों में से प्रत्येक के डिबेंचर धारक सहित, प्रत्येक सदस्य या लेनदार का, यथाशक्य समान अंतरिती कंपनी के विरुद्ध वही हित या अधिकार होगा या होंगे, जो उसके ऐसी कंपनी में थे, जिसका वह मूल रूप से सदस्य या लेनदार था और अंतरिती कंपनी में या उसके विरुद्ध ऐसे सदस्य या लेनदार के हित या अधिकारों के मूल कंपनी में या उसके विरुद्ध हित या अधिकारों से कम होने की दशा में, वह उस सीमा तक प्रतिकर का हकदार होगा, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो विहित किया जाए तथा ऐसा प्रत्येक निर्धारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इस प्रकार निर्धारित प्रतिकर का संदाय अंतरिती कंपनी द्वारा संबंधित सदस्य या लेनदार को किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रतिकर के किसी निर्धारण से व्यथित कोई व्यक्ति, राजपत्र में ऐसे निर्धारण के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा और तदुपरि प्रतिकर का निर्धारण अधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन कोई आदेश तभी किया जाएगा जब,—

(क) प्रस्तावित आदेश की प्रति, संबंधित कंपनियों में से प्रत्येक को प्रारूप में भेज दी गई हो;

(ख) उपधारा (4) के अधीन अपील करने का समय समाप्त हो गया हो या जहां ऐसी कोई अपील की गई है, वहां अपील का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया हो; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रारूप आदेश पर विचार किया है और उसमें ऐसे उपांतरण, यदि कोई हों, किए हैं जिन्हें वह ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए ठीक समझें जो ऐसी अवधि जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियत करे, जो उस तारीख से दो मास से कम की नहीं है, जिसको उस कंपनी द्वारा या उस कंपनी में शेयर धारकों के किसी वर्ग से या किन्हीं लेनदारों से या उस कंपनी के लेनदारों के किसी वर्ग से पूर्वोक्त प्रति प्राप्त की जाती है, के भीतर ऐसी किसी कंपनी से उसके द्वारा प्राप्त किए जाएं।

(6) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रतियां आदेश के किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी ।

ऐसी स्कीमों की, प्रस्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण जिनमें शेयरों का अंतरण अंतर्वलित है।

238. (1) ऐसी किसी स्कीम या संविदा की, जिसमें धारा 235 के अधीन अंतरक कंपनी में शेयरों या शेयरों के किसी वर्ग का अंतरिती कंपनी को अंतरण अंतर्वलित है, प्रत्येक प्रस्थापना के संबंध में,—

(क) ऐसे प्रत्येक परिपत्र के साथ, जिसमें अंतरक कंपनी के सदस्यों को, ऐसी प्रस्थापना और ऐसी प्रस्थापना को स्वीकार करने के लिए उसके निदेशकों द्वारा सिफारिश अंतर्विष्ट है, ऐसी सूचना ऐसी रीति में संलग्न होगी, जो विहित की जाए;

(ख) ऐसी प्रत्येक प्रस्थापना में अंतरिती कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे उपायों का प्रकटन करते हुए एक कथन अंतर्विष्ट होगा, जो उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए किए हैं कि आवश्यक नकदी उपलब्ध होगी; और

(ग) ऐसा प्रत्येक परिपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसा कोई परिपत्र, जब तक उसे रजिस्ट्रीकृत नहीं कर लिया जाता, जारी नहीं किया जाएगा:

परंतु रजिस्ट्रार ऐसे किसी परिपत्र को, जिसमें खंड (क) के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित जानकारी अंतर्विष्ट नहीं है या जिसमें ऐसी कोई जानकारी, ऐसी रीति में वर्णित है, जिससे कोई मिथ्या उपधारणा की जा सकती है, रजिस्टर करने से, ऐसे कारणों से इन्कार कर सकेगा, जो लेखबद्ध किए जाएं और ऐसी इन्कारी की संसूचना पक्षकारों को आवेदन के तीस दिन के भीतर दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी परिपत्र को रजिस्टर करने से इन्कार करने वाले रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को होगी ।

(3) ऐसा निदेशक, जो ऐसा परिपत्र जारी करेगा, जो उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है या रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

समामेलित कंपनियों की बहियों और कागजपत्रों का परिरक्षण ।

239. ऐसी किसी कंपनी के, जो इस अध्याय के अधीन किसी अन्य कंपनी में समामेलित हो गई है या जिसके शेयर किसी अन्य कंपनी द्वारा अर्जित कर लिए गए हैं, बहियों और कागजपत्रों का व्ययन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और वह सरकार ऐसी अनुमति देने से पूर्व ऐसी बहियों और कागजपत्रों या उनमें से किसी की, यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि उनमें अंतरक कंपनी के संप्रवर्तन या बनाए जाने या उसके कार्यकलापों के प्रबंध से संबंधित या उसके समामेलन या उसके शेयरों के अर्जन के संबंध में किसी अपराध के कारित होने का कोई साक्ष्य अंतर्वलित है अथवा नहीं, परीक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।

विलयन, समामेलन, आदि के पूर्व कारित अपराधों की बाबत अधिकारियों का दायित्व ।

240. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अंतरक कंपनी के व्यतिक्रमी अधिकारियों द्वारा उसके विलयन, समामेलन या अर्जन से पूर्व इस अधिनियम के अधीन कारित अपराधों की बाबत दायित्व ऐसे अर्जन, विलयन या समामेलन के पश्चात् जारी रहेगा ।

अध्याय 16

अन्यायपूर्ण आचरण और कुप्रबंध का निवारण

अन्यायपूर्ण आचरण, आदि के मामलों में अनुतोष के लिए अधिकरण को आवेदन ।

241. (1) कंपनी का ऐसा प्रत्येक सदस्य, जो यह शिकायत करता है कि—

(क) कंपनी के कार्य लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से या उस पर या किसी अन्य सदस्य या सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या अन्यायपूर्ण रीति से या कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से किए जा रहे हैं; या

(ख) कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में, चाहे निदेशक बोर्ड या प्रबंधक के या कंपनी के शेयरों के स्वामित्व में परिवर्तन द्वारा या यदि उसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है तो उसकी सदस्यता में या किसी भी प्रकार की किसी अन्य रीति में, ऐसा सारवान् परिवर्तन हुआ है, जो किन्हीं लेनदारों, जिसके अंतर्गत कंपनी के डिबेंचर धारक या शेयर धारकों का कोई वर्ग भी है, द्वारा या उनके हितों में किया गया परिवर्तन नहीं है और ऐसे परिवर्तन के कारण यह संभावना है कि कंपनी के क्रियाकलाप उसके हितों या उसके सदस्यों या सदस्यों के किसी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में किए जाएंगे,

अधिकरण को आवेदन कर सकेगा, परंतु ऐसा तब, जब ऐसे सदस्य को इस अध्याय के अधीन आदेश के लिए धारा 244 के अधीन आवेदन करने का अधिकार हो ।

(2) केंद्रीय सरकार, यदि उसकी यह राय है कि कंपनी के क्रियाकलाप लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति में किए जा रहे हैं तो वह स्वयं, इस अध्याय के अधीन आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगी ।

अधिकरण की शक्तियां ।

242. (1) यदि धारा 241 के अधीन किए गए किसी आवेदन पर, अधिकरण की यह राय है कि,—

(क) कंपनी के क्रियाकलाप, किसी सदस्य या सदस्यों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या अन्यायपूर्ण किसी रीति में या कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में किए जा रहे हैं; और

(ख) कंपनी का समापन करना, ऐसे सदस्य या सदस्यों के प्रति अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, किंतु अन्यथा वे तथ्य इस आधार पर समापन का आदेश किए जाने को न्यायोचित ठहराते हैं कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण होगा कि कंपनी का समापन कर दिया जाना चाहिए,

तो अधिकरण, शिकायत किए गए विषयों का समाधान करने के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के अधीन किए गए आदेश में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—

(क) भविष्य में कंपनी के कार्यकलापों के संचालन का विनियमन;

(ख) कंपनी के किसी सदस्य के शेयरों या हितों का उसके अन्य सदस्यों द्वारा या कंपनी द्वारा क्रय;

(ग) पूर्वोक्तानुसार कंपनी द्वारा उसके शेयरों के क्रय की दशा में, उसकी शेयर पूंजी की पारिणामिक कमी;

(घ) कंपनी के शेयरों के अंतरण या आबंटन पर निर्बंधन;

(ङ) कंपनी और प्रबंध निदेशक, किसी अन्य निदेशक या प्रबंधक के बीच ऐसे निबंधनों और शर्तों पर किसी भी प्रकार किए गए किसी करार को समाप्त, अपास्त या उपांतरित करना, जो अधिकरण की राय में मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण हो;

(च) कंपनी और खंड (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के बीच किसी करार को समाप्त, अपास्त या उपांतरित करना:

परंतु ऐसा कोई करार, संबंधित पक्षकार को सम्यक् सूचना देने और उसकी सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही समाप्त, अपास्त या उपांतरित किया जाएगा, अन्यथा नहीं;

(छ) इस धारा के अधीन आवेदन की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए माल के अंतरण, परिदान, संपत्ति से संबंधित संदाय, निष्पादन या अन्य कार्य को अपास्त करना, जो, यदि किसी व्यष्टि द्वारा या उसके विरुद्ध किया जाता तो कपटपूर्ण अधिमान के रूप में उसका दिवालियापन समझा जाता;

(ज) कंपनी के प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या किसी निदेशक को हटाना;

(झ) किसी प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या निदेशक द्वारा उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान किए गए अनुचित अभिलाभों की वसूली और वसूली की उपयोगिता की रीति जिसके अंतर्गत विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरण या पहचानने योग्य पीड़ित व्यक्तियों को पुनः संदाय भी है;

(ञ) वह रीति, जिसमें खंड (ज) के अधीन किए गए कंपनी के विद्यमान प्रबंध निदेशक या प्रबंधक को हटाने के किसी आदेश के पश्चात् कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति की जा सकेगी;

(ट) निदेशकों के रूप में इतनी संख्या में व्यक्तियों की नियुक्ति करना, जिनसे अधिकरण द्वारा ऐसे विषयों पर अधिकरण को रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जा सकेगी, जो अधिकरण निदेश करे;

(ठ) ऐसे खर्चों का अधिरोपण जो अधिकरण द्वारा उचित समझा जाए;

(ड) कोई अन्य विषय, जिसके लिए अधिकरण की राय में, यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण होगा कि उपबंध किया जाना चाहिए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के आदेश की एक प्रमाणित प्रति कंपनी द्वारा, अधिकरण के आदेश के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी ।

(4) अधिकरण, कार्यवाही के किसी पक्षकार के आवेदन पर, ऐसा कोई अंतरिम आदेश कर सकेगा, जो वह ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत हों, कंपनी के कार्यों के संचालन को विनियमित करने के लिए ठीक समझे ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन अधिकरण का कोई आदेश कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन करता है, तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, कंपनी को, आदेश में अनुज्ञात सीमा के सिवाय, यदि कोई हो, अधिकरण की इजाजत के बिना, ज्ञापन या अनुच्छेदों में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी, जो आदेश से असंगत हो ।

(6) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में आदेश द्वारा किए गए परिवर्तनों का, सभी प्रकार से, वही प्रभाव होगा, मानो वे कंपनी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से किए गए हों और उक्त उपबंध, तद्नुसार इस प्रकार परिवर्तित ज्ञापन या अनुच्छेदों को लागू होंगे ।

(7) कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में परिवर्तन करने वाले या परिवर्तन करने की इजाजत देने वाले प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रति, उसके किए जाने के पश्चात्, तीस दिन के भीतर कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, जो उसे रजिस्टर करेगा ।

(8) जहां कोई कंपनी उपधारा (5) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, वहां कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

कतिपय करारों के समापन या उपांतरणों का परिणाम ।

243. (1) जहां धारा 242 के अधीन किया गया कोई आदेश, ऐसे किसी करार को समाप्त, अपास्त या उपांतरित करता है, जो उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, वहां—

(क) ऐसा आदेश किसी व्यक्ति द्वारा करार के अनुसरण में या तो अन्यथा पद की हानि के लिए या किसी अन्य प्रकार की नुकसानियों या प्रतिकर के लिए कंपनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के किन्ही दावों को पैदा नहीं करेगा;

(ख) ऐसा कोई प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक या प्रबंधक, जिसका करार इस प्रकार समाप्त या अपास्त कर दिया गया है, करार को समाप्त या अपास्त करने वाले आदेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिकरण की इजाजत के बिना कंपनी के प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा:

परंतु अधिकरण, इस खंड के अधीन इजाजत तब तक नहीं देगा, जब तक इजाजत के लिए आवेदन करने के आशय की सूचना केंद्रीय सरकार पर तामील न कर दी गई हो और उस सरकार को उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर उपधारा (1) के खंड (ख) के उल्लंघन में किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक या प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अन्य निदेशक, जो जानबूझकर ऐसे उल्लंघन का पक्षकार होगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

धारा 241 के अधीन आवेदन करने का अधिकार।

244. (1) किसी कंपनी के निम्नलिखित सदस्यों को धारा 241 के अधीन आवेदन करने का अधिकार होगा, अर्थात्:—

(क) शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी की दशा में, कंपनी के एक सौ से अन्यून सदस्य या उसके सदस्यों की कुल संख्या के एक बटा दस से अन्यून सदस्य, इनमें से जो भी कम हो, या कंपनी की एक बटा दस से अन्यून पुरोधृत शेयर पूंजी धारित करने वाला कोई सदस्य या धारित करने वाले सदस्य, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि आवेदक या आवेदकों ने उसके या उनके शेयरों पर देय सभी मांगों और अन्य राशियों का संदाय किया है या कर दिया है;

(ख) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जिसकी शेयर पूंजी नहीं है, उसके सदस्यों की कुल संख्या के एक बटा पांच से अन्यून सदस्य:

परंतु अधिकरण, इस निमित्त उसे किए गए किसी आवेदन पर, खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी अपेक्षा को अधित्यक्त कर सकेगा, जिससे कि सदस्यों को धारा 241 के अधीन आवेदन करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किया जाता है या किए जाते हैं, वहां उनकी गणना एक सदस्य के रूप में ही की जाएगी ।

(2) जहां किसी कंपनी के कोई सदस्य उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने के लिए हकदार हैं, वहां उनमें से कोई एक या अधिक सदस्य, जिसने लिखित में शेष सदस्यों की सहमति अभिप्राप्त कर ली है, उनमें से सभी की ओर से या उनके फायदे के लिए आवेदन कर सकेगा ।

वर्ग कार्रवाई ।

245. (1) सदस्य या सदस्यों की, निक्षेपकर्ता या निक्षेपकर्ताओं की ऐसी संख्या या उनका कोई वर्ग यथास्थिति, जिसे उपधारा (3) में उपदर्शित किया गया है, यदि उनकी यह राय है कि कंपनी के कार्यकलापों का प्रबंध या नियंत्रण ऐसी रीति में किया जा रहा है, जो कंपनी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिकरण के समक्ष निम्नलिखित सभी या किसी आदेश के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) कंपनी को ऐसा कोई कार्य करने से रोकना, जो कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों के अधिकारातीत है;

(ख) कंपनी को कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों के किसी उपबंध को भंग करने से रोकना;

(ग) कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों का परिवर्तन करने वाले किसी संकल्प को शून्य घोषित करना, यदि संकल्प, सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं से तात्त्विक तथ्यों को छिपाकर पारित किया गया था या उनको मिथ्या कथन करके अभिप्राप्त किया था;

(घ) कंपनी और उसके निदेशकों को ऐसे संकल्प पर कार्य करने से रोकना;

(ङ) कंपनी को ऐसा कोई कार्य करने से रोकना, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के प्रतिकूल है;

(च) कंपनी को सदस्यों द्वारा पारित किसी संकल्प के प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोकना;

(छ) निम्नलिखित से या के विरुद्ध,—

(i) कंपनी या इसके निदेशकों के किसी कपटपूर्ण, विधिविरुद्ध, सदोष कार्य या लोप या आचरण या उसकी या उनकी ओर से संभाव्य कार्य या लोप या आचरण के लिए;

(ii) संपरीक्षक, जिसके अंतर्गत कंपनी की संपरीक्षा फर्म भी है, अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट में गलत या भ्रामक विशिष्टियों के विवरण के लिए या किसी कपटपूर्ण, विधिविरुद्ध या सदोष कार्य या आचरण के लिए; या

(iii) किसी विशेषज्ञ या सलाहकार या परामर्शदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कंपनी को दिए गए गलत या भ्रामक विवरण के लिए या किसी कपटपूर्ण, विधिविरुद्ध या सदोष कार्य या आचरण और उसकी ओर से संभाव्य कार्य या आचरण के लिए,

नुकसानी या प्रतिकर का दावा करना या किसी अन्य यथोचित कार्रवाई की मांग करना ;

(ज) कोई अन्य उपचार, जो अधिकरण ठीक समझे, की मांग करना ।

(2) जहां सदस्य या निक्षेपकर्ता किसी नुकसानी या प्रतिकर की ईप्सा करते हैं या किसी संपरीक्षा फर्म से या उसके विरुद्ध किसी अन्य समुचित कार्रवाई की मांग करते हैं, वहां दायित्व फर्म और साथ ही ऐसे प्रत्येक भागीदार पर होगा, जो संपरीक्षा रिपोर्ट में विशिष्टियों का अनुचित या भ्रामक कथन करने में अंतर्वलित था अथवा जिसने कपटपूर्ण, विधिविरुद्ध या दोषपूर्ण रीति में कार्य किया।

(3) (i) उपधारा (1) में उपबंधित सदस्यों की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित होगी :—

(क) किसी ऐसी कंपनी की दशा में, जिसके पास शेयर पूंजी है, कंपनी के सौ सदस्यों से कम नहीं या सदस्यों की कुल संख्या के ऐसे प्रतिशत से कम नहीं हो,

जिसे विहित किया जाए, इनमें से जो भी कम है या कोई सदस्य या ऐसे सदस्य जो कंपनी की पुरोधृत शेयर पूंजी के ऐसे प्रतिशत का धारक है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि आवेदक या आवेदकों ने उसके या उनके शेयरों पर सभी मांगें या अन्य शोध्य राशियां संदत्त कर दी हैं;

(ख) किसी ऐसी कंपनी की दशा में, जिसके पास शेयर पूंजी नहीं है, अपने सदस्यों की कुल संख्या का एक बटा पांच से कम नहीं है।

(ii) उपधारा (1) में उपबंधित निक्षेपकर्ताओं की अपेक्षित संख्या एक सौ निक्षेपकर्ताओं या निक्षेपकर्ताओं की कुल संख्या के ऐसे प्रतिशत जो विहित की जाए से, अन्यून इसमें से जो कम हो या ऐसे किसी निक्षेपकर्ता या निक्षेपकर्ताओं से कम नहीं होगी, जिनको कंपनी, कंपनी के कुल निक्षेपकर्ताओं के ऐसे प्रतिशत, जो विहित किया जाए, की देनदार है।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर विचार करते समय अधिकरण निम्नलिखित बातों को विशिष्टतया ध्यान में रखेगा,—

(क) क्या सदस्य या निक्षेपकर्ता ने आदेश प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन को सद्भावपूर्वक किया है;

(ख) उपधारा (1) के खंड (क) से (च) में उपबंधित विषयों में से किसी विषय में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों से भिन्न किसी व्यक्ति के अन्तर्वलित होने के बारे में अंतर्ग्रस्त, उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करेगा;

(ग) क्या वाद हेतुक ऐसा है जिसके लिए सदस्य या निक्षेपकर्ता इस धारा के अधीन आदेश के माध्यम के बजाय अपने या उनके अधिकारों के लिए आगे बढ़ सकते है;

(घ) उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई ऐसा साक्ष्य जिसमें कंपनी के ऐसे सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं के विचार हों जिनका इस धारा के अधीन कार्यवाही किए जा रहे विषय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत हित नहीं हैं;

(ङ) जहां वाद हेतुक ऐसा कोई कार्य या लोप है कि जो अभी होना है, क्या कार्य या लोप हो सकता है और इन परिस्थितियों में होने की संभावना है —

(i) उसके होने से पहले कंपनी द्वारा प्राधिकृत;या

(ii) उसके होने के पश्चात् कंपनी द्वारा अनुसमर्थित;

(च) जहां वाद हेतुक एक ऐसा कार्य या लोप है जो पहले ही हो चुका है, क्या ऐसे कार्य या लोप का और उन परिस्थितियों में होने की संभावना का, अनुसमर्थन कंपनी द्वारा किया गया है ।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन को ग्रहण किया गया है तब अधिकरण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) वर्ग के सभी सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं को आवेदन को ग्रहण करने पर लोक सूचना ऐसी रीति में तामील की जाएगी जो विहित की जाए;

(ख) किसी अधिकारिता में विद्यमान इसी प्रकार के सारे आवेदनों को एकल आवेदन में समेकित किया जाएगा और वर्ग सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं को मुख्य आवेदक का चयन करने की अनुज्ञा दी जाएगी और यदि वर्ग के सदस्य या निक्षेपकर्ता सहमत नहीं होते हैं तब अधिकरण को मुख्य आवेदक नियुक्त करने की शक्ति होगी जो कि आवेदक की तरफ से कार्यवाहियों का भारसाधक होगा;

(ग) उसी वाद हेतुक के लिए दो वर्ग कार्रवाई आवेदन अनुज्ञात नहीं होंगे;

(घ) वर्ग कार्रवाई के लिए आवेदन से संबंधित लागत या व्यय कंपनी या किसी अन्यायपूर्ण कृत्य के लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाएगा ।

(6) अधिकरण द्वारा पारित किया गया कोई आदेश कंपनी और उसके सभी सदस्यों और निक्षेपकर्ताओं और लेखापरीक्षक जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षक फर्म या विशेषज्ञ या परामर्शदाता या सलाहकार या कंपनी के साथ सहयुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है, पर आबद्धकर होगा ।

(7) कोई कंपनी, जो इस धारा के अधीन अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश का पालन करने में असफल रहती है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(8) जहां अधिकरण के समक्ष फाइल किया गया कोई आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला पाया जाता है वहां अधिकरण लिखित में कारण लेखबद्ध करके उस आवेदन को नामंजूर करेगा और एक आदेश करेगा कि आवेदक विरोधी पक्षकार को ऐसी लागत का संदाय करेगा, जो कि एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(9) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी बैंककारी कंपनी को लागू नहीं होगी ।

(10) इस धारा के अनुपालन के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के संगम जो इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य या लोप से प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, इस धारा के अधीन किसी आवेदन को फाइल कर सकेंगे या कोई अन्य कार्रवाई कर सकेंगे ।

धारा 241 और धारा 245 के अधीन कार्यवाहियों को कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

246. धारा 337 से धारा 341 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं), धारा 241 या धारा 245 के अधीन अधिकरण को किए गए किसी आवेदन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी ।

अध्याय 17

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन ।

247. (1) जहां किसी कंपनी की किसी संपत्ति, स्टाक, शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों या गुडविल या अन्य आस्तियों (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आस्तियां कहा गया है) या शुद्ध मूल्य या दायित्वों के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन मूल्यांकन किए जाने की अपेक्षा की गई है, वहां उसका मूल्यांकन ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले तथा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत और संपरीक्षा समिति द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा या उसके न होने पर, उस कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया मूल्यांकक निम्नलिखित करेगा—

(क) किसी आस्ति का निष्पक्ष, सत्य और उचित मूल्यांकन करना जिसका मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो;

(ख) मूल्यांकक के रूप में कृत्यों का पालन करते समय सम्यक् तत्परता का प्रयोग करना;

(ग) ऐसे नियमों के अनुसार मूल्यांकन करना जो, विहित किए जाएं; और

(घ) किसी ऐसी आस्ति के मूल्यांकन का जिम्मा न लेना जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है या आस्तियों के मूल्यांकन के दौरान किसी समय या उसके पश्चात् हितबद्ध हो जाता है;

(ङ) यदि कोई मूल्यांकक इस धारा या इसके अधीन बनाए गए उपबंधों का उल्लंघन करता है तो मूल्यांकक ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम न होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा;

परंतु यदि मूल्यांकक ने ऐसे उपबंधों का कंपनी या इसके सदस्यों से कपट के आशय से उल्लंघन किया है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम न होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) जहां मूल्यांकक उपधारा (3) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है, वहां वह निम्नलिखित के लिए दायी होगा—

(i) उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक का प्रतिदाय कंपनी को करना; और

(ii) उसकी रिपोर्ट में की गई विशिष्टियों के गलत या भ्रामक कथन से उद्भूत हानि के लिए कंपनी या किसी व्यक्ति को नुकसानी का संदाय।

अध्याय 18

कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नामों का हटाया जाना

कंपनियों के रजिस्टर से किसी कंपनी का नाम हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति।

248. (1) जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि,—

(क) कोई कंपनी अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर अपना कारबार आरंभ करने में असफल रही है;

(ख) ज्ञापन के अभिदाताओं ने उस अभिदाय का संदाय नहीं किया है, जिसका कंपनी के निगमन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर संदाय करने का उन्होंने वचन दिया था और उसके निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन इस आशय की घोषणा फाइल नहीं की गई है; या

(ग) कंपनी ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्ष की अवधि से कोई कारबार या संक्रिया नहीं कर रही है और उसने धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी की हैसियत अभिप्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है,

वहां वह कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के अपने आशय की सूचना कंपनी और कंपनी के सभी निदेशकों को, सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपने अभ्यावेदन भेजने का उनसे अनुरोध करते हुए भेजेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कंपनी अपने सभी दायित्वों का निर्वापन करने के पश्चात् विशेष संकल्प द्वारा या समादत्त शेयर पूंजी के रूप में पचहत्तर प्रतिशत सदस्यों की सहमति से, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी आधार पर कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार को विहित रीति में आवेदन फाइल कर सकेगी और रजिस्ट्रार, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, विहित रीति में लोक सूचना भिजवाएगा:

परंतु किसी विशेष अधिनियम के अधीन विनियमित किसी कंपनी की दशा में उस अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित विनियामक निकाय का अनुमोदन भी अभिप्राप्त किया जाएगा और आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) की कोई बात, धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी को लागू नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना जनसाधारण की जानकारी के लिए विहित रीति में और राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी ।

(5) सूचना में उल्लिखित समय की समाप्ति पर, रजिस्ट्रार, जब तक कंपनी द्वारा प्रतिकूल कारण न दर्शित किया जाए, कंपनियों के रजिस्टर से उसका नाम काट देगा और राजपत्र में उसकी सूचना प्रकाशित करेगा और इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर कंपनी विघटित हो जाएगी ।

(6) रजिस्ट्रार, उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, अपना यह समाधान करेगा कि कंपनी को शोध्य सभी रकमों की वसूली और कंपनी द्वारा, युक्तियुक्त समय के भीतर, अपने सभी दायित्वों और बाध्यताओं के संदाय और निर्वहन के लिए पर्याप्त उपबंध किया गया है और यदि आवश्यक हो तो प्रबंध निदेशक, निदेशक या कंपनी के प्रबंध के भारसाधक अन्य व्यक्तियों से आवश्यक वचनबंध अभिप्राप्त करेगा:

परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट वचनबंध के होते हुए भी, कंपनी की आस्तियां, कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाए जाने के आदेश की तारीख के पश्चात् भी उसके सभी दायित्वों और बाध्यताओं के संदाय या निर्वहन के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(7) उपधारा (5) के अधीन विघटित कंपनी के प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या ऐसे अन्य अधिकारी का, जो प्रबंधन की किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा था और प्रत्येक सदस्य का दायित्व, यदि कोई हो, इस प्रकार बना रहेगा और प्रवृत्त हो सकेगा, मानो कंपनी का विघटन न हुआ हो।

(8) इस धारा की कोई बात ऐसी कंपनी का समापन करने की अधिकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका नाम कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है ।

कतिपय दशाओं में धारा 248 के अधीन आवेदन किए जाने पर निर्बंधन।

249. (1) धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन कंपनी की ओर से कोई आवेदन नहीं किया जाएगा, यदि पूर्ववर्ती तीन मास में किसी समय कंपनी ने,—

(क) अपना नाम परिवर्तित किया है या अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया है;

(ख) व्यवसाय या अन्यथा कारबार करना समाप्त करने से ठीक पूर्व, व्यवसाय या अन्यथा कारबार करने के सामान्य अनुक्रम में अभिलाभ के व्ययन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा धारित संपत्ति या अधिकारों के मूल्य का व्ययन किया है;

(ग) वह ऐसे अन्य क्रियाकलाप के सिवाय किसी अन्य क्रियाकलाप में लगा हुआ है, जो उस धारा के अधीन आवेदन करने या यह विनिश्चय करने कि क्या ऐसा किया जाए या कंपनी के कार्यकलापों को समाप्त करने या किसी कानूनी अपेक्षा का पालन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन है;

(घ) उसने किसी समझौते या ठहराव की मंजूरी के लिए अधिकरण को आवेदन किया है और मामला अंतिम रूप से निर्णीत नहीं किया गया है; या

(ङ) अध्याय 20 के अधीन, चाहे स्वैच्छया या अधिकरण द्वारा, उसका समापन किया जा रहा है ।

(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के अतिक्रमण में धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल करती है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

(3) धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किया गया आवेदन, कंपनी द्वारा वापस ले लिया जाएगा या रजिस्ट्रार द्वारा, उपधारा (1) के अधीन शर्तों को उसकी जानकारी में लाए जाने पर, यथाशीघ्र नामंजूर कर दिया जाएगा ।

विघटित रूप में अधिसूचित कंपनी का प्रभाव ।

250. जहां कोई कंपनी धारा 248 के अधीन विघटित हो गई है, वहां वह उस धारा की उपधारा (5) के अधीन सूचना में उल्लिखित तारीख से ही कंपनी के रूप में कार्य नहीं करेगी और उसे जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र को, कंपनी को शोध्य रकमों की वसूली के प्रयोजन और कंपनी के दायित्वों या बाध्यताओं के संदाय या निर्वहन के सिवाय, उस तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा ।

नाम हटाए जाने के लिए कपटपूर्वक आवेदन ।

251. (1) जहां यह पाया जाता है कि धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन कंपनी द्वारा किया गया कोई आवेदन कंपनी के दायित्वों से बचने के उद्देश्य से या लेनदारों को प्रवंचित करने या किसी अन्य व्यक्ति को कपटवंचित करने के आशय से किया गया है, वहां कंपनी के प्रबंध के भारसाधक व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि कंपनी को विघटित रूप में अधिसूचित किया गया है,—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी होंगे, जिसे कंपनी के विघटित रूप में अधिसूचित किए जाने के परिणामस्वरूप हानि या नुकसानी उपगत हुई हो; और

(ख) धारा 447 में यथा उपबंधित रीति में कपट के लिए दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार, धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के अभियोजन की सिफारिश भी कर सकेगा ।

अधिकरण को अपील।

252. (1) धारा 248 के अधीन किसी कंपनी को विघटित रूप में अधिसूचित करने वाले रजिस्ट्रार के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रार के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अधिकरण को अपील फाइल कर सकेगा और यदि अधिकरण की यह राय है कि कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम का हटाया जाना, उन आधारों में से, जिन पर रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित किया गया था, किसी आधार के अभाव में न्यायोचित नहीं है, तो वह कंपनियों के रजिस्टर में कंपनी के नाम का प्रत्यावर्तन किए जाने का आदेश करेगा :

परंतु अधिकरण, इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, रजिस्ट्रार, कंपनी और संबंधित सभी व्यक्तियों को अभ्यावेदनों को करने और सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा:

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कंपनी का नाम अनवधानता से या कंपनी अथवा उसके निदेशकों द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है, जिसको कंपनियों के रजिस्टर में पुनः रखना अपेक्षित है, तो वह धारा 248 के अधीन कंपनी का विघटन किए जाने संबंधी आदेश पारित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी कंपनी का नाम पुनः रखे जाने की ईप्सा करते हुए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) अधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति, कंपनी द्वारा, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी और आदेश की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार कंपनी के नाम को कंपनियों के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कराएगा और निगमन का नया प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) यदि कोई कंपनी या उसका कोई सदस्य या लेनदार या कर्मकार कंपनी द्वारा कंपनियों के रजिस्टर से उसका नाम काटे जाने पर, व्यथित महसूस करता है तो अधिकरण, धारा 248 की उपधारा (5) के अधीन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन से बीस वर्ष की समाप्ति से पूर्व कंपनी, सदस्य या लेनदार या कर्मकारों द्वारा किए गए किसी आवेदन पर, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कंपनी, नाम काटे जाने के समय, कारबार कर रही थी या प्रचालन में थी या अन्यथा यह न्यायोचित है कि कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित किया जाए, तो कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित किए जाने का आदेश देगा और अधिकरण, आदेश द्वारा, ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा और ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो कंपनी और सभी अन्य व्यक्तियों को यथाशक्य निकटतम उसी स्थिति में रखने के लिए न्यायोचित समझे जाएं, मानो कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाया ही न गया हो ।

अध्याय 19

रुग्ण कंपनियों का पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार

रुग्णता का अवधारण।

253. (1) जहां किसी कंपनी के ऋण की अधिशेष रकम के पचास प्रतिशत या अधिक का भाग बनने वाले उसके प्रतिभूत लेनदारों द्वारा मांग किए जाने पर कंपनी, मांग की सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर ऋण का संदाय करने या लेनदारों के युक्तियुक्त समाधान पर, उसे प्रतिभूति देने या प्रशमन करने में असफल रही है, वहां कोई प्रतिभूत लेनदार, ऐसे व्यतिक्रम, असंदाय या प्रतिभूति देने या उसका प्रशमन करने में असफल रहने के सुसंगत साक्ष्य के साथ यह अवधारण किए जाने के लिए कि कंपनी को रुग्ण कंपनी घोषित किया जाए, विहित रीति में, अधिकरण को आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदक, उस उपधारा के अधीन किसी आवेदन के साथ या तत्पश्चात् कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, कंपनी के समापन की किन्हीं कार्यवाहियों पर रोक के लिए या कंपनी की किन्हीं संपत्तियों और आस्तियों के संबंध में निष्पादन, संकट या समान कार्य के लिए या उसके संबंध में किसी रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा और किसी धनराशि की वसूली या कंपनी के विरुद्ध किसी प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए कोई वाद नहीं होगा या कार्यवाही नहीं होगी ।

(3) अधिकरण, उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो एक सौ बीस दिन की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कंपनी ऊपर उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर अधिकरण को भी आवेदन फाइल कर सकेगी ।

(5) उपधारा (1) से उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या कोई राज्य सरकार या कोई लोक वित्तीय संस्था या कोई राज्य स्तरीय संस्था या कोई अनुसूचित बैंक, यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई कंपनी कोई रुग्ण कंपनी हो गई है, ऐसी कंपनी की बाबत अधिकरण को ऐसे उपायों का अवधारण करने के लिए निर्देश करेगा जो ऐसी कंपनी की बाबत अंगीकृत किए जाएं :

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी कंपनी की बाबत निर्देश—

(क) किसी राज्य की सरकार द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी कंपनी के सभी या कोई उपक्रम ऐसे राज्य में अवस्थित न हों;

(ख) किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य स्तरीय संस्था या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके द्वारा ऐसी कंपनी की बाबत, ऐसी कंपनी के किसी हित द्वारा उसने कोई वित्तीय सहायता या बाध्यता के कारण जिम्मा न लिया हो ।

(6) जहां आवेदन उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन फाइल किया गया है, वहां,—

(क) कंपनी, कारबार के सामान्य अनुक्रम में यथा अपेक्षित के सिवाय अपनी संपत्तियों या आस्तियों का व्ययन नहीं करेगी या अन्यथा उनके संबंध में कोई बाध्यता ग्रहण नहीं करेगी;

(ख) निदेशक बोर्ड ऐसे कोई उपाय नहीं करेगा, जिससे लेनदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(7) अधिकरण, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर, यह अवधारित करेगा कि क्या कंपनी रुग्ण कंपनी है या नहीं :

परंतु उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के संबंध में ऐसा अवधारण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कंपनी को आवेदन की सूचना न दे दी गई हो और सूचना प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सूचना का जवाब देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(8) यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कंपनी, रुग्ण कंपनी हो गई है, तब मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् अधिकरण यथासंभव शीघ्र लिखित में आदेश द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि कंपनी के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऋणों का प्रतिसंदाय युक्तियुक्त समय के भीतर करना व्यवहार्य है या नहीं ।

(9) यदि उपधारा (8) के अधीन अधिकरण यह ठीक समझता है कि रुग्ण कंपनी द्वारा इस उपधारा में निर्दिष्ट अपने ऋणों का युक्तियुक्त समय के भीतर संदाय करना व्यवहार्य है तब अधिकरण लिखित में आदेश द्वारा और ऐसे निबंधनों या शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में किए जाएं, कंपनी को ऋण का प्रतिसंदाय करने के लिए उतना समय दे सकेगा जितना वह ठीक समझे।

पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार के लिए आवेदन ।

254. (1) धारा 253 के अधीन अधिकरण द्वारा रुग्ण कंपनी के रूप में किसी कंपनी के अवधारण पर, उस कंपनी का कोई प्रतिभूत लेनदार या कंपनी उन उपायों के अवधारण के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगी, जो उस कंपनी के पुनरुज्जीवन या पुनरुद्धार के संबंध में अंगीकृत किए जाएं :

परंतु यदि अधिकरण के समक्ष कोई निर्देश किया गया है और पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार के लिए एक स्कीम प्रस्तुत की गई है तब ऐसे निर्देश का तब उपशमन हो जाएगा, यदि उधार लेने वालों को संवितरित वित्तीय सहायता की बकाया रकम के मूल्य में तीन–चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूति लेनदारों ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अपने प्रतिभूत ऋण वसूल करने के लिए उपाय किए हैं : 2002 का 54

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन तब निर्देश नहीं किया जाएगा यदि उधार लेने वाले को संवितरित वित्तीय सहायता की बकाया रकम के मूल्य का तीन–चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूत लेनदारों ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अपने प्रतिभूत ऋण को वसूल करने के लिए उपाय किए हैं : 2002 का 54

परंतु यह भी कि जहां रुग्ण कंपनी की वित्तीय आस्तियां, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित की गई हों, वहां ऐसा आवेदन प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुनर्गठन कंपनी की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। 2002 का 54

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के साथ,—

(क) ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी के संपरीक्षित वित्तीय विवरण होंगे;

(ख) ऐसी रीति में सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित ऐसी विशिष्टियों और दस्तावेजों के साथ, ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए; और

(ग) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कंपनी के पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार की प्रारूप स्कीम होगी :

परंतु जहां रुग्ण कंपनी के पास प्रस्थापित करने के लिए पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार की कोई प्रारूप स्कीम नहीं है, वहां वह आवेदन के साथ इस बात की घोषणा फाइल करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन, धारा 253 के अधीन अधिकरण द्वारा किसी कंपनी की, रुग्ण कंपनी के रूप में अवधारणा की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को, किया जाएगा ।

परिसीमा अवधि की संगणना करने में कतिपय समय का अपवर्जन ।

255. परिसीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी कंपनी के नाम में या उसकी ओर से फाइल किए गए किसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि की संगणना करने में, जिसके लिए धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण को रुग्ण कंपनी के रूप में घोषणा करने के लिए अवधारण करने के लिए या इसके पश्चात् किसी प्रक्रम पर कोई आवेदन किया जाता है, धारा 253 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित रोक आदेश की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा । 1963 का 36

अंतरिम प्रशासक की नियुक्ति ।

256. (1) धारा 254 के अधीन किसी आवेदन को प्राप्त करने पर, उसकी ऐसी प्राप्ति से सात दिन के अपश्चात्, अधिकरण,—

(क) प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के अपश्चात् सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा;

(ख) अंतरिम प्रशासक की नियुक्ति करेगा, जिससे कि वह अपनी नियुक्ति करने वाले

अधिकरण के आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्चात् यह विचार करने कि क्या धारा 254 के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों और दस्तावेजों, ऐसे आवेदनों के साथ या अन्यथा फाइल की गई प्रारूप स्कीम, यदि कोई हो, और उपलब्ध सामग्री के आधार पर रुग्ण कंपनी का पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार संभव है और ऐसे अन्य विषयों पर विचार करने के लिए, जिन्हें अंतरिम प्रशासक इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, धारा 257 के उपबंधों के अनुसार आयोजित किया जाने वाला लेनदारों का अधिवेशन बुलाए और आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपनी रिपोर्ट दे सके:

परंतु जहां कंपनी द्वारा कोई प्रारूप स्कीम फाइल नहीं की गई है और निदेशक बोर्ड द्वारा उस आशय की घोषणा की गई है, वहां अधिकरण अंतरिम प्रशासक को कंपनी का प्रबंध ग्रहण करने का निदेश दे सकेगा; और

(ग) अंतरिम प्रशासक को ऐसे अन्य निदेश जारी करेगा, जो रुग्ण कंपनी की आस्तियों की संरक्षा और उन्हें बनाए रखने तथा उसके उचित प्रबंध के लिए अधिकरण आवश्यक समझे ।

(2) जहां किसी अंतरिम प्रशासक को कंपनी का प्रबंध ग्रहण करने का निदेश दिया गया है, वहां कंपनी के निदेशक और प्रबंधक, कंपनी के कार्यों का प्रबंध करने में अंतरिम प्रशासक को सभी संभव सहायता और सहयोग देंगे ।

257. (1) अंतरिम प्रशासक, उतने सदस्यों वाली, जितने वह अवधारित करे, किंतु जो सात से अधिक नहीं होंगे, लेनदारों की समिति की नियुक्ति करेगा, और ऐसी समिति में यथासंभव लेनदारों के, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । लेनदारों की समिति।

(2) लेनदारों की समिति के अधिवेशन का आयोजन और ऐसे अधिवेशनों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया का विनिश्चय, जिसके अंतर्गत उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी है, अंतरिम प्रशासक द्वारा किया जाएगा ।

(3) अंतरिम प्रशासक, किसी संप्रवर्तक, निदेशक या किसी अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को लेनदारों के किसी अधिवेशन में भाग लेने और ऐसी सूचना देने का निदेश दे सकेगा, जो अंतरिम प्रशासक द्वारा आवश्यक समझी जाए।

258. अधिकरण द्वारा सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को और धारा 256 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अंतरिम प्रशासक की रिपोर्ट पर विचार करने पर, यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि उपस्थित और मतदान करने वाली रुग्ण कंपनी की बकाया रकम के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों ने यह संकल्प किया है कि,— अधिकरण के आदेश।

(क) ऐसी कंपनी का पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार करना संभव नहीं है तो अधिकरण उस राय को अभिलिखित करेगा और यह आदेश करेगा कि कंपनी के परिसमापन की कार्यवाहियां आरंभ की जाएं ; या

(ख) कतिपय ऐसे उपाय अंगीकृत करके, जिससे रुग्ण कंपनी का पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार किया जा सकता है, अधिकरण कंपनी के लिए कंपनी प्रशासक की नियुक्ति करेगा और उस प्रशासक से रुग्ण कंपनी के पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार की स्कीम तैयार कराएगा :

परंतु अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, कंपनी प्रशासक के रूप में अंतरिम प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगा ।

259. (1) यथास्थिति, अंतरिम प्रशासक या कंपनी प्रशासक की नियुक्ति अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए रखे गए किसी डाटा बैंक से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्रशासक की नियुक्ति।

संस्थान या अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और इसमें कंपनी सचिवों, चार्टर्ड अकाउन्टेंटों, लागत लेखापालों तथा ऐसे अन्य वृत्तिकों के नाम होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) अंतरिम और कंपनी प्रशासक की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अधिकरण आदेश करें।

(3) अधिकरण, कंपनी प्रशासक को कंपनी की आस्तियों या प्रबंध ग्रहण करने का निदेश दे सकेगा और कंपनी के प्रबंध में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए कंपनी प्रशासक, अधिकरण के अनुमोदन से, उपयुक्त विशेषज्ञ या विशेषज्ञों को नियोजित कर सकेगा ।

कंपनी प्रशासक की शक्तियां और कर्तव्य।

260. (1) कंपनी प्रशासक ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिकरण निदेश करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी प्रशासक, कंपनी के संबंध में निम्नलिखित तैयार कर सकेगा,—

(क) निम्नलिखित की एक पूर्ण सूची,—

(i) किसी भी प्रकृति की सभी आस्तियां और दायित्व;

(ii) सभी लेखा बहियां, रजिस्टर, नक्शे, योजनाएं, अभिलेख, हक के दस्तावेज और किसी भी प्रकृति के सभी अन्य दस्तावेज;

(ख) शेयर धारकों की एक सूची और प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों को सूची में पृथक् रूप से दर्शित करते हुए, लेनदारों की सूची;

(ग) कंपनी के किसी औद्योगिक उपक्रम के विक्रय के लिए या पट्टा किराया या शेयर विनिमय अनुपात के नियतन के लिए आरक्षित कीमत पर पहुंचने के लिए शेयरों और आस्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट;

(घ) आरक्षित कीमत, पट्टा किराया या शेयर विनिमय अनुपात का प्राक्कलन;

(ङ) जहां कोई अद्यतन संपरीक्षित लेखे उपलब्ध नहीं हैं, वहां कंपनी के प्रोफार्मा लेखे; और

(च) कंपनी के कर्मकारों की सूची और धारा 325 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट उनके शोध्य ।

पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार की स्कीम।

261. (1) कंपनी प्रशासक, धारा 254 के अधीन आवेदन के साथ फाइल की गई प्रारूप स्कीम पर विचार करने के पश्चात्, रुग्ण कंपनी के पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार की स्कीम तैयार करेगा या तैयार कराएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी रुग्ण कंपनी के संबंध में तैयार की गई स्कीम में निम्नलिखित किसी एक या अधिक उपायों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) रुग्ण कंपनी का वित्तीय पुनर्गठन;

(ख) रुग्ण कंपनी में कोई परिवर्तन करके या उसका प्रबंध ग्रहण करके, ऐसी रुग्ण कंपनी का उचित प्रबंध;

(ग) निम्नलिखित का समामेलन,—

(i) रुग्ण कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ; या

(ii) किसी अन्य कंपनी का रुग्ण कंपनी के साथ;

(घ) किसी ऋण शोधक्षम कंपनी द्वारा रुग्ण कंपनी का प्रबंध ग्रहण;

(ङ) रुग्ण कंपनी की किसी संपूर्ण आस्ति या कारबार या उसके किसी भाग का विक्रय या पट्टा;

(च) विधि के अनुसार प्रबन्धकीय कार्मिक अधीक्षण कर्मचारिवृंद और कर्मकारों का सुव्यवस्थीकरण;

(छ) ऐसे अन्य निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय, जो उपयुक्त हों;

(ज) कंपनी के ऋणों या बाध्यताओं का, उसके किन्हीं लेनदारों या लेनदारों के वर्ग को प्रतिदाय या पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन; और

(झ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक या अनुपूरक उपाय, जो खंड (क) से खंड (ज) में विनिर्दिष्ट उपायों के संबंध में या उनके प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन हों ।

स्कीम की मंजूरी ।

262. (1) धारा 261 के अधीन कंपनी प्रशासक द्वारा तैयार की गई स्कीम, कंपनी प्रशासक द्वारा उसकी नियुक्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर, जो अधिकरण द्वारा एक सौ बीस दिन से अनधिक की अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी, उसके लेनदारों के अनुमोदन के लिए बुलाए गए अधिवेशन में रुग्ण कंपनी के लेनदारों के समक्ष रखी जाएगी ।

(2) कंपनी प्रशासक रुग्ण कंपनी के प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के पृथक् अधिवेशन बुलाएगा और यदि स्कीम का अनुमोदन ऐसे लेनदारों की कंपनी द्वारा देय रकम के एक-चौथाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अप्रतिभूत लेनदारों और रुग्ण कंपनी को ऐसे लेनदारों द्वारा संवितरित की गई वित्तीय सहायता के संबंध में बकाया ऋण की रकम में तीन-चौथाई मूल्य को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूत लेनदारों द्वारा कर दिया जाता है तो कंपनी प्रशासक, स्कीम को मंजूरी के लिए अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां स्कीम, रुग्ण कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन से संबंधित है तो उस स्कीम को, इस उपधारा के अधीन रुग्ण कंपनी के लेनदारों के अनुमोदन के अतिरिक्त, दोनों कंपनियों के साधारण अधिवेशन के समक्ष उनके क्रमशः शेयर धारकों द्वारा अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और ऐसी स्कीम पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक उसे उस कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा, उपांतरण सहित या उपांतरण के बिना, अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(3) (i) कंपनी प्रशासक द्वारा तैयार की गई स्कीम की परीक्षा अधिकरण द्वारा की जाएगी और अधिकरण द्वारा किए गए उपांतरण, यदि कोई हों, सहित स्कीम की एक प्रति प्रारूप में रुग्ण कंपनी तथा कंपनी प्रशासक और समामेलन की दशा में संबंधित किसी अन्य कंपनी को भी भेजी जाएगी तथा अधिकरण संक्षेप में इस प्रारूप स्कीम को, सुझाव और आक्षेपों के लिए, यदि कोई हो, ऐसी अवधि के भीतर जो अधिकरण विनिर्दिष्ट करे, दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित करेगा या करवाएगा।

(ii) संपूर्ण प्रारूप स्कीम को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है या जिन स्थानों का उल्लेख विज्ञापन में किया गया है।

(iii) अधिकरण प्रारूप स्कीम में, रुग्ण कंपनी और कंपनी प्रशासक तथा अंतरिती कंपनी से भी और समामेलन में संबंधित किसी अन्य कंपनी तथा किसी शेयर धारक या किसी लेनदार या ऐसी कंपनियों के कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उपांतरण कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन स्कीम की प्राप्ति पर, अधिकरण, स्कीम की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर, यह समाधान होने पर कि स्कीम इस धारा के अनुसार विधिमान्य रूप में अनुमोदित कर दी गई है, उस स्कीम को मंजूरी देने वाला आदेश पारित कर सकेगा।

(5) जहां कोई मंजूर स्कीम, रुग्ण कंपनी की किसी संपत्ति या दायित्व का किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति को अन्तरण के लिए उपबंध करती है या जहां ऐसी स्कीम, किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति की किसी संपत्ति या दायित्व का रुग्ण कंपनी के पक्ष में अन्तरण के लिए उपबंध करती है, वहां स्कीम के आधार पर या उसमें उपबंधित सीमा तक, मंजूर स्कीम के प्रवर्तन में आने की तारीख से ही संपत्ति, यथास्थिति, ऐसी अन्य कंपनी या व्यक्ति या रुग्ण कंपनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएगी और दायित्व, उसका दायित्व हो जाएगा ।

(6) अधिकरण मंजूर की गई स्कीम का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे उपांतरण करेगा जो वह उचित समझे या लिखित में आदेश द्वारा कंपनी प्रशासक को एक नई स्कीम तैयार करने का निदेश देगा जिसमें ऐसे उपायों का उपबंध किया गया हो, जो कंपनी प्रशासक आवश्यक समझे।

(7) उपधारा (4) के अधीन अधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि पुनर्गठन या समामेलन से संबंधित स्कीम की सभी अपेक्षाओं या उसमें विनिर्दिष्ट किसी अन्य उपाय का अनुपालन कर दिया गया है और अधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में प्रमाणित मंजूर स्कीम की प्रति को सभी विधिक कार्यवाहियों में उसकी सही प्रति के रूप में साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा ।

(8) उपधारा (4) में निर्दिष्ट मंजूर स्कीम की एक प्रति, रुग्ण कंपनी द्वारा, उसकी प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी ।

स्कीम का आबद्धकर होना ।

263. मंजूर स्कीम या उसके किसी उपबंध के प्रवर्तन में आने की तारीख से ही, स्कीम या उसका कोई उपबंध, यथास्थिति, रुग्ण कंपनी और अंतरिती कंपनी या अन्य कंपनी के साथ ही उक्त कंपनियों के कर्मचारियों, शेयर धारकों, लेनदारों और प्रत्याभूतिदाताओं पर भी आबद्धकर होगा ।

स्कीम का कार्यान्वयन ।

264. (1) अधिकरण को, स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी संविदा या करार या ऐसे करार या संविदा के अनुसरण में किसी बाध्यता को लागू करने, उपांतरित करने या समाप्त करने की शक्ति होगी ।

(2) अधिकरण, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा, धारा 259 के अधीन नियुक्त कंपनी प्रशासक को, मंजूर स्कीम का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किए जाने तक, कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उससे मंजूर स्कीम के कार्यान्वयन पर आवधिक रिपोर्ट फाइल करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) जहां रुग्ण कंपनी के उपक्रम की संपूर्ण या सारवान् आस्तियां किसी मंजूर स्कीम के अधीन विक्रीत की गई है वहां विक्रय आगमों को, ऐसी रीति में, जैसा अधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रति उपयोजित किया जाएगा :

परन्तु ऋणी और लेनदार के पास, नियत मूल्य का अंतिम आदेश किए जाने से पहले, मूल्य का पुनर्विलोकन करने के लिए संवीक्षा और अपील करने की शक्ति होगी ।

(4) जहां किसी कारण से स्कीम को कार्यान्वित करना कठिन है या स्कीम, संबंधित पक्षकारों द्वारा स्कीम के अधीन बाध्यताओं के गैर-क्रियान्वयन के कारण असफल हो जाती है, वहां स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत कंपनी प्रशासक या जहां ऐसा प्रशासक नहीं है, वहां समामेलन की दशा में कंपनी, प्रतिभूत लेनदार या अंतरिती कंपनी, यथास्थिति, स्कीम के उपांतरण के लिए या स्कीम को असफल घोषित करने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे और उससे यह अनुरोध कर सकेंगे कि कंपनी का समापन कर दिया जाए ।

(5) अधिकरण, उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, स्कीम के उपांतरण के लिए या स्कीम को असफल घोषित करने के लिए आदेश पारित करेगा और यदि मूल्य का तीन-चौथाई प्रतिभूत लेनदारों ने स्कीम के उपांतरण या कंपनी के समापन की सहमति दे दी हो तो कंपनी के परिसमापन का आदेश पारित करेगा ।

(6) जहां उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन, अधिकरण के समक्ष किया गया है और ऐसा आवेदन, उसके समक्ष लंबित है, वहां यदि रुग्ण कंपनी को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में बकाया रकम में तीन-चौथाई से अनधिक मूल्य के प्रतिभूत लेनदारों ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली करने के कोई उपाय कर लिए हैं तो ऐसा आवेदन समाप्त हो जाएगा ।

2002 का 54

कंपनी प्रशासक की रिपोर्ट पर कंपनी का परिसमापन ।

265. (1) यदि स्कीम धारा 262 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में लेनदारों द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है तो कंपनी प्रशासक अधिकरण को पन्द्रह दिन के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अधिकरण रुग्ण कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने पर, अधिकरण अध्याय 20 के उपबंधों के अनुसार रुग्ण कंपनी के परिसमापन के लिए कार्यवाहियों का संचालन करेगा ।

अधिकरण की अवचारी निदेशकों, आदि के विरुद्ध नुकसानियों का निर्धारण करने की शक्ति ।

266. (1) यदि किसी स्कीम या प्रस्ताव की, जिसके अंतर्गत प्रारूप स्कीम या प्रस्ताव भी है, संवीक्षा या कार्यान्वयन के अनुक्रम में अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसने रुग्ण कंपनी या उसके उपक्रम के संप्रवर्तन, निर्माण या प्रबंध में भाग लिया है, जिसके अंतर्गत रुग्ण कंपनी का निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी या कर्मचारी जो ऐसी कंपनी के नियोजन में हैं या रहे हैं, भी है,—

(क) रुग्ण कंपनी के किसी धन या संपत्ति का दुरुपयोजन या प्रतिधारण किया है या वह उसके लिए दायी या जवाबदेह हो गया है; या

(ख) रुग्ण कंपनी के संबंध में किसी अपकरण, दुष्करण या अकरण या न्यास भंग का दोषी रहा है,

वहां वह आदेश द्वारा, उस धन या संपत्ति को, ऐसे ब्याज सहित या उसके बिना, जो वह उचित समझे, प्रतिसंदत्त या पुनःस्थापित करने या रुग्ण कंपनी या अन्य व्यक्ति की आस्तियों में ऐसी राशि का अभिदाय करने का निदेश दे सकेगा, जो अनुपयोजन, प्रतिधारण, अपकरण, दुष्करण, अकरण या न्यास भंग के संबंध में, जो अधिकरण न्यायोचित और उचित समझे, प्रतिकर के रूप में उसके लिए हकदार है :

परंतु अधिकरण द्वारा ऐसा निदेश, ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा, जो उस व्यक्ति के विरुद्ध की जाए जिसके अन्तर्गत धारा 447 में यथा उपबंधित रीति में कपट के लिए कोई दण्ड भी है।

(2) यदि अधिकरण का किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो रुग्ण कंपनी का निदेशक या कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी है या था, उसके पास सूचना और साक्ष्य के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ ऐसी कंपनी की निधियों या अन्य संपत्ति का, कंपनी के प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए अपवर्तन किया था या कंपनी के कार्यकलापों का प्रबंध ऐसी रीति में किया था, जो कंपनी के हितों के लिए अत्यधिक हानिकारक थी, वहां अधिकरण आदेश द्वारा, लोक वित्तीय संस्थाओं, अनुसूचित बैंकों और राज्य

स्तरीय संस्थाओं को, आदेश की तारीख से दस वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति या किसी फर्म को, जिसमें ऐसा व्यक्ति भागीदार है या ऐसी किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय को, जिसमें ऐसा व्यक्ति निदेशक है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई वित्तीय सहायता न देने या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी में छह वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से उक्त निदेशक, संप्रवर्तक, प्रबंधक को निरर्हित करने का निदेश देगा ।

(3) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन अधिकरण द्वारा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

कतिपय अपराधों के लिए दंड ।

267. जो कोई इस अध्याय के उपबंधों या किसी स्कीम या अधिकरण अथवा अपील अधिकरण के किसी आदेश का अतिक्रमण करेगा या अधिकरण या अपील अधिकरण को मिथ्या कथन करेगा या मिथ्या साक्ष्य देगा या इस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए निर्देश या अपील के अभिलेखों से छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अधिकारिता का वर्जन।

268. किसी ऐसे विषय के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण में कोई अपील नहीं होगी और किसी सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी, जिसके संबंध में अधिकरण या अपील अधिकरण इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन सशक्त है और इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित किसी कार्यवाही की बाबत कोई व्यादेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा ।

पुनरुद्धार और दिवाला निधि ।

269. (1) रुग्ण कंपनियों के पुनरुद्धार, पुनरूज्जीवन और परिनिर्धारण के प्रयोजनों के लिए पुनरुद्धार और दिवाला निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा ।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) निधि के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया अनुदान;

(ख) इस निधि में अभिदाय के रूप में कंपनियों द्वारा जमा की गई रकम;

(ग) किसी अन्य स्रोत से निधि में दी गई रकम; और

(घ) निधि में रकम के विनिधान से आय।

(3) ऐसी कोई कंपनी, जिसने निधि में किसी रकम का अभिदाय किया है, इस अध्याय या अध्याय 20 के अधीन ऐसी कंपनी के संबंध में कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की दशा में, कर्मकारों को संदाय करने, कंपनी की आस्तियों की संरक्षा करने या कार्यवाहियों के दौरान आनुषंगिक खर्चों को पूरा करने के लिए उसके द्वारा अभिदाय की गई रकम से अनधिक निधियों को वापस लेने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगी ।

(4) निधि का प्रबंध केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नियुक्त किए जाने वाले किसी प्रशासक द्वारा किया जाएगा ।

अध्याय 20

परिसमापन

परिसमापन के ढंग ।

270. (1) किसी कंपनी का परिसमापन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा,—

(क) अधिकरण द्वारा; या

(ख) स्वेच्छया ।

(2) किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी ढंग में परिसमापन से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध, किसी कंपनी के परिसमापन को लागू होंगे ।

भाग 1

अधिकरण द्वारा परिसमापन

271. (1) किसी कंपनी का धारा 272 के अधीन याचिका पर अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा, —

वे परिस्थितियां, जिनमें अधिकरण द्वारा किसी कंपनी का परिसमापन किया जा सकेगा ।

(क) यदि कंपनी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है;

(ख) यदि कंपनी ने, विशेष संकल्प द्वारा, यह संकल्प लिया है कि कंपनी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाए;

(ग) यदि कंपनी ने भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हितों के विरुद्ध कार्य किया है;

(घ) यदि अधिकरण ने अध्याय 19 के अधीन कम्पनी परिसमापन का आदेश दिया है;

(ङ) यदि रजिस्ट्रार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, अधिकरण की यह राय है कि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन कपटपूर्ण रीति में किया गया है या कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण और अविधिपूर्ण प्रयोजन के लिए किया गया था या उसके निर्माण या उसके कार्यकलापों के प्रबंध से संबद्ध व्यक्ति, उसके संबंध में कपट, अपकरण या कदाचार के दोषी रहे हैं और यह उचित है कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाए;

(च) यदि कंपनी ने ठीक पूर्ववर्ती पांच क्रमवर्ती वित्तीय वर्षों के अपने वित्तीय ब्यौरे या वार्षिक विवरणी को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में व्यतिक्रम किया है;या

(छ) यदि अधिकरण की यह राय है कि यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण होगा कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाए ।

(2) कोई कंपनी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ समझी जाएगी,—

(क) यदि ऐसे किसी लेनदार ने, जिसकी कंपनी शोध्य रकम से एक लाख रुपए से अधिक की रकम की ऋणी है, समनुदेशन द्वारा या अन्यथा, कंपनी को इस प्रकार शोध्य रकम का संदाय करने की कंपनी से अपेक्षा करने वाली मांग की, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्यथा उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में, परिदत्त कराकर, तामील की है और कंपनी उस मांग की प्राप्ति के पश्चात् इक्कीस दिन के भीतर उस राशि का संदाय करने और लेनदार के युक्तियुक्त समाधान में ऋण की उपयुक्त प्रतिभूति या पुनर्संरचना या शमन प्रदान करने में असफल रही है;

(ख) यदि कंपनी के किसी लेनदार के पक्ष में किसी न्यायालय या अधिकरण की डिक्री या आदेश के संबंध में जारी किए गए किसी निष्पादन या अन्य आदेशिका को पूर्णरूप में या भागरूप में असमाधानप्रद रूप में वापस कर दिया जाता है;या

(ग) यदि अधिकरण के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि कंपनी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है, और यह अवधारण करने कि क्या कंपनी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है, अधिकरण कंपनी के आकस्मिक और भावी दायित्वों को ध्यान में रखेगा ।

परिसमापन के लिए याचिका ।

272. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कंपनी के परिसमापन के लिए अधिकरण को कोई याचिका निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जाएगी,—

(क) कंपनी द्वारा;

(ख) किसी लेनदार या लेनदारों द्वारा, जिसके अंतर्गत कोई आकस्मिक या भावी लेनदार भी है या हैं;

(ग) किसी अभिदाता या अभिदाताओं द्वारा;

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी व्यक्ति द्वारा एक साथ;

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा;

(च) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; या

(छ) धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ।

(2) किसी प्रतिभूत लेनदार, किन्हीं डिबेंचरधारियों, चाहे ऐसे या इसी प्रकार के अन्य डिबेन्चरों के संबंध में कोई न्यासी नियुक्त किया गया है या किए गए हैं या नहीं और डिबेंचरधारियों के न्यासी को उपधारा (1) के खंड (ख) के अर्थ के भीतर लेनदार समझा जाएगा ।

(3) कोई अभिदाता किसी कंपनी के परिसमापन के लिए इस बात के होते हुए भी याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा कि वह पूर्ण समादत्त शेयरों का धारक हो सकता है, या कंपनी के पास अंततः कोई आस्तियां नहीं हों और अपने दायित्वों और शेयरों का, जिसके संबंध में वह अभिदाता है, समाधान करने के पश्चात् शेयर धारकों के बीच वितरण के लिए कोई अधिशेष आस्तियां नहीं बची हों या परिसमापन के प्रारंभ से ठीक पूर्व अठारह मास के दौरान, कम से कम छह मास के लिए, उनमें से कुछ मूल रूप से उसे आबंटित की गई थी या उसके द्वारा धारित और उसके नाम में रजिस्ट्रीकृत की गई हैं या किसी पूर्वधारक की मृत्यु के कारण उसको सुपुर्द हुई हैं ।

(4) रजिस्ट्रार, धारा 271 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों में से, किसी आधार पर उस उपधारा के खंड (ख), खंड (घ) या खंड (छ) में विनिर्दिष्ट आधार के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रार इस आधार पर, याचिका तब तक प्रस्तुत नहीं करेगा कि कंपनी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है, जब तक कंपनी के तुलनपत्र में यथाप्रकटित उसकी वित्तीय स्थिति से या धारा 210 के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक की रिपोर्ट से उसको यह प्रतीत नहीं होता है कि कंपनी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रार याचिका प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा :

परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार, अपनी मंजूरी तब तक नहीं देगी, जब तक कंपनी को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) अधिकरण के समक्ष परिसमापन के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका केवल तभी ग्रहण की जाएगी, जब उसके साथ ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, कार्यकलापों का विवरण होगा ।

(6) किसी आकस्मिक या भावी लेनदार द्वारा किसी कंपनी के परिसमापन की याचिका ग्रहण किए जाने से पूर्व, याचिका के ग्रहण किए जाने के लिए अधिकरण की अनुमति प्राप्त की जाएगी और ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अधिकरण की राय में कंपनी के परिसमापन के लिए प्रथमदृष्टया मामला न हो और खर्चों के लिए ऐसी प्रतिभूति नहीं दे दी गई हो, जो अधिकरण युक्तियुक्त समझे ।

(7) इस धारा के अधीन की गई याचिका की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भी फाइल की जाएगी और रजिस्ट्रार, किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी याचिका के प्राप्त हो जाने के साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपने विचार प्रस्तुत करेगा।

अधिकरण की शक्तियां।

273. (1) अधिकरण धारा 272 के अधीन परिसमापन के लिए किसी याचिका की प्राप्ति पर निम्नलिखित कोई आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उसे खर्चों सहित या उसके बिना खारिज करना;

(ख) ऐसा कोई अंतरिम आदेश करना, जो वह ठीक समझे;

(ग) परिसमापन आदेश किए जाने तक कंपनी के अनंतिम समापक की नियुक्ति करना;

(घ) खर्चों सहित या उसके बिना कंपनी के परिसमापन के लिए कोई आदेश करना, जो वह ठीक समझे; या

(ङ) ऐसा कोई अन्य आदेश, जो वह ठीक समझे :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश, याचिका प्रस्तुत किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और कि अधिकरण, खंड (ग) के अधीन अनंतिम समापक की नियुक्ति करने से पूर्व, कंपनी को सूचना देगा और जब तक अधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उस सूचना को निपटाना ठीक न समझे, उसे अपने अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह भी कि अधिकरण परिसमापन का कोई आदेश करने से केवल इस आधार पर इंकार नहीं करेगा कि कंपनी की आस्तियां, उन आस्तियों के बराबर या उनसे अधिक किसी रकम के लिए बंधक रखी गई हैं या कंपनी की कोई आस्तियां नहीं हैं ।

(2) जहां कोई याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की जाती है कि यह न्यायसंगत या साम्यापूर्ण है कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए, वहां अधिकरण, यदि उसकी यह राय है कि याचियों को कोई अन्य उपचार उपलब्ध हैं और वे यह कि उस अन्य उपचार पर जोर देने के बजाय कंपनी का परिसमापन किए जाने के लिए अनुपयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं तो वह परिसमापन का आदेश करने से इंकार कर सकेगा ।

कार्यकलापों का विवरण फाइल करने के लिए निदेश ।

274. (1) जहां अधिकरण के समक्ष परिसमापन के लिए कोई आवेदन, कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है, वहां अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कंपनी के परिसमापन के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो वह आदेश द्वारा कंपनी को, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपने कार्यकलापों के विवरण के साथ अपने आक्षेप फाइल करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु अधिकरण अनिश्चित या विशेष परिस्थितियों की स्थिति में तीस दिन की और अवधि अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि अधिकरण याची को खर्चे के लिए ऐसी प्रतिभूति जमा करने का निदेश दे सकेगा, जो वह कंपनी को निदेश जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में युक्तियुक्त समझे ।

(2) कोई कंपनी, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यकलापों का विवरण फाइल करने में असफल रहती है, याचिका का विरोध करने के अधिकार से वंचित हो जाएगी और कंपनी के ऐसे निदेशक और अधिकारी, जो उस अननुपालन के लिए उत्तरदायी पाए जाएंगे, उपधारा (4) के अधीन दंड के दायी होंगे ।

(3) ऐसी कंपनी के, जिसके संबंध में धारा 273 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अधिकरण द्वारा कोई परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, निदेशक और अन्य अधिकारी ऐसे आदेश से तीस दिन के भीतर कंपनी की लागत पर कंपनी की पूरी और आदेश की तारीख तक संपरीक्षित लेखाबहियों को ऐसे परिसमापक को और अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत करेंगे।

(4) यदि कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो कंपनी का निदेशक या अधिकारी जो व्यतिक्रमी है ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(5) रजिस्ट्रार, अनंतिम समापक, कंपनी समापक या अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष इस निमित्त शिकायत फाइल की जा सकेगी।

कंपनी समापक और उनकी नियुक्ति ।

275. (1) अधिकरण द्वारा, कंपनी के परिसमापन के प्रयोजनों के लिए, अधिकरण परिसमापन का आदेश पारित करते समय किसी शासकीय समापक की नियुक्ति करेगा या उपधारा (2) के अधीन अनुरक्षित पैनल में से कंपनी समापक की नियुक्ति करेगा।

(2) यथास्थिति, अनंतिम समापक या कंपनी समापक की नियुक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा रखे गए ऐसे पैनल से की जाएगी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अधिवक्ताओं, कंपनी सचिवों, लागत लेखापालों या ऐसी फर्मों या निगमित निकायों, जिनमें ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल या ऐसे अन्य वृत्तिक हों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं या ऐसे वृत्तिकों के संयोजन वाले फर्म या व्यक्तियों के निगमित निकाय जो विहित किए जाएं, से हों और जिनके पास कंपनी मामलों में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

(3) जहां अधिकरण द्वारा अनंतिम समापक की नियुक्ति की गई है वहां अधिकरण उसकी नियुक्ति के आदेश द्वारा या किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा उसकी शक्तियां सीमित और निर्बंधित कर सकेगा, किन्तु अन्यथा उसके पास एक समापक के रूप में वही शक्तियां होंगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन रखे गए पैनल से किसी व्यक्ति या फर्म या निगमित निकाय के नाम को कदाचार, कपट, अपकरण, कर्तव्य भंग या वृत्तिक अक्षमता के आधारों पर हटा सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार पैनल से उसे हटाए जाने से पूर्व उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगी ।

(5) किसी अनंतिम समापक या कम्पनी समापक की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उसे संदेय फीस, ऐसे समापक द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित कार्य, अनुभव, अर्हता और कंपनी के स्वरूप के आधार पर अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(6) यथास्थिति, अनंतिम समापक या कंपनी समापक के रूप में नियुक्त किए जाने पर, ऐसा समापक, अपनी नियुक्ति के संबंध में अधिकरण के साथ हित का विरोध या स्वतंत्रता का अभाव यदि कोई हो, को प्रकट करते हुए विहित प्ररूप में एक घोषणा, नियुक्ति की तारीख से सात दिन के भीतर फाइल करेगा और ऐसी बाध्यता उसकी नियुक्ति की संपूर्ण अवधि के दौरान बनी रहेगी।

(7) अधिकरण, परिसमापन आदेश पारित करते समय, धारा 273 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त अनंतिम समापक को, यदि कोई हो, कंपनी के परिसमापन की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए, कंपनी समापक के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

समापक का हटाया जाना और बदला जाना।

276. (1) अधिकरण, युक्तियुक्त कारण दर्शित किए जाने पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, कंपनी समापक के रूप में, यथास्थिति, अनंतिम समापक या कंपनी समापक को निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर हटा सकेगा, अर्थात् :—

(क) कदाचार;

(ख) कपट या अपकरण;

(ग) वृत्तिक अक्षमता या शक्तियों और कृत्यों के पालन में सम्यक् तत्परता और सावधानी का प्रयोग करने में असफलता;

(घ) यथास्थति, अनंतिम समापक या कम्पनी समापक के रूप में कार्य करने में असमर्थता;

(ङ) अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान हित विरोध या स्वतंत्रता का अभाव जो, उसके हटाए जाने को न्यायसंगत बनाए ।

(2) यथास्थति, अंनतिम समापक या कम्पनी समापक की मृत्यु, पद त्याग या उसके हटाए जाने की दशा में, अधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उसे समनुदेशित कार्य किसी अन्य कंपनी समापक को, अंतरित कर सकेगा ।

(3) जहां अधिकरण की यह सय है कि कोई समापक कपट या अपकरण या अपनी शक्तियों या कृत्यों के पालन में सम्यक् तत्परता और सावधानी का प्रयोग करने में असफल रहने के कारण कंपनी को कोई हानि या नुकसानी कारित करने के लिए उत्तरदायी है, वहां अधिकरण, समापक से ऐसी हानि या नुकसानी की वसूली कर सकेगा या वसूली करा सकेगा और ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) अधिकरण इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व अंनतिम समापक या कंपनी समापक को, यथास्थिति, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

कंपनी समापक, अनंतिम समापक और रजिस्ट्रार को सूचना ।

277. (1) जहां अधिकरण अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए या किसी कंपनी के परिसमापन के लिए कोई आदेश करता है, वहां वह इस आदेश को पारित करने की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि के भीतर उसकी सूचना, यथास्थिति, कंपनी समापक या अनंतिम समापक और रजिस्ट्रार को भेजेगा।

(2) अनंतिम समापक की नियुक्ति के आदेश या परिसमापन आदेश की प्रति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, कंपनी से संबंधित अपने अभिलेखों में उस आशय का पृष्ठांकन करेगा और राजपत्र में यह अधिसूचित करेगा कि ऐसा आदेश कर दिया गया है और किसी सूचीबद्ध कंपनी की दशा में रजिस्ट्रार यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या आदेश के बारे में ऐसे शेयर बाजार या बाजारों को सूचना देगा जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

(3) परिसमापन आदेश को कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों या कर्मकारों को उन्मोचित करने की सूचना समझा जाएगा सिवाय इसके जब कंपनी का कारबार चालू है।

(4) परिसमापन आदेश पारित होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर इस धारा की उपधारा (5) में यथा उपबंधित कृत्य करने के लिए कंपनी समापक द्वारा समापन कार्यवाहियों में सहायता और मानीटर करने के लिए परिसमापन समिति का गठन करने के लिए कंपनी समापक एक आवेदन अधिकरण को करेगा और ऐसी परिसमापन समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी—

(i) अधिकरण से संलग्न शासकीय समापक;

(ii) प्रतिभूत लेनदारों का नामनिर्देशिती ; और

(iii) अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित कोई वृत्तिक।

(5) कंपनी समापक परिसमापन समिति की बैठक का संयोजक होगा जो समापन कार्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में समापन कार्यवाहियों में सहायता और मानीटर करेगा, अर्थात्:—

(i) आस्तियां ग्रहण करना;

(ii) कार्यों की विवरणी की परीक्षा करना;

(iii) कंपनी की संपत्ति, नकदी और अन्य आस्तियों, जिसके अंतर्गत इनसे प्राप्त फायदे भी हैं, की वसूली करना;

(iv) कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों और लेखाओं का पुनर्विलोकन करना;

(v) आस्तियों का विक्रय;

(vi) लेनदारों और अभिदायकर्ताओं की सूची को अंतिम रूप देना;

(vii) दावों का समझौता, परित्याग और परिनिर्धारण करना;

(viii) लाभांश, यदि कोई हो, का संदाय करना; और

(ix) कोई अन्य कार्य, जो अधिकरण समय-समय पर निदेश करे।

(6) कंपनी समापक, अधिकरण के समक्ष कंपनी का विघटन करने के लिए अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने तक, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित मासिक आधार पर समिति की बैठकों के कार्यवृत्त के साथ अधिकरण के समक्ष एक रिपोर्ट रखेगा ।

(7) कंपनी समापक परिसमापन समिति के विचार और अनुमोदन के लिए अंतिम रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करेगा ।

(8) इस प्रकार परिसमापन समिति द्वारा अनुमोदित अंतिम रिपोर्ट कंपनी समापक द्वारा कंपनी की बाबत विघटन आदेश पारित करने के लिए अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

परिसमापन आदेश का प्रभाव ।

278. किसी कंपनी के परिसमापन का आदेश कंपनी के सभी लेनदारों और सभी अभिदाताओं के पक्ष में इस प्रकार प्रभावी होगा, मानो वह लेनदारों और अभिदाताओं की संयुक्त याचिका पर किया गया हो ।

279. (1) जब कोई परिसमापन आदेश पारित किया गया है या अनंतिम समापक की नियुक्ति की गई है तो अधिकरण की इजाजत और ऐसे निबंधनों के अधीन रहने के सिवाय, जो अधिकरण अधिरोपित करे, कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी या यदि वह परिसमापन आदेश की तारीख को लंबित है तो उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी : परिसमापन आदेश पर वादों, आदि पर रोक ।

परंतु इस धारा के अधीन अधिकरण को किए गए अनुमति लेने की मांग करने वाले किसी आवेदन का साठ दिन के भीतर अधिकरण द्वारा निपटारा किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित किसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी ।

280. अधिकरण को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता होगी,— अधिकरण की अधिकारिता ।

(क) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही;

(ख) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा, जिसके अंतर्गत भारत में उसकी किसी शाखा द्वारा या उसके विरुद्ध दावे भी हैं;

(ग) धारा 233 के अधीन किया गया कोई आवेदन;

(घ) धारा 262 के अधीन प्रस्तुत कोई स्कीम ;

(ङ) पूर्विकताओं का कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रश्न, चाहे विधि का हो या तथ्य का, जिसके अन्तर्गत कंपनी के परिसमापन से संबंधित आस्तियां, कारबार, कार्रवाइयां, अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, फायदे, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, बाध्यताएं भी हैं, जो कंपनी के परिसमापन से संबंधित या उसके अनुक्रम में उद्भूत किसी मामले में हों,

चाहे ऐसे वाद या कार्यवाही का संस्थित किया जाना या ऐसे दावा या प्रश्न का उद्भूत होना या ऐसे आवेदन का किया जाना या ऐसी स्कीम का प्रस्तुत किया जाना कम्पनी के परिसमापन का आदेश किए जाने के पूर्व हो या उसके पश्चात् हो ।

281. (1) जहां अधिकरण ने परिसमापन आदेश दिया है या किसी कंपनी समापक की नियुक्ति की है, वहां ऐसा समापक, आदेश से साठ दिन के भीतर, अधिकरण को निम्नलिखित विशिष्टियों वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :— कंपनी समापक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

(क) कंपनी की आस्तियों का स्वरूप और ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनकी अवस्थिति और मूल्य भी है, जिसमें पृथक् रूप से हाथ में और बैंक में नकदी, यदि कोई हो, और कंपनी द्वारा धारित परक्राम्य प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, का कथन हो :

परंतु आस्तियों का मूल्यांकन इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों से प्राप्त किया जाएगा ;

(ख) पुरोधृत, अभिदत्त और समादत्त पूंजी की रकम ;

(ग) लेनदारों के नाम, पते और व्यवसाय सहित कंपनी के विद्यमान और आकस्मिक दायित्व, जिसमें पृथक् रूप से प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋणों की रकम और प्रतिभूत ऋणों की दशा में, दी गई प्रतिभूतियों की विशिष्टियां, चाहे कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा, उनका मूल्य और उन तारीखों का, जिनको वे दी गई थीं, का कथन हो ;

(घ) कंपनी को शोध्य ऋण और उन व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय, जिनसे वे शोध्य हैं और उस मद्दे वसूल की जाने वाली संभावित रकम;

(ङ) कंपनी द्वारा विस्तारित की गई प्रत्याभूतियां, यदि कोई हों;

(च) अभिदाताओं की सूची और उनके द्वारा संदेय बकाया, यदि कोई हो और किसी असंदत्त मांग के ब्यौरे;

(छ) कंपनी के स्वामित्वाधीन व्यवसाय चिह्नों और बौद्धिक संपदाओं, यदि कोई हों, के ब्यौरे;

(ज) अस्तित्वयुक्त संविदाओं, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे;

(झ) धारक और समनुषंगी कंपनियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे;

(ञ) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए विधिक मामलों के ब्यौरे; और

(ट) ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो अधिकरण निदेश करे या कंपनी समापक सम्मिलित करना आवश्यक समझे ।

(2) कंपनी समापक अपनी रिपोर्ट में वह रीति, जिसमें कंपनी का सम्प्रवर्तन या निर्माण किया गया था, और क्या उसकी राय में उसके सम्प्रवर्तन या निर्माण में किसी व्यक्ति द्वारा या कंपनी के निर्माण से उसके संबंध में किसी अधिकारी द्वारा कोई कपट किया गया है और ऐसे किन्हीं अन्य विषयों को सम्मिलित करेगा, जो उसकी राय में अधिकरण की जानकारी में लाए जाने के लिए वांछनीय हैं ।

(3) कंपनी समापक, कंपनी के कारबार की व्यवहार्यता और उन उपायों के बारे में भी रिपोर्ट देगा, जो उसकी राय में कंपनी की आस्तियों के मूल्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है ।

(4) कंपनी समापक, यदि वह ठीक समझे तो कोई अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें भी दे सकेगा ।

(5) कंपनी के लेनदार या अभिदाता के रूप में लिखित में स्वयं को वर्णित करने वाला कोई व्यक्ति, सभी युक्तियुक्त समयों पर, स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा इस धारा के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का निरीक्षण करने और विहित फीस का संदाय करने पर, उसकी प्रतियां या उससे उद्धरण लेने के लिए हकदार होगा ।

कंपनी समापक की रिपोर्ट पर अधिकरण के निदेश ।

282. (1) अधिकरण, कंपनी समापक की रिपोर्ट पर विचार करने पर, ऐसी कोई समय-सीमा नियत कर सकेगा, जिसके भीतर समस्त कार्यवाहियां पूरी की जाएंगी और कंपनी विघटित की जाएगी :

परंतु अधिकरण, यदि कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में या कंपनी समापक द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की परीक्षा करने पर और कंपनी समापक, लेनदारों या अभिदाताओं या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को सुनने के पश्चात्, उसकी यह राय है कि कार्यवाहियों का जारी रखा जाना फायदेमंद या मितव्ययी नहीं होगा तो वह उस समय-सीमा को, जिसके भीतर समस्त कार्यवाहियां पूरी की जाएंगी और कंपनी विघटित की जाएगी, पुनरीक्षित कर सकेगा ।

(2) अधिकरण, कंपनी समापक द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की परीक्षा करने पर और कंपनी समापक, लेनदारों और अभिदाताओं या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को सुनने के पश्चात्, चालू समुत्थान के रूप में कंपनी या उसकी आस्तियों या उसके भाग के विक्रय का आदेश कर सकेगा :

परंतु अधिकरण, जहां वह ठीक समझे, कंपनी के ऐसे लेनदारों, संप्रवर्तकों और अधिकारियों से मिलकर बनने वाली एक विक्रय समिति नियुक्त कर सकेगा, जो अधिकरण, इस उपधारा के अधीन विक्रय में कंपनी समापक की सहायता करने के लिए विनिश्चय करे ।

(3) जहां कंपनी समापक या केंद्रीय सरकार या किसी व्यक्ति से यह रिपोर्ट प्राप्त होती है कि कंपनी के संबंध में कोई कपट किया गया है, वहां अधिकरण परिसमापन की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 210 के अधीन अन्वेषण का आदेश देगा और ऐसे अन्वेषण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, वह धारा 339 से धारा 342 के अधीन आदेश पारित कर सकेगा और निदेश करेगा या कंपनी समापक को कपट कारित करने में अन्तर्वलित व्यक्तियों के विरुद्ध दांडिक परिवाद फाइल करने का निदेश करेगा ।

(4) अधिकरण, ऐसे कदम उठाने और उपाय करने के लिए आदेश कर सकेगा, जो कंपनी की आस्तियों के मूल्य की संरक्षा, उसे बनाए रखने या वृद्धि के लिए आवश्यक हो।

(5) अधिकरण ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

कंपनी की संपत्तियों की अभिरक्षा ।

283. (1) जहां कोई परिसमापन आदेश किया गया है या जहां किसी अनंतिम समापक की नियुक्ति की गई है, वहां, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक, अधिकरण के आदेश पर तुरंत सभी संपत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे, जिनके लिए कंपनी हकदार है या हकदार प्रतीत हो अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रणाधीन लेगा, और ऐसे कदम उठाएगा और उपाय करेगा, जो कंपनी की संपत्तियों की संरक्षा और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी की सभी संपत्ति और चीजबस्त, कंपनी के परिसमापन के आदेश की तारीख से अधिकरण की अभिरक्षा में समझी जाएंगी ।

(3) अधिकरण, कंपनी समापक द्वारा आवेदन पर या अन्यथा, परिसमापन आदेश किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, अभिदाताओं की सूची पर तत्समय किसी अभिदाता और कंपनी के किसी न्यासी, रिसीवर, बैंककार, अभिकर्ता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से, तुरंत या ऐसे समय के भीतर, जो अधिकरण निदेश करे, उसकी अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन कोई धनराशि, संपत्ति या पुस्तक और कागजपत्र कंपनी समापक को संदत्त, परिदत्त, अभ्यर्पित या अंतरित करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसके लिए कंपनी हकदार है या हकदार प्रतीत होती है ।

संप्रवर्तकों, निदेशकों, आदि द्वारा कंपनी समापक से सहयोग किया जाना।

284. (1) कंपनी के संप्रवर्तक, निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी, जो कंपनी के नियोजन में हैं या रहे हैं या कार्य कर रहे हैं या सहयोजित हैं, कंपनी समापक को उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्ण सहयोग देंगे ।

(2) जहां कोई व्यक्ति, युक्तियुक्त कारण के बिना, उपधारा (1) के अधीन अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने में असफल रहेगा, वहां वह ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

अभिदाताओं की सूची का तय किया जाना और आस्तियों का उपयोजन ।

285. (1) अधिकरण द्वारा परिसमापन आदेश पारित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, अधिकरण, अभिदाताओं की सूची तय करेगा, ऐसे सभी मामलों में सदस्यों के रजिस्टर का सुधार कराएगा, जिनमें इस अधिनियम के अनुसरण में सुधार अपेक्षित है और कंपनी की आस्तियों का उपयोग उसके दायित्व के निर्वहन के लिए कराएगा :

परंतु जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि अभिदाताओं को मांग करना या उनके अधिकारों का समायोजन करना आवश्यक नहीं होगा वहां अधिकरण अभिदाताओं की सूची तय किए जाने से अभिमुक्ति दे सकेगा ।

(2) अभिदाताओं की सूची तय करने में अधिकरण उन व्यक्तियों के बीच अंतर रखेगा, जो अपने स्वयं के अधिकार में अभिदाता हैं और जो अन्य व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में या उनके ऋणों के लिए दायी होने के कारण अभिदाता हैं ।

(3) अधिकरण अभिदाताओं की सूची तय करते समय प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य है या रहा है, सम्मिलित करेगा, जो ऋणों और दायित्वों तथा परिसमापन के खर्चों, प्रभारों और व्ययों के संदाय के लिए और अपने बीच अभिदाताओं के अधिकारों के समायोजन के लिए पर्याप्त रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कंपनी की आस्तियों में अभिदाय करने के लिए दायी होगा, अर्थात् :—

(क) कोई व्यक्ति जो सदस्य रहा है अभिदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह परिसमापन के प्रारंभ से पूर्व, पूर्ववर्ती एक या अधिक वर्षों के लिए सदस्य नहीं रहा है;

(ख) कोई व्यक्ति जो सदस्य रहा है अपने सदस्य न रहने के पश्चात् संविदा किए गए कंपनी के किसी ऋण या दायित्व की बाबत अभिदाय करने के लिए दायी नहीं होगा;

(ग) कोई व्यक्ति जो सदस्य रहा है अभिदाय करने के लिए तब तक दायी नहीं होगा, जब तक अधिकरण को यह प्रतीत नहीं होता है कि विद्यमान सदस्य इस अधिनियम के अनुसरण में उनके द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदायों को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(घ) शेयरों द्वारा परिसीमित किसी कंपनी की दशा में, किसी व्यक्ति से जो सदस्य है या रहा है, उन शेयरों के संबंध में, जिनके लिए वह ऐसे सदस्य के रूप में दायी है, असंदत्त रकम से, यदि कोई है, अधिक रकम का अभिदाय अपेक्षित नहीं होगा;

(ङ) प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित किसी कंपनी की दशा में किसी व्यक्ति से जो सदस्य है या रहा है, कंपनी के परिसमापन की दशा में कंपनी की आस्तियों में उसके द्वारा अभिदाय किए जाने के लिए वचनबंध की गई रकम से अधिक का अभिदाय अपेक्षित नहीं होगा, किंतु यदि कंपनी की कोई शेयर पूंजी है तो ऐसा सदस्य, उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में असंदत्त किसी राशि की सीमा तक इस प्रकार अभिदाय करने के लिए दायी होगा, मानो कंपनी शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी हो ।

निदेशकों और प्रबंधकों की बाध्यता ।

286. किसी सीमित कंपनी की दशा में, कोई व्यक्ति जो निदेशक या प्रबंधक है या रहा है, जिसका दायित्व इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन असीमित है, किसी साधारण सदस्य के रूप में अभिदाय करने के अपने दायित्व के अतिरिक्त, यदि कोई हो, और अभिदाय करने के लिए इस प्रकार दायी होगा, मानो वह परिसमापन के प्रारंभ पर किसी असीमित कंपनी का सदस्य हो :

परंतु,—

(क) कोई व्यक्ति जो निदेशक या प्रबंधक रहा है ऐसा और अभिदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह परिसमापन के प्रारंभ से पूर्व एक या अधिक वर्षों तक पद पर नहीं रहा है;

(ख) कोई व्यक्ति जो निदेशक या प्रबंधक रहा है उसके पद पर न रह जाने के पश्चात् संविदा किए गए कंपनी के किसी ऋण या दायित्व की बाबत ऐसा और अभिदाय करने के लिए दायी नहीं होगा;

(ग) कंपनी के अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए, कोई निदेशक या प्रबंधक ऐसा और अभिदाय करने के लिए तब तक दायी नहीं होगा, जब तक अधिकरण कंपनी के ऋणों और दायित्वों तथा परिसमापन के खर्चों, प्रभारों और व्ययों को पूरा करने के लिए अभिदाय की अपेक्षा करना आवश्यक न समझे ।

287. (1) अधिकरण, किसी कंपनी के परिसमापन का आदेश पारित करते समय, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विषयों के संबंध में, जो अधिकरण निदेश करे, कंपनी समापक को सलाह देने और अधिकरण को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की एक सलाहकार समिति होगी । सलाहकार समिति ।

(2) अधिकरण द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति में बारह से अनधिक ऐसे सदस्य होंगे, जो कंपनी के लेनदार और अभिदाता हैं या ऐसे अनुपात में, ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें अधिकरण परिसमापन के अधीन कंपनी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निदेश करे ।

(3) कंपनी समापक ऐसे व्यक्तियों का अवधारण करने में, जो सलाहकार समिति के सदस्य हो सकेंगे, अधिकरण को समर्थ बनाने के लिए परिसमापन के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर कंपनी की पुस्तकों और दस्तावेजों से यथा अभिनिश्चित लेनदारों और अभिदाताओं का अधिवेशन बुलाएगा ।

(4) सलाहकार समिति को युक्तियुक्त समय पर, परिसमापन के अधीन कंपनी की लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों, आस्तियों और संपत्तियों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(5) अधिवेशन बुलाए जाने से संबंधित उपबंध, उसमें अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और कंपनी द्वारा कारबार का संचालन करने से संबंधित अन्य विषय वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(6) सलाहकार समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता कंपनी समापक द्वारा की जाएगी ।

288. (1) कंपनी समापक, अधिकरण को आवधिक रिपोर्टें देगा और किसी भी दशा में, कंपनी के परिसमापन की प्रकृति के संबंध में, प्रत्येक तिमाही के अंत में एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए । अधिकरण को आवधिक रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ।

(2) अधिकरण, कंपनी समापक द्वारा आवेदन पर उसके द्वारा किए गए आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे उपांतरण कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

289. (1) अधिकरण, परिसमापन आदेश करने के पश्चात् किसी भी समय, संप्रवर्तक, शेयर धारकों या लेनदारों या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर, यदि उसका समाधान हो जाता है तो ऐसा आदेश कर सकेगा कि यह न्यायसंगत और उचित है कि कार्यवाहियों पर एक सौ अस्सी दिन से अनधिक के ऐसे समय के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, रोक लगाकर, कंपनी को पुनरुज्जीवन और पुनरुद्धार का अवसर दिया जाए : परिसमापन रोकने के आवेदन के संबंध में अधिकरण की शक्ति ।

परंतु अधिकरण द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई आदेश, केवल तभी दिया जाएगा, जब आवेदन के साथ पुनरुद्धार की स्कीम लगाई गई हो ।

(2) अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करते समय, आवेदक से खर्चों के बारे में ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) जहां अधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां कंपनी के पुनरुज्जीवन की स्कीम पर विचार किए जाने और मंजूरी के संबंध में अध्याय 19 के उपबंधों का अनुसरण किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकरण, परिसमापन आदेश करने के पश्चात् किसी भी समय, कंपनी समापक के आवेदन पर, परिसमापन कार्यवाहियों या उसके किसी भाग के संबंध में, ऐसे समय के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, रोक लगाने का आदेश कर सकेगा ।

(5) अधिकरण, इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, कंपनी समापक से ऐसे किन्हीं तथ्यों या विषयों की बाबत उसे रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में आवेदन से सुसंगत है ।

(6) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति कंपनी समापक द्वारा तुरंत रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, जो कंपनी से संबंधित अपनी पुस्तकों और अभिलेखों में आदेश का पृष्ठांकन करेगा ।

कंपनी समापक की शक्तियां और कर्तव्य ।

290. (1) अधिकरण द्वारा इस संबंध में दिए गए निदेशों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, अधिकरण द्वारा परिसमापन में कंपनी समापक को, निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—

(क) जहां तक कंपनी के फायदाप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो, कंपनी के कारबार को करना;

(ख) कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से सभी कार्य करना और सभी विलेख, रसीदें और अन्य दस्तावेज निष्पादित करना तथा उस प्रयोजन के लिए, जब कभी आवश्यक हो, कंपनी की मुद्रा का प्रयोग करना;

(ग) कंपनी की स्थावर और जंगम संपत्ति और अनुयोज्य दावों को लोक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को, ऐसी संपत्ति अंतरित करने की शक्ति सहित, विक्रय करना या उन्हें हिस्सों में विक्रय करना;

(घ) कंपनी के संपूर्ण उपक्रम का चालू समुत्थान के रूप में विक्रय करना;

(ङ) कंपनी की आस्तियों की प्रतिभूति पर अपेक्षित कोई धन उगाहना;

(च) कंपनी के नाम में और उसकी ओर से, सिविल या दांडिक, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करना या उसका प्रतिवाद करना;

(छ) लेनदारों, कर्मचारियों या किसी अन्य दावेदार के दावे आमंत्रित करना और निपटाना तथा इस अधिनियम के अधीन स्थापित पूर्विकताओं के अनुसार विक्रय आगम वितरित करना;

(ज) रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकारी की फाइलों पर कंपनी के अभिलेखों और विवरणियों का निरीक्षण करना;

(झ) किसी अभिदाता के दिवालियापन में उसकी संपदा के संबंध में किसी अतिशेष के लिए रैंक और दावे साबित करना और उस अतिशेष के संबंध में दिवालिए से शोध्य और अन्य पृथक् लेनदारों से संबंधित पृथक् ऋण के रूप में दिवाले में लाभांश प्राप्त करना;

(ञ) कंपनी के नाम में और उसकी ओर से कंपनी के दायित्व के संबंध में किन्हीं परक्राम्य लिखतों, जिसके अन्तर्गत चेक, विनिमयपत्र, हुंडी या वचनपत्र भी हैं, को उसी प्रभाव से तैयार करना, स्वीकार करना, बनाना तथा पृष्ठांकित करना, मानो ऐसी लिखतों को कंपनी द्वारा या उसकी ओर से उसके कारबार के अनुक्रम में तैयार, स्वीकार या बनाया या पृष्ठांकित किया गया हो;

(ट) अपने पदीय नाम से किसी मृत अभिदायी के प्रशासन-पत्र तैयार करना और किसी ऐसे अभिदायी या उसकी संपदा से शोध्य किसी धन का संदाय प्राप्त करने के लिए अपने पदीय नाम में ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो कंपनी के नाम

में सहज रूप से नहीं किया जा सकता और ऐसे सभी मामलों में, शोध्य धन, कंपनी समापक को प्रशासन-पत्र तैयार करने या धन की वसूली के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, स्वयं कंपनी समापक को शोध्य समझा जाएगा;

(ठ) किसी व्यक्ति से कोई वृत्तिक सहायता प्राप्त करना या अपने कर्तव्यों, बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी वृत्तिक की और कंपनी की आस्तियों की संरक्षा के लिए ऐसा कोई कारोबार करने वाले अभिकर्ता की नियुक्ति करना, जिसे कंपनी समापक स्वयं करने में असमर्थ है;

(ड) ऐसी सभी कार्रवाईयां, कार्यवाहियां करना या किसी कागजपत्र, विलेख, दस्तावेज, आवेदन, याचिका, शपथपत्र, बंधपत्र या लिखत पर हस्ताक्षर, उसका निष्पादन या सत्यापन करना, जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक हो,—

(i) कंपनी के परिसमापन के लिए;

(ii) आस्तियों के वितरण के लिए;

(iii) कंपनी समापक के रूप में अपने कर्तव्यों और बाध्यताओं तथा कृत्यों के निर्वहन में; और

(ढ) अधिकरण को ऐसे आदेशों और निदेशों के लिए आवेदन करना, जो कंपनी के परिसमापन के लिए आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कंपनी समापक द्वारा शक्तियों का प्रयोग अधिकरण के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी, कंपनी समापक ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अधिकरण इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

कंपनी समापक को वृत्तिक सहायता के लिए उपबंध ।

291. (1) कंपनी समापक, अधिकरण की मंजूरी से, एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों या ऐसे अन्य वृत्तिकों को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) इस धारा के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति विहित प्ररूप में अपनी नियुक्ति की बाबत हित के किसी विरोध या स्वतंत्रता की कमी को तुरंत अधिकरण को प्रकट करेगा ।

कंपनी समापक की शक्तियों का प्रयोग और नियंत्रण ।

292. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कंपनी समापक, कंपनी की आस्तियों का प्रशासन करने में और उसके लेनदारों के बीच उनका वितरण करने में ऐसे किन्हीं निदेशों को ध्यान में रखेगा जो किसी साधारण अधिवेशन में लेनदारों या अभिदाताओं के संकल्प द्वारा या सलाहकार समिति द्वारा दिए जाएं ।

(2) किसी साधारण अधिवेशन में लेनदारों या अभिदाताओं द्वारा दिए गए कोई निदेश, विरोध की दशा में, सलाहकार समिति द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों पर अध्यारोही समझे जाएंगे ।

(3) कंपनी समापक,—

(क) लेनदारों या अभिदाताओं की इच्छाएं अभिनिश्चित करने के लिए, जब कभी वह ठीक समझे, उनके अधिवेशन बुला सकेगा; और

(ख) ऐसे समयों पर ऐसे अधिवेशन बुलाएगा, जो, यथास्थिति, लेनदार या अभिदाता संकल्प द्वारा निदेश दें या जब कभी लेनदारों या अभिदाताओं के मूल्य में एक बटा दस से अन्यून द्वारा लिखित में ऐसा करने का अनुरोध किया जाए ।

(4) कंपनी समापक के किसी कार्य या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और अधिकरण उस कार्य या विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, पुष्ट कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा तथा ऐसा और आदेश कर सकेगा, जो वह उन परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझे ।

कंपनी समापक द्वारा बहियों का रखा जाना ।

293. (1) कंपनी समापक, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, समुचित बहियां रखेगा, जिसमें वह अधिवेशनों में कार्यवाहियों के संबंध में तैयार किए जाने वाले कार्यवृत्त और ऐसे अन्य विषयों की प्रविष्टियां कराएगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) कोई लेनदार या अभिदाता, अधिकरण के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, व्यक्तिगत रूप से या अपने अभिकर्ता के माध्यम से, ऐसी किन्हीं बहियों का निरीक्षण कर सकेगा ।

कंपनी समापक के लेखाओं की संपरीक्षा ।

294. (1) कंपनी समापक, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उचित और नियमित लेखा बहियां रखेगा, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा की गई प्राप्तियों और संदायों के लेखे भी हैं ।

(2) कंपनी समापक, ऐसे समयों पर, जो विहित किए जाएं, किंतु अपनी पदावधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में दो बार से अन्यून, ऐसे समापक के रूप में प्राप्तियों और संदायों के लेखे, दो प्रतियों में विहित प्ररूप में अधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसे ऐसे प्ररूप और रीति में यथा विहित एक घोषणा द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

(3) अधिकरण लेखाओं की संपरीक्षा ऐसी रीति में करवाएगा, जो वह ठीक समझे और संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए कंपनी समापक, अधिकरण को ऐसे वाउचर और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो अधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, और अधिकरण, किसी भी समय, कंपनी समापक द्वारा रखी गई किन्हीं भी लेखा बहियों को प्रस्तुत करने और उनका निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) कंपनी के लेखाओं की संपरीक्षा होने पर, उसकी एक प्रति कंपनी समापक द्वारा अधिकरण को फाइल की जाएगी और दूसरी प्रति रजिस्ट्रार को परिदत्त की जाएगी, जो किसी भी लेनदार, अभिदायकर्ता और हितबद्ध व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी ।

(5) जहां उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई लेखा किसी सरकारी कंपनी से संबंधित है वहां कंपनी समापक उसकी एक प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित करेगा—

(क) केन्द्रीय सरकार को, यदि वह सरकार, उस सरकारी कंपनी की सदस्य है; या

(ख) किसी राज्य सरकार को, यदि वह सरकार, उस सरकारी कंपनी की सदस्य है; या

(ग) केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार को, यदि दोनों सरकारें, सरकारी कंपनी के सदस्य हैं ।

(6) कंपनी समापक संपरीक्षित होने पर लेखाओं या उसके सार को मुद्रित कराएगा और लेखाओं या उसके सार की एक मुद्रित प्रति डाक द्वारा प्रत्येक लेनदार और प्रत्येक अभिदायी को भेजेगा:

परंतु अधिकरण ऐसे किसी भी मामले में, जो वह ठीक समझे, इस उपधारा के उपबंधों का अनुपालन करने से अभिमुक्त कर सकेगा ।

अभिदायी द्वारा ऋणों का संदाय और मुजरे की सीमा ।

295. (1) अधिकरण, परिसमापन आदेश पारित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, अभिदायियों की सूची में तत्समय किसी अभिदायी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश पारित कर सकेगा कि वह उस व्यक्ति की संपदा से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है,

कंपनी को शोध्य किसी धनराशि का, आदेश में निदेश की गई रीति में, संदाय करे, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अनुसरण में किसी मांग के आधार पर उसके या संपदा द्वारा संदेय धनराशि नहीं है ।

(2) अधिकरण, ऐसा आदेश करने में—

(क) अपरिसीमित कंपनी की दशा में, अभिदायी को कंपनी के साथ किसी स्वतंत्र व्यवहार या संविदा पर कंपनी से उसको या उस संपदा को, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, देय किसी धनराशि को मुजरा के रूप में अनुज्ञात कर सकेगा, किंतु किसी ऐसी धनराशि को, जो किसी लाभांश या लाभ के संबंध में कंपनी के सदस्य के रूप में उसे देय है, अनुज्ञात नहीं करेगा; और

(ख) परिसीमित कंपनी की दशा में, किसी ऐसे निदेशक या प्रबंधक को, जिसका उत्तरदायित्व असीमित है या उसकी संपदा को, ऐसा मुजरा अनुज्ञात करेगा ।

(3) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, चाहे परिसीमित हो या अपरिसीमित, जब सभी लेनदारों को पूर्ण संदाय कर दिया गया है, कंपनी से अभिदायी को किसी भी प्रकार के किसी खाते में देय कोई धनराशि किसी पश्चात्वर्ती मांग के संबंध में मुजरे के रूप में उसे अनुज्ञात की जा सकेगी ।

मांग करने की अधिकरण की शक्ति ।

296. अधिकरण, परिसमापन आदेश पारित करने के पश्चात् और कंपनी की आस्तियों की पर्याप्तता अभिनिश्चित करने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय—

(क) अभिदाताओं की सूची में तत्समय सभी या किसी अभिदाता से उनके दायित्व की सीमा तक ऐसी किसी धनराशि के संदाय के लिए मांग कर सकेगा, जो अधिकरण कंपनी के ऋणों और दायित्वों तथा परिसमापन के खर्चों, प्रभारों और व्ययों को चुकाने और अभिदाताओं के बीच उनके अधिकारों के समायोजन के लिए आवश्यक समझे; और

(ख) इस प्रकार की गई किन्हीं मांगों के संदाय के लिए आदेश कर सकेगा ।

अभिदाताओं के अधिकारों का समायोजन ।

297. अधिकरण, अभिदाताओं के अधिकारों का उनके बीच समायोजन करेगा और किसी अधिशेष को उसके लिए हकदार व्यक्तियों के बीच वितरित करेगा ।

खर्चों का आदेश करने की शक्ति ।

298. अधिकरण, किसी कंपनी की आस्तियों का, उसके दायित्वों की तुष्टि करने में अपर्याप्त होने की दशा में, परिसमापन में उपगत खर्चों, प्रभारों और व्ययों का, ऐसी परस्पर पूर्विकता के क्रम में, जो अधिकरण न्यायसंगत और उचित समझे, आस्तियों में से संदाय के लिए आदेश कर सकेगा ।

ऐसे व्यक्तियों को समन करने की शक्ति, जिनके पास कंपनी की संपत्ति, आदि होने का संदेह है ।

299. (1) अधिकरण, अनंतिम समापक की नियुक्ति या परिसमापन आदेश पारित करने के पश्चात्, किसी भी समय, कंपनी के किसी अधिकारी या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में कंपनी की कोई संपत्ति या बहियां या कोई कागजपत्र होने की उसे जानकारी है या संदेह है या कंपनी का ऋणी होने की जानकारी है या संदेह है या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में अधिकरण यह सोचता है कि वह कंपनी के सम्प्रवर्तन निर्माण, व्यवसाय, व्यौहार, संपत्ति, बहियों या कागजपत्रों या कार्यों से संबंधित जानकारी देने में समर्थ है, अपने समक्ष बुला सकेगा ।

(2) अधिकरण, इस प्रकार बुलाए गए किसी अधिकारी या व्यक्ति की, पूर्वोक्त विषयों के संबंध में मौखिक रूप में या लिखित परिप्रश्नों द्वारा, शपथ पर परीक्षा कर सकेगा और पूर्ववर्ती मामले में उसके उत्तरों को लेखबद्ध कर सकेगा और उससे उन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) अधिकरण इस प्रकार बुलाए गए किसी अधिकारी या व्यक्ति से उसकी अभिरक्षा या अधिकार शक्ति में कंपनी से संबंधित किन्हीं बहियों और कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, किंतु जहां वह उसके द्वारा प्रस्तुत की गई बहियों या कागजपत्रों के संबंध में किसी धारणाधिकार का दावा करता है, वहां पेश किया जाना ऐसे धारणाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और अधिकरण को उस धारणाधिकार से संबंधित सभी प्रश्नों का अवधारण करने की शक्ति होगी ।

(4) अधिकरण, समापक को अन्य व्यक्तियों के कब्जे में कंपनी के ऋण या संपत्ति, आदि की बाबत रिपोर्ट उसके समक्ष फाइल करने का निदेश दे सकेगा ।

(5) यदि अधिकरण को यह पता चलता है कि—

(क) कोई व्यक्ति कंपनी का ऋणी है तो अधिकरण उसे, यथास्थिति, अनंतिम समापक या समापक को, ऐसे समय पर और ऐसी रीति में, जो अधिकरण उचित समझे, उस रकम का, जिसका वह ऋणी है या उसके किसी भाग का या तो संपूर्ण रकम के पूर्ण उन्मोचन में या नहीं, जो अधिकरण ठीक समझे, परीक्षा के खर्चों सहित या उनके बिना संदाय करने का आदेश दे सकेगा;

(ख) यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में कंपनी की कोई संपत्ति है तो अधिकरण ऐसे समय पर, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों के अनुसार, जो अधिकरण उचित समझे, उस संपत्ति को या उसके किसी भाग को यथास्थिति, अनंतिम समापक या समापक को परिदत्त करने का उसे आदेश दे सकेगा ।

(6) यदि इस प्रकार समन किया गया कोई अधिकारी या व्यक्ति किसी युक्तियुक्त कारण के बिना नियत समय पर अधिकरण के समक्ष हाजिर होने में असफल रहेगा तो अधिकरण समुचित खर्च अधिरोपित कर सकेगा ।

(7) उपधारा (5) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसी रीति में निष्पादित किया जाएगा, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन धन के संदाय के लिए या संपत्ति के परिदान के लिए डिक्रियां निष्पादित की जाती हैं । 1908 का 5

(8) उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई संदाय या परिदान करने वाला कोई व्यक्ति, जब तक उस आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न किया गया हो, ऐसे संदाय या परिदान द्वारा उस ऋण या संपत्ति की बाबत किसी भी प्रकार के सभी दायित्वों से निर्मोचित होगा ।

संप्रवर्तकों, निदेशकों, आदि की परीक्षा का आदेश करने की शक्ति।

300. (1) जहां अधिकरण द्वारा किसी कंपनी के परिसमापन का आदेश किया गया है और कंपनी समापक ने इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को यह कथन करते हुए रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति ने कंपनी के संप्रवर्तन, निर्माण, कारबार या कार्य के संचालन में कोई कपट किया है, वहां अधिकरण, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या अधिकारी उसके द्वारा, उस प्रयोजन के लिए नियत किए गए दिन को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा और कंपनी के संप्रवर्तन, निर्माण या कारबार के संचालन के बारे में या उसके अधिकारी के रूप में आचरण या व्यवहारों के बारे में उसकी परीक्षा की जाएगी ।

(2) कंपनी समापक परीक्षा में भाग लेगा और उस प्रयोजन के लिए वह, यदि उस निमित्त अधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो तो ऐसी विधिक सहायता का नियोजन कर सकेगा, जो अधिकरण द्वारा मंजूर की जाए ।

(3) व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा की जाएगी और वह उन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा, जो अधिकरण उसके समक्ष रखे या रखे जाने के लिए अनुज्ञात करे ।

(4) इस धारा के अधीन परीक्षा किए जाने के लिए आदेश किए गए किसी व्यक्ति को—

(क) उसकी परीक्षा से पूर्व, उसके अपने खर्चे पर कंपनी समापक की रिपोर्ट की प्रति दी जाएगी; और

(ख) वह अपने स्वयं के खर्च पर, धारा 432 के अधीन अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के हकदार चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों को नियोजित कर सकेगा, जो उसके समक्ष ऐसे प्रश्नों को रखने के लिए स्वतंत्र होगा, जो अधिकरण उसके द्वारा किए गए किसी उत्तर को स्पष्ट करने या बताने में उसे समर्थ करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे ।

(5) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, उसके विरुद्ध लगाए गए या सुझाए गए किन्हीं आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के लिए अधिकरण को आवेदन करता है तो कंपनी समापक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आवेदन की सुनवाई पर हाजिर हो और ऐसे किन्हीं विषयों पर, जो कंपनी समापक को सुसंगत प्रतीत हों, अधिकरण का ध्यान आकृष्ट करे ।

(6) यदि अधिकरण, कंपनी समापक द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य पर विचार करने या बुलाए गए साक्षियों को सुनने के पश्चात्, उपधारा (5) के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है तो अधिकरण, आवेदक को ऐसे खर्चे का संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(7) परीक्षा का टिप्पण लिखित रूप में तैयार किया जाएगा और परीक्षित व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा या उसके द्वारा पढ़ा और हस्ताक्षरित किया जाएगा, उसे एक प्रति का प्रदाय किया जाएगा और उसके पश्चात् उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा और सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी लेनदार या अभिदायी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।

(8) अधिकरण, यदि वह ठीक समझे तो समय-समय पर परीक्षा स्थगित कर सकेगा ।

(9) इस धारा के अधीन परीक्षा, यदि अधिकरण ऐसा निदेश करे तो अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष की जा सकेगी ।

(10) इस धारा के अधीन परीक्षा के संचालन के विषय में न कि खर्चों के विषय में, अधिकरण की शक्तियां ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी, जिसके समक्ष उपधारा (9) के अनुसरण में परीक्षा की गई है ।

भारत छोड़ने या फरार होने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी।

301. परिसमापन आदेश पारित करने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी भी समय, यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभिदाता या व्यक्ति, जिसके कब्जे में कंपनी की संपत्ति, लेखे या कागजपत्र हैं, कंपनी की मांगों के संदाय से बचने या कंपनी के कार्यों से संबंधित परीक्षा से बचने के प्रयोजन के लिए भारत से जाने वाला है, या अन्यथा फरार होने वाला है या अपनी कोई संपत्ति हटाने या छिपाने वाला है तो अधिकरण—

(क) अभिदाता को ऐसे समय तक निरुद्ध करवा सकेगा, जो अधिकरण आदेश करे; और

(ख) उसकी पुस्तकों और कागजपत्रों तथा जंगम संपत्ति को अभिगृहीत करवा सकेगा और ऐसे समय तक सुरक्षित रखवा सकेगा, जो अधिकरण आदेश करे ।

अधिकरण द्वारा कंपनी का विघटन ।

302. (1) किसी कंपनी का काम पूर्ण रूप से परिसमाप्त होने पर, कंपनी समापक ऐसी कंपनी के विघटन के लिए अधिकरण को आवेदन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कंपनी समापक द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर या जब अधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों में यह उचित और युक्तियुक्त होगा कि कंपनी के विघटन का आदेश किया जाना चाहिए तो अधिकरण, यह आदेश

करेगा कि कंपनी आदेश की तारीख से विघटित की जाए और तद्नुसार कंपनी विघटित हो जाएगी ।

(3) कंपनी समापक द्वारा, आदेश की एक प्रति, उसकी तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएगी, जो कंपनी के विघटन का कार्यवृत्त कंपनी से संबंधित रजिस्टर में अभिलिखित करेगा ।

(4) यदि कंपनी समापक उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश की प्रति अग्रेषित करने में व्यतिक्रम करेगा तो कंपनी समापक जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए आदेशों से अपीलें ।

303. इस अध्याय की कोई बात इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी कंपनी के परिसमापन के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के कार्यान्वयन या प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे प्राधिकारी के समक्ष फाइल की जाएगी, जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व ऐसी अपीलों को सुनने के लिए सक्षम है ।

भाग 2

स्वेच्छया परिसमापन

वे परिस्थितियां, जिनमें कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन हो सकेगा।

304. किसी कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन किया जा सकेगा,—

(क) यदि कंपनी साधारण अधिवेशन में, उसके अनुच्छेदों द्वारा नियत उसकी कालावधि, यदि कोई हो, की समाप्ति के परिणामस्वरूप या ऐसी किसी घटना के होने पर, जिसके संबंध में अनुच्छेदों में यह उपबंध है कि कंपनी विघटित कर दी जानी चाहिए, स्वेच्छया कंपनी का परिसमापन किए जाने की अपेक्षा करने वाला कोई संकल्प पारित करती है; या

(ख) यदि कंपनी ऐसा विशेष संकल्प पारित करती है कि कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन कर दिया जाए ।

उस दशा में, जिसमें स्वेच्छया परिसमापन करने का प्रस्ताव है, ऋण शोधन क्षमता की घोषणा ।

305. (1) जहां किसी कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन करने का प्रस्ताव है, वहां उसका निदेशक या उसके निदेशक या कंपनी के दो से अधिक निदेशक होने की दशा में, निदेशकों का बहुमत, बोर्ड के अधिवेशन में शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित इस आशय की एक घोषणा करेंगे कि उन्होंने कंपनी के कार्यकलापों की पूरी जांच कर ली है और उन्होंने यह राय बनाई है कि कंपनी का कोई ऋण नहीं है या क्या वह स्वेच्छया परिसमापन में विक्रीत आस्तियों के आगमों से अपने ऋणों का पूर्णरूप से संदाय करने में समर्थ होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक—

(क) वह कंपनी के परिसमापन के लिए संकल्प पारित किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पांच सप्ताह के भीतर न की गई हो और उस तारीख से पूर्व उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को परिदत्त नहीं किया गया हो;

(ख) उसमें यह घोषणा अंतर्विष्ट नहीं है कि कंपनी का परिसमापन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को धोखा देने के लिए नहीं किया जा रहा है;

(ग) उसके साथ, उस तारीख से, जिस तक ऐसा अंतिम लेखा तैयार किया गया था, आरंभ होने वाली और घोषणा करने से ठीक पूर्व की अंतिम व्यवहार्य तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कंपनी के लाभ और हानि लेखे और उस तारीख को तैयार किए गए कंपनी के तुलनपत्र, जिसमें उस तारीख को कंपनी की आस्तियों और दायित्वों का विवरण भी अंतर्विष्ट होगा, के संबंध में इस अधिनियम

के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई कंपनी के संपरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति न हो; और

(घ) जहां कंपनी की कोई आस्तियां हैं, वहां उसके साथ किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई कंपनी की आस्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट न हो ।

(3) जहां कंपनी का परिसमापन, घोषणा करने के पश्चात् पांच सप्ताह की अवधि के भीतर पारित संकल्प के अनुसरण में होता है, किन्तु उसके ऋणों का संदाय नहीं किया जाता है या उसके संबंध में पूर्ण उपबंध नहीं किया जाता है वहां जब तक प्रतिकूल दर्शित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि निदेशक या निदेशकों के पास उपधारा (1) के अधीन अपनी राय व्यक्त करने के युक्तियुक्त आधार नहीं थे ।

(4) इस धारा के अधीन ऐसी राय के लिए कि कंपनी स्वेच्छया परिसमापन में विक्रीत आस्तियों के आगमों से अपने पूर्ण ऋणों का संदाय करने में समर्थ होगी, युक्तियुक्त आधारों के बिना घोषणा करने वाला कंपनी का कोई निदेशक, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

लेनदारों का अधिवेशन ।

306. (1) कंपनी, कंपनी का अधिवेशन, जिसमें स्वेच्छया परिसमापन के संकल्प का प्रस्ताव किया जाना है, बुलाने के साथ उसी दिन या अगले दिन अपने लेनदारों का अधिवेशन बुलाएगी और ऐसे अधिवेशन की सूचना धारा 304 के अधीन कंपनी के अधिवेशन की सूचना के साथ लेनदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक से भिजवाएगी ।

(2) कंपनी का निदेशक बोर्ड,—

(क) कंपनी के लेनदारों की सूची, यदि कोई हो, धारा 305 के अधीन घोषणा की प्रति और ऐसे अधिवेशन से पूर्व दावों की अनुमानित रकम के साथ कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कराएगा; और

(ख) अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निदेशकों में से एक निदेशक की नियुक्ति करेगा ।

(3) जहां कंपनी के लेनदारों के मूल्य के दो-तिहाई की यह राय है कि,—

(क) यह सभी पक्षकारों के हित में होगा कि कंपनी को स्वेच्छया परिसमाप्त कर दिया जाए, वहां कंपनी स्वेच्छया परिसमाप्त कर दी जाएगी; या

(ख) कंपनी, स्वेच्छया परिसमापन में विक्रीत आस्तियों के आगमों से पूर्णतः अपने ऋणों का संदाय करने में समर्थ नहीं हो और यह संकल्प पारित करे कि यदि कंपनी का अधिकरण द्वारा इस अध्याय के भाग 1 के उपबंधों के अनुसार परिसमापन किया जाता है तो यह सभी पक्षकारों के हित में होगा वहां कंपनी उसके पश्चात् चौदह दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करेगी ।

(4) इस धारा के अनुसरण में लेनदारों के अधिवेशन में पारित किसी संकल्प की सूचना, उसके पारित किए जाने के दस दिन के भीतर, कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को दी जाएगी ।

(5) यदि कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई उल्लंघन करती है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कम्पनी का ऐसा कोई निदेशक जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होंगे ।

स्वेच्छया परिसमापन के संकल्प का प्रकाशन ।

307. (1) जहां किसी कंपनी ने स्वेच्छया परिसमापन का संकल्प पारित किया है और धारा 306 की उपधारा (3) के अधीन कोई संकल्प पारित किया जाता है, वहां वह संकल्प पारित करने के चौदह दिन के भीतर राजपत्र में और उस जिले में परिचालित किए जाने वाले समाचारपत्र में भी, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है, विज्ञापन द्वारा संकल्प की सूचना देगी ।

(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

स्वेच्छया परिसमापन का प्रारंभ ।

308. स्वेच्छया परिसमापन, धारा 304 के अधीन स्वेच्छया परिसमापन के लिए संकल्प के पारित किए जाने की तारीख को प्रारंभ हुआ समझा जाएगा ।

स्वेच्छया परिसमापन का प्रभाव ।

309. स्वेच्छया परिसमापन की दशा में, कंपनी, परिसमापन के प्रारंभ की तारीख से, जहां तक उसके कारबार के फायदाग्राही परिसमापन के लिए अपेक्षित है, उसके सिवाय, अपने कारबार को नहीं करेगी :

परन्तु कंपनी का निगम स्वरूप और निगम शक्तियां तब तक बनी रहेंगी, जब तक उसे विघटित नहीं कर दिया जाता है ।

कंपनी समापक की नियुक्ति ।

310. (1) कंपनी अपने साधारण अधिवेशन में, जहां स्वेच्छया परिसमापन का संकल्प पारित किया जाता है अपने कार्यकलापों के परिसमापन और कंपनी की आस्तियों के वितरण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए पैनल से किसी कंपनी समापक की नियुक्ति करेगी और कंपनी समापक को संदत्त की जाने वाली फीस की सिफारिश करेगी ।

(2) जहां लेनदारों ने धारा 306 की उपधारा (3) के अधीन कंपनी के परिसमापन के लिए कोई संकल्प पारित किया है, वहां इस धारा के अधीन कंपनी समापक की नियुक्ति, कंपनी के मूल्य में लेनदारों के बहुमत द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने के, पश्चात् ही प्रभावी होगी :

परंतु जहां ऐसे लेनदार उस कंपनी समापक की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं करते हैं, वहां लेनदार किसी अन्य कंपनी समापक की नियुक्ति करेंगे ।

(3) लेनदार, यथास्थिति, कंपनी द्वारा नियुक्त कंपनी समापक की नियुक्ति का अनुमोदन या उनकी अपनी पसन्द के कंपनी समापक की नियुक्ति करते समय, कंपनी समापक की फीस के संबंध में उपयुक्त संकल्प पारित करेंगे ।

(4) कंपनी समापक के रूप में नियुक्ति पर, ऐसा समापक कंपनी और लेनदारों में उसकी नियुक्ति के संबंध में हित के विरोध या स्वतंत्रता की कमी, यदि कोई हो, को प्रकट करते हुए नियुक्ति की तारीख के सात दिन के भीतर विहित प्ररूप में एक घोषणा फाइल करेगा और ऐसी बाध्यता उसकी नियुक्ति की पूरी अवधि में बनी रहेगी ।

कंपनी समापक को हटाने और रिक्ति को भरने की शक्ति ।

311. (1) धारा 310 के अधीन नियुक्त कंपनी समापक, जहां उसकी नियुक्ति, कंपनी द्वारा की गई है, वहां कंपनी द्वारा और जहां नियुक्ति लेनदारों द्वारा अनुमोदित या की गई है वहां ऐसे लेनदारों द्वारा हटाया जा सकेगा ।

(2) जहां किसी कंपनी समापक को, इस धारा के अधीन हटाना चाहा गया है वहां उसे, यथास्थिति, कंपनी या लेनदारों द्वारा उसके पद से हटाने के आधारों का कथन करते हुए लिखित में सूचना दी जाएगी ।

(3) जहां, यथास्थिति, संख्या में कंपनी के तीन-चौथाई सदस्य या तीन-चौथाई मूल्य के लेनदार अपने अधिवेशन में कंपनी समापक द्वारा फाइल किए गए उत्तर पर, यदि कोई

हो, विचार करने के पश्चात् कंपनी समापक को हटाने का विनिश्चय करते हैं, वहां वह अपना पद रिक्त कर देगा ।

(4) यदि धारा 310 के अधीन नियुक्त किसी कंपनी समापक के पद पर मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो, यथास्थिति, कंपनी या लेनदार उस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से रिक्ति को भर सकेंगे ।

कंपनी समापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को दिया जाना ।

312. (1) कंपनी, कंपनी समापक की नियुक्ति के साथ ही कंपनी समापक के नाम और विशिष्टियों, कंपनी समापक के पद में होने वाली प्रत्येक रिक्ति और प्रत्येक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किए गए कंपनी समापक के नाम की सूचना ऐसी नियुक्ति या ऐसी रिक्ति होने के दस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को देगी ।

(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनी समापक की नियुक्ति पर बोर्ड की शक्तियों का समाप्त हो जाना।

313. कंपनी समापक की नियुक्ति पर, निदेशक बोर्ड और प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंधक, यदि कोई हों, की सभी शक्तियां, रजिस्ट्रार को कंपनी समापक की ऐसी नियुक्ति की सूचना देने के प्रयोजन के सिवाय, समाप्त हो जाएंगी ।

स्वेच्छया परिसमापन में कंपनी समापक की शक्तियां और कर्तव्य ।

314. (1) कंपनी समापक ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो समय-समय पर, यथास्थिति, कंपनी या लेनदारों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(2) कंपनी समापक अभिदाताओं की सूची निर्धारित करेगा, जो अभिदाताओं के रूप में उसमें नामित व्यक्तियों के दायित्व का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगी ।

(3) कंपनी समापक यथा अपेक्षित साधारण या विशेष संकल्प द्वारा कंपनी की मंजूरी अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो वह आवश्यक समझे, कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाएगा ।

(4) कंपनी समापक ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नियमित और उचित लेखा बहियां रखेगा तथा सदस्य और लेनदार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी लेखा बहियों का निरीक्षण कर सकेंगे ।

(5) कंपनी समापक लेखा की तिमाही विवरणी ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, तैयार करेगा और ऐसी लेखा विवरणी को, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भीतर सम्यक् रूप से संपरीक्षित कराकर रजिस्ट्रार को फाइल करेगा । ऐसा न करने पर कंपनी समापक, असफलता चालू रहने के दौरान हर एक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(6) कंपनी समापक कंपनी के ऋणों का संदाय करेगा और अभिदाताओं के बीच उनके अधिकारों का समायोजन करेगा ।

(7) कंपनी समापक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् सावधानी और तत्परता का अनुपालन करेगा ।

(8) यदि कंपनी समापक, उपधारा (5) के सिवाय, इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

समितियों की नियुक्ति ।

315. जहां कंपनी के कोई लेनदार नहीं हैं, वहां ऐसी कंपनी अपने साधारण अधिवेशन में और जहां लेनदारों का अधिवेशन धारा 306 के अधीन हुआ है, वहां ऐसे लेनदार उतनी समितियां नियुक्त कर सकेंगे जितनी वे स्वेच्छया परिसमापन का पर्यवेक्षण और कंपनी समापक को उसके कार्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए समुचित समझे ।

कंपनी समापक द्वारा परिसमापन की प्रगति पर रिपोर्ट देना ।

316. (1) कंपनी समापक, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सदस्यों और लेनदारों को कंपनी के परिसमापन की प्रगति पर तिमाही रिपोर्ट देगा और जब कभी आवश्यक हो, सदस्यों और लेनदारों का अधिवेशन किन्तु प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक लेनदारों और सदस्यों का कम से कम एक अधिवेशन, भी बुलाएगा और उन्हें ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, कंपनी के परिसमापन की प्रगति से अवगत कराएगा ।

(2) यदि कंपनी समापक उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह प्रत्येक ऐसी असफलता के संबंध में, ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

व्यक्तियों की परीक्षा के लिए अधिकरण को कंपनी समापक की रिपोर्ट देना ।

317. (1) जहां कंपनी समापक की यह राय है कि किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी के संबंध में कोई कपट किया गया है, वहां वह तुरन्त अधिकरण को रिपोर्ट करेगा और अधिकरण, परिसमापन की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 210 के अधीन अन्वेषण का आदेश देगा और ऐसे अन्वेषण की रिपोर्ट पर विचार करने पर अधिकरण, इस अध्याय के अधीन ऐसा आदेश पारित करेगा और ऐसे निदेश देगा, जो वह आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत यह निदेश भी है कि ऐसा व्यक्ति उस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा नियत दिन को उसके समक्ष हाजिर होगा और उसकी कंपनी के संप्रवर्तन या बनाए जाने या कारबार के संचालन के बारे में या उसके अधिकारी के रूप में उसके आचरण और व्यवहार के बारे में या अन्यथा उसकी परीक्षा की जाएगी ।

(2) धारा 300 के उपबंध उपधारा (1) के अधीन निदेशित किसी परीक्षा के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

कंपनी का अंतिम अधिवेशन और विघटन ।

318. (1) कंपनी के कार्यकलापों के पूर्ण परिसमापन के पश्चात्, यथाशीघ्र, कंपनी समापक यह दर्शित करते हुए परिसमापन की रिपोर्ट तैयार करेगा कि कंपनी की संपत्ति और आस्तियों का व्ययन कर दिया गया है और उसके ऋणों का पूर्ण रूप से उन्मोचन या लेनदारों के समाधानप्रद रूप में उन्मोचन कर दिया गया है और उसके पश्चात् उसके समक्ष अंतिम परिसमापन लेखे रखने और उसके लिए कोई स्पष्टीकरण देने के प्रयोजन के लिए कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिवेशन कंपनी समापक द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में, बुलाया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) यदि कंपनी समापक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कंपनी के सदस्यों के बहुमत का यह समाधान हो जाता है कि कंपनी का परिसमापन किया जाएगा, तो वे उसके विघटन के लिए एक संकल्प पारित कर सकेंगे ।

(4) कंपनी समापक, अधिवेशन के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर—

(क) रजिस्ट्रार को—

(i) कंपनी के अंतिम परिसमापन लेखे की प्रति भेजेगा और प्रत्येक अधिवेशन और उसकी तारीख के संबंध में एक विवरणी तैयार करेगा; और

(ii) अधिवेशनों में पारित संकल्पों की प्रतियां भेजेगा; और

(ख) कंपनी के विघटन का आदेश पारित करने के लिए अधिकरण के समक्ष, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परिसमापन से संबंधित बहियों और कागजपत्र के साथ उपधारा (1) के अधीन अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदन फाइल करेगा ।

(5) यदि अधिकरण का, कंपनी समापक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि परिसमापन की प्रक्रिया उचित और न्यायसंगत रही है, तो अधिकरण उपधारा (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कंपनी का विघटन करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(6) कंपनी समापक तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को उपधारा (5) के अधीन आदेश की प्रति फाइल करेगा ।

(7) रजिस्ट्रार, उपधारा (5) के अधीन अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने पर तुरन्त राजपत्र में यह सूचना प्रकाशित करेगा कि कंपनी विघटित की जाती है।

(8) यदि कंपनी समापक इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो वह, जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनी की सम्पत्ति के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में शेयर, आदि स्वीकार करने की कंपनी समापक की शक्ति।

319. (1) जहां किसी कंपनी (अन्तरक कंपनी) को स्वेच्छया परिसमाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है या वह स्वेच्छया परिसमापन के अनुक्रम में है और उसके सम्पूर्ण कारबार या सम्पत्ति या उसके किसी भाग का किसी दूसरी कंपनी को, (अन्तरिती कंपनी) अंतरित या विक्रय किया जाना प्रस्तावित है, वहां अंतरक कंपनी का कंपनी समापक उसे साधारण प्राधिकार या किसी विशिष्ट ठहराव की बाबत कोई प्राधिकार प्रदत्त करने वाले कंपनी के विशेष संकल्प की मंजूरी से—

(क) अंतरण या विक्रय से सम्पूर्ण या भागरूप प्रतिकर के रूप में अंतरक कंपनी के सदस्यों के बीच वितरण के लिए अंतरिती कंपनी में शेयर, पालिसियों या इसी प्रकार के अन्य हित प्राप्त करेगा ;

(ख) कोई अन्य ऐसा ठहराव करेगा, जिसके द्वारा अंतरक कंपनी के सदस्य नकदी, शेयर, पालिसियों या इसी प्रकार के अन्य हित प्राप्त करने के बदले या उसके अतिरिक्त, अन्तरिती कंपनी के लाभों में भाग ले सकेंगे या उससे अन्य फायदे प्राप्त कर सकेंगे :

परंतु कोई ऐसा ठहराव प्रतिभूत लेनदारों की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अनुसरण में किया गया कोई अंतरण, विक्रय या अन्य ठहराव अंतरक कंपनी के सदस्यों पर आबद्धकर होगा ।

(3) अंतरक कंपनी का कोई ऐसा सदस्य, जिसने विशेष संकल्प के पक्ष में मत नहीं दिया है और कंपनी समापक को लिखित में सम्बोधित उससे अपनी विसम्मति व्यक्त करता है और संकल्प पारित होने के पश्चात् सात दिन के भीतर उसे कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में छोड़ देता है, समापक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह—

(क) या तो संकल्प को प्रभावी करने से प्रविरत रहे; या

(ख) करार या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा अवधारित की जाने वाली कीमत पर उसके हित का क्रय कर ले ।

(4) यदि कंपनी समापक, सदस्य का हित क्रय करने का चयन करता है तो उसके द्वारा ऐसी रीति में, जो विशेष संकल्प द्वारा अवधारित की जाए, उगाही गई क्रय धनराशि कंपनी के विघटन से पूर्व संदत्त की जाएगी ।

कंपनी की सम्पत्ति का वितरण ।

320. धारा 326 के अधीन अध्यारोही अधिमानी संदायों के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कंपनी की आस्तियां, उसके परिसमापन पर, उसके दायित्वों के समाधानप्रद रूप में उसकी मात्रा के अनुसार उपयोजित की जाएंगी और जब तक अनुच्छेदों में अन्यथा उपबंधित न हों, वे ऐसे उपयोजन के अधीन रहते हुए, सदस्यों के बीच कंपनी में उनके अधिकारों और हितों के अनुसार वितरित की जाएंगी ।

ठहराव, कंपनी और लेनदारों पर कब आबद्धकर होगा ।

321. (1) किसी ऐसी कंपनी के, जिसका परिसमापन होने को है या होने के प्रक्रम में है और उसके लेनदारों के बीच किए गए धारा 319 में निर्दिष्ट ठहराव से भिन्न कोई ठहराव, कंपनी पर और उसके लेनदारों पर आबद्धकर होगा, यदि वह कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा मंजूर कर दिया जाता है और ऐसे लेनदारों द्वारा, जो कंपनी के सभी लेनदारों को देय कुल रकम का तीन-चौथाई मूल्य धारित करते हैं, स्वीकार कर लिया जाता है ।

(2) कोई लेनदार या अभिदाता ठहराव के पूरा होने से तीन सप्ताह के भीतर अधिकरण में आवेदन कर सकेगा और तदुपरान्त अधिकरण ठहराव का संशोधन, उसमें फेरफार या उसे पुष्ट या अपास्त कर सकेगा ।

प्रश्नों का अवधारण, आदि करने के लिए अधिकरण को आवेदन करने की शक्ति ।

322. (1) कंपनी समापक या कोई अभिदाता या लेनदार अधिकरण को निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकेगा,—

(क) कंपनी के परिसमापन के अनुक्रम में उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न का अवधारण करने; या

(ख) मांगें प्रवृत्त कराने, कार्यवाहियां रोकने या किसी अन्य विषय के बारे में उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने, जिनका प्रयोग अधिकरण उस दशा में करता, यदि कंपनी अधिकरण द्वारा परिसमाप्त की गई होती ।

(2) कंपनी समापक या कोई लेनदार या अभिदाता परिसमापन के आरंभ के पश्चात् कंपनी की संपदा या चीजबस्त के संबंध में प्रवृत्त की गई किसी कुर्की, करस्थम् या निष्पादन को अपास्त करने वाले आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(3) अधिकरण का, यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि प्रश्न का अवधारण या शक्ति का अपेक्षित प्रयोग या वह आदेश, जिसके लिए आवेदन किया गया है, न्यायोचित और फायदाप्रद होगा तो वह आवेदन को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, मंजूर कर सकेगा या आवेदन पर ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) इस धारा के अधीन किए गए परिसमापन की कार्यवाहियों पर रोक लगाने वाले किसी आदेश की प्रति तुरंत कंपनी द्वारा, या यथा विहित अन्यथा किए गए अनुसार, रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएगी, जो कंपनी से संबंधित अपनी पुस्तकों में आदेश का कार्यवृत्त तैयार करेगा ।

स्वेच्छया परिसमापन के खर्च ।

323. परिसमापन में उचित रूप से उपगत सभी खर्च, प्रभार और व्यय, जिनके अंतर्गत समापक की फीस भी है, प्रतिभूत लेनदारों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, सभी अन्य दावों से पूर्विकता में, कंपनी की आस्तियों में से संदेय होंगे ।

भाग 3

परिसमापन के प्रत्येक ढंग को लागू होने वाले उपबंध

सभी प्रकार के ऋणों का सबूत के रूप में ग्रहण किया जाना ।

324. प्रत्येक परिसमापन में (दिवालिया कंपनियों की दशा में इस अधिनियम या दिवाला विधि के उपबंधों के अनुसार लागू होने के अधीन रहते हुए) किसी आकस्मिकता पर संदेय सभी ऋण और कंपनी के विरुद्ध, सभी वर्तमान और भावी, निश्चित और आकस्मिक दावे, अभिनिश्चित या केवल नुकसानी के रूप में परिमेय ऐसे ऋणों या दावों के जहां तक हो सके, मूल्य का प्राक्कलन किए जाने पर, जो किसी आकस्मिकता के अधीन हो या केवल नुकसानी के रूप में परिमेय हो या किसी अन्य कारण से कतिपय मूल्य का नहीं हो, कंपनी के विरुद्ध सबूत पर अनुज्ञेय होंगे।

दिवालिया कंपनियों के परिसमापन में दिवाला नियमों का लागू होना ।

325. (1) किसी दिवालिया कंपनी के परिसमापन में निम्नलिखित के संबंध में वही नियम अभिभावी होंगे और पालन किए जाएंगे,—

(क) ऋण प्रमाणिकता;

(ख) वार्षिकियों और भावी तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन; और

(ग) प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के संबंधित अधिकार,

जो दिवाला न्यायनिर्णीत किए गए व्यक्तियों की संपदा के संबंध में दिवाला विधि के अधीन तत्समय प्रवृत्त हैं :

परंतु प्रत्येक प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूति को, उसमें कर्मकार के भाग की सीमा तक, कर्मकार के पक्ष में, उसकी मात्रा के अनुसार प्रभार के अधीन समझा जाएगा और जहां कोई प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति का परित्याग करने और अपने ऋण को साबित करने के बजाय, अपनी प्रतिभूति को वसूल करने का चयन करता है, वहां—

(i) समापक कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने और ऐसे प्रभार का प्रवर्तन करने का हकदार होगा;

(ii) ऐसे प्रभार के प्रवर्तन के रूप में समापक द्वारा वसूली गई किसी रकम को कर्मकार के शोध्यों के निर्मोचन के लिए आनुपातिक रूप में उपयोग किया जाएगा; और

(iii) ऐसे प्रतिभूत लेनदार को शोध्य उतना ऋण, जिसकी वसूली उसके द्वारा नहीं की जा सकी हो या कर्मकार की प्रतिभूति में उसके हिस्से की रकम, इनमें से जो भी कम हो, धारा 326 के प्रयोजनों के लिए कर्मकार के शोध्यों के मात्रानुसार बराबर होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सभी व्यक्ति, परिसमापन के अधीन कंपनी की आस्तियों में से लाभांश साबित करने और उसे प्राप्त करने के हकदार होंगे, और कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे कर सकेंगे, जिन्हें करने के लिए वे इस धारा के आधार पर क्रमशः हकदार हैं :

परंतु यदि कोई प्रतिभूत लेनदार, अपनी प्रतिभूति का परित्याग करने और अपने ऋणों को साबित करने के बजाय, अपनी प्रतिभूति की वसूली करने को अग्रसर होता है तो वह प्रतिभूत लेनदार द्वारा उसकी वसूली किए जाने से पूर्व प्रतिभूति के परिरक्षण के लिए, अनन्तिम समापक सहित, यदि कोई हो, समापक द्वारा उपगत व्ययों के अपने भाग का संदाय करने का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी प्रतिभूति के परिरक्षण के लिए समापक द्वारा उपगत व्ययों का ऐसा भाग, जिसके संदाय के लिए प्रतिभूत लेनदार दायी होगा, संपूर्ण व्यय से घटाकर आई वह रकम होगी, जिसका ऐसे व्यय के संबंध में वह अनुपात है, जो प्रतिभूति से संबंधित कर्मकार के हिस्से का प्रतिभूति के मूल्य से है ।

(3) इस धारा, धारा 326 और धारा 327 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी कंपनी के संबंध में, "कर्मकार" से, कंपनी के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ध) के अर्थ के भीतर कर्मकार हैं; 1947 का 14

(ख) किसी कंपनी के संबंध में, "कर्मकार के शोध्यों" से कंपनी से अपने कर्मकारों को शोध्य निम्नलिखित राशियों का योग अभिप्रेत है :—

(i) सभी मजदूरी या वेतन, जिसके अंतर्गत कालानुपाती या मात्रानुपाती कार्य के लिए संदेय मजदूरी भी है और कंपनी को दी गई सेवाओं के संबंध में किसी कर्मकार के कमीशन के रूप में पूर्णतः या भागतः उपार्जित वेतन और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के किसी उपबंध के अधीन किसी कर्मकार को संदेय कोई प्रतिकर; 1947 का 14

(ii) किसी कर्मकार को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को परिसमापन आदेश या संकल्प के प्रभावी किए जाने से पूर्व या उसके द्वारा उसके नियोजन की समाप्ति पर संदेय होने वाले सभी प्रोद्भूत अवकाश पारिश्रमिक;

(iii) जब तक कंपनी को पुनर्संरचना या किसी दूसरी कंपनी के साथ समामेलन के प्रयोजनों मात्र के लिए स्वेच्छया परिसमाप्त नहीं किया गया है या जब तक कंपनी के पास परिसमापन के प्रारंभ पर बीमाकर्ताओं के साथ ऐसी किसी संविदा के अधीन, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 14 में उल्लिखित है, कर्मकार को अंतरित और उसमें निहित किए जाने योग्य अधिकार नहीं हैं कंपनी के किसी कर्मकार की मृत्यु या निःशक्तता के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन किसी प्रतिकर या प्रतिकर के दायित्व की बाबत देय सभी रकमें; 1923 का 8

(iv) कंपनी द्वारा कर्मकारों के कल्याण के लिए रखी गई भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या किसी अन्य निधि से शोध्य सभी राशियां;

(ग) कंपनी के किसी प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूति के संबंध में "कर्मकार के भाग" से वह रकम अभिप्रेत है, जिसका प्रतिभूति के मूल्य से वह अनुपात है, जो कर्मकार को शोध्यों की रकम का कर्मकार को शोध्य रकम और प्रतिभूत लेनदारों को शोध्य रकमों से है ।

दृष्टांत

किसी कंपनी के प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूति का मूल्य 1,00,000 रुपए है । कर्मकार को शोध्यों की कुल रकम 1,00,000 रुपए है । कंपनी से उसके प्रतिभूत लेनदारों को शोध्य ऋणों की रकम 3,00,000 रुपए है । कर्मकार के शोध्यों की रकम और प्रतिभूत लेनदारों को शोध्य ऋणों की रकमों का योग 4,00,000 रुपए है । अतः प्रतिभूति का कर्मकार का हिस्सा, प्रतिभूति के मूल्य का एक-चौथाई अर्थात् 25,000 रुपए है ।

अध्यारोही अधिमानी संदाय ।

326. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के परिसमापन में,—

(क) कर्मकारों के शोध्यों; और

(ख) प्रतिभूत लेनदारों को शोध्य ऋणों का उस सीमा तक, जिस तक ऐसे ऋण धारा 325 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (iii) के अधीन ऐसे शोध्यों की मात्रा के अनुसार,

सभी अन्य ऋणों से पूर्विकता में संदाय किया जाएगा :

परंतु किसी कंपनी के परिसमापन की दशा में, धारा 325 की उपधारा (3) के खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट मजदूरियों या वेतन मद्दे राशियों का, जो परिसमापन आदेश से पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के या ऐसी अन्य अवधि के लिए, जो विहित की जाए, संदेय हैं, आस्तियों के विक्रय से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी अन्य ऋणों (जिनके अंतर्गत प्रतिभूत लेनदारों को शोध्य ऋण भी हैं) से पूर्विकता में संदाय किया जाएगा और वह प्रतिभूत लेनदारों की प्रतिभूति पर ऐसे भार के अधीन होगी, जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संदेय ऋणों का प्रतिभूत लेनदारों को कोई संदाय किए जाने से पूर्व पूर्णतः संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् उस उपधारा के अधीन संदेय ऋणों का, जब तक कि उनको पूरा करने के लिए आस्तियां अपर्याप्त न हों, जिस दशा में वे समान अनुपात में कम होंगे, पूर्णतः संदाय किया जाएगा।

अधिमानी संदाय ।

327. (1) किसी परिसमापन में, धारा 326 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित का संदाय, अन्य सभी ऋणों से पूर्विकता पर किया जाएगा,—

(क) सभी राजस्व, कर, उपकर और रेट, जो कंपनी से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को सुसंगत तारीख को शोध्य हों और उस तारीख से ठीक पूर्व बारह मास के भीतर शोध्य और संदेय हो गए हों;

(ख) कालानुपाती या मात्रानुपाती कार्य के लिए संदेय मजदूरी सहित सभी मजदूरी या वेतन और कंपनी को दी गई सेवाओं के संबंध में किसी कर्मचारी के कमीशन के रूप में पूर्णतः या भागतः उपार्जित और सुसंगत तारीख से ठीक पूर्व

बारह मास के भीतर चार मास से अनधिक की अवधि के लिए देय वेतन, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि इस खंड के अधीन किसी कर्मकार को संदेय रकम, उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो अधिसूचित की जाए;

(ग) किसी कर्मकार को या उसकी मृत्यु की दशा में, उसके अधीन दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को यथास्थिति, परिसमापन के आदेश या कम्पनी के विघटन से पूर्व या उसके द्वारा उसके नियोजन की समाप्ति पर संदेय होने वाले सभी प्रोद्भूत अवकाश पारिश्रमिक;

(घ) जब तक कंपनी को, पुनर्संरचना या किसी दूसरी कंपनी के साथ समामेलन के प्रयोजन मात्र के लिए स्वेच्छया परिसमाप्त नहीं किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन व्यक्तियों के नियोजक के रूप में कंपनी द्वारा सुसंगत तारीख से ठीक पूर्व बारह मास की अवधि के दौरान संदेय अभिदायों के संबंध में देय सभी रकमें;

1948 का 34

(ङ) जब तक कि कंपनी के पास परिसमापन के प्रारंभ पर, किसी बीमाकर्ता के साथ ऐसी किसी संविदा के अधीन, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 14 में उल्लिखित है, कर्मकार को अंतरित और उसमें निहित किए जाने योग्य अधिकार नहीं हैं, कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या निःशक्तता के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन किसी प्रतिकर या प्रतिकर के दायित्व की बाबत देय सभी रकमें:

1923 का 8

परंतु जहां उक्त अधिनियम के अधीन कोई प्रतिकर, साप्ताहिक संदाय है वहां इस खंड के अधीन संदेय रकम को ऐसी एकमुश्त रकम समझा जाएगा, जिसके लिए ऐसा साप्ताहिक संदाय यदि मोचनीय हो और यदि नियोजक ने उक्त अधिनियम के अधीन कोई आवेदन किया हो तो मोचनीय हो सकता;

(च) किसी कर्मचारी को कंपनी द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखी गई भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या किसी अन्य निधि से शोध्य सभी राशियां; और

(छ) धारा 213 और धारा 216 के अनुसरण में कराए गए किसी अन्वेषण के खर्चे, जहां तक वे कंपनी द्वारा संदेय हैं ।

(2) जहां किसी कंपनी के किसी कर्मचारी को मजदूरी या वेतन या प्रोद्भूत अवकाश पारिश्रमिक मद्दे स्वयं या उसकी मृत्यु की दशा में, उसकी ओर से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम में दिए गए धन में से संदाय किया गया है, वहां उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा धन अग्रिम दिया गया था, परिसमापन में इस प्रकार अग्रिम दिए गए और संदत्त उस रकम तक पूर्विकता का अधिकार होगा, जिस तक वह रकम, जिसके लिए कर्मचारी या उसके अधिकार में अन्य व्यक्ति परिसमापन में पूर्विकता के लिए हकदार होता, संदाय किए जाने के कारण घटा दी गई है ।

(3) इस धारा में प्रगणित ऋणों को,—

(क) जब तक आस्तियां उनको पूरा करने के लिए अपर्याप्त नहीं हैं, उनके बीच बराबर रखा जाएगा और पूर्ण रूप से संदत्त किया जाएगा, जिस दशा में वे समान अनुपात में कम होंगे ;

(ख) जहां तक साधारण लेनदारों के संदाय के लिए उपलब्ध कंपनी की आस्तियां उन्हें पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, कंपनी द्वारा सृजित किसी प्लवमान भार के अधीन डिबेंचर धारकों के दावों पर पूर्विकता होगी और उस प्रभार में सम्मिलित या उसके अधीन रहते हुए किसी संपत्ति में से तद्नुसार संदत्त किया जाएगा ।

(4) ऐसी राशियों के प्रतिधारण के अधीन रहते हुए, जो परिसमापन के खर्चों और व्ययों के लिए आवश्यक हों, इस धारा के अधीन ऋणों का, जहां तक आस्तियां उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, तुरंत उन्मोचन किया जाएगा और ऐसे ऋणों की दशा में, जिन्हें

उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन पूर्विकता दी गई है, यथा अन्यथा विहित किए गए अनुसार के सिवाय, उनका प्रायिक सबूत अपेक्षित नहीं होगा ।

(5) उस दशा में, जिसमें कि कोई भू-स्वामी या अन्य व्यक्ति परिसमापन आदेश की तारीख से ठीक पूर्व तीन मास के भीतर कंपनी के किसी माल या चीजबस्त का करस्थम् करता है या करा चुका है, वे ऋण, जिन्हें इस धारा के अधीन पूर्विकता दी गई है उन मालों या चीजबस्त पर, जिनका ऐसे करस्थम् किया गया है अथवा उनके विक्रय आगमों पर प्रथम भार होंगे :

परंतु किसी ऐसे भार के अधीन संदत्त किसी धनराशि की बाबत भू-स्वामी या अन्य व्यक्ति को पूर्विकता के वही अधिकार होंगे, जो उस व्यक्ति के हैं, जिसे संदाय किया जाता है ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए अवकाश या बीमारी या किसी अन्य अच्छे हेतुक के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवधि की बाबत कोई पारिश्रमिक, उस अवधि के दौरान कंपनी को दी गई सेवाओं की बाबत मजदूरी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में, "प्रोद्भूत अवकाश पारिश्रमिक" पद के अंतर्गत ऐसी सभी राशियां भी हैं, जो या तो उसके नियोजन की संविदा या किसी अधिनियमिति के, जिसके अंतर्गत उसके अधीन किया गया कोई आदेश या दिया गया कोई निदेश भी है, आधार पर उस पारिश्रमिक मद्दे संदेय हैं, जो सामान्य अनुक्रम में, अवकाश की अवधि की बाबत उसे संदेय हो जाती, यदि कंपनी में उसका नियोजन तब तक जारी रहता, जब तक कि वह उस अवकाश को अनुज्ञात किए जाने के लिए हकदार नहीं हो जाता;

(ख) "कर्मचारी" पद के अंतर्गत कर्मकार नहीं आता है; और

(ग) "सुसंगत तारीख" पद से अभिप्रेत है—

(i) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जिसका परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जा रहा है, अनंतिम समापक की नियुक्ति या पहली नियुक्ति की तारीख या यदि ऐसी नियुक्ति नहीं की गई थी तो परिसमापन के आदेश की तारीख, जब तक कि किसी भी दशा में, उस तारीख से पूर्व कंपनी द्वारा स्वेच्छया परिसमापन प्रारंभ नहीं कर दिया गया हो; और

(ii) किसी अन्य दशा में, कंपनी के स्वेच्छया समापन संबंधी संकल्प पारित किए जाने की तारीख ।

कपटपूर्ण अधिमान ।

328. (1) जहां कंपनी ने ऐसे किसी व्यक्ति को अधिमान दिया है, जो कंपनी लेनदारों में से एक लेनदार है अथवा कंपनी के किन्हीं ऋणों या अन्य दायित्वों के लिए प्रतिभू या प्रत्याभूतिदाता है और कंपनी ऐसा कोई कार्य करती है अथवा ऐसे किए गए किसी कार्य को सहन करती है, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति को उस स्थिति में डालने का है, जो कंपनी के समापन होने की दशा में उसकी उस स्थिति से बेहतर होती, जिसमें कि वह उस दशा में होता यदि वह कार्य परिसमापन संबंधी आवेदन किए जाने के छह मास पूर्व न किया गया होता, वहां अधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है, कि ऐसा संव्यवहार कपटपूर्ण अधिमान है, तो उस स्थिति को प्रत्यावर्तित करने के लिए, जो उसकी उस दशा में होती, यदि उसको वह अधिमान न दिया गया होता, ऐसा आदेश कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(2) यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि परिसमापन का आवेदन किए जाने से पूर्व छह मास के भीतर जंगम या स्थावर संपत्ति का अधिमानी अंतरण हुआ है अथवा कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध माल का कोई परिदान, संदाय, निष्पादन किया गया है तो

अधिकरण ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे संव्यवहार को अविधिमान्य घोषित कर सकेगा और उस स्थिति को प्रत्यावर्तित कर सकेगा ।

सद्भावपूर्वक न किए गए अंतरणों का शून्य होना ।

329. कंपनी द्वारा किया गया जंगम या स्थावर संपत्ति का ऐसा कोई अंतरण अथवा माल का ऐसा कोई परिदान, जो उसके कारबार के सामान्य अनुक्रम में अथवा सद्भावपूर्ण तथा मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी क्रेता या विल्लंगम के पक्ष में किया गया अंतरण या परिदान नहीं है, कंपनी समापक के विरुद्ध उस दशा में शून्य होगा, यदि वह अधिकरण द्वारा परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत किए जाने या कंपनी के स्वेच्छया परिसमापन के लिए संकल्प के पारित किए जाने के पूर्व की एक वर्ष की अवधि के भीतर किया गया है ।

कतिपय अंतरणों का शून्य होना ।

330. किसी कंपनी द्वारा अपनी सभी संपत्तियों या आस्तियों का, उसके सभी लेनदारों के फायदे के लिए न्यासियों को किया गया कोई अंतरण या समनुदेशन शून्य होगा ।

कपटपूर्वक अधिमान दिए गए कतिपय व्यक्तियों के दायित्व और अधिकार ।

331. (1) जहां किसी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, कोई बात या किया गया कोई कार्य कंपनी के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बंधक या भारित संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति के कपटपूर्ण अधिमान के रूप में धारा 328 के अधीन अविधिमान्य है तो इस उपबंध के अलावा उद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों या दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह व्यक्ति, जिसे अधिमान दिया गया है, उन्हीं दायित्वों के अध्यधीन होगा और उसके वही अधिकार होंगे, मानो कि उसने उस ऋण के लिए किसी प्रतिभू के रूप में, संपत्ति पर बंधक या भार या उसके हित के मूल्य की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से दायी होने का वचनबद्ध किया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिमानित व्यक्ति के हित के मूल्य का, जो उसका कपटपूर्ण अधिमान गठित करने वाले संव्यवहार की तारीख को है, अवधारण इस प्रकार किया जाएगा, मानो कि वह हित उसके सिवाय सभी विल्लंगमों से मुक्त था जो उस समय कंपनी के ऋण के लिए बंधक या भार के अध्यधीन था ।

(3) किसी संदाय की बाबत अधिकरण को इस आधार पर किए गए किसी आवेदन पर कि संदाय किसी प्रतिभू या प्रत्याभूतिदाता का कपटपूर्ण अधिमान था, अधिकरण को ऐसे किसी व्यक्ति, जिसको संदाय किया गया था, तथा प्रतिभू या प्रत्याभूतिदाता के बीच संदाय तथा उसके संबंध में अनुतोष प्रदान करने की बाबत उद्भूत होने वाले किन्हीं प्रश्नों का अवधारण करने की, इस बात के होते हुए भी अधिकारिता होगी कि परिसमापन के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है और इस प्रयोजन के लिए वह प्रतिभू या प्रत्याभूतिदाता को अन्य पक्षकार के रूप में लाने की उसी प्रकार इजाजत दे सकेगा, जैसे संदत्त राशि की वसूली के लिए किसी वाद की दशा में लाया जाता है ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध, धनराशि के संदाय से भिन्न संव्यवहारों के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

प्लवमान भार का प्रभाव ।

332. जहां किसी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है, वहां कंपनी के परिसमापन के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के भीतर कंपनी के उपक्रम या उसकी संपत्ति पर सृष्ट किया गया प्लवमान भार, जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता कि कंपनी उस भार के सृष्ट किए जाने के ठीक पश्चात् ऋण शोध्यक्षम थी, उस नकद रकम तक के सिवाय, अविधिमान्य होगा, जो भार के समय अथवा उसके सृजन के पश्चात् तथा उसके प्रतिफलस्वरूप कंपनी को नकद दी गई रकम में, उस रकम पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अथवा ऐसी अन्य दर से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, ब्याज मिलाकर आती है ।

दुर्भर संपत्ति पर दावा त्याग ।

333. (1) जहां ऐसी कंपनी के, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, किसी भाग में निम्नलिखित समाविष्ट है,—

(क) दुर्भर प्रसंविदाओं से युक्त कोई धृति वाली भूमि;

(ख) कंपनियों में शेयर या स्टाक;

(ग) ऐसी कोई अन्य संपत्ति, जो उसके कब्जाधारी के किसी दुर्भर कार्य के पालन के लिए या किसी धनराशि का संदाय करने के लिए आबद्ध होने के कारण विक्रय योग्य नहीं है या तुरन्त विक्रय के लिए सुलभ नहीं है; या

(घ) अलाभकारी संविदाएं,

वहां कंपनी समापक, इस बात के होते हुए भी कि उसने परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् बारह मास या ऐसी विस्तारित अवधि, जो अधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए, के भीतर किसी समय अधिकरण की इजाजत से और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संविदा के अनुसरण में संपत्ति विक्रय करने का प्रयास किया है या उसका कब्जा लिया है या उसके संबंध में स्वामित्व का कोई कार्य किया है या कोई बात की है, संपत्ति का दावा त्याग सकेगा :

परंतु जहां कंपनी समापक को परिसमापन के प्रारंभ के एक मास के भीतर ऐसी किसी संपत्ति के विद्यमान होने की जानकारी नहीं हुई हो वहां संपत्ति का दावा त्याग करने की शक्ति का प्रयोग, उसके द्वारा उसके बारे में जानकारी होने के पश्चात् बारह मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो अधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए, किसी समय किया जा सकेगा ।

(2) दावा त्याग, दावा त्याग की तारीख से दावा त्याग की गई संपत्ति में या उसके संबंध में कंपनी के अधिकारों, हित और दायित्वों को, अवधारित करने के लिए प्रभावी होगा, किन्तु जहां तक कंपनी और कंपनी की सम्पत्ति को दायित्व से निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है उसके सिवाय, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों, हित या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) अधिकरण, दावा त्याग करने की इजाजत देने से पूर्व या देने पर हितबद्ध व्यक्तियों को ऐसी सूचनाएं दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और इजाजत दिए जाने की शर्त के रूप में ऐसे निबंधन अधिरोपित कर सकेगा और उस विषय में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जो अधिकरण न्यायसंगत और उचित समझे ।

(4) कंपनी समापक, ऐसे किसी मामले में, जहां संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा यह विनिश्चय करने की उससे अपेक्षा करते हुए लिखित में कोई आवेदन किया गया है कि क्या वह दावा त्याग करेगा या नहीं करेगा और कंपनी समापक ने आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् अट्ठाईस दिन की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो अधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए, आवेदक को यह सूचना नहीं दी है कि उसका आशय दावा त्याग करने की इजाजत के लिए अधिकरण को आवेदन करने का है, वहां किसी संपत्ति का दावा त्याग करने का हकदार नहीं होगा और उस दशा में जहां संपत्ति किसी संविदा के अधीन है, कंपनी समापक यथापूर्वोक्त ऐसे आवेदन के पश्चात् उक्त अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर संविदा का दावा त्याग नहीं करता तो उसके द्वारा उसे अंगीकार कर लिया समझा जाएगा ।

(5) अधिकरण, ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर, जो कंपनी समापक के विरुद्ध, कंपनी में फायदे का हकदार है या उसके साथ की गई संविदा के भार के अधीन है, किसी भी पक्षकार द्वारा या उसको संविदा के अननुपालन के कारण हुई नुकसानियों के संदाय के बारे में ऐसे निबंधनों पर या अन्यथा संविदा को विखंडित करने वाला आदेश कर सकेगा,

जो अधिकरण न्यायसंगत और उचित समझे और आदेश के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को संदेय किन्हीं नुकसानियों को उसके द्वारा परिसमापन में ऋण के रूप में साबित किया जा सकेगा ।

(6) अधिकरण, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन पर, जो किसी दावा संपत्ति में किसी हित का दावा करता है या किसी दावा त्याग संपत्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन निर्मुक्त न किए गए किसी दावे के अधीन है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात्, जिन्हें वह ठीक समझे, संपत्ति के लिए हकदार किसी व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में उसे यह न्यायोचित प्रतीत हो कि यथा पूर्वोक्त ऐसे दायित्व के लिए प्रतिकर के रूप में संपत्ति परिदत्त की जानी चाहिए या उसके लिए किसी न्यासी में निहित या परिदान करने वाला आदेश ऐसे निबंधनों पर कर सकेगा, जो अधिकरण न्यायसंगत और उचित समझे और ऐसे किसी निहित किए जाने वाले आदेश के किए जाने पर उसमें समाविष्ट संपत्ति उस प्रयोजन के लिए किसी हस्तांतरण या समनुदेशन के बिना उस निमित्त उसमें नामित व्यक्ति में तद्नुसार निहित होगी :

परंतु जहां दावा त्याग की गई संपत्ति पट्टाधृत प्रकृति की है, वहां अधिकरण, कंपनी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में, चाहे उप पट्टेदार या बंधकदार या पट्टांतरण के रूप में भार के धारक के रूप में, निम्नलिखित निबंधनों के अधीन करने के सिवाय, निहित करने वाला कोई आदेश नहीं करेगा,—

(क) उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अधीन, जो उन व्यक्तियों के हैं जिनके अधीन कंपनी परिसमापन के प्रारंभ पर संपत्ति की बाबत पट्टाधीन थी; या

(ख) यदि अधिकरण ठीक समझे तो केवल उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अधीन, मानो पट्टा उस तारीख को उस व्यक्ति को समनुदेशित किया गया हो,

और किसी भी दशा में, मानो पट्टे में निहित करने वाले आदेश में केवल समाविष्ट संपत्ति सम्मिलित हो और उन निबंधनों पर निहित करने वाले आदेश को प्राप्त करने से इंकार करने वाला कोई बंधकदार या उप पट्टेदार संपत्ति में सभी हितों और उसकी प्रतिभूति से अपवर्जित होगा और यदि ऐसी कंपनी के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जो ऐसे निबंधनों पर कोई आदेश स्वीकार करने का इच्छुक है, तो अधिकरण को पट्टे में पट्टेदार की प्रसंविदाओं का पालन करने के लिए दायी किसी व्यक्ति में, व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि स्वरूप और पृथक् रूप से या कंपनी के साथ संयुक्त रूप से संपत्ति में कंपनी की संपदा और हित को, सभी संपदाओं, विल्लंगमों और कंपनी द्वारा उसमें सृजित हितों से मुक्त और निर्मुक्त रूप में निहित करने की शक्ति होगी ।

(7) ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत, जो इस धारा के अधीन दावा त्याग के प्रवर्तन के कारण प्रभावित हुआ है, यह समझा जाएगा कि वह उस प्रभाव के बारे में संदेय प्रतिकर या नुकसानी की रकम के लिए कंपनी का लेनदार है और वह तद्नुसार परिसमापन में ऋण के रूप में उस रकम को साबित कर सकेगा ।

परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् अंतरणों, आदि का शून्य होना ।

334. (1) स्वेच्छया परिसमापन की दशा में, परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् किया गया कंपनी में शेयरों का कोई अन्तरण, जो कंपनी समापक को या उसकी मंजूरी से किया गया कोई अन्तरण नहीं है और कंपनी के सदस्यों की प्रास्थिति में किया गया कोई परिवर्तन, शून्य होगा ।

(2) अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में, परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् किया गया कंपनी की संपत्ति का, जिसके अंतर्गत अनुयोज्य दावे भी हैं, कोई व्ययन और कंपनी में शेयरों का कोई अंतरण अथवा कंपनी के सदस्यों की प्रास्थिति में किया गया कोई परिवर्तन जब तक अधिकरण अन्यथा आदेश न दे तब तक शून्य होगा ।

अधिकरण द्वारा परिसमापन में कतिपय कुर्कियों, निष्पादनों, आदि का शून्य होना।

335. (1) जहां किसी कंपनी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा रहा है, वहां—

(क) परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात्, कंपनी की संपदा या चीज़बस्त के संबंध में अधिकरण की अनुमति के बिना प्रवृत्त कोई कुर्की, करस्थम् या निष्पादन; या

(ख) ऐसे प्रारंभ के पश्चात्, कंपनी की किन्हीं संपत्तियों या चीज़बस्त का अधिकरण की अनुमति के बिना किया गया कोई विक्रय,

शून्य होगा।

(2) इस धारा की कोई बात सरकार को संदेय किसी कर या लाग या किन्हीं शोध्यों की वसूली संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी ।

समापनाधीन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा अपराध ।

336. (1) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी कंपनी का अधिकारी है या रहा है जिसका अभिकथित अपराध के किए जाने के समय, चाहे अधिकरण के द्वारा या स्वेच्छया, परिसमापन किया जा रहा है या तत्पश्चात् उसका अधिकरण द्वारा परिसमापन किए जाने का आदेश किया जाता है या जो बाद में यह संकल्प पारित करती है कि उसका स्वेच्छया परिसमापन किया जाए,—

(क) कंपनी की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति, उसके उस भाग के सिवाय, जिसका व्ययन कंपनी के कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया है, कंपनी ने उसके किसी भाग का व्ययन कैसे और किसे तथा किस प्रतिफल के लिए और कब किया, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी समापक को पूर्णतः और सही-सही प्रकट नहीं करता;

(ख) कंपनी की जंगम या स्थावर संपत्ति के ऐसे सभी भाग को, जो उसकी अभिरक्षा में या उसके नियंत्रण के अधीन हैं और जिनके परिदत्त किए जाने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है, कंपनी समापक को या उसके निदेशानुसार परिदत्त नहीं करता;

(ग) कंपनी की सभी ऐसी बहियां और कागजपत्र, जो उसकी अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन हैं और जिनके परिदत्त किए जाने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है, कंपनी समापक को या उसके निदेशानुसार परिदत्त नहीं करता;

(घ) परिसमापन के प्रारंभ के ठीक पूर्व बारह मास के भीतर या उसके पश्चात् किसी समय—

(i) कंपनी की संपत्ति का ऐसा कोई भाग, जिसका मूल्य एक हजार रुपए या उससे अधिक है, छिपाता है या कंपनी को या कंपनी से शोध्य किसी ऋण को छिपाता है;

(ii) कंपनी की संपत्ति का ऐसा कोई भाग, जिसका मूल्य एक हजार रुपए या उससे अधिक है, कपटपूर्वक हटाता है;

(iii) ऐसी किसी बही या कागजपत्र को, जिसका कंपनी की संपत्ति या कार्यकलाप पर प्रभाव पड़ता है या जो उससे संबंधित है, छिपाता है, नष्ट करता है, विकृत करता है या मिथ्याकरण करता है या छिपाने, नष्ट करने, विकृत करने या मिथ्याकरण कराने में संसर्गी होता है;

(iv) ऐसी किसी बही या कागजपत्र में, जिसका कपंनी की संपत्ति या कार्यकलाप पर प्रभाव पड़ता है या जो उससे संबंधित है, कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या कराने में संसर्गी होता है;

(v) ऐसी किसी बही या कागजपत्र से, जिसका कंपनी की संपत्ति या कार्यकलाप पर प्रभाव पड़ता है या जो उससे संबंधित है, कपटपूर्वक अपने

को उससे विलग करता है, उसे परिवर्तित करता है या उसमें कोई लोप करता है या कपटपूर्वक अपने को उससे विलग करने, उसे परिवर्तित करने या उसमें कोई लोप करने में संसर्गी होता है;

(vi) किसी मिथ्या व्यपदेशन या अन्य कपट द्वारा कंपनी के लिए या उसकी ओर से ऐसी कोई संपत्ति उधार पर अभिप्राप्त करता है, जिसका कंपनी बाद में संदाय नहीं करती;

(vii) इस मिथ्या कथन के अधीन कि कंपनी अपना कारबार चला रही है, कंपनी के लिए या उसकी ओर से उधार पर कोई संपत्ति अभिप्राप्त करता है, जिसका कंपनी बाद में संदाय नहीं करती; या

(viii) कंपनी की ऐसी किसी संपत्ति का पणयम् करता है, उसे गिरवी रखता है या उसका व्ययन करता है, जो उधार पर अभिप्राप्त की गई है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, जब तक सम्पत्ति का ऐसा पणयम्, गिरवी या व्ययन कंपनी के कारबार के सामान्य अनुक्रम में न किया गया हो;

(ङ) कंपनी के कार्यकलाप से संबंधित किसी विवरण में किसी तात्विक बात का लोप करता है;

(च) यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि परिसमापन के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या ऋण साबित किया गया है, एक मास की अवधि तक उसकी जानकारी कंपनी समापक को देने में असफल रहता है;

(छ) परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् ऐसी किसी बही या कागजपत्र के, जिसका कंपनी की संपत्ति या कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ता है या जो उससे संबंधित है, पेश किए जाने को निवारित करना है;

(ज) परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् या परिसमापन के प्रारंभ के पूर्व आगामी बारह मास के भीतर कंपनी के लेनदारों के किसी अधिवेशन में, काल्पनिक हानियों या व्ययों द्वारा कंपनी की संपत्ति के किसी भाग का उत्तरदायी बनाने का प्रयास करता है; या

(झ) कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में किसी करार या परिसमापन पर कंपनी के लेनदारों या उनमें से किसी की सहमति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या व्यपदेशन या अन्य कपट करने का दोषी है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु यदि अभियुक्त यह साबित कर देता है कि उसका कपटवंचन करने अथवा कंपनी के कार्यकलापों की सही स्थिति छिपाने का अथवा विधि को विफल बनाने का कोई आशय नहीं था, तो यह एक अच्छा प्रतिवाद होगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों में किसी संपत्ति का पणयम् करता है, गिरवी रखता है या व्ययन करता है, जो उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (viii) के अधीन अपराध की कोटि में आता है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति को, यह जानते हुए कि इसका पूर्वोक्त ऐसी परिस्थितियों में पणयम् किया जाना है, उसे गिरवी या व्ययन किया जाना है, पणयम् में या गिरवी या अन्यथा प्राप्त करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अधिकारी" पद के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी के निदेशक कार्य करने के अभ्यस्त हो गए हैं ।

अधिकारियों द्वारा कपट के लिए शास्ति।

337. यदि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जो अभिकथित अपराध के किए जाने के समय ऐसी कंपनी सहित किसी कंपनी का अधिकारी है, जिसका बाद में परिसमापन किए जाने का अधिकरण द्वारा आदेश किया गया है या जिसने स्वेच्छया परिसमापन के लिए कोई संकल्प पारित किया है,—

(क) मिथ्या अपदेशों या किसी अन्य कपट के ढंग से कपंनी को उधार देने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित किया है;

(ख) कंपनी के लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति को कपटवंचित करने के आशय से, कंपनी की संपत्ति का कोई दान या अंतरण, किया है या कराया है या संपत्ति पर भार डलवाया है या उसके विरुद्ध कोई निष्पादन कार्यवाही करवाई है या कार्यवाही कराने में मौनानुकूलता बरती है; अथवा

(ग) कंपनी के लेनदारों को कपटवंचित करने के आशय से कंपनी के विरुद्ध धन के संदाय के लिए अभिप्राप्त किसी असमाधानप्रद निर्णय या आदेश की तारीख से या उस तारीख के पूर्व दो मास के भीतर, कंपनी की संपत्ति के किसी भाग को छिपाया है या हटाया है,

वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

जहां समुचित लेखे नहीं रखे गए हैं, वहां दायित्व ।

338. (1) जहां किसी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है, यदि यह दर्शित किया जाता है कि कंपनी द्वारा परिसमापन के प्रारंभ से ठीक पूर्व दो वर्ष की संपूर्ण अवधि में या कंपनी के निगमन और परिसमापन के प्रारंभ के बीच की अवधि में, इनमें से जो भी कम हो, उचित लेखा बहियां नहीं रखी गईं थी, वहां कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जब तक वह यह दर्शित नहीं करता कि उसने ईमानदारी से कार्य किया था और उन परिस्थितियों में, जिनमें कंपनी का कारबार किया गया था, व्यतिक्रम माफी योग्य था, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि किसी कंपनी की दशा में उचित लेखा बहियां नहीं रखी गई हैं, यदि निम्नलिखित को नहीं रखा गया है,—

(क) ऐसी लेखा बहियां, जो कंपनी के कारबार के संव्यवहारों और उसकी वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित और स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हों, जिनके अंतर्गत सभी प्राप्त नकदी और सभी संदत्त नकदी के पर्याप्त ब्यौरे में प्रतिदिन की गई प्रविष्टियों वाली पुस्तकें भी हैं; और

(ख) जहां कंपनी के कारबार में माल का व्यौहार, वार्षिक स्टाक ग्रहण के विवरण और साधारण खुदरा व्यापार के रूप में विक्रीत माल के सिवाय, विक्रीत और क्रय किए गए सभी माल का, माल और उसके क्रेताओं और विक्रेताओं को इस प्रकार दर्शित करने वाला, जिससे उन माल और उन क्रेताओं और विक्रेताओं का पता लगाया जा सके, पर्याप्त ब्यौरेवार विवरण।

कारबार के कपटपूर्ण संचालन के लिए दायित्व ।

339. (1) यदि किसी कंपनी के परिसमापन के अनुक्रम में यह प्रतीत होता है कि कंपनी का कोई कारबार कंपनी के लेनदारों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को कपटवंचित करने के आशय से या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए किया गया है तो अधिकरण, शासकीय समापक या कंपनी समापक या कंपनी के किसी लेनदार या अभिदाता के आवेदन पर, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, यह घोषित कर सकेगा कि कोई व्यक्ति जो कंपनी का निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी है या रहा है या ऐसे कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर पूर्वोक्त रीति में कारबार किए जाने के पक्षकार थे, दायित्व की किसी सीमा के बिना, कंपनी के सभी या किसी ऋण या अन्य दायित्वों के लिए, जो अधिकरण निदेश करे, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे :

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन की सुनवाई पर, यथास्थिति, शासकीय समापक या कंपनी समापक, स्वयं साक्ष्य दे सकेगा या साक्षियों को बुला सकेगा ।

(2) जहां अधिकरण ऐसी कोई घोषणा करता है, वहां वह ऐसे और निदेश दे सकेगा, जो उस घोषणा से निम्नलिखित को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए वह उचित समझे और विशिष्टतया,—

(क) घोषणा के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति के दायित्व को कंपनी से उसको शोध्य किसी ऋण या बाध्यता पर या किसी बंधक पर भारित करने या उसके द्वारा या उसमें या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उसके या दायी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से समनुदेशिती के रूप में दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भारित या उसमें निहित कंपनी की किन्हीं आस्तियों पर भारित करने के लिए उपबंध कर सकेगा;

(ख) ऐसा और आदेश कर सकेगा, जो इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भार को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ।

(3) जहां किसी कंपनी का कोई कारबार ऐसे आशय से या ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है, जो उपधारा (1) में उल्लिखित है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जानबूझकर पूर्वोक्त रीति में कारबार किए जाने का एक पक्षकार था, धारा 447 के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए दायी होगा ।

(4) यह धारा इस बात के होते हुए भी लागू होगी कि संबंधित व्यक्ति उन विषयों के संबंध में, जिसके आधार पर घोषणा की जानी है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समनुदेशिती" पद के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे या जिसके पक्ष में ऋण, बाध्यता, बंधक या भार दायी व्यक्ति के निदेशों द्वारा सृजित, जारी या अन्तरित किया गया था या हित सृजित किया गया था, किन्तु इसके अन्तर्गत मूल्यवान प्रतिफल के लिए समनुदेशिती नहीं है, जिसमें सद्भावपूर्वक दिए गए और ऐसे आधार पर, जिनकी घोषणा की जाती है, विषयों में से किसी विषय की सूचना दिए बिना, विवाह के रूप में प्रतिफल सम्मिलित नहीं है;

(ख) "अधिकारी" पद के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी के निदेशक कार्य करने के अभ्यस्त हो गए हैं ।

अपचारी निदेशकों, आदि के विरुद्ध नुकसानी निर्धारित करने की अधिकरण की शक्ति।

340. (1) यदि किसी कंपनी के परिसमापन के अनुक्रम में यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति, जिसने कंपनी के संप्रवर्तन या बनाए जाने में भाग लिया है या कोई व्यक्ति जो निदेशक, प्रबंधक, कंपनी समापक है या रहा है या कंपनी के अधिकारी ने—

(क) कंपनी के किसी धन या संपत्ति का दुरुपयोजन किया है, या उसे प्रतिधारित किया है या उसके लिए वह दायी या देनदार हो गया है; या

(ख) कंपनी के संबंध में, किसी अपकरण या विश्वास भंग का दोषी रहा है,

तो अधिकरण, उपधारा (2) में, उस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शासकीय समापक या कंपनी समापक या किसी लेनदार या अभिदायी द्वारा किए गए आवेदन पर पूर्वोक्त व्यक्ति, निदेशक, प्रबंधक, कंपनी समापक या अधिकारी की जांच कर सकेगा और उसे क्रमशः उस धन या संपत्ति या उसके भाग का, जो अधिकरण न्यायसंगत और उचित समझे, ऐसी दर पर ब्याज, के साथ संदाय करने, या वापस करने के लिए या उसके दुरुपयोजन, प्रतिधारण, अपकरण या न्यास भंग के संबंध में प्रतिकर के रूप में कंपनी की ऐसी आस्तियों में ऐसी धनराशि का अभिदाय करने के लिए आदेश दे सकेगा, जो अधिकरण उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन, यथास्थिति, परिसमापन आदेश की तारीख से या परिसमापन में कंपनी समापक की पहली नियुक्ति की तारीख से या दुरुपयोजन, प्रतिधारण, अपकरण या न्यास भंग की तारीख से, इनमें से जो अधिक हो, पांच वर्ष के भीतर किया जाएगा ।

(3) यह धारा इस बात के होते हुए भी लागू होगी कि वह मामला ऐसा मामला है, जिसके लिए संबद्ध व्यक्ति आपराधिक रूप से दायी हो सके।

फर्मों या कंपनियों में भागीदारों या निदेशकों पर धारा 339 और धारा 340 के अधीन दायित्व को विस्तारित करना।

341. जहां किसी फर्म या निगमित निकाय के संबंध में धारा 339 के अधीन कोई घोषणा या धारा 340 के अधीन कोई आदेश किया जाता है, वहां अधिकरण को किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी, यथास्थिति, धारा 339 के अधीन घोषणा करने या धारा 340 के अधीन आदेश पारित करने की भी शक्ति होगी, जो सुसंगत समय पर उस फर्म का भागीदार या उस निगमित निकाय का निदेशक था ।

कंपनी के अपचारी अधिकारियों और सदस्यों का अभियोजन ।

342. (1) यदि अधिकरण द्वारा परिसमापन के अनुक्रम में अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो कंपनी का अधिकारी या कोई सदस्य है या रहा है, कंपनी के संबंध में किसी अपराध का दोषी रहा है तो अधिकरण या तो परिसमापन में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, समापक को यह निदेश दे सकेगा कि वह अपराधी को अभियोजित करे या मामले को रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कर दे ।

(2) यदि स्वेच्छया परिसमापन के अनुक्रम में, कंपनी समापक को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो कंपनी का अधिकारी या कोई सदस्य है या रहा है, इस अधिनियम के अधीन कंपनी के संबंध में किसी अपराध का दोषी रहा है तो वह तुरन्त मामले को रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा और उसे ऐसी जानकारी देगा और किन्हीं बहियों और कागजपत्रों की प्रतियों का निरीक्षण करने के लिए और उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए ऐसी पहुंच प्रदान करेगा और उसके लिए सुविधाएं प्रदान करेगा, जो कंपनी समापक के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन जानकारी या बहियों और कागजपत्रों के रूप में है और प्रश्नगत मामलों से संबंधित हैं जैसी रजिस्ट्रार अपेक्षा करे ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई रिपोर्ट रजिस्ट्रार को की जाती है, वहां वह,—

(क) यदि वह उचित समझे तो, उसके द्वारा अभिहित किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी के कार्यकलापों की और जांच करने का आदेश करने के लिए तथा अन्वेषण की वे सभी शक्तियां, जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हैं, उस व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा;

(ख) यदि वह यह समझता है कि वह ऐसा मामला है, जिसमें अभियोजन संस्थित किया जाना चाहिए तो वह मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा और

वह सरकार, ऐसी विधिक सलाह लेने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, अभियोजन संस्थित करने के लिए रजिस्ट्रार को निदेश कर सकेगी :

परन्तु इस खंड के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कोई रिपोर्ट अभियुक्त व्यक्ति को प्रथमतः लिखित रूप में रजिस्ट्रार को कथन करने और उस पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी ।

(4) यदि स्वेच्छया से परिसमापन के अनुक्रम में अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो कंपनी का अधिकारी या कोई सदस्य है या रहा है यथापूर्वोक्त दोषी रहा है, और उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार को कंपनी समापक द्वारा उक्त मामले के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की गई है तो, अधिकरण परिसमापन में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसी रिपोर्ट करने के लिए कंपनी समापक को निदेश दे सकेगा और रिपोर्ट किए जाने पर इस धारा के उपबंधों का ऐसा प्रभाव होगा मानो वह रिपोर्ट उपधारा (2) के उपबधों के अनुसरण में की गई हो ।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई अभियोजन संस्थित किया जाता है, तब समापक और प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का अधिकारी है या रहा है और अभिकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियोजन के संबंध में ऐसी सभी सहायता दे, जिसे देने के लिए वह युक्तियुक्त रूप से समर्थ है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी के संबंध में, "अभिकर्ता" पद के अंतर्गत कंपनी का कोई बैंककार या विधि सलाहकार और लेखा संपरीक्षक के रूप में कंपनी द्वारा नियोजित व्यक्ति भी होगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित सहायता देने में असफल रहेगा या उपेक्षा करेगा तो वह जुर्माने का, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

कंपनी समापक द्वारा कतिपय शक्तियों का मंजूरी के अधीन रहते हुए प्रयोग करना ।

343. (1) कंपनी समापक—

(क) जब अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है, तब अधिकरण की मंजूरी से; और

(ख) स्वेच्छया परिसमापन की दशा में कंपनी के विशेष संकल्प की मंजूरी से और अधिकरण के पूर्व अनुमोदन से,—

(i) किसी प्रवर्ग के लेनदारों को पूरा संदाय कर सकेगा;

(ii) लेनदारों से अथवा ऐसे व्यक्तियों से, जो लेनदार होने का दावा करते हैं, या कंपनी के विरुद्ध अपना कोई वर्तमान या भावी कोई निश्चित या आकस्मिक दावा करते हैं या अभिकथित करते हैं या जिसके द्वारा कंपनी दायी हो सकती है, कोई समझौता या ठहराव कर सकेगा; या

(iii) किसी मांग या मांग से संबंधित दायित्व का, ऋण और ऐसे दायित्व का, जिसके परिणामस्वरूप कोई ऋण हो सकता है तथा वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, केवल नुकसानी के रूप में अभिनिश्चित या परिमेय किसी दावे का, जो कंपनी के और अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी या कंपनी के प्रति दायित्वाधीन होने की आशंका रखने वाले व्यक्ति के बीच विद्यमान है या जिसका विद्यमान होना अधिकथित है और कंपनी की आस्तियों या दायित्वों या परिसमापन से किसी रूप में संबंधित या उस पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रश्नों के विषय में, ऐसे निबंधनों पर, जो सहमत किए जाएं, समझौता कर सकेगा और किसी ऐसी मांग, ऋण, दायित्व या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति ले सकेगा तथा उसकी बाबत पूर्ण उन्मोचन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में, केन्द्रीय सरकार यह उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी कि कंपनी समापक ऐसी परिस्थितियों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों और ऐसी शर्तों, निबंधनों और परिसीमाओं के अधीन यदि कोई हों, जो विहित की जाएं, रहते हुए उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी शक्ति का प्रयोग, अधिकरण की मंजूरी के बिना कर सकेगा ।

(3) कोई लेनदार या अभिदायी इस धारा के अधीन कंपनी समापक द्वारा शक्तियों के किसी प्रयोग या प्रस्तावित प्रयोग के संबंध में अधिकरण को विहित रीति में आवेदन कर सकेगा और अधिकरण ऐसे आवेदक और कंपनी समापक को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

ऐसा कथन कि कंपनी समापनाधीन है ।

344. (1) जहां किसी कंपनी का परिसमापन, चाहे अधिकरण द्वारा या स्वेच्छया से किया जा रहा है, वहां कंपनी या कंपनी के किसी कंपनी समापक अथवा कंपनी की संपत्ति के रिसीवर या प्रबंधक द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए प्रत्येक बीजक, माल के आदेश या कारबार पत्र में, जो ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर या जिनमें कंपनी का नाम दिया हुआ है, यह कथन होगा कि कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है ।

(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के उपबंधों का व्यतिक्रम करती है तो कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, कंपनी समापक और कोई रिसीवर या प्रबंधक, जो जानबूझकर ऐसे अननुपालन को प्राधिकृत करता है या उसकी अनुज्ञा देता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनी की बहियों और कागजपत्रों का साक्ष्य होना ।

345. जहां किसी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है वहां कंपनी और कंपनी समापक की सभी बहियां और कागजपत्र कंपनी के अभिदाताओं के बीच में उन सभी बातों की सत्यता का प्रथमदृष्टया साक्ष्य होंगे, जिनका उनमें अभिलिखित किया जाना तात्पर्यित है ।

लेनदारों और अभिदाताओं द्वारा बहियों और कागजपत्रों का निरीक्षण ।

346. (1) अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन का कोई आदेश करने के पश्चात् किसी भी समय, कंपनी का कोई लेनदार या अभिदाता, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं और उनके अधीन रहते हुए ही केवल कंपनी की बहियों और कागजपत्रों का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को;

(ख) किसी प्राधिकारी या अधिकारी को; या

(ग) किसी ऐसी सरकार के प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति, या ऐसे किसी प्राधिकारी या अधिकारी को,

प्रदत्त अधिकारों को अपवर्जित या निर्बंधित करने वाली है ।

कंपनी की बहियों और कागजपत्रों का व्ययन ।

347. (1) जब किसी कंपनी के कार्यकलापों का पूर्णतया परिसमापन हो गया है और उसका विघटन होने वाला है, तब उसकी और कंपनी समापक की बहियां और कागजपत्र निम्नलिखित रूप से व्ययनित किए जा सकेंगे,—

(क) अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में, ऐसी रीति से, जो अधिकरण निदेश दे; और

(ख) स्वेच्छया परिसमापन की दशा में, ऐसी रीति से जो कंपनी विशेष संकल्प द्वारा लेनदारों के पूर्व अनुमोदन से निदेश दे ।

(2) कंपनी के विघटन से पांच वर्ष के अवसान के पश्चात्, कंपनी, कंपनी समापक या ऐसे किसी व्यक्ति पर, जिसे बहियों और कागजपत्रों की अभिरक्षा न्यस्त की गई है, कोई उत्तरदायित्व इस कारण न्यायगत न होगा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं जो उसमें हितबद्ध होने का दावा करता है ।

(3) केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा,—

(क) ऐसी अवधि के लिए, जो केन्द्रीय सरकार उचित समझे ऐसी किसी कंपनी, जिसका परिसमापन हो गया है या उसके कंपनी समापक की बहियों और कागजपत्रों को नष्ट किए जाने से निवारित कर सकेगी; और

(ख) कंपनी के किसी लेनदार या अभिदायी को खंड (क) में विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन करने के लिए और किसी ऐसे आदेश से, जो उस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए, अधिकरण को अपील करने के लिए समर्थ कर सकेगी ।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी विरचित नियम का उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश के उल्लघंन में कोई कार्य करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

लंबित समापनों के बारे में जानकारी।

348. (1) यदि किसी कंपनी का परिसमापन उसके प्रारंभ के पश्चात् एक वर्ष के भीतर समाप्त नहीं होता है तो कंपनी समापक, जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या तो पूर्णतः या भागतः ऐसा करने से छूट न दी गई हो, उस वर्ष की समाप्ति के दो मास के भीतर और तत्पश्चात् परिसमापन पूरा होने तक एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों पर या ऐसे अल्पतर अन्तरालों पर, यदि कोई हों, जो विहित किए जाएं, विहित प्ररूप में, समापन की कार्यवाहियों और स्थिति के संबंध में कंपनी के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित ऐसी विशिष्टियों वाला, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, एक कथन,—

(क) अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में, अधिकरण के पास फाइल करेगा; और

(ख) स्वेच्छया परिसमापन की दशा में, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा :

परंतु ऐसी कोई संपरीक्षा, जो इस उपधारा में निर्दिष्ट है, वहां आवश्यक नहीं होगी, जहां धारा 294 के उपबंध लागू होते हैं ।

(2) जब उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अधिकरण के पास कथन फाइल किया गया है, तो उसके साथ-साथ एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भी फाइल की जाएगी और उसके द्वारा कंपनी के अन्य अभिलेखों के साथ रखी जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कथन समापनाधीन में किसी सरकारी कंपनी से संबंधित है, वहां कंपनी समापक उसकी एक प्रति,—

(क) केन्द्रीय सरकार को भेजेगा, यदि वह सरकार, सरकारी कंपनी की सदस्य है;

(ख) किसी राज्य सरकार को भेजेगा, यदि वह सरकार, सरकारी कंपनी की सदस्य है; या

(ग) केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार को भेजेगा, यदि दोनों सरकारें, सरकारी कंपनी के सदस्य हैं ।

(4) कोई व्यक्ति, जो स्वयं लिखित रूप में यह कथन करता है कि वह कंपनी का लेनदार या अभिदायी है, सभी युक्तियुक्त समयों पर, विहित फीस का संदाय करने पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी का स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा निरीक्षण करने और उसकी प्रति प्राप्त करने या उससे उद्धरण लेने का हकदार होगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) के अधीन कपटपूर्वक यह कथन करेगा कि वह लेनदार या अभिदायी है तो यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अधीन अपराध का दोषी है और कंपनी समापक के आवेदन पर तद्नुसार दंडनीय होगा । 1860 का 45

(6) यदि कोई कंपनी समापक इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो कंपनी समापक जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता चालू रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(7) यदि कंपनी समापक उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन की कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अनर्हित किसी व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा कराकर जानबूझकर व्यतिक्रम करेगा तो कंपनी समापक कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

शासकीय समापक द्वारा भारत के लोक लेखा में संदाय करना।

349. प्रत्येक शासकीय समापक, किसी कंपनी के शासकीय समापक के रूप में उसके द्वारा प्राप्त धन को, ऐसी रीति में और ऐसे समयों पर, जो विहित किए जाएं, भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के लोक लेखा में संदाय करेगा ।

कंपनी समापक द्वारा धन राशियों को अनुसूचित बैंक में जमा करना ।

350. (1) किसी कंपनी का प्रत्येक कंपनी समापक अपनी हैसियत में उसके द्वारा प्राप्त धन राशियों को, ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त उसके द्वारा अनुसूचित बैंक में खोले गए किसी विशेष बैंक खाते में जमा करेगा :

परंतु यदि अधिकरण का यह विचार है कि लेनदारों या अभिदाताओं या कंपनी के लिए यह लाभप्रद है तो वह उसके द्वारा ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट बैंक में खाता खोलने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) यदि कोई कंपनी समापक, किसी भी समय, पांच हजार रुपए से अधिक राशि या ऐसी अन्य रकम जिसे अधिकरण, कंपनी समापक के आवेदन पर, प्रतिधारित करने के लिए उसे प्राधिकृत करे, दस दिन से अधिक समय के लिए प्रतिधारित करता है, तो जब तक वह अधिकरण के समाधानप्रद रूप में प्रतिधारण को स्पष्ट नहीं करता है तब तक वह—

(क) इस प्रकार प्रतिधारित अधिक रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा और ऐसी शास्ति का भी संदाय करेगा, जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए;

(ख) उसके व्यतिक्रम के कारण हुए किसी व्यय का संदाय करने के लिए भी दायी होगा; और

(ग) अपने सभी पारिश्रमिक या ऐसे भाग को नामंजूर किए जाने का दायी होगा जो अधिकरण न्यायसंगत और उचित समझे, या अपने पद से भी हटाया जा सकेगा।

समापक द्वारा प्राइवेट बैंक खाते में धन का निक्षेप न करना ।

351. किसी कम्पनी का न तो शासकीय समापक, न ही कंपनी समापक अपनी हैसियत में उसके द्वारा प्राप्त किसी धन का निक्षेप किसी प्राइवेट बैंक खाते में करेगा ।

कंपनी समापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखा।

352. (1) जहां किसी कंपनी का परिसमापन हो रहा है और समापक के पास या उसके नियंत्रण में निम्नलिखित कोई धन है—

(क) किसी लेनदार को संदेय लाभांश जो उस तारीख के पश्चात् जिसको लाभांश घोषित किए गए थे, छह मास तक असंदत्त रहे थे; या

(ख) किसी अभिदाता को प्रतिदेय ऐसी आस्तियां जो उस तारीख के पश्चात्, जिसको वे प्रतिदेय हो गई थीं, छह मास तक अवितरित रही हैं,

वहां समापक तुरन्त उक्त धन को किसी अनुसूचित बैंक में रखे गए कंपनी समापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखा नामक पृथक् विशेष खाते में जमा करेगा ।

(2) समापक, कंपनी के विघटन पर, विघटन की तारीख को उसके पास असंदत्त लाभांशों या अवितरित आस्तियों के रूप में किसी धन का कंपनी समापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखा में संदाय करेगा ।

(3) समापक, उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी संदाय को करते समय, रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में ऐसा विवरण देगा, जिसमें ऐसे संदाय में सम्मिलित सभी राशियों की बाबत, राशियों की प्रकृति, उसमें भाग लेने के लिए हकदार व्यक्तियों के नाम और उनके अंतिम ज्ञात पते, वह रकम जिसके लिए प्रत्येक हकदार है और उसके दावे का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित होंगी ।

(4) समापक, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अनुसूचित बैंक से उसको संदत्त किए गए किसी धन के लिए, उससे धन की रसीद पाने का हकदार होगा और ऐसी प्राप्ति उस रकम की बाबत कंपनी समापक के प्रभावी उन्मोचन में रहेगी ।

(5) जहां किसी कंपनी का परिसमापन स्वेच्छया से किया जा रहा है वहां कंपनी समापक, धारा 348 की उपधारा (1) के अनुसरण में विवरण फाइल करते समय, ऐसी धन राशियों को उपदर्शित करेगा, जो इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उस तारीख से पूर्ववर्ती छह मास के दौरान संदेय है जिसको उक्त विवरण तैयार किया जाता है और उक्त विवरण फाइल किए जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर, उस धनराशि का कंपनी समापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखे में संदाय करेगा ।

(6) कंपनी समापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखे में संदत्त किसी धन का, चाहे इस धारा के अनुसरण में या किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया हो, हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसके संदाय के आदेश के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार का, यदि यह समाधान हो जाता है कि दावा करने वाला व्यक्ति हकदार है तो वह उस देय राशि का उक्त व्यक्ति को संदाय करने के लिए आदेश कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति के दावे का, ऐसे दावे की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करेगा जिसके न हो सकने पर रजिस्ट्रार ऐसी विफलता के लिए कारण देते हुए प्रादेशिक निदेशक को रिपोर्ट करेगा ।

(7) इस धारा के अनुसरण में कंपनी समापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखे में संदत्त कोई धन, जो पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए तत्पश्चात् अदावाकृत रहता है, केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अंतरित कर दिया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अंतरित किसी धन का दावा उपधारा (6) के अधीन किया जा सकेगा और उस पर ऐसे कार्रवाई की जाएगी मानो ऐसा अंतरण किया न गया हो और दावे के संदाय किए जाने के लिए किसी आदेश को, यदि कोई हो, इस प्रकार समझा जाएगा, मानो वह राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश है ।

(8) ऐसे किसी धन को प्रतिधारित करने वाला कोई समापक जो कंपनी के समापन लाभांश और अवितरित आस्ति लेखे में इस धारा के अधीन उसके द्वारा संदत्त किया जाना चाहिए था,—

(क) इस प्रकार प्रतिधारित रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ऐसी शास्ति का भी संदाय करेगा, जो रजिस्ट्रार द्वारा अवधारित की जाए:

परंतु, केन्द्रीय सरकार, किसी समुचित मामले में, उस ब्याज की रकम का, जिसकी समापक से इस खंड के अधीन संदाय करने की अपेक्षा की गई है, या तो भागतः या पूर्णतः परिहार कर सकेगी;

(ख) उसके व्यतिक्रम के कारण हुए किसी व्यय का भी संदाय करने का दायी होगा; और

(ग) जहां परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जा रहा है वहां उसके संपूर्ण पारिश्रमिक या उसके ऐसे भाग को, जो अधिकरण, न्यायसंगत और उचित समझे नामंजूर किए जाने के लिए तथा अधिकरण द्वारा अपने पद से हटाए जाने के लिए भी दायी होगा ।

समापक द्वारा विवरणी, आदि तैयार करना ।

353. (1) यदि किसी कंपनी समापक ने, जिसने कोई विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज फाइल करने या उसे प्रदत्त करने या तैयार करने में ऐसी या कोई सूचना देने में, जिसकी बाबत विधि द्वारा उससे अपेक्षा की गई है कि वह उसे फाइल करे, परिदत्त करे, तैयार करे या दे, कोई व्यतिक्रम किया है, ऐसा करने वाली सूचना की उस पर तामील के पश्चात् चौदह दिन के भीतर उस व्यतिक्रम को दूर करने में असफल रहता है तो अधिकरण कंपनी के किसी अभिदायी या लेनदार द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा अधिकरण में किए गए आवेदन पर कंपनी समापक को निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा कि वह आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यतिक्रम को दूर करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश में यह उपबंध हो सकेगा कि आवेदन के सभी और आनुषंगिक खर्चे कंपनी समापक द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) इस धारा में की गई कोई बात, यथापूर्वोक्त ऐसे किसी व्यतिक्रम के संबंध में कंपनी समापक पर शास्तियां अधिरोपित करने वाली किसी अधिनियमिति के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

लेनदारों या अभिदायियों की आकांक्षाओं को अभिनिश्चित करने के लिए बैठकें।

354. (1) अधिकरण, किसी कंपनी के परिसमापन से संबंधित सभी मामलों में,—

(क) कंपनी के लेनदारों और अभिदायियों की उन आकांक्षाओं का ध्यान रखेगा, जो किसी पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित हो गई हों;

(ख) यदि वह उन आकांक्षाओं को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे तो, लेनदारों और अभिदायियों का अधिवेशन बुला सकेगा, आयोजित कर सकेगा और ऐसी रीति से संचालित कर सकेगा, जो अधिकरण निदेशित करे;

(ग) ऐसी किन्हीं बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने और उसके परिणामों की रिपोर्ट अधिकरण को करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन लेनदारों की आकांक्षाएं अभिनिश्चित करते समय प्रत्येक लेनदार के ऋण के मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिदायियों की आकांक्षाओं को अभिनिश्चित करते समय प्रत्येक अभिदायी द्वारा डाले गए मतों की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा ।

न्यायालय, अधिकरण या व्यक्ति, आदि, जिसके समक्ष शपथ-पत्र पर शपथ ली जा सकेगी ।

355. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन या प्रयोजनों के लिए शपथ लेने के लिए अपेक्षित किसी शपथ-पत्र पर निम्नलिखित के समक्ष शपथ ली जा सकेगी—

(क) भारत में किसी न्यायालय, अधिकरण, न्यायाधीश या ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जो शपथ-पत्र लेने या प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत है; और

(ख) किसी अन्य देश में, किसी न्यायालय, न्यायाधीश या ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो उस देश में शपथ-पत्र लेने या प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत है या भारतीय राजनयिक या कौंसलीय आफिसर के समक्ष ।

(2) भारत के सभी अधिकरण, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, आयुक्त और न्यायिक रूप से कार्यरत व्यक्ति, यथास्थिति, किसी ऐसे न्यायालय, अधिकरण, न्यायाधीश, व्यक्ति, राजनयिक

या कौंसलीय आफिसर की उस मुद्रा, स्टाम्प या हस्ताक्षर को, जो ऐसे किसी शपथ-पत्र से संलग्न, उपाबद्ध या हस्ताक्षरित हो या इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी अन्य दस्तावेज की न्यायिक अवेक्षा करेंगे ।

कंपनी के विघटन को शून्य घोषित करने की अधिकरण की शक्ति।

356. (1) जहां किसी कंपनी का विघटन, चाहे इस अध्याय के या धारा 232 के अनुसरण में या अन्यथा किया गया है, वहां अधिकरण विघटन की तारीख से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय कंपनी के कंपनी समापक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जिसकी बाबत अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि वह हितबद्ध है, आवेदन पर विघटन को शून्य घोषित करने का आदेश, ऐसे निबंधनों पर, जो अधिकरण ठीक समझे, कर सकेगा और तदुपरान्त ऐसी कार्यवाहियां की जा सकेंगी मानो कंपनी का विघटन नहीं हुआ हो ।

(2) कंपनी समापक या उस व्यक्ति का, जिसके आवेदन पर आदेश किया गया था, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आदेश के किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो अधिकरण अनुज्ञात करे, रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रमाणित प्रति फाइल करे जिसे वह रजिस्टर करेगा और यदि कंपनी समापक या वह व्यक्ति, ऐसा करने में असफल रहता है तो कंपनी समापक या वह व्यक्ति जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अधिकरण द्वारा परिसमापन का प्रारंभ।

357. (1) जहां, अधिकरण द्वारा किसी कंपनी के परिसमापन के लिए कोई याचिका प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कंपनी द्वारा स्वेच्छया परिसमापन के लिए संकल्प पारित कर दिया जाता है, वहां परिसमापन संकल्प के पारित होने के समय से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा और जब तक कि अधिकरण कपट या त्रुटि के कोई प्रमाण पर अन्यथा निदेश करना उचित न समझे, स्वेच्छया परिसमापन में की गई सभी कार्यवाहियां विधिपूर्वक की गई समझी जाएंगी ।

(2) किसी अन्य मामले में, अधिकरण द्वारा, किसी कंपनी का परिसमापन, परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के समय से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा ।

परिसीमाकाल की संगणना करने में कतिपय समय का अपवर्जन ।

1963 का 36

358. परिसीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी, जिसका अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा रहा है, के नाम में या उसकी ओर से किसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमाकाल की संगणना करने में, कंपनी के परिसमापन के प्रारंभ की तारीख से परिसमापन के आदेश की तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती एक वर्ष की अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

भाग 4

शासकीय समापक

शासकीय समापक की नियुक्ति ।

359. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां तक इसका संबंध अधिकरण द्वारा कंपनियों के शासकीय परिसमापन से है, केन्द्रीय सरकार उतने शासकीय समापकों, संयुक्त शासकीय समापकों, शासकीय उप समापकों, सहायक शासकीय समापकों की नियुक्ति कर सकेगी, जो वह शासकीय समापक के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समापक केन्द्रीय सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे ।

(3) शासकीय समापक, संयुक्त शासकीय समापक, उप शासकीय समापक, सहायक शासकीय समापक के वेतन और अन्य भत्ते, केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त होंगे ।

शासकीय समापक की शक्तियां और कृत्य ।

360. (1) शासकीय समापक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासकीय समापक—

(क) उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कंपनी समापक द्वारा प्रयोग की जाती हों; और

(ख) परिसमापन कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में, यदि अधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए, जांच या अन्वेषण कर सकेगा।

परिसमापन के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया ।

361. (1) जहां इस अध्याय के अधीन परिसमापन की जाने वाली कंपनी,—

(i) की बही मूल्य आस्तियां एक करोड़ रुपए से अनधिक हैं; और

(ii) कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों से संबंधित है, जो विहित किए जाएं, वहां केन्द्रीय सरकार, इस भाग के अधीन उपबंधित संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा उसके परिसमापन का आदेश कर सकेगी।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार शासकीय समापक को कंपनी के समापक के रूप में नियुक्त करेगी ।

(3) शासकीय समापक, कंपनी की उन सभी आस्तियों, चीजबस्त और अनुयोज्य दावों को तुरन्त अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में लेगा, जिसके लिए कंपनी हकदार है या हकदार प्रतीत होती है ।

(4) शासकीय समापक, अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार को, ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट देगा जिसके अंतर्गत यह रिपोर्ट भी है, कि क्या उसकी राय में कंपनी के संप्रवर्तन, बनाने या उसके कार्यकलापों के प्रबंधन में कोई कपट किया गया है या नहीं ।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कंपनी के संप्रवर्तकों, निदेशकों या किसी अन्य अधिकारी द्वारा कोई कपट किया गया है तो वह कंपनी के कार्यकलापों का और अन्वेषण करने का निदेश कर सकेगी और उसकी रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जो विहित किया जाए ।

(6) उपधारा (5) के अधीन अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार यह आदेश कर सकेगी कि परिसमापन कार्यवाही इस अध्याय के भाग 1 के अधीन या इस भाग के उपबंधों के अधीन की जाए ।

आस्तियों का विक्रय और कंपनी को शोध्य ऋणों की वसूली ।

362. (1) शासकीय समापक अपनी नियुक्ति के साठ दिन के भीतर सभी आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर शीघ्रता से निपटान करेगा ।

(2) शासकीय समापक अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर, कंपनी के, यथास्थिति, ऋणियों या अभिदाताओं को यह अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा कि वे उसके पास तीस दिन के भीतर कंपनी को देय रकम जमा कर दें।

(3) जहां किसी ऋणी ने उपधारा (2) के अधीन रकम जमा नहीं की है, वहां केन्द्रीय सरकार, शासकीय समापक द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(4) शासकीय समापक द्वारा इस धारा के अधीन वसूली गई रकम, धारा 349 के उपबंधों के अनुसार जमा की जाएगी ।

शासकीय समापक द्वारा लेनदारों के दावों का तय किया जाना ।

363. (1) शासकीय समापक, अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर, कंपनी के लेनदारों से, यह अपेक्षा करेगा कि वे अपने दावों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी अपेक्षा किए जाने के तीस दिन के भीतर, साबित करें।

(2) शासकीय समापक, लेनदारों के दावों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा और प्रत्येक लेनदार को ऐसे कारणों के साथ जो लेखबद्ध किए जाएं, दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना दी जाएगी ।

364. (1) धारा 363 के अधीन शासकीय समापक के विनिश्चय से व्यथित कोई लेनदार ऐसे विनिश्चय के तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा। लेनदार द्वारा अपील।

(2) केन्द्रीय सरकार, शासकीय समापक से रिपोर्ट मांगने के पश्चात् अपील को खारिज कर सकेगी या शासकीय समापक के विनिश्चय को उपांतरित कर सकेगी ।

(3) शासकीय समापक ऐसे लेनदारों को संदाय करेगा, जिनके दावे स्वीकार कर लिए गए हैं।

(4) केन्द्रीय सरकार दावे तय करने के दौरान किसी प्रकम पर, यदि आवश्यक समझे, तो मामला आवश्यक आदेशों के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी।

365. (1) शासकीय समापक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कंपनी का अंतिम रूप से परिसमापन हो गया है, अंतिम रिपोर्ट,— कंपनी के विघटन का आदेश ।

(i) धारा 364 की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण को कोई निर्देश नहीं किए जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार को भेजेगा; और

(ii) किसी अन्य दशा में केन्द्रीय सरकार और अधिकरण को भेजेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर यह आदेश करेगा कि कंपनी विघटित कर दी जाए।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, वहां रजिस्ट्रार, कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम काट देगा और इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगा।

अध्याय 21

भाग 1

वे कंपनियां जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत हैं

366. (1) इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "कंपनी" शब्द के अंतर्गत, कोई भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाया गया कोई अन्य कारबार अस्तित्व भी है जिसने इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है। वे कंपनियां जिनका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट अपवादों सहित और उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई कंपनी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, इस अधिनियम से भिन्न संसद् के किसी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में बनाई गई हो या विधि के अनुसार अन्यथा सम्यक् रूप से गठित हो और सात या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हो, अपने को अपरिसीमित कंपनी के रूप में या अंशों द्वारा परिसीमित कंपनी के रूप में या प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी के रूप में किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत करा सकेगी और रजिस्ट्रीकरण केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि यह कंपनी के परिसमापन किए जाने की दृष्टि से किया गया है:

परंतु—

1882 का 6
1913 का 7
1956 का 1

(i) इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1882 के अधीन या इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913 या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी इस धारा के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी;

(ii) ऐसी कोई कंपनी, जिसके अपने सदस्यों का दायित्व इस अधिनियम से भिन्न संसद् के किसी अधिनियम द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा परिसीमित है, इस धारा के अनुसरण में अपरिसीमित कंपनी के रूप में या प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी;

(iii) कोई कंपनी इस धारा के अनुसरण में केवल तभी शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की जाएगी यदि उसकी कोई स्थायी या शेयरों में विभाजित नियत रकम की समादत्त या अभिहित अथवा स्टॉक के रूप में धृत और अंतरणीय या भागतः एक रूप में और भागतः दूसरे रूप में विभाजित और धृत नियत रकम की भी शेयर पूंजी है और जो इस सिद्धांत पर बनाई गई है कि उसके सदस्य उन शेयरों या उस स्टाक के धारक होंगे न कि अन्य व्यक्ति;

(iv) कंपनी इस धारा के अनुसरण में, इस प्रयोजन के लिए आहूत किसी साधारण अधिवेशन में अपने सदस्यों के, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, ऐसे बहुमत की या जहां परोक्षियों को अनुज्ञात किया गया है वहां परोक्षी की सहमति के बिना रजिस्टर नहीं की जाएगी;

(v) जहां कंपनी के अपने सदस्यों का दायित्व संसद् के किसी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा परिसीमित नहीं हैं वहां वह कंपनी परिसीमित कम्पनी के रूप में भी रजिस्ट्रीकरण करवाने वाली है तो यथा पूर्वोक्त अनुमति के लिए अपेक्षित बहुसंख्या स्वयं या उस दशा में जहां परोक्षी अनुज्ञात होता है, परोक्षी द्वारा उपस्थित सदस्यों में से तीन-चौथाई से अन्यून सदस्यों से मिलाकर गठित होगी;

(vi) जहां कोई कंपनी प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण करवाने वाली है वहां उसका ऐसे रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए अनुमति के साथ ऐसा एक संकल्प होगा जिसमें यह घोषणा होगी कि प्रत्येक सदस्य, कम्पनी के ऋण और दायित्वों के अथवा ऐसे ऋणों और दायित्वों के, जो उस समय से पूर्व जब वह सदस्य न रहा हो, लिए या ग्रहण किए गए थे तथा परिसमापन के खर्चे, प्रभारों और व्ययों को चुकाने के लिए तथा अभिदायियों के अधिकारों का उनमें परस्पर समायोजन करने के लिए ऐसी रकम जो अपेक्षित हो, किंतु जों विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी, कंपनी की आस्तियों में उस दशा में अभिदत्त करने का भार ग्रहण करता है जिसमें उस कम्पनी का परिसमापन उस दौरान जब वह सदस्य है या अपने सदस्य न रह जाने के पश्चात् एक वर्ष के अंदर होता है।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अपेक्षित किसी बहुसंख्यक की संगणना करने में, उस समय जब कि मतांकन की मांग की जाती है उन मतों की संख्या को, जिनके लिए प्रत्येक सदस्य कंपनी के विनियमों के अनुसार हकदार है, ध्यान में रखा जाएगा।

विद्यमान कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।

367. रजिस्ट्रीकरण विषयक इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर और ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो धारा 403 के अधीन संदेय है, के संदाय पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी इस अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में निगमित है और परिसीमित कंपनी की दशा में, वह परिसीमित कंपनी है और ऐसा होने पर कंपनी उस प्रकार निगमित हो जाएगी।

रजिस्ट्रीकरण पर संपत्ति का निहित होना।

368. इस भाग के अनुसरण में अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख पर सभी संपत्ति, जंगम और स्थावर (जिनके अंतर्गत अनुयोज्य दावे भी हैं) जो कंपनी की है या उसमें निहित हैं, उसमें उस कंपनी की पूरी सम्पदा और उसमें के हित ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर, उस कंपनी को संक्रांत हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे जो इस अधिनियम के अधीन निगमित हैं।

विद्यमान दायित्वों की व्यावृत्ति ।

369. इस भाग के अनुसरण में कंपनी का रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रभाव रजिस्ट्रीकरण के पूर्व कंपनी द्वारा, उसके साथ या उसकी ओर से, उपगत किसी ऋण या बाह्यता या की गई किसी संविदा की बाबत उसके अधिकारों या दायित्वों पर नहीं पड़ेगा।

370. कंपनी या उसके किसी लोक अधिकारी या सदस्य द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो इस भाग के अनुसरण में कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के समय लंबित हैं उसी रीति में जारी रहेंगी मानो रजिस्ट्रीकरण हुआ ही न हो: लंबित विधिक कार्यवाहियों का जारी रहना ।

परंतु कम्पनी के किसी व्यष्टिक सदस्य की सम्पत्ति के या व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में अभिप्राप्त किसी डिक्री या आदेश पर निष्पादन कार्यवाही नहीं होगी किन्तु डिक्री या आदेश का पूरा समाधान करने में कंपनी की संपत्ति अपर्याप्त होने की दशा में कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश अभिप्राप्त किया जा सकेगा।

371. (1) जब कोई कंपनी इस भाग के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत की जाती है तब उपधारा (2) से उपधारा (7) लागू होंगी। इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव ।

(2) संसद् के किसी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या कंपनी को गठित या विनियमित करने वाली अन्य लिखत में जिसके अंतर्गत ऐसी कंपनी की दशा में जो प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है, प्रत्याभूति की रकम की घोषणा करने वाला संकल्प भी है अन्तर्विष्ट सभी उपबंध उसी रीति में और उन्हीं प्रसंगतियों सहित कंपनी की वैसी ही शर्तें और विनियम समझे जाएंगे मानो उसमें से इतनी जितनी यदि कंपनी इस अधिनियम के अधीन बनाई गई होती तो ज्ञापन में अंतःस्थापित किए जाने के लिए अपेक्षित होती, रजिस्ट्रीकृत ज्ञापन में रजिस्ट्रीकृत हैं तथा उनमें से अवशिष्ट रजिस्ट्रीकृत अनुच्छेद अंतर्विष्ट हैं।

(3) इस अधिनियम के सभी उपबंध कंपनी और सदस्यों, अभिदाताओं तथा उसके लेनदारों को सभी प्रकार से, उसी रीति में लागू होंगे मानो वह इस अधिनियम के अधीन, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए बनाए गए हों—

(क) अनुसूची 1 में की सारणी च तब तक और वहां के सिवाय लागू नहीं होगी जब तक कि उसे वह विशेष संकल्प द्वारा अंगीकृत न किया गया हो;

(ख) शेयरों को संख्यांकित करने से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध ऐसे किसी संयुक्त स्टाक कंपनी को लागू नहीं होंगे जिसके शेयर संख्यांकित नहीं हैं;

(ग) कंपनी के परिसमापन होने की दशा में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के उस ऋण को चुकाने या ऐसे दायित्वों के लिए अभिदाय करने के, जो रजिस्ट्रीकरण के पूर्व उपगत किया गया था या किसी ऐसे ऋण या दायित्व की बाबत सदस्यों के एक दूसरे के बीच के अधिकारों के समायोजन के लिए किसी राशि के संदाय के लिए या किसी राशि का संदाय किए जाने की बाबत अभिदाय करने के या कंपनी के परिसमापन के खर्चे, प्रभार, व्यय देने या उनके लिए या अभिदाय करने के लिए वहां तक दायित्वाधीन है जहां तक उसका संबंध यथापूर्वोक्त ऐसे ऋणों या दायित्वों से है, कंपनी के उन ऋणों और दायित्वों की बाबत अभिदायी होगा जो रजिस्ट्रीकरण के पूर्व उपगत किया गया था;

(घ) कंपनी का परिसमापन होने की दशा में प्रत्येक अभिदायी यथा पूर्वोक्त किन्हीं ऐसे दायित्वों की बाबत अपने से शोध्य सभी राशियों के परिसमापन के दौरान कंपनी की आस्तियों में अभिदत्त करने के दायित्वाधीन होगा और किसी अभिदायी की मृत्यु या दिवालिया होने की दशा में, इस अधिनियम के वे उपबंध लागू होंगे जो लागू होते हैं।

(4) इस अधिनियम के उपबंध जो—

(क) किसी अपरिसीमित कंपनी के किसी परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के;

(ख) अपरिसीमित कंपनी के परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण पर, उसकी शेयर पूंजी की अभिहित रकम में वृद्धि करने और यह उपबंध करने के लिए कि उसकी शेयर पूंजी के किसी भाग को परिसमापन की दशा के सिवाय प्रतिदेय नहीं होगा, शक्तियों के;

(ग) परिसीमित कंपनी की यह अवधारण करने की उसकी शेयर पूंजी का कोई भाग परिसमापन की दशा के सिवाय प्रतिदेय नहीं होगा, शक्तियों के बारे में संसद् के किसी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या कम्पनी का गठन करने वाली या उसे विनियमित करने वाली अन्य लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लागू होंगे;

(5) इस धारा की कोई बात, कंपनी का गठन करने या विनियमित करने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किन्हीं ऐसे उपबंधों में परिवर्तन करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत नहीं करेगी, जो यदि कंपनी इस अधिनियम के अधीन मूलतः बनाई गई होती तो वे, ज्ञापन में अंतर्विष्ट किए जाने के लिए और अपेक्षित होते जिनमें कोई परिवर्तन किया जाना इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

(6) इस अधिनियम के (धारा 242 के सिवाय) उपबंधों में से किसी से भी उसके गठन या विनियमों में परिवर्तन करने की किसी शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा जो संसद् के किसी अधिनियम या अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या कंपनी को गठित करने वाली या विनियमित करने वाली अन्य लिखत के आधार पर कंपनी में निहित हों।

(7) इस धारा में "लिखत" पद के अंतर्गत व्यवस्थापन विलेख, भागीदारी विलेख या सीमित दायित्व भागीदारी भी है।

कार्यवाहियों को रोकने या अवरूद्ध करने की न्यायालय की शक्ति।

372. कंपनी के विरुद्ध वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को परिसमापन की अर्जी प्रस्तुत करने के पश्चात् और परिसमापन आदेश दिए जाने के पूर्व किसी समय रोकने और अवरूद्ध करने की बाबत इस अधिनियम के उपबंध, इस भाग के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी की दशा में, जब तब रोकने या अवरूद्ध करने के लिए आवेदन लेनदार द्वारा किया गया है, कंपनी के किसी अभिदायी के विरुद्ध वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों तक विस्तृत होंगे।

परिसमापन आदेश दिए जाने पर वादों का रोक दिया जाना।

373. जहां इस भाग के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के परिसमापन का कोई आदेश दे दिया गया है या उसका कोई अन्तरिम समापक नियुक्त कर दिया गया है वहां कंपनी के किसी ऋण की बाबत कंपनी या कंपनी के किसी अभिदायी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही/अधिकरण की इजाजत के सिवाय और ऐसे निबंधनों के सिवाय, जो अधिकरण अधिरोपित करे, चलाए जाने पर प्रारम्भ की जाने के सिवाय न तो चलाई जाएगी और न ही प्रारम्भ की जाएगी।

इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने वाली कंपनियों की बाध्यताएं।

374. इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की वांछा रखने वाली प्रत्येक कंपनी—

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने से पूर्व, प्रतिभूत लेनदारों ने इस भाग के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए या तो सहमति दी हो या अपनी अनापत्ति दी हो;

(ख) समाचारपत्र में विज्ञापन, एक अंग्रेजी और एक देशी भाषा में, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण के बारे में सूचना देते हुए, आक्षेपों तथा उनके उपयुक्त रूप से समाधान की ईप्सा करते हुए प्रकाशित करेगी;

(ग) सभी सदस्यों या भागीदारों से, सम्यक् रूप से नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथपत्र इस बात का उपबंध करने के लिए फाइल करेगी कि इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण की दशा में आवश्यक दस्तावेज या कागजपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, जिसके पास कंपनी पूर्व में रजिस्ट्रीकृत थी को, यथास्थिति, भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी या किसी अन्य कारबार निकाय के रूप में अपने विघटन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(घ) ऐसी अन्य शर्तों का पालन करेगी जो विहित की जाएं।

भाग 2

अरजिस्ट्रीकृत कंपनियों का परिसमापन

अरजिस्ट्रीकृत कंपनियों का परिसमापन।

375. (1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी अरजिस्ट्रीकृत कंपनी का इस अधिनियम के अधीन परिसमापन ऐसी रीति में किया जा सकेगा जो विहित की जाए और परिसमापन की बाबत इस अधिनियम के सभी उपबंध अरजिस्ट्रीकृत कंपनी को उपधारा (2) से उपधारा (4) में वर्णित अपवादों और परिवर्धनों सहित लागू होंगे।

(2) किसी अरजिस्ट्रीकृत कंपनी का इस अधिनियम के अधीन स्वेच्छया परिसमापन नहीं किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी अरजिस्ट्रीकृत कंपनी का परिसमापन किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) यदि कोई कंपनी विघटित हो जाती है, या उसने कारबार करना बंद कर दिया है, या वह केवल अपने कार्यकलापों को परिसमापन के प्रयोजनों के लिए कारबार कर रही है ;

(ख) यदि कंपनी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है;

(ग) यदि अधिकरण की यह राय है कि यह न्यायोचित और साम्यापूर्ण है कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाए।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अरजिस्ट्रीकृत कंपनी को ऋणों का संदाय करने के लिए असमर्थ समझा जाएगा, यदि–

(क) कोई लेनदार, समनुदेशन या अन्यथा द्वारा, जिससे कंपनी ने एक लाख रुपए से अधिक ऋण लिया है, वह देय है, कम्पनी से यह अपेक्षा करने वाली कि वह ऐसी शोध्य राशि का संदाय कर दे, मांग की तामील उस कंपनी को उसके कारबार के मुख्य स्थान को छोड़कर या कंपनी के सचिव या किसी निदेशक, प्रबंधक या प्रधान अधिकारी को परिदत्त करके या अन्यथा ऐसी रीति में उसकी तामील करके जैसा अधिकरण अनुमोदन करे या निदेश दे, तामील की है अपने हस्ताक्षर से या और कंपनी ने रकम का संदाय करने या उसे प्रतिभूत करने या समझौते द्वारा उसे ऐसे तय करा लेने में कि लेनदार का उससे समाधान हो जाए, मांग की तीन सप्ताह तक तामील के पश्चात् उपेक्षा की है;

(ख) विधिक कार्यवाही ऐसे किसी ऋण या मांग के लिए, जो कम्पनी द्वारा या सदस्य की हैसियत में उससे शोध्य है या जिसकी बाबत यह दावा है कि वह उस द्वारा शोध्य है किसी सदस्य के विरुद्ध कोई विधिक वाद या अन्य संस्थित की गई है कोई और वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही के संस्थित किए जाने की लिखित सूचना की तामील पर उस कंपनी के कारबार के प्रमुख स्थान पर उसे छोड़कर या कंपनी के सचिव या किसी निदेशक, प्रबंधक या प्रधान अधिकारी को परिदत्त करके या

अन्यथा ऐसी रीति से, जो अधिकरण अनुमोदित या निर्दिष्ट करे, कर दी गई है, कंपनी ने उस सूचना की तामील के पश्चात् दस दिन के भीतर,—

(i) ऋण या मांग के लिए संदत्त नहीं किया गया है या उसे प्रतिभूत नहीं किया गया है या उसका प्रशमन नहीं किया गया है; या

(ii) वाद या अन्य विधिक कार्यवाही रोके जाने के लिए उपाप्त नहीं की है; या

(iii) प्रतिवादी की उसके समाधानप्रद रूप में वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए और उसके द्वारा उसी कारण से उपगत किए जाने वाले सभी खर्चों, नुकसानियों और व्ययों की क्षतिपूर्ति नहीं की है;

(ग) यदि कंपनी या उसके उस रूप में उसके किसी सदस्य या कंपनी की ओर से नाममात्र प्रतिवादी के रूप में उस पर वाद लाएं जाने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी न्यायालय या अधिकरण की कोई डिक्री या आदेश पर जारी निष्पादन या अन्य आदेशिका पूर्णतः या भागतः असमाधानप्रद रूप में वापस लौटा दी जाती है;

(घ) अधिकरण को समाधानप्रद रूप में यह अन्यथा साबित कर दिया जाता है कि कंपनी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण—इस भाग के प्रयोजनों के लिए "अरजिस्ट्रीकृत कंपनी" पद के अंतर्गत—

(क) निम्नलिखित कम्पनी सम्मिलित नहीं होगी—

(i) संसद् के किसी अधिनियम या अन्य भारतीय विधि या युनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के किसी अधिनियम के अधीन निगमित कोई रेल कंपनी;

(ii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी;

(iii) ऐसी कम्पनी जो किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और ऐसी कंपनी नहीं है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बर्मा, अदन या पाकिस्तान में उस देश का भारत से पृथक् होने से ठीक पहले का था; और

(ख) यथापूर्वोक्त के सिवाय कोई ऐसी भागीदारी, फर्म सीमित दायित्व भागीदारी या सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी, संगम या कंपनी सम्मिलित होगी जो उस समय जब, यथास्थिति, भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी या सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी, संगम या कंपनी के परिसमापन के लिए कोई अर्जी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, सात से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हो।

विदेशी कंपनियों का विघटन हो जाने पर भी उनका परिसमापन करने की शक्ति।

376. जहां भारत के बाहर निगमित कोई निगम निकाय जो भारत में कारबार कर रहा है, भारत में कारबार करना बंद कर देता है, वहां अरजिस्ट्रीकृत कंपनी के रूप में इस भाग के अधीन उसका परिसमापन इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा, कि उस देश की विधियों के अधीन या आधार पर जिनके अधीन वह निगमित किया गया था विघटित हो चुका है या अन्यथा अस्तित्वशील नहीं रह गया है।

इस अध्याय के उपबंधों का संचयी रूप का होना।

377. (1) अरजिस्ट्रीकृत कंपनियों की बाबत इस भाग के उपबंध, अधिकरण द्वारा कंपनियों के परिसमापन के संबंध में अंतर्विष्ट इस अधिनियम में यहां इससे पूर्व किन्ही उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

(2) अधिकरण या शासकीय समापक अरजिस्ट्रीकृत कंपनियों की दशा में, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कोई कृत्य कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन गठित या रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के परिसमापन में अधिकरण या शासकीय समापक द्वारा प्रयुक्त की जा सकती है या किए जा सकते हैं:

परंतु किसी अरजिस्ट्रीकृत कंपनी के, परिसमापन किए जाने की दशा के सिवाय इस अधिनियम के अधीन और इस भाग द्वारा उपबंधित सीमा तक ही कंपनी समझी जाएगी।

378. इस भाग की कोई बात किसी ऐसी अधिनियमिति के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 या उस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी या सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी संगम या कंपनी का परिसमापन किए जाने के लिए या कम्पनी के रूप में अरजिस्ट्रीकृत कंपनी के रूप में उसके परिसमापन किए जाने के लिए उपबन्ध करती है: 1956 का 1

कतिपय दशाओं में भागीदारी, संगम या कंपनी, आदि का परिसमापन करने की शक्तियां प्रदत्त करने वाली अधिनियमितियों की व्यावृत्ति और उनका अर्थान्वयन।

परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 या उस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के प्रति किसी ऐसी अधिनियमिति में निर्देश, यदि कोई हैं, वे ऐसे पढे जांएगे मानो वे इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्स्थानी उपबंध के प्रतिनिर्देश हैं। 1956 का 1

अध्याय 22

भारत के बाहर निगमित कंपनियां

379. जहां किसी विदेशी कंपनी की समादत्त पूंजी का, चाहे वह साधारण पूंजी हो या अधिमानी पूंजी या भागतः साधारण और भागतः अधिमानी पूंजी हो, पचास प्रतिशत से अन्यून भारत के एक या अधिक नागरिकों द्वारा या भारत में निगमित एक या अधिक कम्पनियों या निगम निकायों द्वारा या भारत के एक या अधिक नागरिकों और भारत में निगमित एक या अधिक कंपनियों या निगम निकायों द्वारा अकेले या संकलित रूप से धृत है, वहां वह कंपनी, इस अध्याय के उपबंधों का और इस अधिनियम के ऐसे अन्य उपबंधों का जो उसके द्वारा भारत में कारबार करने के संबंध में विहित किए जाएं, ऐसे अनुपालन करेगी मानो वह भारत में निगमित कंपनी हो।

अधिनियम का विदेशी कंपनियों को लागू होना ।

380. (1) प्रत्येक विदेशी कंपनी, भारत में अपने कारबार के स्थान की स्थापना के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को—

विदेशी कंपनियों द्वारा रजिस्ट्रार को परिदत्त किए जाने वाले दस्तावेज, आदि ।

(क) कंपनी के चार्टर, परिनियम या ज्ञापन और अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति या कंपनी का गठन करने वाली या गठन को निश्चित करने वाली कोई अन्य लिखत और यदि वह लिखत अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो अंग्रेजी भाषा में उसका प्रमाणित अनुवाद;

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत या प्रधान कार्यालय का पूरा पता;

(ग) कंपनी के निदेशकों और सचिव की सूची, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जो विहित की जाएं;

(घ) एक या अधिक व्यक्तियों का नाम और पता या भारत में निवासी ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते, जो कंपनी की ओर से आदेशिकाओं की तामील अपने पर करा लेने और अन्य ऐसी सूचनाओं या अन्य दस्तावेजों को, जिनकी तामील कंपनी पर की जानी अपेक्षित हों, कंपनी की ओर से लेने के लिए प्राधिकृत हैं;

(ङ) भारत में कंपनी के उस कार्यालय का पूरा पता, जिसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में कारबार का प्रधान स्थान है;

(च) पूर्व अवसर या अवसरों पर भारत में खोले गए और बन्द किए गए कारबार के स्थानों की विशिष्टियां;

(छ) यह घोषणा कि कंपनी का कोई निदेशक या भारत में उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भारत में अथवा विदेश में कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया है या कपनियों के बनाए जाने और उनको प्रबंध करने से विवर्जित नहीं किया गया है; और

(ज) कोई अन्य जानकारी जो विहित की जाए,

परिदत्त करेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान प्रत्येक विदेशी कंपनी, यदि उसने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज और विशिष्टियां ऐसे आरंभ से पूर्व रजिस्ट्रार को परिदत्त नहीं किए हैं, तो वे इस बाध्यता के अधीन बनी रहेंगी कि उन दस्तावेजों और विशिष्टियों को इस अधिनियम के अनुसार परिदत्त कर दें। 1956 का 1

(3) जहां इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को परिदत्त किए गए दस्तावेजों में कोई परिवर्तन किया जाता है या होता है, वहां विदेशी कंपनी ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर विहित प्ररूप में परिवर्तन की विशिष्टियों वाली एक विवरणी, रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को देगी।

विदेशी कंपनी के लेखे ।

381. (1) प्रत्येक विदेशी कंपनी, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में,—

(क) ऐसे प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां रखने वाला तथा दस्तावेज सहित या उससे उपाबद्ध या संलग्न करके, जो विहित किए जाएं, तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी; और

(ख) उन दस्तावेजों की एक प्रति रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी विदेशी कंपनी या विदेशी कंपनियों के वर्ग की दशा में, खंड (क) की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी या ऐसे अपवादों और ऐसे उपांतरणों सहित, लागू होंगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) यदि ऐसा कोई दस्तावेज जो उपधारा (1) में वर्णित है, अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो अंग्रेजी भाषा में उसका प्रमाणित अनुवाद उसके साथ उपाबद्ध किया जाएगा।

(3) प्रत्येक विदेशी कंपनी रजिस्ट्रार को, उन दस्तावेजों के साथ, जो उपधारा (1) के अधीन उसे परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित है, कारबार के उन सभी स्थानों की विहित प्ररूप में एक सूची की एक प्रति भेजेगी जो उस कम्पनी ने, भारत में उस तारीख तक स्थापित किए हैं जिस तक वह तुलनपत्र तैयार किया गया है जिसके प्रतिनिर्देश उपधारा (1) में किया गया है।

विदेशी कंपनी के नाम, आदि का प्रदर्शन ।

382. प्रत्येक विदेशी कंपनी—

(क) प्रत्येक कार्यालय या उस स्थान के बाहर, जहां वह भारत में कारबार करती है, कंपनी और उस देश का, जहां वह निगमित है, नाम अंग्रेजी लिपि में सुपाठ्य अक्षरों में और उस परिक्षेत्र में जिसमें वह कार्यालय या स्थान स्थित है, साधारण उपयोग में आने वाली भाषा या भाषाओं में से एक भाषा के अक्षरों में, सहजदृश्य रूप में प्रदर्शित करेगी;

(ख) कंपनी और उस देश का नाम, जहां कंपनी निगमित हुई है, अंग्रेजी लिपि में सुपाठ्य अक्षरों में कंपनी के सब कारबारी पत्रों, बिल-शीर्षकों और कागजपत्रों में और सभी सूचनाओं और अन्य प्राधिकारिक प्रकाशनों में लिखवाएगी;

(ग) यदि कंपनी के सदस्यों का दायित्व परिसीमित है तो उस तथ्य की सूचना—

(i) ऐसे प्रत्येक जारी प्रास्पेक्टस में और कम्पनी के सभी कारबारी पत्रों, बिल शीर्षकों, कागजपत्रों, सूचनाओं, विज्ञापनों और अन्य प्राधिकारिक प्रकाशनों में सुपाठ्य अंग्रेजी के अक्षरों में कथित कराएगी; और

(ii) प्रत्येक ऐसे कार्यालय या स्थान के बाहर, जहां वह भारत में कारबार करती है सुपाठ्य अंग्रेजी अक्षरों में और उस परिक्षेत्र में, जहां वह कार्यालय या स्थान अवस्थित है, की साधारण उपयोग में आने वाली भाषा या भाषाओं में से किसी एक के सुपाठ्य अक्षरों में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित कराएगी।

विदेशी कंपनी पर तामील ।

383. किसी आदेशिका, सूचना या अन्य दस्तावेज, जिसे किसी विदेशी कंपनी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, को पर्याप्त रूप से तामील किया हुआ समझा जाएगा, यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को सम्बोधित किया है जिसका नाम और पता धारा 380 के अधीन रजिस्ट्रार को परिदत्त कर दिया गया है और उन्हें उस पते पर छोड़ दिया गया है या उन्हें डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा रजिस्ट्रार को इस प्रकार परिदत्त कर दिया गया है।

डिबेंचर, वार्षिक विवरणी, प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण, लेखा बहियां और उनका निरीक्षण ।

384. (1) धारा 71 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी विदेशी कंपनी को लागू होंगे।

(2) धारा 92 के उपबंध, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उसमें किए जाएं, किसी विदेशी कंपनी को इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वह भारत में निगमित किसी कंपनी को लागू होते हैं।

(3) धारा 128 के उपबंध, किसी विदेशी कंपनी को, भारत में उस विस्तार तक लागू होंगे कि उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा में निर्दिष्ट ऐसी लेखा बहियां जो उसके कारबार के

अनुक्रम में या उसके संबंध में प्राप्त और व्यय की गई धनराशियों से किए गए विक्रयों और क्रयों में और आस्तियों और दायित्वों से सम्बधित हैं, भारत में अपने कारबार के मुख्य स्थान पर रखे ।

(4) अध्याय 6 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसी संपत्तियों पर भारों को, जो किसी विदेशी कंपनी द्वारा सृजित या अधिगृहीत की गई हैं, लागू होंगे।

(5) अध्याय 14 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित विदेशी कंपनी के भारतीय कारबार को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे भारत में निगमित किसी कंपनी को लागू होते हैं ।

दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस ।

385. रजिस्ट्रार को ऐसे किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए, जिसका इस अध्याय के उपबंधों द्वारा यह अपेक्षित है कि उसका रजिस्ट्रीकरण उसके द्वारा किया जाए, ऐसी फीस, संदत्त की जाएगी, जो विहित की जाए ।

निर्वचन ।

386. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रमाणित" पद से, विहित रीति से यह प्रमाणित करना अभिप्रेत है कि प्रति सही प्रति है या अनुवाद सही अनुवाद है;

(ख) किसी विदेशी कंपनी के संबंध में "निदेशक" पद के अन्तर्गत, ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कम्पनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने के लिए अभ्यस्त है; और

(ग) "कारबार का स्थान" पद के अंतर्गत कोई शेयर अंतरण या शेयर रजिस्ट्रीकरण कार्यालय भी है ।

प्रास्पेक्टस पर तारीख डालना और उसमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां ।

387. (1) कोई व्यक्ति, भारत के बाहर निगमित या निगमित की जाने वाली किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के प्रतिश्रुत किए जाने की प्रस्थापना करने वाला कोई प्रास्पेक्टस, चाहे कंपनी ने भारत में कारबार का कोई स्थान स्थापित किया है या नहीं किया है या अपने बनने पर वह भारत में कारबार का स्थान स्थापित करेगी या नहीं करेगी, तभी जारी, परिचालित या वितरित करे, जब प्रास्पेक्टस पर तारीख पड़ी हो या वह हस्ताक्षरित हो, और—

(क) उसमें निम्नलिखित विषयों की बाबत विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों, अर्थात्:—

(i) कंपनी का गठन या उसके गठन को परिनिश्चित करने वाली लिखत;

(ii) वे अधिनियमितियां या उपबंध जिनके द्वारा या जिनके अधीन कंपनी का निगमन कराया गया था;

(iii) भारत में का वह पता, जहां उक्त लिखत अधिनियमितियों या उपबंधों या उनकी प्रतियों का और यदि वे अंग्रेजी भाषा में नहीं हैं तो अंग्रेजी भाषा में उसके प्रमाणित अनुवाद का निरीक्षण किया जा सकता है;

(iv) वह तारीख, जिसको और वह देश, जिसमें वह कंपनी निगमित की जाएगी या की गई थी; और

(v) क्या कंपनी ने कारबार का स्थान भारत में स्थापित किया है और यदि किया है तो भारत में उसके कारबार के प्रधान कार्यालय का पता; और

(ख) धारा 26 में विनिर्दिष्ट विषय वर्णित हों :

परंतु इस उपधारा के खंड (क) के उपखंड (i), उपखण्ड (ii) और उपखण्ड (iii) उस प्रास्पेक्टस की दशा में लागू नहीं होंगे, जो उस तारीख के दो वर्ष के पश्चात् जारी किया गया है, जिसको कंपनी कारबार करने के लिए हकदार थी।

(2) ऐसी कोई शर्त, जो प्रतिभूतियों के लिए किसी आवेदक से इस बात की अपेक्षा करती है या उसे इस बात के लिए आबद्ध करती है कि वह उपधारा (1) के आधार पर अधिरोपित किसी अपेक्षा के अनुपालन को अधित्यक्त कर दे या जिससे यह तात्पर्यित है कि उसे ऐसी संविदा, दस्तावेज या किसी विषय की सूचना हुई मान लिया जाएगा जो उस प्रास्पेक्टस में विनिर्दिष्ट रूप से नहीं किए गए हैं, शून्य होगी ।

(3) कोई व्यक्ति ऐसी किसी कंपनी या आशयित कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए, जो उपधारा (1) में वर्णित हैं, आवेदन का प्ररूप भारत में किसी व्यक्ति को तभी जारी करेगा, जब वह प्ररूप ऐसे प्रास्पेक्टस सहित निकाला गया है, जो इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन करता है और ऐसे निकाले जाने से धारा 388 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है :

परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी, जब यह दर्शित कर दिया जाता है कि आवेदन का प्ररूप किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के संबंध में हामीदारी करार करने के सद्भावी आमंत्रण के संबंध में दिया गया है।

(4) यह धारा,—

(क) कंपनी के विद्यमान सदस्यों या डिबेंचर धारकों को कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित प्रास्पेक्टस या आवेदन का प्ररूप दिए जाने को लागू नहीं होगी, चाहे प्रतिभूतियों के लिए किसी आवेदक को उसे किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्यजन करने का अधिकार हो या न हो; और

(ख) वहां तक के सिवाय जहां तक कि उससे यह अपेक्षित है कि प्रास्पेक्टस पर तारीख पड़ी हो, उन प्रतिभूतियों के प्रास्पेक्टस के निकाले जाने के संबंध में लागू नहीं होगी, जो सभी प्रकार से पूर्व में जारी की गई और तत्समय किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्यवहार या कोट की जाने वाली प्रतिभूतियों के समरूप है,

किन्तु, पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, यह धारा ऐसे किसी प्रास्पेक्टस या आवेदन के प्ररूप को लागू होगी, चाहे वह कंपनी के बनाए जाने पर या उसके प्रतिनिर्देश से या तत्पश्चात् जारी किया गया हो या नहीं ।

(5) इस धारा की कोई बात ऐसे किसी दायित्व को सीमित या कम नहीं करेगी, जो इस धारा के अतिरिक्त भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति उपगत करे ।

विशेषज्ञों की सहमति और आबंटन विषयक उपबंध ।

388. (1) कोई व्यक्ति, भारत से बाहर निगमित या निगमित की जाने वाली कंपनी की, चाहे उस कंपनी ने भारत में कारोबार का स्थान स्थापित किया हो या नहीं किया हो या बन जाने पर स्थापित करेगी या नहीं करेगी, प्रतिभूतियों में प्रतिश्रुति के लिए प्रस्थापना करने वाले किसी प्रास्पेक्टस को भारत में जारी, परिचालित या वितरित नहीं करेगा,—

(क) यदि, जहां प्रास्पेक्टस में ऐसा कोई कथन सम्मिलित है, जिसका विशेषज्ञ द्वारा किया जाना तात्पर्यित है और उसने उस प्ररूप और संदर्भ में, जिसमें वह सम्मिलित किया गया है, उस कथन को सम्मिलित करते हुए प्रास्पेक्टस को निकाले जाने के लिए लिखित सहमति या तो दी ही नहीं है या प्रास्पेक्टस का परिदान रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किए जाने के पूर्व प्रत्याहृत कर ली है या प्रास्पेक्टस में यह कथन नहीं दिया गया है कि उसने अपनी यथापूर्वोक्त जैसी सहमति दी है या प्रत्याहृत नहीं की है; या

(ख) जहां प्रास्पेक्टस के अनुसरण में कोई आवेदन किया गया है वहां यदि प्रास्पेक्टस का यह प्रभाव नहीं है कि वह संबद्ध सभी व्यक्तियों को धारा 33 और धारा 40 के सभी उपबंधों को, जहां तक वे लागू होते हों, आबद्धकर बनाता है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रास्पेक्टस में कोई कथन सम्मिलित समझा जाएगा, यदि वह उसे देखने पर या उसमें सम्मिलित या उसके संबंध में जारी किए गए निर्देश द्वारा किसी रिपोर्ट या ज्ञापन में अन्तर्विष्ट है ।

प्रास्पेक्टस का रजिस्ट्रीकरण ।

389. कोई व्यक्ति, भारत के बाहर निगमित या निगमित की जाने वाली किसी कंपनी की प्रतिभूतियों में प्रतिश्रुति के लिए प्रस्थापना करने वाले किसी प्रास्पेक्टस को, चाहे कंपनी ने भारत में कारबार का स्थान स्थापित किया है या नहीं किया है या बनाए जाने के पश्चात् वह स्थापित करेगी या नहीं करेगी, तब तक जारी, परिचालित या वितरित नहीं करेगा, जब तक कि भारत में प्रास्पेक्टस के जारी, परिचालित या वितरित किए जाने से पहले कंपनी के अध्यक्ष और कंपनी के दो अन्य निदेशकों द्वारा इस बात के लिए प्रमाणित उसकी प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को परिदत्त न कर दी गई हो कि उसका प्रबंध निकाय के संकल्प द्वारा अनुमोदन किया गया है और प्रास्पेक्टस में प्रत्यक्ष रूप से यह कथन न हो कि उसकी एक प्रति इस प्रकार वितरित कर दी गई है और धारा 388 द्वारा अपेक्षित प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के लिए कोई सहमति और ऐसे दस्तावेजों के बारे में प्रति में पृष्ठांकन न कर दिया गया हो या वे उससे संलग्न न कर दिए गए हों ।

भारतीय निक्षेपागार रसीदों की प्रस्थापना करना ।

390. केन्द्रीय सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी या भारत से बाहर निगमित की जाने वाली किसी कंपनी चाहे, वह कंपनी स्थापित की गई हो या न की गई हो अथवा भारत में कारबार का कोई स्थान को स्थापित करेगी या नहीं करेगी,—

(क) भारतीय निक्षेपागार रसीदों की प्रस्थापना;

(ख) भारतीय निक्षेपागार रसीदों के संबंध में जारी किए गए प्रास्पेक्टस या प्रस्थापना पत्र में प्रकटन की अपेक्षा;

(ग) वह रीति और ढंग जिसमें भारतीय निक्षेपागार रसीदों का किसी निक्षेपागार में अभिरक्षक और निम्नांककों द्वारा व्यौहार किया जाएगा; और

(घ) भारतीय निक्षेपागार रसीदों के विक्रय, अंतरण या पारेषण की रीति को लागू नियम बना सकेगी।

धारा 34 से धारा 36 और अध्याय 20 का लागू होना ।

391. (1) धारा 34 से धारा 36 (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध,—

(i) धारा 389 के अधीन भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी द्वारा किसी प्रास्पेक्टस के जारी किए जाने के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगें जैसे वह किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रास्पेक्टस को लागू होते हैं;

(ii) किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों को जारी करने के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) अध्याय 20 के उपबंध भारत में किसी विदेशी कंपनी के कारबार के स्थान के बंद होने के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित वैसे ही लागू होंगे मानो वह भारत में निगमित कोई कंपनी हो ।

उल्लंघन के लिए दंड।

392. धारा 391 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई विदेशी कंपनी इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन करती है, वहां विदेशी कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए तक का हो

सकेगा, दंडनीय होगी और विदेशी कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

कंपनी का इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने का संविदा, आदि की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं पड़ना ।

393. किसी कंपनी द्वारा, इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने से कंपनी द्वारा की गई किसी संविदा, किए गए व्यवहार या संव्यवहार की विधिमान्यता पर या उसके संबंध में वाद लाए जाने के उसके दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु कंपनी ऐसी किसी संविदा, व्यवहार या संव्यवहार के संबंध में कोई वाद लाने या किसी मुजरे का दावा करने, कोई प्रतिदावा करने या कोई विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने की हकदार तब तक नहीं होगी, जब तक कि कपंनी ने उसे लागू इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया हो ।

अध्याय 23

सरकारी कंपनियां

सरकारी कंपनियों के संबंध में वार्षिक रिपोर्टें।

394. (1) जहां केन्द्रीय सरकार, किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है, वहां केन्द्रीय सरकार उस कंपनी के कार्यकरण और कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट—

(क) उसके उस वार्षिक अधिवेशन के, जिसके समक्ष धारा 143 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टीका-टिप्पणियां और लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट रखी गई है, तीन मास के भीतर तैयार कराएगी; और

(ख) ऐसे तैयार किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति और उस संपरीक्षा रिपोर्ट पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों या संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुपूरक के साथ रखवाएगी ।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, कोई राज्य सरकार भी किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है, वहां वह राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति राज्य विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ और उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपरीक्षा रिपोर्ट पर की गई टीका-टिप्पणियों या उसके अनुपूरक के साथ रखवाएगी ।

जहां एक या अधिक राज्य सरकारें कंपनियों की सदस्य हैं, के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट।

395. (1) जहां केन्द्रीय सरकार, किसी सरकारी कंपनी की सदस्य नहीं है, वहां प्रत्येक राज्य सरकार जो उस कंपनी की सदस्य है या जहां केवल एक राज्य सरकार कंपनी की सदस्य है वहां वह राज्य सरकार, कंपनी के कार्यकरण और कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट,—

(क) धारा 394 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कराएगी; और

(ख) ऐसे तैयार किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ और उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई टीका-टिप्पणियों या संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुपूरक के साथ रखवाएगी ।

(2) इस धारा और धारा 394 के उपबंध, जहां तक हो सके, परिसमापनाधीन सरकारी कंपनी को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी अन्य सरकारी कंपनी को लागू होते हैं ।

अध्याय 24

रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस

रजिस्ट्रीकरण कार्यालय।

396. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए ऐसे स्थानों पर, उतने कार्यालय, उनकी अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करते हुए स्थापित करेगी, जितने वह ठीक समझे ।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसे रजिस्ट्रारों, अपर, संयुक्त, उप और सहायक रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और विभिन्न कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे और ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां और कर्तव्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनके अन्तर्गत उनको संदेय वेतन भी है, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(4) केन्द्रीय सरकार, कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित या उनसे संबंधित दस्तावेजों के अधिप्रमाणन के लिए मुद्रा या मुद्राएं तैयार किए जाने का निदेश दे सकेगी ।

कतिपय दस्तावेजों की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता ।

397. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को फाइल की गई विवरणियों और दस्तावेजों से, रजिस्ट्रार द्वारा कागज पर या इलैक्ट्रानिक रूप में पुनरुत्पादित या प्राप्त किया गया या किसी इलैक्ट्रानिक डाटा भंडारण युक्ति या कंप्यूटर में भंडारित कोई पठनीय और जिसे रजिस्ट्रार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित किया गया कोई दस्तावेज, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए दस्तावेज समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्यवाही में बिना किसी और सबूत के या मूल दस्तावेज को प्रस्तुत किए बिना मूल दस्तावेज की किसी अंतर्वस्तु के या उसमें कथित ऐसे किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा जिसके लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य है।

इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदन, दस्तावेज, निरीक्षण, आदि फाइल किए जाने से संबंधित उपबंध ।

2000 का 21

398. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार ऐसी तारीख से जो नियमों में विहित की जाए, नियम बना सकेगी कि—

(क) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, प्रास्पेक्टस, विवरणी, घोषणा, ज्ञापन, अनुच्छेद, प्रभारों की विशिष्टियां या कोई अन्य विशिष्टियां या दस्तावेज जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, फाइल या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल किए जाएंगे और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित होंगे, जो विहित की जाएं;

(ख) ऐसे दस्तावेज, सूचना, कोई संसूचना या प्रज्ञापना जो इस अधिनियम के अधीन तामील या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित हो, इलैक्ट्रानिक रूप में और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित होंगे, जो विहित की जाए;

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए गए ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, प्रास्पेक्टस, विवरणी, रजिस्टर, ज्ञापन, अनुच्छेद, प्रभारों की कोई अन्य विशिष्टियां या दस्तावेज और विवरणी, रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में रखे जाएंगे और यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत या ऐसी रीति में अधिप्रमाणित किए जाएंगे, जो विहित की जाए;

(घ) इलैक्ट्रानिक रूप में रखे गए ज्ञापन, अनुच्छेद, रजिस्टर, अनुक्रमणिका, तुलनपत्र, विवरणी या कोई अन्य विशिष्टियां या दस्तावेज का ऐसा निरीक्षण, जो अन्यथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं, किसी व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी रीति से किया जा सकेगा, जो विहित की जाए;

(ङ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ऐसी फीस, प्रभार या अन्य राशियां इलैक्ट्रानिक रूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संदत्त की जाएंगी; और

(च) रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के बदलाव, ज्ञापन या अनुच्छेदों, प्रास्पेक्टस के परिवर्तन को रजिस्टर करेगा, निगमन का प्रमाणपत्र जारी करेगा, ऐसे दस्तावेज रजिस्टर करेगा, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा, सूचना अभिलिखित करेगा, ऐसी संसूचना प्राप्त करेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत या जारी या अभिलिखित या प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित हो या इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों का पालन करेगा या कृत्यों का निर्वहन करेगा या शक्तियों का प्रयोग करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति से जो विहित की जाए, पालन या निर्वहन या प्रयोग या किए जाने के लिए निदेश किया गया है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के अधीन बनाए गए नियम, जुर्मानों या किसी अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण या फीस की मांग या संदाय या इस अधिनियम के उपबंध के किसी उल्लंघन या उनके लिए दंड से संबंधित नहीं होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से कोई स्कीम, विरचित कर सकेगी ।

रजिस्ट्रार द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेजों का निरीक्षण, पेश किया जाना और साक्ष्य ।

399. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति—

(क) रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रखे गए किन्हीं दस्तावेजों का इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा निरीक्षण, जो इस अधिनियम के अनुसरण में उसके द्वारा फाइल किए गए या रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं या इस अधिनियम के अनुसरण में अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी तथ्य का अभिलेख तैयार करने के लिए प्रत्येक निरीक्षण के लिए ऐसी फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर कर सकेगा;

(ख) किसी कम्पनी के निगमन के प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज या रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले किसी अन्य दस्तावेज के किसी भाग की प्रति या उद्धरण की अपेक्षा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, अग्रिम रूप से देकर कर सकेगा:

परंतु इस उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकार—

(i) धारा 26 के अनुसरण में प्रास्पेक्टस के साथ रजिस्ट्रार को परिदत्त किए गए दस्तावेजों के संबंध में प्रास्पेक्टस के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाले केवल चौदह दिन के भीतर और अन्य समयों पर केवल केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा से प्रयोक्तव्य होंगे; और

(ii) धारा 388 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में इस प्रकार परिदत्त किए गए दस्तावेजों के संबंध में, प्रास्पेक्टस की तारीख से प्रारंभ होने वाले केवल चौदह दिन के भीतर और अन्य समयों पर केवल केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा से प्रयोक्तव्य होंगे ।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए किसी न्यायालय या अधिकरण के ऐसे किसी दस्तावेज को पेश किए जाने के लिए कोई विवश करने वाली आदेशिका उस न्यायालय या अधिकरण की इजाजत के सिवाय, जारी नहीं की जाएगी । यदि ऐसी कोई आदेशिका जारी की भी जाती है तो उसमें यह कथन होगा कि यह उस न्यायालय या अधिकरण की इजाजत से जारी की गई है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी कार्यालय में रखे गए या रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज की कोई प्रति या उससे लिया गया उद्धरण, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा (जिसकी शासकीय प्रास्थिति को साबित करना आवश्यक नहीं होगा) सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया है, सभी विधिक कार्यवाहियों में मूल दस्तावेज की विधिमान्यता के समतुल्य साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।

इलैक्ट्रानिक रूप का अनन्य, अनुकल्पी या भौतिक रूप के अतिरिक्त होना ।

400. केन्द्रीय सरकार धारा 398 और धारा 399 के अधीन बनाए गए नियमों में यह भी उपबंध कर सकेगी कि इन धाराओं में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इलैक्ट्रानिक रूप, भौतिक प्ररूप से अनन्य या उसके अनुकल्पी या अतिरिक्त होगा ।

इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाओं का उपबंध करना।

401. केन्द्रीय सरकार, इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से ऐसी मूल्य वर्धित सेवाओं का उपबंध कर सकेगी और उस पर ऐसी फीस उद्गृहीत कर सकेगी, जो विहित की जाए ।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंधों का लागू होना।

2000 का 21

402. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के इलैक्ट्रानिक अभिलेखों से संबंधित रूप सभी उपबंध जिसके अंतर्गत ऐसी रीति और रूपविधान भी है जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख फाइल किए जाएंगे, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत न हों, धारा 398 के अधीन विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलेखों के संबंध में लागू होंगे ।

फाइल करने, आदि के लिए फीस ।

403. (1) इस अधिनियम के अधीन दिए जाने, फाइल किए जाने, रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत कोई तथ्य या सूचना, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर दी जाएगी, फाइल की जाएगी, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी या अभिलिखित की जाएगी:

परंतु ऐसा कोई दस्तावेज, तथ्य या सूचना, ऐसे दिए जाने, फाइल किए जाने, रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अभिलिखित किए जाने के लिए सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट समय के पश्चात्, ऐसी अतिरिक्त फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, उस तारीख से जिस तक वह, यथास्थिति दी जानी, फाइल की जानी, रजिस्ट्रीकृत की जानी या अभिलिखित की जानी चाहिए, दो सौ सत्तर दिन की अवधि के भीतर दी, फाइल, रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि कोई ऐसा दस्तावेज, तथ्य या जानकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधिक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन फीस और अतिरिक्त फीस के संदाय पर पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट समय के पश्चात् भी दी, फाइल, रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित की जा सकेगी ।

(2) जहां कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन कोई दस्तावेज, तथ्य या सूचना उस उपधारा के परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त फीस के साथ देने, फाइल करने, रजिस्टर कराने या अभिलिखित कराने में असफल रहेगी या व्यतिक्रम करेगी तो वहां कंपनी और उस कंपनी के अधिकारी जो व्यतिक्रमी हैं, फीस और अतिरिक्त फीस के संदाय के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी असफलता या व्यतिक्रम के लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्ति या दंड के भागी होंगे ।

लोक खाते में फीस, आदि का जमा किया जाना ।

404. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में किसी रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी फीसें, प्रभार और अन्य राशियां भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के लोक खाते में संदत्त की जाएंगी।

अध्याय 25

कंपनियों द्वारा सूचना या आंकड़ों का दिया जाना

केन्द्रीय सरकार की कंपनियों को सूचना या आंकड़े दिए जाने का निदेश देने की शक्ति ।

405. (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, साधारणतः कंपनियों से या कंपनियों के किसी वर्ग से या किसी कंपनी से उनके या उसके गठन या कार्यकरण के संबंध में ऐसी सूचना या आंकड़े ऐसे समय के भीतर देने की अपेक्षा कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और साधारणतया कंपनियों को या कंपनियों के किसी वर्ग को ऐसी रीति से संबोधित किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे और ऐसे प्रकाशन की तारीख को वह तारीख समझा जाएगा जिसको, यथास्थिति, ऐसी कंपनियों या कंपनियों के वर्ग को सूचना या आंकड़े देने की अपेक्षा की जाती है ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किसी कंपनी या कंपनियों द्वारा दी गई कोई सूचना या आंकड़े सही और पूर्ण हैं, आदेश द्वारा ऐसी कंपनी या कंपनियों से ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे में हैं, प्रस्तुत करने या ऐसे अधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण अनुज्ञात करने या ऐसी अतिरिक्त सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगी जो सरकार आवश्यक समझे ।

(4) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगी या जानबूझकर ऐसी कोई सूचना या आंकड़े देगी जो किसी तात्त्विक बात के संबंध में गलत या अपूर्ण हैं, तो कंपनी ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(5) जहां कोई विदेशी कंपनी भारत में कारबार करती है वहां इस धारा में किसी कंपनी के प्रति सभी निर्देशों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनमें ऐसे कारबार के संबंध में और केवल उसके संबंध में ही विदेशी कंपनी के प्रतिनिर्देश सम्मिलित हैं।

अध्याय 26

निधियां

अधिनियम को उसकी निधियों को लागू होने में उपांतरित करने की शक्ति ।

406. (1) इस धारा में "निधि" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो उसके सदस्यों के बीच मितव्ययिता और बचत करने की आदत पैदा करने, उनसे निक्षेप प्राप्त करने और उनको उधार देने के उद्देश्य से उनके पारस्परिक फायदे के लिए "निधि" के रूप में निगमित की गई है और जो ऐसे नियमों का अनुपालन करती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनियों के ऐसे वर्गों के लिए विहित किए जाएं ।

(2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी निधि को या निधियों के किसी ऐसे वर्ग या प्रकार को, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होंगे, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति ड्राफ्ट रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के

ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी किए जाने का अनुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो अधिसूचना यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही जारी की जाएगी जिसके बारे में दोनों सदन सहमत हैं ।

अध्याय 27

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और अपील अधिकरण

परिभाषाएं ।

407. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" से अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायिक सदस्य" से अधिकरण या अपील अधिकरण का ऐसा कोई सदस्य अभिप्रेत है जो उस रूप में नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, अधिकरण का अध्यक्ष या अपील अधिकरण का भी है;

(ग) "सदस्य" से अधिकरण या अपील अधिकरण का कोई ऐसा सदस्य चाहे वह न्यायिक या तकनीकी हो अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति भी है;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "तकनीकी सदस्य" से अधिकरण या अपील अधिकरण का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे उस रूप में नियुक्त किया गया है ।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन।

408. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, एक अधिकरण का गठन करेगी जिसका नाम "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण" होगा, जो अध्यक्ष और उतने न्यायिक और तकनीकी सदस्यों से मिलकर बनेगा, जितने केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों और निर्वहन करने के लिए, उसके द्वारा, अधिसूचना द्वारा, की जाएगी ।

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं ।

409. (1) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जो पांच वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो।

(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,—

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो; या

(ख) कम से कम पांच वर्ष से जिला न्यायाधीश हो या रहा हो; या

(ग) किसी न्यायालय में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

स्पष्टीकरण—खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान कोई व्यक्ति किसी न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, ऐसी किसी अवधि को सम्मिलित किया जाएगा जिसके दौरान उस व्यक्ति ने अधिवक्ता बनने के पश्चात् संघ या किसी राज्य के अधीन न्यायिक पद अथवा किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा ऐसा कोई पद, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान होना अपेक्षित है, धारण किया हो।

(3) कोई व्यक्ति, तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह,—

(क) भारतीय कारपोरेट विधिक सेवा या भारतीय विधिक सेवा का कम से कम पन्द्रह वर्ष तक सदस्य रहा हो जिसमें से उसने कम से कम तीन वर्ष तक उस सेवा में भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य या उच्चतर वेतनमान में सेवा की हो; या

(ख) कम से कम पन्द्रह वर्ष से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय में हो या रहा हो; या

(ग) कम से कम पन्द्रह वर्ष से लागत लेखापाल के रूप में व्यवसाय में हो या रहा हो; या

(घ) कम से कम पन्द्रह वर्ष से कंपनी सचिव के रूप में व्यवसाय में हो या रहा हो; या

(ङ) परिसिद्ध योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसे विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, विनिधान, लेखाकर्म, श्रम संबंधी विषयों या कंपनियों के प्रबंध से संबंधित ऐसी अन्य विद्या शाखाओं, कार्यकलापों का संचालन, उनके पुनरुद्धार, पुनरुज्जीवन और परिसमापन में परिसिद्ध योग्यता, निष्ठा और विशेष ज्ञान हो तथा कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो;

(च) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का कम से कम पांच वर्ष से पीठासीन अधिकारी है या रहा है । 1947 का 14

अपील अधिकरण का गठन।

410. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, अपील अधिकरण का गठन करेगी जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात होगा, जो अध्यक्ष और ग्यारह से अनधिक उतने न्यायिक और तकनीकी सदस्यों से मिलकर बनेगा, जितने केंन्द्रीय सरकार ठीक समझे, जिनकी नियुक्ति अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अधिसूचना द्वारा की जाएगी।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता।

411. (1) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रह चुका हो।

(2) न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो या पांच वर्षों से अधिकरण का न्यायिक सदस्य हो।

(3) तकनीकी सदस्य साबित योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसे विधि, औद्योमिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, विनिधान, लेखाकर्म, श्रम संबंधी विषयों या कंपनियों के प्रबंधन से संबंधित ऐसी अन्य विधाओं, कार्यकलापों का संचालन, उनके पुनरुद्धार, पुनरुज्जीवन और परिसमापन में विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो।

अधिकरण और अपील अधिकरण के सदस्यों का चयन ।

412. (1) अधिकरण के अध्यक्ष और अपील अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात् की जाएगी।

(2) अधिकरण के सदस्यों और अपील अधिकरण के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष;

(ख) उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठ न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति—सदस्य;

(ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का सचिव—सदस्य;

(घ) विधि और न्याय मंत्रालय का सचिव—सदस्य; और

(ङ) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का सचिव—सदस्य।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का सचिव, चयन समिति का संयोजक होगा ।

(4) चयन समिति उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(5) अधिकरण या अपील अधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति के गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि थी ।

सभापति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि।

413. (1) अधिकरण का सभापति और प्रत्येक अन्य सदस्य उस तारीख से जिसको अपना पद ग्रहण करता है, से पांच वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेगा, किन्तु वह पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनःनियुक्ति का पात्र होगा ।

(2) अधिकरण का कोई सदस्य उस रूप में तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह,—

(क) अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है;

(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है :

परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि सदस्य, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करते हुए, यथास्थिति, अपने मूल काडर या मंत्रालय या विभाग में अपना धारणाधिकार प्रतिधारित कर सकेगा ।

(3) अपील अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेगा, किन्तु वह पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) अपील अधिकरण का कोई सदस्य उस रूप में तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह,—

(क) सभा अपील अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में, सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है;

(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में, सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है :

परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि सदस्य एक वर्ष से अनधिक की अवधि तक के लिए उस रूप में पद धारण करते हुए, यथास्थिति, अपने मूल काडर या मंत्रालय या विभाग में अपना धारणाधिकार प्रतिधारित कर सकेगा।

सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

414. अधिकरण और अपील अधिकरण के सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों में, न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन किए जाएंगे ।

अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष या अपील अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ।

415. (1) अधिकरण या अपील अधिकरण के अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई किसी रिक्ति की दशा में, ज्येष्ठतम् सदस्य उस तारीख तक, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया अधिकरण या अपील अधिकरण का कोई नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण कर लेता है ।

(2) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो ज्येष्ठतम् सदस्य, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के कृत्यों का उस तारीख तक निर्वहन करेगा जिसको सभापति या अध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों को फिर से संभालते हैं।

सदस्यों का त्याग–पत्र ।

416. अधिकरण का अध्यक्ष, अपील अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार को अपने हस्ताक्षर से संबोधित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु अधिकरण का अध्यक्ष, अपील अधिकरण का अध्यक्ष या अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के समाप्त होने तक या जब तक उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के उस पद को ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि के समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा ।

सदस्यों का पद से हटाया जाना ।

417. (1) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, अधिकरण के अध्यक्ष, अपील अधिकरण के या किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी, जिसे—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) अधिकरण के अध्यक्ष, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे अधिकरण के अध्यक्ष, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा :

परन्तु अधिकरण के अध्यक्ष, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को खंड (ख) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अपील अधिकरण के अध्यक्ष को नहीं हटाया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकरण के अध्यक्ष, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे किए गए निर्देश पर, नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, जिसमें ऐसे अधिकरण के अध्यक्ष, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उसे सुने जाने का उचित अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर केन्द्रीय सरकार के आदेश से ही पद से हटाया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को जिसकी बाबत उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश किया गया है निलंबित नहीं कर सकेगी जब तक ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्राप्त रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार ने आदेश पारित न कर दिया हो ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, उपधारा (2) में निर्दिष्ट साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर जांच की प्रक्रिया विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी ।

अधिकरण और अपील अधिकरण के कर्मचारिवृन्द ।

418. (1) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, अधिकरण और अपील अधिकरण से परामर्श करके, अधिकरण और अपील अधिकरण को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी, जितने अधिकरण और अपील अधिकरण की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) अधिकरण और अपील अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, यथास्थिति, अधिकरण के अध्यक्ष या अपील अधिकरण के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य के, जिसे ऐसे अधीक्षण या नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) अधिकरण और अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अधिकरण की न्यायपीठें ।

419. (1) अधिकरण की उतनी न्यायपीठों का गठन किया जाएगा, जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली में होगी, जिसकी अध्यक्षता अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

(3) अधिकरण की शक्तियां दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी, जिसमें से एक न्यायिक सदस्य होगा और दूसरा तकनीकी सदस्य होगा :

परन्तु इस निमित्त प्राधिकृत अधिकरण के सदस्य इसके लिए सक्षम होंगे कि वे एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ के रूप में कृत्य करें और ऐसे मामलों के वर्ग की बाबत या मामलों के ऐसे वर्ग से संबंधित उन विषयों के लिए अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करें जिन्हें अध्यक्ष साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर, सदस्य को यह प्रतीत होता है कि वह मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है, जिसकी सुनवाई दो सदस्यों वाली न्यायापीठ द्वारा की जानी चाहिए तो वह मामला या विषय, यथास्थिति, अध्यक्ष द्वारा अंतरित किया जा सकेगा या उसे ऐसी न्यायपीठ को, जिसे अध्यक्ष उचित समझे, अंतरण के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(4) अध्यक्ष, कंपनियों के पुनरुद्धार, पुनर्संरचना, पुनरुज्जीवन या परिसमापन से संबंधित किसी मामले के निपटारे के लिए एक या अधिक विशेष पीठों का गठन करेगा, जो तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें न्यायिक सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा।

(5) यदि किसी न्यायपीठ के सदस्य किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर भिन्न राय रखते हैं, तो उन्हें बहुमत के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, यदि बहुमत हो, किन्तु यदि सदस्य समान रूप से विभाजित हैं तो उस बिन्दु या उन बिन्दुओं, जिन पर वे भिन्नता रखते हैं, का कथन करेंगे और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए मामले को अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के अन्य सदस्यों में से एक या अधिक सदस्यों द्वारा सुनवाई के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं के मामले पर सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत की राय, जिसमें वे भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने पहले उसकी सुनवाई की थी, के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा।

अधिकरण के आदेश।

420. (1) अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) अधिकरण, आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय, अभिलेख से प्रकट किसी भूल को सुधारने की दृष्टि से उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और ऐसा संशोधन करेगा, यदि भूल उसकी सूचना में पक्षकारों द्वारा लाई गई हो :

परंतु ऐसा कोई संशोधन किसी ऐसे आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपील की गई हो ।

(3) अधिकरण इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति संबंधित सभी पक्षकारों को भेजेगा ।

अधिकरण के आदेशों से अपील।

421. (1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए आदेश से कोई अपील, अपील अधिकरण को नहीं की जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको अधिकरण के आदेश की एक प्रति व्यथित व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी तथा ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए:

परंतु अपील अधिकरण उपरिवर्णित तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान पर किन्तु पैंतालीस दिन की और अवधि से अनधिक के भीतर अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उस अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था।

(4) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपील किए गए आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाले ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(5) अपील अधिकरण इसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अधिकरण तथा अपील के पक्षकारों को भेजेगा।

अधिकरण और अपील अधिकरण द्वारा शीघ्र निपटान ।

422. (1) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन या अर्जी और अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई प्रत्येक अपील पर उसके द्वारा यथासंभव तत्परता से कार्यवाही की जाएगी और उसका निपटान किया जाएगा और, यथास्थिति, अधिकरण और अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन या अर्जी या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील का निपटान करने का हर प्रयास किया जाएगा ।

(2) जहां कोई आवेदन या याचिका या अपील का उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जाता है, वहां, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति, आवेदन या याचिका या अपील का निपटारा न किए जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा और यथास्थिति, अध्यक्ष या अपील अधिकरण का अध्यक्ष, इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात्, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि को, नब्बे दिन से अनधिक की ऐसी अवधि तक विस्तारित कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

उच्चतम न्यायालय को अपील ।

423. अपील अधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के आदेश की उसे प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसे आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परन्तु उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ था, साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर इसे फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा।

अधिकरण और अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया ।

424. (1) यथास्थिति, अधिकरण और अपील अधिकरण उनके समक्ष किसी कार्यवाही या अपील का निपटारा करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होंगे, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होंगे और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए अधिकरण और अपील अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी । 1908 का 5

(2) अधिकरण और अपील अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों से संबंधित किसी वाद का विचारण करते समय वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य अभिप्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या किसी कार्यालय से ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना; 1872 का 1

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करना;

(च) व्यतिक्रम के कारण अभ्यावेदन को खारिज करना या उसे एकपक्षीय रूप से विनिश्चित करना;

(छ) व्यतिक्रम के कारण किसी अभ्यावेदन को खारिज करने के किसी आदेश को, या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किए गए किसी आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(3) अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश को उस अधिकरण द्वारा उसी रीति में प्रवृत्त किया जा सकेगा, मानो कि वह किसी न्यायालय द्वारा उसमें लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो, और अधिकरण या अपील अधिकरण के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे अपने आदेशों को निष्पादन के लिए उस न्यायालय को भेजे, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर,—

(क) किसी कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में, कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में, संबंधित व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारबार चलाता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है ।

(4) अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अधिकरण तथा अपील अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1860 का 45

1974 का 2

425. अधिकरण और अपील अधिकरण को अपनी अवमानना के लिए वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं तथा इस प्रयोजन के लिए वे न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रयोग कर सकेंगे, जिसका प्रभाव उपांतरणों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित होगा— अवमान के लिए दंड देने की शक्ति ।

1971 का 70

(क) उसमें उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें अधिकरण और अपील अधिकरण के प्रतिनिर्देश सम्मिलित हैं; और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधि अधिकारियों के प्रतिनिर्देश है, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

426. अधिकरण या अपील अधिकरण, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति, किसी कार्यवाही या उसके समक्ष किसी अपील से संबंधित किसी मामले की ऐसी रीति में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, जांच करने और उसे रिपोर्ट करने के लिए निदेश दे सकेगा। शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

427. अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा अपील अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे । अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों, आदि, का लोक सेवक होना।

1860 का 45

428. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, अधिकरण, अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी या अपील अधिकरण, अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या उसके अन्य कर्मचारी या समापक या अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कृत्य के या इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए नहीं लाई जाएगी । सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

429. (1) अधिकरण, किसी रुग्ण कंपनी या किसी अन्य कंपनी के परिसमापन से संबंधित किसी कार्यवाही में सभी संपत्ति, लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में लेने के लिए, उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, आदि की सहायता की मांग करने की शक्ति।

मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर को, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसी रुग्ण या अन्य कंपनी की ऐसी संपत्ति, लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज स्थित हैं या पाई जाती हैं, उनका कब्जा लेने के लिए लिखित में अनुरोध करेगा, और यथास्थिति, ऐसा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर उसे ऐसा अनुरोध किए जाने पर,—

(क) ऐसी संपत्ति, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का कब्जा लेगा; और

(ख) उन्हें अधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर ऐसे कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा, जो उसकी राय में आवश्यक हो ।

(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा इस धारा के अनुसरण में किया गया कोई कार्य, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना ।

430. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विषय के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके संबंध में अधिकरण या अपील अधिकरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अवधारण करने के लिए सशक्त है या अधिकरण अथवा अपील अधिकरण द्वारा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा व्यादेश नहीं दिया जाएगा ।

अधिकरण या अपील अधिकरण में रिक्ति के कारण कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

431. अधिकरण या अपील अधिकरण के किसी कार्य या कार्यवाही को, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण में केवल रिक्ति होने या उसके गठन में किसी व्यतिक्रम के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और वह अविधिमान्य नहीं होगी ।

विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार ।

432. यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील या कार्यवाही का कोई पक्षकार स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों अथवा विधि व्यवसायियों या किसी अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

परिसीमा ।

433. परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंध, जहां तक हो सके, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों या अपीलों को लागू होंगे। 1963 का 36

कतिपय लंबित कार्यवाहियों का अन्तरण ।

434. (1) ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए,—

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ङ की उपधारा (1) के अधीन गठित कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कंपनी विधि बोर्ड कहा गया है) के समक्ष लंबित सभी विषय, कार्यवाहियां या मामले, ऐसी तारीख से ठीक पूर्व अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और अधिकरण उन विषयों, कार्यवाहियों या मामलों का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारा करेगा; 1956 का 1

(ख) ऐसी तारीख से पहले, कंपनी विधि बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, कंपनी विधि बोर्ड के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, उस आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ था तो वह उसे साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा;

1956 का 1

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन, जिसके अन्तर्गत कंपनियों के माध्यस्थम्, समझौता, ठहराव और पुनर्संरचना तथा परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जो उस तारीख से ठीक पूर्व किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हैं, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी और अधिकरण उन कार्यवाहियों के संबंध में उनके अन्तरण से पहले के प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा ;

(घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण को की गई कोई अपील या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष किया गया निर्देश या लंबित जांच अथवा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी भी प्रकृति की कोई कार्यवाही उपशमन की जाएगी :

1986 का 1

परंतु कोई कंपनी, जिसके संबंध में इस खंड के अधीन ऐसी अपील या निर्देश या जांच का उपशमन किया जाता है, इस अधिनियम के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को निर्देश कर सकेगी :

परंतु यह और कि इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा, जिसकी अपील या निर्देश या जांच इस खंड के अधीन उपशमन की जाती है, ऐसा निर्देश करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन कंपनी विधि बोर्ड या न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी विषयों, कार्यवाहियों या मामलों का अधिकरण को यथासमय अंतरण सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी।

अध्याय 28

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

435. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालय स्थापित या अभिहित कर सकेगी, जितने आवश्यक हों ।

(2) विशेष न्यायालय का गठन एकल न्यायाधीश से होगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किए जाने वाला न्यायाधीश कार्य कर रहा है ।

(3) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व वह सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश का पद धारण न कर रहा हो ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

436. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी— 1974 का 2

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, उस क्षेत्र के भीतर स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा, जिसमें उस कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, जिसके संबंध में अपराध किया गया है या जहां एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं वहां उस क्षेत्र के ऐसे एक विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय विनिर्दिष्ट करे;

(ख) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाता है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट, उस व्यक्ति को, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वहां पूर्ण रूप से पन्द्रह दिन से अनधिक की और जहां ऐसा मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, वहां पूर्ण रूप से सात दिन की ऐसी अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने को प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह ठीक समझे : 1974 का 2

परन्तु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट यह विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध, निरोध की अवधि पर या उसके अवसान के पूर्व अनावश्यक है वहां वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करने का आदेश करेगा;

(ग) विशेष न्यायालय, उस व्यक्ति के संबंध में, जो खंड (ख) के अधीन उसे अग्रेषित किया गया है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो किसी मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के अधीन, ऐसे किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कर सकेगा, जो उस धारा के अधीन, उसे अग्रेषित किया गया है; 1974 का 2

(घ) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के परिशीलन पर या उस निमित्त परिवाद पर अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना उस अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन आरोपित किया जा सकता हो । 1974 का 2

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा जो तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है : 1974 का 2

परंतु किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि जब संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके दौरान विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जाना चाहिए या किसी अन्य कारण से उस मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण करना वांछनीय नहीं है तो विशेष न्यायालय, पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस आशय का एक आदेश लेखबद्ध करेगा और उसके पश्चात् ऐसे किन्हीं साक्षियों को पुनः बुलाएगा जिनकी परीक्षा की जा चुकी हो और मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई नियमित विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।

अपील और पुनरीक्षण।

437. उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो सके, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का किसी उच्च न्यायालय पर इस प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के 1974 का 2

भीतर विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय हो।

1974 का 2

438. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा । विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना।

1974 का 2

439. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध उक्त संहिता के अर्थान्तर्गत धारा 212 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंज्ञेय समझा जाएगा । अपराधों का असंज्ञेय होना ।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जो किसी कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किया जाना अभिकथित है, रजिस्ट्रार, कंपनी के किसी शेयर धारक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिखित परिवाद पर के सिवाय, संज्ञान नहीं लेगा :

परंतु न्यायालय प्रतिभूतियां जारी किए जाने और उनके अंतरण तथा लाभांश के असंदाय, से संबंधित अपराधों का संज्ञान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में परिवाद पर कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात कंपनी द्वारा अपने किन्हीं अधिकारियों के अभियोजन पर लागू नहीं होगी ।

1974 का 2

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (2) के अधीन परिवादी रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है वहां अपराधों का विचारण करने वाले न्यायालय के समक्ष ऐसे अधिकारियों की उपस्थिति तब तक आवश्यक नहीं होगी जब तक कि न्यायालय विचारण पर उसकी व्यक्तिगत हाजिरी की अपेक्षा न करे ।

(4) उपधारा (2) के उपबंध कंपनियों के परिसमापन से संबंधित ऐसे किसी अपराध की बाबत जो अध्याय 20 में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में वर्णित किसी विषय की बाबत किया गया अभिकथित है, कंपनी के परिसमापक द्वारा की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—किसी कंपनी का परिसमापक उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत कंपनी का अधिकारी नहीं समझा जाएगा ।

1974 का 2

440. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया जाता, उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सेशन न्यायालय द्वारा, विचारण किया जाएगा : संक्रमणकालीन उपबंध ।

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग के अन्तरण के लिए संहिता की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

1974 का 2

441. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का (चाहे वह किसी कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो) जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, अभियोजन के संस्थापन से पहले या उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा शमन किया जा सकेगा— कतिपय अपराधों का शमन ।

(क) अधिकरण; या

(ख) जहां ऐसे जुर्माने की अधिकतम रकम जो ऐसे अपराध के लिए अधिरोपित की जा सकेगी पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा,

यथास्थिति, कंपनी या अधिकारी द्वारा, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रकम का जो, यथास्थिति, अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करने पर या जमा करने पर :

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट रकम, किसी भी दशा में जुर्माने की ऐसी अधिकतम रकम से जो ऐसे शमन किए गए अपराध के लिए अधिरोपित की जाए, अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी अपराध के शमन करने के लिए संदत्त या जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम विनिर्दिष्ट करते समय, रकम, यदि कोई हो, जो धारा 403 की उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त फीस के रूप में संदत्त की गई थी, हिसाब में ली जाएगी :

परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन आने वाला कोई अपराध किसी कंपनी या उसके अधिकारी द्वारा किया गया है तो उसका शमन नहीं किया जाएगा यदि ऐसी कंपनी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण आरंभ किया गया है या लंबित है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा, उस तारीख से जिसको कंपनी या अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन वैसा ही अपराध किया गया था और उसका शमन किया गया था तो तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए वैसे ही अपराध को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) उस तारीख से जिसको पूर्व में अपराध का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध किया जाता है तो, उसे प्रथम अपराध समझा जाएगा;

(ख) "प्रादेशिक निदेशक" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(3) (क) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा जो उसे उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ, यथास्थिति, अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(ख) जहां इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन किया जाता है, चाहे वह अभियोजन के संस्थापन के पहले या उससे पूर्व किया गया हो, वहां उसकी सूचना रजिस्ट्रार, को अपराध के शमन किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर कंपनी को दी जाएगी ।

(ग) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थापन के पूर्व किया जाता है वहां ऐसे अपराध के संबंध में, या तो रजिस्ट्रार द्वारा या कंपनी के किसी शेयर धारक द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उस अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(घ) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थापन के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसे शमन करने को लिखित में रजिस्ट्रार द्वारा उस न्यायालय की जानकारी में लाया जाएगा, जिसमें अभियोजन लंबित है, और अपराध के शमन के संबंध में ऐसी सूचना दिए जाने पर ऐसी कंपनी या उसका अधिकारी जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, अभिमुक्त हो जाएगा ।

(4) यथास्थिति, अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में व्यतिक्रम के लिए किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई करते समय, जो किसी कंपनी पर उसके अधिकारी से रजिस्ट्रार के पास कोई विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज फाइल या रजिस्टर करने या परिदत्त करने या भेजने की अपेक्षा करता है, तो आदेश द्वारा, यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है, तो, कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज को फाइल करे या रजिस्टर करे या ऐसी फीस या अतिरिक्त फीस का संदाय करे जो धारा 403 के अधीन संदत्त की जानी अपेक्षित है ।

(5) कंपनी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उपधारा (4) के अधीन अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

1974 का 2

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसा कोई अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, अपराधों के शमन के लिए उक्त अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में, विशेष न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय होगा;

(ख) ऐसा कोई अपराध जो इस अधिनियम के अधीन केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है, शमनीय नहीं होगा ।

(7) इस धारा में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, इस धारा के उपबंधों के अधीन और अनुसरण के सिवाय, शमनीय होगा ।

मध्यकता और सुलह पैनल।

442. (1) केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञों का एक पैनल रखेगी जिसे "मध्यकता और सुलह पैनल" कहा जाएगा जो विशेषज्ञों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के मध्य मध्यकता के लिए ऐसी अर्हताएं रखते हैं जो विहित की जाएं।

(2) कार्यवाहियों का कोई पक्षकार केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान किसी भी समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण को ऐसे प्ररूप के साथ ऐसी फीस जो विहित की जाए मध्यकता और सुलह पैनल को ऐसी कार्यवाहियों से संबंधित मामले को निर्देश करने के लिए आवेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट पैनल से एक या अधिक विशेषज्ञों के पैनल को नियुक्त करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण जिसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है, स्वप्रेरणा से ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी मामले को मध्यकता और सुलह पैनल से विशेषज्ञों की ऐसी संख्या को जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण उचित समझे निर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) मध्यकता और सुलह पैनल के विशेषज्ञों की फीस और अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

(5) मध्यकता और सुलह पैनल ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विहित की जाए और ऐसे निर्देश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर निर्दिष्ट मामले का निपटान करेगा तथा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण को अपनी सिफारिशें भेजेगा।

(6) कोई पक्षकार जो मध्यकता और सुलह पैनल की सिफारिशों से व्यथित है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण को अपने आक्षेप फाइल कर सकेगा।

कंपनी अभियोजक की नियुक्ति करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

443. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सामान्यतया या किसी मामले के लिए या किसी मामले में या मामलों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में एक या अधिक व्यक्तियों को, इस अधिनियम से उद्भूत होने वाले अभियोजनों के संचालन के लिए कंपनी अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार कंपनी अभियोजक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त किए गए लोक अभियोजकों को प्रदत्त सभी शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे । 1974 का 2

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील ।

444. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम से उद्भूत होने वाले किसी मामले में किसी कंपनी अभियोजक को या किसी अन्य व्यक्ति को नाम से या उसके पदनाम से, उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के किसी आदेश की अपील करने के लिए निदेश दे सकेगी या प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे अभियोजक या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई अपील, अपील न्यायालय को वैध रूप से प्रस्तुत की गई समझी जाएगी । 1974 का 2

युक्तियुक्त कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर ।

445. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 250 के उपबंध विशेष न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष बिना युक्तियुक्त कारणों के लगाए गए अभियोग को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । 1974 का 2

जुर्मानों का लागू होना ।

446. न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन कोई जुर्माना अधिरोपित करते समय यह निदेश दे सकेगा कि संपूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग, कार्यवाही के खर्चों के संदाय में या उसके संबंध में लागू होगा या उस व्यक्ति को पुरस्कार के संदाय में अथवा उसके संबंध में लागू होगा, जिसकी सूचना पर कार्यवाही प्रारंभ की गई थी ।

अध्याय 29

प्रकीर्ण

कपट के लिए दंड ।

447. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऋण के प्रतिसंदाय सहित किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी व्यक्ति को कपट का दोषी पाया जाता है तो वह, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से अन्यून की अवधि का हो सकेगा, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो कपट में अंतर्वलित रकम से कम का नहीं होगा, किन्तु वह कपट में अंतर्वलित रकम के तीन गुने तक का भी होगा, दंडनीय होगा:

परंतु जहां प्रश्नगत कपट में लोकहित अंतर्वलित है वहां कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय के संबंध में "कपट" के अंतर्गत कपट करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्थिति का दुरुपयोग या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी किसी भी रीति में सहमति से धोखा देने, असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करने या कंपनी अथवा उसके शेयर धारकों या उसके लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति, चाहे कोई सदोष लाभ या सदोष हानि हो या नहीं, किया गया कोई कृत्य भी है ;

(ii) "दोषपूर्ण अभिलाभ" से सम्पत्ति का अवैधपूर्ण साधनों द्वारा अभिलाभ अभिप्रेत है, जिसके लिए वह व्यक्ति विधिक रूप से हकदार नहीं है ;

(iii) "दोषपूर्ण हानि" से संपत्ति की अवैधपूर्ण साधनों द्वारा हानि अभिप्रेत है, जिसके लिए उसे हानि उठानी पड़ रही है, विधिक रूप से हकदार है ।

मिथ्या कथनों के लिए दंड ।

448. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरण, तुलनपत्र, प्रास्पेक्टस, विवरण या अन्य दस्तावेज में, जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के प्रयोजनों द्वारा या उसके लिए अपेक्षित है, ऐसा कोई कथन,—

(क) जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है, यह जानते हुए करता है कि वह मिथ्या है; अथवा

(ख) जिसमें किसी तात्त्विक तथ्य का लोप किया गया है, यह जानते हुए करता है कि वह तथ्य तात्त्विक है,

तो वह धारा 447 के अधीन दंडनीय होगा ।

मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड ।

449. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यदि कोई व्यक्ति,—

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी परीक्षा में शपथ पर या सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के परिसमापन में या उसके बारे में किसी शपथ-पत्र, अभिसाक्ष्य या सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान में या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले किसी विषय में या उसके बारे में अन्यथा,

साशय मिथ्या साक्ष्य देगा, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

जहां कोई विनिर्दिष्ट शास्ति या दंड उपबंधित नहीं है, वहां दंड ।

450. यदि कोई कम्पनी या किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों या किसी शर्त, परिसीमा या निर्बन्धन का, जिसके अधीन किसी बात के संबंध में कोई अनुमोदन, मंजूरी, सम्मति, पुष्टि, मान्यता, निदेश या छूट प्रदान की गई है, दी गई है या अनुदत्त की गई है और जिसके लिए इस अधिनियम में कहीं अन्यत्र किसी शास्ति या दण्ड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो कम्पनी और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो व्यतिक्रमी है या ऐसा अन्य व्यक्ति, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है, वहां पहले दिन के पश्चात्वर्ती ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

व्यतिक्रम की दशा में पुनरावृत्ति।

451. यदि कोई कंपनी या कंपनी का कोई अधिकारी किसी जुर्माने या कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है और वही अपराध तीन वर्ष की अवधि के भीतर दूसरी बार या पश्चात्वर्ती अवसरों पर भी किया जाता है तो वह कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास के अतिरिक्त जुर्माने की रकम से दुगुनी रकम के लिए दंडनीय होगा ।

सम्पत्ति के सदोष विधारण के लिए दंड।

452. (1) यदि किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी—

(क) कंपनी की किसी सम्पत्ति का, नकदी सहित कब्जा दोषपूर्वक अभिप्राप्त कर लेता है; अथवा

(ख) नकदी सहित ऐसी किसी सम्पत्ति को अपने कब्जे में रखते हुए, उसे दोषपूर्वक विधारित रखता है या उसका उपयोजन जानते हुए उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए करता है, जो अनुच्छेदों में अभिव्यक्त किए गए हैं या निर्दिष्ट हैं और इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हैं,

तो वह कंपनी के या उसके किसी लेनदार या अभिदायी या सदस्य के परिवाद पर जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को यह आदेश भी दे सकेगा कि वह उसके द्वारा सदोष अभिप्राप्त की गई या दोषपूर्वक विधारित की गई या जानबूझकर दुरुपयोजित की गई ऐसी किसी संपत्ति या नकदी या उस संपत्ति या नकदी से व्युत्पन्न फायदों को उस न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले समय के भीतर परिदत्त या वापस कर दे या व्यतिक्रम करने पर ऐसा कारावास भोगे, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी ।

"लिमिटेड", "प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों के अनुचित प्रयोग के लिए दंड ।

453. यदि कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति, ऐसे किसी नाम या अभिनाम से व्यापार करता है या करते हैं या कारबार चलाता है या चलाते हैं, जिसके अंतिम शब्द या शब्दों के रूप में, "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द या उनका कोई संक्षिप्त रूप या अनुकृति है तो वह व्यक्ति या उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, जब तक कि वह या वे, यथास्थिति, सम्यक् रूप से परिसीमित दायित्व के साथ निगमित नहीं है या जब तक कि सम्यक् रूप से परिसीमित दायित्व के साथ किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित नहीं है, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान नाम या अभिनाम का प्रयोग जारी रहता है, जुर्माने से जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा या होंगे ।

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

454. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारियों के रूप में रजिस्ट्रार की पंक्ति से नीचे के केन्द्रीय सरकार के उतने अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी जितने विहित किए जाएं ।

(2) केन्द्रीय सरकार न्यायनिर्णायक अधिकारियों को नियुक्त करते समय उपधारा (1) के अधीन आदेश में उनकी अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करेगी ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा कंपनी और ऐसे अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो व्यतिक्रमी है, और उसमें अधिनियम के सुसंगत उपबंध के अधीन किसी अननुपालन या व्यतिक्रम का कथन करेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व ऐसी कंपनी और अधिकारी को जो व्यतिक्रमी है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस विषय पर अधिकारिता रखने वाले प्रादेशिक निदेशक को अपील कर सकेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी जिसको न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है और ऐसी अपील ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ होगी जो विहित की जाए ।

(7) प्रादेशिक निदेशक, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह ऐसे आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करने, उपांतरित करने या अपास्त करने के लिए ठीक समझे ।

(8) (i) जहां कंपनी न्यायनिर्णायक अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नहीं करती है वहां कंपनी जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी।

(ii) जहां किसी कंपनी का कोई अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर शास्ति का संदाय नहीं करता है वहां ऐसा अधिकारी कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

निष्क्रिय कंपनी ।

455. (1) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के अधीन किसी भविष्य की परियोजना के लिए या कोई आस्ति या बौद्धिक संपदा धारित करने के लिए गठित और रजिस्ट्रीकृत की जाती है और उसने कोई महत्वपूर्ण लेखा संव्यवहार नहीं किया है तो ऐसी कंपनी या निष्क्रिय कंपनी रजिस्ट्रार को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निष्क्रिय कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोई कारबार या प्रचालन नहीं कर रही है या जिसने कोई महत्वपूर्ण लेखाकर्म संव्यवहार नहीं किया है, अथवा पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणियां फाइल नहीं की हैं;

(ii) "महत्वपूर्ण लेखाकर्म संव्यवहार" से निम्नलिखित से भिन्न अभिप्रेत है,—

(क) किसी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को फीसों का संदाय;

(ख) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसके द्वारा किए गए संदाय;

(ग) इस अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शेयरों का आबंटन; और

(घ) अपने कार्यालय और अभिलेख बनाए रखने के लिए संदाय ।

(2) रजिस्ट्रार, आवेदन पर विचार करने पर आवेदक को निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति अनुज्ञात करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो उस प्रभाव के लिए विहित किया जाए ।

(3) रजिस्ट्रार निष्क्रिय कंपनियों का एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगा जो विहित किया जाए ।

(4) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जिसने लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी फाइल नहीं की है, रजिस्ट्रार, उस कंपनी को सूचना जारी करेगा तथा निष्क्रिय कंपनियों के लिए रखे गए रजिस्टर में उस कंपनी का नाम प्रविष्ट करेगा ।

(5) किसी निष्क्रिय कंपनी में ऐसी संख्या में न्यूनतम निदेशक होंगे, ऐसे दस्तावेज फाइल करेगी और रजिस्टर में अपनी निष्क्रिय हैसियत को बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रार को ऐसी वार्षिक फीस का संदाय करेगी जो विहित की जाए और इस निमित्त, ऐसे दस्तावेजों के साथ और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, किए गए आवेदन पर सक्रिय कंपनी हो सकेगी ।

(6) रजिस्ट्रार निष्क्रिय कंपनियों के रजिस्टर से उस निष्क्रिय कंपनी का नाम काट देगा, जो इस धारा की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

456. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए अथवा सरकार या ऐसे अधिकारी द्वारा या उसके किसी प्राधिकार के अधीन किसी प्रकाशन की बाबत कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

कतिपय मामलों में जानकारी का प्रकट न किया जाना ।

457. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, द्वारा सरकार के किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को वह स्रोत प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जहां से उसे कोई ऐसी जानकारी मिली थी,—

(क) जिसके कारण केन्द्रीय सरकार ने धारा 210 के अधीन अन्वेषण करने का आदेश दिया; अथवा

(ख) जो ऐसे अन्वेषण के संबंध में तात्त्विक या सुसंगत है या रही है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन।

458. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों, निर्बंधनों तथा परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को नियम बनाने की शक्ति से भिन्न अपनी किन्हीं शक्तियों या कृत्यों से भिन्न किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं :

परंतु अग्रिम व्यवहार और अंतरंगी व्यापार से संबंधित, धारा 194 और धारा 195 में अंतर्विष्ट उपबंधों को प्रवृत्त करने की शक्ति सूचीबद्ध कंपनियों या ऐसी कंपनियों के लिए, जो अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का आशय रखती हैं, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाएंगी और ऐसे मामले में, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में शिकायत फाइल करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।

शर्तों के अधीन अनुमोदन, आदि प्रदान करने और आवेदनों के संबंध में फीस विहित करने की केन्द्रीय सरकार या अधिकरण की शक्ति ।

459. (1) जहां केन्द्रीय सरकार या अधिकरण, इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा—

(क) किसी विषय के लिए या उसके संबंध में अनुमोदन, मंजूरी, सम्मति, पुष्टिकरण या मान्यता प्रदान करने के लिए;

(ख) किसी विषय के संबंध में कोई निदेश देने के लिए; अथवा

(ग) किसी विषय के संबंध में कोई छूट अनुदत्त करने के लिए,

अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहां उस उपबंध या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के अभाव में, केन्द्रीय सरकार या अधिकरण ऐसा अनुमोदन, ऐसी मंजूरी, सम्मति, पुष्टिकरण, मान्यता, निदेश या छूट ऐसी शर्तों, परिसीमाओं या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रदान कर सकेगी, दे सकेगी या कर सकेगी, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे और ऐसी किसी शर्त, परिसीमा या निर्बंधन का उल्लंघन होने की दशा में ऐसे अनुमोदन, मंजूरी, सम्मति, पुष्टिकरण, मान्यता, निदेश या छूट को विखंडित या प्रत्याहृत कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसा प्रत्येक आवेदन, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन केन्द्रीय सरकार या अधिकरण को—

(क) किसी विषय के बारे में या उसके संबंध में उस सरकार या अधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी अनुमोदन, मंजूरी, सम्मति, पुष्टिकरण या मान्यता के संबंध में; अथवा

(ख) ऐसे किसी निदेश या ऐसी किसी छूट की बाबत, जो किसी विषय के बारे में उस सरकार या अधिकरण द्वारा दिया जाना या अनुदत्त की जानी है; अथवा

(ग) किसी अन्य विषय की बाबत,

किया जा सकता है या किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जो विहित की जाए :

परन्तु भिन्न-भिन्न विषयों की बाबत आवेदनों के लिए या विभिन्न वर्गों की कंपनियों द्वारा आवेदनों की दशा में भिन्न-भिन्न फीसें विहित की जा सकेंगी ।

कतिपय दशाओं में विलंब का माफ किया जाना ।

460. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जहां ऐसा कोई आवेदन, जिसका ऐसे किसी विषय के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किया जाना अपेक्षित है, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है, वहां सरकार, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उस विलंब के लिए माफी दे सकेगी;

(ख) जहां कोई दस्तावेज, जिसका इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रार के यहां फाइल किया जाना अपेक्षित है, उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर फाइल नहीं किया जाता है वहां, केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, विलंब के लिए माफी दे सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट ।

461. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन पर साधारण वार्षिक रिपोर्ट उस वर्ष के, जिससे रिपोर्ट संबंधित है, अन्त से एक वर्ष के भीतर तैयार कराएगी और संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

इस अधिनियम के उपबंधों से कंपनियों के वर्ग या वर्गों को छूट देने की शक्ति।

462. (1) केन्द्रीय सरकार, लोकहित में, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश कर सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध,—

(क) कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों पर लागू नहीं होगा; या

(ख) कंपनियों के वर्ग या वर्गों को ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना का प्रारूप संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी ।

कतिपय मामलों में अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति।

463. (1) यदि किसी कंपनी के अधिकारी के विरुद्ध उपेक्षा, व्यतिक्रम, कर्तव्य भंग, अपकरण या न्यासभंग की कार्यवाही में सुनवाई करने वाले न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह उपेक्षा, व्यतिक्रम, कर्तव्यभंग, अपकरण या न्यासभंग के संबंध में दायी है या दायी हो सकता है किंतु उसने ईमानदारी से और युक्तियुक्त ढंग से कृत्य किया है, और मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जिसके अंतर्गत उसकी नियुक्ति से संबंधित भी हो, उसे क्षमा किया जाना चाहिए, तो न्यायालय ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे उसे उसके दायित्व से पूर्णतः या भागतः मुक्त कर सकेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन दांडिक कार्यवाही में न्यायालय को किसी सिविल दायित्व से अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति नहीं होगी जो ऐसी उपेक्षा, व्यतिक्रम, कर्तव्यभंग, अपकरण या न्यासभंग के संबंध में किसी अधिकारी से बद्ध किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अधिकारी को आशंका है कि किसी उपेक्षा, व्यतिक्रम, कर्त्तव्य भंग, अपकरण या न्यासभंग के संबंध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी या की जा सकेगी, तो वह उच्च न्यायालय को अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन पर उच्च न्यायालय को उसे मुक्त करने की वही शक्ति होगी जो उपधारा (1) के अधीन उस न्यायालय को होती जिसके समक्ष उपेक्षा, व्यतिक्रम, कर्तव्यभंग, अपकरण या न्यासभंग के लिए अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई न्यायालय किसी अधिकारी को कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं करेगा यदि वह इसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में तामील की गई सूचना द्वारा रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, से कारण बताने की अपेक्षा करे कि ऐसा अनुतोष क्यों अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए।

कतिपय संख्या से अधिक व्यक्तियों के संगम या भागीदारी का प्रतिषेध ।

464. (1) ऐसे किसी कारबार को करने के प्रयोजन के लिए जिसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगम या भागीदारी का या उसके व्यष्टिक सदस्यों का अभिलाभ प्राप्त किया है, उतनी संख्या से अधिक व्यक्तियों का, जो विहित की जाए, कोई संगम या भागीदारी गठित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसको विरचित नहीं किया जाता :

परंतु इस उपधारा के अधीन विहित की जाने वाली व्यक्तियों की संख्या एक सौ से अधिक नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात,—

(क) कोई कारबार करने वाले हिन्दू अविभक्त कुटुंब को लागू नहीं होगी; या

(ख) किसी संगम या भागीदारी को लागू नहीं होगी यदि उसका निर्माण ऐसे वृत्तिकों द्वारा किया जाता है जो विशेष अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं।

(3) उपधारा (1) के उल्लंघन में कारबार करने वाले किसी संगम या भागीदारी का प्रत्येक सदस्य जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे कारबार में उपगत दायित्वों का भागी होगा।

कतिपय अधि–नियमितियों का निरसन और व्यावृत्तियां।

465. (1) कंपनी अधिनियम, 1956 और रजिस्ट्रेशन आफ कंपनीज (सिक्किम), ऐक्ट, 1961 (जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् निरसित अधिनियमितियां कहा गया है) निरसित हो जाएंगे : 1956 का 1 1961 का सिक्किम अधिनियम 8

परन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 9क के उपबंध किसी उत्पादक कंपनी को यथावश्यक परिवर्तन सहित, उत्पादक कंपनियों के लिए विशेष अधिनियम अधिनियमित किए जाने तक, ऐसी रीति में लागू होंगे, मानो कंपनी अधिनियम, 1956 को निरसित नहीं किया गया हो: 1956 का 1

परन्तु यह और कि अधिकरण को मामलों का अंतरण करने के लिए धारा 434 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा तारीख अधिसूचित किए जाने तक कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड और न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियों, प्राधिकार और कृत्यों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंध इस प्रकार लागू होते रहेंगे, मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो : 1956 का 1

परन्तु यह और भी कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 67 के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंध सीमित दायित्व भागीदारी को इस अधिनियम के तत्समान सुसंगत उपबंधों को उस धारा के अधीन सुसंगत अधिसूचना जारी किए जाने तक उसी प्रकार लागू होते रहेंगे, मानो कंपनी अधिनियम, 1956 निरसित न किया गया हो। 2009 का 6 1956 का 1

(2) उपधारा (1) के अधीन निरसित अधिनियमितियों का निरसन होते हुए भी,—

(क) निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत बनाए गए या जारी किए गए किसी नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या सूचना अथवा की गई कोई नियुक्ति या घोषणा या की गई कोई संक्रिया या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित की गई कोई शास्ति, दंड, समपहरण या जुर्माना भी है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी;

(ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, की गई किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया कोई आदेश, बनाया गया नियम, अधिसूचना, विनियम, की गई नियुक्ति, किया गया हस्तांतरण, बंधक, विलेख, दस्तावेज या किया गया करार, निदेशित फीस, पारित संकल्प, किया गया निदेश, की गई कार्यवाही, निष्पादित या जारी की गई लिखत, निरसित अधिनियमिति के अधीन या उसके अनुसरण में की गई कोई बात, यदि वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रवृत्त रहते हैं, तो प्रवर्तन में बनी रहेगी, और मानो इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में की गई होती, निदेशित होती, दी गई होती, ली गई होती, निष्पादित की गई होती, जारी की गई होती तो इस प्रकार प्रभावी होगी;

(ग) विधि के किसी सिद्धांत या नियम अथवा स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट पर इस बात के होते हुए प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसकी क्रमशः निरसित अधिनियमितियों द्वारा, में या से किसी रीति में अभिपुष्टि की गई हो या उसे मान्यता प्रदान की गई हो अथवा व्युत्पन्न हुई हो;

(घ) किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन या उसके द्वारा किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा;

(ङ) किसी अधिकारिता, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय अथवा बातों को, जो विद्यमान या प्रवृत्त नहीं हैं पुनरीक्षित या प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा;

(च) कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान पद इस प्रकार बने रहेंगे, मानो वे इस अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए हों;

(छ) निरसित अधिनियमितियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों का निगमन वैध बना रहेगा और इस अधिनियम के उपबंध ऐसी कंपनियों को इस प्रकार लागू होंगे मानो वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई थीं;

(ज) निरसित अधिनियमितियों के अधीन गठित और स्थापित सभी रजिस्टर और सभी निधियां, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन गठित या स्थापित रजिस्टर और निधियां समझी जाएंगी;

(झ) निरसित अधिनियमितियों के अधीन संस्थित और इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई अभियोजन, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त न्यायालय द्वारा सुना और निपटाया जाता रहेगा;

1956 का 1 (ञ) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन किए जाने के लिए आदेशित कोई निरीक्षण, अन्वेषण या जांच पर उसी प्रकार कार्यवाही की जाती रहेगी, मानो ऐसे निरीक्षण, अन्वेषण या जांच का आदेश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया हो; और

1956 का 1 (ट) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन, रजिस्ट्रार, प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार को फाइल किए गए किसी मामले में और उस समय सही रूप से संबोधित नहीं किसी मामले, उक्त अधिनियम के निरसित होते हुए भी, निबंधनों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किए जाएंगे।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों का वर्णन निरसित अधिनियमितियों के निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा, मानो रजिस्ट्रेशन आफ कंपनीज (सिक्किम) ऐक्ट, 1961 भी केन्द्रीय अधिनियम हो ।

1897 का 10

1961 का सिक्किम अधिनियम 8

1956 का 1

466. (1) धारा 465 में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कंपनी विधि बोर्ड कहा गया है) अधिकरण के गठन पर विघटित हो जाएगा : कंपनी विधि बोर्ड का विघटन और पारिणामिक उपबंध।

परन्तु अधिकरण का गठन होने तक, अधिकरण और अपील अधिकरण के गठन से ठीक पूर्व कंपनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, जो इस अधिनियम के अधीन, अधिकरण के अध्यक्ष या अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के संबंध में उपबंधित अर्हताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं, अधिकरण के अध्यक्ष या अपील अधिकरण के अध्यक्ष, या सदस्य के रूप में कृत्य करेंगे :

परंतु यह और कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी, जिसे प्रतिनियुक्ति पर कंपनी विधि बोर्ड में नियुक्त किया गया है, ऐसे विघटन पर—

(i) अधिकरण का अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा, यदि वह इस अधिनियम के अधीन अर्हताएं और अपेक्षाएं पूर्ण करता है; और

(ii) किसी अन्य मामले में, अपने मूल संवर्ग, मंत्रालय या विभाग में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि कंपनी विधि बोर्ड का उस बोर्ड द्वारा नियमित आधार पर नियोजित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे विघटन से ही अधिकरण का, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी, पेंशन, उपदान और वैसे ही अन्य फायदों के संबंध में उन्हीं अधिकारों

और विशेषाधिकारों के साथ हो जाएगा, जो उसे तब अनुज्ञेय होते, यदि वह उस बोर्ड की सेवा करता रहता और जब तक कि अधिकरण या अपील अधिकरण में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या उस अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा उसका मानदेय, नियोजन के निबंधन और शर्तें सम्यक् रूप में परिवर्तित नहीं कर दी जातीं, ऐसी सेवा करता रहेगा :

परंतु यह और भी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन अधिकरण या अपील अधिकरण का अधिकारी या अन्य कर्मचारी बनने वाला कोई अधिकारी या कर्मचारी, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा तथा ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा: 1947 का 14

परंतु यह भी कि जहां कंपनी विधि बोर्ड ने उस बोर्ड में नियोजित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कल्याण निधि या अन्य किसी निधि की स्थापना की है, वहां ऐसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में जमा धन में से, उन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित धन, जो अधिकरण या अपील अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बन चुके हैं, अधिकरण या अपील अधिकरण को अंतरित हो जाएगा तथा उसमें निहित हो जाएगा तथा ऐसे अंतरित हुआ धन उस अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा ऐसी रीति में बरता जाएगा, जो विहित की जाए।

(2) अधिकरण या अपील अधिकरण के गठन के ठीक पूर्व कंपनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद धारण करने वाले व्यक्ति और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, जो उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे गठन पर अपने आनुक्रमिक पद रिक्त कर देंगे और ऐसा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपनी पदावधि या सेवा की किसी संविदा, यदि कोई हो, के समय–पूर्व अवसान के लिए किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

अनुसूची में संशोधन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

467. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनियमों, नियमों, सारणियों, प्ररूपों में से किसी में और इस अधिनियम की अनुसूचियों में से किसी अनुसूची में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों में परिवर्तन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी परिवर्तन का वही प्रभाव होगा मानो कि उसे इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और यह अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा जब तक कि अधिसूचना में अन्यथा निदेश न दिया गया हो :

परंतु अनुसूची 1 की सारणी (च) में किया गया ऐसा कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन की तारीख से पहले रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी को लागू नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक परिवर्तन संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उसमें कोई उपांतरण या परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिसमापन से संबंधित नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

468. (1) केन्द्रीय सरकार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से संगत नियम बना सकेगी जिनमें कंपनियों का परिसमापन करने से संबंधित सभी ऐसे विषयों के लिए उपबंध किए जाएंगे जिन्हें इस अधिनियम द्वारा विहित किया गया है और ऐसे सभी विषयों के लिए नियमों का उपबंध कर सकेगी, जो विहित किए जाएं। 1908 का 5

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से किसी या सभी विषयों की बाबत नियमों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(i) अधिकरण द्वारा किसी कंपनी का परिसमापन करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की रीति;

(ii) कंपनियों का स्वेच्छया परिसमापन करना, चाहे सदस्यों या लेनदारों द्वारा किया गया हो;

(iii) धारा 230 के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित लेनदारों और सदस्यों की बैठकों का आयोजन करने के लिए;

(iv) पूंजी को कम करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए;

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिकरण को किए जाने वाले साधारणतया सभी आवेदनों के लिए;

(vi) लेनदारों और अभिदाताओं की आकांक्षाओं का अभिनिश्चय करने के लिए आयोजित और संचालित की जाने वाली बैठकें;

(vii) अभिदाताओं की सूची तय करना और सदस्यों के रजिस्टर में सुधार और आस्तियों का संग्रहण और उपयोजन करना;

(viii) समापक को संदाय, परिदान, अभिहस्तांतरण, अभ्यर्पण या रकम, संपत्ति, बहियों या कागजपत्रों का अंतरण;

(ix) काल करना; और

(x) समय नियत करना जिसके भीतर ऋण और दावों को साबित किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरंत पहले इस धारा में निर्दिष्ट विषयों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए सभी नियम लागू रहेंगे और ऐसे प्रारंभ पर तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं और ऐसे नियमों में किसी कंपनी के परिसमापन के संबंध में उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश का अर्थ अधिकरण के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

469. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार ऐसे सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी जिन्हें इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने की आवश्यकता है या जो विहित किए जाएं अथवा जिनकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबंध कर सकेगा कि उसका उल्लंघन ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जहां उल्लंघन लगातार जारी रहने वाला उल्लंघन है, वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

470. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम की धारा 1 के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची 1

(धारा 4 और धारा 5 देखिए)

सारणी क

अंशों (शेयरों) द्वारा परिसीमित कंपनियों का संगम-ज्ञापन

पहला—कंपनी का नाम ".....लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड" है ।

दूसरा—कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....राज्य में स्थित होगा ।

तीसरा—(क) कंपनी द्वारा उसके निगमन पर अनुसरित किए जाने वाले उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(ख) ऐसे विषय जो खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित हैं:—

चौथा—सदस्य (सदस्यों) का दायित्व परिसीमित है और यह दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों (शेयरों) पर संदत्त रकम, यदि कोई हो, तक परिसीमित है ।

पांचवां—कंपनी की अंश (शेयर) पूंजी.....रुपए है जो .....रुपए के.....शेयरों में विभाजित है ।

छठा—हम, विभिन्न व्यक्तियों की, जिनके नाम और पते हस्ताक्षर सहित दिए गए हैं, इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में हम एक कंपनी बनाने की वांछा करते हैं, और कंपनी की, पूंजी में इतने अंश (शेयर) लेने का करार करते हैं जितने हमारे अपने-अपने नामों के सामने उपदर्शित हैं:—

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविका	प्रत्येक अभिदायी द्वारा लिए गए अंशों (शेयरों) की संख्या	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी का हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
क.ख..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ग.घ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ङ.च..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
छ. ज..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
झ.ञ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ट.ठ ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ड.ढ.....का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

कुल लिए गए अंशों (शेयरों) की संख्या।

सातवां—मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने की वांछा करता हूं और कंपनी की पूंजी में सभी अंशों (शेयरों) को लेने के लिए सहमत हूं (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू)।

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविका	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी का हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
क.ख ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए:
		हस्ताक्षर

आठवां—श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....आयु.....वर्ष एकमात्र सदस्य की मृत्यु की दशा में नामनिर्देशिती होगा/होगी (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू)

तारीख.....मास.....वर्ष.....

सारणी ख

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी का, जिसकी अंश (शेयर) पूंजी नहीं है, संगम-ज्ञापन

पहला—कंपनी का नाम ".....लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड" है ।

दूसरा—कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... राज्य में स्थित होगा ।

तीसरा—(क) अपने निगमन पर कंपनी द्वारा अनुसरित किए जाने वाले उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(ख) ऐसे विषय जो खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित हैं:—

चौथा—सदस्य (सदस्यों) का दायित्व परिसीमित है ।

पांचवां—कंपनी का प्रत्येक सदस्य यह वचन देता है कि—

(i) कंपनी का परिसमापन उस दौरान जब वह उसका सदस्य है, कंपनी की सदस्यता से अपनी परिविरति के एक वर्ष के अंदर होने की दशा में वह कंपनी के उन ऋणों और दायित्वों के या ऐसे ऋणों और दायित्वों, जो सदस्यता से उसकी परिविरति के पूर्व उपगत कर लिए गए हों, को चुकाने के लिए,

(ii) परिसमापन के खर्चे, प्रभार और व्यय देने के लिए (तथा अभिदायियों के बीच उनके अधिकारों का समायोजन करने के लिए,),

.....रुपए से अनधिक इतनी रकम का अभिदाय, जिसकी आवश्यकता हो, कंपनी की आस्तियों में करेगा ।

छठा—हम, विभिन्न व्यक्तियों की, जिनके नाम और पते हस्ताक्षर सहित दिए गए हैं, यह वांछा है कि इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में हम एक कंपनी बन जाएं, और कंपनी की पूंजी में इतने अंश (शेयर) लेने का करार करते हैं जितने हमारे अपने-अपने नामों के

सामने उपदर्शित हैं:—

अभिदायियों के नाम, पते विवरण और उपजीविका	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी का हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
क.ख..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ग.घ,..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ङ.च..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
छ.ज..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
झ.ञ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ट.ठ ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ड.ढ.....का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

सातवां—मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने की वांछा करता हूं और कंपनी की पूंजी में सभी अंशों (शेयरों) को लेने के लिए सहमत हूं (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू):—

अभिदायी का नाम, पता, विवरण और उपजीविका	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
क.ख..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

आठवां— श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....आयु.....वर्ष एकमात्र सदस्य की मृत्यु की दशा में नामनिर्देशिती होगा/होगी (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू)

तारीख.....मास.....वर्ष.....

सारणी ग

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी जिसकी अंश (शेयर) पूंजी है, का संगम-ज्ञापन

पहला—कंपनी का नाम ".....लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड" है ।

दूसरा—कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....राज्य में स्थित होगा ।

तीसरा—(क) कंपनी द्वारा उसके निगमन पर अनुसरित किए जाने वाले उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(ख) ऐसे विषय जो खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित हैं:—

चौथा—सदस्य (सदस्यों) का दायित्व परिसीमित है ।

पांचवां—कंपनी का प्रत्येक सदस्य यह वचन देता है कि:—

(i) कंपनी का परिसमापन उस दौरान जब वह उसका सदस्य है, कंपनी की सदस्यता से अपनी परिविरति के एक वर्ष के अंदर होने की दशा में वह कंपनी के उन ऋणों और दायित्वों के या ऐसे ऋणों और दायित्वों, जो सदस्यता से उसकी परिविरति के पूर्व उपगत कर लिए गए हों, को चुकाने के लिए;

(ii) परिसमापन के खर्चे, प्रभार और व्यय देने के लिए तथा अभिदायियों के बीच उनके अधिकारों का समायोजन करने के लिए,और

.....रुपए से अनधिक इतनी रकम का अभिदाय, जिसकी आवश्यकता हो, कंपनी की आस्तियों में करेगा ।

छठा—कंपनी की अंश (शेयर) पूंजी.....रुपए है जो .....रुपए के.....शेयरों में विभाजित है ।

सातवां—हम, विभिन्न व्यक्तियों की जिनके नाम और पते हस्ताक्षर सहित दिए गए हैं, यह वांछा है कि इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में हम एक कंपनी बन जाएं, और कंपनी की पूंजी में इतने अंश (शेयर) लेने का करार करते हैं जितने हमारे अपने-अपने नामों के सामने उपदर्शित हैं:—

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविका	प्रत्येक अभिदायी द्वारा लिए गए अंशों (शेयरों) की संख्या	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
क.ख..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ग.घ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ङ.च..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
छ.ज..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
झ.ञ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ट.ठ ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ड.ढ.....का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

आठवां— मैं, जिसका नाम व पता नीचे दिया गया है, इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने की वांछा करता हूं और कंपनी की पूंजी में सभी अंशों (शेयरों) को लेने के लिए सहमत हूं (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू):—

अभिदायी का नाम, पता, विवरण और उपजीविका	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
क.ख ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

नवां—श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....आयु.....वर्ष एकमात्र सदस्य की मृत्यु की दशा में नामनिर्देशिती होगा/होगी (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू)

तारीख.....मास.....वर्ष.....

सारणी घ

अपरिसीमित कंपनी, जिसकी शेयर पूंजी नहीं है, का संगम-ज्ञापन

पहला—कंपनी का नाम ".....कंपनी" है ।

दूसरा—कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....राज्य में स्थित होगा ।

तीसरा—(क) कंपनी द्वारा उसके निगमन पर अनुसरित किए जाने वाले उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(ख) ऐसे विषय जो खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित हैं:—

चौथा—सदस्य (सदस्यों) का दायित्व परिसीमित है ।

पांचवां—हम, विभिन्न व्यक्तियों की जिनके नाम और पते हस्ताक्षर सहित दिए गए हैं, यह वांछा है कि इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में हम एक कंपनी बन जाएं।

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविका	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
1	2	3
क.ख..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ग.घ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ङ.च..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
छ.ज..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
झ.ञ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

1	2	3
ट.ठ ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ड.ढ.....का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

छठा— मैं, जिसका नाम व पता नीचे दिया गया है, इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने की वांछा करता हूं:—

अभिदायी का नाम, पता, विवरण और उपजीविका	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
क.ख ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

सातवां—श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....आयु.....वर्ष एकमात्र सदस्य की मृत्यु की दशा में नामनिर्देशिती होगा/होगी (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू)

तारीख.....मास.....वर्ष.....

सारणी ङ

अपरिसीमित कंपनी का संगम-ज्ञापन, जिसकी अंश (शेयर) पूंजी है

पहला—कंपनी का नाम ".....कंपनी" है ।

दूसरा—कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....राज्य में स्थित होगा ।

तीसरा—(क) कंपनी द्वारा उसके निगमन पर अनुसरित किए जाने वाले उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(ख) ऐसे विषय जो खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित हैं:—

चौथा—सदस्य (सदस्यों) का दायित्व परिसीमित है ।

पांचवां—कंपनी की अंश (शेयर) पूंजी.....रुपए है जो .....रुपए के.....प्रत्येक शेयर में विभाजित है ।

छठा—हम, विभिन्न व्यक्तियों की जिनके नाम और पते हस्ताक्षर सहित दिए गए हैं, यह वांछा है कि इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में हम एक कंपनी बन जाएं, और कंपनी की पूंजी में इतने अंश (शेयर) लेने का करार करते हैं जितने हमारे अपने-अपने नामों के सामने उपदर्शित हैं:—

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविका	प्रत्येक अभिदायी द्वारा लिए गए अंशों (शेयरों) की संख्या	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और उपजीविका
1	2	3	4
क.ख..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ग.घ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

1	2	3	4
ङ.च..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
छ.ज..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
झ.ञ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ट.ठ ..... का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर
ड.ढ.....का वणिक	.....	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

सातवां—मैं, जिसका नाम व पता नीचे दिया गया है, इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने की वांछा करता हूं और कंपनी की पूंजी में सभी अंशों (शेयरों) को लेने के लिए सहमत हूं (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू):—

अभिदायी का नाम, पता, विवरण और उपजीविका	अभिदायी के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण, और उपजीविका
क.ख ..... का वणिक	.....	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए: हस्ताक्षर

आठवां—श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....आयु.....वर्ष एकमात्र सदस्य की मृत्यु की दशा में नामनिर्देशिती होगा/होगी (एक व्यक्ति कंपनी की दशा में लागू)

तारीख.....मास.....वर्ष.....

सारणी च

अंशों (शेयरों) द्वारा परिसीमित कंपनी का संगम अनुच्छेद

निर्वचन

1. (1) इन विनियमों में,—

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;

(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है ।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में अन्तर्विष्ट शब्दों और पदों के, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उसके किसी कानूनी उपान्तरण में उसके हैं, जो उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त हैं।

अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार

II. 1. अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें, निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा निपटान कर सकेंगे।

2. (i) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में प्रविष्ट है, ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात् आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित की जाए—

(क) किसी प्रभार का संदाय किए बिना अपने सभी अंशों (शेयरों) के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा

(ख) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए देने पर,

प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ii) हर प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमें वे अंश (शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मद्दे समादत्त रकम भी निर्दिष्ट होगी ।

(iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त परिदान होगा ।

3. (i) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के पृष्ठांकन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को उसके प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा । इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र, हर प्रमाण-पत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी किया जाएगा ।

(ii) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे ।

4. विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर), साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर) के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से विवश होगी ।

5. (i) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में है परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तद्धीन बनाए

गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है।

(ii) कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक नहीं होगी ।

(iii) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त अंशों (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागतः दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।

6. (i) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न अधिकारों में [तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है] धारा 48 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से किया जा सकेगा ।

(ii) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं ।

7. अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के धारकों को प्रदत्त अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि उनमें फेरफार ऐसे अतिरिक्त अंशों (शेयरों) के सृजन या निर्गमन से हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्जे के हैं ।

8. धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैसे ही अधिमानी अंश (शेयर), मामूली संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनों पर निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति के, जैसी कंपनी अंशों (शेयरों) के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।

धारणाधिकार

9. (i) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार, अर्थात्:—

(क) हर अंश (शेयर) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है] उस अंश (शेयर) लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशियों के लिए होगा (भले ही वे तत्क्षण देय हों या न हों); तथा

(ख) किसी एक व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत बने हुए सभी अंशों (शेयरों) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं हैं], उन सभी धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा तत्क्षण कंपनी को देय हैं :

परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी अंश (शेयर) की बाबत यह घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या भागतः छूट प्राप्त है ।

(ii) अंश (शेयर) पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार, यदि कोई हो, उस अंश

(शेयर) लेखे देय सभी लाभांशों और ऐसे अंशों शेयरों के सम्बध में समय–समय पर घोषित बोनस पर होगा ।

10. कंपनी ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोर्ड ठीक समझे:

परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा—

(क) जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा

(ख) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है, चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह दिन का अवसान न हो गया हो ।

11. (i) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावशील करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों (शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(ii) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(iii) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध नहीं होगा कि वह यह देखे कि क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों) पर उसके हक पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा जो विक्रय विषयक कार्यवाहियों में हुई है ।

12. (i) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है, उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है ।

(ii) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन अंशों (शेयरों) पर विक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है ।

अंशों (शेयरों) लेखे आह्वान

13. (i) बोर्ड, ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आह्वान, जो [चाहे अंशों (शेयरों) के अभिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर] उनके अंशों (शेयरों) के आबंटन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं कर दी गई हैं, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगा :

परंतु कोई भी आह्वान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से अधिक नहीं होगा या न अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के चुकाने के लिए नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी ।

(ii) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा ।

(iii) कोई आह्वान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहृत या मुल्तवी किया जा सकेगा ।

14. आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया जब उस आह्वान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किस्तों में चुकाया जाए ।

15. अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस बाबत सभी आह्वानों को चुकाने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे ।

16. (i) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह व्यक्ति, जिसके द्वारा वह राशि शोध्य है, उसके चुकाने के लिए नियत दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड अवधारित करे, ब्याज देगा ।

(ii) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे ।

17. (i) अंश (शेयर) के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसको ऐसी राशि निर्गमन के निबन्धनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आह्वान है ।

(ii) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के ऐसे सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के सम्बन्ध में समपहरण के बारे में या अन्य बातों के बारे में हैं, ऐसे लागू होंगे मानो ऐसी राशि ऐसे किसी आह्वान के आधार पर देय हो गई है, जो सम्यक् रूप से किया गया और अधिसूचित किया गया था ।

18. बोर्ड—

(क) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) पर अनाहूत और असमादत्त धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि चुका देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से प्राप्त कर सकेगा, तथा

(ख) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।

अंशों (शेयरों) का अंतरण

19. (i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी ।

(ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है ।

20. बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,—

(क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है,

ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा

(ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है,

रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा ।

21. बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि—

(क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है ;

(ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र संलग्न है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जिसकी बोर्ड अंतरण करने के लिए अंतरक के अधिकार को दर्शित करने के लिए युक्ति युक्त रूप से अपेक्षा करे ; और

(ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है ।

22. धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसा बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे:

परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के लिए या किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन से अधिक के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।

अंशों (शेयरों) का परेषण

23. (i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह सदस्य संयुक्त धारक था, उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिती या उसके नामनिर्देशिती या विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी द्वारा मान्यता दी जाएगी।

(ii) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्ततः धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी ।

24. (i) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से अपेक्षित किया जाए, तथा इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, या तो—

(क) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने का, या

(ख) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या दिवालिया सदस्य कर सकता था,

निर्वाचन कर सकेगा ।

(ii) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।

25. (i) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता है कि स्वयं उसे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए तो वह कंपनी को

स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह कथन होगा कि उसने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या भेजेगा ।

(ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश (शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा ।

(iii) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध, जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में हैं, ऐसी सूचना या अंतरण पर, जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो ।

26. जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के कारण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर ले:

परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश (शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करे तथा यदि उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या अन्य धन राशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता ।

27. एक व्यक्ति कंपनी की दशा में,—

(i) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा;

(ii) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी घटना की सूचना दी जाएगी;

(iii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार था या दायी था;

(iv) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगा जो सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा ।

अंशों (शेयरों) का समपहरण

28. यदि कोई सदस्य, किसी आह्वान या आह्वान की किस्त उसके दिए जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात् बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का कोई भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आह्वान या उसका उतना भाग जितना दिया नहीं गया है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर प्रोद्भूत हो गया हो ।

29. पूर्वोक्त सूचना में—

(क) उस दिन या उससे पहले के दिन, जिसको सूचना द्वारा अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील की तारीख से चौदह दिन के पर्यवसान से पहले का नहीं); तथा

(ख) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत वह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे ।

30. यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो वह अंश (शेयर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहृत किया जा सकेगा ।

31. (i) कोई समपहृत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा व्ययनित किया जा सकेगा ।

(ii) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर सकेगा ।

32. (i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहृत कर लिए गए हैं, समपहृत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु समपहरण के होते हुए भी कंपनी को वे सभी धनराशियां, जो समपहरण के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेखे तत्क्षण देय थीं, देने का दायित्व उस पर बना रहेगा ।

(ii) ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस दशा में और तब खत्म हो जाएगा जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा ।

33. (i) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा, कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंध अभिकर्ता, सचिव तथा कोषपाल, प्रबंधक या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर) घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहृत कर लिया गया है, उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब व्यक्तियों का प्रश्न है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते हैं, निश्चायक साक्ष्य होगी ।

(ii) कम्पनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश (शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर) बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी ।

(iii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा; और

(iv) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन, यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर) के समपहरण, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

34. समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं वे ऐसी किसी धनराशि के न दिए जाने के सम्बन्ध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आह्वान के आधार पर देय हो गई थी ।

पूंजी में परिवर्तन

35. कम्पनी उतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली उतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर मामूली संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो ।

36. कंपनी मामूली संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए —

(क) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी ;

(ख) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) को स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी ;

(ग) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उनमें से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी;

(घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और ना ही जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी ।

37. जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां,—

(क) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति से और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिस्थितियों में सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे :

परन्तु बोर्ड अंतरणीय स्टाक की न्यूनतम मात्रा समय-समय पर नियत कर सकेगा तथापि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित मात्रा से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा ;

(ख) स्टाक के धारकों को लाभांशों के, कम्पनी के अधिवेशनों में मत देने के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की मात्रा के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ है, किन्तु (कम्पनी के लाभांशों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी मात्रा के कारण प्रदत्त नहीं होगा जो यदि वह मात्रा अंशों (शेयरों) में विद्यमान होती तो उसके कारण ऐसा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता ;

(ग) कम्पनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू होते हैं, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और "अंश (शेयर) धारी" शब्दों के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाक धारी" आएंगे ।

38. कोई कम्पनी विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी प्रकार से और विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्रसंगति के और अपेक्षित सम्मति के अधीन रहते हुए,—

(क) अपनी अंश (शेयर) पूंजी कम कर सकेगी ;

(ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि कम कर सकेगी ; अथवा

(ग) किसी अंश (शेयर) प्रीमियम खाते में कमी कर सकेगी ।

लाभों का पूंजीकरण

39. (i) कम्पनी साधारण अधिवेशन में यह संकल्प बोर्ड की सिफारिश पर कर सकेगी, कि —

(क) यह वांछनीय है कि कम्पनी के आरक्षित खातों में से किसी में या लाभ-हानि खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए उपलभ्य रकम के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा

(ख) ऐसी राशि तद्नुसार खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन सदस्यों के बीच, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह रकम लाभांश के रूप में वितरित की जाती है और उसी अनुपात में वितरित की जाने के लिए मुक्त कर दी जाती है।

(ii) पूर्वोक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी किन्तु उसका उपयोजन खंड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए —

(अ) उन अंशों (शेयरों) लेखे जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत हैं तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकमें देने में या देने हेतु किया जाएगा;

(आ) कम्पनी के अनिर्गमित अंशों (शेयरों) के मद्दे पूर्वोक्त अनुपात में ऐसे सदस्यों को या उनके बीच पूर्णरूप से समादत्त, आबंटित और वितरित करने के लिए किया जाएगा;

(इ) भागतः उपखंड (अ) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड (आ) में विनिर्दिष्ट रूप में या उस हेतु किया जाएगा ;

(ई) प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षिति खाते का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे अंशों (शेयरों) लेखे जो कम्पनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों (शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में या उस हेतु ही किया जाएगा;

(उ) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कम्पनी द्वारा पारित संकल्प को प्रभावी करेगा ।

40. (i) जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब बोर्ड —

(क) उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्द्वारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः संदत्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सारे आबंटन और निर्गमन करेगा; तथा

(ख) साधारणतः उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें करेगा ।

(ii) बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह —

(क) अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय बनाने के लिए, ऐसे भिन्नपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में संदाय द्वारा या इससे अन्यथा जैसा वह ठीक समझे ऐसे उपबंध करे; तथा

(ख) किसी व्यक्ति को ऐसे सभी सदस्यों की ओर, जो कंपनी के साथ करार करने के लिए हकदार हो, ऐसा करार करने के लिए, जिसमें क्रमशः उनको पूर्णतया समादत्त रूप में जमा ऐसे किन्हीं अतिरिक्त शेयरों के, जिनके लिए वे ऐसे पूंजीकरण पर, अथवा जैसा मामले में अपेक्षित हो, हकदार हो सकते हैं, कंपनी द्वारा उनकी ओर से ऐसी रकम का या उनके विद्यमान शेयरों पर असंदत्त रही रकमों के किसी भाग का संदाय करने के लिए उनके अपने–अपने ऐसे लाभों के, जिनके पूंजीकरण का संकल्प किया गया हो, अनुपातों का उसके प्रति उपयोजन करके आबंटन करने का उपबंध हो, प्राधिकृत करने की शक्ति होगी;

(iii) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार ऐसे सभी सदस्यों पर प्रभावी और आबद्धकर होगा ।

शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना

41. इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए, परन्तु धारा 68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के लागू किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए कंपनी अपने स्वयं के अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर सकेगी ।

साधारण अधिवेशन

42. वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा ।

43. (i) जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा ।

(ii) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक किसी समय भारत में नहीं हैं जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त संख्या हो तो कम्पनी का कोई निदेशक या कम्पनी के कोई दो सदस्य यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐसा अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेंगे।

साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां

44. (i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई कामकाज नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है ।

(ii) इसमें अन्यथा उपबन्धित के सिवाय साधारण अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 102 में किए गए उपबंध के अनुसार होगी ।

45. बोर्ड का सभापति, यदि कोई हो, कम्पनी के हर साधारण अधिवेशन में सभापति के रूप में पीठासीन होगा ।

46. यदि ऐसा कोई सभापति नहीं है या यदि वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता है या यदि वह अधिवेशन के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति निर्वाचित करेंगे ।

47. यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक सभापति के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति निर्वाचित करेंगे ।

48. एक व्यक्ति कंपनी की दशा में —

(i) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने के लिए अपेक्षित संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एकमात्र सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि कर दी जाती है;

(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी;

(iii) संकल्प एकमात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा ।

अधिवेशन का स्थगन

49. (i) सभापति, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है ।

(ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस कामकाज से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया था जिससे स्थगन हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा ।

(iii) जब अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है ।

(iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय और जैसा अधिनियम की धारा 103 में उपबंधित है, किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी ।

मताधिकार

50. किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए, —

(क) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा ; तथा

(ख) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार कंपनी की समादत्त साधारण अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में होंगे ।

51. कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा ।

52. (i) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा।

(ii) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं ।

53. ऐसा कोई सदस्य जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा ।

54. ऐसे कारबार से, जिस पर मतदान की मांग की गई है, भिन्न किसी कारबार मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी ।

55. कोई भी सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कम्पनी के अंशों (शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आह्वान या राशियां उसने चुका दी हैं ।

56. (i) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा सिवाय उस अधिवेशन में या स्थगित अधिवेशन में, जिसमें आक्षेपित मत दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसा प्रत्येक मत जिसका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अनुज्ञात नहीं किया गया है सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा।

(ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा ।

परोक्षी

57. परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन आयोजित होना है जिसमें वह व्यक्ति जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है, मत देने की प्रस्थापना करता है, अन्यून अड़तालीस घंटे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के लिए नियत समय से अन्यून चौबीस घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।

58. परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105 के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।

59. जो मत परोक्षी लिखत के निबन्धनों के अनुसार दिया गया है वह इस बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला तत्पूर्व मर गया है या पागल हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत परोक्षी दी गई है, अन्तरित कर दिए गए हैं:

परन्तु वह तब जब कि वह ऐसी मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण या अन्तरण की लिखित प्रज्ञापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, प्रारंभ होने से पूर्व कम्पनी को अपने कार्यालय में न मिली हो ।

निदेशक बोर्ड

60. निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे ।

61. (i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है ।

(ii) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने—

(क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कम्पनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या

(ख) कम्पनी के कारबार के संबंध में,

समुचित रूप से उपगत किए हैं ।

62. बोर्ड, कम्पनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकरण किए जाने में उपगत सभी व्ययों का संदाय कर सकेगा ।

63. कम्पनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी; और बोर्ड (उस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रखे जाने की बाबत ठीक समझे ।

64. सभी चैक, वचनपत्र, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य लिखतें और कम्पनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएंगी, लिखी जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा निष्पादित की जाएंगी ।

65. बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस प्रयोजन से रखी गई किताब में अपने हस्ताक्षर करेगा ।

66. (i) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दे, परन्तु निदेशकों और अपर निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या किसी भी समय पर अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के लिए नियत की गई अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(ii) ऐसा व्यक्ति केवल कम्पनी के आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह उस अधिवेशन में कम्पनी द्वारा वह निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।

बोर्ड की कार्यवाहियां

67. (i) निदेशक बोर्ड कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे विनियमित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का अधिवेशन बुलाएंगे।

68. (i) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा ।

(ii) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

69. इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है, वे निदेशक, जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति से कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कम्पनी का

साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे ।

70. (i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है।

(ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया जाता है या किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे ।

71. (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिलकर बनी समितियों को कर सकेगा ।

(ii) इस प्रकार बनाई गई कोई समिति इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए जाएं।

72. (i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर सकेगी ।

(ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे ।

73. (i) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी ।

(ii) समिति के किसी अधिवेशन में अध्यक्ष होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा ।

74. वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था ।

75. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था ।

76. एक व्यक्ति कंपनी की दशा में —

(i) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन में किए जाने वाले सभी कामकाज को धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाएगा;

(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी;

(iii) ऐसा संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबन्धक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी

77. अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए —

(i) बोर्ड द्वारा किसी कार्यपालक अधिकारी, प्रबन्धक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी की ऐसी अवधि के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा जैसा वह ठीक समझे; और ऐसे नियुक्त किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबन्धक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को बोर्ड के संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा ;

(ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबन्धक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

78. अधिनियम या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबन्धक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या, उसके प्रति जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबन्धक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी ।

मुद्रा

79. (i) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबन्ध करेगा ।

(ii) कम्पनी की मुद्रा किसी लिखत पर, बोर्ड के या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, प्रत्येक लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में कम्पनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे ।

लाभांश और आरक्षिति

80. कम्पनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई लाभांश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा की गई है ।

81. धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड सदस्यों को ऐसे अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कम्पनी के लाभों के आधार पर उसे न्यायसंगत प्रतीत हों।

82. (i) बोर्ड किसी लाभांश की सिफारिश करने से पूर्व कम्पनी के लाभों में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग रख सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कम्पनी के लाभों का समुचित रूप से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं से निपटने तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों का उपयोजन बोर्ड के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या लम्बित रहने तक वे राशियां वैसे ही विवेकानुसार या तो कम्पनी के कारबार में लगाई जा सकेंगी या [कंपनी के अंशों (शेयरों) को छोड़कर] ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे ।

(ii) बोर्ड किन्हीं लाभों को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे बिना अग्रनीत कर सकेगा ।

83. (i) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरों) लेखे जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कम्पनी अंशों (शेयरों) में से किसी अंश (शेयरों) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अनुसार घोषित किए जा सकेंगे और दिए जा सकेंगे ।

(ii) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले अग्रिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है ।

(iii) सभी लाभांश उन रकमों के अनुपात में प्रभाजित किए जाएंगे और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस बाबत वह लाभांश दिया जाता है, प्रभाग या प्रभागों के दौरान अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त की गई है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है । किन्तु यदि कोई अंश (शेयरों) उन निबन्धनों पर, जिनसे यह उपबंधित है कि वह ऐसे दर्जे का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) अपनी श्रेणी के अनुसार उस लाभांश के लिए हकदार होगा।

84. बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाभांश में से वे सभी धनराशियां, यदि कोई हों, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कम्पनी के अंशों (शेयरों) के संबंध में आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं ।

85. (i) अंशों, (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाभांश ब्याज या अन्य धनराशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते या संयुक्त धारकों की दशा में, संयुक्त धारकों में से उस एक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।

(ii) ऐसा प्रत्येक चैक या ऐसा प्रत्येक अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता है, देय होगा ।

86. अंश (शेयर) के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे अंश (शेयर) की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धनराशियों के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।

87. ऐसे किसी लाभांश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना अधिनियम में वर्णित रीति से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी जो उसमें अंश (शेयर) पाने के हकदार हैं।

88. किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कम्पनी द्वारा देय नहीं होगा ।

लेखा

89. (i) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्तों या विनियमों के अधीन, कम्पनी के लेखे और बहियां या उनमें से कोई भी लेखा या बहियां, सदस्यों के, जो निदेशक नहीं हैं, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी ।

(ii) ऐसे किसी सदस्य को, (जो निदेशक नहीं है) कम्पनी के किसी लेखा या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार उस अधिकार के सिवाय नहीं होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त है या बोर्ड द्वारा या कम्पनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत किया गया है ।

परिसमापन

90. अधिनियम के अध्याय 20 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए :—

(i) यदि कम्पनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कम्पनी की पूरी आस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की सम्पत्ति हो या नहीं, कम्पनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा;

(ii) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए समापक पूर्वोक्त रूप से विभाजित किए जाने के लिए पूर्वोक्त सम्पत्ति का ऐसा मूल्य नियत कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गों के सदस्यों में कैसे किया जाएगा;

(iii) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है, न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा ।

क्षतिपूर्ति

91. कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी की ऐसी किसी कार्यवाही में, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें वह दोषमुक्त किया गया है या जिसमें न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है, उसके द्वारा प्रतिरक्षा करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व चाहे सिविल या आपराधिक स्वरूप की हो, क्षतिपूर्ति कम्पनी की आस्तियों में से की जाएगी।

टिप्पणः अनुच्छेद संगम-ज्ञापन के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो कम से कम एक साक्षी की उपस्थिति में अपना पता, वर्णन और व्यवसाय यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और उसी प्रकार उसका पता, वर्णन और व्यवसाय, यदि कोई हो, जोड़ेगा और ऐसे हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में होंगे:

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविकाएं	साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)
1	2
क,ख ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ग,घ ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ङ,च ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
छ,ज ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर

1	2
झ,ञ ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ट,ठ ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ड,ढ ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर

तारीख .....मास..... 20....

स्थान .....

सारणी छ

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी है, के संगम-अनुच्छेद

1. उतनी सदस्यों की संख्या जिनके साथ कम्पनी ने रजिस्ट्रीकृत किए जाने की प्रस्थापना की है, सौ होगी, किंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी च के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे ।

सारणी ज

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम-अनुच्छेद

निर्वचन

1. (1) इन विनियमों में--

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है ;

(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है ।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में अन्तर्विष्ट हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपांतर में हैं ।

सदस्य

2.(1) जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सौ होगी, किंतु जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार से यह अपेक्षित हो, निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा ।

(2) ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड सदस्यता में प्रविष्ट कर ले, कंपनी के सदस्य होंगे ।

साधारण अधिवेशन

3. वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न सभी साधारण अधिवेशन असाधारण साधारण अधिवेशन कहे जाएंगे ।

4. (i) जब कभी बोर्ड ठीक समझे वह असाधारण साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।

(ii) यदि किसी समय कार्य करने के लिए समर्थ उतनी संख्या में निदेशक भारत में नहीं हैं, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त है, तो कंपनी का कोई निदेशक या कोई दो सदस्य असाधारण साधारण अधिवेशन यथासंभव निकटतम उसी रीति से बुला सकेंगे जिससे ऐसा अधिवेशन बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकता है ।

साधारण अधिवेशनों में कार्यवाहियां

5. (i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई कामकाज नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) उस समय पर उपस्थित नहीं है, जब अधिवेशन कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है ।

(ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में यथा उपबंधित होगी।

6. बोर्ड का सभापति, यदि कोई हो, कंपनी के प्रत्येक साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा ।

7. यदि ऐसा कोई सभापति नहीं है या वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या यदि वह अधिवेशन के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं हो तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे ।

8. यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक सभापति के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं है या यदि उस समय से पन्द्रह मिनट के अंदर जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चुनेंगे ।

अधिवेशन का स्थगन

9. (i) सभापति समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।

(ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस कामकाज से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया था जिससे वह स्थगित हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा ।

(iii) जब कि अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है ।

(iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले कामकाज की कोई सूचना भी देनी आवश्यक नहीं होगी ।

मताधिकार

10. प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

11. यदि ऐसा कोई सदस्य, जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने, जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में या मतांकन में अपनी समिति या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा तथा ऐसी कोई समिति या संरक्षक, मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा ।

12. कोई सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वर्तमान में उसके द्वारा कंपनी को संदेय सभी राशियों का संदाय नहीं कर दिया गया हो।

13. (i) किसी मतदाता की अर्हता के बारे में कोई आक्षेप उस अधिवेशन में या स्थगित अधिवेशन में, जिसमें वह मत जिस पर आक्षेप किया गया है, दिया गया या निविदत्त किया जाता है, के सिवाय नहीं किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक मत जिसका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अननुज्ञात नहीं किया गया है सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा ।

(ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के सभापति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा ।

14. जो मत परोक्षी-लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला तत्पूर्व मर गया है या पागल हो गया है या परोक्षी-लिखत या वह प्राधिकार, जिसके अधीन परोक्षी-लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहृत कर दिया गया है या पूंजियों का स्थानांतरण जिसके संबंध में परोक्षी दी गई है:

परंतु यह तब जब कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण या अंतरण की लिखित सूचना अधिवेशन के प्रारंभ होने या अधिवेशन के स्थगित होने, जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो ।

15. कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार अधिवेशन में इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा, अपने मत का प्रयोग कर सकेगा तथा केवल एक मत देगा ।

16. ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार को जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान कराए जाने के लंबित रहने तक अग्रसर किया जा सकेगा।

निदेशक बोर्ड

17. निदेशकों की संख्या और पहली बार वाले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे ।

18. (i) निदेशकों का पारिश्रमिक जहां तक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है ।

(ii) अधिनियम के अनुसरण में उनको संदेय पारिश्रमिक के अतिरिक्त निदेशकों को ऐसे सभी यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने,--

(क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या

(ख) कंपनी के कारबार के संबंध में,

समुचित रूप से उपगत किए हैं ।

बोर्ड की कार्यवाहियां

19. (i) निदेशक बोर्ड कामकाज निपटाने के लिए अधिविष्ट हो सकेगा और अपने अधिवेशनों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है ।

(ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और निदेशक की अध्यपेक्षा पर प्रबंधक या सचिव बुलाएंगे ।

20. (i) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा ।

(ii) मतों के बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष, यदि कोई हो, का निर्णायक मत होगा।

21. वे निदेशक इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है, जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे; किंतु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए,

अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति (कोरम) से कम हो जाती है तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे किंतु अन्य प्रयोजन के लिए कार्य न कर सकेंगे ।

22. (i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है ।

(ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन के किए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चुन सकेंगे ।

23. (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा मिलकर बनी समितियों को जैसे या जैसों को बोर्ड ठीक समझता है, कर सकेगा ।

(ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हों ।

24. (i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगी ।

(ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन के किए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे ।

25. (i) समिति जैसा भी उचित समझे अधिविष्ट हो सकेगी या, अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी ।

(ii) समिति के किसी अधिवेशन में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा ।

26. वे सभी कार्य जो बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था ।

27. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह लिखित संकल्प, जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी

28. अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(i) बोर्ड द्वारा किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों

पर जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे नियुक्त किया जा सकेगा और बोर्ड के द्वारा ऐसे नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को किसी संकल्प द्वारा हटा सकेगा;

(ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

29. अधिनियम का या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है, उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसके प्रति, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में या स्थान पर कार्य कर रहा है, किए जाने से नहीं होगी ।

मुद्रा

30. (i) बोर्ड, मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा ।

(ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय नहीं लगाई जाएगी, और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति, जैसा पूर्वोक्त है, उस प्रत्येक लिखत पर जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुद्रा ऐसे लगाई गई है हस्ताक्षर करेंगे ।

टिप्पण : अनुच्छेदों पर संगम-ज्ञापन के प्रत्येक अभिदायी के हस्ताक्षर होंगे, जिनका अपना पता, विवरण, उपजीविका, यदि कोई है, कम से कम एक साक्षी के समक्ष, जो हस्ताक्षर तथा उसी रूप में दिए गए पते, विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, का सत्यापन करेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में दिया जाएगा :

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविकाएं	साक्षियों (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)
क,ख ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ग,घ ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ङ,च ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
छ,ज ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
झ,ञ ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ट,ठ ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ड,ढ ..... का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर

तारीख ..... 20....

स्थान .....

सारणी झ

अपरिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी है, के संगम-अनुच्छेद

1. ऐसे सदस्यों, जिनके साथ कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना प्रस्तावित है, की संख्या, सौ है किंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की वृद्धि दर्ज कर सकेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी च के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे ।

सारणी ञ

अपरिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम-अनुच्छेद

1. ऐसे सदस्यों जिनके साथ कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना प्रस्तावित है, की संख्या, सौ है परंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर, जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार में उसकी अपेक्षा की जाती है, सदस्यों की वृद्धि रजिस्टर कर सकेगा।

2. ज्ञापन अभिदाता और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें बोर्ड सदस्यता के लिए स्वीकार करे, कंपनी के सदस्य होंगे।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी ज के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे ।

अनुसूची 2

(धारा 123 देखिए)

अवक्षयण की गणना के लिए उपयोगी जीवन

भाग 'क'

1. अवक्षयण, किसी आस्ति के उसके उपयोगी जीवन के दौरान में उसकी अवक्षयणीय रकम का व्यवस्थित आबंटन है। किसी आस्ति की अवक्षयणीय रकम, आस्ति की लागत या लागत को प्रतिस्थापित करने हेतु कोई अन्य ऐसी रकम होगी जो उसकी अवशिष्ट कीमत से कम हो। किसी आस्ति का उपयोगी जीवन ऐसी अवधि है जिसके दौरान किसी आस्ति का किसी सत्ता द्वारा उपयोग किए जाने हेतु उपलब्ध होना प्रत्याशित है या सत्ता द्वारा आस्ति से उत्पादन की संख्या या वैसी ही इकाइयां अभिप्राप्त करना प्रत्याशित है।

2. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए अवक्षयण पद के अन्तर्गत क्रमिक अपाकरण भी है।

3. पैरा 1 के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(i) कंपनियों के ऐसे वर्ग की दशा में किसी आस्ति का उपयोगी जीवन, जो विहित किया जाए और जिसके वित्तीय विवरण धारा 133 के अधीन कंपनियों के ऐसे वर्ग के लिए विहित लेखा मानकों के अनुपालन में हैं, सामान्यतया उपयोगी जीवन से भिन्न नहीं होगा तथा अवशिष्ट मूल्य उस मूल्य से भिन्न नहीं होगा जो भाग ग में उपदर्शित है, परंतु यदि ऐसी कोई कंपनी, ऐसे उपयोगी जीवन या अवशिष्ट मूल्य का उपयोग करती है जो कि उसमें उपदर्शित उपयोगी जीवन या अवशिष्ट कीमत से भिन्न है, तो उसे उसकी न्यायोचित्यता प्रकट करनी होगी ;

(ii) अन्य कंपनियों के संबंध में, किसी आस्ति का उपयोगी जीवन, ऐसे उपयोगी, जीवन से लंबा नहीं होगा, और अवशिष्ट मूल्य उस मूल्य से उच्चतर नहीं होगा जो भाग ग में विहित है ।

(iii) अमूर्त आस्तियों के लिए, उपपैरा (i) और उपपैरा (ii) के अधीन उल्लिखित लेखा मानकों के उपबंध, जैसे लागू होते हैं वैसे ही लागू होंगे।

भाग 'ख'

4. संसद् के किसी अधिनियम के अधीन या केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेखा प्रयोजनों के लिए यथा अधिसूचित, किसी विशिष्ट आस्ति का उपयोगी जीवन या अवशिष्ट मूल्य का, इस अनुसूची की अपेक्षाओं को विचार में लाए बिना ऐसी आस्ति के लिए उपबंधित अवक्षयण की गणना करने के लिए उपयोजन किया जाएगा।

भाग 'ग'

5. उपरोक्त भाग क और भाग ख के अधीन रहते हुए, विभिन्न मूर्त आस्तियों का उपयोगी जीवन निम्नलिखित होगा :

आस्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवन
I. भवन [अ॰पा॰अ॰न॰]	
(क) भवन (जो कारखाना भवन से भिन्न हैं) आरसीसी विरचित संरचना	60 वर्ष;
(ख) भवन (जो कारखाना भवन से भिन्न हैं) आरसीसी विरचित संरचना से भिन्न है	30 वर्ष;

आस्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवन
(ग) कारखाना भवन	30 वर्ष;
(घ) अहाते, कूपें, नल-कूपें	5 वर्ष
(ङ) अन्य (अस्थायी संरचना आदि सम्मिलित हैं)	3 वर्ष
II. सेतु, पुलिया, पुश्ता आदि [अ॰पा॰अ॰न॰]	30 वर्ष
III. सड़क [अ॰पा॰अ॰न॰]	
(क) दरीदार कारपेट सड़कें	
(i) कारपेट सड़कें - आरसीसी	10 वर्ष
(ii) कारपेट सड़कें - आरसीसी से भिन्न	5 वर्ष
(ख) गैर-कारपेट सड़कें	3 वर्ष
IV. संयंत्र और मशीनरी	
(i) ऐसे संयंत्र और मशीनरी को लागू साधारण दर जिसके लिए कोई विशेष दर विहित नहीं की गई है	
(क) सतत् प्रोसेस संयंत्र से भिन्न ऐसे संयंत्र और मशीनरी, जो विनिर्दिष्ट उद्योगों के अंतर्गत नहीं है	15 वर्ष
(ख) सतत् प्रोसेस संयंत्र जिसके लिए नीचे कोई विशेष दर विहित नहीं की गई है (अ.पा.अ.न.)	8 वर्ष
(ii) विशेष संयंत्र और मशीनरी	
(क) चलचित्र फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन संबंधी संयंत्र और मशीनरी	
1. चलचित्र फिल्में - ध्वन्यंकन उपस्कर, प्रत्युत्पादन उपस्कर, डेवलपमेंट मशीनें, मुद्रण मशीनें, संपादन मशीनें, तुल्यकालक और बल्बों को छोड़कर स्टूडियो प्रकाश के उत्पादन और प्रदर्शन में प्रयुक्त मशीनरी	13 वर्ष
2. फिल्म प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्टर उपस्कर	यथोक्त
(ख) कांच विनिर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	
1. स्वः अग्नि कांच गलन भट्ठियों के सिवाय संयंत्र और मशीनरी - समुत्थान पुनर्योजी और पुनरुत्पादक कांच गलन भट्ठियां	13 वर्ष
2. स्वतः अग्नि कांच गलन भट्ठियों को छोड़कर संयंत्र और मशीनरी -- सांचे (अ॰पा॰अ॰क॰)	8 वर्ष
3. फ्लोट कांच गलन भट्ठियां (अ॰पा॰अ॰क॰)	10 वर्ष
(ग) खान और खदान में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी—वहनीय भूमिगत मशीनरी और विवृत खनिज खनन में प्रयुक्त मिट्टी हटाने वाली मशीन (अ॰पा॰अ॰न॰)	8 वर्ष
(घ) दूरसंचार में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी (अ॰पा॰अ॰न॰)	
1. मीनारें	18 वर्ष

आस्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवन
2. टेलीकाम - ट्रैनसीवर, स्विचिंग सेंटर, पारेषण और अन्य नेटवर्क उपस्कर	13 वर्ष
3. टेलीकाम - नलियां, केबलें और आप्टिकल फाइबर	18 वर्ष
4. सैटेलाइट्स	यथोक्त
(ङ) तेल और गैस की खोज, उत्पादन और परिष्करण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	
1. परिष्कारित्र	25 वर्ष
2. तेल और गैस आस्ति (कूपों सहित)	यथोक्त
3. पेट्रो रसायन संयंत्र	यथोक्त
4. भंडारण टैंक और संबंधी उपस्कर	यथोक्त
5. पाइपलाइनें	30 वर्ष
6. ड्रिलिंग रिग	यथोक्त
7. फील्ड प्रचालन (भूतल के ऊपर) वहनीय बायलर, ड्रिलिंग औजार, कूप-शीर्ष टैंक, आदि	8 वर्ष
8. काष्ठ वस्तुएं/कबाड़ी	यथोक्त
(च) ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण और वितरण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी (अ॰पा॰अ॰न॰)	
1. थर्मल/गैस/संयुक्त साइकिल ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	40 वर्ष
2. हाइड्रो उत्पादन संयंत्र	यथोक्त
3. न्यूक्लियर पावर उत्पादन संयंत्र	यथोक्त
4. पारेषण लाइनें, केबल और अन्य नेटवर्क आस्ति	यथोक्त
5. वायु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	22 वर्ष
6. विद्युत वितरण संयंत्र	35 वर्ष
7. गैस भंडारण और वितरण संयंत्र	30 वर्ष
8. पाइपलाइन सहित जल वितरण संयंत्र	यथोक्त
(छ) स्टील विनिर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	
1. सिन्टर संयंत्र	20 वर्ष
2. विस्फोट भट्ठी	यथोक्त
3. कोक ओवन	यथोक्त
4. स्टील संयंत्र में रोलिंग मिल	यथोक्त
5. बेसिक आक्सीजन भट्ठी परिवर्तक	25 वर्ष
(ज) अलौह धातुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	
1. धातु पात्र लाइन (अ॰पा॰अ॰न॰)	40 वर्ष
2. बाक्साइट अतिदाब और घर्षण परिच्छेद (अ॰पा॰अ॰न॰)	यथोक्त

आस्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवन
3. आपदा परिच्छेद (अ॰पा॰अ॰न॰)	40 वर्ष
4. टरबाइन (अ॰पा॰अ॰न॰)	यथोक्त
5. निस्तापन के लिए उपस्कर (अ॰पा॰अ॰न॰)	यथोक्त
6. कापर मेल्टर (अ॰पा॰अ॰न॰)	यथोक्त
7. रोल ग्राइन्डर	यथोक्त
8. शाकिंग पिट/शोषकीय गर्त	30 वर्ष
9. अभितापन भट्ठी	यथोक्त
10. रोलिंग मिलें	यथोक्त
11. स्केलिंग, स्लिटिंग आदि के लिए उपस्कर	यथोक्त
12. खानों में प्रयुक्त सूक्ष्म पृष्ठ, रिपर डोजर आदि	25 वर्ष
13. कापर रिफाइनिंग उपस्कर (अ॰पा॰अ॰न॰)	यथोक्त
(i) चिकित्सा और शल्य क्रिया में प्रयुक्त उपस्कर और मशीनरी (अ॰पा॰अ॰न॰)	
1. विद्युत मशीनरी, एक्सरे और विद्युत चिकित्सीय साधित्र और उसके उपसाधन, चिकित्सा, डायग्नोस्टिक उपस्कर अर्थात् कैटस्केन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ई॰सी॰जी॰ मानीटर्स आदि	13 वर्ष
2. अन्य उपस्कर	15 वर्ष
(ञ) भेषजीय और रसायन के विनिर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी (अ॰पा॰अ॰न॰)	
1. रिएक्टर्स	20 वर्ष
2. मद्यनिर्माण कालम	यथोक्त
3. शुष्कन उपस्कर/अपकेंद्रित और निस्तारित्र	यथोक्त
4. यान/भंडारण टैंक	यथोक्त
(ट) सिविल सन्निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	
1. कंकरीट, अपघर्षण करने वाली, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने वाले उपस्कर12	वर्ष
2. भारी लिफ्ट उपस्कर	
100 टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनें	20 वर्ष
100 टन से कम क्षमता वाली क्रेनें	15 वर्ष
3. पारेषण लाइन, सुरंग वाले उपस्कर (अ॰पा॰अ॰न॰)	10 वर्ष
4. मिट्टी खोदने वाले उपस्कर	9 वर्ष
5. हैंडलिंग/पाइपलाइन/वैल्डिंग उपस्कर सामग्री सहित अन्य (अ॰पा॰अ॰न॰)	12 वर्ष
(ठ) लवण संकर्म में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी (अ॰पा॰अ॰न॰)	

आस्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवन
V. फर्नीचर और फिटिंग (अ॰पा॰अ॰न॰)	
(i) साधारण फर्नीचर और फिटिंग	
(ii) होटल, रेस्तराओं और बोर्डिंग हाऊस, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं, पुस्तकालयों, कल्याण केंद्रों, अधिवेशन हालों, सिनेमा भवनों, थिएटर और सर्कसों में प्रयुक्त फर्नीचर और फिटिंगों के लिए तथा विवाहों और समरूप समारोहों के अवसर पर उपयोग के लिए किराए पर दिए गए फर्नीचर और फिटिंगें	8 वर्ष
VI. मोटर यान (अ॰पा॰अ॰न॰)	
1. मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य मोपेड	10 वर्ष
2. मोटर बसें, मोटरलारियां, मोटरकार और मोटर टैक्सियां जिनको किराए पर चलाने के कारबार में प्रयोग किया जाता है	6 वर्ष
3. मोटर बसें, मोटरलारियां, मोटरकार के अतिरिक्त जिनको किराए पर चलाने के कारबार में प्रयोग किया जाता है	8 वर्ष
4. मोटर ट्रैक्टर, फसल कटाई कम्बाइन और भारी वाहन	यथोक्त
5. विद्युत प्रचालित यान जिनके अंतर्गत बैटरी शक्ति या ईंधन युक्त शक्तियान हैं	8 वर्ष
VII. पोत (अ॰पा॰अ॰न॰)	
1. महासागरगामी पोत (अ॰पा॰अ॰न॰)	
(i) माल वाहक और लाइनर यान	25 वर्ष
(ii) अपक्व टैंकर, उत्पाद वाहक और सुकर रसायन वाहक के साथ या उसके बिना कृत्रिम टैंक कोटिंग	20 वर्ष
(iii) रसायन और अम्बीय वाहक :	
(क) जंगरोधी स्टील के साथ टैंक	25 वर्ष
(ख) अन्य टैंक के साथ	20 वर्ष
(iv) लिक्वीफाइड गैस वाहक	30 वर्ष
(v) कृत्रिम बड़े यात्री यान, जो समुद्री यात्रा के उद्देश्य के लिए भी प्रयुक्त हों	यथोक्त
(vi) सभी प्रवर्गों के तटीय सेवा पोत	यथोक्त
(vii) अपतट आपूर्ति और सहायक जलयान	20 वर्ष
(viii) बेड़ा और अन्य यात्री के लिए उच्च गति की पोत या नौकाएं	यथोक्त
(ix) ड्रिल पोत	25 वर्ष
(x) हावरक्राफ्ट	15 वर्ष
(xi) काष्ठ हल सहित मत्स्य जलयान	10 वर्ष
(xii) मुख्यतः झमाई प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त झाग, टग, बजरा, सर्वेक्षण लांच और अन्य समरूप पोत	14 वर्ष

आस्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवन
2. साधारणतः अंतर्देशीय जल पर प्रचालित जलयान—	
(i) गति नौकाएं	13 वर्ष
(ii) अन्य जलयान	28 वर्ष
VIII. वायुयान या हेलीकाप्टर (अ॰पा॰अ॰न॰)	20 वर्ष
IX. रेलवे समुत्थान को छोड़कर, समुत्थानों द्वारा प्रयुक्त लोकोमोटिव, रोलिंग स्टाक, ट्रामवे और रेलवे (अ॰पा॰अ॰न॰)	15 वर्ष
X. रज्जुमार्ग संरचनाएं (अ॰पा॰अ॰न॰)	15 वर्ष
XI. कार्यालय उपस्कर (अ॰पा॰अ॰न॰)	5 वर्ष
XII. कंप्यूटर और आंकड़े प्रसंस्करण यूनिटें (अ॰पा॰अ॰न॰)	
(i) सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष
(ii) एंड यूजर डिवाइस, जैसे कि डेस्कटाप, लैपटाप आदि	3 वर्ष
XIII. प्रयोगशाला उपस्कर (अ॰पा॰अ॰न॰)	
(i) सामान्य प्रयोगशाला उपस्कर	10 वर्ष
(ii) शैक्षिक संस्थानों में प्रयुक्त प्रयोगशाला उपस्कर	5 वर्ष
XIV. विद्युत अधिष्ठापन और उपस्कर (अ॰पा॰अ॰न॰)	10 वर्ष
XV. हाइड्रोलिक संकर्म, पाइपलाइनें और नहरें (अ॰पा॰अ॰न॰)	15 वर्ष

टिप्पण—

1. "कारखाना भवन" के अंतर्गत कार्यालय, गोदाम, स्टाफ क्वार्टर नहीं आते हैं।

2. जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी आस्ति में कोई परिवर्तन किया गया है या किसी आस्ति को विक्रीत, त्यक्त, उन्मूलित या नष्ट किया गया है, वहां ऐसी आस्तियों पर अवक्षयण, ऐसे परिवर्धन की तारीख से या, यथास्थिति, उस तारीख को जिसको ऐसी आस्ति को विक्रीत, त्यक्त, उन्मूलित या नष्ट किया गया है, आनुपातिक आधार पर संगणित किया जाएगा ।

3. खातों में निम्नलिखित जानकारी भी प्रकट की जाएगी, अर्थात्:—

(i) प्रयुक्त अवक्षयण पद्धतियां; और

(ii) अवक्षयण की गणना के लिए आस्तियों का उपयोगी जीवन, यदि वे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन से भिन्न हैं ।

4. अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन-संपूर्ण आस्ति के लिए है जहां आस्ति के भाग की कीमत, आस्ति की कुल कीमत से सार्थक है तथा उस भाग का उपयोग जीवन, शेष आस्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है, उस सार्थक भाग का उपयोगी जीवन पृथक् रूप से अवधारित होगा ।

5. किसी आस्ति की लागत वह अवक्षयी रकम है या लागत की प्रतिस्थापित अन्य रकम है जो उसकी अवशिष्ट कीमत को घटा कर आती है । सामान्यतः किसी आस्ति की अवशिष्ट कीमत प्रायः निरर्थक है परंतु यह साधारणतः आस्ति की मूल लागत की 5% से अनधिक होनी चाहिए ।

6. पारी के आधार पर कार्य करने वाली आस्तियों के उपयोगी जीवन को उनके एकल पारी में काम करने पर आधारित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। ऐसी आस्तियों के सिवाय, जिसके संबंध में अवक्षयण की कोई अतिरिक्त पारी अज्ञात नहीं है (उपरोक्त भाग ग में अ.पा.अ.न. द्वारा उपदर्शित) यदि वर्ष के दौरान किसी समय किसी आस्ति का उपयोग दोहरी पारी के लिए किया जाता है तो, उस अवधि के लिए अवक्षयण में 50% की वृद्धि की जाएगी और तिहरी पारी की दशा में अवक्षयण की संगणना, उस अवधि के लिए 100% के आधार पर की जाएगी।

7. वह तारीख, जिससे यह अनुसूची प्रवृत्त होती है, किसी आस्ति की मात्रा क्षमता उस तारीख को—

(क) इस अनुसूची के अनुसार, आस्ति के शेष उपयोगी जीवन के ऊपर अवक्षयण होगी ;

(ख) अवशिष्ट कीमत की प्रतिधारणा के पश्चात्, प्रतिधारित उपार्जन का आरंभिक अतिशेष में मान्य होगा जहां किसी आस्ति का शेष उपयोगी जीवन शून्य है ।

8. "सतत् प्रोसेस परियोजना" से ऐसी परियोजना जो एक दिन में चौबीस घंटे के प्रचालन के लिए अभिकल्पित और अपेक्षित है, अभिप्रेत है ।

अनुसूची 3

(धारा 129 देखिए)

कंपनी के लाभ और हानि का विवरण तथा तुलनपत्र की तैयारी के लिए साधारण अनुदेश

साधारण अनुदेश

1. जहां किसी अधिनियम, जिसके अंतर्गत लेखा मानक भी हैं, की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन में जो कंपनियों को लागू होती हैं, उपचार या प्रकटन में जिसके अन्तर्गत शीर्ष या उपशीर्ष में परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन या हटाया जाना भी है, कोई परिवर्तन, निरूपण या प्रकटन में कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है, या वित्तीय विवरणों या उसके भाग रूप होने वाले विवरणों में परस्पर कोई परिवर्तन, अपेक्षित है, वहां उन्हें किया जाएगा तथा इस अनुसूची की अपेक्षाओं का तद्नुसार उपान्तरण किया जाएगा ।

2. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन, विहित लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के प्रकटीकरण के अतिरिक्त होगा न कि उसके प्रतिस्थापन में । लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकटन, जब तक वित्तीय विवरणों में किया जाना अपेक्षित न हो, लेखाओं के टिप्पणों में या अतिरिक्त विवरण द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार, कंपनी अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अन्य सभी प्रकटन इस अनुसूची में उपवर्णित अपेक्षाओं के अतिरिक्त लेखाओं के टिप्पणों में किया जाएगा।

3.(i) लेखाओं की टिप्पणियों में ऐसे विवरणों के अतिरिक्त जो वित्तीय विवरण में दिए गए हैं, सूचना अंतर्विष्ट होगी और जहां (क) वृत्तांत विवरण या उन विवरणों में मान्यताप्राप्त मदों का विमुक्तिकरण; तथा (ख) ऐसी मदों के संबंध में ऐसी जानकारी जो कि उन विवरणों में मान्यता के लिए अर्ह नहीं है, अपेक्षित हो, वहां उपलब्ध कराएगा ।

(ii) तुलनपत्र तथा लाभ और हानि के विवरण की प्रत्येक मद, का लेखाओं के टिप्पणों में किसी संबंधित जानकारी के प्रति निर्देश होगा । लेखाओं के टिप्पणों सहित वित्तीय विवरणों की तैयारी में, ऐसे अत्यधिक ब्यौरा दिए जाने, जो कि वित्तीय विवरणियों के उपयोक्ता के लिए सहायक न हों तथा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, जो अत्यधिक संकलन के परिणामस्वरूप हैं, न दिए जाने के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा।

4. (i) कंपनी के व्यापारावर्त पर निर्भर रहते हुए, वित्तीय विवरणों में आए हुए अंक नीचे पूर्णांकित रूप में दिए गए हैं :

व्यापारावर्त	पूर्णांकन
(क) सौ करोड़ रुपए से कम	सौवें, हजार, लाख या मिलियन या उनके दशमलव के निकट
(ख) सौ करोड़ रुपए या अधिक	लाखों, मिलियन या करोड़ या उनके दशमलव के निकट;

(ii) जब एक बार माप की किसी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग वित्तीय विवरणों में समान रूप से किया जाएगा ।

5. कंपनी के समक्ष (इसके निगमन के पश्चात्) रखे गए पहले वित्तीय विवरणों के मामले के सिवाय वित्तीय विवरणों में दर्शित, जिसके अंतर्गत टिप्पणियां हैं, सभी मदों के लिए तत्कालीन पूर्ववर्ती रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के लिए तत्समान रकम (तुलनात्मक) भी दी जाएगी ।

6. इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए, इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द लेखा मानकों में यथा लागू रूप में होंगे ।

टिप्पण—अनुसूची के इस भाग में, तुलनपत्र तथा लाभ और हानि के विवरण जिसे इसमें इसके पश्चात् (इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय विवरण" कहा गया है) तथा टिप्पणियों के प्रत्यक्षतः प्रकटन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं उपवर्णित की गई हैं । पंक्ति मदें, उप पंक्ति मदें, तथा उपयोग को, जब ऐसा प्रस्तुतिकरण कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए सुसंगत हो या उद्योग/सेक्टर-विशिष्ट प्रकट की जाने वाली अपेक्षाओं को प्रबंध करने या पालन करने या कंपनी अधिनियम या लेखा मानकों के अधीन संशोधनों के साथ पालन करना अपेक्षित हो, वित्तीय विवरणों को प्रत्यक्षतः परिवर्धित या प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

भाग 1 — तुलनपत्र

कंपनी का नाम .....

वह तुलनपत्र .....

(.....रुपए में)

विशिष्टियां	टिप्पण सं॰	चालू रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के अंत में आंकड़े	पूर्ववर्ती रिपोर्ट की अवधि के अंत में आंकड़े
1	2	3	4
I. साम्या और दायित्व			
(1) **शेयर धारकों की निधियां**			
(क) शेयर पूंजी			
(ख) आरक्षित और अधिशेष			
(ग) शेयर अधिपत्रों के विरुद्ध प्राप्त धन			
(2) **धन लंबित आबंटन के लिए शेयर आवेदन**			
(3) **अनावर्ती दायित्व**			
(क) दीर्घावधि उधार			
(ख) आस्थगित टैक्स दायित्व (नियत)			
(ग) अन्य दीर्घावधि दायित्व			
(घ) दीर्घावधि उपबंध			
(4) **चालू दायित्व**			
(क) अल्पावधि उधार			
(ख) संदेय व्यापार			
(ग) अन्य चालू दायित्व			
(घ) अल्पावधि उपबंध			
योग :			

1	2	3	4
II. आस्तियां			
अनावर्ती आस्तियां			
(1) (क) स्थिर आस्तियां			
(i) मूर्त आस्तियां			
(ii) अमूर्त आस्तियां			
(iii) कार्य प्रगति पूंजी			
(iv) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां			
(ख) अनावर्ती विनिधान			
(ग) आस्थगित टैक्स आस्तियां (नियत)			
(घ) दीर्घावधि ऋण और आरंभिक			
(ङ) अन्य अनावर्ती आस्तियां			
(2) चालू आस्तियां			
(क) चालू विनिधान			
(ख) तालिकाएं			
(ग) व्यापार में लिए जाने योग्य			
(घ) रोकड़ और समतुल्य रोकड़			
(ङ) अल्पावधि ऋण और आरंभिक			
(च) अन्य चालू आस्तियां			
योग :			

वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां देखिए ।

टिप्पणियां

तुलनपत्र की तैयारी के लिए साधारण अनुदेश

1. किसी आस्ति को चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब निम्नलिखित कसौटी में से किसी का समाधान हो जाता है :—

(क) इसे कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में वसूल करने की प्रत्याशा की जाती है या विक्रय या उपभोग करने के लिए आशयित है ;

(ख) यह व्यापार किए जाने के उद्देश्य के लिए अग्रिम रूप से धारित है ;

(ग) इसे रिपोर्ट की जाने वाली तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर वसूल करने की प्रत्याशा की जाती है ; या

(घ) यह रोकड़ या रोकड़ के समतुल्य है जब तक यह परिवर्तन करने के लिए या रिपोर्ट किए जाने वाली तारीख के पश्चात् कम से कम बारह मास के लिए दायित्व के निपटान का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित है ।

अन्य सभी आस्तियों को अचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

2. प्रचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए आस्तियों के अर्जन के और नकद में या नकद के सममूल्यों में उनके वसूले जाने के बीच का समय है । जहां सामान्य प्रचालन चक्र की पहचान नहीं की जा सकती है, वहां उसे बारह मास की अवधि का होना माना जाएगा ।

3. दायित्व, चालू रूप में वर्गीकृत होगा, जब निम्नलिखित कसौटी में से किसी का समाधान हो जाता है :

(क) इसे कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में निपटाए जाने की प्रत्याशा की जाती है ;

(ख) यह व्यापार किए जाने के उद्देश्य के लिए अग्रिम रूप से धारित है ;

(ग) इसे रिपोर्ट किए जाने वाली तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर निपटाया जाना शोध्य है ; या

(घ) कंपनी, के पास रिपोर्ट की जाने वाली तारीख के पश्चात् कम से कम बारह मास के लिए दायित्व के परिनिर्धारण को आस्थगित करने का अशर्त अधिकार नहीं होगा । दायित्व का निबंधन, जो कि प्रतिपक्षी के विकल्प पर, साम्या लिखतों के निर्गमन द्वारा उसके परिनिर्धारण का परिणाम होगा, उसके वर्गीकरण को प्रभावी नहीं करेगा।

अन्य सभी दायित्वों को अचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

4. प्राप्यों को व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि वह कारबार के सामान्य अनुक्रम में बेचे गए माल या दी गई सेवाओं के मद्दे शोध्य रकम के संबंध में है ।

5. संदेय को "संदेय व्यापार" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि वह कारबार के सामान्य अनुक्रम में खरीदे गए माल या दी गई सेवाओं के मद्दे शोध्य रकम के संबंध में है।

6. कंपनी लेखाओं की टिप्पणों में निम्नलिखित प्रकट करेगी :

क. शेयर पूंजी

शेयर पूंजी (अधिमानी अंशों के विभिन्न वर्गों को पृथक् रूप से मानना) के प्रत्येक वर्ग के लिए :

(क) प्राधिकृत शेयरों की रकम और संख्या ;

(ख) जारी किए गए अभिदत्त और पूर्णतया देय तथा अभिदत्त परंतु पूर्णतया देय नहीं शेयरों की संख्या ;

(ग) प्रति शेयर की बराबर कीमत;

(घ) रिपोर्ट की गई अवधि के अंत में आरंभ में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्निर्माण ;

(ङ) शेयरों के प्रत्येक वर्ग, जिसके अंतर्गत लाभांशों तथा पूंजी के पुनर्संदाय के वितरण पर प्रतिबंध है, से जुड़े हुए प्रतिबंध और अधिमान अधिकार ;

(च) कंपनी में प्रत्येक वर्ग की बाबत ऐसे शेयर, जो इसकी निचली कंपनी द्वारा या उसकी अंततोगत्वा नियंत्री कंपनी द्वारा धारित किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत वे शेयर भी हैं जिन्हें नियंत्री कंपनी या अंततोगत्वा नियंत्री कंपनी के समनुषंगियों द्वारा या उनके सहयोगियों द्वारा समग्र रूप से धारित किया जाता है ;

(छ) कंपनी में ऐसे शेयर, जो धारित शेयरों की संख्या को विनिर्दिष्ट करने वाले 5% शेयरों से अधिक धारण करने वाले प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित किए गए हैं;

(ज) विकल्पों के अधीन मुद्दे के लिए आरक्षित शेयर तथा निबंधन तथा रकम सहित शेयरों/अविनिधानों के विक्रय के लिए संविदाएं निबंधन;

(झ) उस तारीख के ठीक पहले की पांच वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें तुलनपत्र तैयार किया गया है:

(क) रोकड़ में प्राप्त होने वाले बिना भुगतान की संविदा (संविदाओं) के अनुसरण में पूर्ण रूप से समादत्त आबंटित की गई संकलित संख्या तथा शेयरों का वर्ग;

(ख) बोनस शेयरों के द्वारा पूर्ण रूप से समादत्त आबंटित की गई संकलित संख्या तथा शेयरों का वर्ग;

(ग) वापस खरीदे गए शेयरों की संकलित संख्या तथा वर्ग;

(ञ) किन्हीं प्रतिभूतियों की अवधि, ऐसी दूरतम तारीख से आरंभ होने वाले अवरोही क्रम में संपरिवर्तन की पूर्वतम तारीख के साथ जारी किए गए साम्य/अधिमानी शेयर में संपरिवर्तन है;

(ट) असंदत्त मांग (अधिकारियों तथा निदेशकों द्वारा समादत्त भाग की दर्शित संकलित कीमत);

(ठ) समपहृत शेयर (मूलरूप से समादत्त रकम)।

(ख) आरक्षित और अधिशेष

(i) आरक्षित और अधिशेष निम्नानुसार वर्गीकृत होंगे:

(क) आरक्षित पूंजी;

(ख) आरक्षित मोचन पूंजी;

(ग) आरक्षित प्रीमियम प्रतिभूति;

(घ) आरक्षित मोचन डिबेंचर;

(ङ) आरक्षित पुनर्मूल्यांकन;

(च) बकाया लेखा विकल्प शेयर;

(छ) अन्य आरक्षित (प्रत्येक आरक्षित और उसके संबंध में रकम के उद्देश्य तथा प्रकृति को विनिर्दिष्ट करे);

(ज) अधिशेष अर्थात्, लाभ और हानि के विवरण में तुलन तथा विनियोग जैसे लाभांश, बोनस शेयर और उसको अंतरित/आरक्षित से आबंटन को प्रकट करना;

(विनिर्दिष्ट शीर्षों के प्रत्येक के अधीन दर्शित पिछले तुलनपत्र से परिवर्धन तथा कटौती);

(ii) किसी ऐसी आरक्षिति को जिसका विनिधान निश्चित करके विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है "निधि" के रूप में कहा जाएगा।

(iii) लाभ और हानि के विवरण के नामे पक्ष का अतिशेष, "अधिशेष" शीर्ष के अधीन नकारात्मक आंकड़े के रूप में दर्शाया जाएगा । उसी प्रकार, अधिशेष के नकारात्मक तुलन के समायोजन, यदि कोई है, के पश्चात् "आरक्षित और अधिशेष" का तुलन, यद्यपि यदि पारिणामिक आंकड़ा नकारात्मक हो, "आरक्षित और अधिशेष" शीर्ष के अधीन दर्शाया जाएगा ।

ग. दीर्घावधि उधार

(i) दीर्घावधि उधार निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :—

(क) बांड/डिबेंचर;

(ख) ऋण अवधि;

(अ) बैंक से ।

(आ) अन्य पक्षकारों से ।

(ग) आस्थगित भुगतान दायित्व;

(घ) निक्षेप ;

(ङ) संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम ;

(च) वित्तीय पट्टा बाध्यताओं की दीर्घावधि परिपक्वताएं ;

(छ) अन्य ऋण और अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) ।

(ii) ऋण, सुरक्षित तथा असुरक्षित के रूप में आगे उपवर्गीकृत किया जाएगा। प्रतिभूति की प्रकृति, प्रत्येक दशा में पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट होगी ।

(iii) जहां ऋण, निदेशकों या अन्य द्वारा गारंटीकृत किया गया है, प्रत्येक शीर्ष के अधीन ऐसे ऋण की संकलित संख्या प्रकट की जाएगी ।

(iv) बांड/डिबेंचर (यथास्थिति, मोचन तथा संपरिवर्तन की विशिष्टियों तथा ब्याज की दर के साथ) यथास्थिति, दूरतम मोचन या संपरिवर्तन की तारीख से आरंभ होकर परिपक्वता या संपरिवर्तन के अवरोही क्रम में रखे जाएंगे । जहां बांड/डिबेंचर किस्तों द्वारा मोचनीय हैं, इस प्रयोजन के लिए परिपक्वता की तारीख की गणना अवश्य की जाएगी जिससे उस तारीख को पहली किस्त बकाया हुई हो।

(v) किसी मोचनीय बांड/डिबेंचर की विशिष्टियां, जिसे कंपनी पुनः जारी करने के लिए सशक्त है, प्रकट की जाएगी ।

(vi) ऋण अवधि तथा अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि रखी जाएगी ।

(vii) ऋण तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में तुलनपत्र की तारीख पर लगातार डिफाल्ट की रकम और उसकी अवधि, प्रत्येक दशा में पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

घ. अन्य दीर्घावधि दायित्व

अन्य दीर्घावधि दायित्व निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे :

(क) संदेय व्यापार ;

(ख) अन्य ।

ङ. दीर्घावधि उपबंध

रकम निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी :

(क) कर्मचारियों के लाभ के लिए उपबंध ;

(ख) अन्य (विनिर्दिष्ट प्रकृति) ।

च. अल्पावधि उधार

(i) अल्पावधि उधार निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे :

(क) मांग पर ऋण का पुनर्संदाय;

(अ) बैंक से;

(आ) अन्य पक्षकारों से ।

(ख) संबंधित पक्षकारों से ऋण तथा अग्रिम ;

(ग) निक्षेप ;

(घ) अन्य ऋण तथा अग्रिम (विनिर्दिष्ट प्रकृति) ।

(ii) ऋण, सुरक्षित तथा असुरक्षित के रूप में आगे उपवर्गीकृत किया जाएगा। प्रतिभूति की प्रकृति, प्रत्येक दशा में पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट होगी ।

(iii) जहां ऋण, निदेशकों या अन्य द्वारा गारंटीकृत किया गया है, प्रत्येक शीर्ष के अधीन ऐसे ऋण की संकलित संख्या प्रकट की जाएगी ।

(iv) ऋण तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में तुलनपत्र की तारीख पर लगातार डिफाल्ट की रकम और उसकी अवधि, प्रत्येक दशा में पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

छ. अन्य चालू दायित्व

रकम निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी :

(क) दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं ;

(ख) वित्तीय पट्टा बाध्यताओं की चालू परिपक्वताएं ;

(ग) प्रोद्भूत ब्याज परंतु उधार पर बकाया नहीं ;

(घ) प्रोद्भूत ब्याज और उधार पर बकाया ;

(ङ) अग्रिम में प्राप्त आय ;

(च) असंदेय विनिधान ;

(छ) प्रतिभूतियों के लिए आबंटन तथा प्रतिदाय के लिए शोध्य तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्राप्त धन उपयोजन/तीक्ष्ण धन उपयोजन, जिसके अंतर्गत शेयर पूंजी के आबंटन हेतु अग्रिम है । ऐसे निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत जारी करने के उद्देश्य के लिए शेयरों की संख्या है, प्रीमियम की रकम, यदि कोई है, और वह अवधि जिसके पूर्व शेयर आबंटित किया जाएगा, का प्रकटन किया जाएगा । यहां यह भी प्रकटन किया जाएगा कि क्या कंपनी शेयरों के आबंटन प्रोद्भूत होने वाली शेयर पूंजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी रखती है । इसके अतिरिक्त, वह अवधि जिसके लिए शेयर उपयोजन धन लंबित है, से परे शेयरों के लिए दस्तावेज आमंत्रण उपयोजन में यथा विनिर्दिष्ट आबंटन जिसके साथ वे कारण, जिसके लिए शेयर उपयोजन धन लंबित हैं, की अवधि का प्रकटन किया जाएगा । जारी की गई पूंजी, शेयर उपयोजन धन से अधिक नहीं है तथा साम्या शीर्ष के अधीन विस्तार प्रतिदेय नहीं होगा तथा शेयर उपयोजन धन का विस्तार प्रतिदेय अर्थात्, प्रतिश्रुति की अधिकता की रकम या न्यूनतम प्रतिश्रुति की अपेक्षाओं की दशा ही मिलती है, "अन्य चालू दायित्व" के अधीन पृथक् रूप से दर्शित की जाएगी ;

(ज) असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज ;

(झ) असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज ;

(ञ) अन्य संदेय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) ।

ज. अल्पकालिक उपबंध

रकम निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी :

(क) कर्मचारियों के लाभ के लिए उपबंध ;

(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) ।

झ. मूर्त आस्तियां

(i) निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) भूमि ;

(ख) भवन ;

(ग) परियोजना और उपस्कर ;

(घ) फर्नीचर और फिक्सचर ;

(ङ) यान ;

(च) कार्यालय उपस्कर ;

(छ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

(ii) अवर पट्टा आस्तियां, आस्ति के प्रत्येक वर्ग के अधीन पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

(iii) रिपोर्टगत अवधि के प्रारंभ पर और अन्त में प्रत्येक वर्ग की आस्तियों की सकल तथा शुद्ध रकमों का समाधान जिसमें कारबार संयोजनों तथा अन्य समायोजनों और अन्य संबद्ध अवक्षयण एवं हानिकरण नुकसानों/उत्क्रमण के माध्यम से परिवर्धन निपटान, अर्जन दर्शाएं गए हैं, पृथकत : प्रकट किया जाएगा।

(iv) जहां पूंजी की कमी या आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर राशियों को बट्टे खाते डाला गया है या आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर राशियों को जोड़ा गया है, ऐसे बट्टे खाते की तारीख के पश्चात् प्रत्येक तुलनपत्र, या जोड़ यथा अनुयोज्य घाटे या बढ़े आंकड़ों को दर्शित करेगा और टिप्पण द्वारा ऐसी कमी या वृद्धि की तारीख से पश्चात्वर्ती पहले पांच वर्ष के लिए उसकी तारीख के साथ यथा अनुयोज्य कमी या वृद्धि की रकम भी दर्शित की जाएगी ।

ञ. अमूर्त आस्तियां

(i) वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) गुडविल ;

(ख) ब्रांड/व्यापार चिह्न ;

(ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ;

(घ) मस्तूल शिखर और प्रकाशन शीर्षक ;

(ङ) खदान अधिकार ;

(च) प्रतिलिप्यधिकार और पेटेंट तथा अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाएं और प्रचालन अधिकार ;

(छ) नुस्खे, सूत्र, मॉडल, डिजाइन और प्रोटोटाइप ;

(ज) अनुज्ञप्तियां और फ्रेंचाइज ;

(झ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) ।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत पर कारबार संयोजन और अन्य समायोजनों तथा संबंधित अपाकरण और क्षति नुकसानी/प्रतिक्रम के माध्यम से जोड़, निपटान, अर्जन दर्शित करने वाले प्रत्येक वर्ग की आस्तियों की सकल और कुल रकमों का समन्वय ।

(iii) जहां पूंजी की कमी या आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर राशियों को बट्टे खाते में डाला गया है या आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर राशियों को जोड़ा गया है, ऐसे बट्टे खाते की तारीख के पश्चात् प्रत्येक तुलनपत्र, या जोड़ यथा अनुयोज्य घटे या बढ़े आंकड़ों को दर्शित करेगा और टिप्पण द्वारा ऐसे कमी या वृद्धि की तारीख से पश्चात्वर्ती पहले पांच वर्ष के लिए उसकी तारीख के साथ यथा अनुयोज्य कमी या वृद्धि की रकम भी दर्शित की जाएगी ।

ट. गैर-वर्तमान विनिधान

(i) गैर-वर्तमान विनिधानों को व्यापार विनिधानों और अन्य विनिधानों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा निम्नलिखित के रूप में और वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) विनिधान संपत्ति ;

(ख) साम्या लिखतों में विनिधान ;

(ग) अधिमानी शेयरों में विनिधान ;

(घ) सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान ;

(ङ) डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान;

(च) पारस्परिक निधियों में विनिधान ;

(छ) भागीदारी फर्मों में विनिधान ;

(ज) अन्य और वर्तमान विनिधान (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

प्रत्येक वर्गीकरण के अधीन निगमित निकायों के नामों के ब्यौरे (यह उपदर्शित करते हुए कि क्या ऐसे निकाय (i) समनुषंगी, (ii) सहयोगी, (iii) संयुक्त उपक्रम या (iv) नियंत्रित विशेष प्रयोजन उपक्रम हैं) दिए जाएंगे जिनमें विनिधान किया गया है और ऐसे प्रत्येक निगमित निकाय में (उन विनिधानों को पृथक् रूप से दर्शित करते हुए जो भागतः संदत्त हैं) इस प्रकार किए गए विनिधानों की प्रकृति और विस्तार/भागीदारी फर्मों की पूंजी में विनिधान के संबंध में, फर्मों के नाम (उनके सभी भागीदारों के नाम, कुल पूंजी और प्रत्येक भागीदार के शेयरों के साथ) दिए जाएंगे ।

(ii) लागत से भिन्न विनिधानों का उनके मूल्यांकन के लिए आधार विनिर्दिष्ट करते हुए पृथक् रूप से कथन किया जाना चाहिए ।

(iii) निम्नलिखित का प्रकटन भी किया जाएगा :

(क) कोट किए गए विनिधानों की सकल रकम और उनका बाजार मूल्य ;

(ख) कोट नहीं किए गए विनिधानों की सकल रकम ;

(ग) विनिधान के मूल्य में कमी के लिए सकल उपबंध ।

ठ. दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम

(i) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) पूंजी अग्रिम;

(ख) प्रतिभूति निक्षेप;

(ग) संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (उनके ब्यौरे देते हुए);

(घ) अन्य ऋण और अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

(ii) उपर्युक्त को भी पृथक् रूप से निम्नानुसार उपवर्गीकृत किया जाएगा:

(क) प्रतिभूत, अच्छा विचार किया गया;

(ख) अप्रतिभूत, अच्छा विचार किया गया;

(ग) शंकास्पद।

(iii) अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए भत्ते को सुसंगत शीर्षों में पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा।

(iv) किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ या तो पृथक् या संयुक्त रूप से कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किन्हीं द्वारा शोध्य ऋण और अग्रिम या क्रमिक रूप से फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा शोध्य रकमें जिसमें कोई निदेशक भागीदार है या निदेशक है या सदस्य है, पृथक् रूप से कथन की जानी चाहिएं।

ड. अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां

अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएंगी:

(i) दीर्घ अवधि व्यापार प्राप्तियां (लंबित प्रत्यय निबंधनों पर व्यापार प्राप्तियों सहित);

(ii) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें);

(iii) दीर्घ अवधि व्यापार प्राप्तियां निम्नानुसार उपवर्गीकृत की जाएंगी:

(क) (अ) प्रतिभूत, अच्छा विचार किया गया;

(आ) अप्रतिभूत, अच्छा विचार किया गया;

(इ) शंकास्पद।

(ख) अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए भत्ते को सुसंगत शीर्षों में पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति के साथ या तो पृथक् या संयुक्त रूप से कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किन्हीं द्वारा शोध्य ऋण और अग्रिम या क्रमिक रूप से फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा शोध्य रकमें जिसमें कोई निदेशक भागीदार है या निदेशक है या सदस्य है, पृथक् रूप से कथन की जानी चाहिएं।

ढ. वर्तमान विनिधान

(i) वर्तमान विनिधानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) साम्या लिखतों में विनिधान;

(ख) अधिमानी शेयरों में विनिधान;

(ग) सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान;

(घ) डिबेंचर या बंधपत्रों में विनिधान;

(ङ) पारस्परिक निधियों में विनिधान;

(च) भागीदारी फर्मों में विनिधान;

(छ) अन्य विनिधान (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

प्रत्येक वर्गीकरण के अधीन निगमित निकायों के नामों के ब्यौरे (यह उपदर्शित करते हुए कि क्या ऐसे निकाय (i) समनुषंगी, (ii) सहयोगी, (iii) संयुक्त उपक्रम या (iv) नियंत्रित विशेष प्रयोजन उपक्रम हैं) दिए जाएंगे जिनमें विनिधान किया गया है और ऐसे प्रत्येक निगमित निकाय में (उन विनिधानों को पृथक् रूप से दर्शित करते हुए जो भागतः संदत्त हैं) इस प्रकार किए गए विनिधानों की प्रकृति और विस्तार/भागीदारी फर्मों की पूंजी में विनिधान के संबंध में, फर्मों के नाम (उनके सभी भागीदारों के नाम, कुल पूंजी और प्रत्येक भागीदार के शेयरों के साथ) दिए जाएंगे।

(ii) निम्नलिखित का प्रकटन भी किया जाएगाः

(क) व्यष्टिक विनिधानों के मूल्यांकन का आधार;

(ख) कोट किए गए विनिधानों की सकल रकम और उनका बाजार मूल्य;

(ग) कोट नहीं किए गए विनिधानों की सकल रकम;

(घ) विनिधान के मूल्य में कमी के लिए सकल उपबंध।

ण. तालिकाएं

(i) तालिकाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) कच्चा माल;

(ख) प्रगति पर कार्य;

(ग) तैयार माल;

(घ) व्यापार स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में);

(ङ) भंडार और अतिरिक्त;

(च) वियोजित औजार;

(छ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

(ii) पारगमन मालों का प्रकटन तालिकाओं के सुसंगत उपशीर्षों के अधीन किया जाएगा।

(iii) मूल्यांकन के ढंग का कथन किया जाएगा।

त. व्यापार प्राप्तियां

(i) संदाय की तारीख से शोध्य छह मास से अधिक की अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियों की सकल रकम पृथक् रूप से कथन की जानी चाहिए।

(ii) व्यापार प्राप्तियों को निम्नानुसार उपवर्गीकृत किया जाएगा:

(क) प्रतिभूत, अच्छा समझा गया;

(ख) अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया;

(ग) शंकास्पद।

(iii) अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए भत्ते को सुसंगत शीर्षों में पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा।

(iv) किसी अन्य व्यक्ति के साथ या तो पृथक् या संयुक्त रूप से कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किन्हीं द्वारा शोध्य ऋण और अग्रिम या क्रमिक रूप से फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा शोध्य रकमें जिनमें कोई निदेशक भागीदार है या निदेशक है या सदस्य है, पृथक् रूप से कथन की जानी चाहिएं।

थ. नकद और नकद समतुल्य

(i) नकद और नकद समतुल्य को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) बैंकों में अतिशेष;

(ख) हस्तगत चैक, ड्राफ्ट;

(ग) हस्तगत नकद;

(घ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

(ii) बैंकों में निश्चित अतिशेष (उपांतरण के लिए असंदत्त लाभांश के लिए) पृथक् रूप से कथन किए जाएंगे।

(iii) मार्जिन धन या उधारों, प्रतिभूतियों, अन्य वचनबंधों के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में बैंकों में रखे गए अतिशेष पृथक् से प्रकट किए जाएंगे।

(iv) नकद और बैंक अतिशेष के संबंध में प्रत्यावासित निर्बंधन, यदि कोई हों, पृथक् रूप से प्रकट किए जाएंगे।

(v) बारह मास से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक निक्षेप पृथक् रूप से प्रकट किए जाएंगे।

द. लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(i) लघु अवधि ऋणों और अग्रिमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (उनके ब्यौरे देते हुए);

(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

(ii) उपर्युक्त को निम्नानुसार उपवर्गीकृत भी किया जाएगा:

(क) प्रतिभूत, अच्छा विचार किया गया;

(ख) अप्रतिभूत, अच्छा विचार किया गया;

(ग) शंकास्पद।

(iii) अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए भत्ते को सुसंगत शीर्षों में पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा।

(iv) किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ या तो पृथक् या संयुक्त रूप से कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किन्हीं द्वारा शोध्य ऋण और अग्रिम या क्रमिक रूप से फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा शोध्य रकमें जिनमें कोई निदेशक भागीदार है या निदेशक है या सदस्य है, पृथक् रूप से कथन की जानी चाहिएं।

ध. अन्य चालू आस्तियां (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

यह सभी को सम्मिलित करने वाला शीर्ष है, जो उन चालू आस्तियों को निगमित करता है जो किन्हीं अन्य आस्ति प्रवर्गों में ठीक नहीं बैठती।

न. आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धता (उपबंध न किए जाने की सीमा तक)

(i) आकस्मिक दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए कंपनी के विरुद्ध दावे;

(ख) प्रत्याभूतियां;

(ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है;

(ii) प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने से शेष और उपबंध नहीं की गई संविदाओं की प्राक्कलित रकम;

(ख) शेयरों और अन्य भागतः संदत्त विनिधानों पर अनाहूत दायित्व;

(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

प. अवधि के लिए साम्या और अधिमानी शेयर धारकों को वितरण के लिए प्रस्तावित लाभांश की रकम और प्रति शेयर संबंधित रकम पृथक् रूप से प्रकट की जाएगी । अधिमानी शेयरों पर नियत संचयी लाभांशों के बकाया भी पृथक् रूप से प्रकट किए जाएंगे।

फ. जहां विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बनाई गई प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में, तुलनपत्र तारीख को विशिष्ट प्रयोजन के लिए रकम पूर्ण या भागरूप में उपयोग नहीं की गई है, वहां टिप्पण द्वारा यह इंगित किया जाएगा कि कैसे ऐसी अप्रयुक्त रकमें उपयोग या विनिधान की गई हैं।

ब. यदि बोर्ड की राय में नियत आस्तियों और गैर–वर्तमान विनिधानों से भिन्न कोई भी आस्तियां कारबार के साधारण अनुक्रम में कम से कम आपन पर मूल्य नहीं रखती हैं और उस रकम के जो समतुल्य है जिस पर उनका कथन किया गया था तो यह तथ्य कि बोर्ड की वह राय है, कथन किया जाएगा।

भाग 2 – लाभ और हानि का कथन

कंपनी का नाम

.....को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का कथन

(.....रुपए में)

विशिष्टियां	टिप्पण सं॰	चालू रिपोर्टगत अवधि के अंत में आंकड़े	पूर्ववर्ती रिपोर्टगत अवधि के अंत में आंकड़े
1	2	3	4
I. प्रचालनों से राजस्व		XXX	XXX
II. अन्य आय		XXX	XXX

1	2	3	4
III.	कुल राजस्व (I+III)	XXX	XXX
IV.	व्यय:		
	उपभोग की गई सामग्री की कीमत, व्यापार स्टॉक के क्रय तैयार माल की तालिकाओं में परिवर्तन कार्य में प्रगति और व्यापार स्टॉक	XXX	XXX
	कर्मचारी फायदे व्यय वित्त लागतें, अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण व्यय, अन्य व्यय	XXX	XXX
	कुल व्यय	XXX	XXX
V.	आपवादिक और असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)	XXX	XXX
VI.	आपवादिक मदें	XXX	XXX
VII.	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ(V-VI)	XXX	XXX
VIII.	असाधारण मदें	XXX	XXX
IX.	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ(VII-VIII)	XXX	XXX
X.	असाधारण मदें :		
	(1) चालू कर	XXX	XXX
	(2) आस्थगित कर	XXX	XXX
XI.	निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि) (VII-VIII)	XXX	XXX
XII.	अनिरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि)	XXX	XXX
XIII.	अनिरंतर प्रचालनों के कर व्यय	XXX	XXX
XIV.	अनिरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि) (कर के पश्चात्) (XII-XIII)	XXX	XXX
XV.	अवधि के लिए लाभ (हानि)(IX-XIV)	XXX	XXX
XVI.	प्रति साम्या शेयर उपार्जन:		
	(1) मूल	XXX	XXX
	(2) तरलीकृत	XXX	XXX

वित्तीय कथन के संलग्न टिप्पण देखें।

लाभ-हानि कथन को तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश

1. इस भाग के उपबंध धारा 2 के खंड (40) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट आय और व्यय लेखा की उसी रीति में लागू होंगे जैसे वे लाभ और हानि कथन को लागू होते हैं।

2. (अ) वित्त कंपनी से भिन्न कंपनी के संबंध में प्रचालनों से राजस्व, निम्नलिखित से राजस्व के संबंध में पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा—

(क) उत्पादों का विक्रय;

(ख) सेवाओं का विक्रय;

(ग) अन्य प्रचालन राजस्व;

घटाएं:

(घ) उत्पाद-शुल्क;

(आ) वित्त कंपनी के संबंध में, प्रचालनों से प्राप्त राजस्व में निम्नलिखित से प्राप्त राजस्व को सम्मिलित किया जाएगा--

(क) ब्याज; और

(ख) अन्य वित्तीय सेवाएं।

उपर्युक्त प्रत्येक मदों के अधीन राजस्व लागू सीमा तक लेखा के टिप्पणों के माध्यम से पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा।

3. वित्त लागतें

वित्त लागतों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) ब्याज व्यय;

(ख) अन्य उधार लागतें;

(ग) विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और अंतरणों पर लागू कुल प्राप्ति/हानि।

4. अन्य आय

अन्य आय निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी:

(क) ब्याज आय (वित्त कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में);

(ख) लाभांश आय;

(ग) विनिधानों के विक्रय पर कुल प्राप्ति/हानि;

(घ) अन्य अप्रचालन आय (व्ययों का कुल सीधे ऐसी आय को माना जा सकता है)।

5. अतिरिक्त जानकारी

कोई कंपनी टिप्पणों के माध्यम से निम्नलिखित मदों पर सकल व्यय और आय के संबंध में अतिरिक्त जानकारी का प्रकटन करेगी:—

(i)(क) कर्मचारी फायदे व्यय [(i) वेतन और मजदूरी, (ii) भविष्य और अन्य निधियों को अभिदाय, (iii) कर्मचारी व्यय विकल्प स्कीम (ईएसओपी) और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीपी), (iv) कर्मचारिवृंद कल्याण व्ययों को पृथक् रूप से दर्शित करते हुए]

(ख) अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण व्यय;

(ग) आय या व्यय की कोई अन्य मद जो प्रचालनों से राजस्व या 1,00,000 रु॰ जो भी उच्च हो, के एक प्रतिशत से अधिक हो जाती है;

(घ) ब्याज आय;

(ङ) ब्याज व्यय;

(च) लाभांश आय;

(छ) विनिधानों के विक्रय पर कुल प्राप्ति/हानि ;

(ज) विनिधानों की रकमों में समायोजन ;

(झ) विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और अंतरणों पर लागू कुल प्राप्ति/हानि (वित्त लागत समझी गई से भिन्न) ;

(ञ) (क) संपरीक्षक के रूप में, (ख) कराधान मामलों के लिए; (ग) कंपनी विधि मामलों के लिए, (घ) प्रबंधन सेवाओं के लिए, (ङ) अन्य सेवाओं के लिए; (च) व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए, संपरीक्षक को संदाय;

(ट) धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनी की दशा में, कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों पर उपगत व्यय की रकम ;

(ठ) आपवादिक और असाधारण प्रकृति की मदों के ब्यौरे;

(ड) पूर्व अवधि मदें ।

(ii)(क) विनिर्माण कंपनियों के मामले में,—

(1) वृहद् शीर्षों के अधीन कच्चा माल;

(2) वृहद् शीर्षों के अधीन क्रय किया गया माल;

(ख) व्यापार कंपनियों के मामले में, वृहद् शीर्षों के अधीन कंपनी द्वारा व्यापार किए गए माल के संबंध में क्रय ;

(ग) सेवाएं प्रदान करने वाली या आपूर्ति करने वाली कंपनियों के मामले में, वृहद् शीर्षों के अधीन प्रदान की गई सेवाओं या आपूर्ति से व्युत्पन्न कुल आय ;

(घ) उस कंपनी के मामले में, जो ऊपर (क), (ख) और (ग) में वर्णित किन्हीं एक से अधिक प्रवर्गों के अधीन आती है, अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए यह पर्याप्त होगा यदि कच्चे माल का क्रय, विक्रय और उपभोग तथा प्रदान की गई सेवाओं से कुल आय वृहद् शीर्षों में दर्शित की जाती है ;

(ङ) अन्य कंपनियों के मामले में, वृहद् शीर्षों के अधीन व्युत्पन्न कुल आय ।

(iii) कार्य की प्रगति से संबंधित सभी के मामलों में, वृहद् शीर्षों के अधीन कार्य प्रगति ।

(iv)(क) अपास्त की गई या अपास्त किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी रकम का समग्र, यदि तात्त्विक हो, की आरक्षिति, किन्तु इसमें उस तारीख को, जिसको तुलनपत्र बनाया जाता है, ज्ञात विद्यमान किसी विशिष्ट दायित्व, आकस्मिकता या प्रतिबद्धता पूरा करने के लिए बनाए गए उपबंध सम्मिलित नहीं हैं ।

(ख) ऐसी आरक्षितियों से वापस ली गईं किन्हीं रकमों का समग्र, यदि तात्त्विक हो ।

(v) (क) विशिष्ट दायित्वों, आकस्मिकताओं या प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए उपबंधों की रकमों को अपास्त करने के लिए समग्र, यदि तात्त्विक हो ।

(ख) ऐसे उपबंधों से वापस ली गई रकमें जो और अपेक्षित नहीं, का समग्र, यदि तात्त्विक हो ।

(vi) पृथक् रूप से प्रत्येक मद के लिए, निम्नलिखित मदों पर उपगत व्यय:—

(क) भण्डारों और कलपुर्जों का उपभोग ;

(ख) विद्युत और ईंधन ;

(ग) भाटक ;

(घ) भवनों की मरम्मत ;

(ङ) मशीनरी की मरम्मत ;

(च) बीमा ;

(छ) आय पर कर को छोड़कर, दरें और कर ;

(ज) प्रकीर्ण व्यय।

(vii) (क) समनुषंगी कंपनियों से लाभांश ;

(ख) समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध।

(viii) लाभ और हानि लेखा में टिप्पण द्वारा निम्नलिखित जानकारी भी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:—

(क) निम्नलिखित के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आई.एफ. आधार पर संगणित आयातों का मूल्य--

I. कच्चा माल ;

II. अवयव और कलपुर्जे ;

III. पूंजी माल ;

(ख) स्वामित्व, व्यवहार-ज्ञान, वृत्तिक और परामर्श फीसों, ब्याज तथा अन्य विषयों के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय;

(ग) कुल मूल्य, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान सभी आयातित कच्चे माल, कलपुर्जों और अवयवों का उपभोग किया गया हो और समान रूप से उपभोग किए गए सभी देशीय कच्चे मालों, कलपुर्जों और अवयवों का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में प्रत्येक का प्रतिशत;

(घ) अनिवासी शेयर धारकों की कुल संख्या का विशिष्ट वर्णन के साथ लाभांशों के कारण विदेशी मुद्रा में वर्ष के दौरान छूट-प्राप्त रकम, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या जिन पर लाभांश शोध्य था तथा वह वर्ष जिससे लाभांश संबंधित है;

(ङ) निम्नलिखित शीर्षों के अधीन विदेशी विनिमय में उपार्जन, अर्थात्:—

I. एफ.ओ.बी. आधार पर संगणित मालों का निर्यात;

II. स्वामित्व, व्यवहार-ज्ञान, वृत्तिक और परामर्श फीस;

III. ब्याज और लाभांश;

IV. उसकी प्रकृति इंगित करते हुए, अन्य आय।

टिप्पण : तात्विकता की संकल्पना और वित्तीय कथनों के सत्य और ऋजु निरूपण को ध्यान में रखते हुए वृहद् शीर्ष विनिश्चित किए जाएंगे ।

समेकित वित्तीय कथनों को तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश

1. जहां किसी कंपनी से समेकित वित्तीय कथन अर्थात् समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ और हानि लेखा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, वहां कंपनी यथावश्यक परिवर्तन सहित तुलनपत्र और लाभ और हानि कथन तैयार करने के लिए कंपनी को यथा अनुयोज्य इस अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुसरण करेगी । इसके अतिरिक्त, समेकित वित्तीय कथन निम्नलिखित सहित लागू लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सूचना का प्रकटन करेगा:

(i) "अल्पहित" माना जा सकने वाला लाभ या हानि और लाभ और हानि के कथन में मूल के स्वामी को उस अवधि के लिए आबंटन के रूप में निरूपित किया जाएगा ।

(ii) साम्या के भीतर तुलनपत्र में "अल्पहित" को मूल के स्वामी की साम्या से पृथक् रूप से निरूपित किया जाएगा ।

2. समेकित वित्तीय कथनों में, अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा निम्नलिखित का प्रकटन किया जाएगा :

निम्नलिखित में कुल अस्तित्व का नाम	आस्तियां अर्थात् कुल दायित्वों को कम करके कुल आस्तियां		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित कुल आस्तियों का %के रूप में	रकम	समेकित कुल आस्तियों का % के रूप में	रकम
1	2	3	4	5
मूल समनुषंगी भारतीय				
1.				
2.				
3.				
.				
.				
विदेशी				
1.				
2.				
3.				
.				
.				
सभी समनुषंगियों के अल्पहित (साम्या पद्धति के अनुसार विनिधान)				
1.				
2.				
3.				
.				
.				

1	2	3	4	5
विदेशी				
1.				
2.				
3.				
:				
संयुक्त उपक्रम (आनुपातिक समेकन के अनुसार/साम्या पद्धति के अनुसार विनिधान)				
भारतीय				
1.				
2.				
3.				
:				
विदेशी				
1.				
2.				
3.				
:				
कुल :				

3. सभी समनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों (चाहे वे भारतीय हों या विदेशी) को समेकित वित्तीय कथनों के अधीन रखा जाएगा ।

4. कोई निकाय समनुषंगियों या सहयोगियों या संयुक्त उपक्रमों की सूची का प्रकटन करेगा जिन्हें समेकन न करने के कारणों के साथ समेकित वित्तीय कथनों में समेकित नहीं किया गया है ।

अनुसूची 4

[धारा 149(8) देखें]

स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता

संहिता स्वतंत्र निदेशकों के वृत्तिक आचरण के लिए मार्गनिर्देशिका है । स्वतंत्र निदेशकों द्वारा इन मानकों के प्रति अनुषक्त होना और अपने उत्तरदायित्वों को वृत्तिक और निष्ठापूर्ण रीति में पूरा करने से विनिवेश समुदाय, विशेषकर अल्पशेयर धारकों ; विनियामकों और कंपनियों का स्वतंत्र निदेशकों की संस्था में विश्वास वर्धन होगा ।

I. वृत्तिक आचरण के मार्गनिर्देश :

कोई स्वतंत्र निदेशक :

(1) निष्ठा और ईमानदारी के नैतिक मानकों को बनाए रखेगा ;

(2) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वस्तुपरक और रचनात्मक ढंग से कार्य करेगा ;

(3) अपने उत्तरदायित्वों का प्रयोग सद्भावपूर्ण रीति में कंपनी के हित में करेगा ;

(4) सूचनाबद्ध और संतुलित निर्णय करने के लिए अपनी वृत्तिक बाध्यताओं पर पर्याप्त समय और ध्यान देगा ;

(5) निर्णय करने में बोर्ड के सामूहिक निर्णय से सहमत होने या असहमत होने के दौरान किन्हीं बाह्य विचारों को अनुज्ञात नहीं करेगा जो संपूर्ण कंपनी के सर्वोपरि हितों के बारे में उसके वस्तुपरक स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करने को संदूषित करे;

(6) कंपनी या उसके शेयर धारकों की हानि या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत फायदे या किसी सहबद्ध व्यक्ति के फायदे के प्रयोजन के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा ;

(7) किसी ऐसी कार्रवाई से विरत रहेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता भंग होती हो ;

(8) जहां ऐसी परिस्थितियां उद्भूत होती हैं जिनसे स्वतंत्र निदेशक की स्वतंत्रता भंग होती है, वहां स्वतंत्र निदेशक को तद्नुसार तत्काल बोर्ड को सूचित करना चाहिए ;

(9) कंपनी को सर्वोत्तम कारपोरेट शासन व्यवहारों के क्रियान्वयन में सहायता करेगा ।

II. भूमिका और कृत्य :

स्वतंत्र निदेशक :

(1) विशेषकर रणनीति, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण के मानकों के विवाद्यकों पर बोर्ड के विचार-विमर्श पर स्वतंत्र निर्णय करने में सहायता करेगा ;

(2) बोर्ड और प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन में वस्तुपरक दृष्टिकोण रखेगा;

(3) सहमत लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन के निष्पादन की संवीक्षा करेगा तथा निष्पादन की रिपोर्टिंग मानीटर करेगा;

(4) वित्तीय जानकारी की निष्ठा और वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन के तंत्र सख्त और रक्षणीय होने के बारे में स्वयं का समाधान करेगा;

(5) सभी पणधारियों, विशेषकर अल्प शेयर धारकों के हितों का रक्षण करेगा;

(6) पणधारियों के विरोधाभासी हितों का संतुलन करेगा;

(7) कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक के उपयुक्त स्तरों का अवधारण करेगा तथा कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और जहां आवश्यक हो उनको हटाने की सिफारिश करेगा;

(8) प्रबंधन और शेयर धारकों के हितों के बीच टकराव की स्थिति में कंपनी के संपूर्ण हित में अनुसीमन और मध्यस्थता करेगा ।

III. कर्तव्य :

स्वतंत्र निदेशक :

(1) समुचित प्रवेश कराएगा तथा कंपनी के साथ अपना कौशल, ज्ञान और जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन और पुनश्चर्यित करेंगे;

(2) सूचना का उचित स्पष्टीकरण और वर्धन करेंगे और जहां आवश्यक हो, कंपनी के व्यय पर बाहरी विशेषज्ञों की उचित वृत्तिक सलाह और राय लेंगे तथा उसका अनुसरण करेंगे;

(3) निदेशक बोर्ड की सभी बैठकों और बोर्ड समितियों, जिनके वह सदस्य हैं, में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे;

(4) बोर्ड की समितियों में जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं ; रचनात्मक और सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे;

(5) कंपनी की साधारण बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे;

(6) जहां उन्हें कंपनी चलाने या प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में चिन्ता है, वहां वे सुनिश्चित करेंगे कि उन पर बोर्ड द्वारा ध्यान दिया जाए और उनके हल न होने की सीमा तक, इस बात पर जोर देंगे कि उनकी चिन्ताओं को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाए;

(7) कंपनी और उस वातावरण, जिसमें वह प्रचालित होती है, के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी रखेंगे;

(8) अन्यथा उचित बोर्ड या बोर्ड की समिति के कार्य में अऋजु नहीं डालेंगे;

(9) पर्याप्त ध्यान देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को अनुमोदन करने से पूर्व पर्याप्त सूझबूझ का प्रयोग हो तथा स्वयं को आश्वस्त करेंगे कि वे कंपनी के हित में हैं;

(10) यह अभिनिश्चित और सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी के पास पर्याप्त और कार्यात्मक सतर्कता प्रणाली हो तथा यह सुनिश्चित करना कि उस व्यक्ति के हितों पर, जो ऐसी प्रणाली का उपयोग करता है, ऐसे उपयोग के कारण प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(11) अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद कपट या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के बारे में रिपोर्ट करेगा;

(12) अपने प्राधिकार के भीतर कार्य करते हुए, कंपनी, शेयर धारकों और उसके कर्मचारियों के वैध हितों के संरक्षण में सहायता करेगा;

(13) वाणिज्यिक गुप्त सूचनाओं, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापनों और विक्रय संवर्धन योजनाओं, अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना समेत गोपनीय सूचना का प्रकटन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्रकटन का अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित न किया जाए या विधि द्वारा अपेक्षित न हो ।

IV. **नियुक्ति की रीति :**

(1) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया कंपनी प्रबंधन से स्वतंत्र होगी ; स्वतंत्र निदेशकों का चयन करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड में कौशल, अनुभव और ज्ञान का उचित संतुलन हो जिससे बोर्ड अपने कृत्यों और कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में समर्थ हो सके ;

(2) कंपनी के निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति शेयर धारकों की बैठक में अनुमोदित की जाएगी;

(3) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए बैठक के नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकारक कथन में एक कथन सम्मिलित होगा कि बोर्ड की राय में, नियुक्ति के लिए प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है और प्रस्तावित निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है ;

(4) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति–पत्र द्वारा औपचारिकताबद्ध की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा:

(क) नियुक्ति की अवधि;

(ख) नियुक्त निदेशक से बोर्ड की अपेक्षाएं; बोर्ड स्तर की समिति (समितियां) जिसमें निदेशक द्वारा सेवा की अपेक्षा की जाती है और उसके कार्य;

(ग) वैश्वासिक कर्तव्य जो सहबद्ध दायित्वों के साथ ऐसी नियुक्ति से जुड़े होते हैं ;

(घ) निदेशक और अधिकारी बीमा के लिए उपबंध, यदि कोई हों;

(ङ) कारबार नैतिकता संहिता जो कंपनी अपने निदेशकों और कर्मचारियों से अनुसरण करने की अपेक्षा करती है;

(च) कार्यों की सूची जो निदेशक को कंपनी में इस रूप में कार्य करते समय नहीं करने चाहिएं; और

(छ) पारिश्रमिक, कालिक फीसों का वर्णन, बोर्ड और अन्य बैठकों में भागीदारी के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा लाभ संबंधी कमीशन, यदि कोई हो;

(5) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सामान्य कारबार घंटों के दौरान किसी सदस्य द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी;

(6) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दी जा सकेंगी।

V पुनः नियुक्ति :

स्वतंत्र निदेशक की पुनः नियुक्ति निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर होगी।

VI. त्यागपत्र या हटाना:

(1) स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्र या हटाना उसी रीति में होगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 168 और धारा 169 में उपबंधित है;

(2) किसी स्वतंत्र निदेशक, जो कंपनी के बोर्ड से त्यागपत्र देता है या हटाया जाता है, के स्थान पर, यथास्थिति, ऐसे त्यागपत्र या हटाए जाने के एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के भीतर एक नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाएगा;

(3) जहां कंपनी, यथास्थिति, ऐसे त्यागपत्र या हटाने से उत्पन्न रिक्ति को भरे बिना भी इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा को पूर्ण करती है, नए स्वतंत्र निदेशक द्वारा बदलने की अपेक्षा लागू नहीं होगी।

VII. पृथक् बैठक (बैठकें):

(1) कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम से कम एक बैठक, गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, करेंगे;

(2) कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे;

(3) बैठक में :

(क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों और संपूर्ण बोर्ड में निष्पादन का पुनर्विलोकन होगा;

(ख) कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगा;

(ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की क्वालिटी, मात्रा और समयबद्धता का निर्धारण होगा जो कि बोर्ड को अपने कर्तव्य प्रभावी ढंग से और युक्तियुक्त रूप से करने के लिए आवश्यक है।

VIII. मूल्यांकन पद्धति:

(1) स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन, मूल्यांकित किए जाने वाले निदेशक को छोड़कर, संपूर्ण निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा;

(2) निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर यह अवधारित किया जाएगा कि क्या स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि का विस्तार करना है या उसे बनाए रखना है।

अनुसूची 5

(धारा 196 और धारा 197 देखें)

भाग 1

केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति के लिए पूर्ण की जाने वाली शर्तें

नियुक्तियां

कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रबंधकीय व्यक्ति निर्दिष्ट किया गया है, के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता, अर्थात् :—

(क) उसे इस अधिनियम या निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि के लिए किसी अवधि के कारावास या एक हजार रुपए से अधिक के कारावास के लिए दंडित नहीं किया गया है, अर्थात्:—

(i) भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2)

(ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

(iii) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)

(iv) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)

(v) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10)

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)

(vii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42)

(viii) धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)

(ix) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(x) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

(xi) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12)

(xii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)

(xiii) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1)

(xiv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15)

(xv) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22)

(xvi) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15);

(ख) उसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के अधीन किसी अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया गया था :

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार ने, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) के अधीन दोषसिद्ध या निरुद्ध व्यक्ति की नियुक्ति के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है,

वहां उस व्यक्ति की पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का और अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा यदि उसे ऐसे अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार दोषसिद्ध या निरुद्ध नहीं किया गया हो ;

(ग) उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और सत्तर वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो :

परंतु जहां उसने सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जहां उसकी नियुक्ति का अनुमोदन साधारण बैठक में कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का और अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा;

(घ) जहां वह एक से अधिक कंपनी में प्रबंधकीय व्यक्ति है, वहां वह भाग 2 के खंड 5 में उपबंधित अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक या अधिक कंपनियों से पारिश्रमिक प्राप्त करता है;

(ङ) वह भारत में निवासी है ।

स्पष्टीकरण 1—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, भारत में निवासी वह व्यक्ति सम्मिलित है जो भारत में प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से तुरंत पूर्व बारह मास से अन्यून निरंतर अवधि से भारत में निवास कर रहा है और जो भारत में निम्नलिखित के लिए निवास कर रहा है,—

(i) भारत में नियोजन के लिए; या

(ii) भारत में कारबार या अवकाश के लिए ।

स्पष्टीकरण 2—यह शर्त वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन में कंपनियों को लागू नहीं होगी:

परंतु कोई व्यक्ति जो भारत में अनिवासी है, संबंधित विदेश स्थित भारतीय मिशन से उचित नियोजन वीजा प्राप्त करने के पश्चात् ही भारत में प्रवेश करेगा । इस प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति से वीजा आवेदन प्ररूप के साथ कंपनी का प्रोफाइल, प्रमुख नियोजक और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें देना अपेक्षित होगा।

भाग 2

पारिश्रमिक

खंड 1— लाभ वाली कंपनियों द्वारा संदेय पारिश्रमिक :

धारा 197 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में लाभ वाली कंपनी ऐसी धारा में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अनधिक प्रबंधकीय व्यक्ति या व्यक्तियों को पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगी ।

खंड 2—केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना बगैर लाभ वाली या अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा संदेय पारिश्रमिक :

प्रबंधकीय व्यक्ति के कार्यकाल के चालू रहने के दौरान जहां किसी वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ है या अपर्याप्त लाभ हुआ है, वहां वह केन्द्रीय

सरकार के अनुमोदन के बिना नीचे (क) और (ख) के अधीन दी गई सीमाओं से अनधिक प्रबंधकीय व्यक्ति को पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगी:—

(क):

(1)	(2)
जहां प्रभावी पूंजी	संदेय वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी (रुपयों में)
(i) नकारात्मक या 5 करोड़ रुपए से न्यून	30 लाख;
(ii) 5 करोड़ और उससे अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से अन्यून	42 लाख;
(iii) 100 करोड़ और उससे अधिक किन्तु 250 करोड़ रुपए से अन्यून	60 लाख;
(iv) 250 करोड़ रुपए और उससे अधिक	60 लाख धन 250 करोड़ से अधिक प्रभावी पूंजी का 0.01 प्रतिशत:

परंतु उपर्युक्त सीमाएं दुगुनी हो जाएंगी यदि शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्प विशेष संकल्प हो ।

स्पष्टीकरण—यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष से न्यून अवधि के लिए, सीमाएं यथानुपातिक होंगी ।.

(ख) ऐसे किसी प्रबंधकीय व्यक्ति की दशा में, जो पांच लाख रुपए या उससे अधिक अभिहित मूल्य की प्रतिभूतियां धारण करने वाला कोई शेयर धारक अथवा कंपनी का कोई कर्मचारी या निदेशक नहीं था अथवा प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में उसकी नियुक्ति के दो वर्ष पूर्व के दौरान किसी समय किसी निदेशक या संप्रवर्तक का नातेदार नहीं था– वर्तमान सुसंगत लाभ का 2.5%:

परंतु यदि शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्प विशेष संकल्प हो तो यह सीमा दुगुनी हो जाएगी :

परंतु यह और कि इस धारा में विनिर्दिष्ट सीमाएं लागू होंगी, यदि,—

(i) पारिश्रमिक का संदाय बोर्ड द्वारा पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और धारा 178 की उपधारा (1) के अधीन सम्मिलित कंपनी की दशा में नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है;

(ii) कंपनी ने अपने किसी ऋण (लोक निक्षेप समेत) या डिबेंचर या उन पर संदेय ब्याज के पुनर्संदाय में ऐसे प्रबन्धकीय व्यक्ति की नियुक्ति की तारीख से पूर्व पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में तीस दिन की लगातार अवधि के लिए कोई व्यतिक्रम नहीं किया है;

(iii) तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पारिश्रमिक के संदाय हेतु कंपनी की साधारण बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया है;

(iv) खंड (iii) में निर्दिष्ट साधारण बैठक बुलाने वाले नोटिस के साथ कथन निम्नलिखित सूचना के साथ शेयर धारकों को दिया जाता है, अर्थात्:—

I. साधारण सूचना:

(1) उद्योग की प्रकृति;

(2) वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख या प्रत्याशित तारीख;

(3) नई कंपनियों की दशा में विवरण पत्रिका में प्रकट होने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित परियोजना के अनुसार गतिविधियों को प्रारंभ करने की प्रत्याशित तारीख;

(4) दिए गए सूचकों के आधार पर वित्तीय निष्पादन;

(5) विदेशी विनिधान या सहयोग; यदि कोई हों।

II. नियुक्त किए गए व्यक्ति के बारे में जानकारी:

(1) पृष्ठभूमि ब्यौरे;

(2) पिछला पारिश्रमिक;

(3) पहचान या अवार्ड;

(4) कार्य पार्श्वक और उसकी उपयुक्तता;

(5) प्रस्तावित पारिश्रमिक;

(6) उद्योग, कंपनी के आकार, प्रास्थिति और व्यक्ति का पार्श्वक (देश से निकाले गए व्यक्तियों की दशा में उसके मूल देश के संबंध में सुसंगत ब्यौरे होंगे);

(7) कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय संबंध या प्रबंधकीय कार्मिक के साथ संबंध, यदि कोई हो।

III. अन्य सूचना:

(1) हानि या अपर्याप्त लाभों के कारण;

(2) सुधार के लिए उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम;

(3) मापनीय निबंधनों में उत्पादकता तथा लाभों में प्रत्याशित वृद्धि;

IV. प्रकटन:

(1) वित्तीय कथन से संलग्न "कारपोरेट शासन" शीर्षक के अधीन बोर्ड के निदेशक की रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रकटनों का वर्णन होगा, यदि कोई हो:—

(i) सभी निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्त्व जैसे वेतन, फायदे, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि;

(ii) निष्पादन कसौटी के साथ नियत अवयव और निष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहनों के ब्यौरे;

(iii) सेवा संविदाएं, नोटिस अवधि, पृथक्करण फीस;

(iv) स्टॉक विकल्प ब्यौरे, यदि कोई हों, और क्या उन्हें छूट पर जारी किया गया है और उसके साथ-साथ वह अवधि जिसको उद्भूत हुए और जिसको प्रयोक्तव्य हैं।

खंड 3—कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना उन कंपनियों द्वारा संदेय पारिश्रमिक जिनको कोई लाभ नहीं हुआ है या अपर्याप्त लाभ हुआ है।

केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कोई कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी प्रबंधकीय व्यक्ति को खंड 2 में उपबंधित रकमों से अधिक पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगी,--

(क) जहां खंड 1 या खंड 2 की सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक का संदाय किसी अन्य कंपनी द्वारा किया गया है और वह अन्य कंपनी या तो कोई विदेशी कंपनी है या उसने अपने शेयर धारकों से सामान्य अधिवेशन में ऐसे संदाय को करने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, और धारा 197 के प्रयोजनों के लिए इस रकम को प्रबंधकार पारिश्रमिक के रूप में मानती है और ऐसी अन्य कंपनी द्वारा ऐसी रकम या रकमों सहित संदेय कुल प्रबंधकार पारिश्रमिक धारा 197 के अधीन अनुमोदन सीमाओं के भीतर है;

(ख) जहां कंपनी,--

(i) अपने निगमन की तारीख से सात वर्ष के लिए एक नई निगमित कंपनी है ; या

(ii) कोई रुग्ण कंपनी है जिसके लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पुनरुज्जीवन या पुनर्वासन के लिए, ऐसे पुनरुज्जीवन की मंजूरी की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, एक स्कीम का आदेश किया गया है,

वहां वह खंड 2 के अधीन अनुज्ञेय रकम के दो गुना तक पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगी;

(ग) जहां किसी प्रबंधकीय व्यक्ति का पारिश्रमिक खंड 2 की सीमाओं से अधिक होता है परन्तु पारिश्रमिक को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा नियत किया गया है:

परन्तु इस खंड के अधीन सीमाएं खंड 2 के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी,--

(i) इस खंड के पैरा (क) में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रबंधकीय व्यक्ति किसी अन्य कंपनी से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है;

(ii) कंपनी का कंपनी सचिव या संपरीक्षक या जहां कंपनी ने कोई कंपनी सचिव नियुक्त नहीं किया है, पूर्णकालिक व्यवसायरत कोई सचिव प्रमाणित करता है कि सभी प्रतिभूत लेनदारों और आवधिक उधार देने वालों ने लिखित में कथन किया है कि प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति और पारिश्रमिक की मात्रा पर उन्हें कोई आक्षेप नहीं है और ऐसे प्रमाणपत्र को धारा 196 की उपधारा (4) के अधीन यथाविहित विवरणी के साथ फाइल किया गया है;

(iii) संपरीक्षक या कंपनी सचिव या जहां कंपनी ने कोई सचिव नियुक्त नहीं किया है; वहां एक पूर्णकालिक व्यवसायरत सचिव यह प्रमाणित करता है कि किन्हीं लेनदारों के लिए संदाय पर कोई व्यतिक्रम नहीं है, निक्षेप धारकों के सभी शोध्यों का समय पर निपटान किया जा रहा है;

(घ) वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई कंपनी, जिसने भारत में शेयरों के लोक निर्गम द्वारा या डिबेंचर द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है, और भारत में किसी वित्तीय वर्ष में तीस दिन की लगातार अवधि के लिए अपने किसी ऋण (जिसके अन्तर्गत लोक निक्षेप भी हैं) या डिबेंचरों या उन पर संदेय ब्याज के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है, 2,40,00,000 रुपए प्रतिवर्ष तक पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगी।

खंड 4—परिलब्धियां जो प्रबंधकार पारिश्रमिक के अन्तर्गत नहीं हैं,—

1. कोई प्रबंधकार व्यक्ति निम्नलिखित परिलब्धियों के लिए पात्र होगा जो खंड 2 और खंड 3 में निर्दिष्ट पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे,—

(क) भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, या वार्षिकी निधि में उस परिमाण तक अभिदाय कि वे अकेले या साथ मिलकर आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कराधेय नहीं हैं;

(ख) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए आधे मास के वेतन से अनधिक की दर पर संदेय उपदान; और

(ग) अवधि के अन्त में छुट्टी को भुनाना।

2. इस धारा के पैरा 2 में निर्दिष्ट परिलब्धियों के अतिरिक्त, कोई देश त्यागने वाला प्रबंधकीय व्यक्ति (जिसके अंतर्गत कोई अप्रवासी भारतीय भी है) निम्नलिखित परिलब्धियों के लिए पात्र होगा जो खंड 2 और खंड 3 में निर्दिष्ट पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे,—

(क) बालकों का शिक्षा भत्ता : भारत में या भारत से बाहर अध्ययन कर रहे बालकों की दशा में, प्रति बालक प्रतिमाह 12,000 रुपए अधिकतम तक सीमित या वास्तविक उपगत व्यय, जो भी कम हो । ऐसा भत्ता अधिकतम दो बालकों तक के लिए अनुज्ञेय है;

(ख) भारत से बाहर रह रहे बालकों या विदेश में रह रहे परिवार के लिए अवकाश यात्रा भाड़ा : प्रबंधकीय व्यक्ति के साथ बालकों और परिवार के सदस्यों के लिए उनके अध्ययन के स्थान या विदेश निवास, यदि वे भारत में नहीं रह रहे हैं, से भारत आने के लिए वर्ष में एक बार मितव्ययी वर्ग का या दो वर्ष में प्रथम वर्ग का वापसी अवकाश यात्रा भाड़ा;

(ग) छुट्टी यात्रा रियायत : जहां यह प्रस्तावित है कि छुट्टी 'भारत में कहीं पर भी' के बदले स्वनगर में व्यतीत की जानी है वहां कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसरण में स्वयं और परिवार के लिए वापसी यात्रा-भाड़ा।

स्पष्टीकरण 1—इस भाग के खंड 2 के प्रयोजनों के लिए, "प्रभावी पूंजी" से कुल समादत्त शेयर पूंजी (शेयर आवेदन धन या शेयरों के विरुद्ध अग्रिम का अपवर्जन करते हुए); शेयर प्रीमियम खाते में, यदि कोई हो, तत्समय जमा रकम; आरक्षितियां और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती का अपवर्जन करते हुए); किन्हीं विनिधानों (उस मामले के सिवाय जिसमें विनिधान किसी विनिधान कंपनी द्वारा किया जाता है जिसका मूल कारबार शेयरों, स्टाक, डिबैंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन करना है), संचित हानियों और अपलिखित न किए गए प्रारंभिक व्ययों के कुल योग को घटाकर एक वर्ष पश्चात् प्रतिसंदेय दीर्घ अवधि ऋण और जमा (कामकाज पूंजी) ऋणों, ओवर ड्राफ्टों, ऋणों का शोध्य ब्याज जब तक वित्तपोषित न हो, बैंक प्रत्याभूति इत्यादि, और अन्य लघु अवधि इंतजामों का अपवर्जन करते हुए) अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2--(क) जहां प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति उस वर्ष होती है जिस वर्ष कंपनी को निगमित किया गया है, वहां प्रभावी पूंजी ऐसी नियुक्ति की तारीख पर संगणित की जाएगी।

(ख) किसी अन्य दशा में प्रभावी पूंजी उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से संगणित की जाएगी जिस वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है।

स्पष्टीकरण 3--इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, परिवार से प्रबंधकीय व्यक्ति का पति या पत्नी, आश्रित बालक और आश्रित माता-पिता अभिप्रेत हैं।

स्पष्टीकरण 4—खंड 2 या खंड 3 के अधीन पारिश्रमिक को अनुज्ञात करते समय नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति,—

(क) कंपनी की वित्तीय अवस्था, उद्योग में रुझान, नियुक्त व्यक्ति की अर्हता, अनुभव, पिछला किया हुआ कार्य, पिछला पारिश्रमिक, आदि पर विचार करेगी;

(ख) कंपनी और शेयर धारकों के हित के बीच संतुलन बनाते हुए पारिश्रमिक पैकेज के अवधारण में विषयनिष्ठता लाने की स्थिति में होगी।

स्पष्टीकरण 5—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, "नकारात्मक प्रभावी पूंजी" से वह प्रभावी पूंजी अभिप्रेत है जिसको इस भाग के स्पष्टीकरण 1 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में संगणित किया जाता है शून्य से कम है।

स्पष्टीकरण 6—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "चालू सुसंगत लाभ" से धारा 198 के अधीन परन्तु उन वर्षों के संबंध में, जिनके दौरान प्रबंधकार व्यक्ति कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी कंपनियों का कर्मचारी, निदेशक या शेयर धारक नहीं था, धारा 198 की उपधारा (4)(1) में निर्दिष्ट आय के ऊपर अधिक व्यय को घटाए बिना यथा संगणित लाभ अभिप्रेत है;

(आ) "पारिश्रमिक" से धारा 2 के खंड (78) में यथा परिभाषित पारिश्रमिक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रबंधकार व्यक्ति को किसी प्रत्यक्ष करों की प्रतिपूर्ति भी है।

खंड 5—दो कंपनियों में प्रबंधकार व्यक्ति को संदेय पारिश्रमिक।

खंड 1 से खंड 4 के प्रयोजनों के अधीन रहते हुए, कोई प्रबंधकीय व्यक्ति एक या दोनों कंपनियों से पारिश्रमिक लेगा, परन्तु यह तब जबकि कंपनियों से लिया गया कुल पारिश्रमिक, कंपनियों में से किसी एक कंपनी से अनुज्ञेय उच्चतर अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है, जिसका वह प्रबंधकीय व्यक्ति है।

भाग 3

इस अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 को लागू होने वाले उपबंध

1. इस अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में निर्दिष्ट नियुक्ति और पारिश्रमिक सामान्य अधिवेशन में शेयर धारकों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।

2. कंपनी का संपरीक्षक या सचिव या जहां कंपनी से सचिव को नियुक्त करना अपेक्षित नहीं है, वहां पूर्णकालिक व्यवसायरत कोई सचिव प्रमाणित करेगा कि इस अनुसूची की अपेक्षा का अनुपालन कर लिया गया है और ऐसे प्रमाणपत्र को धारा 196 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार को फाइल की जाने वाली विवरणी में सम्मिलित किया जाएगा।

भाग 4

केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों को इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी अपेक्षा से छूट दे सकेगी।

अनुसूची 6

(धारा 55 और धारा 186 देखिए)

"अवसंरचनात्मक परियोजनाएं" या "अवसंरचनात्मक सुविधाएं" पद के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं या क्रियाकलाप हैं:—

(1) परिवहन (जिसके अन्तर्गत इंटर माडल परिवहन भी है) के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं:—

(क) सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्राम सड़कें, जिनके अन्तर्गत पथकर संबंधी सेवाएं भी हैं;

(ख) रेल प्रणाली, रेल परिवहन उपबंधकर्ता, मेट्रो रेल मार्ग और अन्य रेल संबंधित सेवाएं;

(ग) पत्तन (जिनके अन्तर्गत लघु पत्तन और बन्दरगाह हैं), अन्तरदेशीय जलमार्ग, तटीय जहाजरानी, जिसके अन्तर्गत जहाजरानी लाइनें और अन्य पत्तन संबंधी सेवाएं भी हैं;

(घ) विमानन, जिसके अन्तर्गत विमानपत्तन, हैलीपत्तन, एयरलाइन और अन्य विमानपत्तन संबंधी सेवाएं हैं;

(ङ) उपस्कर सेवाएं।

(2) कृषि, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(क) भंडारण सेवाओं से संबंधित अवसंरचना;

(ख) कृषि प्रसंस्करण और कृषि के लिए इनपुट की आपूर्ति को अंतर्वलित करने वाली योजनाओं से संबंधी सन्निर्माण;

(ग) प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, विनश्वर मालों जैसे फलों, वनस्पतियों और फूलों के परिरक्षण और भंडारण, जिसके अन्तर्गत गुण की परीक्षा के लिए सुविधाएं भी हैं, के लिए सन्निर्माण ।

(3) जल प्रबंधन, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(क) जल आपूर्ति या वितरण;

(ख) सिंचाई;

(ग) जल उपचार ।

(4) दूरसंचार, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(क) बेसिक या सेल्युलर, जिसके अन्तर्गत रेडियो पेजिंग है;

(ख) घरेलू उपग्रह सेवाएं (जैसे दूरसंचार सेवा का उपबंध करने के लिए किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्व में और उसके द्वारा प्रचालित उपग्रह);

(ग) ट्रंकिंग नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं ।

(5) औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामाजिक विकास और अनुरक्षण, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(क) भू-संपत्ति विकास, जिसके अन्तर्गत कोई औद्योगिक पार्क या विशेष वाणिज्यिक जोन भी है;

(ख) पर्यटन, जिसके अन्तर्गत होटल, अभिसमय केन्द्र और मनोरंजन केन्द्र हैं ;

(ग) सार्वजनिक बाजार और इमारतें, व्यापार मेला, अभिसमय, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक केन्द्र, खेलकूद और आमोद-प्रमोद अवसंरचना, सार्वजनिक बाग और पार्क ;

(घ) शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों का सन्निर्माण;

(ङ) अन्य नगरीय विकास, जिसके अन्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियां, स्वच्छता और मलवहन प्रणालियां हैं।

(6) बिजली, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(क) तापीय, जलीय, आणविक, फासिल ईंधन, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली का उत्पादन;

(ख) नई पारेषण और वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर बिजली का पारेषण, वितरण या व्यापार।

(7) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात् :--

(क) अन्वेषण और उत्पादन;

(ख) आयात और टर्मिनल;

(ग) द्रवीकरण और पुनः गैसीकरण;

(घ) भंडारण टर्मिनल;

(ङ) पारेषण नेटवर्क और वितरण नेटवर्क, जिनके अन्तर्गत शहरी गैस अवसंरचना है।

(8) आवासन, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:--

(क) नगरीय और ग्रामीण आवासन जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक/सामूहिक आवासन, गंदी बस्ती पुनर्वासन, इत्यादि हैं;

(ख) अन्य सहबद्ध क्रियाकलाप जैसे कि जल निकास, प्रकाश, सड़कों का बिछाना, स्वच्छता और सुविधाएं।

(9) अन्य प्रकीर्ण सुविधाएं/सेवाएं, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(क) खनन और संबंधित क्रियाकलाप;

(ख) तकनीकी संबंधित अवसंरचना;

(ग) अवसंरचना सैक्टर द्वारा अपेक्षित संघटकों और पदार्थों या किसी अन्य उपयोगिताओं या सुविधाओं जैसे ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों और मीटर उपकरणों का विनिर्माण;

(घ) पर्यावरण संबंधी अवसंरचना;

(ङ) आपदा प्रबंधन सेवाएं;

(च) संस्मारकों और प्रतिमाओं का परिरक्षण;

(छ) आपातकालीन सेवाएं (जिनके अन्तर्गत मेडिकल, पुलिस, फायर और बचाव हैं) ।

(10) ऐसी अन्य सुविधा सेवा जैसी विहित की जाए।

अनुसूची 7

(धारा 135 देखिए)

वे क्रियाकलाप जिन्हें कंपनियों द्वारा अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीतियों में सम्मिलित किया जा सकेगा—

निम्नलिखित से संबंधित क्रियाकलाप—

(i) अति भुखमरी और गरीबी उन्मूलन;

(ii) शिक्षा का संवर्धन;

(iii) लैंगिक समानता का संवर्धन और महिला सशक्तिकरण;

(iv) बाल मृत्युदर में कमी करना और मातृ स्वास्थ्य में सुधार;

(v) ह्यूमन इम्युनोडिफिसिएन्सी वायरस, अक्वायर्ड इम्यून डिफिसिएन्सी सिन्ड्रोम, मलेरिया और अन्य बीमारियों का प्रतिरोध करना;

(vi) पर्यावरणीय अवलंबन का सुनिश्चय करना;

(vii) रोजगार के लिए वृत्तिक कौशलों में वृद्धि;

(viii) सामाजिक कारबार परियोजनाएं;

(ix) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि और कल्याण के लिए निधियों में अभिदाय;

(x) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

डा॰ जी॰ नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.

MGIPMRND—3999GI—29-08-2019.